बिहार सरकार

वित्त विभाग

आर्थिक सर्वेक्षण
2012–13

बिहार सरकार

फरवरी 2013

बिहार सरकार

वित्त विभाग

आर्थिक सर्वेक्षण

2012-13

फरवरी 2013

मुख्य मंत्री
बिहार

पटना

आमुख

सामाजिक उत्थान एवं विकास के लिए एक मजबूत एवं कियाशील राज्य तंत्र आवश्यक है, जिसके बिना देश को प्रगति के रास्ते पर नहीं ले जाया जा सकता है। यह हमारी वैचारिक मान्यता है कि राज्य की आवश्यकता, केवल कानून का राज्य स्थापित करने के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के विकास एवं कल्याण के लिए भी अपरिहार्य है। प्रगतिशील राज्य के बिना लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है। बिहार सरकार ने अथक प्रयास किया है कि राज्य की कार्य संस्कृति में बदलाव आए ताकि वह परिवर्तन का उत्प्रेरक बन सके। बिहार के विकास की कहानी लोकतंत्र की शक्ति और राज्य निर्माण की कहानी है, जिसका केन्द्र बिन्दु ''न्याय के साथ विकास'' है। हम ऐसी प्रगति के लिये प्रयासरत हैं, जो आर्थिक उन्नयन के साथ–साथ पारदर्शी तथा जवाबदेह हो और जिसमें सभी सामाजिक वर्ग सम्मिलित हो सके, खासकर सबसे कमजोर वर्ग जिनको अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है।

वर्ष 2005 से राज्य सरकार टिकाऊ विकास के लिये कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य आर्थिक स्थिति को उच्च संसाधन जुटा कर सुदृढ करना रहा है ताकि बड़े योजना आकार एवं पूंजी परिव्यय का रास्ता प्रशस्त हो एवं आर्थिक विकास मे तेजी लाई जा सके। 2006–2007 से राज्य सरकार ने प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कराया है जिससे राज्य के प्रभावी आर्थिक विकास को संकलित करने के साथ–साथ अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई जा सकी है।

हमें विश्वास है कि यह आर्थिक–सर्वेक्षण विकास प्रबंधकों, शिक्षाविदों एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों के लिए बहुमूल्य साबित होगा। हमें यह भी आशा है कि इससे विकास की रणनीतियॉ सुझाने के प्रति लोगों मे उत्साह बढ़ेगा जिससे बिहार के विकास की चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलेगी।

(नीतीश कुमार)

सुशील कुमार मोदी
उप मुख्यमंत्री तथा
वित्त मंत्री, बिहार

बिहार सरकार

पटना

प्रस्तावना

बिहार की अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर और सामाजिक क्षेत्रों में तदनुरूप विकास के कारण हाल के वर्षों में राज्य की छवि में पूरी तरह बदलाव आया है। यह मुख्यतः राज्य सरकार के प्रयासों के कारण संभव हो सका जिसने अपने सीमित संसाधनों का अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया। बिना राजकोषीय अनुशासन से समझौता किए, राज्य सरकार ने अपना विकास व्यय बढ़ाया जिससे राज्य की सामाजिक और भौतिक अधिसंरचना सुदृढ़ होती गई। राज्य की अर्थव्यवस्था पर इस विकास रणनीति के सकारात्मक प्रभाव को साल दर साल होने वाले आर्थिक सर्वेक्षणों में साफ देखा जा सकता है।

पहले की ही तरह इस सर्वेक्षण में भी ताजातरीन आंकड़ों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था और राजकीय वित्तव्यवस्था का विवरण प्रस्तुत है। मेरा पूरा विश्वास है कि विशेषज्ञ गण इस सर्वेक्षण को राज्य की उपलब्धियों का दस्तावेज भर ही नहीं, राज्य की विकास रणनीतियों पर बहुमूल्य फीडबैक का महत्वपूर्ण स्रोत भी पाएंगे।

सु. कु. मोदी

(सुशील कुमार मोदी)

विषय सूची

अध्याय	:	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
		शब्दावली एवं शब्द संक्षेप संग्रह	i-x
		तालिका सूची एवं तालिका परिशिष्ट	xi-xxv
		कार्यकारी सारांश	xxvi-xxxviii
अध्याय 1	**:**	**बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन**	**1-24**
		1.1 राज्य घरेलू उत्पाद	02-07
		1.2 क्षेत्रीय विषमता	07-08
		1.3 थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	08-09
		परिशिष्ट	**10-24**
अध्याय 2	**:**	**कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र**	**25-76**
		2.1 वर्षापात	26-27
		2.2 भूमि उपयोग पैटर्न	27-29
		2.3 उत्पादन और उत्पादकता	29-41
		2.4 सिंचाई	41-42
		2.5 कृषि लागत सामगियां	42-49
		2.6 कृषि ऋण	50-55
		परिशिष्ट	56-76
अध्याय 3	**:**	**उद्यम क्षेत्र**	**77-123**
		3.1 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (2009-10)	80-84
		3.2 वृहत उद्योग	85-85
		3.3 अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	85-91
		3.4 कृषि आधारित उद्योग	91-100
		3.5 गैर-कृषि आधारित उद्योग	100-104
		3.6 सहयोगदाता संस्थाएं	105-111
		3.7 औद्योगिक क्षेत्र में रुग्णता	111-112
		3.8 सूचना प्रौद्योगिकी	112-113
		3.9 निवेशोचित वातावरण	113-116
		3.10 पर्यटन	116-118
		3.11 चुनौतियां और संभावनाएं	119-119
		परिशिष्ट	**120-123**

अध्याय 4	**:**	**अधिसंरचना एवं संचार**	**124-175**
		4.1 सड़क	124-130
		4.2 पुल क्षेत्र	130-132
		4.3 पथ परिवहन	132-135
		4.4 अंतर्देशीय जलमार्ग	135-136
		4.5 रेलमार्ग	136
		4.6 नागरिक उड्डयन	136-137
		4.7 दूरसंचार	138-141
		4.8 डाक नेटवर्क	141-143
		4.9 शहरी अधिसंरचना	144-146
		4.10 सिंचाई	146-152
		4.11 बिहार में विद्युत क्षेत्र	152-168
		परिशिष्ट	**169-175**
अध्याय 5	**:**	**सामाजिक क्षेत्र**	**176-293**
		5.1 जनसांख्यिकी	177-179
		5.2 स्वास्थ्य	179-196
		5.3 शिक्षा	196-211
		5.4 गरीबी और ग्रामीण विकास	211-221
		5.5 सीमांत तबकों के लिए हस्तक्षेप	221-240
		5.6 आपदा प्रबंधन	240-243
		परिशिष्ट	**244-293**
अध्याय 6	**:**	**बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र**	**294-340**
		6.1 बैंकिंग अधिसंरचना	296-301
		6.2 जमा और ऋण	302-312
		6.3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राप्त अग्रिमों में क्षेत्रवार हिस्सा	313-318
		6.4 राज्य सरकार की पतिभूतियों में निवेश	319
		6.5 वित्तीय संस्थाएं	319-322
		6.6 ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ)	322-326
		6.7 बिहार में सूक्ष्मवित्त	326-330
		6.8 चुनिंदा सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन	330-332
		6.9 बिहार में निगमोचित वातावरण	333
		6.10 वित्तीय समावश	334-336
		परिशिष्ट	**337-340**

अध्याय 7 :	**राजकीय वित्तव्यवस्था**	**341-446**
	7.1 वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन	344-351
	7.2 राजकोषीय प्रदर्शन	352-362
	7.3 घाटा प्रबंधन	362-368
	7.4 ऋण प्रबंधन	368-371
	7.5 कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात	371-372
	7.6 राजस्व लेखा : प्राप्ति तथा व्यय	373-377
	7.7 संसाधन प्रबंधन	377-388
	7.8 राजकीय कर विभागों का प्रदर्शन	388-393
	7.9 व्यय प्रबंधन	394-398
	7.10 राजस्व व्यय	398
	7.11 वेतन और पेंशन पर व्यय	399-400
	7.12 व्यय की गुणवत्ता	400-401
	7.13 क्षेत्रगत व्यय	401-404
	7.14 सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय	404-405
	7.15 राज्य के बजटों की तुलना : 2011-12 और 2012-13	405-408
	7.16 सरकारी व्यय का आर्थिक प्रभाव	408-412
	7.17 राज्य बजट को दरकिनार करती केंद्रीय राशि	412-414
	7.18 केंद्र प्रायोजित योजनाएं	414-418
	7.19 राजकीय सार्वजनिक उपक्रम और निगम	418-422
	7.20 वैधानिक निगम	422-425
	7.21 सार्वजनिक क्षेत्र के परिणामों का सारांश	425-429
	7.22 पंचायती राज संस्थाएं	429-433
	7.23 स्थानीय नगर निकाय	433-434
	परिशिष्ट	**435-446**

शब्दावली एवं शब्द संक्षेप संग्रह

एसीपी	वार्षिक ऋण योजना
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीवी	विज्ञापन कर
एजी (ए एंड ई)	महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं जांच)
एआइबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
एआइसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एएनएम	सहायक नर्स एवं धाई
एपीडीआरपी	त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम
एपीएफएएमजीएस	आंध्र प्रदेश कृषक प्रबंधित भूजल व्यवस्था
एपीएचसी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर
एपीएमबी	कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड
एआरईपी	त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम
एएसएचए (आशा)	प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एएसआइ	वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण
एटीएमए (आत्मा)	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण
एडब्ल्यूसी	आंगनवाड़ी केंद्र
आयुष	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होमियोपैथी
एडब्ल्यूडब्ल्यू	आंगनवाड़ी सेविका
बीएडीपी	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
बीएपीएमसी	बिहार कृषि उत्पाद विपणन निगम
बीसी	पिछड़ी जाति
बीसीआर	वर्तमान राजस्व शेष
बीडीआरएम	बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन
बीई (ब.अ.)	बजट अनुमान
बीईपीसी	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
बेल्ट्रॉन	बिहार राज्य इलक्ट्रॉनिक विकास निगम
बीईआरसी	बिहार विद्युत नियामक आयोग
बीआइएडीए (बिआडा)	बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार
बीआइएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीआइसीआइसीओ (बिसिको)	बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम

बीआइसी	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन
बीआइजीडब्ल्यूआइएस (बिगविस)	बिहार भूजल सिंचाई योजना
बीआइपीएआरडी (बिपार्ड)	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान
बीएमए	बिहार नगरपालिका अधिनियम
बीएमपी	बिहार मिलिटरी पुलिस
बीओटी	निर्माण, परिचालन एवं हस्तांतरण
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीपीएसएम	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन
बीआरएईएन-डीसी (ब्रेन-डीसी)	बिहार राजस्व एवं समेकित आंकड़ा केंद्र
बीआरबीएन	बिहार राज्य बीज निगम
बीआरईडीए (ब्रेडा)	बिहार ऊर्जा नवीकरणीय विकास अभिकरण
बीआरजीएफ	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
बीआरजेपी	बिहार राज्य जल पर्षद
बीआरएलपीएस	बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना समिति
बीआरआरडीए	बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण
बीएससीआइसीओ (बिसिको)	बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम
बीएसईबी	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
बीएसएफसी	बिहार राज्य वित्त निगम
बीएसएचपी	बिहार राज्य उच्चपथ कार्यक्रम
बीएसएचपीसी	बिहार राज्य जलविद्युत निगम
बीएसआइडीसी	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम
बीएसपीटीसी	बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी
बीटीपीएस	बरौनी ताप विद्युत संयंत्र
बीएसएलआइडीसी	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम
बीएसआरटीडीसी	बिहार राज्य पथ परिवहन विकास निगम
बीएसआरडीसीएल	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसएससी	बिहार राज्य चीनी निगम
बीएसटीडीसी	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम
बीएसयूपी	शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा
बीएसडब्ल्यूएएन (बिस्वान)	बिहार राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क
बीएसडब्ल्यूसी	बिहार राज्य भंडारण निगम

बीयूडीसीएल	बिहार शहरी विकास निगम लिमिटेड
बीडब्ल्यूए	ब्रॉडबैंड वायरलेस नेटवर्क
बीयूआइडीसीओ (ब्यूडको)	बिहार शहरी अधिसंरचना विकास निगम लिमिटेड
सीबीआर	अशोधित जन्म दर
सीएडीडब्ल्यूएम	कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन
सीएडीए	कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण
सोसीए	कृष्य कमांड क्षेत्र
सीसीबी	केंद्रीय सहकारी बैंक
सीडी	ऋण-जमा
सीडीपीओ	बाल विकास परियोजना अधिकारी
सीडीआर	अशोधित मृत्यु दर
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकार
सीईआरटी	कंप्यूटर आपात अनुक्रिया दल
सीईटीपी	साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र
सीएफसी	सामान्य सुविधा केंद्र
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सीआइआइ	भारतीय उद्योग महासंघ
सीआइएसएस	पूंजी निवेश उपदान (सब्सिडी) योजना
सीएलआरआइ	केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान
सीओएआई	भारतीय सेल्युलर संचालक संघ
सीओएमएफईडी (कॉम्फेड)	सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड
सीपीआइ	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीआरएफ	आपदा राहत कोष
सीएससी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर
डीसीआरएफ	ऋण समेकन एवं राहत सुविधा
डीसीएस	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति
डीडीजी	विकेंद्रित वितरण एवं उत्पादन
डीडीआसी	जिला नि:शक्त पुनर्वास केंद्र

डीईडीएस	दुग्ध उत्पादन उद्यमिता विकास योजना
डीएफआइडी	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग
डीआइसी	जिला उद्योग केंद्र
डीएलसीसी	जिला स्तरीय समन्वय समिति
डीएलएचएस	जिला स्तरीय पारिवारिक सर्वेक्षण
डीएमसी	आपदा प्रबंधन समिति
डीएमडब्ल्यूआर	लघु जल संसाधन विभाग
डीपीएपी	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार
डीएसपीटी	डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल
डीडब्ल्यूआर	जल संसाधन विभाग
ईबीसी	अति पिछड़ी जाति
ईपीएस	विद्युत आपूर्ति सर्वेक्षण
ईडी	विद्युत शुल्क/ उत्पाद शुल्क
ईडीपी	उद्यमिता विकास कार्यक्रम
ईजीएस	शिक्षा गारंटी योजना
ईएचएम	इलक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण
ईएनटी	प्रवेश कर (चुंगी)
ईओसी	आपात कार्यसंचालन केंद्र
ईटी	मनोरंजन कर
ईडब्ल्यूएच	उजरती मजदूर युक्त प्रतिष्ठान
एफएमसीजी	तीव्र प्रसारी उपभोग सामग्रियां
एफएमएस	सुविधा प्रबंधन सेवा
एफआरबीएमए	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम
एफटीटीपी	कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कोष
जीडीडीपी	सकल जिला घरेलू उत्पाद
जीडोपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफसीएफ	सकल स्थिर पूंजी निर्माण
जीएफडी	सकल राजकोषीय घाटा
जीआइएस	भौगोलिक सूचना केंद्र
जीओबी	बिहार सरकार

जीओआइ	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसएम	वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली
एचडीआइ	मानव विकास सूचकांक
एचडीपीई	उच्च घनत्व पॉलिईथिलीन
एचएलटी	होटल विलासिता कर
एचपीसीएल	हिंदुस्तान पेट्रांलियम निगम लि.
एचएससी	स्वास्थ्य उप-केंद्र
आइएवाइ	इंदिरा आवास योजना
आइसीडी	निवेश सह ऋण-जमा अनुपात
आइसीडीएस	समेकित बाल विकास योजना
आइसीआइसीआइ	भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम
आइसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आइडीबीआइ	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आइडीसी	अधिसंरचना विकास निगम
आइडीएफसी	अधिसंरचना विकास वित्त निगम लिमिटेड
आइएफसीआइ	भारतीय अधिसंरचना विकास निगम
आइजीएमएसवाइ	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
आइजीएनओएपीएस	इंदिरा गांधी राष्टोय वृद्धावस्था पेंशन योजना
आइजीएनडब्ल्यूपीएस	इंदिरा गांधी राष्टोय विधवा पेंशन योजना
आइजीएनडीपीएस	इंदिरा गांधी राष्टोय नि:शक्तता पेंशन योजना
आइजीएस	भारतीय ग्रामीण सेवा
आइजीएएस	भारत सरकार लेखाकरण मानक
आइजीआइएमएस	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान
आइएचएचएल	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय
आइएचएसडीपी	समन्वित आवास एवं मलिन-बस्ती विकास योजना
आइआइपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आइएल एंड एफएस	अधिसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवा
आइएमएफएल	भारत निर्मित विदेशी शराब
आइएमआर	शिशु मृत्यु दर
आइओसी	भारतीय तेल निगम

आइपीसी	भारतीय दंड संहिता
आइएसओपीओएम (आइसोपॉम)	समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का योजना
आइटीईएस	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवा
आइटीआइ	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आइडब्ल्यूएआइ	भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण
आइडब्ल्यूडीएमएस	समेकित कार्यप्रवाह एवं अभिलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर
आइडब्ल्यूडीपी	समेकित जलछाजन विकास परियोजना
आइडब्ल्यूएमपी	समेकित जलछाजन प्रबंधन परियोजना
जेबीएसवाइ	जननी एवं बाल सुरक्षा योजना
जेसीआइ	भारतीय जूट निगम
जेआइसीए	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण
जेएनएनयूआरएम	जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरणीय मिशन
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केजीबीवी	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
केवीआइसी	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
केवीके	कृषि विज्ञान केंद्र
केएचपीएस	कोशी जलविद्युत केंद्र
एलएएन (लैन)	स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एलईबी	जन्मकालीन जीवन संभाव्यता
एलओआइ	आशय पत्र
एमएएनएजीई (मैनेज)	राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान
एमडीएमएस	मध्याह्न भोजन योजना
एमडीआर	मुख्य जिला पथ
एमएफसी	बहुकार्यी संकुल (कंप्लेक्स)
एमएनआरईजीए	महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमएनआरईजीएस (मनरेगा)	महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमआइएस	मासिक आय योजना/ प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमआइपीबी	विनिर्माण उद्योग प्रोत्साहन बोर्ड
एमएमजीएसवाइ	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
एमएमवाइ	मात मृत्यु दर
एमएमएसएनवाइ	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना
एमएमएसवाइ	मुख्यमंत्री सड़क योजना

एमएनएसवाइ	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
एमपीएलएडीएस (एमपीलैड्स)	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
एमओयू	सहमति पत्र
एमएसडीपी	बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
एमएसएमई	अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमटीपीएस	मुजफ्फरपुर तापविद्युत निगम
एमएसटीपी	मिलियन शैलो ट्यूबवेल प्रोग्राम
एमएसवाइ	महिला समृद्धि योजना
एमडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनएबीएआरडी (नाबार्ड)	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनबीसीसी	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम
एनडीएमए	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल
एनएफबीएस	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनजीआरबीए	राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार
एनएचडीपी	राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना
एनएचएम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
एनआइएमजेड	राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन
एनएचओ	राष्ट्रीय उच्चपथ संगठन
एनएचपीसी	राष्ट्रीय जलविद्युत निगम
एनआइसी	राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र
एनएमसीपी	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धिता कार्यक्रम
एनएमपी	राष्ट्रीय विनिर्माण नीति
एनपीए	अनिष्पादित परिसंपत्ति
एनपोसीआइएल	भारतीय आणविक शक्ति निगम
एनपीईजीईएल	राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तरीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम
एनपीके	नाइटोजन, फासफोरस, पोटाशियम
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एनएसडीपी	निवल राज्य घरेलू उत्पाद

एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
एनएसएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम
एनएसआइसी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
एनएसकेएफडीसी	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम
एनएसएसएफ	राष्ट्रीय लघु बचत कोष
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एनटीपीसी	राष्ट्रीय तापविद्युत निगम
ओएई	स्वश्रम प्रतिष्ठान
ओएफपीपीसी	क्षेत्रस्थ प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र
ओएनजीसी	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम
ओपीडी	वाह्य रोगी विभाग
ओटीएस	एकमुश्त निष्पादन
पीएसीएस (पैक्स)	प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति
पीसीआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
पीडीपीपी	सार्वजनिक संपत्ति क्षति अभिरक्षा
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीजीसीआइएल	भारतीय पावरग्रिड निगम लिमिटेड
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएचईडी	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
पीआइएम	सहभागी सिंचाई प्रबंधन
पीएलआइ	डाक जीवन बीमा
पीएलएफ	प्लांट लोड फैक्टर
पीएमईजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीएमजीएसवाइ	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमआरवाइ	प्रधानमंत्री रोजगार योजना
पीओपी	उपस्थिति बिंदु (पाइंट ऑफ प्रेजेंस)
पीपीए	विद्युत क्रय समझौता
पीपीपी	सार्वजनिक-निजी साझेदारी
पीक्यूएलआइ	भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक
पीआरआइ	पंचायती राज संस्था
पीएस	पंचायत समिति
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

पीटी	पेशा कर
पीयूआरए (प्यूरा)	ग्रामीण क्षेत्रगत नगरवत सुविधा प्रावधान
क्यूई	त्वरित अनुमान
आरबीआइ	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीसी	प्रबलित (रेनफोर्स्ड) सीमेंट कंक्रीट
आरईओडीबी	स्थावर संपदा, निवास अधिकार, वैधानिक एवं व्यवसाय सेवाएं
आरएफपी	प्रस्ताव अनुरोध
आरजीएसईएजी	राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना
आरजीजीवीवाइ	राजीव गांधी ग्रामोण विद्युतीकरण योजना
आरजीयूएमवाइ	राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना
आरआइडीएफ	ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष
आरआइपीएफ	ग्रामीण अधिसंरचना प्रोत्साहन कोष
आरपीएलआइ	ग्रामीण डाक जीवन बीमा
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएसएम/ पीसी	ग्रमीण स्वच्छता बाजार/ उत्पादन केंद्र
आरएसवीवाइ	राष्ट्रीय सम विकास योजना
आरटीआइ ऍक्ट	सूचना अधिकार अधिनियम
आरयूडीएसईटीआइ (रूडसेटी)	ग्रामीण विकास एवं स्वप्रशिक्षण संस्थान
एसएपी (सैप)	विशेष सहायक पुलिस
एससी (अजा)	अनुसूचित जाति
एससीए	सेवा केंद्र अभिकरण
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित व्यावसायिक बैंक
एसडीसी	राज्य आंकड़ा केंद्र
एसडीएमए	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार
एसडीआरएफ	राज्य आपदा अनुक्रिया बल
एसईसी-एलएएन (सैक-लैन)	सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एसएफसी	राज्य खाद्य निगम
एसएफसी	राज्य वित्त आयोग
एसजीआरवाइ	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एसजीएसवाइ	स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना
एसएचडीपी	राज्य उच्चपथ विकास कार्यक्रम

एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआइडीबीआइ (सिडबी)	भारतीय लघु उद्योग बैंक
एसआइपीबी	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड
एसएलबीसी	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
एसएमई	लघु एवं मध्यम उद्यम
एसओपी	मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया
एसपीयूआर (स्पर)	नगरीय सुधार सहायता योजना
एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
एसआरआर	बीज प्रतिस्थापन दर
एसआरआइ (श्री)	चावल सघनीकरण प्रणाली
एसआरएस	प्रतिदर्श (नमूना) निबंधन प्रणाली
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसएसआइ	लघु उद्योग
एसटी (अजजा)	अनुसूचित जनजाति
एसटीपीएस	सुपर ताप विद्युत केंद्र
एसडब्ल्यूएएन (स्वान)	राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क
टी एंड डी	संचरण एवं वितरण
टीएफआर	कुल प्रजनन दर
टीआइएनएक्सआइएस (टिंक्सिस)	कर सूचना विनिमय प्रणाली
यूडी एंड एचडी	शहरी विकास एवं आवास विभाग
यूआइडीएसएसएमटी	लघु एवं मध्यम शहर नगरीय अधिसंरचना विकास योजना
यूआइजी	शहरी संरचना एवं अभिशासन
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकास
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
वीएटी (वैट)	मूल्यवर्धित कर
वीपीएन	वर्चुअल पाइवेट नेटवर्क
वीटीएफ	ग्राम कार्यबल
डब्ल्यूडीसी	महिला विकास निगम
डब्ल्यूडीएफ	पनढाल (वाटरशेड) विकास कोष
डब्ल्यूआइएसई (वाइज)	विश्व सुस्थिर (सस्टेनेबल) ऊर्जा संस्थान
डब्ल्यूएलएल	वायरलेस इन लोकल लूप
डब्ल्यूपीआइ	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूयूए	जल उपभोक्ता संघ
डब्ल्यूटीएम	वैश्विक यात्रा बाजार
जेडपी	जिला परिषद

तालिका सूची

तालिका सं.	विषय सूची	पेज नं.
	बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन	
1.1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर)	3
1.2	वर्तमान मूल्य पर प्रमुख राज्यों का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद	5
1.3	स्थिर (2004-05) मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत संरचना	6
1.4	बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और पिछड़े जिले	8
1.5	बिहार और भारत में थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	9
	कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र	
2.1	विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात (2001 से 2012)	26
2.2	बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न (2007-08 से 2009-10)	28
2.3	बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन (2007-08 से 2011-12)	30
2.4	बिहार में फसल पैटर्न (2007-08 से 2011-12)	31
2.5	बिहार में मुख्य फसलों की उत्पादकता (किग्रा/ प्रति हे.)	32
2.6	बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और दलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में अग्रणी जिले	35
2.7	बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 से 2011-12)	36-37
2.8	बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 से 2011-12)	39
2.9	बिहार में फूलों की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 से 2011-12)	40
2.10	बिहार में महत्वपूर्ण फसलों के प्रमाणित बीजों की जरूरत और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें (2009-10 से 2011-12)	43
2.11	बिहार में उर्वरकों की खपत (2009-10 से 2011-12)	44
2.12	बिहार में मिनिकिट निदर्शन (2007-08 से 2011-12)	46
2.13	सब्सिडी पर वितरित कृषि यंत्रों की संख्या	48
2.14	कृषि ऋण प्रवाह (2007-08 से 2011-12)	50
2.15	बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (2005-06 से 2011-12)	51
2.16	बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन	53

	उद्यम क्षेत्र	
3.1	भारत में औद्योगिक विकास के सूचक	77
3.2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान (2010-11)	79
3.3	2004-05 के स्थिर मूल्य पर बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दरें	79
3.4	वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (2008-09 और 2009-10)	80
3.5	चालू कारखानों की संख्या (2008-09 और 2009-10)	81
3.6	बिहार और भारत में उद्योगों के संरचना अनुपात (2009-10)	81
3.7	कारखाना क्षेत्र में दो अंकों वाले उद्योग प्रभाग में इंधनों की खपत	82
3.8	कारखाना क्षेत्र में रोजगार, नियोजित मानवदिवस और भुगतान की गई परिलब्धियों का अनुमान	83
3.9	बिहार में उद्योगों के कुछ प्रमुख पैरामीटर	84
3.10	2011-12 में स्वीकृत बड़ी औद्योगिक इकाइयां	85
3.11	संचालन के लिहाज से उद्यमों की स्थिति	86
3.12	कार्यशील इकाइयों का प्रकार के अनुसार राज्यवार वितरण	87
3.13	गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार कार्यशील इकाइयों का राज्यवार वितरण	87
3.14	देश के प्रमुख राज्यों में प्रमुख विशेषताओं का वितरण	88
3.15	बिहार में निबंधित अतिलघु, लघु और मध्यम इकाइयों की वर्षवार स्थापना	89
3.16	2011-12 में निबंधित मध्यम, लघु और अतिलघु इकाइयों का प्रतिशत वितरण	90
3.17	बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम की प्रगति	91
3.18	बिहार में 2011-12 मं प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत स्वीकृति और वितरण	91
3.19	बिहार में फलों और सब्जियों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2011-12)	93
3.20	बिहार में राजकीय क्षेत्र के बंद चीनी मिलों की स्थिति	94
3.21	तीन पेराई वर्षों में चीनी मिलों का प्रदर्शन स्तर	95
3.22	दुग्ध उत्पादों का विपणन	99
3.23	ब्याज और मूल्यह्रास पूर्व लाभ	99
3.24	हथकरघा क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं	101
3.25	2011-12 में प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों की संख्या	102
3.26	2010-11 में बिहार में खनिजों से प्राप्त राजस्व	104
3.27	वार्षिक गैर-योजना बजट प्रावधान और व्यय (2010-11 और 2011-12)	104

3.28	उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां	106
3.29	औद्योगिक प्रांगणों में अधिग्रहित और आबंटित जमीन तथा इकाइयों की संख्या के अंचलवार विवरण (अक्तूबर 2012 तक)	108
3.30	विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जिला उद्योग केंद्रों की उपलब्धियां	109
3.31	बिहार में निर्यातक उद्यमों का वितरण	110
3.32	रुग्णता के चरित्र के अनुसार इकाइयों की संख्या	111
3.33	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा धनराशि की योजनावार स्वीकृति	113
3.34	बिहार में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण का अनुमान	114
3.35 (क)	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव (सितंबर 2012 तक)	114
3.35 (ख)	क्रियान्वयन की क्षेत्रवार अवस्थाएं (सितंबर 2012 तक)	115
3.36	बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद के प्रयासों से स्थापित हो रही इकाइयां	116
3.37	पर्यटन विभाग के परिव्यय और व्यय के विवरण	118
	अधिसंरचना एवं संचार	
4.1	बिहार और भारत में सड़कों की औसत लंबाई (2011-12)	124
4.2	बिहार में सड़कों की लंबाई (सितंबर 2012 में)	125
4.3	बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों की स्थिति	125
4.4	बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों के चार लेन वाली सड़कों में उन्नयन की स्थिति (2011-12)	126
4.5	बिहार में राज्य उच्चपथों की स्थिति (सितंबर 2012 में)	127
4.6	स्वीकृत सड़कों की लंबाई और परिव्यय (2006-07 और 2011-12)	129
4.7	ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा योजना-वार निर्मित सड़कें (2006 से 2012)	129
4.8	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत निर्मित पुल (2011-12)	131
4.9	निर्मित पुलों की संख्या	132
4.10	निबंधित वाहनों की संख्या (2007-08 से 2012-13, सितंबर 2012 तक)	132
4.11	सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत नगर सेवा के बसों की संख्या	135
4.12	पटना हवाईअड्डे पर यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई सहित वायुयानों की आवाजाही	137
4.13	वायु सेवा और उड़ानों की संख्या (पटना हवाईअड्डा)	137
4.14	बिहार में दूरभाष कनेक्शन (2001-2012)	138
4.15	प्रमुख भारतीय राज्यों का दूरभाष घनत्व	140
4.16	भारत संचार निगम का विकास	141

4.17	बिहार में डाक सुविधाएं	142
4.18	डाक आवागमन - देशी और विदेशी (2010-11 और 2011-12)	142
4.19	डाक विभाग में लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई (2010-11 एवं 2011-12)	143
4.20	सक्रिय खातों की संख्या और उनमें जमा रकम (2011 और 2012)	143
4.21	समेकित आवास एवं मलिन-बस्ती विकास कार्यक्रम तथा शहरी गरीब हेतु बुनियादी सुविधा	145
4.22	राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार के तहत स्वीकृत परियोजनाएं	146
4.23	बड़ो और मंझोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग दक्षता	147
4.24	वित्तीय आवश्यकताएं तथा 2017 से 2022 के बीच विकसित होने वाली अतिरिक्त सिंचाई क्षमता	148
4.25	बिहार में लघु सिंचाई स्रोतों की स्थिति	150
4.26	लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल	150
4.27	आहर-पइनों/ सिंचाई तालाबों के जिलावार आंकड़े	151
4.28	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का अनुमोदित परिव्यय (2012-13)	155
4.29	केंद्रीय विद्युत केंद्रों से विद्युत आबंटन	156
4.30	बरौनी तापविद्युत केंद्र की वर्तमान स्थिति (30.08.2012 को)	157
4.31	बरौनी तापविद्युत कंद्र हेतु नियोजित पूंजीगत व्यय	157
4.32	कोशी जलविद्युत केंद्र की इकाइयों की वर्तमान स्थिति	158
4.33	बिहार की आगामी परियोजनाएं	159
4.34	संचरण - विद्यमान अधिसंरचना	160
4.35	संचरण कार्य हेतु पूंजी निवेश की योजना	161
4.36	बिहार विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजना - वर्तमान स्थिति	161
4.37	अनुमोदित और वास्तविक संचरण एवं वितरण ह्रास (2006-07 से 2011-12)	162
4.38	पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का पूंजीगत व्यय	163
4.39	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत पूंजीगत व्यय के वित्तीय परिव्यय की योजना	163
4.40	एशियाई विकास बैंक के वित्तपोषण से होने वाले कार्यों का पैकैज-वार सारांश	164
4.41	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचालनगत और वित्तीय स्थिति	164
4.42	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण तथा गांवों और बीपीएल आवासों के विद्युतीकरण की उपलब्धियां	165
4.43	बिहार में कार्यशील लघु जलविद्युत परियोजनाएं	166
4.44	प्रस्तावित लघु जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति	166
4.45	बिहार में प्रस्तावित बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं	167

	सामाजिक क्षेत्र	
5.1	सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान	176
5.2	भारत और बिहार की जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011)	177
5.3	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार जिलों का वर्गीकरण (2001-2011)	178
5.4	शहरीकरण की दर के अनुसार जिलों का वर्गीकरण (2001-2011)	179
5.5	बिहार और भारत में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता	180
5.6	बिहार और भारत के चुनिंदा स्वास्थ्य विषयक सूचक (2006 से 2010)	181
5.7	सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या (2007 से 2011)	183
5.8	स्वास्थ्य अधिसंरचना की समग्र स्थिति	184
5.9	प्रति अस्पताल और प्रतिदिन पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की जिलावार औसत संख्या	185
5.10	भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर (2009-10, 2010-11 और 2011-12)	186
5.11	संस्थागत प्रसवों की संख्या (2007-08 से 2011-12 तक)	189
5.12	बिहार में एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन (2009-10 से 2011-12)	190
5.13	बिहार में मुख्य रागों की व्यापकता (जनवरी 2012 से सितंबर 2012)	190
5.14	बिहार में समेकित बाल विकास योजना में कर्मियों की स्थिति	191
5.15	समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग	192
5.16	बिहार में समेकित बाल विकास योजना की वित्तीय उपलब्धियां	192
5.17	बिहार में जलापूर्ति एवं स्वच्छता के तहत उपलब्धियां	195
5.18	जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु राज्य योजनागत योजनाओं में वित्तीय प्रगति	195
5.19	जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु राज्य योजनागत योजनाओं में भौतिक प्रगति	195
5.20	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति (2008-09 से 2011-12)	196
5.21	2011 में साक्षरता दरों का जिलावार वर्गीकरण	197
5.22	भारत और बिहार में साक्षरता दरों के रुझान	198
5.23	बिहार में साक्षरता दर में लैंगिक असमानता और ग्रामीण-शहरी असमानता	199
5.24	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (लाख में)	201
5.25	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें	203
5.26	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें	204
5.27	शिक्षा पर व्यय	205

5.28	बिहार में मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन (2008-09 से 2011-12)	206
5.29	मध्याह्न भोजन योजना में राशि की स्वीकति	207
5.30	सर्व शिक्षा अभियान - वित्तीय प्रगति	208
5.31	वैकल्पिक नवाचारी केंद्रों की स्थिति	209
5.32	बिहार में उच्च शिक्षा संस्थान	210
5.33	बिहार और भारत में गरीबी अनुपात	211
5.34	2009-10 में बिहार और भारत में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय (रु. में)	212
5.35	स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का प्रदर्शन (2007-08 से 2011-12)	213
5.36	मनरेगा का प्रदर्शन (2007-08 से 2011-12)	215
5.37	मनरेगा के तहत पूर हुए कार्यों की श्रेणीवार सूची (2007-08 से 2011-12)	217
5.38	इंदिरा आवास योजना का प्रदर्शन	217
5.39	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दूकानदारों का अवलोकन	219
5.40	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कामकाज (2007-08 से 2011-12)	220
5.41	अजा एवं अजजा कल्याण हेतु आबंटन का अवलोकन	223
5.42	महादलित शौचालय योजना के तहत शौचालयों का निर्माण	223
5.43	वित्तवर्ष 2011-12 में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि. की उपलब्धियां	225
5.44	जेंडर बजट का सारांश	226
5.45	जेंडर बजट का अवलोकन	227
5.46	लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली प्रमुख योजनाएं	227
5.47	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	228
5.48	सामाजिक सशक्तीकरण के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या	230
5.49	पंचायती राज : अवलोकन 2012	231
5.50 (क)	पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की वित्तीय प्रगति	233
5.50 (ख)	पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का भौतिक और वित्तीय ब्योरा	233
5.51	राज्य योजना के तहत 2011-12 में वित्तीय उपलब्धियां	235
5.52	श्रमिक संबंधी प्रमुख सार्वजनिक पहलकदमियों/ योजनाओं का अवलोकन	236
5.53	वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन योजनाएं	237
5.54	महादलित परिवार गृहभूमि प्रावधान योजना के तहत प्रगति	238
5.55	राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पहलकदमियां	239

5.56	भूदान की जमीन के वितरण के मामले में प्रगति	240
5.57	सूखा राहत हेतु स्वीकृत राशि	242
5.58	बाढ़ और चक्रवात के संबंध में आबंटित राशि	243
	बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र	
6.1	बिहार में व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण	297
6.2	विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का वितरण (2011-12)	297
6.3	राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या (31 मार्च को)	298
6.4	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जमा और ऋण राशि	299
6.5	जमा के प्रकार के अनुसार अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की ग्रामीण जमा राशियां (मार्च 2011)	300
6.6 क	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण (31 मार्च, 2011)	301
6.6 ख	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के महिला कर्मियों का वितरण (31 मार्च, 2011)	301
6.7	भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च)	302
6.8	भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार प्रति व्यक्ति जमा और ऋण (31 मार्च)	303
6.9	बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	305
6.10	बिहार में बैंक समूह तथा क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात, 2011-12	307
6.11	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	308
6.12	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात	309
6.13	जिलावार ऋण-जमा अनुपात	310
6.14 क	राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	311
6.14 ख	निजी व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात, 2011-12	312
6.15	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात	312
6.16	वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत अग्रिमों का क्षेत्रवार हिस्सा (2011-12)	313
6.17	वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धियां - सभी बैंक	314
6.18	वार्षिक ऋण योजनागत उपलब्धियों का अभिकरण-वार विश्लेषण (2011-12)	314
6.19 क	कृषिगत ऋण प्रवाह	314
6.19 ख	बकाया कृषिगत अग्रिम	315
6.20	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा सूचक (31 मार्च, 2011)	315
6.21	राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम	316
6.22	राजकीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य परिणाम (अंतिम मार्च)	317

6.23	बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (1999-00 से 2011-12 तक)	318
6.24	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के निवेश का राज्यवार वितरण	319
6.25	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रवार पुनर्वित्तपोषण	320
6.26	नाबार्ड द्वारा बिहार में क्षेत्रवार निवेश ऋण पुनर्वित्तपोषण के विवरण	321
6.27	मार्च 2012 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत संचयी वितरण	323
6.28	बिहार में मार्च 2012 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत स्वीकृति और वितरण	324
6.29	ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत मार्च 2012 तक संभावित लाभ	325
6.30	बिहार में स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन (मार्च 2012)	327
6.31	भारत के चुनिंदा राज्यों में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क (मार्च 2012)	327
6.32	बिहार में सूक्ष्मवित्त का विकास	328
6.33	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सूक्ष्मवित्तपोषण (मार्च 2012)	329
6.34	2011-12 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्ष्य	331
6.35	स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन	332
6.36	2010-11 में नई निबंधित लिमिटेड कंपनियों की राज्यवार संख्या	333
6.37	वित्तीय समावेश का रोडमैप	334
	राजकीय वित्तव्यवस्था	
7.1	बिहार सरकार की प्राप्ति और व्यय	350
7.2	प्रमुख राजकोषीय सूचक	355-357
7.3	राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक	361
7.4	राज्यों की घाटा/ अधिशेष की स्थिति	363
7.5	सकल राजकोषीय घाटा	365
7.6	बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना	366
7.7	बिहार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	367
7.8	बकाया देनदारियां	368
7.9	संचित निधि में बकाया देनदारियों की संरचना	369
7.10	अदायगी संबंधी दायित्व	370
7.11	प्राप्त निवल ऋण	371
7.12	राज्यों का कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2012-13 बजट अनुमान)	372
7.13	बिहार का राजस्व लेखा	373
7.14	बिहार सरकार का व्यय पैटर्न	375

7.15	ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति	375
7.16	व्यय के अन्य पैरामीटर	376
7.17	केंद्र सरकार से बिहार को होने वाला संसाधनों का अंतरण	377
7.18	राजस्व प्राप्तियां	379
7.19	विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व	379
7.20	कर राजस्व की संरचना	381
7.21	कर राजस्व की वृद्धि दरें	382
7.22	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा	382
7.23	बिहार के प्रमुख गैर-कर राजस्व	383
7.24	गैर-कर राजस्वों की संरचना	384
7.25	गैर-कर राजस्वों की वृद्धि दरें	384
7.26	कर और गैर-कर राजस्व की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2011-12)	385
7.27	कर संग्रहण व्यय	386
7.28	कर और गैर-कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में	386
7.29	महत्वपूर्ण कर तथा गैर-कर राजस्व स्रोतों की उत्फुल्लता	387
7.30	केंद्र सरकार से अनुदान तथा अंशदान	388
7.31	विभिन्न अधिनियमों के तहत कर संग्रहण (2007-08 से 2012-13)	388
7.32	कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का वर्षवार प्रतिशत हिस्सा	389
7.33	बिक्री कर का तुलनात्मक सामग्रीवार संग्रहण	389
7.34	राज्य उत्पाद शुल्क का संग्रहण	392
7.35	स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व	392
7.36	स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व, 2011-12 (अक्तूबर 2012 तक)	393
7.37	संचित निधि से व्यय	394
7.38	सरकारी व्यय की संरचना	395
7.39	कुल व्यय की संरचना (प्रतिशत)	396
7.40	व्यय की वृद्धि दरें	397
7.41	राजस्व व्यय का विवरण	398
7.42	वेतन और पेंशन व्यय	399
7.43	व्यय की गुणवत्ता के पैरामीटर	401

7.44	सामाजिक सेवाओं पर व्यय	402
7.45	आर्थिक सेवाआं पर व्यय	403
7.46	सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय	404
7.47	बजट 2011-12 और 2012-13 का सारांश	406
7.48	संचित निधि का प्रतिशत वितरण - प्राप्ति तथा व्यय	407
7.49	राज्य सरकार के व्यय का कार्यशील वर्गीकरण (2011-12)	409
7.49 क	आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-1 : चालू लेखा	409
7.49 ख	आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-2 : पूंजीगत लेखा	410
7.49 ग	आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-3 : वित्तीय परिसंपत्ति में परिवर्तन	410
7.49 घ	आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-4 : वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन	410
7.49 च	आर्थिक वर्गीकरण - लखा-5 : नगद एवं पूंजीगत समाधान लेखा	411
7.50	सरकारी व्यय का आर्थिक वर्गीकरण, 2011-12	411
7.51	राज्य बजट को दरकिनार करते केंद्रीय धन का विवरण - 2010-11 और 2011-12	413
7.52	सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय प्रदर्शन	415
7.53	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकारों क तहत योजनाओं का वित्तीय प्रदर्शन	416
7.54	सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार का निवेश	419
7.55	क्षेत्रवार सरकारी कंपनियां और निगम, 2010-11	421
7.56	सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय परिणामों का सारांश (2006-07 से 2009-10)	421
7.57	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय परिणामों का सारांश	423
7.58	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश	424
7.59	बिहार राज्य वित्त निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश	424
7.60	बिहार राज्य भंडारण निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश	425
7.61	बिहार में सार्वजनिक क्षत्र के परिणामों का नवीनतम लेखानुसार सारांश (31 मार्च, 2011 को)	426-429
7.62	पंचायती राज संस्थाओं के वित्तपोषण के स्रोत	431
7.63	महत्वपूर्ण ग्रामीण समाज विकास योजनाओं के लिए धनराशि प्रवाह	432
7.64	महत्वपूर्ण शीर्षों के तहत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यय	432

तालिका परिशिष्ट

परिशिष्ट	विषय सूची	पेज नं.
	बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन	
परिशिष्ट 1.1	उपादान मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद	10
परिशिष्ट 1.2	उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	11-12
परिशिष्ट 1.3	उपादान मूल्य (2004-05 के मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	13-14
परिशिष्ट 1.4	उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद	15-16
परिशिष्ट 1.5	उपादान मूल्य (2004-05 के मूल्य) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद	17-18
परिशिष्ट 1.6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार वार्षिक वृद्धि दर	19-20
परिशिष्ट 1.7	2004-05 के मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद (2006-07 से 2009-10)	21
परिशिष्ट 1.8	पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत	22-23
परिशिष्ट 1.9	डाकघरों और लोक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत (2009-10, 2010-11 और 2011-12)	24
	कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र	
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न मौसमों में बिहार के विभिन्न जिलों में वार्षिक वर्षापात (2011 और 2012)	56
परिशिष्ट 2.2	बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2009-10)	57-58
परिशिष्ट 2.3	बिहार में चावल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2009-10 और 2010-11)	59
परिशिष्ट 2.4	बिहार में गेहूं का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2009-10 और 2010-11)	60
परिशिष्ट 2.5	बिहार में मक्का का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2009-10 और 2010-11)	61
परिशिष्ट 2.6	बिहार में दलहन का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2009-10 और 2010-11)	62

परिशिष्ट 2.7	बिहार में महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2010-11 और 2011-12)	63-65
परिशिष्ट 2.8	बिहार में महत्वपूर्ण फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2010-11 और 2011-12)	66-68
परिशिष्ट 2.9	बिहार में फूलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2010-11 और 2011-12)	69-71
परिशिष्ट 2.10	बिहार में जिलावार सहकारी ऋण वितरण	72
परिशिष्ट 2.11	किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जिलावार उपलब्धि (संख्या)	73
परिशिष्ट 2.12	बिहार में पशुधन के जिलावार आंकड़े (2007)	74
परिशिष्ट 2.13	पशुधन संबंधी सेवाओं की जिलावार उपलब्धि	75
परिशिष्ट 2.14	बिहार में मछली और मत्स्य-बीज का जिलावार उत्पादन (2009-10 से 2011-12)	76
उद्यम क्षेत्र		
परिशिष्ट 3.1	2009-10 में चुनिंदा कृषि एवं गैर-कृषि आधारित उद्योगों के निर्गत के मूल्य और निवल मूल्यवर्धन (बिहार और भारत)	120
परिशिष्ट 3.2	बिहार में उद्योगों की संरचना (2008-09 और 2009-10)	121
परिशिष्ट 3.3	2011-12 में अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों की सामाजिक श्रेणिवार उपलब्धियां	122
परिशिष्ट 3.4	बिहार में देशी-विदेशी पर्यटकों का प्रवाह	123
अधिसंरचना एवं संचार		
परिशिष्ट 4.1	बिहार में जिलावार सड़क नेटवर्क (2010-2012)	169
परिशिष्ट 4.2	राज्य उच्चपथों की उन्नयन हेतु स्वीकृत लंबाई और भौतिक उपलब्धि की जिलावार स्थिति (2011-12)	170
परिशिष्ट 4.3	बिहार राज्य में 2011-12 में निबंधित वाहनों के आंकड़े	171
परिशिष्ट 4.4	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार - शहरी अधिसंरचना एवं अभिशासन की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां (2012-13, अक्तूबर 2012 तक)	172
परिशिष्ट 4.5	शहरी विकास हेतु अनुमोदित योजनाओं की सूची अवस्थिति, स्रोत एवं राशि सहित	173
परिशिष्ट 4.6	जारी बड़ी-मंझोली सिंचाई योजनाओं का निष्पादन (2012-17)	174
परिशिष्ट 4.7	नई प्रस्तावित बड़ी-मंझोली सिंचाई योजनाओं का निष्पादन (2012-17)	174
परिशिष्ट 4.8	वर्ष 2011-12 में जिलावार निजी नलकूप	175

सामाजिक क्षेत्र		
परिशिष्ट 5.1	बिहार की जिलावार जनसाख्यिक विवरणी (2001 और 2011)	244
परिशिष्ट 5.2	बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011)	245
परिशिष्ट 5.3	वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जिलावार परिणाम (2011)	246-248
परिशिष्ट 5.4	बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (सितंबर 2012)	249
परिशिष्ट 5.5	बिहार में नियमित एवं संविदा आधारित चिकित्सकों का जिलावार नियोजन	250
परिशिष्ट 5.6	बिहार में 'ए' श्रेणी की नर्सों का जिलावार नियोजन (मार्च 2011 और मार्च 2012)	251
परिशिष्ट 5.7	बिहार में एएनएम का जिलावार नियोजन (मार्च 2011 और मार्च 2012)	252
परिशिष्ट 5.8	बिहार में आशा-कर्मियों का जिलावार नियोजन (मार्च 2011 और मार्च 2012)	253
परिशिष्ट 5.9	संस्थागत प्रसवों की जिलावार संख्या (2008-09 से 2011-12)	254
परिशिष्ट 5.10	जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिलावार आच्छादन (2010 से 2012)	255
परिशिष्ट 5.11	रोगों की प्रधानता (सूचित अवधि : 1 जनवरी, 2012 से 30 सितंबर, 2012)	256-257
परिशिष्ट 5.12	स्वास्थ्य समितियों को संवितरित जिलावार धनराशि (2010-11 और 2011-12)	258
परिशिष्ट 5.13	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में चापाकलों की जिलावार स्थापना	259
परिशिष्ट 5.14	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जिलावार उपलब्धियां : व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (2010-11 और 2011-12)	260
परिशिष्ट 5.15	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जिलावार उपलब्धियां (स्वच्छता संकुल, स्कूली शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय) (2010-11 और 2011-12)	261
परिशिष्ट 5.16	बिहार में लिंग आधारित जिलावार साक्षरता दरें : 2001 और 2011	262
परिशिष्ट 5.17	बिहार में निवास आधारित जिलावार साक्षरता दरें	263
परिशिष्ट 5.18	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (सभी) (2009-10 और 2010-11)	264
परिशिष्ट 5.19	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजा) (2009-10 और 2010-11)	265
परिशिष्ट 5.20	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजजा) (2009-10 और 2010-11)	266

परिशिष्ट 5.21	नामांकन की जिलावार वार्षिक वृद्धि दर : 2006-07 से 2010-11	267
परिशिष्ट 5.22	बिहार में जिलावार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय (2007-08 और 2010-11)	268
परिशिष्ट 5.23	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की जिलावार संख्या (2007-08 और 2010-11)	269
परिशिष्ट 5.24	मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5) (2010-11 और 2011-12)	270
परिशिष्ट 5.25	मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8) (2010-11 और 2011-12)	271
परिशिष्ट 5.26	बिहार में उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम आधारित कुल नामांकन	272
परिशिष्ट 5.27	बिहार में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम आधारित कुल नामांकन	273
परिशिष्ट 5.28	बिहार में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम आधारित कुल नामांकन	274
परिशिष्ट 5.29	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अवलोकन (2010-11 और 2011-12)	275-276
परिशिष्ट 5.30	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का भौतिक एवं वित्तीय अवलोकन (2010-11 और 2012)	277-278
परिशिष्ट 5.31	मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति (2010-11 और 2011-12)	279-280
परिशिष्ट 5.32	मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति (2010-11 और 2011-12)	281
परिशिष्ट 5.33	इंदिरा आवास योजना का अवलोकन (2010-11) इंदिरा आवास योजना का अवलोकन (2011-12)	282
परिशिष्ट 5.34	इंदिरा आवास योजना के तहत भौतिक लक्ष्य और धनराशि उपयोग संबंधी जिलावार उपलब्धियां	283
परिशिष्ट 5.35	बिहार में जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का सामाजिक पृष्ठभूमि आधारित जिलावार वितरण	284
परिशिष्ट 5.36	बीपीएल परिवारों के लिए चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2011-12)	285
परिशिष्ट 5.37	अंत्योदय परिवारों के लिए चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2011-12)	286
परिशिष्ट 5.38	अन्नपूर्णा परिवारों के लिए चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2011-12)	287

परिशिष्ट 5.39	बीपीएल, अंत्योदय और अन्नपूर्णा के तहत चावल और गेहूं के लिए जिलावार उठाव प्रतिशत	288
परिशिष्ट 5.40	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण का जिलास्तरीय अवलोकन	289-290
परिशिष्ट 5.41	पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय प्रगति का अवलोकन	291
परिशिष्ट 5.42	राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा और नि:शक्तता पेंशन योजनाओं के लाभान्वितों की जिलावार संख्या (2011-12)	292
परिशिष्ट 5.43	राजकीय वृद्धावस्था, विधवा और नि:शक्तता पेंशन योजनाओं के लाभान्वितों की जिलावार संख्या (2011-12)	293
बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र		
परिशिष्ट 6.1	31.3.2012 तक वार्षिक ऋण योजना क अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन क. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम	337
	ख. 31.03.2012 को गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम	338
परिशिष्ट 6.2	जिलावार उपलब्धि - किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)	339
परिशिष्ट 6.3	स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना के तहत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धि, 2011-12	340
राजकीय वित्तव्यवस्था		
परिशिष्ट 7.1	अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2010-11 और 2011-12	435-436
परिशिष्ट 7.2	अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2012-13 (सितंबर 2012 तक) (लाख रु.)	437
परिशिष्ट 7.3	जिलावार दस्तावेजों की सं., स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से राजस्व, 2010-11 और 2011-12	438
परिशिष्ट 7.4	20 विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कार्यों के विवरण	439
परिशिष्ट 7.5	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित क्रियाकलापों के विवरण	440-442
परिशिष्ट 7.6	पंचायती राज विभाग को धनराशि का जिलावार आबंटन (2010-11 से 2012-13 तक)	443-444
परिशिष्ट 7.7	31.03.2009 तक प्राप्त अनुदान, किया गया खर्च और अप्रयुक्त शेष	445
परिशिष्ट 7.8	31.03.2010 तक प्राप्त अनुदान, किया गया खर्च और अप्रयुक्त शेष	446

कार्यकारी सारांश

बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन

1. वर्ष 2011-12 में 2004-05 के मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 1.52 लाख करोड़ रु. है जिससे प्रति व्यक्ति आय 15,417 रु. है। वर्ष 2011-12 में वर्तमान मूल्य पर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2.53 लाख करोड़ रु. है जिससे प्रति व्यक्ति आय 25,653 रु. होती है।

2. दसवीं योजना अवधि में स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5.67 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। उसके बाद अर्थव्यवस्था में कायापलट हो गया और ग्यारहवीं योजना के दौरान इसमें 11.95 की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2007 से 2012 के बीच विकास दर पिछली योजना अवधि से ही अधिक नहीं है, देश के सभी राज्यों के बीच भी लगभग सर्वाधिक है।

3. वर्ष 2007 से 2012 के बीच 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर वाले क्षेत्र थे - निबंधित विनिर्माण (18.15 प्रतिशत), निर्माण (21.91 प्रतिशत), संचार (38.41 प्रतिशत), व्यापार, होटल एवं जलपानगृह (15.10 प्रतिशत तथा बैंकिंग एवं बीमा (23.5 प्रतिशत)।

4. वर्ष 2007-08 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय (11,615 रु.) संपूर्ण भारत के औसत (35,825 रु.) का 32.4 प्रतिशत थी। लेकिन 2011-12 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 25,653 रु. और संपूर्ण भारत का औसत 60,972 रु. होने से यह अनुपात बढ़कर 42.07 प्रतिशत हो गया।

5. प्राथमिक क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और पशुपालन के हिस्से में काफी गिरावट दर्ज हुई। द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक परिवर्तन दर्शाने वाला उप-क्षेत्र निर्माण है जिसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा त्रिवर्ष 2002-05 के 5.7 प्रतिशत से बढ़कर त्रिवर्ष 2009-12 में 12.8 प्रतिशत हो गया। तृतीयक क्षेत्र में जिस उप-क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा सबसे अधिक वढ़ा, वह है व्यापार, होटल एवं जलपानगृह।

6. बिहार में निम्न प्रति व्यक्ति आय की समस्या जिलों की प्रति व्यक्ति आय के बीच भारी अंतर से और भी प्रबलित हो जाती है। वर्ष 2009-10 में पटना (55,539 रु.), मुंगेर (18,669 रु.) और भागलपुर (14,396 रु.) सर्वाधिक समृद्ध जिले थे जबकि सोपानक्रम के सबसे नीचे के जिले शिवहर (5,522 रु.), मधेपुरा (7,161 रु.) और सुपौल (7,213 रु.) थे।

कृषि और सहवर्ती क्षेत्र

1. वर्षापात में साल दर साल होने वाले अंतर के कारण ही राज्य में बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति पैदा होती है। इसके कारण फसलों के उत्पादन को गंभीर क्षति पहुंचती है क्योंकि लगभग 50 प्रतिशत किसान अपने कृषिकार्यों के लिए मॉनसून पर निर्भर हैं।

2. वनभूमि का क्षेत्रफल 6.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा है और गैर-कृषिगत उपयोग वाली भूमि का क्षेत्रफल 17.8 प्रतिशत पर। शुद्ध कृष्य क्षेत्र में थोड़ी गिरावट दिखी है जो 2007-08 के 60.5 प्रतिशत से 2009-10 में 57.0 प्रतिशत रह गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान फसल सघनता 1.37 पर लगभग अपरिवर्तित रही है।

3. वर्ष 2011-12 में अनाजों का उत्पादन 2010-11 के 10,352.2 हजार टन की तुलना में 17,242.2 हजार टन हुआ। उत्पादन में यह तेज छलांग धान की खेती में श्री विधि के उपयोग क कारण संभव हुई है।

4. त्रिवर्ष 2009-12 में तीन महत्वपूर्ण अनाजों की औसत उत्पादकता इस प्रकार है : चावल - 1,574 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, गेहूं - 2,519 किग्रा प्रति हे. और मक्का - 3,106 किग्रा प्रति हे.। त्रिवर्ष 2000-03 की तुलना में उत्पादकता में वृद्धि चावल के मामले में 8.0 प्रतिशत, गेहूं के मामले में 23.7 प्रतिशत और मक्का के मामले में 30.3 प्रतिशत है। उत्पादकता के स्तर में परिवर्तन खरीफ दलहनां के मामले में 27.7 प्रतिशत था और रबी दलहनों के मामले में 7.2 प्रतिशत।

5. राज्य सरकार द्वारा हाल में ली गई पहलकदमियों से सब्जी उत्पादन काफी बढ़ा है। अभी तक उपेक्षित रहे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क जैसी अधिसंरचना के विकास से सब्जियों के विपणन की संभावनाएं बढ़ी हैं। इससे उत्पादक अपने घर पर ही अच्छी कीमत पाने में सक्षम हुए हैं। इसी प्रकार, कार्यक्रम से खुदरा विक्रेताओं के लिए भी पूरे राज्य में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा हुए हैं।

6. गुलाब, गेंदा, बेला और ट्यूबरोज जैसे फूलों की बढ़ती मांग के कारण उनकी व्यावसायिक खेती बढ़ती जा रही है। पटना, जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली प्रमुख फूल उत्पादक क्षेत्र हैं।

7. गुणवत्तापूण बीज उपलब्ध कराने के मामले में वर्तमान सरकार की प्रमुख पहलकदमियां हैं : मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना, बीज ग्राम योजना, प्रमाणित बीजों के उत्पादन और उपयोग के लिए सब्सिडी का प्रावधान, अभी तक मृतप्राय में रहे बिहर राज्य बीज निगम का पुनरुत्थान, बिहार बीज प्रमाणन अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण और राज्य के फार्मों द्वारा बीजों का बहुगुणन। फलतः धान, गेहूं और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरें (एसआरआर) काफी बढ़ी हैं।

8. राज्य सरकार नाइटोजन, फासफोरस और पोटासियम (एनपीके) के अलावा जैव उर्वरकों को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों को उपलब्ध सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार अपने संसाधनों से सूक्ष्म-पोषक तत्वों के उपयोग पर भी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार हरी खाद के पौधों की खेती को भी प्रायोजित कर रही है।

9. राज्य सरकार पावर टिलर, टक्टर, स्प्रेयर, विनोवर (ओसौनी मशीन), पावर वीडर और पावर थ्रसर पर केंद्र प्रायोजित योजना के तहत उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त भी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। अब काफी कृषक परिवारों के पास ऐस उपकरण मौजूद हैं जिसका मुख्य कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सब्सिडी है।

उद्यमिता क्षेत्र

1. विगत कुछ वर्षों के दौरान देश में धुंधले औद्योगिक परिदृश्य के बावजूद बिहार में औद्योगिक विकास के मामले में अच्छी उपलब्धि दिखी है। हालांकि, बिहार अभी भी विकसित राज्यों से बहुत पीछे है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2010-11 में 16.0 प्रतिशत था जो प्रमुख राज्यों के बीच सबसे कम है।

2. वर्ष 2009-10 में चालू कारखानों के मामले में संपूर्ण भारत के प्रतिशत में थोड़ी गिरावट दिखने के बावजूद बिहार में कृषि आधारित और गैर-कृषि आधारित, दोनों के लिहाज से चालू कारखानों में लगभग 3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2009-10 में विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू का प्रदर्शन निर्गत मूल्य और शुद्ध मूल्यवर्धन, दोनों लिहाज से बेहतर दिखा।

3. बिहार में अधिकांश अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम विनिर्माण/ एसेंबली/ प्रसंस्करण में लगे हैं। 69 प्रतिशत इकाइयां विनिर्माण और संबंधित गतिविधियों में, 24 प्रतिशत मरम्मत/ रखरखाव में और मात्र 7 प्रतिशत सेवा संबंधी गतिविधियों में लगी हैं।

4. बिहार में अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 1.92 लाख निबंधित इकाइयां हैं जिनमें से 99 प्रतिशत अतिलघु इकाइयां हैं। अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की निबंधित इकाइयों में सितंबर 2012 तक कुल निवेश 1,941 करोड़ रु. था और उनमें 6.30 लाख लोगों को राजगार प्राप्त था। लेकिन इन इकाइयों का जिलों में एक जैसा फैलाव नहीं है। बिहार में 2011-12 में नई निबंधित 4,108 इकाइयों में से 458 पटना में थीं और उसके बाद 318 गया में तथा 313 मधुबनी में।

5. वर्ष 2011-12 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की 4,887 इकाइयों (लक्ष्य की 98 प्रतिशत) के बीच कुल 98.74 करोड़ रु. वितरित किए गए जिसका औसत प्रति इकाई 2.02 लाख होता है। इन इकाइयों से 35.2 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

6. बिहार में खाद्य उत्पाद, पेय एवं तंबाक् का कुल औद्योगिक उत्पादन में 80 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा है। इनमें शुद्ध मूल्यवर्धन और रोजगार की काफी संभावना है। हाल के वर्षों में कृषि आधारित उद्योग, खास कर चाय और दुग्ध उत्पादों में काफी विकास होना शुरू हुआ है।

7. बिहार में चावल का मुख्य स्थान है जिसका कुल अनाज उत्पादन में 50.5 प्रतिशत हिस्सा है। लगभग 40 लाख हे. क्षेत्र में मोटे तौर पर 50 लाख टन धान का उत्पादन होता है। राज्य में लगभग 5 हजार चावल मिल हैं लेकिन उनमें से 5 प्रतिशत ही आधुनिक मिल हैं।

8. 28 चीनी मिलों में से 10 चालू हैं। 18 रुग्ण और बंद मिलों में से 15 बिहार राज्य चीनी निगम लि. क हैं और 3 केंद्र के बीआइसी समूह क। बीआइसी समूह के मिलों में से चनपटिया और बारा चकिया क मिल परिसमापन के चरण में हैं। तीसरे के लिए पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है। राजकीय क्षेत्र के 15 बंद

मिलों में से 8 को निविदा के जरिए निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। शेष 10 चालू मिल निजी क्षेत्र में हैं। कुल मिलाकर 2011-12 में 11 मिल चालू थे और कुल 488.30 लाख क्विंटल ईख की पेराई हुई थी। इनमें चीनी प्राप्ति की दर 9.24 प्रतिशत थी और कुल 45.10 लाख क्विंटल चीनो का उत्पादन हुआ।

9. बिहार में 40 लाख किग्रा से भी अधिक चाय का वार्षिक उत्पादन होता है। अधिकांश उत्पादन किशनगंज जिले में होता है। किशनगंज में मात्र 5 चाय प्रसंस्करण संयंत्र हैं जिनका वार्षिक उत्पादन 2,300 टन चाय से अधिक है। बहरहाल किशनगंज में 20 से भी अधिक नए चाय प्रसंस्करण संयंत्रों की गुंजाइश मौजूद है।

10. कांफेड द्वारा सुधा ब्रांड नाम से अनेक दुग्ध उत्पादों का विपणन किया जाता है जिनकी भारी मांग है। अब दूध सहित इन उत्पादों का विपणन दिल्ली में भी किया जा रहा है। विपणन के लिहाज से दुग्ध उत्पाद हर साल नइ ऊंचाइयां छू रहे हैं।

11. राज्य में बड़ी संख्या में हथकरघा इकाइयां चालू हैं जिनसे 1.32 लाख बुनकरों को रोजगार मिलता है। हालांकि 54 प्रतिशत बुनकरों के पास ही अपना हथकरघा है। शेष के हथकरघे व्यापारियों द्वारा दिए गए हैं। राज्य में पावरलूम के क्षेत्र में 11 हजार से भी अधिक करघे हैं।

12. सितंबर 2012 तक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआइपीबी) ने राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कुल 939 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें 3.19 लाख करोड़ रु. का निवेश और 2.27 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार संभावित है। लगभग 53 प्रतिशत स्वीकृत प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के हैं। राज्य के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्युंत संयंत्र है जिसका कुल संभावित निवेश में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है।

13. राज्य में विदेशी पर्यटकों का आना विगत वर्षों के दौरान कईगुना बढ़ा है। पयटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर छः में से एक विदेशी पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए बिहार का रुख करता है। विदेशी पर्यटकों की संख्या 2011 में 7.95 लाख थी जो 2007 के 1.77 लाख की चारगुनी से भी अधिक है।

अधिसंरचना एवं संचार

1. मुख्य जिला पथों में लगभग 6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है जिससे उनकी लंबाई गत वर्ष के 8,505 किमी से बढ़कर सितंबर 2012 तक 9,031 किमी हो गई है। ग्रामीण पथों में, जिनमें अब अन्य जिला पथ भी शामिल हैं, गत वर्ष की अपेक्षा असाधारण वृद्धि हुई है।

2. कुल 28 राष्टोय उच्चपथ या तो राज्य में मौजूद हैं या राज्य से होकर गुजरते हैं। राज्य में इनकी कुल लंबाई 3,734 किमी है। चौड़ाई के लिहाज से राष्टोय उच्चपथों की विभिन्न श्रेणियां हैं - एक लेन वाले, दो लेन वाले या अनेक लेन वाले। बिहार में 2011-12 में राष्टोय उच्चपथों की लंबाई में तो वृद्धि नहीं

हुई लेकिन कुल लंबाई में मध्यवर्ती लेन (5.50 मी) और दो लेन (7.00 मी) वाली सड़कों का हिस्सा बढ़ा है।

3. सितंबर 2012 में बिहार में राज्य उच्चपथों की कुल लंबाई 4,857 किमी थी। लगभग 1 प्रतिशत राज्य उच्चपथ चार लेन वाले, 63 प्रतिशत दो लेन वाले, 21 प्रतिशत एक लेन वाले और 15 प्रतिशत मध्यवर्ती लेन वाले हैं। राज्य सरकार ने राज्य उच्चपथ विकास कार्यक्रम के तहत एक लेन और मध्यवर्ती लेन वाले सारे राज्य उच्चपथों को दो लन वाली सड़कों में बदल डालने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की।

4. बिहार के 1.23 लाख किमी लंबे ग्रामीण सड़क नेटवर्क में अच्छा-खासा हिस्सा कच्ची सड़कों का है। राज्य सरकार सुदूर क्षेत्रों के गांव-टोलों को भी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।

5. 828.73 करोड़ रु. के व्यय से 14 उपरिपुलों (ओवरब्रीज) के निर्माण का काम इरकॉन इंटरनेशनल ने हाथ में लिया था। इनमें से 7 उपरिपुल बनकर तैयार हो गए हैं और शेष 7 का काम प्रगति पर है। साथ ही, मुख्य जिला पथों पर 8 उपरिपुल भी इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत जिला प्रशासन ने 2,455 पुलों का और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 685 पुलों का निर्माणकार्य पूरा किया है।

6. राज्य में निबंधित वाहनों की संख्या हर साल बढ़ रही है और 2007-08 के 1.62 लाख से लगभग तीनगुनी बढ़कर 2011-12 में 4.40 लाख हो गई। वर्ष 2011-12 में समाप्त हुए चतुवर्ष के दौरान सभी श्रेणियों के वाहनों के निबंधन में काफी वृद्धि हुई है, खास कर दोपहियों के निबंधन में।

7. बिहार में दूरसंचार क्षेत्र ने गत कुछ वर्षों के दौरान लंबी छलांग लगाई जो आर्थिक विकास का सबसे अधिक दिखने वाला संकेत है। इससे राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को काफी बल मिला है। वर्ष 2011-12 के अंत में बिहार में लगभग 4.6 करोड़ दूरभाष कनेक्शन थे जिनमें मोबाइल फोन का हिस्सा 98 प्रतिशत से भी अधिक था। इसमें निजी संचालकों की बड़ी भूमिका है।

8. मार्च 2012 में बिहार परिक्षेत्र में 9,057 डाकघर थे। राज्य में मौजूद कुल डाकघरों में 90 प्रतिशत विभागेतर डाकघर हैं और शेष 10 प्रतिशत विभागीय डाकघर।

9. केंद्र सरकार द्वारा नगर अधिसंरचना एवं अभिशासन (यूआइजी) के तहत 758 करोड़ रु. के कुल परियोजना व्यय वाली 10 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। सितंबर 2012 तक कुल स्वीकृत राशि में से 214.61 करोड़ रु. बिहार नगर विकास अभिकरण (बीयूडीए) को और 191.61 करोड़ रु. क्रियान्वयक अभिकरण को विमुक्त किए जा चुके हैं। शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) के तहत पटना और बोधगया के लिए 710 करोड़ रु. के कुल अनुमानित व्यय से 22,372 मकानों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार, समेकित मलिनबस्ती विकास एवं आवास कार्यक्रम (आइएचएसडीपी) के तहत 431. 84 करोड़ रु. के कुल अनुमानित व्यय से 25 स्थानीय नगर निकायों के लिए 18,594 आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

10. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत शहर के 38 जिलों में सड़कों, नालियों और पार्कों के विकास के लिए कुल 139.19 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। बिहार सरकार ने राज्य को अगले पांच वर्षों के अंदर मलिनबस्ती-मुक्त करने का संकल्प लिया है और बिहार मंत्रिमंडल के जरिए 'मलिनबस्ती नीति' पारित करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है।

11. वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के जरिए 2011-12 तक कुल 28.93 लाख हे. सिंचाई क्षमता विकसित हुई थी। वर्ष 2011-12 में इनकी उपयोग दक्षता लगभग 52 प्रतिशत होने से कुल सिंचित क्षेत्रफल लगभग 15 लाख हे. था।

12. बिहार में विद्युत क्षेत्र का विकास अत्यंत सीमित रहा है। बिहार में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत अभी भी 117 किलोवाट आवर है जबकि राष्टोय औसत 813 यूनिट है। विगत 6 वर्षों में बिजली की मांग लगभग 8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। हालांकि विद्यत आपूर्ति की स्थिति नितांत अपर्यापत रही है जिसके कारण चरम मांग संबंधी कमी काफी अधिक रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 में प्रत्याशित चरम कमी 31.0 प्रतिशत और वांछित ऊर्जा की कमी 20.2 प्रतिशत के आसपास रहेगी।

13. राज्य में ऊर्जा की जरूरत 2000 मेगावाट के वर्तमान स्तर से बढ़कर निकट भविष्य में 6000 मेगावाट तक पहुंच जाने की आशा है। ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक अन्य परियोजनाओं की योजना बनाई है।

14. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड 2006-07 से 2011-12 तक अपना राजस्व 18.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ान में सक्षम हुआ था। हालांकि राजस्व बढ़ता गया लेकिन बोर्ड का घाटा भी साल दर साल बढ़ता गया था। इस घाटे का कारण मुख्यत: लागत की अपर्याप्त वसूली थी।

15. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण याजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम चल रहा है। सितंबर 2012 तक 18,635 गांव और 22.54 लाख बीपीएल परिवारों के मकान ग्रिड से जोड़े गए थे। इस योजना के तहत 33/11 किलोवोल्ट क्षमता के 171 विद्युत उप-केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इनमें से 93 का निर्माणकार्य पूरा हो गया है।

सामाजिक क्षेत्र

1. बिहार और संपूर्ण भारत, दोनों के स्तर पर सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगभग 21 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। हालांकि बिहार में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय संपूर्ण भारत के स्तर का मुश्किल से आधा है।

2. बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (25.1 प्रतिशत) संपूर्ण भारत (17.6 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है जो जनसांख्यिक संक्रमण की अनुपस्थिति दर्शाता है। बिहार में जनसंख्या का घनत्व

(1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) संपूर्ण भारत के औसत (382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) का लगभग तिगुना है। बिहार उच्च ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है जिसकी मात्र 11.3 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। राज्य का लिंग अनुपात (916) संपूर्ण भारत (940) की तुलना में काफी कम है।

3. बिहार में स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सूचकों के लिहाज से सुधार हुआ है। मसलन बिहार में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2006 के 4.2 बच्चों से घटकर 2010 में 3.7 बच्चे रह गई जो 0.5 बच्चे की गिरावट दर्शाती है। वर्ष 2010 में शिशु मृत्यु दर 48 थी जबकि 2006 में 60 थी। संपूर्ण भारत के लिए ये आंकड़े क्रमश: 47 और 57 हैं।

4. हाल के वर्षों में सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या काफी बढ़ी है। सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या 2007 के 3,077 से बढ़कर 9,317 हो गई। शय्या अधिभोग दर (बेड ऑक्यूपैंसी रेट) भी बढ़ी है और 2009-10 के 22.6 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 77.1 प्रतिशत हो गई है।

5. विगत पांच वर्षों के दौरान 3 नए जिला अस्पतालों, 11 नए अनुमंडल अस्पतालों, 49 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 108 उपकेंद्रों और 87 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण से स्वास्थ्य अधिसंरचना का विस्तार हुआ है। फलत: राज्य में कुल 36 जिला अस्पताल, 78 रेफरल अस्पताल, 55 अनुमंडल अस्पताल और 11,559 स्वास्थ्य केंद्र हो गए हैं।

6. बिहार में संस्थागत प्रसवों की संख्या काफी बढ़ी है। वर्ष 2008-09 में 11.4 लाख बच्चों का जन्म स्वास्थ्य संस्थानों में हुआ था जो उसके पिछले वर्ष से 36.3 प्रतिशत की वृद्धि थी। बाद के वर्षों में वृद्धि इतनी अधिक तो नहीं हुई लेकिन उसमें निरंतरता थी। वर्ष 2011-12 में स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 14.3 लाख हो गई। हाल के वर्षों में बिहार ने सर्वव्यापी प्रतिरक्षण की दिशा में भी काफी प्रगति की है।

7. इस समय राज्य के सभी जिलों के सभी विकास प्रखंडों को मिलाकर कुल 544 समेकित बाल विकास परियोजनाएं चल रही हैं जिनके अंतर्गत कुल 91,677 आंगनवाड़ी केंद्र काम कर रहे हैं। वर्ष 2011-12 में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 98.5 प्रतिशत और आंगनवाड़ी सेविकाओं के 89.2 प्रतिशत पद भरे हुए थे। फलत: समेकित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन में काफी सुधार हुआ है।

8. राज्य में राष्टोय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 2011-12 में 28.3 हजार चापाकल लगाए गए। वर्ष 2011-12 में 8.40 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आइएचएचएल) का निर्माण करके इनके निर्माण के मामले में भी बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई। साथ ही, 22.6 हजार स्कूली शौचालयों और 1,521 आंगनवाड़ी शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है।

9. बिहार में साक्षरता दर काफी बढ़ी और 2001 के 47.0 प्रतिशत से 16.8 प्रतिशत बढ़कर 2011 में 63.8 प्रतिशत हो गई। साक्षरता दर में यह दशकीय वृद्धि देश के सभी राज्यों के बीच सर्वाधिक है। बिहार में

शिक्षा दरों में लैंगिक असमानता भी काफी घटी है। वर्ष 2001 में पुरुष और महिला साक्षरता दरों के बीच अंतर 26.7 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 20.1 प्रतिशत रह गया।

10. वर्ष 2006-07 और 2011-12 के बीच नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 3 प्रतिशत थी और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1.2 प्रतिशत। इस अवधि में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन 8.6 प्रतिशत की काफी उच्च दर से बढ़ा। लड़कियों का समग्र नामांकन भी 11.7 प्रतिशत की उच्च दर से बढ़ा।

11. प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 2006-07 के 46.1 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 39.3 प्रतिशत रह गई। उच्च प्राथमिक स्तर यह 2006-07 के 61.8 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 55.14 प्रतिशत पर आ गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में भी छीजन दरों में लगातार गिरावट आई। शिक्षा के दोनों स्तरों पर लड़कियों की छीजन दरें लड़कों से कम थीं। हालांकि 2010-11 में माध्यमिक स्तरों पर छीजन दर काफी अधिक (62.24 प्रतिशत) थी।

12. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2007-08 के 67,865 से बढ़कर 2011-12 में 68,323 हो गई। वहीं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की कुल संख्या 2007-08 के 3.19 लाख से बढ़कर 2010-11 में 3.38 लाख हो गई जिससे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 2010-11 में 59 हो गया।

13. राज्य में इस समय 21 विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 20 पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं और एक मुक्त विश्वविद्यालय। महाविद्यालय 815 हैं। वर्ष 2011 में बिहार में 35 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र थे; इनकी संख्या में 12 का इजाफा 2009 और 2011 के बीच हुआ। वर्ष 2008 और 2009, दोनों में निजी शैक्षिक संस्थानों की संख्या 164 थी जो 2011 में बढ़कर 252 हो गई।

14. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत 2011-12 में स्वयं सहायता समूहों के कुल 1.27 लाख सदस्यों को आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की गई जिनमें से 72 प्रतिशत महिलाएं थीं समूहों के अतिरिक्त 8,698 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को भी 2011-12 में सहायता प्रदान की गई जिनमें से 24.4 प्रतिशत महिलाएं थीं। साथ ही, 2011-12 में स्वयं सहायता समूहों के 99,390 सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिलाया गया गया जिनमें से 74 प्रतिशत महिला और 32 प्रतिशत अनुसूचित जाति श्रेणी के थे।

15. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 2011-12 तक 133.82 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए थे। वर्ष 2011-12 में कुल 866.38 व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित हुआ। वर्ष 2011-12 में लगभग दो-तिहाई (65 प्रतिशत) धनराशि का उपयोग हुआ। वर्ष 2011-12 तक इस कार्यक्रम के तहत मजदूरी भुगतान के लिए कुल 107.55 लाख बैंक और डाकघर खाते खोल गए।

16. सितंबर 2012 में जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की कुल संख्या 44,483 थी। उनमें पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का प्रमुखता थी जिनका कुल हिस्सा 37 प्रतिशत था। बीपीएल परिवारों के लिए गेहूं और

चावल का मात्रा के लिहाज से आबंटन 2007-08 से 2011-12 के बीच दूना हो गया। बीपीएल परिवारों के लिए 2011-12 में गेहूं का उठाव 64.8 प्रतिशत और चावल का उठाव 68.6 प्रतिशत था। दोनों खाद्यान्नों का अंत्योदय योजना के तहत उठाव 90 प्रतिशत से अधिक था। अन्नपूर्णा योजना के तहत 2011-12 में गेहूं का उठाव 59.0 प्रतिशत और चावल का उठाव 55.2 प्रतिशत था।

17. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु कुल आबंटन 2011-12 के 953.97 करोड़ रु. से बढ़कर 2012-13 में 1,016.63 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2011-12 में व्यय 741.12 करोड़ रु. था जो धनराशि का 77.7 प्रतिशत उपयोग दर्शाता है।

18. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत वर्ष 2011-12 तक कुल 5,218 समूहों का निर्माण किया गया था। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत कुल व्यय 2011-12 तक प्राप्त कुल राशि का 35.6 प्रतिशत था। अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व-माध्यमिक एवं उत्तर-माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2011-12 में 177.24 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया जिससे 4.50 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के तहत हर जिले में छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को 40.25 करोड़ रु. विमुक्त किए गए हैं।

19. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 2011-12 में 15,500 अल्पसंख्यक विद्यार्थी लाभान्वित हुए। वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए गत वर्ष 50 लाख रु. बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड को विमुक्त किए गए।

20. इंदिरा गांधी राष्टोय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्टोय नि:शक्तता पेंशन योजना, राष्टोय परिवार लाभ योजना आदि पेंशन योजनाओं के तहत प्रति लाभार्थी पेंशन राशि और उम्र संबंधी पात्रता मापदंड का विस्तार किया गया है। गृहस्थल योजना के तहत, जिलों को 15 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं और 2011-12 में इससे 1,020 परिवार लाभान्वित हुए। गृहस्थल योजना के तहत 2011-12 में 10.3 हजार लाभार्थियों के लिए 433.36 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया।

21. राष्टोय आपदा अधिनियम, 2005 के तहत राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किया है। बाढ़ आपदा से मुकाबले के लिहाज से बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान तैयार करने, त्वरित कार्रवाई, राहत और पुनर्वास के लिए मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया (एसओपी) सूत्रबद्ध की गई है। आपात संचालन केंद्र (ईओसी) के लिए राज्य स्तर पर भवन निर्माण के साथ-साथ सभी 38 जिलों में भी भवनों का निर्माण किया गया है।

22. शताब्दी अन्न कलश योजना के तहत राज्य सरकार एक महीने तक प्रति वयस्क 10 किग्रा और प्रति बच्चा 7 किग्रा खाद्यान्न की गारंटी देती है जब तक कि उनका आच्छादन अन्य राहत योजना के जरिए न हो जाय। वर्ष 2011-12 में इसके लिए 10.00 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए थे।

23. राज्य के सभी 28 बाढ़प्रवण जिलों में होमगार्ड के 10-10 जवानों और स्वयंसेवकों को तैरने और बाढ़ के शिकार लोगों के बचाव का प्रशिक्षण दिया गया है। अभी तक एसे 1,023 तैराकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त हर बाढ़प्रवण जिले में होमगार्ड के 10 जवानों को मोटरबोट चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

बैंकिंग एवं सहवर्ती सेवाएं

1. मार्च 2012 में बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल 4,388 शाखाएं थीं - 56.4 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में, 22.7 प्रतिशत अर्धशहरी क्षेत्रों में और 20.9 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में।

2. मार्च 2011 में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1,458 शाखाएं थीं। मार्च 2012 में इनकी संख्या बढ़कर 1,594 हो गई। जहां शाखाओं की संख्या में गत वर्ष से 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहों बिहार में उनका जमा 9.8 प्रतिशत बढ़ा और ऋण 11.8 प्रतिशत। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा की गई रकम के 50 प्रतिशत से भी कम हिस्सा ऋण के बतौर बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचता है।

3. वर्ष 2011 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के देश के कुल ग्रामीण जमा में बिहार का हिस्सा 6.1 प्रतिशत था। वहीं, मार्च 2011 में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के देश के कुल ग्रामीण जमा (30,079 करोड़ रु.) महाराष्ट और तमिलनाडु समेत अनक राज्यों से अधिक था। कुल ग्रामीण जमा में बड़ा हिस्सा (64.8 प्रतिशत) बचत बैंक का था।

4. बिहार में 2011-12 में कुल जमा (1,41,308 करोड़ रु.) गत वर्ष के जमा (1,19,153 करोड़ रु.) की तुलना में काफी बढ़ा है। 22,155 करोड़ रु. की यह वृद्धि 2010-11 की अपेक्षा काफी अधिक है जब उसके पिछले वर्ष की तुलना में 17,700 करोड़ रु. की ही वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार, 2011-12 में ऋण में भी 6,500 करोड़ रु. का विस्तार हुआ है जो 2010-11 के संबंधित आंकड़े (5,500 करोड़ रु.) से अधिक है।

5 . मार्च 2012 में बिहार का ऋण-जमा अनुपात 36.70 प्रतिशत था जो मार्च 2011 के 33.99 प्रतिशत से अधिक है। सितंबर 2012 तक यह और भी बढ़कर 38.96 प्रतिशत हो गया। लेकिन अनुपात अभी भी देश में सबसे कम है।

6. मार्च 2011 में बिहार का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात उपयोगिता के अनुसार 39.0 प्रतिशत था जबकि स्वीकृति के अनुसार 36.9 प्रतिशत। मार्च 2011 में बिहार का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात राजस्थान (111.2 प्रतिशत), तमिलनाडु (127.7 प्रतिशत) या गुजरात (84.3 प्रतिशत) जैसे राज्यों के साथ-साथ राष्टोय औसत (81.2 प्रतिशत) से भी बहुत कम था। बिहार में निवेश सह ऋण-जमा अनुपात 2008 में 52.8 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर था जिससे गिरकर अगले तीन लगातार वषां में 40 प्रतिशत से नीचे आ गया।

7. राज्य में कुल ऋण में कृषि का हिस्सा 46.14 प्रतिशत था जो पिछले साल के 42 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2011-12 में कुल वितरित ऋण में लघु और मध्यम स्तरीय उद्योगों को दिए गए ऋणों का हिस्सा मात्र 8.86 प्रतिशत था। वर्ष 2009-10 में यह हिस्सा 17 प्रतिशत था। वर्ष 2011-12 में प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों के ऋणों का हिस्सा कुल ऋण का 10.84 प्रतिशत था।

8. बिहार में बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के तहत राज्य में हुआ कुल ऋण प्रवाह 2010-11 के 25,552 करोड़ रु. से 26.9 प्रतिशत बढ़कर 2011-12 में 32,416 करोड़ रु. हो गया है। एक वर्ष पूर्व यह वृद्धि 46 प्रतिशत थी।

9. वर्ष 2007-08 (3,755 करोड़ रु.) और 2009-10 (7,163 करोड़ रु.) के बीच के दो वर्षों के दौरान कृषि हेतु ऋण प्रवाह मात्र 3,408 करोड़ रु. बढ़ा था। लेकिन अगले दो वर्षों के दौरान ऋण प्रवाह दूने से भी अधिक - 7795 करोड़ रु. बढ़ा है। कुल ऋण में बड़ा (64.7 प्रतिशत) हिस्सा व्यावसायिक बैंकों का था। वर्ष 2011-12 के अंत में बकाया कृषि अग्रिम (आउटस्टैंडिंग ऍग्रीकल्चरल एडवांस) 18,290 करोड़ रु. था।

10. मार्च 2011 में बिहार में 8,463 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) थीं जिनका संपूर्ण भारत की समितियों में 9.1 प्रतिशत हिस्सा था। हालांकि जमा और उधार के लिहाज से बिहार अन्य राज्यों से बहुत पीछे है। साथ ही, बिहार को कुल 8,463 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां में से 3,062 घाटे में चल रही थीं जिनका कुल घाटा 1 करोड़ रु. था। सारी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कुल जमा मात्र 175 करोड़ रु. था और उनकी कुल उधारियां 501 करोड़ रु. थीं।

11. नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषण लगातार बढ़ रहा है और 2011-12 के अंत में 2,181 करोड़ रु. था। आधी से अधिक वित्तोय सहायता ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ) के ऋणों के जरिए उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने अनेक प्रकार की गतिविधियों के लिए पुनवित्तपोषण किया है, खास कर कृषि यंत्रीकरण, दुग्धशाला और ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के लिए। वर्ष 2011-12 मं पुनर्वित्तपोषण में उनका सापेक्ष हिस्सा इस प्रकार था : कृषि यंत्रीकरण - 26.0 प्रतिशत, दुग्धशाला - 18.8 प्रतिशत और ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र - 26.0 प्रतिशत।

12. मार्च 2012 में बिहार में ग्रामीण परिवारों का स्वयं सहायता समूह आच्छादन मात्र 54.0 प्रतिशत था। बिहार में प्रति समूह बचत 4,602 रु. थी जो राष्टोय औसत (8,230 रु.) से बहुत कम है। इसी प्रकार प्रति समूह औसत ऋण 1.02 लाख रु. था जो राष्टोय औसत -1.44 लाख रु. - से बहुत कम है। वर्ष 2011-12 में स्वयं सहायता समूहों को बैंकों द्वारा वितरित कुल ऋण 398.61 करोड़ रु. था और उनका बकाया (आउटस्टैंडिंग) ऋण 1,040.71 करोड़ रु. था।

13. राष्टोय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत अभी तक 8.62 लाख गरीब परिवारों को शामिल करके 67.5 हजार स्वयं सहायता समूहों, 4.6 हजार ग्राम संगठनों और 53 संकुल स्तरीय संघों का गठन किया गया है।

पूर्वगठित समूहों में से 53 हजार के बैंक खाते खुले हैं और 36.8 हजार समूहों को बैंकों के द्वारा वित्तपोषित किया गया है।

14. बिहार में 2010-11 में 1,299 लिमिटेड कंपनियों का निबंधन हुआ जो देश में 2010-11 में निबंधित लिमिटेड कंपनियों के कुल योग का 1.42 प्रतिशत है। इनमें से 1,271 (97.8 प्रतिशत) निजी क्षेत्र की थीं जिनकी कुल अधिकृत पूंजी 163 करोड़ रु. थी। मात्र 28 कंपनियां (2.2 प्रतिशत) सार्वजनिक क्षेत्र की थीं जिनकी कुल अधिकृत पूंजी 91 करोड़ रु. थी।

राजकीय वित्तव्यवस्था

1. बिहार में 2004-05 से लगातार राजस्व अधिशेष दिखता रहा है। यह अधिशेष 2010-11 में 6,316 करोड़ रु. के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था जिसके बाद 2011-12 में गिरकर 4,821 करोड़ रु. रह गया। राजस्व प्राप्तियों में 6,800 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जिसका कारण मुख्यत: कर राजस्व में 6,699 करोड़ रु. वद्धि थी। राज्य सरकार का विकास व्यय लगातार बढ़ा है जो 2005-06 में कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी कम से 2007-08 में 65 प्रतिशत हो गया और बाद में उसी स्तर पर बरकरार है।

2. वर्ष 2005-06 में गैर-योजना व्यय योजना व्यय का 3.6-गुना था लेकिन उसके बाद से उनके बीच फासला घटने लगा। वर्ष 2010-11 में यह घटकर योजना व्यय का 1.4-गुना रह गया। हालांकि 2011-12 में गैर-योजना व्यय योजना व्यय का 1.6-गुना हो गया। वर्ष 2011-12 में कुल योजना व्यय 23,008 करोड़ रु. था और कुल गैर-योजना व्यय 37,172 करोड़ रु.।

3. वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण 44,475 करोड़ रु. था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 39 प्रतिशत के बराबर था। वर्ष 2000-01 में यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 53 प्रतिशत के बराबर था। वर्ष 2011-12 के अंत में कुल बकाया ऋण बढ़कर 60,551 करोड़ रु. हो गया लेकिन सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ ऋण का अनुपात घटकर 24 प्रतिशत हो गया जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा विहित 28 प्रतिशत की सीमा से काफी नीचे है।

4. बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2010-11 में 3,971 करोड़ रु. था लेकिन अगले साल तेजी से बढ़कर 5,915 करोड़ रु. हो गया। उच्च पूंजी निवेश के कारण वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में इसका और भी बढ़कर 7,569 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में राजकोषीय घाटा 2010-11 के 1.97 प्रतिशत से बढ़कर 2.52 प्रतिशत हो गया है।

5. केंद्र से राज्य सरकार को होने वाला अंतरण राज्य सरकार के कुल व्यय के दो-तिहाई के बराबर है। वर्ष 2007-08 में केंद्रीय अंतरणों से राज्य सरकार की व्यय संबंधी जरूरतों का 73 प्रतिशत हिस्सा पूरा होता था जो वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में घटकर 65 प्रतिशत रह गया है। इस अवधि में कुल संवितरण

में राज्य सरकार के अपने संसाधनों का योगदान 18 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया है। शेष की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा बाजार से ली गई उधारियों के जरिए होती है।

6. राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 2007-08 में 5,086 करोड़ रु. था जो 2012-13 के बजट अनुमान में बढ़कर 15,664 करोड़ रु. हो गया। इसी अवधि में गैर-कर राजस्व 526 करोड़ रु. से बढ़कर 3,142 करोड़ रु. हो गया।

7. प्राप्तियों के मुख्य स्रोत बिक्री कर (वैट), स्टांप एवं निबंधन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वाहन कर हैं। राज्य सरकार की कुल कर प्राप्तियों में इन पांच करों का संयुक्त हिस्सा 98 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 में इनमें से अकेले बिक्री कर का हिस्सा 59 प्रतिशत था और उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (16 प्रतिशत), स्टांप एवं निबंधन शुल्क (12 प्रतिशत) और माल एवं यात्री कर (7 प्रतिशत) का।

8. वर्ष 2011-12 में 60,180 करोड़ रु. के कुल राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा कुल व्यय का 31 प्रतिशत था और उसके बाद आर्थिक सेवाओं का 17 प्रतिशत। पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय का 15 प्रतिशत था जो एक वर्ष पूर्व 18 प्रतिशत था। कुल व्यय में लोक ऋण की अदायगी का 5 प्रतिशत हिस्सा था जबकि कुल व्यय में शेष 3 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों का था।

9. वर्ष 2011-12 में कुल राजस्व व्यय में अकले राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा 26 प्रतिशत था। एक वर्ष पहले यह 28 प्रतिशत था और 2012-13 में इसका घटकर 24 प्रतिशत रह जाना अनुमानित है।

10. हाल के वर्षों में बिहार में व्यय की गुणवत्ता में काफी परिवर्तन हुआ है। इस दौरान विकासमूलक राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक 69 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया और कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा 35 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया। गैर-योजना व्यय के साथ योजना व्यय का अनुपात भी व्यवस्थित ढंग से बढ़कर 53 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया।

अध्याय 1

बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन

संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी व्याप्त रहने के बावजूद बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 में अपने विकास का आवेग बनाए रखने में सक्षम रही। वर्षापात, खास कर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून से होने वाले वर्षापात में थोड़ी कमी के बावजूद अर्थव्यवस्था वर्तमान वित्तवर्ष (2012-13) में भी उच्च विकास दर्ज करती दिखती है। इस सशक्त विकास प्रक्रिया और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों की सफलता ने राज्य में विश्वास और आशा का नया माहौल तैयार किया है। इसीलिए राज्य में हुए विकास ने अगर देश में ही नहीं, बाहर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वित्तोय संसाधनों का अधिक अंतरण होने पर केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता से बिहार अधिक उच्च विकास दर हासिल कर सकता था और राज्य तथा राष्टोय औसत के बीच मौजूद फासले को कम कर सकता था।

राज्य की आय से संबंधित हाल के आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था का ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान निरंतर विकास हुआ है। दसवीं योजना अवधि के दौरान स्थिर मूल्य पर अर्थव्यवस्था का विकास 5.67 प्रतिशत को वार्षिक दर से हुआ था। यह नवंबर 2000 में हुए राज्य के विभाजन के बाद की अवधि थी। हालांकि उसके बाद राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था में कायापलट हुआ और उसके फलस्वरूप ग्यारहवीं योजना अवधि में अर्थव्यवस्था 11.95 प्रतिशत काफी ऊंची वार्षिक दर से बढ़ी। इसीलिए हाल की विकास प्रक्रिया को 'गतिरुद्ध व्यवस्था का पुनर्जागरण' कहा जा सकता है। इस अवधि में निवेश पैटर्न में भी जबर्दस्त उभार दिखा। औसत वार्षिक योजना आकार दसवीं योजना अवधि (2002-07) के 4,200 करोड़ रु. से बढ़कर ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) में 16,700 करोड़ रु. हो गया। निवेश के आकार के अलावा इसके पैटर्न में भी भारी परिवर्तन हुआ जिसमें अधिसंरचनात्मक विकास और सामाजिक सेवाप्रदान व्यवस्था पर अब काफी बल दिया गया है।

आर्थिक विकास के लिए बिहार जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनकी उचित समझ के लिए ध्यान में रखना जरूरी है कि 2011 में 10.38 करोड़ की जनसंख्या वाला बिहार सघन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है जिसके हर वर्ग किमी क्षेत्र में औसतन 1,102 से कम लोग नहीं रहते हैं। योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2009-10 में 53.5 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही थी। हर 10 में से 9 लोग गांवों में रहते हैं जहां गरीबी अनुपात और भी अधिक (55.3 प्रतिशत) है। नए विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए राज्य को इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। बिहार गंगा के मैदान का हिस्सा है जहां उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध हैं। राज्य के खनिज-बहुल क्षेत्र और उद्योग राज्य के विभाजन से बने झारखंड में चले गए। वर्तमान बिहार में मुख्यत: कृषि का ही सहारा रह गया। लेकिन राज्य की पतवार

प्रबुद्ध सरकार के हाथों में होने से राज्य ने हस्तक्षेपों की कमी की इस चुनौती से विकास व्यय में वृद्धि करके और कृषि सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विकास रणनीतियां अपनाकर पार पा लिया।

वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था और इसके विभिन्न क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का विस्तार से लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। क्षेत्रगत विश्लेषण में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए प्रयासों और हासिल उपलब्धियों को प्रमुखता से सामने लाया जाएगा। साथ ही, राज्य की अर्थव्यवस्था अपने विकास का आवेग बनाए रखने के मामले में जिन अवरोधों का सामना कर रही है, इसमें उन्हें भी रेखांकित करने का प्रयास किया जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था पर एक अवलोकन के इस आरंभिक अध्याय के अतिरिक्त सर्वेक्षण में छः और अध्याय शामिल हं - कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, उद्यमिता क्षेत्र, अधिसंरचना एवं संचार, सामाजिक क्षेत्र, बैंकिंग एवं सहवर्ती क्षेत्र तथा राजकीय अर्थव्यवस्था।

1.1 राज्य घरेलू उत्पाद

बिहार के राज्य घरेलू उत्पाद (स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) के अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) तथा निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के लिए अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। दोनों ही अनुमान वर्तमान मूल्य पर अलग तैयार किए जाते हैं और स्थिर मूल्य पर अलग। तालिका प 1.1 (परिशिष्ट) में 1999-2000 से लेकर 2011-12 तक के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रस्तुत हैं। तालिका प 1.2 (परिशिष्ट) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2004-05 से 2011-12 तक के क्षेत्रवार आंकड़े वर्तमान मूल्य पर प्रस्तुत हैं और तालिका प 1.3 (परिशिष्ट) में स्थिर (2004-05) मूल्य पर। इसी प्रकार, तालिका प 1.4 (परिशिष्ट) में निवल राज्य घरेलू उत्पाद के 1999-2000 से 2011-12 तक के क्षेत्रवार आंकड़े वर्तमान मूल्य पर प्रस्तुत हैं और तालिका प 1.5 (परिशिष्ट) में स्थिर (2004-05) मूल्य पर। गौरतलब है कि 2009-10 तक के आंकड़े अंतिम अनुमान (फाइनल एस्टिमेट) हैं। वर्ष 2010-11 के लिए आंकड़े अनंतिम (प्रोविजनल) अनुमान से संबंधित हैं और 2011-12 के आंकड़े त्वरित (क्विक) अनुमान से। वर्ष 2011-12 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2004-05 के स्थिर मूल्य पर 1.52 लाख करोड़ रु. है जिससे प्रति व्यक्ति आय 15,417 रु. है। वर्तमान मूल्य पर 2011-12 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2.53 लाख करोड़ रु. अनुमानित है जिससे प्रति व्यक्ति आय 25,653 रु. है।

बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2002-03 से 2011-12 के बीच एक जैसी नहीं रही है। ये 10 वर्ष दो पंचवर्षीय योजनाओं के रहे हैं - दसवीं योजना (2002-07) और ग्यारहवीं योजना (2007-12) के। दसवीं योजना के दौरान बिहार की अर्थव्यवस्था स्थिर मूल्य पर 5.67 प्रतिशत की वार्षिक दर से विकसित हुई थी (तालिका 1.1)। उसके बाद अर्थव्यवस्था का कायापलट हो गया और अर्थव्यवस्था 11.95 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। गौरतलब है कि इस अवधि में हासिल विकास दर गत योजना अवधि में हासिल विकास दर से ही अधिक नहीं है, देश के सभी राज्यों के बीच भी लगभग सर्वाधिक है।

तालिका 1.1 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर)

क्र. सं.	क्षेत्र	वार्षिक चक्रवृद्धि दर			
		दसवीं योजना (2002-07)		ग्यारहवीं योजना (2007-2012)	
		वर्तमान मूल्य	स्थिर मूल्य (2004-05)	वर्तमान मूल्य	स्थिर मूल्य (2004-05)
1	कृषि/ पशुपालन	6.1	3.0	19.8	5.9
2	वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	32.2	1.2	5.1	-1.9
3	मत्स्य उद्योग	2.9	0.5	19.2	3.8
4	खनन/ प्रस्तर खनन	16.2	2.2	8.7	11.2
	उप योग (प्राथमिक)	7.7	2.7	18.6	5.2
5	विनिर्माण	7.2	0.8	11.8	6.8
	5.1 निर्बंधित	-12.9	-18.4	20.9	18.2
	5.2 अनिर्बंधित	12.4	5.9	8.7	2.7
6	निर्माण	39.5	23.4	30.6	21.9
7	विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	11.7	3.7	13.3	7.7
	उप योग (द्वितीयक)	22.1	11.7	23.9	16.2
8	परिवहन/ भंडारण/ संचार	10.0	6.6	16.5	19.2
	8.1 रेलवे	2.8	2.3	6.4	5.0
	8.2 अन्य परिवहन	13.7	4.3	20.6	11.0
	8.3 भंडारण			17.6	6.3
	8.4 संचार	16.2	18.1	21.1	38.4
9	व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	14.3	7.3	26.7	15.1
	उप योग (8 तथा 9)	13.2	7.2	24.8	16.1
10	बैंकिंग/ बीमा	2.6	8.8	27.5	23.5
11	स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं	18.7	7.0	17.5	10.1
	उप योग (10 तथा 11)	11.7	7.7	21.1	16.3
12	लोक प्रशासन	8.6	3.9	23.1	11.7
13	अन्य सेवाएं	10.1	3.7	16.4	6.1
	उप योग (तृतीयक)	11.7	6.0	22.2	13.7
	कुल जीएसडीपी	11.6	5.7	21.5	12.0
	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	9.7	3.9	19.8	10.4

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 1.1 में प्रस्तुत क्षेत्रगत विकास दरों के विश्लेषण से अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने वाले प्रमुख क्षेत्रों का पता चलता है। वर्ष 2007 से 2012 के बीच 15 प्रतिशत से अधिक विकास दर दर्ज करने वाले क्षेत्र हैं – निबंधित विनिर्माण (18.15 प्रतिशत), निर्माण (21.91 प्रतिशत), संचार (38.41 प्रतिशत),

व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट (15.10 प्रतिशत) और बैंकिंग एवं बीमा (23.5 प्रतिशत)। दसवीं योजना (2002-07) के दौरान विकास प्रक्रिया में मुख्य योगदाता थे - निर्माण (23.35 प्रतिशत), संचार (18.12 प्रतिशत) तथा बैंकिंग एवं बीमा (8.80 प्रतिशत)। इस प्रकार हम पाते हैं कि 2002-07 की अवधि में अग्रणी तीन क्षेत्रों के अलावा निबंधित 2007-12 की अवधि में विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) विकास के नए क्षेत्र के बतौर उभरा है।

तालिका 1.1 में यह भी देखा जा सकता है कि लगभग सभी क्षेत्रों में दसवीं योजना (2002-07) की अपेक्षा ग्यारहवीं योजना (2007-12) अविध में अधिक विकास दर दर्ज हुई। यह गौर करना भी सुखद है कि ग्यारहवीं योजना अवधि में कृषि एवं पशुपालन की विकास दर 5.93 प्रतिशत रही जो दसवीं योजना अवधि में 2.99 प्रतिशत ही थी। यह बहुत महत्व को बात है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अपनी जीविका के लिए मुख्यत: इसी क्षेत्र पर निर्भर है।

हाल के वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, हालांकि विकास दर में काफी उतार-चढ़ाव रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था की 2000-01 से लेकर अब तक के लिए तालिका प 1.6 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत वर्षवार विकास दरां के विश्लेषण में साल दर साल होने वाला भारी उतार-चढ़ाव स्पष्ट देखा जा सकता है। वर्ष 2000-01 से 2011-12 की अवधि में विकास दर में उतार-चढ़ाव 2003-04 के (-)4.53 प्रतिशत से 2011-12 के 16.71 प्रतिशत तक रहा है। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र, जिसकी विकास दर 2001-02 में (-) 21.92 प्रतिशत थी, एक वर्ष पूर्व 2000-01 में 37.22 प्रतिशत की दर से विकसित हुई थी। वर्ष 2011-12 में भी इस क्षेत्र की विकास दर 17.16 प्रतिशत थी। विकास दर में इस भारी उतार-चढ़ाव का ऐसा ही एक महत्वपूर्ण स्रोत मानसून का मनमौजीपन है जिससे कृषि विकास दर में उतार-चढ़ाव आता रहता है जिसकी परिणति कृषि उत्पादन के उतार-चढ़ाव में होती है। कृषि उत्पादन के इस उतार-चढ़ाव से अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को विकास दरों में भी उतार-चढ़ाव आता है। इसीलिए समग्र अर्थव्यवस्था के विकास को स्थिरता प्रदान करने के लिए कृषि और पशुपालन क्षेत्र की विकास की दर को स्थिर करना जरूरी है ताकि विकास दर में सुस्थिरता आ जाय। अगर कृषि क्षेत्र में विकास दर स्थिर होती है, तो इससे पृष्ठवर्ती और अग्रवर्ती कड़ियों के जरिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिसकी परिणति राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिर विकास प्रक्रिया में होगी।

अन्य राज्यों के बरअक्स बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति की अधिक जानकारी के लिए विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनात्मक अनुमानों पर नजर डालना होगा। तालिका 1.2 में वर्तमान मूल्य पर 2007-08 से 2011-2012 तक प्रमुख भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के तुलनात्मक अनुमान प्रस्तुत हैं। तालिका में देखा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार की स्थिति राज्यों के बीच सबसे नीचे बनी हुई है। लेकिन सशक्त विकास प्रक्रिया का प्रभाव तब महसूस होता है जब बिहार की प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण भारत के औसत के बीच अंतर पर विचार किया जाय। वर्ष 2007-08 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय (11,615 रु.) संपूर्ण भारत के औसत (35,835 रु.) का 32.4 प्रतिशत थी जो 2011-12 में बढ़कर 42.07 प्रतिशत हो गई है (बिहार की 25,653 रु. तथा संपूर्ण भारत की 60,972 रु.)। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिहार और संपूर्ण भारत के स्तर के बीच मौजूद अंतराल में कमी लान के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास का आवेग आने वाले अनेक वर्षों तक बनाए रखना होगा।

तालिका 1.2 : वर्तमान मूल्य पर प्रमुख राज्यों का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य	प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)				
	2007-2008	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आंध्र प्रदेश	39727 (9)	46345 (9)	52814 (8)	62912 (8)	71540
असम	21290 (14)	24099 (15)	27464 (14)	30569 (14)	33633
बिहार	11615 (17)	14719 (17)	17064 (17)	20708 (17)	25653
गुजरात	50016 (3)	55068 (4)	63549 (3)	75115 (3)	-
हरियाणा	56922 (2)	67397 (1)	80759 (1)	94680 (1)	109227
हिमाचल प्रदेश	43966 (7)	49903 (7)	56706 (7)	65535 (7)	73608
झारखंड	24789 (13)	25046 (14)	27132 (15)	29786 (15)	31982
कर्नाटक	42419 (8)	48084 (8)	52191 (9)	60946 (9)	69493
केरल	45700 (6)	53046 (6)	60264 (6)	71434 (5)	83725
मध्य प्रदेश	20935 (15)	25175 (13)	28571 (13)	32222 (13)	-
महाराष्ट्र	57218 (1)	62454 (2)	74027 (2)	83471 (2)	-
उड़ीसा	27735 (11)	31416 (11)	34361 (12)	40412 (12)	46150
पंजाब	49380 (4)	55315 (3)	62605 (5)	69737 (6)	78171
राजस्थान	26882 (12)	31279 (12)	34982 (11)	42434 (11)	-
तमिलनाडु	47606 (5)	54140 (5)	63547 (4)	72993 (4)	84058
उत्तर प्रदेश	17785 (16)	20422 (16)	23392 (16)	26355 (16)	29417
पश्चिम बंगाल	31567 (10)	35487 (10)	41837 (10)	48536 (10)	55864
संपूर्ण भारत	35825	40775	46117	53331	60972

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, दिल्ली

टिप्पणी : कोष्ठकों में प्रस्तुत आंकड़े दर्जे को अभिव्यक्त करते हैं।

ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ किसी अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव आता है। यह बात बिहार के बारे में भी सच है। इसलिए कि विभिन्न क्षेत्रों क विकास की गति भिन्न होती है जिसके कारण आय बढ़ने के साथ उनका सापेक्ष आकार बदल जाता है। विभिन्न क्षेत्रों की विकास दरों में भिन्नता बढ़ती आय के फलस्वरूप उनके मांग पैटर्न में बदलाव आने के कारण होती है। श्रमशक्ति भी प्राथमिक क्षेत्र से अधिक उन्नतिशील रहे उद्योगों और सेवा क्षेत्रों की ओर जाने लगती है। तालिका 1.3 में बिहार की अर्थव्यवस्था को 2002-03 से 2011-12 तक की संरचना प्रस्तुत की गई है। क्षेत्रों के उत्पादन के वर्षवार हिस्से दर्शाने के बजाय तालिका के तीनो कॉलम में क्षेत्रों के उत्पादन के त्रिवर्षीय औसत प्रस्तुत किए गए हैं। पहले कॉलम में दशक के आरंभिक त्रिवर्ष (2002-05) का, दूसरे कॉलम में दशक के मध्यवर्ती त्रिवर्ष (2006-09) का और तीसरे कॉलम में दशक के अंतिम त्रिवर्ष (2009-12) का औसत प्रस्तुत किया गया है। त्रिवर्षीय औसत वार्षिक आंकड़ों की अपेक्षा अधिक स्थिर प्रकृति के भी होते हैं जिससे तुलना अधिक सार्थक हो जाती है।

तालिका 1.3 : स्थिर (2004-05) मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत संरचना

क्र.सं.	क्षेत्र		2002-05 (त्रिवर्षीय औसत)	2006-09 (त्रिवर्षीय औसत)	2009-12 (त्रिवर्षीय औसत)
1	कृषि/ पशुपालन		27.6	24.9	20.0
2	वानिकी/ काष्ठ उत्पादन		3.6	2.6	1.8
3	मत्स्य उद्योग		1.5	1.2	1.0
4	खनन/ प्रस्तर खनन		0.1	0.1	0.1
	उप योग (प्राथमिक)		32.8	28.8	22.9
5	विनिर्माण		5.8	5.6	5.2
	5.1	निबंधित	1.5	1.3	1.7
	5.2	अनिबंधित	4.3	4.2	3.4
6	निर्माण		5.7	9.6	12.8
7	विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस		1.5	1.4	1.3
	उप योग (द्वितीयक)		13.0	16.6	19.2
8	परिवहन/ भंडारण/ संचार		6.1	6.5	8.0
	8.1	रेलवे	2.1	2.0	1.7
	8.2	अन्य परिवहन	2.7	2.6	2.6
	8.3	भंडारण	0.1	0.1	0.1
	8.4	संचार	1.3	1.9	3.7
9	व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट		19.6	21.1	23.2
	उप योग (8 तथा 9)		25.7	27.7	31.2
10	बैंकिंग/ बीमा		3.4	4.0	5.3
11	स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं		5.3	5.4	5.3
	उप योग (10 तथा 11)		8.7	9.4	10.6
12	लोक प्रशासन		6.6	5.8	5.8
13	अन्य सेवाएं		13.3	11.7	10.3
	उप योग (तृतीयक)		54.3	54.5	57.9
	कुल जीएसडीपी		100.0	100.0	100.0

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

गत दशक के आरंभ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तीन प्रमुख क्षेत्रों का औसत हिस्सा इस प्रकार था – प्राथमिक क्षेत्र (प्राइमरी सेक्टर) 32.8 प्रतिशत, द्वितीयक (सेकेंडरी) क्षेत्र 13.0 प्रतिशत तथा तृतीयक (टर्शियरी) क्षेत्र 54.2 प्रतिशत। उसके बाद से प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा साल दर साल गिरता गया है। वर्ष

2008-09 में समाप्त होने वाले त्रिवर्ष में इसका हिस्सा गिरकर 28.8 प्रतिशत हो गया और 2011-12 में समाप्त होने वाले त्रिवर्ष में 22.9 प्रतिशत ही रह गया। यह दर्शाता है कि प्राथमिक क्षेत्र का महत्व इस अवधि में लगातार घटता गया है। चूंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विगत दशक में जबर्दस्त विकास हुआ है इसलिए इसलिए उनके निर्गतों (आउटपुट) के हिस्से 2004-05 में समाप्त होने वाले आरंभिक त्रिवष की अपेक्षा काफी अधिक हैं। वर्ष 2011-12 में समाप्त होने वाले त्रिवर्ष के लिए संबंधित हिस्से इस प्रकार हं - प्राथमिक क्षेत्र 22.9 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र 19.2 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र 57.9 प्रतिशत। तीनों प्रमुख क्षेत्रों के कुछ उप-क्षेत्रों के हिस्सों में भी काफी बदलाव आया है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन के हिस्से में अच्छी-खासी कमी दर्ज हुई है। द्वितीयक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन निर्माण (कंस्ट्रक्शन) उप-क्षेत्र में हुआ है जिसका हिस्सा त्रिवर्ष 2002-05 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 5.7 प्रतिशत से बढ़कर त्रिवर्ष 2009-12 में 12.8 प्रतिशत हो गया। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट (जलपानगृह) उप-क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक विकास दर दर्ज हुई और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाने में उसका बड़ा योगदान रहा। लोक प्रशासन और अन्य सेवाओं जैसे संगठित उप-क्षेत्रों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा वस्तुत: गिरा है।

1.2 क्षेत्रीय विषमता

बिहार में निम्न प्रति व्यक्ति आय की समस्या इस तथ्य के कारण और भी प्रबल हो जाती है कि जिलों के बीच प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारी अंतर है। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद (जीडोडीपी) का सबसे हाल का उपलब्ध अनुमान 2009-10 का है जो तालिका प 1.7 (परिशिष्ट) में 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के अनुमानों के साथ प्रस्तुत है। तालिका में देखा जा सकता है कि 2009-10 में पटना (55,539 रु.), मुंगेर (18,669 रु.) तथा भागलपुर (14,396 रु.) बिहार के सर्वाधिक उन्नतिशील जिले हैं। दूसरो ओर, सोपानक्रम के दूसरे छोर पर आर्थिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े जिले शिवहर (5,522 रु.), मधेपुरा (7,161 रु.) और सुपौल (7,213 रु.) हैं। अगर राज्य की राजधानी वाला जिला होने का लाभ पाने वाले पटना को छोड़ भी दें, तो दूसर सर्वाधिक उन्नतिशील जिले मुंगेर की प्रति व्यक्ति आय शिवहर से लगभग तीनगुनी है।

प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू अनुपात के अलावा, हर जिले में तीन पेट्रॉलियम उत्पादों -पेट्रॉल, डीजल, कोयला और खाना पकाने की गैस - की खपत भी जिलों के बीच आर्थिक विषमता के विभिन्न स्तरों की सूचक हो सकती है। तालिका प 1.8 (परिशिष्ट) में 2011-12 में समाप्त होने वाले त्रिवर्ष के लिए पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत के आंकड़े उनके औसत के साथ प्रस्तुत हैं। त्रिवर्षीय औसत वाले कॉलम में कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े राज्य की कुल खपत में संबंधित जिले के हिस्से को दर्शाते हं। विचलनों (डेविएशंस) का पता लगाने के लिए इन प्रतिशत हिस्सों की प्रत्येक जिले की आबादी के साथ तुलना की गई है। आशानुरूप, 2009-10 में तीनों उत्पादों की खपत पटना में सर्वाधिक है। अगर किसी जिले की खपत का हिस्सा उसकी आबादी के हिस्से से अधिक है तो यह उसकी प्रगति का सूचक है अन्यथा नहीं।

इन भिन्नताओं के आधार पर हर पेट्रॉलियम उत्पाद के लिहाज से तीन सर्वाधिक उन्नत और तीन सर्वाधिक पिछड़े जिलों की पहचान आसानी से की जा सकती है। इन जिलों के नाम तालिका 1.4 में प्रस्तुत हैं। चारा सूचकों के लिहाज से पटना सबसे समृद्ध जिला है। आबादी में 5.6 प्रतिशत हिस्से की तुलना में पेट्रॉलियम

उत्पादों की खपत में उसका हिस्सा इस प्रकार है - पेट्रॉल (17.2 प्रतिशत), डीजल (10.8 प्रतिशत) तथा खाना पकाने की गैस (20.7 प्रतिशत)। पेटॉल के मामले में पटना क बाद मुजफ्फरपुर (जनसंख्या में 4.6 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 6.4 प्रतिशत) और पूर्व चंपारण (जनसंख्या में 4.8 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 4.9 प्रतिशत) का स्थान है। डीजल के मामले में भी पटना के बाद मुजफ्फरपुर (जनसंख्या में 4.6 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 5.6 प्रतिशत) का स्थान है और उसके बाद पूर्व चंपारण (जनसंख्या में 4.9 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 5.5 प्रतिशत), सारण (जनसंख्या में 3.8 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 4 प्रतिशत) और बेगूसराय (जनसंख्या में 2.8 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 3 प्रतिशत) का। खाना पकाने की गैस के मामले में पटना के बाद मुजफ्फरपुर (जनसंख्या में 4.6 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 5.4 प्रतिशत) और भागलपुर (जनसंख्या में 2. 9 प्रतिशत हिस्सा के बरअक्स 3.8 प्रतिशत) और का स्थान है।

तालिका 1.4 : बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और पिछड़े जिले

मापदंड	सर्वोच्च 3 जिले	सबसे पिछड़े 3 जिले
प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद	पटना, मुंगेर और भागलपुर	शिवहर, मधेपुरा और सुपौल
पेट्रॉल की खपत	पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्व चंपारण	जमुई, शिवहर और लखीसराय
डीजल की खपत	पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्व चंपारण	किशनगंज, सुपौल और लखीसराय
एलपीजी की खपत	पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर	किशनगंज, शेखपुरा और शिवहर

जिलों के डाकघरों और लोक भविष्य निधि में लघु बचत जमा को भी किसी जिले की सापेक्ष आर्थिक समृद्धि को छायावत माप माना जा सकता है। ऐसी जमा राशियों के आंकड़े तालिका प 1.9 (परिशिष्ट) मं प्रस्तुत हैं। तालिका में ऐसी जमाराशियों के वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के त्रिवर्षीय औसत तथा कुल बचत में हर जिले के हिस्से को प्रस्तुत किया गया है। जनसंख्या में हिस्से के बरअक्स जमाराशि में जिले का प्रतिशत हिस्सा जितना अधिक होगा, समृद्धि उतनी ही अधिक होगी। इस लिहाज से सर्वाधिक विकसित तीन जिले पटना, सारण और नालंदा हैं। दूसरी ओर, इसी मापदंड के आधार पर अपेक्षाकृत पिछड़े तीन जिले खगड़िया, शिवहर और लखीसराय हैं।

1.3 थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) या सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वास्तविक मूल्य की जानकारी के लिए विगत वर्षों में मूल्य स्तरों में अंतर के बारे में भी जानने की जरूरत होती होती है। थोक मूल्य सूचकांक (होलसेल प्राइस इंडेक्स) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) मूल्यों में साल दर साल होने वाले अंतर के रुझान को सूचित करने का प्रयास करते हैं। इनसे विगत वर्षों के दौरान हुई मूल्यवृद्धि की दर का पता चलता है। जिस वर्ष को आधार मानकर सूचकांक निर्मित हुआ हो, उसके साथ इन सूचकांकों की तुलना से किसी खास वर्ष में मूल्यवृद्धि की दर या मुद्रास्फीति (इनफ्लेशन) की दर क बारे में समग्रता में जानकारी मिल जाती है। पूरे देश के लिए तैयार थोक मूल्य सूचकांक के अतिरिक्त औद्योगिक मजदूरों, कृषि श्रमिकों तथा

ग्रामीण श्रमिकों के लिए सभी राज्यों के लिए अलग-अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी तैयार किए जाते हैं। इन सूचकाकों के आधार वर्ष भिन्न हैं - थोक मूल्य सूचकांक के लिए 2004-05, औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2000-01, और कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों, दोनों के लिए 1986-87 हैं। तालिका 1.5 में इन सूचकांकों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत हैं।

तालिका 1.5 : बिहार और भारत में थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 2004-05=100)	औद्योगिक मजदूर (आधार : 2000-01=100)		कृषि श्रमिक (आधार : 1986-87=100)		ग्रामीण श्रमिक (आधार : 1986-87=100)	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत
2006-07	111.35	125	123	377	372	377	359
2007-08	116.63	134	131	412	402	412	391
2008-09	126.02	144	142	446	439	446	414
2009-10	130.81	162	157	500	494	500	461
2010-11	143.32	181	175	554	552	554	541
2011-12	156.07	203	195	552	622	554	623
अप्रैल-2012	163.5	210	205	562	633	565	634
मई-2012	163.9	209	206	564	638	567	640
जून-2012	164.7	213	208	574	646	577	648
जुलाई-2012	165.8	215	212	587	656	590	658
अगस्त-2012	167.3	217	214	595	666	598	667
सिबंबर-2012	168.4	219	215	603	673	606	675

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक तथा श्रम ब्यूरो, भारत सरकार

तालिका के विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण मजदूरों के मामले में बिहार में मूल्यवृद्धि पूरे भारत के मुकाबले कुछ धीमी है। वर्ष 2006-07 से सितंबर 2012 के बीच कृषि श्रमिक हेतु सूचकांक बिहार में 226 अंक बढ़ा जबकि पूरे भारत में 301 अंक। औद्योगिक श्रमिकों के मामले में मूल्यवृद्धि बिहार और पूरे देश में लगभग समान रही - सूचकांक 2060-07 से सितंबर 2012 के बीच बिहार में 94 अंक बढ़ा जबकि पूरे देश के मामले में 92 अंक। वर्ष 2007-08 से अक्तूबर 2010 के बीच औद्योगिक श्रमिकों के लिए सूचकांक बिहार में 53 अंक बढ़ा जबकि पूरे भारत में 48 अंक। सितंबर 2012 में, जब तक के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बिहार के लिए 219 था और भारत के लिए 215; कृषि श्रमिकों के लिए ये क्रमश: 603 और 673 थे जबकि ग्रामीण श्रमिकों के लिए ये क्रमश: 606 और 675 थे।

परिशिष्ट

तालिका प 1.1 : उपादान मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)		निवल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)		प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)	
	स्थिर (2004-05) मूल्य पर	वर्तमान मूल्य पर	स्थिर (2004-05) मूल्य पर	वर्तमान मूल्य पर	स्थिर (2004-05) मूल्य पर	वर्तमान मूल्य पर
1999–00	50174	59157	46071	54052	6301	7429
2000–01	57242	67942	52519	62062	6992	8298
2001–02	57657	65080	52323	58839	6832	7712
2002–03	64965	72556	59302	65931	7592	8479
2003–04	66174	69268	59701	62728	7595	7950
2004–05	77781	77781	70167	70167	8773	8773
2005–06	82490	77912	74144	69865	9149	8641
2006–07	100737	90135	91331	81554	10994	9837
2007–08	113680	95287	102853	85928	12215	10238
2008–09	142279	106877	129690	96750	15060	11313
2009–10	163800	114480	149028	103260	17089	11944
2010–11(अनंतिम)	201856	130125	183970	117618	20769	13388
2011-12 (त्वरित)	252694	151866	230843	137624	25653	15417

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.2 : उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.		क्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1		कृषि/ पशुपालन	15203	19732	17666	21144	19040	20673	20827
2		वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	911	1008	1084	1151	1243	2724	2794
3		मत्स्य उद्योग	697	825	1032	1127	1190	1132	1164
4		खनन/ प्रस्तर खनन	94	109	166	51	45	42	97
		उप योग (प्राथमिक)	**16904**	**21674**	**19947**	**23474**	**21518**	**24572**	**24883**
5		विनिर्माण	3614	3470	3236	3686	3683	4379	4256
	5.1	निबंधित	1151	871	749	1026	738	1123	643
	5.2	अनिबंधित	2463	2599	2487	2660	2944	3256	3613
6		निर्माण	1903	1914	2205	2654	2734	5138	6649
7		विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	719	1008	727	740	907	1146	1162
		उप योग (द्वतीयक)	**6236**	**6393**	**6168**	**7080**	**7323**	**10664**	**12067**
8		परिवहन/ भंडारण/ संचार	3724	3905	3899	4191	3969	**4612**	**5099**
	8.1	रेलवे	1564	1711	1716	1823	1414	1451	1580
	8.2	अन्य परिवहन	1393	1472	1496	1622	1720	1997	2213
	8.3	भंडारण						62	66
	8.4	संचार	768	722	687	746	835	1102	1241
9		व्यापार/ होटल / रेस्टोरंट	7541	8614	9582	11936	12761	16286	16079
		उप योग (8 तथा 9)	**11265**	**12519**	**13481**	**16127**	**16730**	**20898**	**21178**
10		बैंकिंग/ बीमा	1819	2056	2736	2723	2890	2586	2731
11		स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं	2096	2359	2584	2900	3402	4041	4778
		उप योग (10 और 11)	**3915**	**4415**	**5319**	**5624**	**6291**	**6626**	**7509**
12		लोक प्रशासन	3794	4114	4540	4085	4903	5179	5471
13		अन्य सेवाएं	8060	8128	8200	8576	9408	9842	11383
		उप योग (तृतीयक)	**27033**	**29175**	**31541**	**34412**	**37333**	**42545**	**45540**
		कुल जीएसडीपी	**50174**	**57242**	**57657**	**64965**	**66174**	**77781**	**82490**
		प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	**6301**	**6992**	**6832**	**7592**	**7595**	**8773**	**9149**

(जारी ....)

तालिका प 1.2 : उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	क्षेत्र		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अनंतिम)	2011-12 (त्वरित)
1	कृषि/ पशुपालन		27148	27049	36660	36954	46694	59131
2	वानिकी/ काष्ठ उत्पादन		3105	3112	3215	3241	3515	3810
3	मत्स्य उद्योग		1317	1442	2352	2436	2700	3244
4	खनन/ प्रस्तर खनन		74	78	143	122	126	126
	उप योग (प्राथमिक)		**31643**	**31681**	**42369**	**42753**	**53035**	**66312**
5	विनिर्माण		4856	6429	8363	8282	9366	10611
	5.1	निबंधित	550	1385	3050	2594	3044	3584
	5.2	अनिबंधित	4306	5044	5313	5689	6322	7026
6	निर्माण		8992	11557	14497	19006	25085	33322
7	विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस		1137	1391	1460	1365	1812	2336
	उप योग (द्वितीयक)		**14985**	**19378**	**24320**	**28653**	**36263**	**46268**
8	परिवहन/ भंडारण/ संचार		5956	6775	7776	9318	10726	12395
	8.1	रेलवे	1983	2299	2357	2845	2846	2848
	8.2	अन्य परिवहन	2597	2981	3676	4298	5264	6392
	8.3	भंडारण	78	92	109	132	150	177
	8.4	संचार	1297	1403	1633	2044	2467	2977
9	व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट		20730	25201	31072	38470	50284	64710
	उप योग (8 तथा 9)		26686	31976	38848	47788	61010	77105
10	बैंकिंग/ बीमा		3192	3526	3953	4935	6706	9113
11	स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं		5770	6844	7954	9332	11002	13043
	उप योग (10 और 11)		8962	10369	11906	14267	17708	22156
12	लोक प्रशासन		5846	6376	8556	10111	12345	14976
13	अन्य सेवाएं		12615	13900	16279	20228	21495	25877
	उप योग (तृतीयक)		**54109**	**62621**	**75590**	**92394**	**112557**	**140115**
	कुल जीएसडीपी		**100737**	**113680**	**142279**	**163800**	**201856**	**252694**
	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी		**10994**	**12215**	**15060**	**17089**	**20769**	**25653**

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार **(समाप्त)**

तालिका प 1.3 : उपादान मूल्य (2004-05 के मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.		क्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1		कृषि/ पशुपालन	16183	22207	17338	21999	17989	20673	19300
2		वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	2221	2349	2410	2496	2601	2724	2671
3		मत्स्य उद्योग	720	795	1018	1106	1128	1132	1183
4		खनन/ प्रस्तर खनन	86	121	220	62	50	42	70
		उप योग (प्राथमिक)	**19211**	**25472**	**20985**	**25662**	**21769**	**24572**	**23224**
5		विनिर्माण	4566	4215	3898	4223	4052	4379	4106
	5.1	निर्बंधित	1634	1116	963	1195	883	1123	622
	5.2	अनिबंधित	2931	3099	2935	3028	3169	3256	3484
6		निर्माण	2773	2805	3104	3703	3613	5138	6374
7		विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	1259	1363	1055	1078	1106	1146	1189
		उप योग (द्वतीयक)	**8598**	**8382**	**8056**	**9005**	**8771**	**10664**	**11668**
8		परिवहन/ भंडारण/ संचार	3936	4285	4285	4586	4293	4612	5109
	8.1	रेलवे	1527	1714	1760	1794	1351	1451	1609
	8.2	अन्य परिवहन	1732	1870	1863	1959	1967	2059	2130
	8.3	भंडारण						62	61
	8.4	संचार	677	701	662	834	975	1102	1371
9		व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	8847	10207	11180	13324	13402	16286	14862
		उप योग (8 तथा 9)	**12782**	**14492**	**15464**	**17910**	**17695**	**20898**	**19972**
10		बैंकिंग/ बीमा	1940	2148	2638	2524	2448	2586	2941
11		स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं	3211	3385	3530	3676	3843	4041	4403
		उप योग (10 और 11)	**5151**	**5533**	**6168**	**6200**	**6290**	**6626**	**7343**
12		लोक प्रशासन	4282	4661	5036	4342	4925	5179	5107
13		अन्य सेवाएं	9134	9400	9369	9439	9818	9842	10598
		उप योग (तृतीयक)	**31349**	**34087**	**36038**	**37890**	**38728**	**42545**	**43020**
		कुल जीएसडीपी	**59157**	**67942**	**65080**	**72556**	**69268**	**77781**	**77912**
		प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	**7429**	**8298**	**7712**	**8479**	**7950**	**8773**	**8641**

Note: For 1999-00 to 2003-04, a single merged cell covers both 8.2 (अन्य परिवहन) and 8.3 (भंडारण). Its value appears in the 8.2 row.

(जारी ...)

तालिका प 1.3 : उपादान मूल्य (2004-05 के मूल्य) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.		क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अनंतिम)	2011-12 (त्वरित)
1		कृषि/ पशुपालन	24609	22769	25435	23232	25762	30182
2		वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	2612	2558	2511	2462	2414	2365
3		मत्स्य उद्योग	1105	1188	1273	1259	1223	1458
4		खनन/ प्रस्तर खनन	58	57	126	92	106	106
		उप योग (प्राथमिक)	**28385**	**26572**	**29345**	**27044**	**29506**	**34111**
5		विनिर्माण	4369	5448	6535	6272	6805	7415
	5.1	निबंधित	516	1155	2262	1931	2262	2659
	5.2	अनिबंधित	3853	4293	4273	4340	4543	4755
6		निर्माण	7962	9446	10745	13515	16572	20483
7		विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	1247	1341	1466	1657	1715	1798
		उप योग (द्वितीयक)	**13578**	**16235**	**18745**	**21444**	**25092**	**29695**
8		परिवहन/ भंडारण/ संचार	5784	6334	6978	8772	10686	12299
	8.1	रेलवे	1845	2016	2043	2201	2306	2417
	8.2	अन्य परिवहन	2322	2495	2804	2978	3373	3839
	8.3	भंडारण	68	75	82	87	90	97
	8.4	संचार	1617	1824	2131	3594	5007	6043
9		व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	18030	20494	23233	25415	30541	36114
		उप योग (8 तथा 9)	**23814**	**26828**	**30211**	**34188**	**41227**	**48413**
10		बैंकिंग/ बीमा	3513	3915	4205	5266	6599	8967
11		स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं	4819	5270	5788	6369	7019	7759
		उप योग (10 और 11)	**8332**	**9185**	**9993**	**11634**	**13618**	**16726**
12		लोक प्रशासन	5153	5284	6525	6872	7653	8469
13		अन्य सेवाएं	10873	11183	12058	13298	13029	14451
		उप योग (तृतीयक)	**48172**	**52480**	**58787**	**65992**	**75527**	**88060**
		कुल जीएसडीपी	**90135**	**95287**	**106877**	**114480**	**130125**	**151866**
		प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	**9837**	**10238**	**11313**	**11944**	**13388**	**15417**

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार **(समाप्त)**

तालिका प 1.4 : उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	क्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	कृषि/ पशुपालन	14323	18736	16522	19896	17671	18623	18575
2	वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	879	973	1047	1110	1198	2689	2758
3	मत्स्य उद्योग	628	737	902	975	1013	990	1022
4	खनन/ प्रस्तर खनन	75	87	132	43	37	35	79
	उप योग (प्राथमिक)	**15905**	**20534**	**18603**	**22024**	**19918**	**22336**	**22435**
5	विनिर्माण	3153	2947	2655	3050	2953	3437	3292
	5.1 निर्बंधित	1000	700	557	819	510	609	160
	5.2 अनिबंधित	2153	2247	2098	2231	2443	2828	3132
6	निर्माण	1864	1858	2138	2586	2648	4906	6349
7	विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	408	569	322	384	470	652	645
	उप योग (द्वितीयक)	**5425**	**5375**	**5116**	**6020**	**6071**	**8996**	**10285**
8	परिवहन/ भंडारण/ संचार	3039	3239	3228	3439	3183	3885	4319
	8.1 रेलवे	1207	1350	1360	1446	1022	990	1099
	8.2 अन्य परिवहन	1240	1314	1319	1415	1499	1973	2186
	8.3 भंडारण						61	64
	8.4 संचार	592	574	548	578	662	922	1034
9	व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	7428	8483	9455	11804	12611	16106	15862
	उप योग (8 तथा 9)	**10467**	**11722**	**12682**	**15242**	**15793**	**19991**	**20182**
10	बैंकिंग/ बीमा	1767	1989	2650	2645	2808	2541	2682
11	स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं	1357	1493	1496	1633	1920	2470	3004
	उप योग (10 और 11)	**3124**	**3482**	**4146**	**4278**	**4728**	**5010**	**5687**
12	लोक प्रशासन	3228	3446	3777	3386	4048	4196	4423
13	अन्य सेवाएं	7921	7962	7999	8351	9142	9637	11133
	उप योग (तृतीयक)	**24740**	**26611**	**28604**	**31258**	**33712**	**38835**	**41424**
	कुल एनएसडीपी	**46071**	**52519**	**52323**	**59302**	**59701**	**70167**	**74144**
	प्रति व्यक्ति एनएसडीपी	**5786**	**6415**	**6200**	**6930**	**6852**	**7914**	**8223**

(जारी ....)

तालिका प 1.4 : उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.		क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अनंतिम)	2011-12 (त्वरित)
1		कृषि/ पशुपालन	24607	24116	33268	32904	41577	52651
2		वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	3067	3072	3173	3199	3470	3761
3		मत्स्य उद्योग	1152	1249	2022	2070	2294	2757
4		खनन/ प्रस्तर खनन	59	62	114	94	97	97
		उप योग (प्राथमिक)	**28884**	**28499**	**38577**	**38267**	**47438**	**59266**
5		विनिर्माण	3822	5350	7255	6894	7784	8804
	5.1	निबंधित	62	889	2603	1960	2300	2708
	5.2	अनिबंधित	3760	4460	4652	4935	5485	6095
6		निर्माण	8561	10986	13767	18011	23772	31577
7		विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	613	739	773	760	1008	1300
		उप योग (द्वतीयक)	**12996**	**17074**	**21795**	**25665**	**32565**	**41681**
8		परिवहन/ भंडारण/ संचार	5108	5855	6686	8044	9329	10850
	8.1	रेलवे	1446	1737	1697	2152	2153	2154
	8.2	अन्य परिवहन	2569	2954	3662	4267	5214	6328
	8.3	भंडारण	77	89	107	128	146	172
	8.4	संचार	1092	1165	1328	1625	1962	2368
9		व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	20469	24884	30626	37984	49649	63893
		उप योग (8 तथा 9)	**25577**	**30740**	**37313**	**46028**	**58978**	**74743**
10		बैंकिंग/ बीमा	3136	3467	3890	4858	6601	8970
11		स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं	3713	4419	5015	5906	6962	8255
		उप योग (10 और 11)	**6849**	**7886**	**8905**	**10764**	**13563**	**17225**
12		लोक प्रशासन	4713	5118	7170	8519	10401	12618
13		अन्य सेवाएं	12312	13536	15931	19786	21025	25312
		उप योग (तृतीयक)	**49452**	**57280**	**69318**	**85096**	**103967**	**129897**
		कुल एनएसडीपी	**91331**	**102853**	**129690**	**149028**	**183970**	**230843**
		प्रति व्यक्ति एनएसडीपी	**9967**	**11051**	**13728**	**15548**	**18928**	**23435**

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार **(समाप्त)**

तालिका प 1.5 : उपादान मूल्य (2004-05 के मूल्य) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.		क्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1		कृषि/ पशुपालन	14673	20368	15590	20018	16085	18623	17138
2		वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	2189	2315	2375	2455	2556	2689	2636
3		मत्स्य उद्योग	666	725	919	988	992	990	1046
4		खनन/ प्रस्तर खनन	63	94	178	51	41	35	53
		उप योग (प्राथमिक)	**17591**	**23503**	**19061**	**23512**	**19674**	**22336**	**20873**
5		विनिर्माण	3744	3486	3171	3397	3290	3437	3177
	5.1	निबंधित	1058	658	532	694	445	609	155
	5.2	अनिबंधित	2686	2828	2639	2704	2845	2828	3023
6		निर्माण	2700	2713	2943	3515	3424	4906	6083
7		विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	1092	946	625	804	692	652	693
		उप योग (द्वतीयक)	**7535**	**7146**	**6739**	**7717**	**7406**	**8996**	**9953**
8		परिवहन/ भंडारण/ संचार	3130	3509	3499	3724	3923	3885	4350
	8.1	रेलवे	917	1086	1133	1159	1248	990	1138
	8.2	अन्य परिवहन	1717	1876	1849	1921	1914	1973	2040
	8.3	भंडारण						61	59
	8.4	संचार	496	547	518	644	761	922	1172
9		व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	8701	10047	11028	13165	13225	16106	14653
		उप योग (8 तथा 9)	**11831**	**13556**	**14527**	**16889**	**17148**	**19991**	**19003**
10		बैंकिंग/ बीमा	1906	2104	2585	2479	2417	2541	2894
11		स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं	2595	2633	2565	2507	2465	2470	2686
		उप योग (10 और 11)	**4501**	**4737**	**5150**	**4986**	**4882**	**5010**	**5580**
12		लोक प्रशासन	3520	3793	4093	3509	3945	4196	4098
13		अन्य सेवाएं	9074	9329	9269	9319	9672	9637	10358
		उप योग (तृतीयक)	**28926**	**31414**	**33039**	**34702**	**35647**	**38835**	**39038**
		कुल एनएसडीपी	**54052**	**62062**	**58839**	**65931**	**62728**	**70167**	**69865**
		प्रति व्यक्ति एनएसडीपी	**6788**	**7580**	**6973**	**7705**	**7199**	**7914**	**7749**

(जारी ....)

तालिका प 1.5 : उपादान मूल्य (2004-05 के मूल्य) पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	क्षेत्र		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अनंतिम)	2011-12 (त्वरित)
1	कृषि/ पशुपालन		22315	20261	22746	20332	22546	26414
2	वानिकी/ काष्ठ उत्पादन		2578	2524	2478	2433	2386	2337
3	मत्स्य उद्योग		950	1015	998	966	938	1119
4	खनन/ प्रस्तर खनन		44	43	102	69	80	80
	उप योग (प्राथमिक)		**25887**	**23843**	**26324**	**23800**	**25951**	**29950**
5	विनिर्माण		3413	4481	5588	5122	5536	6006
	5.1	निबंधित	59	704	1875	1400	1640	1928
	5.2	अनिबंधित	3353	3777	3713	3722	3896	4078
6	निर्माण		7557	8925	10113	12689	15559	19231
7	विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस		768	766	892	1182	1224	1283
	उप योग (द्वितीयक)		**11738**	**14173**	**16593**	**18994**	**22318**	**26520**
8	परिवहन/ भंडारण/ संचार		4996	5526	6089	7736	9474	10941
	8.1	रेलवे	1346	1528	1520	1633	1712	1794
	8.2	अन्य परिवहन	2222	2385	2695	2841	3218	3663
	8.3	भंडारण	66	73	80	85	87	94
	8.4	संचार	1428	1613	1874	3262	4544	5484
9	व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट		17792	20220	22877	25039	30089	35580
	उप योग (8 तथा 9)		**22788**	**25746**	**28966**	**32776**	**39563**	**46521**
10	बैंकिंग/ बीमा		3462	3862	4151	5201	6518	8858
11	स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं		2972	3260	3556	3876	4272	4723
	उप योग (10 और 11)		**6433**	**7122**	**7708**	**9078**	**10790**	**13580**
12	लोक प्रशासन		4115	4183	5391	5669	6314	6987
13	अन्य सेवाएं		10594	10861	11768	12944	12682	14066
	उप योग (तृतीयक)		**43930**	**47912**	**53832**	**60466**	**69349**	**81154**
	कुल एनएसडीपी		**81554**	**85928**	**96750**	**103260**	**117618**	**137624**
	प्रति व्यक्ति एनएसडीपी		**8900**	**9233**	**10241**	**10773**	**12102**	**13971**

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार **(समाप्त)**

तालिका प 1.6 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार वार्षिक वद्धि दर

क्र. सं.	क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	कृषि/ पशुपालन	37.22	-21.92	26.88	-18.23	14.92	-6.64
2	वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	5.75	2.57	3.59	4.19	4.76	-1.96
3	मत्स्य उद्योग	10.42	28.02	8.58	2.08	0.35	4.49
4	खनन/ प्रस्तर खनन	41.28	81.78	-71.98	-18.02	-16.54	66.71
	उप योग (प्राथमिक)	32.59	-17.61	22.28	-15.17	12.88	-5.49
5	विनिर्माण	-7.68	-7.52	8.35	-4.05	8.07	-6.24
	5.1 निबंधित	-31.71	-13.71	24.12	-26.12	27.13	-44.58
	5.2 अनिबंधित	5.71	-5.29	3.17	4.66	2.76	6.98
6	निर्माण	1.12	10.67	19.30	-2.43	42.22	24.05
7	विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	8.28	-22.61	2.25	2.60	3.62	3.67
	उप योग (द्वतीयक)	-2.51	-3.89	11.77	-2.59	21.57	9.42
8	परिवहन/ भंडारण/ संचार	8.87	-0.01	7.04	-6.40	7.43	10.78
	8.1 रेलवे	12.24	2.69	1.90	-24.69	7.38	10.90
	8.2 अन्य परिवहन	7.99	-0.40	5.18	0.42	4.69	3.42
	8.3 भंडारण						-2.90
	8.4 संचार	3.54	-5.60	25.98	16.96	13.04	24.36
9	व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	15.38	9.53	19.18	0.59	21.52	-8.74
	उप योग (8 तथा 9)	13.38	6.71	15.81	-1.20	18.10	-4.43
10	बैंकिंग/ बीमा	10.73	22.80	-4.32	-3.02	5.65	13.71
11	स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं	5.43	4.28	4.13	4.54	5.15	8.96
	उप योग (10 और 11)	7.43	11.47	0.52	1.46	5.34	10.82
12	लोक प्रशासन	8.85	8.04	-13.80	13.43	5.16	-1.39
13	अन्य सेवाएं	2.92	-0.33	0.74	4.02	0.25	7.68
	उप योग (तृतीयक)	8.73	5.72	5.14	2.21	9.86	1.11
	कुल जीएसडीपी	14.85	-4.21	11.49	-4.53	12.29	0.17
	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	11.70	-7.07	9.95	-6.24	10.35	-1.50

(जारी ....)

तालिका प 1.6 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार वार्षिक वृद्धि दर

क्र. सं.		क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अनंतिम)	2011-12 (त्वरित)
1		कृषि/ पशुपालन	27.51	-7.48	11.71	-8.66	10.89	17.16
2		वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	-2.20	-2.07	-1.85	-1.94	-1.93	-2.05
3		मत्स्य उद्योग	-6.61	7.47	7.17	-1.08	-2.85	19.23
4		खनन/ प्रस्तर खनन	-17.28	-1.84	121.72	-27.27	15.58	-0.38
		उप योग (प्राथमिक)	22.22	-6.39	10.44	-7.84	9.10	15.61
5		विनिर्माण	6.42	24.68	19.95	-4.03	8.50	8.97
	5.1	निबंधित	-17.06	123.74	95.87	-14.62	17.11	17.58
	5.2	अनिबंधित	10.61	11.41	-0.47	1.58	4.67	4.68
6		निर्माण	24.91	18.64	13.75	25.78	22.62	23.60
7		विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	4.92	7.55	9.32	13.03	3.52	4.80
		उप योग (द्वितीयक)	16.37	19.57	15.46	14.39	17.01	18.35
8		परिवहन/ भंडारण/ संचार	13.20	9.52	10.16	25.72	21.81	15.10
	8.1	रेलवे	14.70	9.23	1.37	7.71	4.81	4.81
	8.2	अन्य परिवहन	9.03	7.44	12.36	6.21	13.26	13.82
	8.3	भंडारण	12.57	9.60	9.46	6.38	3.38	7.74
	8.4	संचार	17.93	12.82	16.85	68.65	39.31	20.70
9		व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	21.31	13.66	13.37	9.39	20.17	18.25
		उप योग (8 तथा 9)	19.24	12.66	12.61	13.16	20.59	17.43
10		बैंकिंग/ बीमा	19.47	11.44	7.41	25.22	25.31	35.89
11		स्थावर संपदा/ आवास स्वामित्व/ व्यवसाय सेवाएं	9.45	9.37	9.83	10.04	10.22	10.54
		उप योग (10 और 11)	13.46	10.24	8.80	16.42	17.05	22.82
12		लोक प्रशासन	0.90	2.56	23.47	5.32	11.37	10.66
13		अन्य सेवाएं	2.59	2.85	7.82	10.28	-2.02	10.92
		उप योग (तृतीयक)	11.98	8.94	12.02	12.26	14.45	16.59
		कुल जीएसडीपी	15.69	5.72	12.16	7.11	13.67	16.71
		प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	13.83	4.08	10.49	5.58	12.09	15.15

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार **(समाप्त)**

तालिका प 1.7 : 2004-05 के मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद (2006-07 से 2009-10)

(रुपए)

जिला	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
पटना	36776 (1)	34653 (1)	48693 (1)	53539 (1)
नालंदा	6625 (19)	7132 (15)	9103 (12)	9887 (12)
भोजपुर	6826 (17)	7429 (12)	10083 (8)	10324 (8)
बक्सर	6383 (25)	7226 (13)	8915 (15)	8995 (17)
रोहतास	8453 (6)	8697 (5)	10878 (6)	11167 (6)
कैमूर	6530 (21)	6776 (19)	8364 (22)	7957 (28)
गया	6977 (14)	7177 (14)	9094 (13)	9649 (15)
जहानाबाद	5978 (32)	6305 (24)	8532 (19)	8599 (22)
अरवल	5318 (37)	5730 (34)	6982 (35)	7395 (35)
नवादा	5364 (36)	5579 (36)	7359 (32)	7730 (30)
औरंगाबाद	6227 (27)	6171 (27)	7864 (28)	8350 (23)
सारण	6215 (28)	6622 (21)	7904 (27)	8651 (21)
सीवान	6053 (30)	6118 (28)	8796 (16)	8111 (25)
गोपालगंज	6508 (22)	6599 (22)	8005 (26)	8665 (20)
पश्चिम चंपारण	7674 (9)	7650 (9)	9395 (10)	9910 (11)
पूर्व चंपारण	6407 (24)	6051 (30)	8378 (21)	7640 (31)
मुजफ्फरपुर	8791 (5)	8580 (6)	11554 (5)	12246 (5)
सीतामढ़ी	5466 (35)	5575 (37)	7252 (33)	7550 (33)
शिवहर	4431 (38)	4264 (38)	6064 (38)	5522 (38)
वैशाली	7155 (12)	7056 (16)	9544 (9)	10063 (10)
दरभंगा	6699 (18)	6737 (20)	8476 (20)	9131 (16)
मधुबनी	7015 (13)	5580 (35)	7585 (30)	7584 (32)
समस्तीपुर	6604 (20)	6575 (23)	8665 (18)	8970 (18)
बेगूसराय	11237 (3)	10338 (4)	14962 (3)	14322 (4)
मुंगेर	11844 (2)	12399 (2)	16996 (2)	18669 (2)
शेखपुरा	5532 (34)	6192 (26)	8046 (24)	7890 (29)
लखीसराय	7299 (11)	7677 (8)	10154 (7)	11084 (7)
जमुई	7851 (7)	8080 (7)	9348 (11)	10242 (9)
खगड़िया	5998 (31)	6108 (29)	7707 (29)	7968 (27)
भागलपुर	10042 (4)	10492 (3)	13300 (4)	14396 (3)
बांका	6137 (29)	5989 (33)	7524 (31)	7975 (26)
सहरसा	7649 (10)	7474 (11)	8687 (17)	9770 (14)
सुपौल	6351 (26)	6021 (31)	6726 (36)	7213 (36)
मधेपुरा	6499 (23)	6212 (25)	6540 (37)	7161 (37)
पूर्णिया	6941 (16)	6903 (18)	8164 (23)	8949 (19)
किशनगंज	6971 (15)	6978 (17)	8043 (25)	8243 (24)
अररिया	5856 (33)	6014 (32)	7183 (34)	7547 (34)
कटिहार	7822 (8)	7498 (10)	8995 (14)	9802 (13)
योग	8773	8641	11313	11944

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े जिलों का दर्जा दर्शाते हैं।

तालिका प 1.8 : पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत

(आंकड़े मैट्रिक टन में)

जिला	जनसंख्या का हिस्सा	पेट्रॉल				डीजल			
		2009-10	2010-11	2011-12	त्रिवर्षीय औसत	2009-10	2010-11	2011-12	त्रिवर्षीय औसत
पटना	5.6	40913	45357	45357	43876 (17.2)	164708	179859	177112	173893 (10.8)
नालंदा	2.8	4150	4884	4884	4639 (1.8)	39878	47797	50360	46012 (2.8)
भोजपुर	2.6	5478	6120	6120	5906 (2.3)	40249	42564	42156	41656 (2.6)
बक्सर	1.6	4378	4749	4749	4625 (1.8)	32199	34232	33644	33358 (2.1)
रोहतास	2.9	7814	8472	8472	8253 (3.2)	69377	73081	77038	73165 (4.5)
कैमूर	1.6	2144	2805	2805	2585 (1)	22026	25338	33524	26963 (1.7)
गया	4.2	9614	10175	10175	9988 (3.9)	67456	72923	70069	70149 (4.3)
जहानाबाद	1.1	944	1919	1919	1594 (0.6)	11861	18963	20393	17072 (1.1)
अरवल	0.7	495	907	907	770 (0.3)	3429	6241	6522	5397 (0.3)
नवादा	2.1	2217	2743	2743	2568 (1)	24657	30142	32680	29160 (1.8)
औरंगाबाद	2.4	4374	5015	5015	4801 (1.9)	40671	47479	46953	45034 (2.8)
सारण	3.8	8654	9992	9992	9546 (3.7)	49339	53433	59724	54165 (3.4)
सीवान	3.2	8150	9626	9626	9134 (3.6)	40338	42878	47216	43477 (2.7)
गोपालगंज	2.5	6929	7863	7863	7552 (3)	32381	33185	38999	34855 (2.2)
पश्चिम चंपारण	3.8	7051	8453	8453	7986 (3.1)	48472	50702	56336	51837 (3.2)
पूर्व चंपारण	4.9	11351	12648	12648	12216 (4.8)	83755	89170	94768	89231 (5.5)
मुजफ्फरपुर	4.6	14782	17263	17263	16436 (6.4)	83616	91836	96159	90537 (5.6)
सीतामढ़ी	3.3	4998	5725	5725	5483 (2.1)	30341	33385	35189	32972 (2)
शिवहर	0.6	349	599	599	516 (0.2)	2201	2805	3607	2871 (0.2)
वैशाली	3.4	9607	10802	10802	10404 (4.1)	49435	59987	67015	58812 (3.6)
दरभंगा	3.8	7672	8928	8928	8509 (3.3)	41252	44496	46793	44180 (2.7)
मधुबनी	4.3	7584	8426	8426	8145 (3.2)	32858	35297	39177	35777 (2.2)
समस्तीपुर	4.1	7591	8932	8932	8485 (3.3)	46604	53947	61477	54009 (3.3)
बेगूसराय	2.8	6552	7475	7475	7167 (2.8)	80976	85616	87989	84860 (5.3)
मुंगेर	1.3	3694	3297	3297	3429 (1.3)	19400	14484	14217	16034 (1)
शेखपुरा	0.6	984	1198	1198	1127 (0.4)	14628	15533	14672	14944 (0.9)
लखीसराय	1	815	1130	1130	1025 (0.4)	11575	14009	14609	13398 (0.8)
जमुई	1.7	1397	2651	2651	2233 (0.9)	9967	16412	18236	14872 (0.9)
खगड़िया	1.6	1933	2254	2254	2147 (0.8)	22409	23560	24687	23552 (1.5)
भागलपुर	2.9	8880	8957	8957	8931 (3.5)	62223	66957	70962	66714 (4.1)
बांका	2	1782	3004	3004	2597 (1)	12785	18958	20182	17308 (1.1)
सहरसा	1.8	4014	3419	3419	3617 (1.4)	23829	22168	23781	23259 (1.4)
सुपौल	2.1	2055	3777	3777	3203 (1.3)	11080	19730	23541	18117 (1.1)
मधेपुरा	1.9	3476	4242	4242	3987 (1.6)	21670	27585	28544	25933 (1.6)
पूर्णिया	3.2	6805	7521	7521	7282 (2.9)	58583	61411	63552	61182 (3.8)
किशनगंज	1.6	3157	3956	3956	3690 (1.4)	12020	14554	15443	14006 (0.9)
अररिया	2.7	4560	5967	5967	5498 (2.2)	27796	33284	35564	32215 (2)
कटिहार	3	4417	5706	5706	5276 (2.1)	27827	36481	39015	34441 (2.1)
योग	100.1	231760	266957	266957	255225 (100)	1473871	1640482	1731905	1615419 (100)

स्रोत : भारतीय तेल निगम

(जारी)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल खपत में जिले का हिस्सा दर्शाते हैं।

तालिका प 1.8 : पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत

(आंकड़े मैट्रिक टन में)

जिला	जनसंख्या का हिस्सा	एलपीजी			
		2009-10	2010-11	2011-12	त्रिवर्षीय औसत
पटना	5.6	71788	76933	85368	78030 (20.7)
नालंदा	2.8	8913	10262	13523	10899 (2.9)
भोजपुर	2.6	11752	13044	15498	13431 (3.6)
बक्सर	1.6	5320	5908	6997	6075 (1.6)
रोहतास	2.9	9926	10778	13887	11530 (3.1)
कैमूर	1.6	2226	2774	3894	2965 (0.8)
गया	4.2	11745	13112	15704	13520 (3.6)
जहानाबाद	1.1	4466	5012	6083	5187 (1.4)
अरवल	0.7	551	585	780	639 (0.2)
नवादा	2.1	4511	5700	7373	5861 (1.6)
औरंगाबाद	2.4	5729	6947	8615	7097 (1.9)
सारण	3.8	12185	14965	18609	15253 (4)
सीवान	3.2	6876	7478	10718	8357 (2.2)
गोपालगंज	2.5	6898	8690	11079	8889 (2.4)
पश्चिम चंपारण	3.8	8861	10265	11349	10158 (2.7)
पूर्व चंपारण	4.9	10817	13089	15115	13007 (3.4)
मुजफ्फरपुर	4.6	17553	19870	24080	20501 (5.4)
सीतामढ़ी	3.3	8806	10162	12280	10416 (2.8)
शिवहर	0.6		280	136	208 (0.1)
वैशाली	3.4	11579	13342	17321	14081 (3.7)
दरभंगा	3.8	12300	14330	17393	14674 (3.9)
मधुबनी	4.3	9448	11614	13867	11643 (3.1)
समस्तीपुर	4.1	8215	10245	12724	10395 (2.8)
बेगूसराय	2.8	9510	11178	13360	11349 (3)
मुंगेर	1.3	8099	8045	9064	8403 (2.2)
शेखपुरा	0.6	1444	1596	1882	1641 (0.4)
लखीसराय	1.0	1249	2716	3241	2402 (0.6)
जमुई	1.7	2430	2673	3641	2915 (0.8)
खगड़िया	1.6	2936	3269	3547	3251 (0.9)
भागलपुर	2.9	12154	13962	16376	14164 (3.8)
बांका	2.0	3710	3990	4552	4084 (1.1)
सहरसा	1.8	4152	5358	6550	5353 (1.4)
सुपौल	2.1	2486	2157	2730	2458 (0.7)
मधेपुरा	1.9	3325	4086	5169	4193 (1.1)
पूर्णिया	3.2	9628	10690	11469	10596 (2.8)
किशनगंज	1.6	1191	1466	1868	1508 (0.4)
अररिया	2.7	4189	4862	5661	4904 (1.3)
कटिहार	3.0	6420	7739	8986	7715 (2)
योग	100.0	323388	369172	440489	377683 (100)

स्रोत : भारतीय तेल निगम **(समाप्त)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल खपत में जिले का हिस्सा दर्शाते हैं।

तालिका प 1.9 : डाकघरों और लोक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत (2009-10, 2010-11 और 2011-12)

(करोड़ रु.)

जिला	जनसंख्या का हिस्सा	2009-10		2010-11		2011-12		उपलब्धि का त्रिवर्षीय औसत (2009-12)	उपलब्धि का हिस्सा (%)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि		
पटना	5.6	170	396	495	255	425	-31	207	12.0
नालंदा	2.8	60	133	167	102	143	82	106	6.1
भोजपुर	2.6	35	86	107	136	92	74	98	5.7
बक्सर	1.6	20	39	49	50	42	33	41	2.4
रोहतास	2.9	30	64	80	67	69	32	54	3.2
कैमूर	1.6	13	27	34	33	29	16	25	1.5
योग	**17.1**	**328**	**745**	**932**	**643**	**800**	**206**	**531**	**30.8**
गया	4.2	38	88	109	78	94	31	65	3.8
जहानाबाद	1.1	8	18	23	21	20	13	17	1.0
अरवल	0.7	5	12	15	14	13	9	12	0.7
नवादा	2.1	25	50	63	92	54	63	68	4.0
औरंगाबाद	2.4	25	61	76	66	65	32	53	3.1
योग	**10.5**	**101**	**229**	**286**	**271**	**246**	**148**	**216**	**12.5**
सारण	3.8	75	128	160	155	137	121	135	7.8
सीवान	3.2	40	66	83	86	71	68	73	4.2
गोपालगंज	2.5	35	42	53	53	46	40	45	2.6
योग	**9.5**	**150**	**237**	**296**	**295**	**254**	**230**	**254**	**14.7**
पश्चिम चंपारण	3.8	32	60	75	65	65	22	49	2.8
पूर्व चंपारण	4.9	18	32	40	39	35	27	33	1.9
मुजफ्फरपुर	4.6	38	97	122	138	106	37	91	5.3
सीतामढ़ी	3.3	15	27	34	36	30	5	23	1.3
शिवहर	0.6	3	6	7	8	6	1	5	0.3
वैशाली	3.4	35	77	97	83	83	53	71	4.1
योग	**20.6**	**141**	**300**	**375**	**368**	**325**	**145**	**271**	**15.7**
दरभंगा	3.8	45	80	100	75	86	35	63	3.7
मधुबनी	4.3	32	50	63	45	55	25	40	2.3
समस्तीपुर	4.1	28	43	53	57	46	32	44	2.5
योग	**12.2**	**105**	**172**	**216**	**177**	**187**	**92**	**147**	**8.5**
बेगूसराय	2.8	20	54	68	68	58	20	47	2.7
मुंगेर	1.3	17	39	49	34	42	25	33	1.9
शेखपुरा	0.6	5	11	13	9	11	7	9	0.5
लखीसराय	1.0	5	11	13	9	11	7	9	0.5
जमुई	1.7	8	14	17	15	15	13	14	0.8
खगड़िया	1.6	4	11	14	14	12	5	10	0.6
योग	**9.0**	**59**	**140**	**174**	**148**	**149**	**76**	**122**	**7.0**
भागलपुर	2.9	23	57	71	74	61	40	57	3.3
बांका	2.0	8	12	15	7	13	-2	6	0.3
योग	**4.9**	**31**	**68**	**86**	**81**	**74**	**38**	62	3.6
सहरसा	1.8	15	29	37	28	32	19	25	1.5
सुपौल	2.1	10	22	28	21	24	14	19	1.1
मधेपुरा	1.9	10	22	28	21	24	15	19	1.1
योग	**5.8**	**35**	**74**	**93**	**69**	**80**	**47**	**63**	**3.7**
पूर्णिया	3.2	20	30	37	25	32	6	20	1.2
किशनगंज	1.6	7	15	18	10	9	5	10	0.6
अररिया	2.7	8	12	15	10	13	2	8	0.5
कटिहार	3.0	15	29	36	20	31	14	21	1.2
योग	**10.5**	**50**	**85**	**106**	**65**	**85**	**26**	**59**	**3.4**
कुल योग	**100.1**	**1000**	**2050**	**2564**	**2116**	**2200**	**1009**	**1725**	**100.0**

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

अध्याय 2

कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

मानक आर्थिक सिद्धांतों का मानना है कि कृषि और उद्योग प्रगति के दो पहिए हैं जो एक-दूसरे को सुदृढ़ बनाते हैं। एक ओर कृषि क्षेत्र औद्योगिक श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराता है और उसके अधिशेष का उद्योग में निवेश किया जाता है, तो दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र का अधिशेष सामाजिक उपरिव्यय उपलब्ध करा सकता है जिससे सरकार को पूरे जनसमुदाय के लिए कल्याणकारी गतिविधियां चलाने में मदद मिल सकती है। यह विभाजन पूर्व के बिहार के मामले में संभाव्य था। लेकिन उसके बाद औद्योगिक और खनिज क्षेत्र नवसृजित झारखंड में चले गए और बिहार भारी नुकसान की स्थिति में चला गया जिसकी प्रगति का एक पहिया इससे दूर हो गया। इसीलिए वर्तमान सरकार को मुख्यत: कृषि पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा ताकि वह औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त अधिशेष पैदा कर सके।

बिहार को गंगा की उर्वर जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन, खास कर भूमिगत जल संसाधन का अवदान प्राप्त है। भिन्न-भिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों (एग्रो-क्लाइमेटिक जोन) से जुड़ी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के अनुरूप राज्य के किसान अनेक प्रकार की फसले उगाते हैं। अनाज के अलावा राज्य में दलहन, तिलहन, रेशेदार फसलें, ईख फल, सब्जियां और खाद्यान्न की अन्य गौण फसलें पैदा होती हैं। इसके अतिरिक्त, हाल में फसलों में विविधता आई फूलों की बढ़ती मांग ने किसानों का ध्यान आकृष्ट किया है। तीव्र कृषि विकास को बढ़ावा देकर शहर और गांव के बीच मौजूद अंतराल को पाटने के लिए राज्य सरकार सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। कृषि रोडमैप ने खेतों में उत्पादकता की लगातार वृद्धि सुनिश्चित की है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि राज्य में धान की उत्पादकता हाल के वर्षों में 2,240 किग्रा प्रति हे. हो गई है। राज्य सरकार सशक्त कृषि अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित कर रही है ताकि संयोग के भरोसे कुछ भी नहीं रहे। कृषि को अधिक सक्षम बनाने के लिए सिंचाई, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रीकरण, कृषि ऋण और जागरूकता कार्यक्रम आदि समर्थन सेवाओं पर बल दिया जा रहा है।

93.6 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल वाले बिहार में स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण तीन कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं - उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण। उत्तर-पश्चिम जोन में 13 जिले हैं। इस जोन में 1040 से 1450 मि.मी. वार्षिक वर्षा होती है। ज्यादातर मिट्टी बलुई दोमट और दोमट है। उत्तर-पूर्व जोन में 8 जिले हैं। इस जोन में वार्षिक वर्षा 1200 मिमी से 1700 मिमी के बीच होती है। इसकी मिट्टी मुख्यत: दोमट तथा चिकनी दोमट है। 17 जिलों वाले दक्षिणी जोन में 990 से लेकर 1300 मिमी वार्षिक वर्षा होती है। यहां की मिट्टी मुख्यत: बलुई दोमट, चिकनी दोमट, दोमट और चिकनी मिट्टी है। इस अध्याय के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के विवरण इन प्रमुख शीर्षों के तहत प्रस्तुत हैं - वर्षापात (रेनफॉल), भूमि उपयोग, उत्पादन और उत्पादकता, सिंचाई, कृषि लागत (बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण तथा प्रसार सेवाएं) और कृषि ऋण। सहवर्ती गतिविधियों के तहत इस अध्याय में पशुपालन और मत्स्यपालन के क्षेत्र में प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है।

2.1 वर्षापात

बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत 1054 मिमी है। राज्य में वर्षापात मुख्यत: दक्षिण-पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है जिसका राज्य के वर्षापात में लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा है। शेष 15 प्रतिशत योगदान जाड़ा और गर्मी की वर्षा तथा उत्तर-पश्चिमी मॉनसून की वर्षा का होता है। राज्य में औसत सामान्य वर्षा कृषि कार्यों के लिए कमोबेश पर्याप्त होती है। हालांकि वर्षापात में साल दर साल होने वालो भिन्नता के कारण राज्य में कुछ वर्षों में बाढ़ और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण फसल उत्पादन को गंभीर क्षति पहुंचती है जिससे राज्य की समग्र आय प्रभावित होती है क्योंकि लगभग 50 प्रतिशत किसान अभी भी कृषिकार्यों के लिए मॉनसून पर निर्भर करते ह।

वर्ष 2001 से 2011 के बीच वार्षिक वर्षापात 2010 के 677.85 मिमी से लेकर 2007 के 1506.08 मिमी के बीच रहा है। वर्ष 2010 में औसत वर्षा सामान्य वर्षापात का मात्र 64.3 प्रतिशत थी और विगत दशक में सबसे कम थी। दूसरी ओर, 2007 में वर्षा सामान्य वर्षापात का 142.9 प्रतिशत थी जो गत दशक में सर्वाधिक थी। वर्ष 2007 में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून से वर्षापात सामान्य वर्षापात का 150.6 प्रतिशत था जिसके कारण राज्य के अनेक जिलों में बाढ़ आ गई थी। विगत 5 में से 3 वर्षों में कुल वर्षापात सामान्य से काफी कम रहा है - 2009 में 82. 4 प्रतिशत, 2010 में 64.3 प्रतिशत और 2012 में 77.9 प्रतिशत (मात्र दक्षिण-पश्चिम मॉनसून को ध्यान में रखने पर)। बिहार के वर्षापात का पैटर्न तालिका 2.1 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.1 : विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात (2001 से 2012)

(वर्षापात मिमी में)

वर्ष	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण-पश्चिम मानसून	उत्तर-पश्चिम मानसून	योग
2001	20.90 (129.2)	86.70 (114.7)	908.20 (100.5)	192.20 (326.7)	1208.00 (114.5)
2002	48.90 (302.4)	66.80 (88.3)	896.90 (99.2)	33.20 (56.4)	1045.80 (99.2)
2003	19.20 (118.7)	93.00 (123.0)	767.60 (84.9)	128.90 (219.0)	1008.70 (95.7)
2004	23.70 (146.6)	41.40 (54.8)	906.10 (100.2)	60.10 (102.1)	1031.30 (97.9)
2005	0.10 (0.6)	89.50 (118.4)	777.60 (86.0)	30.20 (51.3)	897.40 (85.1)
2006	0.10 (0.6)	88.97 (117.8)	925.86 (102.4)	27.77 (47.1)	1042.69 (98.9)
2007	28.34 (175.2)	76.40 (101.0)	1360.85 (150.6)	40.49 (68.8)	1506.08 (142.9)
2008	30.61 (189.3)	61.78 (81.8)	1084.27 (120.0)	19.31 (32.8)	1195.97 (113.4)
2009	0.09 (0.6)	98.22 (129.9)	699.17 (77.3)	71.13 (120.9)	868.61 (82.4)
2010	0.74 (4.58)	49.30 (65.2)	584.40 (64.6)	43.41 (73.8)	677.85 (64.3)
2011	5.20 (32.2)	79.40 (105.0)	1028.00 (113.7)	0.50 (0.8)	1113.10 (105.6)
2012 (सितंबर तक)	11.20 (69.3)	30.50 (40.4)	704.10 (77.9)	-	-
औसत (2001-11)	16.17	75.59	903.54	58.84	1054.14

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वास्तविक वर्षापात को दीर्घकालिक वर्षापात के औसत के प्रतिशत बतौर अभिव्यक्त करते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

चार्ट 2.1 : बिहार में वार्षिक वर्षापात (2001-2011)

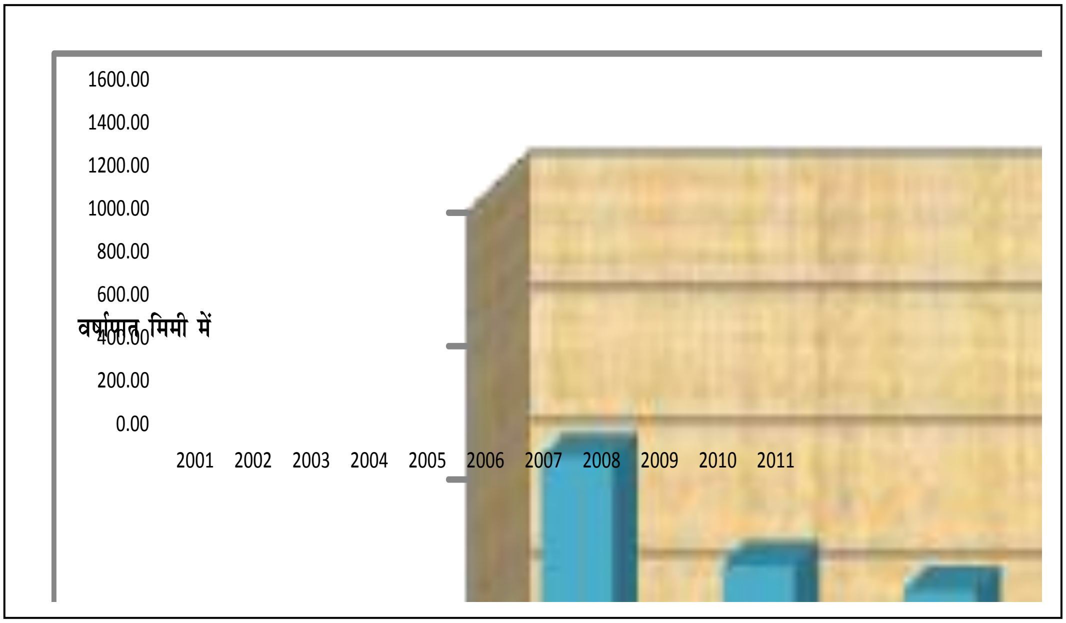

बिहार के विभिन्न जिलों में 2011 और 2012 में (सितंबर तक) हुए वर्षापात के पैटर्न को तालिका प 2.1 (परिशिष्ट) में देखा जा सकता है। वर्षा के परिमाण और उसमें अंतर के तुलनात्मक जायजे के लिए जिले के कुल वर्षापात की तुलना उस वर्ष में बिहार के औसत से की जा सकती है। वर्ष 2011 में बिहार के 38 में से 20 जिलों में औसत से अधिक वर्षापात दर्ज किया गया। कम वर्षापात वाले जिले थे – पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, सीवान, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, भागलपुर और सहरसा। पहले भी उल्लेख किया गया है कि 2012 में कम वर्षा हुई। तालिका प 2.1 (परिशिष्ट) में देखा जा सकता है कि दो जिलों, किशनगंज और अररिया को छोड़कर शेष सभी जिलों में इस वर्ष सिंतबर तक 1,000 मिमी से कम वर्षा हुई।

2.2 भूमि उपयोग पैटर्न

बिहार गंगा बेसिन क्षेत्र के नदी-निर्मित मैदान के अंतर्गत आता ह। इस स्थलाकृतिक प्रकृति के कारण राज्य में कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि का अनुपात देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। तालिका 2.2 में बिहार के भूमि उपयोग पैटर्न के 2007-08 से 2009-10 तक के आंकड़े प्रस्तुत हैं। आंकड़ों पर एक नजर डालने से ही पता चलता है कि पैटर्न लगभग अपरिवर्तित रहा है।

तालिका 2.2 : बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न (2007-08 से 2009-10)

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

भूमि उपयोग	2007-08	2008-09	2009-10
भौगोलिक क्षेत्रफल	9359.57 (100.0)	9359.57 (100.0)	9359.57 (100.0)
(1) वन	621.24 (6.6)	621.64 (6.6)	621.64 (6.6)
(2) बंजर एवं अकृष्य भूमि	432.09 (4.6)	431.77 (4.6)	431.72 (4.6)
(3) गैर-कृषि उपयोग वाली भूमि	1652.66 (17.7)	1670.45 (17.8)	1689.72 (18.1)
भूमि क्षेत्र	1292.11 (13.8)	1312.94 (14.0)	1332.51 (14.2)
जल क्षेत्र	360.55 (3.9)	357.51 (3.8)	357.21 (3.8)
(4) कृष्य ऊसर भूमि	45.59 (0.5)	45.43 (0.5)	45.38 (0.5)
(5) स्थायी चरागाह	16.47 (0.2)	15.87 (0.2)	15.78 (0.2)
(6) बागानी भूमि	240.96 (2.6)	242.86 (2.6)	243.98 (2.6)
(7) परती भूमि (वर्तमान परती को छोड़कर)	119.35 (1.3)	122.30 (1.3)	122.00 (1.3)
(8) वर्तमान परती	568.61 (6.1)	655.17 (7.0)	857.62 (9.2)
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	3697.36 (39.5)	3805.48 (40.6)	4027.84 (43.0)
निवल बुआई क्षेत्रफल	5662.20 (60.5)	5554.08 (59.4)	5331.73 (57.0)
सकल बुआई क्षेत्रफल	7764.65	7670.95	7295.81
फसल सघनता	1.37	1.38	1.37

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

वनभूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.6 प्रतिशत पर स्थिर रहा है और गैर-कृषि कार्य में उपयोग वाली जमीन का क्षेत्रफल 17.8 प्रतिशत पर। निवल बुआई क्षेत्रफल (नेट सोन एरिया) के तहत क्षेत्र में थोड़ी कमी दिखी है। वर्ष 2007-08 में निवल बुआई क्षेत्रफल का हिस्सा 60.5 प्रतिशत था जो 2009-10 में घटकर 57.0 प्रतिशत रह गया। हालांकि फसल सघनता में 2008-09 में थोड़ी वृद्धि दिखी थी (1.39) लेकिन 2009-10 में घटकर 2007-08 के स्तर - 1.37 पर आ गई।

बिहार के विभिन्न जिलों में 2009-10 के दौरान भूमि उपयोग का पैटर्न तालिका प 2.2 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत किया गया है। तालिका में कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उस श्रेणी के प्रतिशत को अभिव्यक्त करते हैं। तालिका पर एक नजर डालने से पता चलता है कि जिलों के बीच भूमि उपयोग के पैटर्न में काफी अंतर है। ऐसा अलग-अलग जिलों के अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों का हिस्सा होने के कारण है। वर्ष 2009-10 में निवल बुआई क्षेत्रफल पर विचार करने पर पता चलता है कि 6 जिलों में निवल बुआई क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से भी अधिक था जबकि पूरे राज्य का औसत 60 प्रतिशत से कम है। बिहार के बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले ये जिले हैं - भोजपुर (78.3 प्रतिशत), बक्सर (79.9 प्रतिशत), सीवान (74.4 प्रतिशत), मधेपुरा (73.1 प्रतिशत), गोपालगंज (72.6 प्रतिशत) तथा पूर्व चंपारण (71.4 प्रतिशत)। दूसरी ओर, 7 जिले 50 प्रतिशत से कम निवल कृषि क्षेत्र वाले हैं - कैमूर (40.6 प्रतिशत), गया (21.6 प्रतिशत), नवादा (40.2 प्रतिशत), जमुई (13.6

प्रतिशत), लखीसराय (42.4 प्रतिशत), मुंगेर (33.7 प्रतिशत), तथा बांका (41.9 प्रतिशत)। इन जिलों में राज्य के औसत की तुलना में फसल सघनता भी बहुत कम है। किसानों द्वारा फसल सघनता बढ़ाने के प्रयास के बावजूद सघनता बढ़ाई नहीं जा सकी क्योंकि इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बहुत कम है। फसल सघनता राहतास में सबसे कम (1.18) है।

2.3 उत्पादन और उत्पादकता

भूमि की उर्वरता और प्रचुर भूजल संसाधनों के अवदान के कारण बिहार के किसान अनेक प्रकार की खाद्य-अखाद्य फसलें उगाने में समर्थ हैं। प्रमुख अनाजों और दलहनों के अलावा बिहार के किसान तिलहन, रेशेदार फसलें, फल और सब्जियां भी उगाते हैं। देर से ही सही, लेकिन बिहार के किसानों ने फूलों की बढ़ती मांग को देखकर फूलों की खेती भी आरंभ की है।

तालिका 2.3 में बिहार में उपजाई जाने वाली 34 महत्वपूर्ण फसलों का 2007-08 से 2011-12 के बीच की मात्रा प्रस्तुत की गई है। तालिका में देखा जा सकता है कि 2011-12 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 172.42 लाख टन था। वहीं 2010-11 के आंकड़ों पर नजर डालने पर पता चलता है कि खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 103.52 लाख टन ही था। उत्पादन के आंकड़ों में इतनी बड़ी छलांग 2011-12 में 2010-11 की तुलना में चावल के उत्पादन में तेज वृद्धि के कारण है। नई 'श्री' तकनीक और नए-नए कृषि उपकरणों के उपयोग के कारण चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 के पूर्व चावल के उत्पादन में निरंतरता भी नहीं थी और विभिन्न वर्षों के उत्पादन में भारी अंतर रहता था। ऐसा इस कारण होता है कि लगभग 50 प्रतिशत निवल बुआई क्षेत्रफल सिंचाई सुविधाओं से रहित है और वर्षा पर निर्भर है। वर्ष 2007-08 से 2010-11 के बीच उत्पादन का औसत आंकड़ा 50 लाख टन के आसपास था। इसी प्रकार, गेहूं और मक्का के उत्पादन में भी सकारात्मक रुझान दर्ज हुआ है। 2007-08 से 2009-10 के बीच गेहूं का औसत वार्षिक उत्पादन तकरीबन 40-45 लाख टन था। उसके बाद से गेहूं का उत्पादन बढ़ा और 2010-11 में 50.94 लाख टन तथा अगले साल (2011-12 में) 65.31 लाख टन हो गया। ऐसा 'जीरो टिलेज विधि' और 'श्री' तकनीक के उपयोग के कारण संभव हुआ। गेहूं उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 2007-08 से 2011-12 के बीच 6.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2007-08 से 2010-11 के बीच की अवधि में मक्का का वार्षिक उत्पादन 18 लाख टन के आसपास रहा। लेकिन 2011-12 मं इसका उत्पादन 24.86 लाख टन की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। मक्का उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 2007-08 से 2011-12 के बीच मात्र 8.3 प्रतिशत थी। दलहनों का उत्पादन स्तर 0.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 2007-08 के 4.73 लाख टन से बढ़कर 2011-12 में 5.19 लाख टन पहुंच गया। खाद्यान्नों को समग्र स्थिति पर गौर करने पर दिखता है कि गत पांच वर्षों के दौरान अनाजों का उत्पादन स्तर 7.0 प्रतिशत और दलहनों का 0.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है जो राज्य के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार करने वाला है।

अन्य फसलों के मामले में दिखता है कि तिलहनों का उत्पादन 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से लगातार बढ़ा है। वहीं मूंगफली के उत्पादन में गिरावट दिखी है। लेकिन रेशेदार फसलों (5.2 प्रतिशत) और ईख (34.8 प्रतिशत) के मामले में वृद्धि दर काफी अधिक दिखी है।

तालिका 2.3 : बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन (2007-08 से 2011-12)

(उत्पादन हजार टन में)

फसलें	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	वार्षिक चक्रवृद्धि दर
कुल अनाज	11343.7	12143.0	9616.3	10352.2	17242.2	7.0
कुल चावल	4472.7	5771.4	3640.2	3112.6	8187.6	6.1
बोड़ो चावल						
अगहनी चावल	4288.9	5603.8	3463.5	2949.5	8055.3	6.4
गरमा चावल	183.8	167.6	176.7	163.0	132.2	-6.6
गेहूं	4974.7	4638.9	4403.8	5094.0	6531.0	6.6
कुल मक्का	1857.0	1701.9	1544.4	2108.2	2486.2	8.3
खरीफ मक्का	321.4	349.1	401.5	468.5	622.4	17.5
रबी मक्का						
गरमा मक्का	1535.6	1352.9	1142.9	1639.7	1863.8	6.0
कुल मोटे अनाज	39.3	30.8	27.8	37.4	37.5	1.0
जौ	18.5	15.7	12.4	15.7	16.7	-2.0
ज्वार	3.8	1.8	1.7	3.3	2.1	-5.6
बाजरा	3.9	3.2	3.3	5.4	5.0	10.8
रागी	8.0	7.1	8.1	8.9	9.4	5.6
कोदो-सावां	5.2	3.0	2.4	4.1	4.3	-0.7
कुल दलहन	472.9	527.4	459.8	467.2	519.9	0.7
कुल खरीफ दलहन	80.1	69.7	73.8	69.7	69.9	-2.7
अरहर	42.7	36.0	36.6	39.4	42.1	0.6
ऊड़द	17.5	17.3	19.8	13.2	11.9	-9.9
भदई मूंग	5.4	4.2	5.5	6.1	4.7	1.0
कुल्थी	12.7	11.1	10.6	9.3	8.2	-10.0
अन्य खरीफ दलहन	0.9	0.5	0.7	1.4	2.5	36.0
कुल रबी दलहन	392.1	457.8	386.0	397.5	450.0	1.3
चना	63.5	72.2	58.3	59.4	76.8	1.9
मसूर	126.1	163.6	159.2	162.2	171.6	6.3
मटर	25.1	23.3	20.0	19.8	19.2	-6.7
खेसारी	82.3	95.5	81.7	73.2	92.1	-0.4
गरमा मूंग	93.6	100.8	64.9	81.3	88.4	-3.2
अन्य रबी दलहन	2.3	2.4	1.9	1.6	1.9	-7.6
कुल तिलहन	144.2	122.4	140.6	142.2	174.5	5.5
अंडी	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	-13.4
कुसुम	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	9.1
तिल	2.2	1.8	1.8	2.0	2.2	1.1
सूर्यमुखी	30.6	25.6	25.6	25.0	22.9	-5.9
सरसों-राई	87.5	73.4	91.4	95.8	127.9	10.8
तीसी	22.7	20.6	19.2	18.8	20.3	-3.1
मूंगफली	0.9	0.8	2.1	0.4	0.8	-9.6
कुल रेशेदार फसलें	1452.4	1127.3	1271.0	1309.4	1738.8	5.2
जूट	1242.8	971.3	1147.3	1164.6	1490.7	5.6
मेसता	209.6	155.9	123.7	144.8	248.1	2.7
ईख	4027.2	4811.2	3443.7	11827.7	11288.6	34.5

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

फसल पैटर्न

तालिका 2.4 में 2007-08 से 2011-12 तक विभिन्न फसलों का फसल पैटर्न दर्शाया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था अभी भी काफी हद तक जीवन निर्वाह हेतु उत्पादन की ओर अग्रसर है क्योंकि 90 प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्रफल खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत है। खाद्यान्नों में भी कुल क्षेत्रफल में अनाजों का हिस्सा 86 प्रतिशत है जिसमें अकेले चावल का हिस्सा लगभग 45 प्रतिशत है। दलहनों के क्षेत्रफल में थोड़ी गिरावट दिखती है जो 2007-08 के 8.0 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 7.4 प्रतिशत रह गया। कुल फसल क्षेत्र में तिलहन, रेशेदार फसलों और ईख का संयुक्त हिस्सा मात्र 7 प्रतिशत है। ईख का फसल क्षेत्र तिलहनों की कीमत पर थोड़ा बढ़ा दिखता है। रेशेदार फसलों के मामले में फसल क्षेत्र 2007-08 के 2.1 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 2.0 प्रतिशत रह गया।

तालिका 2.4 : बिहार में फसल पैटर्न (2007-08 से 2011-12)

फसलें	क्षेत्रफल का प्रतिशत				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
खाद्यान्न	94.5	94.7	94.9	92.3	93.0
अनाज	86.5	86.8	86.8	83.2	85.6
चावल	47.6	48.5	45.9	41.9	45.8
गेहूं	29.2	29.2	31.1	31.1	29.8
मक्का	9.0	8.7	9.4	9.6	9.6
कुल दलहन	8.0	8.0	8.1	9.1	7.4
खरीफ दलहन	1.1	0.9	1.0	0.9	0.8
रबी दलहन	6.9	7.0	7.1	8.1	6.6
तिलहन	1.9	1.8	2.0	1.9	1.7
रेशेदार फसलें	2.1	1.9	2.1	2.1	2.0
ईख	1.5	1.5	1.1	3.7	3.2
कुल क्षेत्रफल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

उत्पादकता

बिहार में विभिन्न फसलों की उत्पादकता के आंकड़े तालिका 2.5 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 2.5 : बिहार में मुख्य फसलों की उत्पादकता (किग्रा/ प्रति हे.)

फसलें	त्रिवर्षीय औसत (2000- 03)	2009-10	2010-11	2011-12	त्रिवर्षीय औसत (2009-12)	त्रिवर्षो के बीच प्रतिशत परिवर्तन
कुल अनाज	1732	1627	1838	2794	2086	20.5
कुल चावल	1457	1165	1094	2463	1574	8.0
बोड़ो चावल	1247	896	897	1603	1132	-9.2
अगहनी चावल	1488	1196	1106	2660	1654	11.1
गरमा चावल	1758	1846	1930	1912	1896	7.9
गेहूं	2036	2081	2426	3049	2519	23.7
कुल मक्का	2384	2411	3225	3683	3106	30.3
खरीफ मक्का	1765	1709	1998	2358	2022	14.5
रबी मक्का	2934	2601	3880			
गरमा मक्का	2765	3047	3952	4534	-	-
कुल मोटे अनाज	979	971	1072	1173	1072	9.5
जौ	1186	1133	1327	1542	1334	12.5
ज्वार	923	1037	1060	1065	1054	14.2
बाजरा	861	1111	1118	1125	1118	29.8
रागी	879	804	982	1214	1000	13.8
कोदो-सावां	681	768	769	763	767	12.6
कुल दलहन	819	833	868	991	897	9.5
कुल खरीफ दलहन	901	1085	1121	1246	1151	27.7
अरहर	1215	1353	1546	1901	1600	31.7
ऊड़द	682	990	872	866	909	33.3
भदई मूंग	529	663	654	608	642	21.3
कुल्थी	788	963	944	952	953	20.9
अन्य खरीफ दलहन	544	707	677	750	711	30.8
घघरा (लोबिया)	564	871	832	953	885	57.0
कुल रबी दलहन	806	797	835	961	864	7.2
चना	1001	1066	1044	1295	1135	13.4
मसूर	886	893	939	1018	950	7.2
मटर	947	1001	1035	1031	1022	8.0
खेसारी	847	1036	984	1265	1095	29.3
गरमा मूंग	596	433	539	600	524	-12.1
अन्य रबी दलहन	662	746	743	1110	866	30.9
कुल तिलहन	818	1043	1094	1308	1148	40.4
अंडी	944	954	954	961	956	1.3
कुसुम	802	801	800	801	801	-0.2
तिल	629	766	788	879	811	28.9
सूर्यमुखी	1401	1405	1434	1437	1425	1.7
सरसों-राई	799	1019	1109	1416	1181	47.9
तीसी	712	846	818	865	843	18.4
मूंगफली	716	1609	1030	1021	1220	70.4
कुल रेशेदार फसलें	7131	8930	9040	12699	10223	43.4
जूट	7317	9170	9121	12753	10348	41.4
मेसता	6858	7186	8446	12351	9327	36.0
ईख	43586	47228	46996	51713	48646	11.6

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

चार्ट 2.2 : बिहार में मुख्य फसलों की उत्पादकता

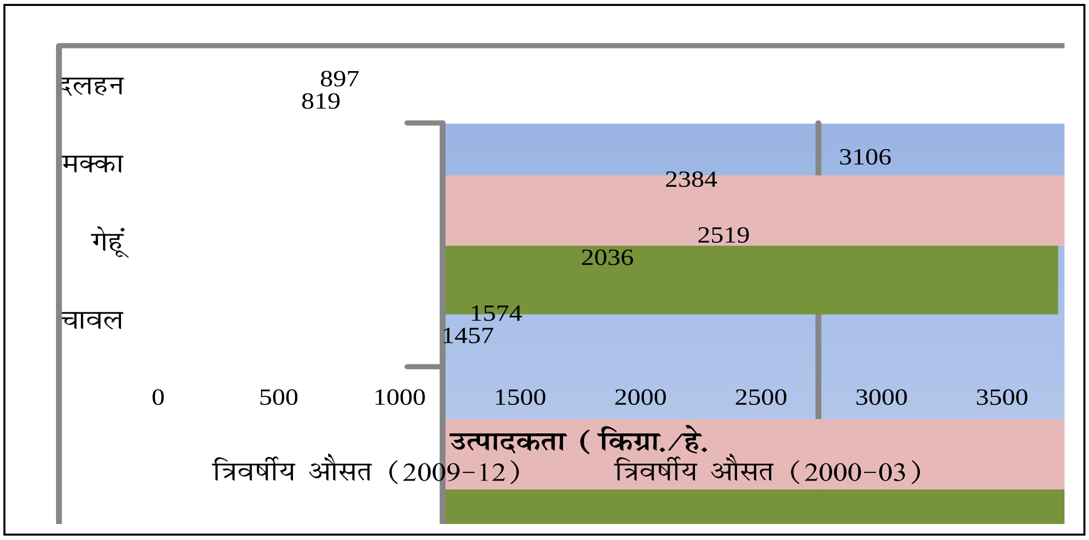

तालिका में देखा जा सकता है कि उत्पादकता के स्तरों की तुलना दो त्रिवर्षीय औसतों को लेकर की गई है - एक त्रिवर्ष 2000-03 का और दूसरा 2009-12 का। तालिका के अंतिम कॉलम में दो त्रिवर्षों में हुआ प्रतिशत परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है।

त्रिवर्ष 2009-12 के लिए तीन मुख्य अनाजों की औसत उत्पादकता इस प्रकार है : चावल - 1,574 किग्रा प्रति हे., गेहूं - 2,519 किग्रा प्रति हे. तथा मक्का - 3,106 किग्रा प्रति हे.। उत्पादकता चावल के मामले में 8.0 प्रतिशत, गेहूं के मामले में 23.7 प्रतिशत और मक्का के मामले में 30.3 प्रतिशत बढ़ी है। दोनों त्रिवर्षों के बीच उत्पादकता में परिवर्तन का स्तर खरीफ दलहनों के मामले में 27.7 प्रतिशत है और रबी दलहनों के मामले में 7.2 प्रतिशत।

चावल का क्षेत्रफल और उत्पादन

बिहार में एक अंचल से दूसरे अंचल की कृषि-जलवायु स्थिति भिन्न है। इस कारण विभिन्न अंचलों के बीच फसल पैटर्न में भी अंतर दिखता है। परवर्ती खंडों में विगत दो वर्षों के दौरान बिहार की तीन प्रमुख फसलों - चावल, गेहूं और मक्का के जिलावार उत्पादन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। तालिका प 2.3 (परिशिष्ट) में बिहार में चावल के उत्पादन और उत्पादकता के 2009-10 और 2010-11 के जिलावार आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। हर जिले में क्षेत्रफल और उत्पादन का हिस्सा कोष्ठक में दिया गया है। उत्पादकता के कॉलम में हर जिले की उत्पादकता के साथ-साथ उसका दर्जा भी दिया गया है।

वर्ष 2010-11 में क्षेत्रफल में जिलावार हिस्से पर नजर डालने पर दिखता है कि क्षेत्रफल के लिहाज से चावल के अधिक उत्पादन वाले जिले मधुबनी (6.3 प्रतिशत), रोहतास (6.1 प्रतिशत), पूर्व चंपारण (4.6 प्रतिशत), पश्चिम चंपारण (4.5 प्रतिशत) और औरंगाबाद (4.4 प्रतिशत) हैं। क्षेत्रफल में हिस्से के मामले में सबसे निचले पायदान वाले जिले लखीसराय (0.1 प्रतिशत), शेखपुरा (0.3 प्रतिशत), जहानाबाद (0.4 प्रतिशत) और अरवल (0.9 प्रतिशत) हैं।

वर्ष 2010-11 में चावल के जिलावार उत्पादन पर नजर डालने पर उत्पादन में हिस्से के लिहाज से ऊपरी पायदान पर स्थित जिले भोजपुर (7.0 प्रतिशत), औरंगाबाद (5.7 प्रतिशत), कैमूर (5.5 प्रतिशत), पश्चिम चंपारण (5.1 प्रतिशत) और रोहतास (4.2 प्रतिशत) हैं। इसी प्रकार, सबसे निचले पायदान पर स्थित जिले लखीसराय (0.1 प्रतिशत), शेखप़ुरा (0.1 प्रतिशत), शिवहर (0.2 प्रतिशत), खगड़िया (0.4 प्रतिशत) और मुंगेर (0.4 प्रतिशत) हैं। वर्ष 2010-11 में उत्पादकता के लिहाज से सर्वोच्च जिले भोजपुर, बांका, कैमूर, अरवल और बक्सर हैं। वर्ष 2010-11 में चावल की सर्वोच्च उत्पादकता भोजपुर जिले में थी - 2,034 किग्रा प्रति हे.।

गेहूं का क्षेत्रफल और उत्पादन

गेहूं के उत्पादन के रुझान के विश्लेषण के लिए उसी प्रविधि का उपयोग किया गया है जो चावल के मामले में उपयोग में लाई गई है। वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए गेहूं के क्षेत्रफल और उत्पादन के जिलावार हिस्से तालिका प 2.4 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत किए गए हैं। दर्जे के साथ हर जिले के उत्पादकता के आंकड़े भी उत्पादकता क साथ कोष्ठकों में दर्शाए गए ह।

वर्ष 2010-11 में क्षेत्रफल में जिलावार हिस्से पर नजर डाली जाय तो दिखता है कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले रोहतास (6.3 प्रतिशत), पूर्व चंपारण (4.9 प्रतिशत), सीवान (4.5 प्रतिशत), मधुबनी (4.5 प्रतिशत) और मुजफ्फरपुर (4.5 प्रतिशत) हैं। क्षेत्रफल में हिस्से के लिहाज से सबसे निचले पायदान वाले जिले जमुई (0.4 प्रतिशत), अरवल (0.5 प्रतिशत), मुंगेर (0.7 प्रतिशत), शिवहर (0.8 प्रतिशत) और किशनगंज (1.0 प्रतिशत) हैं। हालांकि उत्पादन में जिलावार हिस्से पर नजर डालने पर ऊपरी पायदान वाले जिले रोहतास (7.6 प्रतिशत), पूर्व चंपारण (6.1 प्रतिशत), गोपालगंज (5.6 प्रतिशत), बक्सर (4.8 प्रतिशत) और मुजफ्फरपुर (4.5 प्रतिशत) दिखते हैं। उत्पादन क मामले में निचले पायदान वाले जिले जमुई (0.2 प्रतिशत), किशनगंज (0.5 प्रतिशत), मुंगेर (0.5 प्रतिशत), शेखपुरा (0.7 प्रतिशत) और बांका (0.8 प्रतिशत) हैं। वर्ष 2010-11 में उत्पादकता के लिहाज से सर्वोच्च पांच जिले गोपालगंज, वैशाली, कटिहार, पूर्व चंपारण और रोहतास हैं। वर्ष 2010-11 में सर्वोच्च उत्पादकता - 3,389 किग्रा प्रति हे. गोपालगंज जिले में दर्ज की गई।

मक्का का क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए बिहार में मक्का के क्षेत्रफल और उत्पादन के जिलावार हिस्से तालिका प 2.5 (परिशिष्ट) में प्रस्तत़ किए गए हैं। उत्पादकता के कॉलम में कोष्ठकों में उत्पादकता के लिहाज से जिलों के दर्जे दर्शाए गए हैं। वर्ष 2010-11 में क्षेत्रफल में जिलावार हिस्से पर विचार करने पर सर्वोच्च मक्का उत्पादक जिले बेगूसराय (8.7 प्रतिशत), खगड़िया (8.5 प्रतिशत), समस्तीपुर (8.1 प्रतिशत) और कटिहार (7.9 प्रतिशत) हैं। क्षेत्रफल-वार सबसे निचले पायदान के जिले जहानाबाद (0.1 प्रतिशत), अरवल (0.1 प्रतिशत), शेखपुरा (0.1 प्रतिशत) और शिवहर (0.2 प्रतिशत) हैं। उत्पादन में हिस्सों के आधार पर सर्वोच्च पायदान के जिले सहरसा (11. 7 प्रतिशत), समस्तीपुर (10.7 प्रतिशत), खगड़िया (9.6 प्रतिशत) और कटिहार (9.1 प्रतिशत) हैं। उत्पादन में हिस्से के लिहाज से निम्न प्रदर्शन वाले जिले हैं - जहानाबाद (0.1 प्रतिशत), अरवल (0.1 प्रतिशत), बक्सर (0. 1 प्रतिशत) और शिवहर (0.2 प्रतिशत)। वर्ष 2010-11 में उत्पादकता के लिहाज स शीर्ष प्रदर्शन वाले जिले अररिया, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर हैं। वर्ष 2010-11 में 5,354 किग्रा प्रति हे. की सर्वोच्च उत्पादकता अररिया जिले में हासिल की गई थी।

दलहनों का क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए दलहनों का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तालिका प 2.6 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2010-11 में दलहनों के कुल उत्पादन क्षेत्र में जिलों के हिस्सों पर विचार करने पर सर्वोच्च जिले पटना (8.6 प्रतिशत), औरंगाबाद (6.6 प्रतिशत), मुजफ्फरपुर (5.4 प्रतिशत) और भोजपुर (4.7 प्रतिशत) हैं। वर्ष 2010-11 में दलहनों के कुल उत्पादन में विभिन्न जिलों के हिस्सों को देखने पर सर्वोच्च जिले पटना (11.7 प्रतिशत), भोजपुर (7.0 प्रतिशत), औरंगाबाद (6.9 प्रतिशत) और नालंदा (5.6 प्रतिशत) हैं। उत्पादकता के लिहाज से गोपालगंज, भोजपुर, पूर्व चंपारण, पटना और रोहतास जिले सबसे आगे हैं। वर्ष 2010-11 में दलहनों की सर्वाधिक उत्पादकता (1,351 किग्रा प्रति हे.) गोपालगंज में दर्ज की गई थी।

उक्त चर्चा के आधार पर तालिका 2.6 चार फसलों - चावल, गेहूं, मक्का और दलहन - के उत्पादन और उत्पादकता के मामले में विभिन्न अग्रणी जिलों की उपलब्धियां दर्शाने के लिए तैयार की गई हैं।

तालिका 2.6 : बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और दलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में अग्रणी जिले

फसल	उत्पादन/ उत्पादकता	अग्रणी तीन जिले	
		2009-10	2010-11
चावल	उत्पादन	रोहतास, मधुबनी, बांका	राहतास, भोजपुर, औरंगाबाद
	उत्पादकता	रोहतास, बांका, मधुबनी	भोजपुर, बांका, कैमूर
गेहूं	उत्पादन	रोहतास, सीवान, भोजपुर	रोहतास, पूर्व चंपारण, गोपालगंज
	उत्पादकता	खगड़िया, भोजपुर, सीवान	गोपालगंज, वैशाली, कटिहार
मक्का	उत्पादन	खगड़िया, कटिहार, सहरसा	सहरसा, समस्तीपुर, खगड़िया
	उत्पादकता	सहरसा, सुपौल, शिवहर	अररिया, सहरसा, सुपौल
दलहन	उत्पादन	पटना, भोजपुर, औरंगाबाद	पटना, भोजपुर, औरंगाबाद
	उत्पादकता	भोजपुर, शेखपुरा, जमुई	गोपालगंज, भोजपुर, पूर्व चंपारण

सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन

प्रमुख अनाजों और दलहन के अलावा बिहार में अनेक प्रकार की सब्जियां और फल भी उपजते हैं। सब्जियों के उत्पादन के मामले में राज्य को हाल के वर्षों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल है। वर्ष 2011-12 के आंकड़ों का जायजा लेने पर महत्वपूर्ण सब्जियों में आलू (61.01 लाख टन), प्याज (12.37 लाख टन), टमाटर (11.04 लाख टन), फूलगोभी (11.55 लाख टन) और बैगन (12.71 लाख टन) शामिल हैं। गौरतलब है कि वैशाली जिले का हाजीपुर फूलगोभी की अगैती किस्म के लिए मशहूर है जो सितंबर के अंतिम सप्ताह में ही बाजार में पहुंच जाता है।

वर्ष 2011-12 में बिहार में सब्जियों की फसल का कुल क्षेत्रफल 8.39 लाख हे. था जो राज्य के सकल बुआई क्षेत्र का लगभग 12 प्रतिशत है। बिहार में वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के सब्जियों के क्षेत्रफल और उत्पादन के आंकड़े तालिका 2.7 में पस्तुत हैं।

तालिका 2.7 : बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 से 2011-12)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन ह. टन में)

वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	आलू	प्याज	टमाटर	गोभी	पत्तागोभी
2007-08	क्षेत्रफल	315.46	51.29	46.32	60.66	37.45
	उत्पादन	6019.65	1019.61	921.87	1023.89	638.11
2008-09	क्षेत्रफल	310.33	51.61	46.39	60.97	38.33
	उत्पादन	5033.59	946.60	1037.19	1043.84	676.98
2009-10	क्षेत्रफल	313.57	52.73	46.51	62.22	38.67
	उत्पादन	5387.20	1016.07	1043.73	1080.12	689.93
2010-11	क्षेत्रफल	314.19	53.26	46.82	62.63	39.17
	उत्पादन	5784.30	1082.03	1056.24	1118.73	711.14
2011-12	क्षेत्रफल	315.17	53.81	47.18	62.95	39.58
	उत्पादन	6101.69	1236.77	1104.76	1155.12	734.99
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	1.67	5.34	3.87	3.15	3.37
वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	बगन	भिंडी	मिर्च	कद्दू	नेनुआ
2007-08	क्षेत्रफल	54.55	57.22	38.96	29.86	34.34
	उत्पादन	1158.16	707.29	439.42	574.28	467.68
2008-09	क्षेत्रफल	55.12	58.18	39.42	30.62	36.07
	उत्पादन	1186.12	743.49	450.61	625.22	497.10
2009-10	क्षेत्रफल	55.29	58.25	39.53	31.11	36.48
	उत्पादन	1198.64	766.60	453.82	645.30	504.18
2010-11	क्षेत्रफल	55.67	58.50	39.79	31.44	37.01
	उत्पादन	1215.64	788.26	461.27	657.69	512.84
2011-12	क्षेत्रफल	56.11	59.00	40.22	32.02	37.34
	उत्पादन	1271.54	825.26	486.03	703.13	535.73
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	2.14	3.74	2.28	4.66	3.07
वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	खीरा	झिंगी	करेला	पेठा	तरबूज
2007-08	क्षेत्रफल	1.60	8.42	8.93	0.34	1.08
	उत्पादन	17.21	49.50	61.82	7.88	21.97
2008-09	क्षेत्रफल	1.72	8.49	9.01	0.37	1.11
	उत्पादन	18.74	50.45	63.44	8.64	23.54
2009-10	क्षेत्रफल	1.79	8.51	9.21	0.38	1.22
	उत्पादन	19.58	51.24	65.46	9.17	26.07
2010-11	क्षेत्रफल	2.06	8.86	9.68	0.58	1.41
	उत्पादन	22.88	54.48	70.01	13.77	30.67
2011-12	क्षेत्रफल	2.29	9.12	10.01	0.72	1.53
	उत्पादन	26.16	60.29	76.84	17.44	34.15
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	10.93	4.83	5.48	22.81	12.15

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार (जारी)

तालिका 2.7 : बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 से 2011-12) (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन ह. टन में)

वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	खरबूजा	परवल	लोबिया	मटर	मूली
2007-08	क्षेत्रफल	0.80	5.63	12.40	8.97	15.15
	उत्पादन	9.77	57.80	92.72	57.58	230.93
2008-09	क्षेत्रफल	0.85	5.76	12.72	9.09	15.54
	उत्पादन	10.49	60.17	97.85	61.28	241.12
2009-10	क्षेत्रफल	0.88	5.91	12.99	9.26	15.68
	उत्पादन	11.01	63.01	101.74	63.50	245.19
2010-11	क्षेत्रफल	1.13	6.46	14.10	9.62	16.01
	उत्पादन	14.15	69.48	111.52	67.15	252.34
2011-12	क्षेत्रफल	1.27	6.94	14.13	9.93	16.29
	उत्पादन	16.45	100.25	121.05	82.14	261.03
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	14.36	13.26	6.87	8.35	2.95

वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	गाजर	शक्करकंद	कच्चू	अन्य	योग
2007-08	क्षेत्रफल	4.23	0.26	0.69	29.17	823.70
	उत्पादन	48.03	5.24	7.57	429.77	14067.74
2008-09	क्षेत्रफल	4.47	0.33	0.77	29.59	826.87
	उत्पादन	52.21	6.62	8.60	441.86	13385.75
2009-10	क्षेत्रफल	4.49	0.34	0.85	29.87	835.75
	उत्पादन	52.65	6.98	9.58	440.10	13950.84
2010-11	क्षेत्रफल	4.71	0.41	1.02	30.46	844.98
	उत्पादन	55.34	8.32	11.70	460.28	14630.22
2011-12	क्षेत्रफल	4.85	0.46	1.18	30.54	852.62
	उत्पादन	59.35	9.54	14.18	469.28	15503.13
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	4.93	15.32	16.91	2.20	2.90

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

तालिक 2.7 में देखा जा सकता है कि सब्जी उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़ने का रुझान है। वर्ष 2007-08 में सब्जी उत्पादन का क्षेत्रफल 8.24 लाख हे. था जो 2011-12 में बढ़कर 8.53 लाख हे. हो गया। उत्पादन के स्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दिखी जिसमें 2.90 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई। 50 हजार हे. से अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों के बीच प्याज की वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक 5.34 प्रतिशत दर्ज हुई है और उसके बाद टमाटर की 3.87 प्रतिशत तथा भिंडी की 3.74 प्रतिशत।

कृषि रोड मैप के अंग के बतौर सब्जियों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा ली गई पहलकदमियों के कारण सब्जी उत्पादकों को काफी लाभ हुआ है। अभी तक उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क जैसी अधिसंरचना के विकास से सब्जी उत्पादकां के लिए विपणन की संभावना काफी बढ़ी है। वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य महिला विकास निगम ने पूरे राज्य में पैकेटबंद सब्जियों की बिक्री आरंभ कराई है। इससे उत्पादन निगम द्वारा अपने घर पर ही सब्जियों का बेहतर विक्रय मूल्य पाने में सक्षम हुए हैं। साथ ही, इस कार्यक्रम से पूरे राज्य में सब्जी विक्रेताओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए सब्जियों के कुल उत्पादन के साथ-साथ प्रमुख सब्जियों - आलू, प्याज, फूलगोभी और बैंगन - के क्षेत्रफल और उत्पादन के जिलावार आंकड़े तालिका प 2.7 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तालिका पर एक नजर डालने से पता चलता है कि इन सब्जियों का उत्पादन प्रायः सभी जिलों में फैला हुआ है हालांकि उत्पादन का संकेंद्रण कुछ ही जिलों में है। पटना और नालंदा जिलों के अलावा, जहां सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, 2011-12 में उत्पादन में उच्च हिस्से वाले अन्य जिले वैशाली (5.4 प्रतिशत), मुजफ्फरपुर (5.0 प्रतिशत), समस्तीपुर (4.0 प्रतिशत), पश्चिम चंपारण (4.2 प्रतिशत) और कटिहार (3.2 प्रतिशत) हैं।

फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन

कृषि-जलवायु स्थितियों की भिन्नता उनके अनुरूप अलग-अलग फसलों में रूपांतरित हो जाती है। बिहार में खाद्यान्नों और सब्जियों के अलावा, कृषि उत्पादन का तीसरा प्रमुख घटक फल हैं। फल सामान्यतः नगदी फसल हैं इसलिए किसानों को उनसे अधिक वित्तीय लाभ होता है। आम, अमरुद, लीची और केला बिहार की प्रमुख फलदार फसलें हैं। बिहार की लीची और आम की पहुंच उत्तर और पूर्वी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में है। 'मुजफ्फरपुर की लीची' तो पूरे देश में गौरवपूर्ण ब्रांड बन गई है। लीची के मौसम में मुंबई के जूस पैक करने वाले मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में अपना कृषि प्रसंस्करण का काम करते देखे जाते हैं। हाजीपुर का चिनिया केला अपने खास स्वाद के लिए विख्यात है।

वर्ष 2011-12 में फलदार फसलों के तहत कुल क्षेत्रफल 2.97 लाख हे. था जो निवल कृष्य क्षेत्र का 5.34 प्रतिशत है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक महत्वपूर्ण फलदार फसलों के उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन की जानकारी तालिका 2.8 में प्रस्तुत है। तालिका से स्पष्ट है कि इन वर्षों में क्षेत्रफल और उत्पादन, दोनों में बढ़त का रुझान है। जहां क्षेत्रफल 2007-08 के 2.36 लाख हे. से बढ़कर 2011-12 में 2.98 लाख हे. हो गया, वहीं उत्पादन 4.40 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए 32.52 लाख टन से बढ़कर 39.33 लाख टन पहुंच गया। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के बीच 25 हजार हे. से अधिक क्षेत्रफल वाले प्रमुख फलों के उत्पादन के मामले में सर्वाधिक 7.33 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर आम की थी और उसके बाद 4.23 प्रतिशत केले की। वर्ष 2011-12 में प्रमुख फलों का उत्पादन स्तर इस प्रकार था - आम 12.41 लाख टन, अमरुद 2.45 लाख टन, लीची 2.36 लाख टन और केला 15.80 लाख टन। विभिन्न फलदार फसलों के उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता में भी वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 2.8 : बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 से 2011-12)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन ह. टन में)

वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	आम	अमरुद	लीची	नींबू	केला
2007-08	क्षेत्रफल	142.20	28.70	29.80	17.60	30.50
	उत्पादन	870.40	255.70	223.20	125.80	1329.40
2008-09	क्षेत्रफल	144.00	29.20	30.40	18.00	31.50
	उत्पादन	1339.20	262.80	228.00	135.00	1417.50
2009-10	क्षेत्रफल	146.03	29.23	30.60	17.85	31.46
	उत्पादन	995.94	231.48	215.13	131.22	1435.34
2010-11	क्षेत्रफल	147.01	29.43	31.06	17.95	31.89
	उत्पादन	1334.87	235.15	226.98	130.70	1517.11
2011-12	क्षेत्रफल	147.51	29.51	31.10	180.10	321.09
	उत्पादन	1241.80	245.18	236.43	133.88	1580.48
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	7.33	-1.93	1.11	0.92	4.23

वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	अन्नानास	पपीता	आंवला	अन्य	योग
2007-08	क्षेत्रफल	4.60	1.30	1.30	30.30	286.24
	उत्पादन	126.80	30.40	12.10	278.70	3252.38
2008-09	क्षेत्रफल	4.80	1.50	1.40	30.70	290.71
	उत्पादन	132.00	37.50	13.30	288.60	3722.82
2009-10	क्षेत्रफल	4.74	1.49	1.46	30.72	293.58
	उत्पादन	124.96	35.59	13.57	281.69	3464.92
2010-11	क्षेत्रफल	4.88	1.60	1.56	31.04	296.42
	उत्पादन	129.38	38.23	14.22	285.12	3911.76
2011-12	क्षेत्रफल	4.94	1.71	1.70	32.66	297.98
	उत्पादन	131.94	41.28	16.01	319.23	3932.71
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	0.60	6.52	6.47	2.63	4.40

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 2.8 (परिशिष्ट) में 2010-11 और 2011-12 के लिए फलदार फसलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन प्रस्तुत है। आंकड़ों से जिलों के बीच क्षेत्रफल और उत्पादन, दोनों मामलों में भारी अंतर का पता चलता है। तालिका में विभिन्न जिलों के उत्पादन के आंकड के साथ उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रतिशत हिस्सा भी दर्शाया गया है। वर्ष 2011-12 के आम के उत्पादन के आंकड़ां से पता चलता है कि कुल उत्पादन में हिस्से के लिहाज से आम के सघन उत्पादन वाले जिले दरभंगा (9.1 प्रतिशत), समस्तीपुर (7.6 प्रतिशत), पूर्व चंपारण (5.6 प्रतिशत), वैशाली (6.0 प्रतिशत) और मुजफ्फरपुर (6.9 प्रतिशत) हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पुराना तिरहुत प्रमंडल आम के उत्पादन के लिहाज से खास तौर पर उपयुक्त है।

वर्ष 2011-12 में अमरुद के उत्पादन में जिलावार हिस्से के विश्लेषण से पता चलता है कि रोहतास (10.4 प्रतिशत), भोजपुर (6.6 प्रतिशत), पश्चिम चंपारण (5.7 प्रतिशत), पूर्व चंपारण (5.7 प्रतिशत), नालंदा (4.9 प्रतिशत), बक्सर (5.1 प्रतिशत), मुजफ्फरपुर (4.9 प्रतिशत) और कटिहार (4.5 प्रतिशत) अमरुद के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। दूसरे शब्दों में 2011-12 में अमरुद का उत्पादन मुख्यतः राज्य के दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम अंचलों में संकेंद्रित रहा है।

वर्ष 2011-12 में लीची के कुल उत्पादन में विभिन्न जिलों के हिस्से पर विचार करने पर पता चलता है कि 24.3 प्रतिशत हिस्से के साथ मुजफ्फरपुर सबसे आगे है। अन्य प्रमुख लीची उत्पादक जिले वैशाली (11.6 प्रतिशत), सीतामढ़ी (7.1 प्रतिशत), पश्चिम चंपारण (6.9 प्रतिशत), पूर्व चंपारण (6.2 प्रतिशत), और कटिहार (4.9 प्रतिशत) हैं। इस प्रकार पुराना मुजफ्फरपुर जिला और तिरहुत प्रमंडल लीची के उत्पादन पर छाया हुआ है। वर्ष 2011-12 में केले के उत्पादन के मामले में 15.6 प्रतिशत उत्पादन के साथ मुजफ्फरपुर और 10.8 प्रतिशत उत्पादन के साथ वैशाली प्रमुख उत्पादक ठहरते हैं। अन्य मुख्य उत्पादक समस्तीपुर (6.9 प्रतिशत) और दरभंगा (5.4 प्रतिशत) हैं।

फूलों की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2011-12 में फूलों की खेती का कुल क्षेत्रफल 901.0 हे. था जो राज्य के सकल कृष्य क्षेत्र का लगभग 0.2 प्रतिशत है। 2007-08 से 2011-12 तक के फूलों की खेती के तहत क्षेत्रफल और उत्पादन के जिलावार आंकड़े तालिका 2.9 में प्रस्तुत हैं। तालिका से स्पष्ट ह कि फूलों के उत्पादन में बढ़त का रुझान है। इसका उत्पादन 16.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए 2007-08 के 4,566.67 टन से बढ़कर 2011-12 में 8,814.75 टन हो गया। वर्ष 2011-12 में विभिन्न फूलों का उत्पादन स्तर इस प्रकार था - गुलाब (95.14 टन), गेंदा (6,566 टन), बेला (348.32 टन) और ट्यूबरोज (595.45 टन)।

तालिका 2.9 : बिहार में फूलों की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 से 2011-12)

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	गुलाब	गेंदा	बेला	ट्यूबरोज	अन्य	योग
2007-08	क्षेत्रफल	47.05	198.00	42.80	32.70	120.70	441.25
	उत्पादन	53.04	3569.00	120.16	160.13	804.58	4566.67
2008-09	क्षेत्रफल	53.15	243.65	76.80	72.65	146.50	592.75
	उत्पादन	66.54	4429.59	270.37	364.75	982.50	5949.81
2009-10	क्षेत्रफल	63.55	269.85	91.60	87.45	113.90	691.25
	उत्पादन	80.86	4877.97	268.39	435.05	966.91	6629.17
2010-11	क्षेत्रफल	68.05	283.15	105.15	105.25	126.05	768.20
	उत्पादन	86.52	5119.66	307.46	522.94	1068.23	7104.81
2011-12	क्षेत्रफल	72.90	359.95	113.50	116.65	138.85	901.00
	उत्पादन	95.14	6565.80	348.32	595.45	1210.04	8814.75
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	15.39	14.61	25.32	34.81	9.40	16.10

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

राज्य में फूलों की व्यावसायिक खेती बढ़ती स्थानीय और बाहरी मांग के मद्देनजर की जा रही है। फूलों की महत्वपूर्ण फसलें गुलाब, गेंदा, बेला और ग़लदाउदी (ट्यूबरोज) हैं। तालिका प 2.9 (परिशिष्ट) में 2010-11 और 2011-12 के दौरान फूलों की खेती के तहत क्षेत्रफल और उत्पादन के जिलावार आंकड़े प्रस्तुत हैं। हर फूल के कुल उत्पादन और क्षेत्रफल में जिलों का हिस्सा भी जिलों के कुल क्षेत्रफल/ उत्पादन के आंकड़ों के साथ कोष्ठकों में दर्शाया गया है। जिलों के प्रतिशत हिस्से से फूलों के उत्पादन के लिहाज से जिलों के महत्व का पता चलता है। वर्ष 2011-12 में विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन पर विचार करने पर दिखता है कि पटना, जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली राज्य के प्रमुख फूल उत्पादक जिले हैं।

2.4 सिंचाई

कृषि लागत संबंधी एक सर्वाधिक प्रमुख आवश्यकता कृषिकार्यों के लिए जल की समय से उपलब्धता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल संसाधनों का आदर्श उपयोग फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की कुंजी है। जब सिंचाई सुनिश्चित की जाएगी, तभी कृषि उत्पादन बढ़ाने की नई और आधुनिक तकनीकें भी सफल हो सकती हैं। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। वर्ष 2001-02 से 2008-09 के बीच बिहार में खरीफ फसलों के सिंचित क्षेत्र मं वृद्धि हुई है जो 2001-02 के 12.61 लाख हे. से बढ़कर 2008-09 में 12. 75 लाख हे. हो गया। वर्ष 2011-12 तक यह और भी बढ़कर 13.91 लाख हे. हो गया। उस वर्ष रबी फसलों के लिए 3.42 लाख हे. में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई जबकि मांग 3.93 लाख हे. के लिए थी।

वर्ष 2000-01 से 2008-09 के बीच बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 44.6 लाख हे. से बढ़कर 49.20 लाख हे. हो गया है। 8 वर्षों में कुल सिंचित क्षेत्र में यह लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2011-12 में कुल सिंचित क्षेत्र 47.94 लाख हे. था। अत: पंपसेटों के जरिए सघन उपयोग के लिए भूजल संसाधनों के दोहन की भारी संभावना मौजूद है। चूंकि राज्य में बिजली की कमी की चिरकालीन समस्या मौजूद है इसलिए सिंचाई वाले पंपसेट मुख्यत: डीजल पर निर्भर करते हैं जिससे सिंचाई खर्च बहुत बढ़ जाता है।

जोर वाले निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा राज्य में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान काम किया गया था :

(क) राज्य सरकार सिंचाई तकनीकों के नए मिश्रित स्वरूप को सामने लाने का प्रयास कर रही है जिसमें पंपसेट तथा सामान्य और अन्य अतिलघु सिंचाई स्रोत शामिल हैं।

(ख) राज्य में भूजल संसाधनों का बहुत कम उपयोग हुआ है। सिंचाई के प्रयोजन से भूजल के मामले में उपलब्ध भारी संभावना के दोहन के लिए बिहार भूजल सिंचाई योजना (बिगविस) नामक एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।

(ग) जलछाजन (वाटर-शेड) विकास कार्यक्रम के तहत जल संचय तालाबों तथा भूजल के उपयोग के लिए भूजल पुनरुपयोग के अन्य साधनों में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का समस्तीपुर और नालंदा जिलों में मार्गदर्शी आधार पर शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम मं सब्सिडी का भुगतान खास तरीके से किया जाता है जिसमें कृषि विभाग का क्षेत्रस्थ कर्मचारी-अधिकारी नलकूपों का गड़ना सुनिश्चित करते हैं और काम समाप्त होने पर सब्सिडी का भुगतान तत्काल उसी गांव में कर दिया जाता है। योजना से बैंक द्वारा वित्तपोषण का झंझट हटा दिया गया है जिसके कारण इस योजना को भारी सफलता मिल रही है।

(च) कृषि-वानिकी योजनाओं के तहत राज्य के 8 जिलों में 5 लाख पौधे लगाने की योजना है जिससे जल के उपयोग की क्षमता का विकास भी संभावित है।

(छ) आइसोपाम के तहत आधुनिक सिंचाई विधियों के तहत स्प्रिंकलर सेट और उन्नत पाइपों के वितरण के लिहाज से दलहनों, तिलहनों और मक्का फसलों का चुना गया है।

(ज) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान सिंचाई क्षेत्र हेतु परिव्यय 3,273.18 करोड़ रु. ही था। लेकिन ग्यारहवीं योजना के दौरान इसमें भारी वृद्धि हुइ है और कुल परिव्यय 8,594.81 करोड़ रु. हो गया है।

2.5 कृषि लागत सामग्रियां

कृषिकार्य के लिए सिंचाई और गुणवत्तापूर्ण कृषिभूमि के अलावा प्रचुर तथा गुणवत्तापूर्ण लागत सामग्रियों (इनपुट) की जरूरत होती है जिनमें बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र और अत्यंत पेशेवर प्रसार (एक्सटेंशन) सेवाएं शामिल हैं। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कृषि में इन सारी लागत सामग्रियों को फसल पंचाग के अनुरूप समय पर उपलब्ध कराने की जरूरत पड़ती है।

बीज

किसी भी कृषिकार्य के लिए एक प्रमुख जरूरत गुणवत्तापूर्ण बीज है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अधिक उपजाऊ प्रजातियों के बीज (एचवाईवी) और बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) कृषि की उत्पादकता की महत्वपूर्ण निर्धारक होती हैं। प्रमाणित बीज आपूर्तिकर्ता कंपनियों की अपर्याप्तता के चलते बीज प्रतिस्थापन दरं बिहार में प्राय: निम्न रहती हैं। बिहार के प्रथम रोडमैप में प्रमाणित बीजों की सुस्थिरता पर काफी जोर दिया गया था।

गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिहाज से वर्तमान सरकार द्वारा ली गई प्रमुख पहलकदमियां हैं - मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना, बीज ग्राम योजना, प्रमाणित बीजों के उत्पादन और उपयोग पर उपदान (सब्सिडी) का प्रावधान, मृतप्राय पड़े बिहार राज्य बीज निगम का पुनरुद्धार, बिहार बीज प्रमाणन अभिकरण का सुदृढ़ीकरण तथा राज्य के फार्मों द्वारा बीजों के बहुगुणन। इन सबसे बिहार में हाल के वर्षों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में काफी मदद मिली है। हाल में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम नामक नई योजना ने संकर धान की खेती में किसानों की काफी मदद की है। हाल के वर्षों में धान, गेहूं और मक्का जैसी महत्वपूर्ण फसलों के मामले में बीज प्रतिस्थापन दरें में काफी बढ़ी हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीज प्रतिस्थापन दरें स्वपरागित फसलों के लिए अनुशंसित 33 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। तालिका 2.10 से पता चलता है कि 2011-12 में सभी महत्वपूर्ण फसलों के मामले में बीज प्रतिस्थापन दरं 33 प्रतिशत से बढ़ गई हैं। राज्य द्वारा किए गए प्रयासों के कारण खरीफ और रबी, दोनों मौसम की फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापन दरों में क्रमिक वृद्धि हुई है।

तालिका 2.10 : बिहार में महत्वपूर्ण फसलों के प्रमाणित बीजों की जरूरत और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें (2009-10 से 2011-12)

(आवश्यकता और आपूर्ति हजार क्विंटल में/ बीज प्रतिस्थापन दर प्रतिशत में)

फसल	2009-10			2010-11			2011-12		
	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रतिस्थापन दर	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रतिस्थापन दर	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रतिस्थापन दर
खरीफ फसल									
धान	436.6	373.0	26.4	423.1	232.7	31.0	493.6	349.1	38.0
मक्का	45.0	44.0	58.0	49.1	33.0	65.0	49.1	41.7	82.0
अरहर	2.1	1.1	9.0	2.2	1.9	13.0	3.0	0.9	11.2
ऊड़द	0.9	0.7	11.0	1.1	1.2	18.5	1.5	0.3	22.1
मूंग	0.5	0.3	12.0	0.5	0.7	19.5	0.7	0.1	20.2
रबी फसल									
गेहूं	600.0	580.7	25.3	630.0	672.5	29.2	840.0	783.2	34.8
मक्का	99.0	87.2	68.0	90.0	92.6	92.0	60.0	61.9	100.0
चना	13.8	8.0	10.0	14.9	9.6	13.6	20.8	11.4	15.8
मसूर	9.6	6.5	10.0	11.8	3.8	14.5	16.5	9.0	15.0
राई/ सरसों	2.7	3.5	54.0	3.5	2.4	54.5	3.7	2.9	47.4

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका में देखा जा सकता है कि खरीफ फसलों में धान के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 2009-10 के 26.0 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 38.0 प्रतिशत हो गई है। इस अवधि में मक्का की बीज प्रतिस्थापन दर नाटकीय ढंग से बढ़कर 58.0 प्रतिशत से 82.0 प्रतिशत हो गई। ऊड़द और मूंग के मामले में भी बीज प्रतिस्थपन दर में वृद्धि देखी जा सकती है लेकिन अरहर के मामले में थोड़ी गिरावट आई है। रबी फसलों में गेहूं के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 2009-10 में 25.3 प्रतिशत थी जो 2011-12 में 34.8 प्रतिशत हो गई। रबी मक्का के मामले में 2011-12 में बीज प्रतिस्थापन दर शत-प्रतिशत है जो एक रिकॉर्ड है। रबी फसलों में मामले में बीज प्रतिस्थापन दरों में क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है। स्थानीय और पुरानी प्रजाति के बीजों की जगह नए विकसित बीजों क उपयोग का राज्य में फसलों की उत्पादकता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

उर्वरक

भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के समय से ही उर्वरकों ने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बिहार में उत्पादकता में प्रचुर वृद्धि में बीजों के उपयोग के साथ-साथ (जल प्रबंधन तकनीकों के साथ) उचित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल के वर्षों में राज्य में उर्वरकों का उपयोग लगातार बढ़ता रहा है (तालिका 2.11)। बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 2009-10 में 39.08 लाख

टन थी जो तीन वर्षों की अवधि में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2010-11 में 41.34 लाख टन पर पहुंच गई। इसमें बढ़त का रुझान इस बात पर बल दे रहा है कि किसान नई प्रौद्योगिकी अपनाना चाह रहे हैं।

तालिका 2.11 : बिहार में उर्वरकों की खपत (2009-10 से 2011-12)

(हजार टन)

उर्वरक का प्रकार	2009-10			2010-11			2011-12		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबो	योग	खरीफ	रबी	योग
यूरिया	759.10	942.00	1701.10	664.40	1026.80	1691.21	798.56	1012.94	1811.50
डाइ अमोनियम फास्फेट	152.96	244.11	397.07	225.76	233.60	459.37	176.80	264.39	441.19
सिंगल सुपर फास्फेट	3.82	3.71	7.53	20.35	2.79	23.14	19.88	18.60	38.48
म्यूरिएट ऑफ पोटाश	56.74	169.35	226.09	55.98	141.40	197.38	15.23	110.17	125.40
मिश्रित	105.70	161.59	267.29	130.08	182.09	312.17	152.91	203.15	356.06
कुल (एनपीके)	537.05	772.88	1309.93	553.24	799.11	1352.35	567.08	794.87	1361.95
नाइट्रोजन	391.92	502.53	894.45	366.23	541.67	907.91	423.76	545.41	969.17
फासफोरस	96.41	151.19	247.60	138.26	150.67	288.93	118.99	167.20	286.19
पोटाश	48.72	119.16	167.88	48.75	106.77	155.51	24.33	82.26	106.59
कुल योग	1614.45	2293.64	3908.09	1649.81	2385.79	4035.60	1730.46	2404.12	1434.58
उर्वरक की खपत (किग्रा प्रति हे. में)	180.8	181.3	181.1	177.79	187.45	183.38	138.45	175.47	157.89

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.11 में गत दो वर्षों के दौरान उर्वरकों के अधिक संतुलित उपयोग का रुझान भी देखा जा सकता है। गत पांच वर्षों के दौरान नाइटोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का अनुपात 11:2:1 (2007-08), 6:2:1 (2008-09), 5:1:1 (2009-10), 7:2:1 (2010-11) और 7:2:1 (2011-12) रहा है। इससे किसानों द्वारा उर्वरकों का उपयोग युक्तिसंगत बनाने का प्रयास दिखता है ताकि नाइटोजन उवरकों के अधिक उपयोग के प्रति पूर्वाग्रह घटे। इस वांछित विकास का आंशिक कारण किसानों के लिए मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता और प्रसार अधिकारियों द्वारा आयोजित सघन संपर्क कार्यक्रम हैं।

तालिका 2.11 में यह भी दिखता है कि उर्वरकों में यूरिया का सर्वोच्च स्थान है और पूरी खपत में इसका 50 प्रतिशत हिस्सा है। यह भी गौरतलब है कि खरीफ मौसम बिहार की अधिकांश महत्वपूर्ण फसलों के लिए प्रधान मौसम है, लेकिन रबी फसलों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। वर्ष 2010-11 में किसानों ने रबी फसलों के लिए प्रति हे. 187.4 किग्रा उर्वरकों का उपयोग किया जबकि खरीफ फसलों के लिए

177.8 किग्रा का ही। इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 में खरीफ फसलों के लिए इनके उपयोग का स्तर 138.45 किग्रा प्रति हे. था जबकि रबी फसलों के लिए 175.47 किग्रा प्रति हे.।

नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरकों के अलावा, राज्य सरकार बड़े पैमाने पर जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने का सचेत प्रयास कर रही है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध सब्सिडी के अलावा, राज्य सरकार भी अपने संसाधनों से सूक्ष्मपोषक तत्वों के उपयोग पर अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। अभी राज्य सरकार हरी खाद के पौधे ढैंचा के बीजों के बड़े पैमाने पर वितरण के जरिए उसकी खेती को प्रायोजित कर रही है। किसानों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और फसल उत्पादन हेतु मिट्टी की उर्वराशक्ति कायम रखने पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

प्रसार सेवाएं

प्रसार सेवाएं इस लिहाज से महत्वपूर्ण हैं कि वे बीज प्रबंधन, मिट्टी की श्रेणी के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों के उचित उपयोग, नया फसल पैटर्न अपनाने और उच्च उत्पादकता वाले बीजों के नए ढंग से उपयोग के लिए क्षेत्र स्तर पर उत्प्रेरक का काम करती हैं। प्रसार सेवा के कर्मियों ने कृषि संस्थानों के ज्ञान को किसानों के पास पहुंचाने के लिए काफी पहल की है ताकि किसान उन जानकारियों का आदर्श उपयोग कर सकें। प्रखंड स्तर के नीचे विषयवस्तु विशेषज्ञ (सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट) और पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार की सेवा का प्रावधान किए जाने से हाल के वर्षों में बिहार में अब तक निष्क्रिय रही प्रसार सेवाओं की पहुंच में जबर्दस्त वृद्धि हुई है।

किसान पाठशालाओं के जरिए किसानों की जानकारी के आधुनिकीकरण हेतु सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम ने आवेग प्राप्त कर लिया है। मृदा परीक्षण, वर्मी कंपोस्ट, और धान की खेती के लिए नई 'श्री' तकनीक संबंधी प्रामाणिक जानकारी के लिए किसान नई पाठशालाओं में उमड़ रहे हैं। किसान विकास शिविरों की श्रृंखला का आयोजन जानकारी देने के लिए ही नहीं, किसानों और विशेषज्ञों के बीच सतत संवाद के प्लेटफार्म के बतौर काम करने के लिए भी किया जा रहा है। पूरे राज्य में इन शिविरों का आयोजन पंचायत के स्तर पर किया जा रहा है। फसल का मौसम शुरू होने के पहले प्रखंड स्तर पर खरीफ और रबी महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में गेहूं की श्री विधि को बढ़ावा देने के लिए 16 जिलों का चयन किया गया जहां 500 रु. प्रति एकड़ सहायता के जरिए जीरो टिलेज मशीनों और कीटनाशकों के उपयोग हेतु निदर्शन (डिमांस्ट्रेशन) की व्यवस्था की गई। इससे बड़ी संख्या में किसान और लोक प्रतिनिधि कृषि विकास योजनाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं, खास कर श्री विधि और ढेंचा खाद की खेती के प्रति। इन शिविरों में सभी लागत सामग्रियों और सब्सिडी के वितरण का प्रावधान रहता है। किसान अपनी पसंद के बीज, जैव उर्वरक, या कृषि उपकरण जैसी लागत सामग्रियां खरीद सकते हैं। वर्ष 2011 के खरीफ मौसम में कृषि की तेज रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलकदमियां ली गईं। हरी खाद की फसल ढैंचा की खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया। किसानों को ढैंचा का बीज मुफ्त उपलब्ध कराया गया जिसकी फसल 9.25 लाख एकड़ जमीन पर लगाई गई। इससे राज्य में मिट्टी की उर्वरता पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ेगा और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी। गेहूं की श्री विधि को बढ़ावा देने के लिए 2011-12 के रबी मौसम में 2.40 लाख हे. जमीन चुनी गई जिसमें से 1.73 लाख हे. जमीन पर 1,600 रु.

प्रति हे. सहायता के साथ निदशन किया गया। वर्ष 2011 के खरीफ मौसम में धान की श्री विधि और धान के संकर बीजों का उपयोग 10.13 लाख हे. में किया गया। इन हस्तक्षेपों की परिणति राज्य में चावल के रिकॉर्ड उत्पादन में हुई है। धान की उत्पादकता 22.4 टन प्रति हे. तक पहुंच गई।

प्रसार सेवाओं मं राज्य सरकार द्वारा ली गई एक महत्वपूर्ण पहलकदमी पंचायत या गांव स्तर पर मिनी-किट निदर्शन की व्यवस्था है। इस निदर्शनों में खरीफ, रबी तथा गरमा मौसम में उगाई जाने वाली अनेक फसलों को शामिल किया गया है। इन योजनाओं की प्रगति तालिका 2.12 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.12 : बिहार में मिनिकिट निदर्शन (2007-08 से 2011-12)

मौसम/ फसल	निदर्शनों की संख्या				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
खरीफ मौसम					
धान (20 किग्रा)	9118	-	2690	-	-
धान (अधिक उपजाऊ प्रभेद) (10 किग्रा)	-	-	503	-	-
धान (5 किग्रा)	-	35880	30203	18516	36,188
धान (अधिक उपजाऊ प्रभेद) (6 किग्रा)	-	-	8014	3346	5500
धान (अधिक उपजाऊ प्रभेद) (2 किग्रा)	-	-	-	-	-
मक्का (2 किग्रा)	7000	10000	-	-	15,000
अरहर (4 किग्रा)	2750	5000	-	-	-
ऊड़द (4 किग्रा)	7500	30000	-	-	-
मूंग (4 किग्रा)	5450	2225	-	-	-
अंडी (2 किग्रा)	-	2500	-	-	-
तिल (1 किग्रा)	500	2500	-	-	-
रबी मौसम					
गेहूं (40 किग्रा)	-	-	5634	4796	-
गेहूं (10 किग्रा)	-	431200	69689	-	14504
गेहूं (5 किग्रा)	151500	-			-
मक्का (2 किग्रा)	-	260000		15000	7000
चना (8 किग्रा) आइसोपॉम	81900	10000	1950		-
मसूर (4 किग्रा)	18100	18375			-
मटर (8 किग्रा)	3767	10000			-
राई/ तोरी (2 किग्रा) आइसोपॉम	182289	65000	1340	215000	47100
राजमा (8 किग्रा)	-	-			-
राजमा (3 किग्रा)	500	-			-
गरमा मौसम					
मक्का (2 किग्रा) आइसोपॉम	500	20000	2969	-	-
ऊड़द (4 किग्रा)	7000	23000	-	25,000	-
मूंग (4 किग्रा)	13275	37525	-	16875	-
तिल (1 किग्रा)	1000	1500	-		-
कुसुम (2 किग्रा)	1000	-	-		-

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

खरीफ के लिए मिनी किट कार्यक्रम मुख्यतः धान, मक्का, अरहर, ऊड़द, मूंग और अंडी की फसलों के लिए है। निदर्शनों की संख्या में इन वर्षों के दौरान वृद्धि दिखी है। जैसे, धान के मामले में 2008-09 में 35,880 निदर्शन हुए थे जो 2011-12 में बढ़कर 36,188 हो गए। मक्का के मामले में भी निदर्शनों की संख्या 2007-08 के 7,000 से बढ़कर 2011-12 में 15,000 तक पहुंच गई।

रबी फसलों के लिए निदर्शन गेहूं, मक्का, चना, मसूर, मटर, राई/ तोरी और राजमा के लिए किए जाते हैं। गेहूं के मामले में निदर्शनों की संख्या 2008-09 में सर्वाधिक थी जब 4,31,200 निदर्शन किए गए थे। हालांकि मिनी-किट की अनुपलब्धता के कारण 2011-12 में 14,504 निदर्शन ही किए गए। गरमा मौसम की पांच फसलें निदर्शन में शामिल होती हैं - मक्का, ऊड़द, मूंग, तिल और कुसुम। इन फसलों के लिए भी निदर्शनों की संख्या में वृद्धि दिखी है।

कृषि यंत्रीकरण

कृषि की उत्पादकता कृषिकार्यों में श्रम के कुशल उपयोग तथा पूंजी की सघनता से भी प्रभावित होती है। पारिवारिक श्रम में बहुत कमी किए बिना किया गया आदर्श स्तर का यंत्रीकरण कृषिकार्यां को समय से संपन्न करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे यंत्रीकरण से कृषिकार्यों के साथ जुड़ी कठिनाइयों और कठोर श्रम को कम करने में भी मदद मिलती है।

वर्तमान सरकार के कृषि रोडमैप के तहत कृषि यंत्रीकरण एक प्रमुख पक्ष और मुख्य जोर वाला कार्यक्रम है। पावर टिलर, ट्रैक्टर, स्प्रेयर यंत्र, ओसौनी की मशीनों, पावर वीडर और पावर थ्रसर के लिए राज्य सरकार किसानों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वीकार्य सब्सिडी के अलावा भी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। दस वर्ष पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ये यंत्र मुश्किल से दिखते थे लेकिन मुख्यतः सब्सिडी की उपलब्धता के कारण आज ये ग्रामीण परिवारों के अंग बन गए हैं। किसानों के लिए सब्सिडी के प्रावधान के जरिए राज्य सरकार द्वारा पंपसेट खरीदने में मदद देने का भी प्रयास किया जा रहा है। तालिका 2.13 में 2008-09 से 2011-12 के बीच राज्य में सब्सिडी के जरिए कृषि यंत्रोकरण में हुई प्रगति की तस्वीर पेश की गई है। देखा जा सकता है कि किसानों को 2008-09 में मात्र 4,678 पावरटिलर उपलब्ध कराए गए थे जबकि 2011-12 में यह आंकड़ा 7,567 तक पहुंच गया है। पंपसेट का उपयोग भी बढ़ा है। वर्ष 2011-12 में किसानों ने 28,615 पंप-सेट हासिल किए जबकि 2008-09 में इनकी संख्या मात्र 11,288 थी। व्यापक प्रसार गतिविधियों के कारण जीरो टिलेज मशीनों की संख्या में तेज उछाल आया है जिनकी संख्या 2008-09 के महज 126 से बढ़कर 2011-12 में 3,787 पहुंच गई है। कंबाइन हार्वेस्टर की संख्या भी बढ़ी है लेकिन उसकी गति धीमी है।

तालिका 2.13 : सब्सिडी पर वितरित कृषि यंत्रों की संख्या

कृषि यंत्र	वितरित यंत्रों की संख्या			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ट्रैक्टर	3543	3672	2744	3848
कंबाइन हार्वेस्टर	55	42	65	109
जीरो टिलेज	126	860	301	3787
पंप-सेट	11288	37293	30340	28615
पावरटिलर	4678	4635	5330	7567
पादप रक्षक उपकरण	29245	48893	55860	49438
थ्रसर	8323	5723	4316	4857

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

प्राकृतिक खेती

पूरी दुनिया में वैज्ञानिक स्वास्थ्य और पर्यावरण, दोनों के आधार पर प्राकृतिक कृषि में रुचि ले रहे हैं। इस मामले में बिहार भी पीछे नहीं है। भावी पीढ़ियों के लिए मिट्टी की प्राकृतिक उर्वराशक्ति को कायम रखने के लिए राज्य सरकार ने 255 करोड़ रु. व्यय वाली प्राकृतिक कृषि की पंचवर्षीय परियोजना के जरिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। वर्मी-कंपोस्ट उत्पादन को मांग आधारित बना दिया गया है जिसमें वर्मी-कंपोस्ट इकाई के निर्माण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी है। पहले न्यूनतम 3,000 टन वार्षिक उत्पादन वाली व्यावसायिक इकाइयों को सब्सिडी दी जा रही थी। अब न्यूनतम 1,000 टन उत्पादन वाली इकाइयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। वर्मी-कंपोस्ट की खरीद पर सब्सिडी की स्वीकृति राज्य में पहली बार दी गई है। जिलों में बांस आधारित वर्मी-कंपोस्ट बेड के निर्माण की योजनाएं प्रगति पर हैं। इसके लिए प्रति इकाई 60 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 3,000.00 रु. तक) उपलब्ध कराई जा रही है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए बैंक ऋण का वांछित प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है। वर्मी-कंपोस्ट को प्रोत्साहन के अलावा राज्य सरकार के अन्य प्रयासों में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, फॉस्फेट घोलक बैक्टेरिया, नील हरित शैवाल और माइकोराइजा जैसे जैव उर्वरकों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देना शामिल है। बीज उत्पादकों को उपयुक्त जैव उर्वरकों के किट मुफ्त दिए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से पिछले रबी मौसम में 3 लाख से भी अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जून 2011 में पटना में 'अंतर्राष्टोय सजीव बिहार सम्मेलन' भी आयोजित किया था।

बागवानी विकास

बिहार देश में फलों और सब्जियों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। आगामी पांच वर्षों के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा फलों की एक करोड़ गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। कृषि-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर हर जिले के लिए एक-एक बागानी फसल की पहचान की गई है। हर जिले में ऐसे फसलों के लिए संकुल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। निकट भविष्य में संकुल उस जिले में कृषि आधारित उद्योग के

लिए लागत सामग्री प्रदाता का काम करेगा। टिस्सू कल्चर उत्पादित केले को काफी बढ़ावा दिया गया है। पपीता गांव, फूलगांव आदि की स्थापना का भी ढेर सारे किसानों की आय पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

कृषि रोड मैप

वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप का शुभारंभ करके बिहार ने कृषि के क्षेत्र में योजना निर्माण और क्रियान्वयन के संबंध में एक नवोन्मेषी दृष्टि का आरंभ किया था। कृषि रोड मैप (2008) के तहत 23 फसलों के लिए प्रमाणित बीजों की उपलब्धता पर बल दिया गया था। प्रमाणित बीजों का वितरण सब्सिडी के साथ किया गया था। वर्ष 2011-12 में कुछ फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरें 83 प्रतिशत तक थीं। जैव कृषि, कृषि यंत्रीकरण और कृषि की नई तकनीक 'श्री विधि' पर भी बल दिया गया था। विकास को नया आवेग प्रदान करने क लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। ऐसा देश में पहली बार किया गया और यह ऐतिहासिक महत्व की पहलकदमी है। कृषि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2012-17 के लिए रोड मैप तैयार करने के लिहाज से विशेषज्ञ समितियों का गठन किया था। रिपोर्ट के प्रारूप पर कृषि मंत्रिमंडल ने गहन विचार-विमर्श किया था और फरवरी 2012 में हुए किसान समागम में किसानों के सुझाव प्राप्त किए गए थे। देश के माननीय राष्टपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 3 अक्तूबर, 2012 को द्वितीय बिहार कृषि रोड मैप 2012-17 का शुभारंभ किया गया।

नए कृषि रोड मैप के छः-सूत्री ध्येय हैं : (1) खाद्य सुरक्षा, (2) पोषण सुरक्षा, (3) किसानों की आय में वृद्धि, (4) रोजगार सृजन और श्रमिकों के पलायन पर नियंत्रण, (5) कृषि विकास का समावेशी मानवीय आधार और महिलाओं की सघन भागीदारी तथा (6) प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका टिकाऊ उपयोग। इस रोड मैप की मुख्य रणनीति में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) किसानों को सही समय और कम कीमत पर उच्चस्तरीय कृषि लागत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(ii) कृषिकार्य को अधिक किफायती बनाना और आधुनिक कृषि यंत्रों तथा कृषि पबंधन तकनीकों के उपयोग के जरिए किसानों के लिए अधिक आय सुनिश्चित करना।

(iii) मिट्टी, पानी, फसल और कृषि के अन्य घटकों के आदर्श संयोजन के उपयोग के जरिए जलवायु परिवर्तन की स्थिति में भी टिकाऊ खेती सुनिश्चित करना।

(iv) कृषि विषयक ज्ञान को कौशल में बदलते हुए ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म, दोनों प्रकार के कृषि आधारित उद्यम विकसित करना।

(v) टाल, दियारा और विशेष भौगोलिक स्थिति वाले अन्य क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

(vi) शिक्षित युवा वर्ग को कृषि की ओर आकर्षित करने और उनके योगदान के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए कृषि को प्रतिष्ठित पेशे के बतौर स्थापित करना।

2.6 कृषि ऋण

कृषिकार्य बीज, पानी, उर्वरक और कृषि उपकरण जैसी भौतिक लागत सामग्रियों के साथ-साथ पर्याप्त ऋण सहायता के बिना भी नहीं चल सकते हैं। ऋण सहायता सहायता इसलिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि आधुनिक लागत सामग्रियां सही समय पर बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। हालांकि दुर्भाग्यवश, कृषि ऋण से संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि वांछित सहायता बिहार में निहायत अपर्याप्त है। कृषि ऋण संबंधी बैंकवार विवरण तालिका 2.14 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 2.14 : कृषि ऋण प्रवाह (2007-08 से 2011-12)

(करोड़ रु.)

वर्ष	व्यावसायिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		केंद्रीय सहकारी बैंक		योग	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2007-08	3004	2447 (81.5)	1256	952 (75.8)	620	356 (57.4)	4880	3755 (76.9)
2008-09	4355	3943 (90.5)	1822	1438 (78.9)	899	317 (35.3)	7076	5697 (80.5)
2009-10	5425	4960 (91.4)	2220	1851 (83.4)	1082	353(32.6)	8727	7163 (82.1)
2010-11	9111	7058 (77.5)	5228	3188 (61.0)	1529	422 (27.6)	15868	10667 (67.2)
2011-12	12241	9689 (79.2)	7013	4882 (69.6)	1848	387 (20.9)	21102	14958 (70.9)

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति, बिहार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उपलब्धि का प्रतिशत बतलाते हैं।

इस तालिका में 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि को शामिल किया गया है। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के तीन स्रोत हैं - व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक। वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक कुल ऋण की उपलब्धता वार्षिक लक्ष्य के 80 प्रतिशत के आसपास रही है। लेकिन उपलब्धि का स्तर 2010-11 में घटकर 67.2 प्रतिशत और 2011-12 में 70.9 प्रतिशत पर आ गया। हालांकि कृषिकार्यों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने के लिहाज से कृषि के लिए कुल ऋण प्रवाह बढ़ा है। वर्ष 2007-08 में प्रवाह मात्र 3,775 करोड़ रु. था जो लगभग चारगुना बढ़कर 2011-12 में 14,958 करोड़ रु. हो गया है। लेकिन मूल्यवृद्धि और बिहार में कृषि क्षेत्र से ऋण की बढ़ती मांग को ध्यान में रखने पर कृषि क्षेत्र हेतु ऋण की आपूर्ति अभी भी अपर्याप्त है। वर्ष 2011-12 में तीन प्रमुख ऋण स्रोतों का हिस्सा इस प्रकार पाया गया - व्यावसायिक बैंक 65 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 27 प्रतिशत तथा केंद्रीय सहकारी बैंक 8 प्रतिशत। दूसरे शब्दों में, राज्य में कृषि ऋण के प्रमुख स्रोत अभी भी व्यावसायिक बैंक ही हैं। चूंकि व्यावसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि क्षेत्र में अग्रिम देने के प्रति अनिच्छुक हैं क्योंकि वे अग्रिमों के लिए सहवर्ती (कॉलेटरल) प्रतिभूति मांगते हैं इसलिए आदर्श स्थिति यही होगी कि सहकारी बैंक कृषि क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाएं। लेकिन उनकी उपस्थिति 9 जिलों तक ही सीमित हैं।

कृषि ऋणों के लक्ष्यों और उपलब्धियों की जिलावार स्थिति तालिका प 2.10 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। तालिका से स्पष्ट है कि 2011-12 में किसी भी जिले में लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका था। वर्ष 2011-12 में औरंगाबाद, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और पूर्णिया जिलों में कृषि ऋण की प्रगति अपेक्षाकृत बेहतर थी। जहानाबाद,

अरवल और शेखपुरा जिलों में उपलब्धि खास तौर पर कम थी। सारण, दरभंगा, सहरसा, सुपाल और मधेपुरा जैसे जिलों में सहकारी ऋण या तो शून्य था या नगण्य।

हाल में फसल ऋण के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी की राशि स्वीकृत की गई है। इससे किसानों को 4 प्रतिशत ऋण पर फसल ऋण पाने में मदद मिलेगी। योजना नाबार्ड के सहयोग से क्रियान्वित होने वाली है। इस योजना के कारण फसल के समय लागत सामग्रियों की खरीद के लिहाज से किसानों के लिए संस्थागत ऋण का प्रवाह बढ़ेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके जरिए किसानों को कृषिकार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि कृषि लागत सामग्रियों की खरीद के लिए इसके जरिए अधिकतम 50,000 रु. ऋण दिया जाता है। वर्ष 2009-10 में अनुमानतः 13.40 लाख किसान किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा से लाभान्वित हुए (तालिका 2.15)। वर्ष 2011-12 में इससे 18.47 लाख किसान लाभान्वित हुए। वर्ष 2008-09 तक किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में उपलब्धि का स्तर लक्ष्य के 60 प्रतिशत के आसपास रहा था। वर्ष 2009-10 में उपलब्धि के स्तर में सुधार हुआ और आंकड़ा 89. 30 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2010-11 में उपलब्धि का स्तर 70.11 प्रतिशत था। वर्ष 2011-12 में इसका स्तर 73.90 प्रतिशत था। किसान क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिए अन्यथा किसान अत्यधिक ऊंची ब्याज दर वाले ऋण के लिए बैंक से इतर ऋणदाताओं के जाल में फंसते रहेंगे। इससे छोटे और सीमांत किसान अधिक पीड़ित होंगे क्योंकि खेती के मौसम में उनके पास कार्यशील पूंजी की कमी रहती है।

तालिका 2.15 : बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (2005-06 से 2011-12)

(संख्या हजार में)

वर्ष		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
व्यावसायिक बैंक	लक्ष्य	143.9	250.0	300.0	861.4	861.4	1148.6	1352.0
	उपलब्धि	131.68	203.9	222.4	505.0	660.9	653.4	969.8
	प्रतिशत	91.5	81.6	74.2	58.6	76.7	56.9	71.7
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	लक्ष्य	129.7	190.0	228.0	478.6	478.6	638.0	778.5
	उपलब्धि	66.3	140.0	168.5	310.3	397.4	475.6	674.0
	प्रतिशत	51.1	73.7	73.9	64.8	83.0	74.5	86.6
केंद्रीय सहकारी बैंक	लक्ष्य	293.1	160.0	160.0	160.0	160.0	213.3	369.5
	उपलब्धि	120.7	55.4	75.5	81.7	281.1	273.7	203.6
	प्रतिशत	41.2	34l.6	47.2	51.1	175.7	128.3	55.1
योग	लक्ष्य	566.8	600.0	688.0	1500.0	1500.0	2000.0	2500.0
	उपलब्धि	318.6	399.4	466.5	896.9	1339.5	1402.8	1847.4
	प्रतिशत	56.2	66.6	67.8	59.8	89.3	70.1	73.9

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

किसान क्रेडिट कार्डों के मामले में वर्ष 2005 से 2012 तक की अवधि में जिलावार उपलब्धि तालिका प 2.11 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। देखा जा सकता है कि 2005 से 2012 तक की अवधि में उपलब्धि के स्तर में जिलों के बीच काफी भिन्नता है। वर्ष 2012 में किसान क्रेडिट कार्ड की सर्वाधिक संख्या के मामले में सबसे आगे तीन जिले पूर्व चंपारण (1.04 लाख), समस्तीपुर (0.96 लाख) तथा पश्चिम चंपारण (0.98 लाख) हैं जबकि सबसे पीछे के तीन जिले शेखपुरा (12,378), अरवल (12,753) और शिवहर (7,682) हैं।

पशुपालन

कृषि के अलावा पशुपालन ग्रामीण लोगों के लिए जीविका तथा रोजगार सृजन के अवसरों के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कुल ग्रामीण आय में लगभग पांचवें हिस्से का योगदान करता है। यह क्षेत्र समाज के सीमांत तबके की महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, राज्य की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रां में, जहां ढेर सारे परिवार भूमिहीन या कम जमीन वाले हैं, पशुपालन क्षेत्र उनकी निम्न कृषिजनित आय का पूरक बनने का अवसर उपलब्ध कराता है। राज्य सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुपालन क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

वर्ष 2007 की पशुगणना के अनुसार राज्य में पशुधन की कुल संख्या 416.13 लाख है। जैसा कि तालिका प 2.12 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत किया गया है, इसमें से 39.8 प्रतिशत दुधारू पशु हैं जिनमें गायों की संख्या 124.01 लाख है और भैंसों की 66.98 लाख। राज्य में गरीबों की गाय के नाम से मशहूर बकरियों की भी अच्छी-खासी संख्या (101.69 लाख) है। राज्य में मुर्गियों-बत्तखों की भी काफी बड़ी संख्या है - 114.14 लाख। इतना बड़ा पशुधन क्षेत्र होने से इसके विकास की प्रचुर संभावना मौजूद है। अधिकांश ग्रामीण परिवार भूमिहीन या सीमांत किसान हैं इसलिए यह जीवन-निर्वाहमूलक क्षेत्र के बतौर काम करता है। हाल के वर्षों में इसकी आर्थिक संभावनाओं का संज्ञान लेते हुए वर्तमान सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक पहलकदमियां ली हैं। इन पहलकदमियों में नस्ल सुधार, स्वास्थ्य एवं पोषण, दुधारू जानवरों के लिए बीमा योजना तथा पशु-पक्षी उत्पादों एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन शामिल है।

पशुधन के जिलावार आंकड़ों नजर डालने से पता चलता है कि बिहार में पशुधन की कुल संख्या में विभिन्न जिलों के हिस्सों के बीच पशुधन की कुल संख्या में हिस्से के लिहाज से भारी अंतर है। गायों-भैंसों की संख्या के मामले में सर्वाधिक हिस्से वाले जिले पटना, भोजपुर, रोहतास, गया, बांका, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी और पूर्णिया हैं। यह भी पता चलता है कि बकरियों और मुर्गियों-बत्तखों के मामले में राज्य के उत्तर-पूर्व भाग में प्रचुर संकेंद्रण है जहां की जलवायु इन पशु-पक्षियों के काफी अनुकूल है। इसके संकेंद्रण के लिहाज से महत्वपूर्ण जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार हैं।

तालिका 2.16 में 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए पशुपालन क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों का उत्पादन स्तर प्रस्तुत है। दूध अभी भी इस प्रक्षेत्र का सर्वप्रमुख उत्पाद है। दूध का उत्पादन 2007-08 में 56.67 लाख टन था जो 2011-12 में बढ़कर 65.17 लाख टन हो गया। इसी अवधि में अंडों का उत्पादन 106.80 करोड़ से घटकर 74.46 करोड़ रह गया। तालिका में देखा जा सकता है कि 2009-10 में अंडों का उत्पादन 110.10 करोड़ के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा था जिसके बाद से गिरावट का रुझान है।

तालिका 2.16 : बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन

वर्ष	कुल दूध (लाख टन)	अंडे (करोड़)	ऊन (लाख किग्रा)	मांस (लाख टन)	मछली (लाख टन)
2007-08	57.67	106.80	2.42	1.81	2.88
2008-09	59.34	107.40	2.50	1.83	3.06
2009-10	61.24	110.10	2.60	2.18	2.97
2010-11	65.00	74.40	2.60	2.22	2.89
2011-12	65.17	74.46	2.66	2.27	3.44
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	4.27	-4.61	3.18	5.89	2.96

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 2.3 : बिहार में दूध उत्पादन

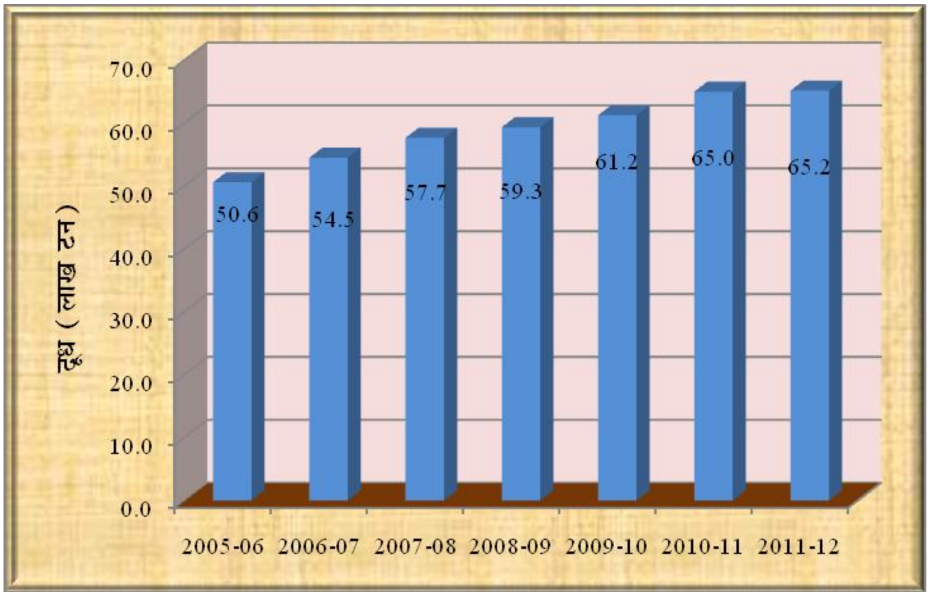

चार्ट 2.4 : बिहार में मत्स्य उत्पादन

पशुपालन क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार पशुओं की चिकित्सा, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, प्रतिरक्षण और चारा बीजों का मुफ्त वितरण जैसी अनेक योजनाएं चला रही है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 हेतु इन सेवाओं के जिलावार विवरण तालिका प 2.13 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। सेवाएं सभी जिलों में एक जैसी नहीं हैं। पूरे बिहार में 2011-12 में कुल 28.13 लाख पशुओं की चिकित्सा और 121.65 लाख पशुओं का प्रतिरक्षण किया गया। वर्ष 2011-12 में चारा बीज का अच्छा-खासा (3,262.52 क्विंटल) मुफ्त वितरण हुआ। वर्ष 2010-11 में 19.42 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया था, हालांकि 2011-12 में मात्र 3.30 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया।

राज्य सरकार ने 2010-11 तक राज्य के 20 चलंत पशु चिकित्सालयों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और पशुओं की दवाओं तथा उपकरणों से सुसज्जित आतुर वाहन (एंबुलेंस) उपलब्ध कराए थे। वर्ष 2011-12 में आतुर वाहनों की संख्या बढ़कर 50 पहुंच गई। भविष्य में और अधिक वाहन उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य सरकार ने पटना, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा और बांका में कृत्रिम गर्भाधान हेतु तरल नाइट्रोजन के भंडारण के लिए भंडार स्थापित किए हैं। सभी जिला कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों को पुनर्जीवित और सुसज्जित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2010-11 तक राज्य में 950 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कार्यरत थे। 2 करोड़ रु. के व्यय से 2011-12 में ऐसे अन्य 400 केंद्र बनवाए गए। बिहार में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की प्रगति काफी अच्छी रही है जिसका आच्छादन 2009-10 के मात्र 9.90 लाख पशुओं से बढ़कर 2010-11 में 19.48 लाख हो गया।

मत्स्य उत्पादन

बिहार में 3,200 किमी लंबाई में नदियों का और 237.3 हजार हे. में जल क्षेत्र का विस्तार है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.9 प्रतिशत है। अतएव मत्स्यपालन के जरिए ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने की काफी गुंजाइश है। राज्य में इस क्षेत्र की विगत दशक में लगातार वृद्धि होती रही है। इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मत्स्य उत्पादन क्षेत्र का योगदान तीनगुने से भी अधिक हो गया है।

वर्ष 2004-05 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 2.67 लाख टन था। उसके बाद से मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई और इसका स्तर 2008-09 में 3.06 लाख टन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया। वर्ष 2010-11 में उत्पादन गिरकर 2.89 लाख टन पर आ गया लकिन 2011-12 में उत्पादन बढ़कर 3.44 लाख टन हो गया है।

राज्य सरकार ने हाल में मत्स्य उत्पादन क्षेत्र और मत्स्यपालकों की बेहतरी के लिए अनेक पहलकदमियां ली हैं। वह राज्य में नील क्रांति के लिए कठिन प्रयत्न कर रही है। प्राथमिक कृषि सहकारी संघों (पैक्स) के जरिए सरल ऋण सुविधा तथा मत्स्यपालकों के शिक्षण-प्रशिक्षण के रूप में प्रसार सेवाओं के प्रावधान इस क्षेत्र में विकास के महत्वपूर्ण प्रतिमान हैं। आधुनिक मत्स्यपालन विधियों की अद्यतन जानकारी के लिए राज्य के मत्स्यपालकों को आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल भेजा गया है। हाल में मत्स्यपालकों के लिए एक नई बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए 3,200 रु. प्रति हे. की किश्त (प्रीमियम) तय की गई है। इसमें से 1,600 रु. का भुगतान लाभार्थी

करेंगे और 1,600 रु. का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस योजना के आरंभ के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऑरिएंटल इनस्योरेंस कंपनी के साथ सहमति-पत्र हस्ताक्षरित हुआ है। वर्ष 2011-12 से यह योजना प्रगति पर है।

मत्स्यपालकों के बीच सब्सिडी पर अंगुलिकाओं का वितरण, मछली पालन के लिए निजी तालाबों के रखरखाव तथा जीर्णोद्धार हेतु ऋण का सरल वितरण तथा मछुआरों के लिए मुफ्त मकान जैसी योजनाओं से राज्य के मछुआरे काफी लाभान्वित हुए हैं। तालाबों और चौर क्षेत्रों के विकास की योजनाओं से मछली के उत्पादन में और भी वृद्धि के लिहाज से मत्स्यपालन हेतु जमीन बढ़ी है। वर्ष 2011-12 में राज्य में रिकॉर्ड 3,604.58 लाख मत्स्यबीजों का उत्पादन और वितरण हुआ। मत्स्यबीज उत्पादन के जिलावार आंकड़े तालिका प 2.14 (परिशिष्ट) में देखे जा सकते हैं। तालिका के आंकड़ों से पता चलता है कि दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले मछली के प्रमुख उत्पादक हैं। वर्ष 2011-12 में बिहार के प्रमुख मत्स्य उत्पादक जिले इस प्रकार हं - पूर्व चंपारण (18.2 हजार टन), मधुबनी (19.2 हजार टन), सारण (19.1 हजार टन) और दरभंगा (16 हजार टन)। मत्स्य बीज के मामले में 900 लाख बीजों के उत्पादन के साथ दरभंगा शीर्ष पर है और उसके बाद 800 लाख बीजों के उत्पादन के साथ खगड़िया।

हाल में मत्स्यपालक समुदाय के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इनके तहत जलाशयों (रिजर्वायर) में अंगुलिकाओं का भंडारण शुरू किया गया है। पांच जलाशयों में राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड के सहयोग से अंगुलिकाएं डाली गई हैं। किसानों को 80 से 100 लाख मत्स्य-बीजों की क्षमता वाले मत्स्य-बीज प्रजनन केंद्र (हैचरी) के निर्माण के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। हैचरी की इकाई लागत 15.00 लाख रु. है जिस पर 20 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।

परिशिष्ट

तालिका प 2.1 : विभिन्न मौसमों में बिहार के विभिन्न जिलों में वार्षिक वर्षापात (2011 और 2012)

(वर्षापात मिमी में)

जिला	2011					2012 (सितंबर तक)			
	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण–पश्चिम मानसून	उत्तर–पश्चिम मानसून	योग	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण–पश्चिम मानसून	योग
पटना	0.0	58.0	948.9	0.0	1006.9	6.8	3.8	773.6	784.2
नालंदा	0.0	57.9	1101.5	0.0	1159.4	16.3	27.1	854.0	897.4
भोजपुर	1.2	38.7	907.2	0.0	947.1	1.1	0.4	633.9	635.4
बक्सर	1.2	47.0	953.0	0.0	1001.2	13.4	16.3	658.5	688.2
रोहतास	1.6	7.0	1047.4	0.0	1056.0	1.9	13.8	657.4	673.1
कैमूर	4.7	12.2	929.1	0.0	946.0	9.0	19.3	847.7	876.0
गया	9.4	22.4	718.9	0.0	750.7	13.0	13.9	644.1	671.0
जहानाबाद	4.7	48.6	1224.0	0.0	1277.3	14.5	40.2	743.7	798.4
अरवल	0.0	71.5	1081.5	0.0	1153.0	16.8	29.6	702.8	749.2
नवादा	6.3	92.2	879.7	0.0	978.2	20.3	18.8	577.3	616.4
औरंगाबाद	4.6	26.9	884.5	0.0	916.0	9.7	12.5	805.8	828.0
सारण	3.9	73.5	1027.9	0.0	1105.3	14.0	19.3	859.5	892.8
सीवान	0.0	0.0	779.6	0.0	779.6	19.6	6.6	798.2	824.4
गोपालगंज	13.4	67.1	1001.4	0.0	1081.9	19.1	7.9	908.1	935.1
पश्चिम चंपारण	3.9	96.9	972.3	0.0	1073.1	2.8	6.3	803.5	812.6
पूर्व चंपारण	11.0	61.4	1215.5	0.0	1287.9	5.9	57.5	827.4	890.8
मुजफ्फरपुर	1.2	74.7	1131.3	0.0	1207.2	20.3	36.6	858.7	915.6
सीतामढ़ी	8.1	0.0	1276.7	4.4	1289.2	38.3	41.4	628.0	707.7
शिवहर	13.3	45.3	1151.5	0.0	1210.1	8.9	36.2	752.6	797.7
वैशाली	1.6	64.8	1017.8	0.0	1084.2	16.1	9.4	786.4	811.9
दरभंगा	9.4	112.7	864.2	0.0	986.3	11.0	32.3	641.3	684.6
मधुबनी	20.2	0.0	902.7	0.0	922.9	16.3	19.8	568.2	604.3
समस्तीपुर	14.3	66.5	1025.1	0.0	1105.9	6.1	47.1	590.7	643.9
बेगूसराय	0.0	67.1	860.1	0.0	927.2	11.2	25.0	552.5	588.7
मुंगेर	0.0	56.7	672.1	0.0	728.8	11.2	16.5	593.4	621.1
शेखपुरा	4.2	65.1	746.9	0.0	816.2	14.8	28.2	622.7	665.7
लखीसराय	0.0	119.2	910.5	0.0	1029.7	6.9	38.4	611.8	657.1
जमुई	3.0	142.9	767.3	0.0	913.2	13.2	13.2	461.2	487.6
खगड़िया	2.1	134.0	825.7	0.0	961.8	9.3	64.5	697.5	771.3
भागलपुर	3.0	159.1	822.3	0.0	984.4	15.9	7.6	534.5	558.0
बांका	0.2	140.4	918.5	0.0	1059.1	11.4	32.3	521.2	564.9
सहरसा	2.3	127.2	668.9	1.4	799.8	9.1	36.5	612.4	658.0
सुपौल	32.0	12.1	1204.7	0.0	1248.8	1.1	15.3	548.4	564.8
मधेपुरा	7.8	216.6	987.4	8.0	1219.8	3.3	0.0	573.9	577.2
पूर्णिया	1.8	563.0	1277.0	0.0	1841.8	0.0	66.0	732.7	798.7
किशनगंज	0.0	297.3	2687.2	11.0	2995.5	3.4	88.5	926.3	1018.2
अररिया	6.7	21.3	1605.0	5.3	1638.3	2.8	129.9	1123.2	1255.9
कटिहार	0.0	181.9	1070.4	5.6	1257.9	10.0	79.2	724.6	813.8
बिहार	5.2	79.4	1028.0	0.5	1113.1	11.2	30.5	704.1	704.10

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 2.2 : बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2009-10)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

जिला	भौगोलिक क्षेत्रफल (1)	वन (2)	बंजर एवं अकृष्य भूमि (3)	गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि (4)			कृषि योग्य ऊसर भूमि (5)
				भूमि क्षेत्र	जल क्षेत्र	योग	
पटना	317.2 (100.0)	0.1 (0.0)	12.4 (3.9)	64.6 (20.4)	127.4 (4.0)	77.3 (24.4)	0.8 (0.2)
नालंदा	232.7 (100.0)	4.6 (2.0)	1.2 (0.5)	34.8 (15.0)	10.1 (4.4)	44.9 (19.3)	0.2 (0.1)
भोजपुर	237.3 (100.0)	0.0 (0.0)	6.7 (2.8)	29.8 (12.6)	4.2 (1.8)	34.1 (14.4)	0.6 (0.3)
बक्सर	166.9 (100.0)	0.0 (0.0)	2.2 (1.3)	128.4 (7.7)	4.6 (2.7)	17.4 (10.4)	0.7 (0.4)
रोहतास	390.7 (100.0)	66.7 (17.1)	16.8 (4.3)	38.5 (9.9)	9.3 (2.4)	47.8 (12.2)	1.1 (0.3)
कैमूर	342.4 (100.0)	113.0 (33.0)	19.3 (5.6)	30.7 (9.0)	3.8 (1.1)	34.5 (10.1)	1. 9 (0.5)
गया	493.7 (100.0)	77.8 (15.8)	27.5 (5.6)	62.4 (12.6)	10.6 (2.1)	73. 1 (14.8)	3.3 (0.7)
जहानाबाद	94.0 (100.0)	0.6 (0.7)	3.3 (3.5)	13.6 (14.5)	1.5 (1.3)	14.9 (15.9)	0.1 (0.2)
अरवल	62.6 (100.0)	0.0 (0.0)	2.2 (3.5)	8.9 (14.3)	1.2 (1.9)	10.2 (16.2)	0.1 (0.1)
नवादा	248.7 (100.0)	63.8 (25.6)	11.2 (4.5)	25.5 (10.2)	10.3 (4.1)	35.8 (14.4)	1.1 (0.5)
औरंगाबाद	330.0 (100.0)	18.8 (5.7)	16.4 (5.0)	51.8 (15.7)	3. 4 (1.0)	55.2 (16.7)	1.9 (0.6)
सारण	264.9 (100.0)	0.0 (0.0)	17.9 (6.8)	27.8 (10.5)	6.4 (2.4)	34.2 (12.9)	0.1 (0.1)
सीवान	224.4 (100.0)	0.0 (0.0)	8.7 (3.9)	28.6 (12.8)	3.5 (1.6)	32.2 (14.3)	0.8 (0.3)
गोपालगंज	203.8 (100.0)	0.0 (0.0)	5.5 (2.7)	30.5 (15.0)	2.5 (1.2)	33.0 (16.2)	1.4 (0.7)
पश्चिम चंपारण	484.3 (100.0)	91.7 (18.9)	2.9 (0.6)	70.7 (14.6)	23.7 (4.9)	94.4 (19.5)	1.3 (0.3)
पूर्व चंपारण	431.7 (100.0)	0.1 (0.0)	8.1 (1.9)	51.2 (11.9)	25.9 (6.0)	77.1 (17.9)	0.3 (0.1)
मुजफ्फरपुर	315.4 (100.0)	0.0 (0.0)	5.3 (1.7)	50.8 (16.1)	12.3 (3.9)	63.2 (20.0)	0.3 (0.1)
सीतामढ़ी	221.9 (100.0)	0.0 (0.0)	1.8 (0.8)	44.9 (20.2)	18.1 (8.2)	63.0 (28.4)	0.1 (0.1)
शिवहर	43.5 (100.0)	0.0 (0.0)	0.4 (0.9)	9.5 (21.9)	3.2 (7.3)	12.7 (29.2)	0.0 (0.1)
वैशाली	201.4 (100.0)	0.0 (0.0)	24.1 (12.0)	29.9 (14.9)	7.8 (3.9)	37.8 (18.8)	0.1 (0.1)
दरभंगा	254.1 (100.0)	0.0 (0.0)	1.3 (0.5)	43.9 (17.3)	16.6 (6.5)	60.5 (23.8)	0.1 (0.1)
मधुबनी	353.5 (100.0)	0.0 (0.0)	2.2 (0.6)	70.9 (20.1)	15.7 (4.4)	86.6 (24.5)	0.5 (0.1)
समस्तीपुर	262.4 (100.0)	0.0 (0.0)	3.8 (1.5)	54.2 (20.7)	9.1 (3.5)	63.4 (24.1)	0.0 (0.0)
बेगूसराय	187.8 (100.0)	0.0 (0.0)	17.9 (9.6)	29.9 (15.9)	11.6 (6.2)	41.5 (22.1)	0.0 (0.0)
मुंगेर	139.8 (100.0)	28.5 (20.4)	11.4 (8.2)	20.4 (14.6)	11.1 (7.9)	31.4 (22.5)	0.9 (0.7)
शेखपुरा	62.1 (100.0)	0.0 (0.0)	1.0 (1.6)	7.5 (12.2)	2.9 (4.8)	10.5 (17.0)	0.2 (0.4)
लखीसराय	128.6 (100.0)	13.4 (10.5)	7.0 (5.5)	8.7 (6.8)	5.8 (4.5)	14.6 (11.3)	0.7 (0.5)
जमुई	305.3 (100.0)	92.9 (30.4)	28.6 (9.4)	38.9 (12.8)	5.0 (1.6)	44.0 (14.4)	10.3 (3.4)
खगड़िया	149.3 (100.0)	0.0 (0.0)	13.6 (9.1)	18.9 (12.7)	11.9 (8.0)	30.9 (20.7)	0.6 (0.4)
भागलपुर	254.3 (100.0)	0.1 (0.0)	22.4 (8.8)	53.8 (21.2)	16.3 (6.4)	70.1 (27.6)	2.3 (0.9)
बांका	305.6 (100.0)	46.3 (15.2)	42.9 (14.1)	36.3 (11.9)	5.9 (2.0)	42.3 (13.8)	7.9 (2.6)
सहरसा	164.6 (100.0)	0.0 (0.0)	10.8 (6.6)	21.9 (13.3)	6.9 (4.3)	28.9 (17.6)	0. 5 (0.3)
सुपौल	238.6 (100.0)	0.0 (0.0)	20.2 (8.5)	38.8 (16.3)	12.7 (5.3)	51.5 (21.6)	1.5 (0.6)
मधेपुरा	179.6 (100.0)	0.0 (0.0)	3.9 (2.2)	26.2 (14.6)	4.9 (2.7)	31.1 (17.3)	0.0 (0.0)
पूर्णिया	313.9 (100.0)	0.1 (0.0)	12.3 (3.9)	37.5 (12.0)	8.3 (2.7)	45.8 (14.6)	1.1 (0.4)
किशनगंज	189.1 (100.0)	0.4 (0.2)	11.2 (5.9)	24.9 (13.2)	9.9 (5.2)	34.8 (18.4)	1.2 (0.6)
अररिया	271.7 (100.0)	0.9 (0.3)	5.0 (1.8)	40.1 (14.8)	11.3 (4.1)	51.4 (18.9)	0.5 (0.2)
कटिहार	29.1 (100.0)	1.8 (0.6)	22.1 (7.6)	41.2 (14.1)	16.2 (5.6)	57.4 (19.7)	0.6 (0.2)
बिहार	9359.6 (100.0)	621.6 (6.6)	431.7 (4.6)	1332.5 (14.2)	357.2 (3.8)	1689.7 (18.1)	45.4 (0.5)

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों म दिए गए आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत दर्शाते हैं। (जारी)

तालिका प 2.2 : बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2009-10) (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

जिला	स्थायी चरागाह (6)	बागान (7)	परती भूमि (8)	वतमान परती (9)	कुल अकृष्य भूमि (10) (2 से 9 तक)	निवल बुआई क्षेत्रफल (11)	सकल बुआई क्षेत्रफल (12)	फसल सघनता (13)
पटना	0.1 (0.0)	1.0 (0.3)	1.6 (0.5)	7.9 (25.0)	172.7 (54.4)	144.6 (45.6)	180.7	1.24
नालंदा	0.0 (0.0)	1.3 (0.5)	0.2 (0.1)	23.3 (10.0)	75.7 (32.5)	157.1 (67.5)	194.8	1.24
भोजपुर	0.1 (0.0)	2.0 (0.8)	2.6 (1.1)	5.4 (2.3)	51.4 (21.7)	185.9 (78.3)	235.2	1.26
बक्सर	0.0 (0.0)	0.7 (0.4)	0.6 (0.4)	11.9 (7.1)	33.5 (20.1)	133.5 (79.9)	166.8	1.24
रोहतास	0.1 (0.0)	2.9 (0.7)	0.8 (0.2)	15.9 (4.1)	152.1 (38.9)	238.7 (61.1)	281.8	1.18
कैमूर	0.1 (0.0)	0.7 (0.2)	0.2 (0.1)	33.6 (9.8)	203.3 (59.4)	139.1 (40.6)	173.9	1.25
गया	2.1 (0.4)	3.9(0.8)	11.5 (2.3)	188.1 (38.1)	387.2 (78.4)	106.6 (21.6)	134.2	1.25
जहानाबाद	0.1 (0.1)	0.7 (0.7)	0.2 (0.3)	23.3 (24.8)	43.3 (46.1)	50.7 (53.9)	63.4	1.24
अरवल	0.2 (0.2)	0.9 (1.4)	1.6 (2.6)	11.3 (18.1)	26.4 (42.2)	36.2 (57.8)	45.2	1.24
नवादा	0.9 (0.4)	0.6 (0.2)	2.7 (1.1)	32.6 (13.1)	148.7 (59.8)	100.1 (40.2)	125.0	1.24
औरंगाबाद	0.6 (0.2)	0.6 (0.2)	1.2 (0.4)	31.7 (9.6)	126.3 (38.3)	203.7 (61.7)	254.7	1.24
सारण	0.2 (0.1)	8.6 (3.2)	3.7 (1.4)	25.2 (9.5)	89.9 (34.0)	174.9 (66.0)	218.7	1.24
सीवान	0.2 (0.1)	8.6 (3.8)	1.5 (0.7)	5.6 (2.5)	57.5 (25.6)	166.9 (74.4)	245.7	1.47
गोपालगंज	0.2 (0.1)	7.4 (3.6)	2.4 (1.2)	5.9 (2.9)	55.9 (27.4)	147.9 (72.6)	229.7	1.55
पश्चिम चंपारण	1.2 (0.2)	6.5 (1.3)	2.6 (0.5)	32.3 (6.7)	232.9 (48.1)	251.5 (51.9)	314.4	1.25
पूर्व चंपारण	0.4 (0.1)	27.1 (6.3)	2.9 (0.7)	7.2 (1.7)	123.3 (28.6)	308.4 (71.4)	376.8	1.22
मुजफ्फरपुर	0.0 (0.0)	17.4 (5.5)	1.5 (0.5)	11.8 (3.7)	99.5 (31.5)	215.9 (68.5)	312.1	1.44
सीतामढ़ी	1.4 (0.6)	13.9 (6.3)	0.6 (0.3)	7.1 (3.2)	87.8 (39.6)	134.1 (60.4)	205.6	1.53
शिवहर	0.0 (0.0)	3.6 (8.3)	0.9 (2.1)	3.7 (8.4)	21.3 (49.0)	22.2 (51.0)	41.2	1.85
वैशाली	0.3 (0.2)	9.7 (4.8)	0.3 (0.1)	5.8 (2.9)	78.2 (38.8)	123.2 (61.2)	192.6	1.56
दरभंगा	0.1 (0.1)	12.2 (4.8)	2.2 (0.9)	6.9 (2.7)	83.4 (32.8)	170.7 (67.2)	223.4	1.30
मधुबनी	1.3 (0.4)	22.9 (6.5)	2.9 (0.8)	8.5 (2.4)	125.0 (35.4)	228.5 (64.6)	340.3	1.48
समस्तीपुर	0.1 (0.0)	8.2 (3.1)	0.9 (0.4)	11.0 (4.2)	87.5 (33.3)	174.9 (66.7)	285.9	1.63
बेगूसराय	0.0 (0.0)	3.7 (1.9)	0.9 (0.5)	6.5 (3.5)	70.5 (37.5)	117.3 (62.5)	179.1	1.52
मुंगेर	0.2 (0.1)	0.6 (0.4)	1.9 (1.4)	17.7 (12.6)	92.7 (66.3)	47.1 (33.7)	58.8	1.24
शेखपुरा	0.0 (0.0)	0.3 (0.5)	1.7 (2.7)	11.6 (18.7)	25.4 (40.9)	36.7 (59.1)	45.9	1.24
लखीसराय	0.1 (0.0)	0.3 (0.2)	6.4 (4.9)	31.6 (24.6)	74.0 (57.6)	54.6 (42.4)	81.7	1.49
जमुई	1.7 (0.5)	2.1 (0.7)	16.1 (5.3)	69.7 (22.8)	265.3 (86.9)	39.9 (13.1)	49.9	1.25
खगड़िया	0.2 (0.1)	3.1 (2.1)	2.2 (1.5)	6.2 (4.1)	56.8 (38.1)	92.5 (61.9)	130.6	1.41
भागलपुर	0.6 (0.2)	6.7 (2.6)	4.9 (2.0)	20.8 (8.2)	127.9 (50.3)	126.3 (49.7)	157.9	1.24
बांका	1.2 (0.4)	7.4 (2.4)	11.1 (3.6)	18.4 (6.0)	177.5 (58.1)	128.1 (41.9)	160.1	1.25
सहरसा	1.1 (0.7)	4.3 (2.6)	3.8 (2.3)	2.5 (1.5)	52.0 (31.6)	112.5 (68.4)	194.3	1.72
सुपौल	0.3 (0.1)	3.1 (1.3)	9.5 (4.0)	7.9 (3.3)	94.0 (39.4)	144.6 (60.6)	218.2	1.50
मधेपुरा	0.0 (0.0)	7.1 (4.0)	1.0 (0.6)	5.1 (2.9)	48.3 (26.9)	131.2 (73.1)	217.8	1.65
पूर्णिया	0.0 (0.0)	8.8 (2.8)	4.7 (1.5)	32.6 (10.4)	105.6 (33.6)	208.3 (66.4)	260.4	1.24
किशनगंज	0.4 (0.2)	5.1 (2.7)	3.1 (1.6)	10.8 (5.7)	66.9 (35.4)	122.1 (64.6)	152.7	1.24
अररिया	0.2 (0.1)	19.0 (7.0)	2.9 (1.1)	5.3 (1.9)	85.3 (31.4)	186.5 (68.6)	291.5	1.56
कटिहार	0.1 (0.0)	11.0 (3.8)	6.0 (2.1)	23.5 (8.1)	122.6 (42.1)	168.8 (57.9)	254.7	1.50
बिहार	15.8 (0.2)	243.9 (2.6)	121.9 (1.3)	857627 (9.2)	4027.9 (43.0)	5331.7 (57.0)	7295.8	1.36

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत दर्शाते हैं। (समाप्त)

तालिका प 2.3 : बिहार में चावल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2009-10 और 2010-11)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिला	2009-10			2010-11		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	45.9 (1.4)	50.6 (1.4)	1104 (21)	47.7 (1.7)	61.3 (2.0)	1285 (10)
नालंदा	96.8 (3.0)	91.1 (2.5)	941 (26)	68.4 (2.4)	74.3 (2.4)	1085 (18)
भोजपुर	103.9 (3.2)	124.5 (3.4)	1198 (15)	106.4 (3.7)	216.4 (7.0)	2034 (01)
बक्सर	62.3 (1.9)	90.5 (2.5)	1454 (07)	54.7 (1.9)	95.8 (3.1)	1751 (05)
रोहतास	189.0 (5.9)	450.1(12.4)	2381 (01)	173.3 (6.1)	286.5 (9.2)	1653 (06)
कैमूर	81.7 (2.5)	77.4 (2.1)	948 (25)	94.8 (3.3)	171.3 (5.5)	1806 (03)
गया	54.6 (1.7)	60.9 (1.7)	1117 (20)	48.9 (1.7)	53.3 (1.7)	1091 (16)
जहानाबाद	44.5 (1.4)	28.8 (0.8)	648 (32)	11.5 (0.4)	15.1 (0.5)	1310 (09)
अरवल	23.6 (0.7)	3302 (0.9)	1406 (08)	25.8 (0.9)	46.0 (1.5)	1785 (04)
नवादा	51.5 (1.6)	58.7 (1.6)	1138 (19)	44.4 (1.6)	45.9 (1.5)	1035 (20)
औरंगाबाद	121.4 (3.8)	162.8 (4.5)	1341 (10)	125.7 (4.4)	178.0 (5.7)	1417 (08)
सारण	76.4 (2.4)	82.3 (2.3)	1078 (22)	71.3 (2.5)	89.3(2.9)	1253 (13)
सीवान	109.2 (3.4)	27.3 (0.8)	250 (38)	87.6 (3.1)	78.9 (2.5)	901 (24)
गोपालगंज	90.0 (2.8)	75.5 (2.1)	839 (30)	88.6 (3.1)	84.1 (2.7)	949 (23)
पश्चिम चंपारण	147.8 (4.6)	187.9 (5.2)	1272 (11)	129.4 (4.5)	159.9 (5.1)	1236 (14)
पूर्व चंपारण	215.1 (6.7)	109.0 (3.0)	507 (55)	132.3 (4.6)	82.4 (2.6)	623 (27)
मुजफ्फरपुर	133.2 (4.1)	47.7 (1.3)	358 (56)	120.2 (4.2)	60.5 (1.9)	504 (31)
सीतामढ़ी	103.2 (3.2)	94.0 (2.6)	911 (28)	107.4 (3.8)	37.7(1.2))	351 (37)
शिवहर	21.6 (0.4)	12.9 (0.4)	599 (33)	27.7 (1.0)	7.6 (0.2)	276 (38)
वैशाली	52.9 (1.6)	50.9 (1.4)	965 (24)	38.0 (1.3)	25.5 (0.8)	671 (26)
दरभंगा	107.9 (3.4)	93.5 (2.6)	866 (29)	78.2 (2.7)	75.0 (2.4)	959 (21)
मधुबनी	183.1 (5.7)	279.7 (7.7)	1528 (03)	179.7 (6.3)	101.3 (3.3)	564 (28)
समस्तीपुर	77.4 (2.4)	77.7 (2.1)	1004 (23)	88.4 (3.1)	47.0 (1.5)	532 (30)
बेगूसराय	29.6 (0.9)	17.7 (0.5)	597 (34)	29.8 (1.0)	11.9 (0.4)	403 (36)
मुंगेर	29.5 (0.9)	33.6 (0.9)	1142 (18)	26.0 (0.9)	11.8 (0.4)	453 (33)
शेखपुरा	13.9 (0.4)	12.7 (0.4)	912 (27)	8.9 (0.3)	4.2 (0.1)	475 (32)
लखीसराय	36.5 (1.1)	45.4 (1.3)	1245 (12)	3.5 (0.1)	1.5 (0.1)	444 (34)
जमुई	11.3 (0.4)	17.3 (0.5)	1523 (05)	35.8 (1.3)	14.9 (0.5)	419 (35)
खगड़िया	19.8 (0.6)	5.6 (0.2)	284 (37)	24.6 (0.9)	13.4 (0.4)	545 (29)
भागलपुर	40.5 (1.3)	59.1 (1.6)	1461 (06)	30.8 (1.1)	29.4 (0.9)	957 (22)
बांका	116.1 (3.6)	205.5 (5.7)	1770 (02)	80.1 (2.8)	159.9 (5.1)	1995 (2)
सहरसा	92.3 (2.9)	110.8 (3.1)	1201 (14)	92.3 (3.2)	100.6 (3.2)	1090 (17)
सुपौल	106.3 (3.3)	129.1 (3.6)	1214 (13)	90.4 (3.2)	114.1 (3.7)	1262 (12)
मधेपुरा	84.3 (2.6)	97.8 (2.7)	1159 (16)	76.7 (2.7)	61.4 (2.0)	800 (25)
पर्णिया	108.3 (3.4)	147.6 (4.1)	1362 (09)	92.2 (3.2)	116.9 (3.8)	1269 (11)
किशनगंज	92.2 (2.9)	62.7 (1.7)	681 (31)	78.4 (2.8)	81.7 (2.6)	1042 (19)
अररिया	137.5 (4.3)	157.0 (4.3)	1143 (17)	130.6 (4.6)	147.9 (4.8)	1132 (15)
कटिहार	102.4 (3.2)	156.3 (4.3)	1526 (04)	94.9 (3.3)	149.1 (4.8)	1571 (7)
बिहार	3213.4 (100.0)	3625.8 (100.0)	1128	2845.4 (100.0)	3112.6 (100.0)	1094

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्षेत्रफल/ उत्पादन के लिए प्रतिशत और उत्पादकता क लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

तालिका प 2.4 : बिहार में गेहूं का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2009-10 और 2010-11)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिला	2009-10			2010-11		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	61.8 (2.8)	122.5 (2.7)	1981 (22)	61.5 (2.9)	143.6 (2.8)	2335 (19)
नालंदा	70.2 (3.2)	108.7 (2.4)	1548 (35)	69.1 (3.3)	144.6 (2.8)	2093 (22)
भोजपुर	76.9 (3.5)	256.8 (5.6)	3337 (02)	77.1 (3.7)	200.4 (3.9)	2598 (12)
बक्सर	81.5 (3.7)	196.5 (4.3)	2410 (07)	82.8 (3.9)	242.9 (4.8)	2933 (06)
रोहतास	130.9 (5.9)	311.0 (6.8)	2375 (09)	131.9 (6.3)	387.8 (7.6)	2940 (05)
कैमूर	68.3 (3.1)	151.8 (3.3)	2221 (13)	69.5 (3.3)	167.7 (3.3)	2415 (16)
गया	63.9 (2.9)	141.0 (3.1)	2204 (14)	50.9 (2.4)	111.8 (2.2)	2198 (21)
जहानाबाद	33.4 (1.5)	64.5 (1.4)	1930 (25)	34.0 (1.6)	67.1 (1.3)	1972 (26)
अरवल	10.9 (0.5)	23.4 (0.5)	2150 (16)	11.0 (0.5)	19.2 (0.4)	1739 (33)
नवादा	52.4 (2.4)	98.3 (2.2)	1876 (27)	59.4 (2.8)	120.2 (2.4)	2025 (23)
औरंगाबाद	102.1 (4.6)	123.4 (2.7)	1210 (36)	56.1 (2.7)	113.0 (2.2)	2013 (24)
सारण	94.2 (4.3)	217.7 (4.8)	2312 (11)	78.4 (3.7)	217.9 (4.3)	2780 (07)
सीवान	106.1 (4.8)	299.3 (6.6)	2820 (03)	94.5 (4.5)	190.1 (3.7)	2012 (25)
गोपालगंज	83.9 (3.8)	165.1 (3.6)	1968 (23)	83.4 (4.0)	282.8 (5.6)	3389 (01)
पश्चिम चंपारण	81.9 (3.7)	170.0 (3.7)	2074 (19)	71.6 (3.4)	192.2 (3.8)	2685 (09)
पूर्व चंपारण	101.0 (4.6)	74.0 (1.6)	733 (38)	102.6 (4.9)	310.7 (6.1)	3028 (04)
मुजफ्फरपुर	102.5 (4.7)	175.4 (3.8)	1711 (32)	94.1 (4.5)	231.5 (4.5)	2461 (14)
सीतामढ़ी	61.4 (2.8)	106.2 (2.3)	1731 (31)	62.5 (3.0)	113.8 (2.2)	1819 (29)
शिवहर	10.4 (0.5)	27.9 (0.6)	2683 (05)	16.4 (0.8)	44.8 (0.9)	2733 (08)
वैशाली	50.2 (2.3)	122.3 (2.7)	2435 (06)	47.4 (2.3)	157.2 (3.1)	3320 (02)
दरभंगा	81.1 (3.7)	171.8 (3.8)	2118 (18)	60.9 (2.9)	142.4 (2.8)	2335 (18)
मधुबनी	102.5 (4.7)	219.9 (4.8)	2146 (17)	95.2 (4.5)	225.9 (4.4)	2374 (17)
समस्तीपुर	60.5 (2.7)	162.7 (3.6)	2689 (04)	61.7 (2.9)	163.8 (3.2)	2655 (11)
बेगूसराय	62.4 (2.8)	119.1 (2.6)	1908 (26)	52.7 (2.5)	139.9 (2.7)	2656 (10)
मुंगेर	17.5 (0.8)	34.9 (0.8)	1998 (21)	15.4 (0.7)	27.9 (0.5)	1809 (30)
शेखपुरा	22.4 (1.0)	52.4 (1.1)	2341 (10)	21.1 (1.0)	34.3 (0.7)	1625 (35)
लखीसराय	27.4 (1.2)	45.2 (1.0)	1652 (34)	49.7 (2.4)	87.7 (1.7)	1763 (32)
जमुई	11.7 (0.5)	19.4 (0.4)	1654 (33)	7.6 (0.4)	11.3 (0.2)	1497 (37)
खगड़िया	33.9 (1.5)	113.7 (2.5)	3345 (01)	33.9 (1.6)	58.3 (1.1)	1721 (34)
भागलपुर	41.7 (1.9)	99.7 (2.2)	2391 (08)	43.7 (2.1)	112.6 (2.2)	2576 (13)
बांका	27.2 (1.2)	52.8 (1.2)	1940 (24)	23.6 (1.1)	42.5 (0.8)	1799 (31)
सहरसा	42.1 (1.9)	84.6 (1.9)	2009 (20)	44.2 (2.1)	101.7 (2.0)	2302 (20)
सुपौल	48.9 (2.2)	90.2 (2.2)	1844 (30)	50.4 (2.4)	77.8 (1.5)	1542 (36)
मधेपुरा	26.7 (1.2)	60.3 (1.3)	2253 (12)	35.5 (1.7)	68.5 (1.3)	1927 (28)
पूर्णिया	46.9 (2.1)	101.9 (2.2)	2173 (15)	42.1 (2.0)	82.7 (1.6)	1965 (27)
किशनगंज	20.4 (0.9)	22.9 (0.5)	1122 (37)	20.4 (1.0)	24.9 (0.5)	1217 (38)
अररिया	48.9 (2.2)	90.9 (2.0)	1858 (28)	57.4 (2.7)	139.8 (2.7)	2436 (15)
कटिहार	35.2 (1.6)	65.3 (1.4)	1854 (29)	30.3 (1.4)	92.6 (1.8)	3057 (03)
बिहार	2201.9 (100.0)	4563.7 (100.0)	2073	2100.2 (100.0)	5094.0 (100.0)	2426

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्षेत्रफल/ उत्पादन के लिए प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

तालिका प 2.5 : बिहार में मक्का का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2009-10 और 2010-11)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिला	2009-10			2010-11		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	6.9 (1.1)	9.4 (0.6)	1365 (31)	7.1 (1.1)	10.6 (0.5)	1488 (37)
नालंदा	6.8 (1.1)	12.8 (0.9)	1883 (27)	7.4 (1.1)	17.3 (0.8)	2348 (27)
भोजपुर	4.9 (0.8)	10.9 (0.7)	2213 (19)	4.9 (0.8)	13.5 (0.6)	2736 (17)
बक्सर	1.6 (0.3)	1.6 (0.1)	1002 (37)	1.9 (0.3)	2.9 (0.1)	1530 (36)
रोहतास	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	1194 (34)	0.2 (0.0)	0.3 (0.0)	1597 (35)
कैमूर	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	1013 (36)	0.2 (0.0)	0.3 (0.0)	1120 (38)
गया	6.0 (0.9)	9.8 (0.7)	1626 (30)	3.5 (0.5)	8.9 (0.4)	2509 (20)
जहानाबाद	0.8 (0.1)	1.4 (0.1)	1762 (28)	0.8 (0.1)	1.9 (0.1)	2487 (21)
अरवल	1.0 (0.2)	2.0 (0.1)	2037 (25)	0.8 (0.1)	2.4 (0.1)	3035 (15)
नवादा	2.0 (0.3)	4.4 (0.3)	2168 (20)	2.4 (0.4)	5.7 (0.3)	2350 (26)
औरंगाबाद	0.3 (0.0)	0.4 (0.0)	1265 (33)	0.3 (0.0)	0.5 (0.0)	1817 (33)
सारण	25.2 (3.9)	42.5 (2.8)	1685 (29)	28.4 (4.3)	54.5 (2.6)	1917 (31)
सीवान	17.4 (2.7)	48.7 (3.3)	2795 (60)	21.1 (3.2)	43.0 (2.0)	2040 (30)
गोपालगंज	14.5 (2.3)	38.9 (2.6)	2691 (08)	16.4 (2.5)	39.3 (1.9)	2402 (24)
पश्चिम चंपारण	14.4 (2.2)	35.8 (2.4)	2491 (13)	11.2 (1.7)	30.9 (1.5)	2773 (16)
पूर्व चंपारण	18.8 (2.9)	25.5 (1.1)	1355 (32)	15.9 (2.4)	33.1 (1.6)	2089 (29)
मुजफ्फरपुर	24.2 (3.8)	57.9 (3.9)	2389 (15)	29.2 (4.5)	74.9 (3.6)	2570 (18)
सीतामढ़ी	5.4 (0.8)	12.3 (0.8)	2296 (18)	4.8 (0.7)	15.9 (0.8)	3304 (10)
शिवहर	1.0 (0.2)	3.1 (0.2)	3034 (03)	1.1 (0.2)	3.7 (0.2)	3411 (09)
वैशाली	33.5 (5.2)	77.6 (5.2)	2316 (16)	32.7 (5.0)	75.7 (3.6)	2319 (28)
दरभंगा	13.2 (2.1)	39.9 (2.7)	3030 (04)	20.5 (3.1)	62.9 (3.0)	3066 (13)
मधुबनी	1.5 (0.2)	3.7 (0.2)	2469 (14)	1.6 (0.2)	6.3 (0.3)	3942 (05)
समस्तीपुर	52.9 (8.3)	112.7 (7.6)	2128 (22)	52.8 (8.1)	226.2 (10.7)	4285 (04)
बेगूसराय	60.9 (9.5)	55.9 (3.8)	917 (38)	57.1 (8.7)	137.6 (6.5)	2409 (23)
मुंगेर	6.3 (1.0)	14.4 (1.0)	2307 (17)	5.7 (0.9)	9.8 (0.5)	1715 (34)
शेखपुरा	0.3 (0.0)	0.7 (0.0)	2134 (21)	0.4 (0.1)	1.0 (0.0)	2376 (25)
लखीसराय	4.5 (0.7)	5.3 (0.4)	1176 (35)	2.7 (0.4)	5.1 (0.2)	1875 (32)
जमुई	4.4 (0.7)	8.4 (0.6)	1925 (26)	2.8 (0.4)	7.2 (0.3)	2561 (19)
खगड़िया	59.5 (9.3)	175.6 (11.9)	2951 (05)	55.7 (8.5)	201.9 (9.6)	3622 (07)
भागलपुर	35.3 (5.5)	72.2 (4.9)	2047 (24)	39.5 (6.0)	137.9 (6.5)	3493 (08)
बांका	11.4 (1.8)	28.4 (1.9)	2494 (12)	11.3 (1.7)	35.6 (1.7)	3159 (11)
सहरसा	37.9 (5.9)	120.2 (8.1)	3162 (01)	46.1 (7.1)	246.5 (11.7)	5349 (02)
सुपौल	11.5 (1.8)	35.1 (2.4)	3059 (02)	12.3 (1.9)	60.6 (2.9)	4921 (03)
मधेपुरा	45.1 (7.0)	115.5 (7.8)	2559 (11)	42.2 (6.5)	129.6 (6.1)	3072 (12)
पूर्णिया	36.3 (5.7)	94.7 (6.4)	2608 (10)	38.1 (5.8)	94.4 (4.5)	2477 (22)
किशनगंज	8.5 (1.3)	17.9 (1.2)	2111 (23)	2.7 (0.4)	8.3 (0.4)	3038 (14)
अररिया	20.3 (3.2)	59.0 (4.0)	2902 (06)	20.5 (3.1)	109.7 (5.2)	5354 (01)
कटिहार	46.2 (7.2)	123.9 (8.4)	2682 (09)	51.5 (7.9)	192.4 (9.1)	3733 (06)
बिहार	640.9 (100.0)	1478.6 (100.0)	2307	653.7 (100.0)	2108.2 (100.0)	3225

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्षेत्रफल/ उत्पादन के लिए प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

तालिका प 2.6 : बिहार में दलहन का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2009-10 और 2010-11)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिला	2009-10			2010-11		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	52.2 (9.2)	55.5 (11.8)	1064 (05)	46.1 (8.6)	54.8 (11.7)	1190 (04)
नालंदा	27.4 (4.9)	28.1 (6.0)	1024 (06)	23.8 (4.4)	26.4 (5.6)	1108 (08)
भोजपुर	26.4 (4.7)	40.7 (8.6)	1543 (01)	25.5 (4.7)	32.8 (7.0)	1286 (02)
बक्सर	8.3 (1.5)	7.4 (1.6)	899 (15)	8.9 (1.7)	10.2 (2.2)	1145 (07)
रोहतास	14.4 (2.6)	13.8 (2.9)	956 (11)	15.1 (2.8)	17.8 (3.8)	1174 (05)
कैमूर	17.2 (3.0)	13.2 (2.8)	766 (23)	17.1 (3.2)	15.6 (3.3)	914 (16)
गया	14.4 (2.5)	16.6 (3.5)	1153 (04)	12.7 (2.4)	12.7 (2.7)	1001 (11)
जहानाबाद	16.1 (2.5)	15.7 (3.3)	978 (09)	16.3 (3.0)	15.4 (3.3)	944 (15)
अरवल	6.4 (1.1)	6.1 (1.3)	948 (12)	5.4 (1.0)	4.2 (0.9)	775 (26)
नवादा	9.8 (1.7)	9.4 (2.0)	960 (10)	12.0 (2.2)	12.6 (2.7)	1048 (09)
औरंगाबाद	39.9 (7.1)	28.9 (6.1)	724 (25)	35.4 (6.6)	32.3 (6.9)	912 (17)
सारण	4.6 (0.8)	2.7 (0.6)	586 (33)	3.6 (0.7)	2.7 (0.6)	741 (28)
सीवान	4.2 (0.7)	3.4 (0.7)	810 (21)	3.9 (0.7)	4.5 (1.0)	1170 (06)
गोपालगंज	2.9 (0.5)	2.6 (0.5)	876 (17)	3.1 (0.6)	4.2 (0.9)	1351 (01)
पश्चिम चंपारण	22.1 (3.9)	18.4 (3.9)	832 (19)	22.4 (4.2)	17.7 (3.8)	787 (25)
पूर्व चंपारण	12.5 (2.2)	11.3 (2.4)	902 (14)	11.5 (2.1)	14.8 (3.2)	1285 (03)
मुजफ्फरपुर	25.5 (4.5)	14.2 (3.0)	557 (35)	28.9 (5.4)	16.3 (3.5)	564 (36)
सीतामढ़ी	12.9 (2.3)	10.2 (2.2)	794 (22)	14.2 (2.6)	12.8 (2.7)	899 (18)
शिवहर	1.8 (0.3)	0.9 (0.2)	482 (37)	2.9 (0.5)	2.4 (0.5)	811 (21)
वैशाली	14.4 (2.6)	9.6 (2.0)	667 (28)	9.7 (1.8)	6.8 (1.5)	702 (29)
दरभंगा	11.8 (2.1)	6.8 (1.4)	579 (34)	11.4 (2.1)	7.3 (1.6)	643 (33)
मधुबनी	17.9 (3.2)	11.4 (2.4)	636 (31)	18.3 (3.4)	11.7 (2.5)	641 (35)
समस्तीपुर	15.6 (2.8)	11.1 (2.3)	708 (26)	14.2 (2.6)	11.5 (2.5)	809 (22)
बेगूसराय	4.9 (0.9)	4.5 (1.0)	918 (13)	4.4 (0.8)	4.5 (1.0)	1025 (10)
मुंगेर	3.4 (0.6)	3.3 (0.7)	992 (08)	3.7 (0.7)	3.5 (0.8)	946 (14)
शेखपुरा	6.1 (1.1)	7.9 (1.7)	1304 (02)	6.0 (1.1)	5.2 (1.1)	862 (20)
लखीसराय	12.6 (2.2)	12.7 (2.7)	1013 (07)	20.8 (3.9)	16.5 (3.5)	792 (24)
जमुई	3.1 (0.6)	3.8 (0.8)	1208 (03)	1.6 (0.3)	1.5 (0.3)	992 (12)
खगड़िया	7.3 (1.3)	5.9 (1.3)	813 (20)	7.7 (1.4)	7.3 (1.6)	947(30)
भागलपुर	19.5 (3.4)	17.1 (3.6)	878 (16)	13.9 (2.6)	10.9 (2.4)	793 (13)
बांका	8.3 (1.5)	6.9 (1.5)	832 (18)	6.6 (1.2)	4.6 (1.0)	687 (23)
सहरसा	20.8 (3.7)	8.9 (1.9)	431 (38)	16.5 (3.1)	10.6 (2.3)	646 (32)
सुपौल	27.1 (4.8)	14.2 (3.0)	522 (36)	30.1 (5.6)	12.5 (2.7)	415 (38)
मधेपुरा	21.7 (3.8)	13.9 (3.0)	645 (30)	21.8 (4.1)	11.5 (2.5)	528 (37)
पूर्णिया	12.3 (2.2)	8.0 (1.7)	649 (29)	10.4 (1.9)	6.8 (1.4)	652 (31)
किशनगंज	9.3 (1.7)	5.6 (1.2)	599 (32)	9.3 (1.7)	5.9 (1.3)	642 (34)
अररिया	18.0 (3.2)	12.6 (2.7)	697 (27)	14.5 (2.7)	10.9 (2.3)	754 (27)
कटिहार	11.5 (2.0)	8.6 (1.8)	744 (24)	8.7 (1.6)	7.5 (1.6)	864 (19)
बिहार	564.9 (100.0)	472.2 (100.0)	836	538.3 (100.0)	467.3 (100.0)	868

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्षेत्रफल/ उत्पादन के लिए प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

तालिका प 2.7 : बिहार में महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2010-11 और 2011-12)

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

जिला	आलू				प्याज			
	2010-11		2011-12		2010-11		2011-12	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	15988 (5.1)	306970 (5.3)	16074 (5.1)	327910 (5.4)	2484 (4.7)	51170 (4.7)	2503 (4.7)	56943 (4.6)
नालंदा	27098 (8.6)	531121 (9.2)	27172 (8.6)	565178 (9.3)	5888 (11.1)	130714 (12.1)	5967 (11.1)	144401(11.7)
भोजपुर	8338 (2.7)	156754 (2.7)	8391 (2.7)	172855 (2.8)	1209 (2.3)	25389 (2.3)	1228 (2.3)	27384 (2.2)
बक्सर	5015 (1.6)	92276 (1.6)	5063 (1.6)	102779 (1.7)	928 (1.7)	19117 (1.8)	941 (1.7)	20796 (1.7)
रोहतास	10399 (3.3)	185102 (3.2)	10423 (3.3)	185529 (3.0)	1182 (2.2)	22931 (2.1)	1189 (2.2)	25682 (2.1)
कैमूर	4178 (1.3)	75204 (1.3)	4211 (1.3)	76219 (1.2)	884 (1.7)	17503 (1.6)	893 (1.7)	19557 (1.6)
गया	10416 (3.3)	188530 (3.3)	10439 (3.3)	186858 (3.1)	1442 (2.7)	28984 (2.7)	1456 (2.7)	31741 (2.6)
जहानाबाद	3611 (1.1)	66081 (1.1)	3654 (1.2)	66868 (1.1)	547 (1.0)	11104 (1.0)	558 (1.0)	12332 (1.0)
अरवल	2874 (0.9)	52882 (0.9)	2902 (0.9)	53687 (0.9)	444 (0.8)	9102 (0.8)	455 (0.8)	10147 (0.8)
नवादा	5611 (1.8)	98754 (1.7)	5636 (1.8)	99194 (1.6)	958 (1.8)	17436 (1.6)	967 (1.8)	20114 (1.6)
औरंगाबाद	5823 (1.9)	103649 (1.8)	5848 (1.9)	105264 (1.7)	1099 (2.1)	20441 (1.9)	1108 (2.1)	22936 (1.9)
सारण	13218 (4.2)	240568 (4.2)	13241 (4.2)	242310 (4.0)	954 (1.8)	18031 (1.7)	966 (1.8)	20672 (1.7)
सीवान	9992 (3.2)	183853 (3.2)	10018 (3.2)	186335 (3.1)	914 (1.7)	17640 (1.6)	931 (1.7)	20668 (1.7)
गोपालगंज	11868 (3.8)	217184 (3.8)	11872 (3.8)	223194 (3.7)	898 (1.7)	17242 (1.6)	907 (1.7)	19591 (1.6)
पश्चिम चंपारण	11999 (3.8)	223181 (3.9)	12038 (3.8)	250390 (4.1)	2338 (4.4)	51904 (4.8)	2363 (4.4)	56476 (4.6)
पूर्व चंपारण	11458 (3.6)	211973 (3.7)	11537 (3.7)	237662 (3.9)	2386 (4.5)	50106 (4.6)	2398 (4.5)	56113 (4.5)
मुजफ्फरपुर	11702 (3.7)	216487 (3.7)	11726 (3.7)	242728 (4.0)	2532 (4.8)	53172 (4.9)	2546 (4.7)	60595 (4.9)
सीतामढ़ी	6699 (2.1)	121252 (2.1)	6717 (2.1)	128295 (2.1)	1333 (2.5)	27460 (2.5)	1351 (2.5)	30668 (2.5)
शिवहर	4202 (1.3)	74796 (1.3)	4212 (1.3)	80870 (1.3)	723 (1.4)	14605 (1.3)	729 (1.4)	16111 (1.3)
वैशाली	12748 (4.1)	232014 (4.0)	12761 (4.0)	247563 (4.1)	1742 (3.3)	36582 (3.4)	1784 (3.3)	42816 (3.5)
दरभंगा	7611 (2.4)	137759 (2.4)	7628 (2.4)	141118 (2.3)	1108 (2.1)	20941 (1.9)	1116 (2.1)	24552 (2.0)
मधुबनी	10119 (3.2)	185178 (3.2)	10124 (3.2)	189319 (3.1)	1121 (2.1)	21299 (2.0)	1128 (2.1)	24590 (2.0)
समस्तीपुर	11895 (3.8)	221247 (3.8)	11927 (3.8)	239733 (3.9)	1261 (2.4)	25598 (2.4)	1281 (2.4)	30872 (2.5)
बेगूसराय	7787 (2.5)	146396 (2.5)	7815 (2.5)	160987 (2.6)	1982 (3.7)	40036 (3.7)	1997 (3.7)	47928 (3.9)
मुंगेर	6986 (2.2)	127145 (2.2)	6998 (2.2)	131562 (2.2)	1021 (1.9)	20624 (1.9)	1039 (1.9)	23481 (1.9)
शेखपुरा	5502 (1.8)	107289 (1.9)	5522 (1.8)	114858 (1.9)	1086 (2.0)	24652 (2.3)	1108 (2.1)	26814 (2.2)
लखीसराय	3086 (1.0)	56782 (1.0)	3099 (1.0)	57022 (0.9)	348 (0.7)	6542 (0.6)	359 (0.7)	8185 (0.7)
जमुई	3383 (1.1)	60217 (1.0)	3391 (1.1)	62055 (1.0)	755 (1.4)	13892 (1.3)	761 (1.4)	16209 (1.3)
खगड़िया	5398 (1.7)	97164 (1.7)	5414 (1.7)	99076 (1.6)	774 (1.5)	14551 (1.3)	778 (1.4)	16805 (1.4)
भागलपुर	8228 (2.6)	150572 (2.6)	8242 (2.6)	159071 (2.6)	1638 (3.1)	34070 (3.1)	1667 (3.1)	39675 (3.2)
बांका	6336 (2.0)	111514 (1.9)	6343 (2.0)	115443 (1.9)	746 (1.4)	13876 (1.3)	756 (1.4)	15725 (1.3)
सहरसा	7453 (2.4)	135645 (2.3)	7471 (2.4)	145685 (2.4)	646 (1.2)	12662 (1.2)	651 (1.2)	15364 (1.2)
सुपौल	5897 (1.9)	103787 (1.8)	5912 (1.9)	109963 (1.8)	384 (0.7)	7142 (0.7)	387 (0.7)	8824 (0.7)
मधपुरा	6963 (2.2)	125334 (2.2)	6978 (2.2)	131321 (2.2)	982 (1.8)	19051 (1.8)	988 (1.8)	23119 (1.9)
पूर्णिया	6751 (2.1)	122868 (2.1)	6766 (2.1)	128554 (2.1)	1784 (3.3)	35680 (3.3)	1793 (3.3)	41598 (3.4)
किशनगंज	5894 (1.9)	105503 (1.8)	5912 (1.9)	111146 (1.8)	1394 (2.6)	26486 (2.4)	1398 (2.6)	31874 (2.6)
अररिया	4438 (1.4)	78996 (1.4)	4446 (1.4)	83585 (1.4)	1499 (2.8)	28181 (2.6)	1503 (2.8)	33968 (2.7)
कटिहार	7228 (2.3)	132272 (2.3)	7247 (2.3)	139505 (2.3)	3844 (7.2)	76111 (7.0)	3857 (7.2)	91411 (7.4)
बिहार	314192 (100.0)	5784299 (100.0)	315170 (100.0)	6101691 (100.0)	53258 (100.0)	1082027 (100.0)	53807 (100.0)	1236737 (100.0)

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं। (जारी)

तालिका प 2.7 : बिहार में महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2010-11 और 2011-12) (जारी)

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

जिला	फूलगोभी				बैंगन			
	2010-11		2011-12		2010-11		2011-12	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	3668 (5.9)	66024 (5.9)	3681 (5.8)	68835 (6.0)	1858 (3.3)	40133 (3.3)	1871 (3.3)	42285 (3.3)
नालंदा	3129 (5.0)	56948 (5.1)	3142 (5.0)	59070 (5.1)	6482 (11.6)	148438 (12.2)	6493 (11.6)	152586 (12.0)
भोजपुर	1148 (1.8)	20664 (1.8)	1161 (1.8)	21595 (1.9)	1087 (2.0)	23914 (2.0)	1098 (2.0)	24925 (2.0)
बक्सर	704 (1.1)	12672 (1.1)	714 (1.1)	13066 (1.1)	689 (1.2)	15020 (1.2)	696 (1.2)	15521 (1.2)
रोहतास	1198 (1.9)	20606 (1.8)	1203 (1.9)	21173 (1.8)	978 (1.8)	19756 (1.6)	984 (1.8)	20467 (1.6)
कैमूर	768 (1.2)	13363 (1.2)	777 (1.2)	13831 (1.2)	694 (1.2)	14296 (1.2)	702 (1.3)	15023 (1.2)
गया	1948 (3.1)	34285 (3.1)	1956 (3.1)	35012 (3.0)	1658 (3.0)	34486 (2.8)	1666 (3.0)	35486 (2.8)
जहानाबाद	542 (0.9)	9702 (0.9)	548 (0.9)	9974 (0.9)	648 (1.2)	13738 (1.1)	659 (1.2)	14300 (1.1)
अरवल	448 (0.7)	8064 (0.7)	453 (0.7)	8335 (0.7)	436 (0.8)	9505 (0.8)	447 (0.8)	9789 (0.8)
नवादा	1306 (2.1)	22463 (2.0)	1309 (2.1)	23431 (2.0)	1214 (2.2)	25008 (2.1)	1223 (2.2)	26050 (2.0)
औरंगाबाद	1342 (2.1)	23217 (2.1)	1345 (2.1)	23672 (2.0)	1118 (2.0)	23366 (1.9)	1126 (2.0)	24434 (1.9)
सारण	2081 (3.3)	36209 (3.2)	2089 (3.3)	38020 (3.3)	1796 (3.2)	38434 (3.2)	1807 (3.2)	40115 (3.2)
सीवान	1618 (2.6)	29448 (2.6)	1631 (2.6)	30010 (2.6)	1588 (2.9)	34936 (2.9)	1602 (2.9)	36205 (2.8)
गोपालगंज	1881 (3.0)	33858 (3.0)	1888 (3.0)	34550 (3.0)	1394 (2.5)	30389 (2.5)	1406 (2.5)	31494 (2.5)
पश्चिम चंपारण	2878 (4.6)	52380 (4.7)	2888 (4.6)	54294 (4.7)	1972 (3.5)	44567 (3.7)	1988 (3.5)	46122 (3.6)
पूर्व चंपारण	2042 (3.3)	36756 (3.3)	2051 (3.3)	38149 (3.3)	1632 (2.9)	36230 (3.0)	1641 (2.9)	37415 (2.9)
मुजफ्फरपुर	3747 (6.0)	67446 (6.0)	3756 (6.0)	69486 (6.0)	2833 (5.1)	63459 (5.2)	2847 (5.1)	66335 (5.2)
सीतामढ़ी	1342 (2.1)	24156 (2.2)	1348 (2.1)	24668 (2.1)	1236 (2.2)	26698 (2.2)	1249 (2.2)	27353 (2.2)
शिवहर	844 (1.3)	14939 (1.3)	849 (1.3)	15367 (1.3)	664 (1.2)	14077 (1.2)	669 (1.2)	14517 (1.1)
वैशाली	4968 (7.9)	91411 (8.2)	4979 (7.9)	94103 (8.1)	3072 (5.5)	68813 (5.7)	3094 (5.5)	73637 (5.8)
दरभंगा	1628 (2.6)	28490 (2.5)	1634 (2.6)	29575 (2.6)	2438 (4.4)	51686 (4.3)	2447 (4.4)	54079 (4.3)
मधुबनी	2584 (4.1)	45737 (4.1)	2589 (4.1)	46602 (4.0)	1994 (3.6)	43070 (3.5)	2012 (3.6)	44063 (3.5)
समस्तीपुर	2938 (4.7)	53472 (4.8)	2947 (4.7)	55404 (4.8)	2218 (4.0)	50570 (4.2)	2237 (4.0)	53017 (4.2)
बेगूसराय	1872 (3.0)	34070 (3.0)	1882 (3.0)	35005 (3.0)	2668 (4.8)	58696 (4.8)	2684 (4.8)	63074 (5.0)
मुंगेर	748 (1.2)	13165 (1.2)	759 (1.2)	13814 (1.2)	725 (1.3)	15660 (1.3)	737 (1.3)	16804 (1.3)
शेखपुरा	246 (0.4)	4379 (0.4)	249 (0.4)	4507 (0.4)	304 (0.5)	6627 (0.5)	308 (0.5)	7146 (0.6)
लखीसराय	281 (0.4)	4946 (0.4)	298 (0.5)	5364 (0.5)	196 (0.4)	4194 (0.3)	209 (0.4)	4765 (0.4)
जमुई	433 (0.7)	7448 (0.7)	436 (0.7)	7717 (0.7)	588 (1.1)	12113 (1.0)	593 (1.1)	12690 (1.0)
खगड़िया	1238 (2.0)	21417 (1.9)	1243 (2.0)	22125 (1.9)	1418 (2.5)	29636 (2.4)	1426 (2.5)	30802 (2.4)
भागलपुर	1548 (2.5)	28174 (2.5)	1563 (2.5)	28916 (2.5)	1616 (2.9)	35875 (3.0)	1629 (2.9)	37793 (3.0)
बांका	721 (1.2)	12401 (1.1)	726 (1.2)	12778 (1.1)	821 (1.5)	17405 (1.4)	828 (1.5)	17968 (1.4)
सहरसा	1768 (2.8)	31470 (2.8)	1779 (2.8)	32378 (2.8)	1328 (2.4)	28685 (2.4)	1344 (2.4)	30912 (2.4)
सुपौल	688 (1.1)	11696 (1.1)	696 (1.1)	12250 (1.1)	618 (1.1)	13040 (1.1)	627 (1.1)	13669 (1.1)
मधेपुरा	1776 (2.8)	30902 (2.8)	1788 (2.8)	32184 (2.8)	1582 (2.8)	33855 (2.8)	1597 (2.8)	35933 (2.8)
पूर्णिया	1958 (3.1)	35244 (3.2)	1964 (3.1)	36138 (3.1)	1122 (2.0)	24460 (2.0)	1131 (2.0)	26137 (2.1)
किशनगंज	878 (1.4)	15277 (1.4)	889 (1.4)	15735 (1.4)	572 (1.0)	12412 (1.0)	588 (1.0)	12995 (1.0)
अररिया	843 (1.3)	14500 (1.3)	847 (1.3)	14992 (1.3)	642 (1.2)	13675 (1.1)	649 (1.2)	14083 (1.1)
कटिहार	2884 (4.6)	51335 (4.6)	2896 (4.6)	52997 (4.6)	1768 (3.2)	38719 (3.2)	1791 (3.2)	41551 (3.3)
बिहार	62634 (100.0)	1118734 (100.0)	62953 (100.0)	1155122 (100.0)	55667 (100.0)	1215641 (100.0)	56105 (100.0)	1271540 (100.0)

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं। (जारी)

तालिका प 2.7 : बिहार में महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2010-11 और 2011-12) (जारी)

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

जिला	अन्य				योग			
	2010-11		2011-12		2010-11		2011-12	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	16004 (4.5)	244431 (4.5)	16213 (4.5)	257170 (4.5)	40002 (4.9)	708728 (4.8)	40342 (4.7)	753143 (4.9)
नालंदा	17116 (4.8)	259215 (4.8)	17273 (4.7)	269248 (4.7)	59713 (7.1)	1126436 (7.7)	60047 (7.0)	1190483 (7.7)
भोजपुर	7719 (2.1)	118062 (2.2)	7914 (2.2)	124981 (2.2)	19501 (2.3)	344783 (2.4)	19792 (2.3)	371740 (2.4)
बक्सर	5571 (1.6)	85443 (1.6)	5742 (1.6)	90667 (1.6)	12907 (1.5)	224528 (1.5)	13156 (1.5)	242829 (1.6)
रोहतास	5943 (1.7)	82991 (1.5)	6013 (1.7)	89671 (1.6)	19700 (2.3)	331386 (2.3)	19812 (2.3)	342522 (2.2)
कैमूर	4135 (1.2)	60341 (1.1)	4213 (1.2)	64169 (1.1)	10659 (1.3)	180707 (1.2)	10796 (1.3)	188799 (1.2)
गया	9864 (2.7)	139901 (2.6)	9971 (2.7)	147260 (2.6)	25328 (3.0)	426186 (2.9)	25488 (3.0)	436357 (2.8)
जहानाबाद	3943 (1.1)	61879 (1.1)	4065 (1.1)	65708 (1.1)	9291 (1.1)	162504 (1.1)	9484 (1.1)	169182 (1.1)
अरवल	3305 (0.9)	51464 (0.9)	3457 (0.9)	54997 (1.0)	7507 (0.9)	131017 (0.9)	7714 (0.9)	136955 (0.9)
नवादा	7088 (2.0)	98354 (1.8)	7167 (2.0)	104884 (1.8)	16177 (1.9)	262015 (1.8)	16302 (1.9)	273673 (1.8)
औरंगाबाद	7718 (2.1)	114868 (2.1)	7802 (2.1)	121303 (2.1)	17100 (2.0)	285541 (2.0)	17229 (2.0)	297609 (1.9)
सारण	10669 (3.0)	155686 (2.9)	10822 (3.0)	165839 (2.9)	28718 (3.4)	488928 (3.3)	28925 (3.4)	506956 (3.3)
सीवान	9903 (2.8)	145636 (2.7)	9972 (2.7)	154783 (2.7)	24015 (2.8)	411513 (2.8)	24154 (2.8)	428001 (2.8)
गोपालगंज	9994 (2.8)	153028 (2.8)	10095 (2.8)	160534 (2.8)	26035 (3.1)	451701 (3.1)	26168 (3.1)	469363 (3.0)
पश्चिम चंपारण	15022 (4.2)	238744 (4.4)	15119 (4.2)	247346 (4.3)	34209 (4.0)	610776 (4.2)	34433 (4.0)	655424 (4.2)
पूर्व चंपारण	14092 (3.9)	219369 (4.0)	14201 (3.9)	228772 (4.0)	31610 (3.7)	554434 (3.8)	31860 (3.7)	598780 (3.9)
मुजफ्फरपुर	19874 (5.5)	322752 (5.9)	19971 (5.5)	335750 (5.9)	40688 (4.8)	723316 (4.9)	40912 (4.8)	776254 (5.0)
सीतामढ़ी	8636 (2.4)	138831 (2.6)	8744 (2.4)	145021 (2.5)	19246 (2.3)	338397 (2.3)	19442 (2.3)	356691 (2.3)
शिवहर	4694 (1.3)	70423 (1.3)	4758 (1.3)	74009 (1.3)	11127 (1.3)	188840 (1.3)	11240 (1.3)	201332 (1.3)
वैशाली	21484 (6.0)	351649 (6.5)	21734 (6.0)	370776 (6.5)	44014 (5.2)	780469 (5.3)	44406 (5.2)	830018 (5.4)
दरभंगा	13788 (3.8)	202124 (3.7)	13881 (3.8)	210995 (3.7)	26573 (3.1)	441000 (3.0)	26753 (3.1)	461287 (3.0)
मधुबनी	10825 (3.0)	162030 (3.0)	10956 (3.0)	168660 (2.9)	26643 (3.2)	457314 (3.1)	26846 (3.1)	474004 (3.1)
समस्तीपुर	13964 (3.9)	225190 (4.1)	14061(3.9)	236776 (4.1)	32276 (3.8)	576077 (3.9)	32539 (3.8)	617608 (4.0)
बेगूसराय	13057 (3.6)	204214 (3.8)	13223 (3.6)	216978 (3.8)	27366 (3.2)	483412 (3.3)	27644 (3.2)	524871 (3.4)
मुंगेर	6881 (1.9)	100356 (1.8)	7083 (1.9)	106261 (1.9)	16361 (1.9)	276950 (1.9)	16616 (1.9)	291922 (1.9)
शेखपुरा	2476 (0.7)	35310 (0.7)	2809 (0.8)	43656 (0.8)	9614 (1.1)	178257 (1.2)	9996 (1.2)	196981 (1.3)
लखीसराय	2828 (0.8)	40289 (0.7)	3029 (0.8)	44457 (0.8)	6739 (0.8)	112753 (0.8)	6994 (0.8)	119793 (0.8)
जमुई	4001 (1.1)	55183 (1.0)	4050 (1.1)	58398 (1.0)	9160 (1.1)	148853 (1.0)	9231 (1.1)	157069 (1.0)
खगड़िया	7887 (2.2)	113903 (2.1)	7961 (2.2)	119402 (2.1)	16715 (2.0)	276671 (1.9)	16822 (2.0)	288210 (1.9)
भागलपुर	11862 (3.3)	187554 (3.5)	12043 (3.3)	196661 (3.4)	24892 (2.9)	436245 (3.0)	25144 (2.9)	462116 (3.0)
बांका	4459 (1.2)	63841 (1.2)	4524 (1.2)	67687 (1.2)	13083 (1.5)	219037 (1.5)	13177 (1.5)	229601 (1.5)
सहरसा	10548 (2.9)	152208 (2.8)	10699 (2.9)	166607 (2.9)	21743 (2.6)	360670 (2.5)	21944 (2.6)	390946 (2.5)
सुपौल	4862 (1.4)	64798 (1.2)	4952 (1.4)	70537 (1.2)	12449 (1.5)	200463 (1.4)	12574 (1.5)	215243 (1.4)
मधेपुरा	10554 (2.9)	150424 (2.8)	10707 (2.9)	162804 (2.8)	21857 (2.6)	359566 (2.5)	22058 (2.6)	385361 (2.5)
पूर्णिया	11515 (3.2)	166425 (3.1)	11610 (3.2)	168239 (2.9)	23130 (2.7)	384677 (2.6)	23264 (2.7)	400666 (2.6)
किशनगंज	5856 (1.6)	86313 (1.6)	5943 (1.6)	90662 (1.6)	14594 (1.7)	245991 (1.7)	14730 (1.7)	262412 (1.7)
अररिया	5473 (1.5)	78722 (1.4)	5534 (1.5)	82795 (1.4)	12895 (1.5)	214074 (1.5)	12979 (1.5)	229423 (1.5)
कटिहार	15616 (4.3)	227568 (4.2)	15814 (4.3)	244039 (4.3)	31340 (3.7)	526005 (3.6)	31605 (3.7)	569503 (3.7)
बिहार	359226 (100.0)	5429519 (100.0)	364125 (100.0)	5728502 (100.0)	844977 (100.0)	14630220 (100.0)	852618 (100.0)	15503127 (100.0)

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं। (समाप्त)

तालिका प 2.8 : बिहार में महत्वपूर्ण फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2010-11 आर 2011-12)

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

जिला	आम				अमरुद			
	2010-11		2011-12		2010-11		2011-12	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	3944 (2.7)	36285 (2.7)	3978 (2.7)	34211 (2.8)	1088 (3.7)	8813 (3.7)	1092 (3.7)	9173 (3.7)
नालंदा	2872 (2.0)	25848 (1.9)	2897 (2.0)	23755 (1.9)	1466 (5.0)	11581 (4.9)	1469 (5.0)	11899 (4.9)
भोजपुर	4602 (3.1)	40958 (3.1)	4614 (3.1)	38758 (3.1)	1879 (6.4)	15596 (6.6)	1881 (6.4)	16177 (6.6)
बक्सर	3378 (2.3)	29051 (2.2)	3387 (2.3)	27096 (2.2)	1494 (5.1)	12251 (5.2)	1496 (5.1)	12566 (5.1)
रोहतास	5698 (3.9)	50142 (3.8)	5709 (3.9)	45672 (3.7)	3209 (10.9)	24388 (10.4)	3210 (10.9)	25520 (10.4)
कैमूर	3372 (2.3)	28328 (2.1)	3379 (2.3)	26694 (2.1)	1365 (4.6)	10647 (4.5)	1366 (4.6)	11065 (4.5)
गया	1334 (0.9)	11472 (0.4)	1347 (0.9)	10507 (0.8)	656 (2.2)	5117 (2.2)	658 (2.2)	5198 (2.1)
जहानाबाद	376 (0.2)	3234 (0.2)	388 (0.3)	2988 (0.2)	258 (0.9)	2038 (0.9)	262 (0.9)	2175 (0.9)
अरवल	351 (0.2)	3054 (0.2)	364 (0.2)	2876 (0.2)	232 (0.8)	1856 (0.8)	236 (0.8)	1982 (0.8)
नवादा	1144 (0.8)	9610 (0.7)	1149 (0.8)	8503 (0.7)	512 (1.7)	3789 (M.6)	513 (1.7)	3899 (1.6)
औरंगाबाद	1311 (0.9)	11668 (0.9)	1326 (0.9)	10475 (0.8)	676 (2.3)	5273 (2.2)	679 (2.3)	5364 (2.2)
सारण	5112 (3.5)	43963 (3.3)	5123 (3.5)	43033 (3.5)	818 (2.8)	6217 (2.6)	821 (2.8)	6486 (2.6)
सीवान	2518 (1.7)	22410 (1.7)	2529 (1.7)	21749 (1.8)	684 (2.3)	5404 (2.3)	688 (2.3)	5779 (2.4)
गोपालगंज	3019 (2.1)	27171 (2.0)	3028 (2.1)	24830 (2.0)	598 (2.0)	4844 (2.1)	599 (2.0)	5002 (2.0)
पश्चिम चंपारण	7268 (4.9)	69773 (5.2)	7284 (4.9)	63371 (5.1)	1629 (5.5)	13521 (5.7)	1633 (5.5)	14044 (5.7)
पूर्व चंपारण	9244 (6.3)	85045 (6.4)	9263 (6.3)	77809 (6.3)	1648 (5.6)	13019 (5.5)	1651 (5.6)	13868 (5.7)
मुजफ्फरपुर	9758 (6.6)	90749 (6.8)	9779 (6.6)	86055 (6.9)	1414 (4.8)	11595 (4.9)	1416 (4.8)	12036 (4.9)
सीतामढ़ी	5268 (3.6)	48992 (3.7)	5283 (3.6)	45434 (3.7)	734 (2.5)	6019 (2.6)	737 (2.5)	6301 (2.6)
शिवहर	2656 (1.8)	23373 (1.8)	2661 (1.8)	21820 (1.8)	323 (1.1)	2616 (1.1)	324 (1.1)	2722 (1.1)
वैशाली	8367 (5.7)	77813 (5.8)	8388 (5.7)	74653 (6.0)	1298 (4.4)	10773 (4.6)	1303 (4.4)	11597 (4.7)
दरभंगा	12974 (8.8)	118063 (8.8)	12988 (8.8)	112996 (9.1)	618 (2.1)	4882 (2.1)	619 (2.1)	5231 (2.1)
मधुबनी	6078 (4.2)	55918 (4.2)	6089 (4.1)	51148 (4.1)	504 (1.7)	4082 (1.7)	506 (1.7)	4210 (1.7)
समस्तीपुर	10554 (7.4)	99208 (7.4)	10572 (7.2)	94091 (7.6)	628 (2.1)	5212 (2.2)	631 (2.1)	5553 (2.3)
बेगूसराय	4038 (2.8)	37150 (2.8)	4057 (2.8)	35296 (2.8)	523 (1.8)	4446 (1.9)	524 (1.8)	4559 (1.9)
मुंगेर	1242 (0.8)	11054 (0.5)	1259 (0.9)	10450 (0.8)	282 (1.0)	2228 (0.9)	284 (1.0)	2386 (1.0)
शेखपुरा	838 (0.6)	7207 (0.5)	842 (0.6)	6399 (0.5)	141 (0.5)	1072 (0.5)	142 (0.5)	1101 (0.4)
लखीसराय	576 (0.4)	5069 (0.4)	582 (0.4)	4598 (0.4)	143 (0.5)	1115 (0.5)	144 (0.5)	1152 (0.5)
जमुई	1083 (0.7)	9747 (0.7)	1092 (0.7)	8081 (0.7)	226 (0.8)	1718 (0.7)	227 (0.8)	1771 (0.7)
खगड़िया	1686 (1.1)	15511 (1.2)	1691 (1.1)	12852 (1.0)	378 (1.3)	2986 (1.3)	379 (1.3)	3032 (1.2)
भागलपुर	7452 (5.1)	70049 (5.2)	7473 (5.1)	64268 (5.2)	696 (2.4)	5707 (2.4)	698 (2.4)	6003 (2.4)
बांका	6268 (4.3)	53905 (4.0)	6276 (4.3)	48325 (3.9)	314 (1.1)	2449 (1.0)	315 (1.1)	2489 (1.0)
सहरसा	2582 (1.8)	23496 (1.8)	2591 (1.8)	21246 (1.7)	658 (2.2)	5330 (2.3)	659 (2.2)	5536 (2.3)
सुपौल	1254 (0.8)	10748 (1.5)	1261 (0.9)	9836 (0.8)	437 (1.5)	3321 (1.4)	438 (1.5)	3438 (1.4)
मधेपुरा	1972 (1.3)	17551 (2.2)	1982 (1.3)	16252 (1.3)	631 (2.1)	4985 (2.1)	633 (2.1)	5191 (2.1)
पूर्णिया	2496 (1.7)	22214 (1.3)	2509 (1.7)	20574 (1.7)	382 (1.3)	3171 (1.3)	383 (1.3)	3256 (1.3)
किशनगंज	797 (0.5)	6934 (0.8)	809 (0.5)	5987 (0.5)	238 (0.8)	1880 (0.8)	239 (0.8)	1912 (0.8)
अररिया	683 (0.4)	5874 (0.7)	695 (0.5)	5074 (0.4)	198 (0.7)	1505 (0.6)	199 (0.7)	1532 (0.6)
कटिहार	2848 (2.0)	26202 (1.6)	2862 (1.9)	24041 (1.9)	452 (1.5)	3706 (1.6)	454 (1.5)	3973 (1.6)
बिहार	147013 (100.0)	1334872 (100.0)	147506 (100.0)	1241803 (100.0)	29430 (100.0)	235152 (100.0)	29508 (100.0)	245178 (100.0)

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं। (जारी)

तालिका प 2.8 : बिहार में महत्वपूर्ण फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2010-11 और 2011-12) (जारी)

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

जिला	लीची				केला			
	2010-11		2011-12		2010-11		2011-12	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	598 (1.9)	28226 (1.9)	599 (1.9)	28632 (1.8)
नालंदा	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	449 (1.4)	21103 (1.4)	451 (1.4)	21400 (1.4)
भोजपुर	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	321 (1.0)	15087 (1.0)	328 (1.0)	15547 (1.0)
बक्सर	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	223 (0.7)	10436 (0.7)	226 (0.7)	10690 (0.7)
रोहतास	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	284 (0.9)	13178 (0.9)	285 (0.9)	13295 (0.8)
कैमूर	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	214 (0.7)	9887 (0.7)	216 (0.7)	10066 (0.6)
गया	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	231 (0.7)	10742 (0.7)	232 (0.7)	10834 (0.7)
जहानाबाद	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	162 (0.5)	7517 (0.5)	168 (0.5)	7862 (0.5)
अरवल	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	115 (0.4)	5382 (0.4)	121 (0.4)	5687 (0.4)
नवादा	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	311 (1.0)	14306 (0.9)	312 (1.0)	14461 (0.9)
औरंगाबाद	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	327 (1.0)	15336 (1.0)	328 (1.0)	15416 (1.0)
सारण	1076 (3.5)	7532 (3.3)	1088 (3.5)	8051 (3.4)	748 (2.3)	34857 (2.3)	762 (2.4)	35738 (2.3)
सीवान	1118 (3.6)	8161 (3.6)	1137 (3.7)	8698 (3.7)	723 (2.3)	34126 (2.3)	731 (2.3)	34869 (2.2)
गोपालगंज	1204 (3.9)	8669 (3.8)	1212 (3.9)	8848 (3.7)	672 (2.1)	31786 (2.1)	678 (2.1)	32205 (2.0)
पश्चिम चंपारण	2082 (6.7)	15407 (6.8)	2098 (6.7)	16364 (6.9)	943 (3.0)	44887 (3.0)	958 (3.0)	48666 (3.1)
पूर्व चंपारण	1872 (6.0)	13478 (5.9)	1891 (6.1)	14561 (6.2)	914 (2.9)	43141 (2.8)	927 (2.9)	46721 (3.0)
मुजफ्फरपुर	7281 (23.4)	53879 (23.2)	7377 (23.7)	57541 (24.3)	5001 (15.2)	239048 (15.8)	5009 (15.6)	249949 (15.8)
सीतामढ़ी	2186 (7.0)	16176 (7.1)	2198 (7.1)	16815 (7.1)	641 (2.0)	30832 (2.0)	656 (2.0)	32275 (2.0)
शिवहर	988 (3.2)	6916 (3.0)	991 (3.2)	7234 (3.1)	278 (0.9)	12955 (0.9)	281 (0.9)	13263 (0.8)
वैशाली	3586 (11.5)	26895 (4.8)	3602 (11.6)	27375 (11.6)	3198 (10.0)	154144 (10.2)	3212 (10.0)	163491 (10.3)
दरभंगा	824 (2.7)	5603 (2.5)	827 (2.7)	5706 (2.4)	1756 (5.5)	81830 (5.4)	1759 (5.5)	83377 (5.3)
मधुबनी	812 (2.6)	5684 (2.5)	813 (2.6)	5854 (2.5)	1029 (3.2)	48260 (3.2)	1034 (3.2)	48908 (3.1)
समस्तीपुर	1268 (4.1)	9510 (4.2)	1298 (4.2)	10124 (4.3)	2098 (6.6)	101543 (6.7)	2204 (6.9)	112184 (7.1)
बेगूसराय	634 (2.0)	4692 (2.1)	666 (2.1)	5128 (2.2)	942 (3.0)	45404 (3.0)	978 (3.0)	49291 (3.1)
मुंगेर	254 (0.8)	1778 (0.8)	258 (0.8)	1858 (0.8)	421 (1.3)	20040 (1.3)	428 (1.3)	20587 (1.3)
शखपुरा	96 (0.3)	634 (0.3)	31 (0.1)	208 (0.1)	136 (0.4)	6256 (0.4)	108 (0.3)	5011 (0.3)
लखीसराय	51 (0.2)	332 (0.1)	42 (0.1)	284 (0.1)	142 (0.4)	6617 (0.4)	143 (0.4)	6721 (0.4)
जमुई	176 (0.6)	1197 (0.5)	142 (0.5)	973 (0.4)	217 (0.7)	10025 (0.7)	178 (0.6)	8259 (0.5)
खगड़िया	333 (1.1)	2398 (1.1)	348 (1.1)	2610 (1.1)	887 (2.8)	42753 (2.8)	973 (3.0)	49526 (3.1)
भागलपुर	544 (1.8)	4026 (1.8)	559 (1.8)	4304 (1.8)	1144 (3.6)	55370 (3.6)	1221 (3.8)	62027 (3.9)
बांका	59 (0.2)	413 (0.2)	38 (0.1)	270 (0.1)	654 (1.1)	30215 (2.0)	332 (1.0)	15405 (1.0)
सहरसा	546 (1.8)	3986 (1.8)	557 (1.8)	4233 (1.8)	1102 (3.5)	52676 (3.5)	1114 (3.5)	56146 (3.6)
सुपौल	194 (0.6)	1319 (0.6)	108 (0.3)	745 (0.3)	1298 (4.1)	62304 (4.1)	604 (1.9)	28992 (1.8)
मधेपुरा	289 (0.9)	2052 (0.9)	204 (0.7)	1510 (0.6)	599 (1.9)	28632 (1.9)	1308 (4.1)	63569 (4.0)
पूर्णिया	1278 (4.1)	9329 (4.1)	1289 (4.1)	9539 (4.0)	968 (3.0)	46270 (3.0)	981 (3.1)	47775 (3.0)
किशनगंज	409 (1.3)	2945 (1.3)	412 (1.3)	3008 (1.3)	641 (2.0)	30063 (2.0)	648 (2.0)	30521 (1.9)
अररिया	406 (1.3)	2883 (1.3)	408 (1.3)	2938 (1.2)	429 (1.3)	19991 (1.3)	433 (1.3)	20308 (1.3)
कटिहार	1498 (4.8)	11085 (4.9)	1503 (4.8)	11648 (4.9)	1072 (3.4)	51885 (3.4)	1183 (3.7)	60806 (3.8)
बिहार	31064 (100.0)	226979 (100.0)	31097 (100.0)	236427 (100.0)	31888 (100.0)	1517110 (100.0)	32109 (100.0)	1580480 (100.0)

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं। (जारी)

तालिका प 2.8 : बिहार में महत्वपूर्ण फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2010-11 और 2011-12) (जारी)

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

जिला	अन्य				योग			
	2010-11		2011-12		2010-11		2011-12	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	2132 (3.7)	19948 (3.3)	2200 (3.8)	21153 (2.7)	7762 (2.6)	93272 (2.4)	7829 (2.6)	92810 (2.4)
नालंदा	1694 (3.0)	15177 (2.5)	1758 (3.0)	16167 (2.0)	6481 (2.2)	73709 (1.9)	6530 (2.2)	72791 (1.9)
भोजपुर	1451 (2.5)	12925 (2.2)	1499 (2.6)	14101 (1.8)	8253 (2.8)	84566 (2.2)	8291 (2.8)	84231 (2.1)
बक्सर	927 (1.6)	8118 (1.4)	966 (1.7)	8525 (1.1)	6022 (2.0)	59856 (1.5)	6047 (2.0)	58912 (1.5)
रोहतास	1073 (1.9)	9452 (1.6)	11300 (19.5)	103147 (13.1)	10264 (2.5)	97160 (2.5)	10283 (3.5)	94106 (2.4)
कैमूर	800 (1.4)	6717 (1.1)	6562 (11.3)	62121 (7.9)	5751 (1.9)	55579 (1.4)	5776 (1.9)	55064 (1.4)
गया	1429 (2.5)	12475 (2.1)	1471 (2.5)	13051 (1.7)	3650 (1.2)	39806 (1.0)	3685 (1.2)	39385 (1.0)
जहानाबाद	670 (1.2)	5952 (1.0)	695 (1.2)	6414 (0.8)	1466 (0.5)	18741 (0.5)	1499 (0.5)	19315 (0.5)
अरवल	487 (0.9)	4486 (0.8)	531 (0.9)	5082 (0.6)	1185 (0.4)	14778 (0.4)	1220 (0.4)	15298 (0.4)
नवादा	1343 (2.4)	11167 (1.9)	1377 (2.4)	11986 (1.5)	3310 (1.1)	38872 (1.0)	3325 (1.1)	38582 (1.0)
औरंगाबाद	1434 (2.5)	12481 (2.1)	1473 (2.5)	12983 (1.6)	3748 (1.3)	44758 (1.1)	3783 (1.3)	44043 (1.1)
सारण	1886 (3.3)	16116 (2.7)	1963 (3.4)	18103 (2.3)	9640 (3.3)	108685 (2.8)	9703 (3.3)	110842 (2.8)
सीवान	1862 (3.3)	16673 (2.8)	1958 (3.4)	18624 (2.4)	6905 (2.3)	86774 (2.2)	6991 (2.3)	89175 (2.3)
गोपालगंज	1418 (2.5)	12515 (2.1)	1482 (2.6)	13646 (1.7)	6911 (2.3)	84985 (2.2)	6958 (2.3)	84094 (2.1)
पश्चिम चंपारण	2940 (5.2)	25652 (4.3)	2989 (5.2)	28159 (3.6)	14862(5.0)	169240 (4.3)	14934 (5.0)	170301 (4.3)
पूर्व चंपारण	2779 (4.9)	24693 (4.1)	2828 (4.9)	25825 (3.3)	16457(5.6)	179376 (4.6)	16533 (5.5)	178518 (4.5)
मुजफ्फरपुर	1978 (3.5)	18443 (3.1)	2034 (3.5)	20431 (2.6)	25432(8.6)	413714 (10.6)	25586 (8.6)	425628 (10.8)
सीतामढ़ी	1085 (1.9)	10064 (1.7)	1115 (1.9)	10834 (1.4)	9914 (3.3)	112083 (2.9)	9976 (3.3)	111532 (2.8)
शिवहर	657 (1.2)	6114 (1.0)	685 (1.2)	6609 (0.8)	4902 (1.7)	51974 (1.3)	4925 (1.7)	51483 (1.3)
वैशाली	1847 (3.2)	17990 (3.0)	1905 (3.3)	19840 (2.5)	18296(6.2)	287615 (7.4)	18383 (6.2)	296624 (7.5)
दरभंगा	2054 (3.6)	17809 (3.0)	2109 (3.6)	19320 (2.4)	18226(6.1)	228187 (5.8)	18260 (6.1)	226125 (5.7)
मधुबनी	1940 (3.4)	17128 (2.9)	2016 (3.5)	18705 (2.4)	10363(3.5)	131072 (3.4)	10405 (3.5)	128159 (3.3)
समस्तीपुर	2039 (3.6)	19286 (3.2)	2066 (3.6)	19881 (2.5)	16587(5.6)	234759 (6.0)	16780 (5.6)	242719 (6.2)
बेगूसराय	1590 (2.8)	15382 (2.6)	1649 (2.8)	16887 (2.1)	7727 (2.6)	107074 (2.7)	7839 (2.6)	110720 (2.8)
मुंगेर	680 (1.2)	6336 (1.1)	730 (1.3)	6485 (0.8)	2879 (1.0)	41436 (1.1)	2923 (1.0)	41397 (1.1)
शेखपुरा	341 (0.6)	3132 (0.5)	388 (0.7)	3691 (0.5)	1552 (0.5)	18301 (0.5)	1471 (0.5)	15998 (0.4)
लखीसराय	282 (0.5)	2668 (0.4)	324 (0.6)	3214 (0.4)	1194 (0.4)	15801 (0.4)	1202 (0.4)	15640 (0.4)
जमुई	676 (1.2)	5672 (0.9)	711 (1.2)	6238 (0.8)	2378 (0.8)	28359 (0.7)	2322 (0.8)	25038 (0.6)
खगड़िया	936 (1.6)	8368 (1.4)	976 (1.7)	9109 (1.2)	4220 (1.4)	72016 (1.8)	4338 (1.5)	76842 (2.0)
भागलपुर	2068 (3.6)	18353 (3.1)	2121 (3.7)	19738 (2.5)	11904(4.0)	153505 (3.9)	12041 (4.0)	155984 (4.0)
बांका	1109 (1.9)	9196 (1.5)	1151 (2.0)	10121 (1.3)	8404 (2.8)	96178 (2.5)	8087 (2.7)	76334 (1.9)
सहरसा	2070 (3.6)	26990 (4.5)	2139 (3.7)	29199 (3.7)	6958 (2.3)	112478 (2.9)	7017 (2.4)	115885 (2.9)
सुपौल	12 (0.0)	-27438 (0.0)	735 (1.3)	6606 (0.8)	3195 (1.1)	50254 (1.3)	3132 (1.1)	49448 (1.3)
मधेपुरा	2412 (4.2)	55883 (9.4)	1750 (3.0)	23248 (2.9)	5903 (2.0)	109103 (2.8)	5852 (2.0)	109487 (2.8)
पूर्णिया	3133 (5.5)	57470 (9.6)	3172 (5.5)	58838 (7.4)	8257 (2.8)	138454 (3.5)	8316 (2.8)	139780 (3.6)
किशनगंज	2977 (5.2)	59766 (10.0)	3075 (5.3)	62420 (7.9)	5062 (1.7)	101588 (2.6)	5140 (1.7)	103404 (2.6)
अररिया	1124 (2.0)	14788 (2.5)	1173 (2.0)	15617 (2.0)	2840 (1.0)	45041 (1.2)	2869 (1.0)	45094 (1.1)
कटिहार	1694 (3.0)	19729 (3.3)	1776 (3.1)	22103 (2.8)	7564 (2.6)	112607 (2.9)	7724 (2.6)	121921 (3.1)
बिहार	57029 (100.0)	597643 (100.0)	58018 (100.0)	789939 (100.0)	296424 (100.0)	3911756 (100.0)	297975 (100.0)	3932709 (100.0)

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं। (समाप्त)

तालिका प 2.9 : बिहार में फूलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2010-11 और 2011-12)

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

जिला	गुलाब				गेंदा			
	2010-11		2011-12		2010-11		2011-12	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	4.30 (6.3)	6.02 (7.0)	4.60 (6.3)	6.44 (6.8)	38.15 (13.5)	721.04 (14.1)	56.20 (15.6)	1056.56 (16.1)
नालंदा	2.50 (3.7)	3.40 (3.9)	2.70 (3.7)	3.78 (4.0)	8.35 (2.9)	151.14 (3.0)	8.80 (2.4)	163.68 (2.5)
भोजपुर	2.60 (3.8)	3.48 (4.0)	2.65 (3.6)	3.71 (3.9)	13.70 (4.8)	249.34 (4.9)	15.15 (4.2)	278.76 (4.2)
बक्सर	1.40 (2.1)	1.54 (1.8)	1.50 (2.1)	1.95 (2.0)	3.55 (1.3)	63.90 (1.2)	4.60 (1.3)	83.26 (1.3)
रोहतास	1.10 (1.6)	1.16 (1.3)	1.20 (1.6)	1.44 (1.5)	2.30 (0.8)	38.64 (0.8)	2.50 (0.7)	44.00 (0.7)
कैमूर	0.95 (1.4)	1.05 (1.2)	1.00 (1.4)	1.16 (1.2)	2.05 (0.7)	34.85 (0.7)	2.30 (0.6)	40.94 (0.6)
गया	2.25 (3.3)	2.48 (2.9)	2.40 (3.3)	2.88 (3.0)	16.95 (6.0)	293.24 (5.7)	18.15 (5.0)	330.33 (5.0)
जहानाबाद	1.20 (1.8)	1.44 (1.7)	1.30 (1.8)	1.69 (1.8)	8.15 (2.9)	143.44 (2.8)	47.40 (13.2)	872.16 (13.3)
अरवल	1.30 (1.9)	1.56 (1.8)	1.40 (1.9)	1.82 (1.9)	7.75 (2.7)	135.63 (2.6)	8.80 (2.4)	160.16 (2.4)
नवादा	0.95 (1.4)	1.05 (1.2)	1.00 (1.4)	1.10 (1.2)	2.45 (0.9)	41.65 (0.8)	2.60 (0.7)	44.72 (0.7)
औरंगाबाद	1.00 (1.5)	1.20 (1.4)	1.05 (1.4)	1.26 (1.3)	5.15 (1.8)	89.10 (1.7)	5.30 (1.5)	92.22 (1.4)
सारण	1.30 (1.9)	1.50 (1.7)	1.35 (1.9)	1.76 (1.8)	4.40 (1.6)	77.00 (1.5)	4.60 (1.3)	81.42 (1.2)
सीवान	1.20 (1.8)	1.44 (1.7)	1.30 (1.8)	1.76 (1.8)	3.05 (1.1)	54.29 (1.1)	4.15 (1.2)	74.29 (1.1)
गोपालगंज	1.25 (1.8)	1.53 (1.8)	1.35 (1.9)	1.62 (1.7)	3.20 (1.1)	57.28 (1.1)	3.90 (1.1)	68.64 (1.0)
पश्चिम चंपारण	2.45 (3.6)	3.33 (3.8)	2.60 (3.6)	3.43 (3.6)	8.60 (3.1)	156.52 (3.1)	9.70 (2.7)	176.54 (2.7)
पूर्व चंपारण	2.50 (3.7)	3.48 (4.0)	2.65 (3.6)	3.71 (3.9)	9.40 (2.4)	174.84 (3.5)	9.90 (2.8)	182.16 (2.8)
मुजफ्फरपुर	4.40 (6.5)	6.07 (7.0)	4.70 (6.4)	6.58 (6.9)	18.95 (6.9)	354.37 (7.1)	20.25 (5.6)	376.65 (5.7)
सीतामढ़ी	1.05 (1.5)	1.16 (1.3)	1.20 (1.6)	1.50 (1.6)	2.90 (1.0)	49.88 (1.0)	3.40 (0.9)	60.18 (0.9)
शिवहर	0.85 (1.2)	0.89 (1.0)	0.90 (1.2)	0.99 (1.0)	1.05 (0.4)	17.85 (0.3)	1.10 (0.3)	18.70 (0.3)
वैशाली	3.95 (5.8)	5.37 (6.2)	4.15 (5.7)	5.81 (6.1)	19.95 (7.3)	371.07 (7.5)	21.60 (6.0)	406.08 (6.2)
दरभंगा	1.90 (2.8)	2.38 (2.8	1.95 (2.7)	2.54 (2.7)	6.80 (2.3)	119.00 (2.22)	6.95 (1.9)	122.32 (1.9)
मधुबनी	1.00 (1.5)	1.30 (1.5	1.10 (1.5)	1.43 (1.5)	3.55 (1.3)	63.19 (1.2)	3.75 (1.0)	66.38 (1.0)
समस्तीपुर	3.95 (5.8)	5.33 (6.2	4.30 (5.9)	6.11 (6.4)	12.80 (4.4)	234.24 (4.4)	14.25 (4.0)	265.05 (4.0)
बेगूसराय	1.80 (2.6)	2.38 (2.8)	1.95 (2.7)	2.34 (2.5)	9.35 (3.2	170.17 (3.3	9.70 (2.7)	176.54 (2.7)
मुंगेर	2.40 (3.5)	3.17 (3.7)	2.75 (3.8)	3.58 (3.8)	10.60 (3.8	188.68 (3.7	11.10 (3.1)	192.03 (2.9)
शेखपुरा	0.70 (1.0)	0.77 (0.9)	0.75 (1.0)	0.83 (0.9)	0.90 (0.3	15.48 (0.3	1.00 (0.3)	17.20 (0.3)
लखीसराय	0.95 (1.4)	1.09 (1.3)	1.00 (1.4)	1.15 (1.2)	2.30 (0.8	40.02 (0.8	2.40 (0.7)	41.76 (0.6)
जमुई	0.90 (1.3)	0.99 (1.1)	0.95 (1.3)	1.06 (1.1)	1.70 (0.6	28.90 (0.6	1.75 (0.5)	29.93 (0.5)
खगड़िया	1.05 (1.5)	1.16 (1.3)	1.05 (1.4)	1.31 (1.4)	1.95 (0.7	33.93 (0.7	2.00 (0.6)	34.60 (0.5)
भागलपुर	2.70 (4.0)	3.62 (4.2)	2.90 (4.0)	4.06 (4.3)	10.95 (3.8)	202.58 (4.0)	12.45 (3.5)	229.08 (3.5)
बांका	0.85 (1.2)	0.98 (1.1)	0.90 (1.2)	0.99 (1.0)	2.10 (1.1)	36.12 (0.7)	2.20 (0.6)	37.95 (0.6)
सहरसा	1.80 (2.6)	2.23 (2.6)	1.95 (2.7)	2.48 (2.6)	7.05 (2.6)	124.08 (2.4)	7.25 (2.0)	126.15 (1.9)
सुपौल	0.70 (1.0)	0.77 (0.9)	0.75 (1.0)	0.84 (0.9)	1.95 (0.7)	33.35 (0.7)	2.00 (0.6)	34.40 (0.5)
मधेपुरा	0.90 (1.3)	1.04 (1.2)	1.00 (1.4)	1.20 (1.3)	2.80 (1.0)	48.16 (0.9)	2.90 (0.8)	50.17 (0.8)
पूर्णिया	1.80 (2.6)	2.39 (2.8)	1.90 (2.6)	2.28 (2.4)	7.55 (2.7)	134.39 (2.6)	7.75 (2.2)	139.50 (2.1)
किशनगंज	2.50 (3.7)	3.20 (3.7)	2.70 (3.7)	3.29 (3.5)	8.85 (3.1)	157.53 (3.1)	9.00 (2.5)	159.30 (2.4)
अररिया	1.10 (1.6)	1.23 (1.4)	1.15 (1.6)	1.27 (1.3)	1.65 (0.6)	28.22 (0.6)	1.70 (0.5)	29.07 (0.4)
कटिहार	2.55 (3.7)	3.34 (3.9)	2.85 (3.9)	3.99 (4.2)	10.25 (3.7)	186.55 (3.6)	11.40 (3.2)	202.92 (3.1)
बिहार	68.05 (100.0)	86.52 (100.0)	72.90 (100.0)	95.14(100.0)	283.15 (100.0)	5119.66 (100.0)	359.95 (100.0)	6565.80 (100.0)

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं। (जारी)

तालिका प 2.9 : बिहार में फूलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2010-11 और 2011-12) (जारी)

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

जिला	बेला				ट्यूबरोज			
	2010-11		2011-12		2010-11		2011-12	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	5.40 (5.1)	17.28 (5.6)	5.70 (5.0)	19.38 (5.6)	4.40 (4.2)	22.88 (4.4)	5.20 (4.5)	28.08 (4.7)
नालंदा	3.20 (3.0)	9.92 (3.2)	3.40 (3.0)	10.88 (3.1)	2.60 (2.5)	13.00 (2.5)	3.10 (2.7)	15.97 (2.7)
भोजपुर	3.15 (3.0)	9.45 (3.1)	3.45 (3.0)	10.87 (3.1)	1.80 (1.7)	9.09 (1.7)	1.95 (1.7)	9.95 (1.7)
बक्सर	1.80 (1.7)	5.22 (1.7)	2.30 (2.0)	7.13 (2.0)	1.60 (1.5)	7.84 (1.5)	1.70 (1.5)	8.42 (1.4)
रोहतास	1.15 (1.1)	3.05 (1.0)	1.40 (1.2)	3.64 (1.0)	1.20 (1.1)	5.64 (1.1)	1.30 (1.1)	6.18 (1.0)
कैमूर	1.40 (1.3)	3.78 (1.2)	1.50 (1.3)	4.20 (1.2)	0.95 (0.9)	4.56 (0.9)	1.05 (0.9)	5.15 (0.9)
गया	7.05 (6.7)	19.74 (6.4)	7.30 (6.4)	21.17 (6.1)	4.85 (4.6)	22.31 (4.3)	5.35 (4.6)	25.15 (4.2)
जहानाबाद	3.45 (3.3)	10.01 (3.3)	3.75 (3.3)	11.25 (3.2)	2.40 (2.3)	11.52 (2.2)	2.60 (2.2)	12.74 (2.1)
अरवल	3.30 (3.1)	9.57 (3.1)	3.60 (3.2)	10.80 (3.1)	1.95 (1.9)	9.56 (1.8)	2.05 (1.8)	10.15 (1.7)
नवादा	1.25 (1.2)	3.25 (1.1)	1.40 (1.2)	3.64 (1.0)	1.10 (1.0)	5.06 (1.0)	1.15 (1.0)	5.35 (0.9)
औरंगाबाद	2.40 (2.3)	6.72 (2.2)	2.50 (2.2)	6.63 (1.9)	1.35 (1.3)	6.48 (1.2)	1.45 (1.2)	7.03 (1.2)
सारण	2.30 (2.2)	6.21 (2.0)	2.50 (2.2)	7.00 (2.0)	1.60 (1.5)	7.84 (1.5)	1.80 (1.5)	9.00 (1.5)
सीवान	1.45 (1.4)	4.06 (1.3)	1.80 (1.6)	5.31 (1.5)	1.50 (1.4)	7.50 (1.4)	1.90 (1.6)	9.69 (1.6)
गोपालगंज	1.50 (1.4)	4.20 (1.4)	1.65 (1.5)	4.62 (1.3)	1.45 (1.4)	7.32 (1.4)	1.60 (1.4)	8.16 (1.4)
पश्चिम चंपारण	2.45 (2.3)	7.60 (2.5)	2.85 (2.5)	8.55 (2.5)	3.40 (3.2)	17.34 (3.3)	3.90 (3.3)	20.09 (3.4)
पूर्व चंपारण	2.80 (2.7)	8.68 (2.8)	3.10 (2.7)	9.92 (2.8)	4.80 (4.6)	24.96 (4.8)	5.20 (4.5)	27.56 (4.6)
मुजफ्फरपुर	7.40 (7.6)	23.68 (7.7)	7.80 (6.9)	25.74 (7.4)	7.85 (7.5)	40.82 (7.8)	8.45 (7.2)	44.79 (7.5)
सीतामढ़ी	1.95 (1.9)	5.46 (1.8)	2.20 (1.9)	6.60 (1.9)	1.25 (1.2)	5.75 (1.1)	1.35 (1.2)	6.35 (1.1)
शिवहर	0.90 (0.9)	2.34 (0.8)	0.95 (0.8)	2.47 (0.7)	0.80 (1.8)	3.60 (0.7)	0.85 (0.7)	3.91 (0.7)
वैशाली	7.50 (7.1)	23.25 (7.6)	7.90 (7.0)	26.86 (7.7)	9.40 (8.9)	47.94 (9.2)	10.20 (8.7)	54.06 (9.1)
दरभंगा	2.60 (2.5)	7.28 (2.4)	2.80 (2.5)	7.84 (2.3)	1.90 (1.8)	9.03 (1.7)	2.30 (2.0)	11.39 (1.9)
मधुबनी	2.65 (2.5)	7.69 (2.5)	2.85 (2.5)	8.41 (2.4)	1.40 (1.3)	7.00 (1.3)	1.90 (1.6)	9.88 (1.7)
समस्तीपुर	6.35 (6.0)	19.69 (6.4)	6.70 (5.9)	23.12 (6.6)	8.65 (8.2)	44.98 (8.6)	9.95 (8.5)	53.73 (9.0)
बेगूसराय	3.45 (3.3)	10.35 (3.4)	3.80 (3.3)	11.78 (3.4)	3.25 (3.1)	16.25 (3.1)	3.60 (3.1)	18.36 (3.1)
मुंगेर	2.40 (2.3)	6.96 (2.3)	2.70 (2.4)	7.97 (2.3)	3.40 (3.2)	16.32 (3.1)	3.90 (3.3)	19.11 (3.2)
शेखपुरा	0.95 (0.9)	2.66 (0.9)	1.00 (0.9)	2.60 (0.7)	0.80 (0.8)	3.76 (0.7)	0.90 (0.8)	4.28 (0.7)
लखीसराय	1.20 (1.1)	3.18 (1.0)	1.30 (1.1)	3.39(1.0)	0.95 (0.9)	4.47 (0.9)	1.05 (0.9)	5.04 (0.8)
जमुई	0.80 (0.8)	2.08 (0.7)	0.85 (0.7)	2.24 (0.6)	0.70 (0.7)	3.15 (0.6)	0.75 (0.6)	3.41 (0.6)
खगड़िया	1.30 (1.2)	3.45 (1.1)	1.45 (1.3)	3.92 (1.1)	1.30 (1.2)	6.24 (1.2)	1.40 (1.2)	6.86 (1.2)
भागलपुर	6.40 (6.1)	19.20 (6.2)	6.70 (5.9)	22.51 (6.5)	4.40 (4.2)	22.44 (4.3)	5.10 (4.4)	26.78 (4.5)
बांका	1.35 (1.3)	3.51 (1.1)	1.40 (1.2)	3.78 (1.1)	0.80 (0.8)	3.68 (0.7)	0.90 (0.8)	4.19 (0.7)
सहरसा	2.15 (2.0)	5.81 (1.9)	2.25 (2.0)	6.75 (1.9)	2.40 (2.3)	11.52 (2.2)	2.60 (2.2)	12.74 (2.1)
सुपौल	0.85 (0.8)	2.25 (0.7)	0.90 (0.8)	2.39 (0.7)	0.80 (0.8)	3.68 (0.7)	0.85 (0.7)	4.00 (0.7)
मधेपुरा	1.05 (1.0)	2.84 (0.9)	1.15 (1.0)	3.28 (0.9)	1.10 (1.0)	5.17 (1.0)	1.20 (1.0)	5.76 (1.0)
पूर्णिया	2.60 (2.5)	7.28 (2.4)	2.90 (2.6)	8.41 (2.4)	3.20 (3.0)	15.36 (2.9)	3.40 (2.9)	17.00 (2.9)
किशनगंज	3.35 (3.2)	9.05 (2.9)	3.45 (3.0)	10.01 (2.9)	5.55 (5.3)	27.20 (5.2)	5.70 (4.9)	28.79 (4.8)
अररिया	1.05 (1.0)	2.73 (0.9)	1.10 (1.0)	2.86 (0.8)	0.80 (0.8)	3.68 (0.7)	0.90 (0.8)	4.23 (0.7)
कटिहार	2.85 (2.7)	7.98 (2.6)	3.15 (2.8)	10.40 (3.0)	7.60 (7.2)	38.00 (7.3)	8.10 (6.9)	42.12 (7.1)
बिहार	105.15 (100.0)	307.46 (100.0)	113.50 (100.0)	348.32 (100.0)	105.25 (100.0)	522.94 (100.0)	116.65 (100.0)	595.45 (100.0)

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं। (जारी)

तालिका प 2.9 : बिहार में फूलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2010-11 और 2011-12) (जारी)

(क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

जिला	अन्य				योग			
	2010-11		2011-12		2010-11		2011-12	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	7.40 (5.9)	67.34 (6.3)	7.85 (5.7)	72.22 (6.0)	67.20 (8.7)	834.56 (11.8)	88.70 (9.8)	1182.68 (13.4)
नालंदा	3.35 (2.2)	29.82 (2.8)	3.70 (2.7)	33.26 (2.7)	23.70 (3.1)	207.28 (2.9)	26.60 (3.0)	227.57 (2.6)
भोजपुर	2.85 (2.3)	25.37 (2.4)	3.15 (2.3)	28.19 (2.3)	25.20 (3.3)	296.73 (4.2)	27.50 (3.1)	331.48 (3.8)
बक्सर	2.40 (1.9)	21.12 (2.0)	2.60 (1.9)	23.01 (1.9)	11.05 (1.4)	99.62 (1.4)	13.05 (1.4)	123.77 (1.4)
रोहतास	1.90 (1.5)	15.77 (1.5)	2.05 (1.5)	17.22 (1.4)	7.85 (1.0)	64.26 (0.9)	8.70 (1.0)	72.48 (0.8)
कैमूर	1.75 (1.4)	14.70 (1.4)	1.95 (1.4)	16.77 (1.4)	7.30 (1.0)	58.94 (0.8)	8.10 (0.9)	68.22 (0.8)
गया	3.90 (3.1)	31.20 (2.9)	4.25 (3.1)	34.85 (2.9)	39.05 (5.1)	368.97 (5.2)	42.25 (4.7)	414.38 (4.7)
जहानाबाद	2.95 (2.3)	24.78 (2.3)	3.20 (2.3)	27.52 (2.3)	18.70 (2.4)	191.19 (2.7)	58.85 (6.5)	925.36 (10.5)
अरवल	2.45 (1.9)	19.85 (1.9)	2.70 (1.9)	22.95 (1.9)	17.25 (2.2)	176.17 (2.5)	19.15 (2.1)	205.88 (2.3)
नवादा	1.65 (1.3)	13.20 (1.2)	1.80 (1.3)	14.94 (1.2)	7.55 (1.6)	64.21 (0.9)	8.20 (0.9)	69.75 (0.8)
औरंगाबाद	2.05 (1.6)	15.99 (1.5)	2.30 (1.7)	18.40 (1.5)	12.10 (1.6)	119.49 (1.7)	12.80 (1.4)	125.54 (1.4)
सारण	2.20 (1.7)	17.82 (1.7)	2.55 (1.8)	20.91 (1.7)	11.95 (1.6)	110.37 (1.6)	13.05 (1.4)	120.09 (1.4)
सीवान	2.05 (1.6)	17.02 (1.6)	2.60 (1.9)	22.10 (1.8)	9.45 (1.2)	84.31 (1.2)	12.05 (1.3)	113.15 (1.3)
गोपालगंज	2.10 (1.7)	17.64 (1.7)	2.20 (1.6)	18.81 (1.6)	9.70 (1.3)	87.97 (1.2)	10.95 (1.2)	101.85 (1.2)
पश्चिम चंपारण	3.15 (2.5)	27.72 (2.6)	3.70 (2.7)	32.93 (2.7)	21.15 (2.8)	212.51 (2.9)	25.45 (2.8)	241.54 (2.7)
पूर्व चंपारण	3.80 (3.0)	33.82 (3.2)	4.30 (3.1)	38.92 (3.2)	24.70 (3.2)	245.78 (3.5)	26.65 (3.0)	262.27 (3.0)
मुजफ्फरपुर	10.15 (8.1)	91.35 (8.6)	10.55 (7.6)	97.06 (8.0)	57.65 (7.5)	516.29 (7.3)	63.15 (7.0)	550.82 (6.2)
सीतामढ़ी	2.45 (1.9)	19.11 (1.8)	2.70 (1.9)	21.33 (1.8)	10.05 (1.3)	81.36 (1.2)	11.35 (1.3)	95.96 (1.1)
शिवहर	1.60 (1.3)	12.16 (1.1)	1.70 (1.2)	13.09 (1.1)	5.50 (0.2)	36.84 (0.5)	5.85 (0.6)	39.16 (0.4)
वैशाली	12.35 (9.8)	108.68 (10.2)	13.55 (9.8)	124.66 (10.3)	67.25 (8.8)	556.31 (7.8)	74.20 (8.2)	617.47 (7.0)
दरभंगा	2.90 (2.3)	22.91 (2.1)	3.05 (2.2)	25.62 (2.1)	17.55 (2.3)	160.6 (2.3)	18.55 (2.1)	169.71 (1.9)
मधुबनी	2.70 (2.1)	22.41 (2.1)	2.90 (2.1)	24.94 (2.1)	12.00 (1.6)	101.59 (1.4)	13.25 (1.5)	111.04 (1.3)
समस्तीपुर	9.10 (7.2)	80.99 (7.6)	9.90 (7.1)	91.08 (7.5)	44.25 (5.8)	385.23 (5.4)	51.80 (5.7)	439.09 (5.0)
बेगूसराय	4.35 (3.5)	37.41 (3.5)	4.80 (3.5)	43.20 (3.6)	24.00 (3.1)	236.56 (3.3)	25.75 (2.9)	252.22 (2.9)
मुंगेर	2.45 (1.9)	20.09 (1.9)	2.75 (2.0)	23.10 (1.9)	25.45 (3.3)	235.22 (3.3)	27.60 (3.1)	245.79 (2.8)
शेखपुरा	1.60 (1.3)	12.48 (1.2)	1.70 (1.2)	13.35 (1.1)	5.10 (0.7)	35.15 (0.5)	5.55 (0.6)	38.26 (0.4)
लखीसराय	1.80 (1.4)	14.22 (1.3)	1.90 (1.4)	15.11 (1.2)	7.35 (1.0)	62.98 (0.9)	7.85 (0.9)	66.45 (0.8)
जमुई	1.60 (1.3)	11.52 (1.1)	1.70 (1.2)	12.33 (1.0)	6.05 (0.8)	46.64 (0.7)	6.40 (0.7)	48.97 (0.6)
खगड़िया	2.80 (2.2)	21.00 (2.0)	2.90 (2.1)	22.04 (1.8)	8.80 (1.1)	65.78 (0.9)	9.25 (1.0)	68.73 (0.8)
भागलपुर	6.05 (4.8)	52.64 (4.9)	7.85 (5.7)	71.44 (5.9)	35.80 (4.7)	300.48(4.2)	42.25 (4.7)	353.87 (4.0)
बांका	1.50 (1.2)	11.10 (1.0)	1.60 (1.2)	12.16 (1.0)	7.55 (1.0)	55.39 (0.8)	8.00 (0.9)	59.07 (0.7)
सहरसा	2.40 (1.9)	20.16 (1.9)	2.70 (1.9)	23.49 (1.9)	16.75 (2.2)	163.80 (2.3)	17.75 (2.0)	171.61 (1.9)
सुपौल	1.80 (1.4)	13.68 (1.3)	1.90 (1.4)	15.01 (1.2)	6.40 (0.8)	53.73(0.8)	6.75 (0.7)	56.64 (0.6)
मधेपुरा	2.20 (1.7)	17.38 (1.6)	2.40 (1.7)	20.16 (1.7)	8.50 (1.1)	74.59 (1.1)	9.15 (1.0)	80.57 (0.9)
पूर्णिया	2.70 (2.1)	22.68 (2.1)	2.95 (2.1)	25.67 (2.1)	22.55 (2.9)	182.1 (2.6)	23.75 (2.6)	192.86 (2.2)
किशनगंज	2.80 (2.2)	23.52 (2.2)	3.10 (2.2)	26.97 (2.2)	29.45 (3.8)	220.5 (3.1)	30.55 (3.4)	228.36 (2.6)
अररिया	1.90 (1.5)	14.06 (1.3)	1.95 (1.4)	14.63 (1.2)	7.15 (0.9)	49.92 (0.7)	7.50 (0.8)	52.06 (0.6)
कटिहार	2.90 (2.3)	25.52 (2.4)	3.40 (2.4)	30.60 (2.5)	29.15 (3.8)	261.39 (3.7)	32.70 (3.6)	290.03 (3.3)
बिहार	126.05 (100.0)	1068.23 (100.0)	138.85 (100.0)	1210.04 (100.0)	768.20 (100.0)	7104.81 (100.0)	901.00 (100.0)	8814.75 (100.0)

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं। (समाप्त)

तालिका प 2.10 : बिहार में जिलावार सहकारी ऋण वितरण

जिला	लक्ष्य (लाख रु.)			उपलब्धि (लाख रु.)		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
पटना	8724	6500.00	19322.00	1186.00 (3.4)	1739.80 (4.1)	1406.80 (3.6)
नालंदा	6398	4500.00	18540.00	802.67 (2.3)	697.77 (1.7)	1104.66 (2.9)
भोजपुर	6662	6000.00	22070.00	914.93 (2.6)	1009.44 (2.4)	984.33 (2.5))
बक्सर	10444	--*	32002.00	418.83 (1.2)	538.89 (1.3)	655.60 (1.7)
रोहतास	3225	2600.00	10030.00	873.48 (2.5)	860.93 (2.0)	1071.70 (2.8)
कैमूर	1369	900.00	5768.00	511.30 (1.5)	489.28 (1.2)	546.87 (1.4)
गया	2425	865.00	12566.00	254.21 (0.7)	356.27 (0.8)	326.43 (0.8)
जहानाबाद	55	145.00	0.00	37.75 (0.1)	24.54 (0.1)	31.19 (0.1)
अरवल	120	90.00	0.00	10.04 (0.0)	14.79 (0.0)	18.11 (0.0)
नवादा	3184	4000.00	11832.00	875.28 (2.5)	1525.92 (3.6)	727.69 (1.9)
औरंगाबाद	1100	4000.00	13202.00	3077.35 (8.8)	4349.15 (10.3)	3339.60 (8.6)
सारण						
सीवान	4308	3200.00	12436.00	1232.69 (3.5)	860.83 (2.0)	728.78 (1.9)
गोपालगंज	1386	5000.00	4144.00	1173.87 (3.4)	1856.57 (4.4)	1466.28 (3.8)
पश्चिम चंपारण	5899	3500.00	13780.00	1147.56 (3.3)	829.35 (2.0)	760.12 (2.0)
पूर्व चंपारण	2856	5000.00	7100.00	3290.28 (9.4)	4210.40 (10.0)	1037.07 (2.7)
मुजफ्फरपुर	2710	2500.00	8532.00	392.62 (1.1)	581.16 (1.4)	451.01 (1.2)
सीतामढ़ी	1783	3600.00	6882.00	746.69 (2.1)	736.19 (1.7)	648.22 (1.7)
शिवहर	233	400.00	946.00	126.01 (0.4)	189.04 (0.4)	105.08 (0.3)
वैशाली	2300	1000.00	3800.00	246.77 (0.7)	423.25 (1.0)	350.75 (0.9)
दरभंगा						
मधुबनी	5813	4000.00	25808.00	2103.8 (6.0)	2566.42 (6.1)	2221.59 (5.7)
समस्तीपुर	3256	4500.00	15104.00	4404.6 (12.6)	4160.44 (9.9)	4088.08 (10.6)
बेगूसराय	5810	4400.00	31000.00	4101.55 (11.7)	4449.97 (10.6)	6338.99 (16.4)
मुंगेर	696	650.00	1870.00	49.25 (0.1)	157.66 (0.4)	174.70 (0.5)
शेखपुरा		100.00	3158.00	18.25 (0.1)	46.31 (0.1)	40.87 (0.1)
लखीसराय	1794	100.00	6840.00	63.07 (0.2)	100.36 (0.2)	144.06 (0.4)
जमुई	519	150.00	3166.00	169.99 (0.5)	449.22 (1.1)	457.43 (1.2)
खगड़िया	3809	3000.00	15534.00	2297.28 (6.6)	3200.03 (7.6)	3450.40 (8.9)
भागलपुर	1546	2260.00	5409.00	574.34 (1.6)	687.44 (1.6)	393.87 (1.0)
बांका	1090	1740.00	6100.00	189.58 (0.5)	368.35 (0.9)	103.96 (0.3)
सहरसा						
सुपौल						
मधेपुरा						
पूर्णिया	2407	2109.00	15274.00	1668.6 (4.8)	1652.65 (3.9)	2000.84 (5.2)
किशनगंज	2118	1060.00	14060.00	386.31 (1.1)	436.35 (1.0)	857.68 (2.2)
अररिया	1388	1831.00	7996.00	1287.49 (3.7)	1474.15 (3.5)	1844.10 (4.8)
कटिहार	3266	1000.00	8134.00	375.42 (1.1)	1045.78 (2.5)	807.56 (2.1)
बिहार	98693	80700.00	362405.00	35007.9 (100.0)	42088.70 (100.0)	38684.42 (100.0)

स्रोत : सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

* आंकड़े भोजपुर में शामिल हैं।

तालिका प 2.11 : किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जिलावार उपलब्धि (संख्या)

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
पटना	20036	10801	26204	18048	26233	60143	50522	54949
नालंदा	18229	13266	16297	16175	22281	34946	42065	46476
भोजपुर	21830	4833	17683	15918	27575	50759	59020	84537
बक्सर	4279	4051	8824	6775	10916	38447	32040	40533
रोहतास	7777	6674	15272	19590	33141	56523	57664	76546
कैमूर	15015	5205	9624	12094	24102	31488	29355	44165
गया	18865	8601	19716	16371	52571	40101	41012	60645
जहानाबाद	3818	2381	5681	5348	12261	16095	25154	26430
अरवल	2058	1052	2698	2932	4443	6691	8363	12753
नवादा	11264	7668	11281	11217	25992	24837	28980	23731
औरंगाबाद	17569	12707	9272	8638	28077	42494	42353	54786
सारण	8845	9190	8881	14127	24233	32706	34841	39064
सीवान	10809	7074	10551	14545	27750	38536	34165	36959
गोपालगंज	12938	5413	11205	13396	29824	42890	53928	60448
पश्चिम चंपारण	27614	31407	35212	32431	47446	70194	75740	97812
पूर्व चंपारण	19279	14701	21053	26210	45138	74330	82860	104239
मुजफ्फरपुर	22390	7517	15170	20050	36197	61028	58142	71134
सीतामढ़ी	9027	6814	10883	24403	19944	34675	30368	43467
शिवहर	1503	2216	2317	3532	7882	6036	5216	12738
वैशाली	15312	12409	15141	17144	30629	38763	45605	66709
दरभंगा	6751	3816	7783	8011	20738	43993	26360	41682
मधुबनी	25258	12656	9559	15598	35420	38578	55261	72368
समस्तीपुर	20970	21759	14954	22783	38363	79075	80395	95785
बेगूसराय	35001	21426	9352	14712	20694	57130	72811	89799
मुंगेर	10244	2869	3967	5608	10756	16559	16701	28053
शेखपुरा	425	1309	1538	2617	6646	6315	12123	7682
लखीसराय	2447	2353	3422	4587	10054	11401	15848	18074
जमुई	3352	4113	3777	7382	13458	15779	22590	28020
खगड़िया	19707	9028	5528	9296	12375	30313	39919	57270
भागलपुर	9366	4726	9223	11477	22734	44740	37938	48747
बांका	3395	3138	4141	4282	9463	21232	22829	36202
सहरसा	2906	2135	5513	7250	13835	21763	18904	25224
सुपौल	3424	2838	5593	6296	57130	22830	16790	27256
मधेपुरा	2844	2962	4679	6056	11620	12307	14707	24802
पूर्णिया	25036	11791	12350	13477	27434	51210	30384	55209
किशनगंज	4977	8952	5484	7393	13680	14645	20790	36764
अररिया	6264	13238	9170	8558	16384	20225	29469	47758
कटिहार	23531	12329	9565	12213	19833	29760	31618	48620
बिहार	474355	315418	398563	466540	897252	1339537	1402830	1847436

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति, बिहार

तालिका प 2.12 : बिहार में पशुधन के जिलावार आंकड़े (2007)

(आंकड़े हजार में)

जिला	गाय	भैंस	सूअर	भेड़	बकरी	मुर्गी–बत्तख
पटना	282 (2.27)	274 (4.09)	25 (3.96)	6 (2.75)	161 (1.58)	597 (5.23)
नालंदा	200 (1.61)	236 (3.52)	27 (4.27)	6 (2.75)	156 (1.53)	367 (3.22)
भोजपुर	236 (1.90)	220 (3.28)	15 (2.37)	21 (9.62)	109 (1.07)	127 (1.11)
बक्सर	177 (1.43)	189 (2.82)	12 (1.90)	22 (10.07)	71 (0.70)	173 (1.52)
रोहतास	249 (1.43)	282 (2.82)	8 (1.90)	22 (10.07)	165 (0.70)	185 (1.52)
कैमूर	199 (1.60)	237 (3.54)	5 (0.79)	34(15.57)	64 (0.63	73 (0.64)
गया	749 (6.04)	353 (5.27)	130 (20.57)	7 (3.21)	430 (4.23)	491 (4.30)
जहानाबाद	88 (0.71)	107 (1.60)	35 (5.54)	4 (1.83)	74 (0.73)	119 (1.04)
अरवल	58 (0.47)	61 (0.91)	4 (0.63)	3 (1.37)	49 (0.48)	93 (0.81)
नवादा	405 (3.27)	194 (2.90)	57 (9.02)	3 (1.37)	256 (2.52)	343 (3.01)
औरंगाबाद	414 (3.34)	230(3.43)	17 (2.69)	29 (13.28)	262 (2.58)	226 (1.98)
सारण	296 (2.39)	170 (2.54)	16 (2.53)	7 (3.21)	185 (1.82)	526 (4.61)
सीवान	271 (2.19)	150 (2.24)	11 (1.74)	3 (1.37)	145 (1.43)	207 (1.81)
गोपालगंज	224 (1.81)	144 (2.15)	22 (3.48)	1 (0.46)	198 (1.95)	208 (1.82)
पश्चिम चंपारण	302 (2.44)	198 (2.96)	13 (2.06)	0.3 (0.14)	693 (6.81)	423 (3.71)
पूर्व चंपारण	411 (3.31)	312 (4.66)	13 (2.06)	2 (0.92)	418 (4.11)	352 (3.08)
मुजफ्फरपुर	302 (2.44)	238 (3.55)	13 (2.06)	7 (3.21)	399 (3.92)	340 (2.98)
सीतामढ़ी	270 (2.18)	213 (3.18)	10 (1.58)	0.2 (0.09)	408 (4.01)	462 (4.05)
शिवहर	43 (0.35)	38 (0.57)	7 (1.11)	0 (0.00)	89 (0.88)	35 (0.31)
वैशाली	239 (1.93)	156 (2.33	2 (0.32)	1 (0.46)	206 (2.03)	269 (2.36)
दरभंगा	293 (2.36)	218 (3.25)	8 (1.27)	0.3 (0.14)	222 (2.18)	361 (3.16)
मधुबनी	379 (3.06)	242 (3.61)	9 (1.42)	0.5 (0.23)	311 (3.06)	324 (2.84)
समस्तीपुर	372 (3.00)	196 (2.93)	3 (0.47)	4 (1.83)	221 (2.17)	226 (1.98)
बेगूसराय	340 (2.74)	71 (1.06)	2 (0.32)	0.09 (0.04)	126 (1.24)	76 (0.67)
मुंगेर	185 (1.49)	62 (0.93)	6 (0.95)	0.5 (0.23)	152 (1.49)	94 (0.82)
शेखपुरा	64 (0.52)	51 (0.76)	6 (0.95)	0.08 (0.04)	58 (0.57)	37 (0.32)
लखीसराय	111 (0.90)	79 (1.81)	7 (1.11)	0.3 (0.14)	104 (1.02)	56 (0.49)
जमुई	592 (4.77)	144 (2.15)	29 (4.59)	15 (6.87)	362 (3.56)	212 (1.86)
खगड़िया	234 (1.89)	134 (2.00)	5 (0.79)	0.06 (0.03)	198 (1.95)	121 (1.06)
भागलपुर	413 (3.33)	191 (2.85)	7 (1.11)	0 (0.00)	385 (3.79)	330 (2.89)
बांका	461 (3.72)	139 (2.08)	13 (2.06)	7 (3.21)	302 (2.97)	281 (2.46)
सहरसा	312 (2.52)	151 (2.25)	9 (1.42)	0.2 (0.09)	234 (2.30)	127 (1.11)
सुपौल	479 (3.86)	238 (3.55)	10 (1.58)	9 (4.12)	395 (3.88)	195 (1.71)
मधेपुरा	316 (2.55)	156 (2.33)	17 (2.69)	0.09 (0.04)	334 (3.28)	144 (1.26)
पूर्णिया	743 (5.99)	216 (3.22)	15 (2.37)	1 (0.46)	534 (5.25)	880 (7.71)
किशनगंज	512 (4.13)	63 (0.94)	8 (1.27)	0.08 (0.04)	579 (5.69)	915 (8.02)
अररिया	526 (4.24)	201 (3.00)	14 (2.22)	0.7 (0.32)	658 (6.47)	712 (6.24)
कटिहार	654 (5.27)	144 (2.15)	22 (3.48)	1 (0.46)	456 (4.48)	707 (6.19)
बिहार	12401 (100.00)	6698 (100.00)	632 (100.00)	218 (100.00)	10169 (100.00)	11414 (100.00)

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

तालिका प 2.13 : पशुधन संबंधी सेवाओं की जिलावार उपलब्धि

जिला	चिकित्सित पशु (लाख)		टीकाकरण (लाख)		कृत्रिम गर्भाधान (लाख)		चारा बीजों का मुफ्त वितरण (क्विंटल)	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
पटना	1.59	1.41	7.76	4.00	0.83	0.48	41.46	149.63
नालंदा	1.06	1.08	5.05	2.50	0.45	0.14	200.86	77.44
भोजपुर	0.75	0.82	5.90	3.19	0.50	0.14	141.58	91.57
बक्सर	0.22	0.20	9.45	2.00	0.40	0.07	91.75	99.93
रोहतास	1.45	1.38	6.95	4.00	0.52	0.19	190.93	123.57
कैमूर	0.00	0.52	1.50	3.30	0.40	0.06	79.00	72.37
गया	1.00	1.20	12.47	5.48	0.37	0.15	74.40	89.00
जहानाबाद	0.42	0.47	2.18	1.00	0.37	0.06	39.35	33.80
अरवल	0.27	0.23	1.45	1.00	0.48	0.05	59.14	33.75
नवादा	0.79	0.93	7.41	3.70	0.43	0.15	141.75	91.35
औरंगाबाद	1.08	1.13	7.23	3.50	0.55	0.13	39.35	72.15
सारण	0.29	0.78	5.78	4.48	0.40	0.07	0.00	141.00
सीवान	0.44	0.50	4.34	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
गोपालगंज	0.42	0.48	4.36	0.00	0.64	0.04	0.00	0.00
पश्चिम चंपारण	0.51	0.65	6.85	4.00	0.65	0.03	56.78	121.00
पूर्व चंपारण	10.00	1.00	7.75	5.00	0.78	0.05	269.25	181.00
मुजफ्फरपुर	0.98	1.02	7.37	3.00	0.64	0.09	28.72	108.00
सीतामढ़ी	0.29	0.41	4.50	3.00	0.46	0.01	0.00	121.00
शिवहर	0.09	0.06	0.94	0.50	0.65	0.00	0.00	73.00
वैशाली	0.82	0.75	4.68	2.50	0.65	0.09	53.30	114.00
दरभंगा	0.09	1.28	6.44	4.00	0.48	0.09	177.30	121.30
मधुबनी	1.10	1.29	8.15	5.65	0.65	0.00	197.72	140.92
समस्तीपुर	1.41	1.52	2.00	4.00	0.60	0.15	207.92	134.45
बेगूसराय	0.73	0.80	4.96	3.48	0.58	0.03	1271.69	97.22
मुंगेर	0.37	0.43	3.20	2.23	0.38	0.14	98.00	60.99
शेखपुरा	0.38	0.42	1.39	0.86	0.44	0.07	63.00	38.55
लखीसराय	0.20	0.21	2.32	1.20	0.33	0.03	58.50	40.19
जमुई	0.31	0.33	8.28	4.50	0.50	0.03	0.00	68.60
खगड़िया	0.74	0.70	4.43	3.50	0.56	0.02	69.00	46.68
भागलपुर	0.83	1.00	7.00	4.00	0.19	0.21	137.00	104.55
बांका	0.57	0.70	8.00	3.60	0.45	0.07	90.00	72.04
सहरसा	0.58	0.58	5.81	4.00	0.45	0.03	117.53	74.00
सुपौल	1.25	0.65	7.55	4.00	0.59	0.06	119.26	81.00
मधेपुरा	0.71	0.68	6.60	4.00	0.73	0.03	73.25	87.00
पूर्णिया	2.34	0.98	7.30	4.00	0.47	0.21	44.50	92.31
किशनगंज	0.39	0.34	6.73	4.00	0.47	0.02	70.00	47.82
अररिया	0.59	0.51	10.00	5.48	0.49	0.07	78.80	61.17
कटिहार	0.67	0.69	7.65	3.00	0.49	0.04	29.60	100.17
बिहार	35.73	28.13	221.73	121.65	19.48	3.30	4410.69	3262.52

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 2.14 : बिहार में मछली और मत्स्य-बीज का जिलावार उत्पादन (2009-10 से 2011-12)

जिला	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्य बीज (लाख)	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्य बीज (लाख)	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्य बीज (लाख)
	2009-10		2010-11		2011-12	
पटना	9.7	8.0	8.7	140.5	11.0	20.74
नालंदा	10.0	143.0	13.6	93.0	14.8	72.5
भोजपुर	4.3	2.4	8.3	0.0	9.0	10.0
बक्सर	5.2	0.0	4.1	0.0	6.0	10.0
रोहतास						
कैमूर	7.0	90.5	8.5	80.0	8.8	40.0
गया	1.7	0.0	2.7	0.0	5.6	20.0
जहानाबाद						
अरवल	3.2	0.0	0.5	030	4.5	0.0
नवादा	8.1	13.0	3.5	62.3	4.1	111.0
औरंगाबाद	7.6	175.0	2.5	0.0	4.9	0.0
सारण	13.9	100.0	14.9	536.4	19.1	700.0
सीवान	3.4	140.0	6.1	121.5	10.4	45.0
गोपालगंज	9.8	0.0	7.8	74.3	8.2	50.0
पश्चिम चंपारण	14.3	232.0	14.2	113.2	14.0	134.3
पूर्व चंपारण	12.7	161.8	15.5	21.2	18.2	78.99
मुजफ्फरपुर	14.1	197.0	12.8	80.0	16.6	75.0
सीतामढ़ी						
शिवहर	15.3	160.0	15.8	157.1	17.0	0.0
वैशाली	9.4	0.0	9.0	50.0	13.0	40.0
दरभंगा	16.9	270.0	15.4	105.7	16.5	900.0
मधुबनी	16.5	221.0	13.1	94.1	19.2	75.0
समस्तीपुर	12.4	0.0	6.1	101.5	9.3	60.8
बेगूसराय	9.9	255.0	12.8	132.5	12.1	0.0
मुंगेर						
शेखपुरा						
लखीसराय	9.3	90.0	9.8	12.0	8.1	43.73
जमुई	3.8	20.0	2.1	2.3	3.1	0.0
खगड़िया	9.0	155.0	6.5	150.4	7.1	800.0
भागलपुर	8.0	127.0	7.7	39.8	10.9	0.0
बांका	5.0	45.0	4.0	59.5	4.9	130.0
सहरसा	12.0	180.0	11.0	38.9	14.0	0.5
सुपौल	5.5	63.0	8.0	30.0	8.1	45.0
मधेपुरा	10.6	90.0	10.6	15.0	9.5	22.0
पूर्णिया	8.5	50.0	11.6	160.0	12.4	60.0
किशनगंज	4.5	58.2	5.4	85.0	6.6	60.0
अररिया	3.9	41.0	4.4	41.1	5.4	0.0
कटिहार	12.3	220.0	12.4	165.0	12.6	0.0
बिहार	297.4	3307.9	288.9	2762.3	344.5	3604.6

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

अध्याय 3

उद्यम क्षेत्र

वर्ष 2011-12 में देश के औद्योगिक उत्पादन पर वैश्विक आर्थिक मंदी, महंगे आयातों और घटती मांगों का असर स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट मुख्यत: विनिर्माण क्षेत्र के विकास में गिरावट के कारण आई, खास कर पूंजीगत सामग्रियों के मामले में। तालिका 3.1 में देखा जा सकता है कि संपूर्ण भारत के स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र में 2011-12 के पहले नौ महीनों (अप्रील-दिसंबर) के दौरान 3.6 प्रतिशत विकास दर दर्ज हुई जो पिछले साल की इसी अवधि में 8.3 प्रतिशत थी। अप्रील से दिसंबर 2011 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर 3.9 प्रतिशत थी जो 2010 की उसी अवधि में 9.4 प्रतिशत थी। अप्रील से दिसंबर 2011 के बीच खनन क्षेत्र में विकास दर (-)2.7 प्रतिशत थी और विद्युत क्षेत्र में 9.4 प्रतिशत जबकि 2010 की उसी अवधि में विकास दरें क्रमश: 6.9 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत थीं। अप्रील से दिसंबर 2011 के बीच खनन क्षेत्र में उत्पादन में ह्रास दर्ज हुआ, खास कर कोयला और प्राकृतिक गैस के मामले में, जिसकी परिणति ऋणात्मक विकास दर में हुई। अप्रील से दिसंबर, 2011-12 के बीच पूंजीगत सामग्रियों के क्षेत्र में भी विकास दर (-)2.9 प्रतिशत रही जबकि गत वर्ष इसी अवधि में विकास दर 18.4 प्रतिशत थी।

तालिका 3.1 : भारत में औद्योगिक विकास के सूचक

क्षेत्र	भार (%)	विकास दर			
		2009-10	2010-11	अप्रील-दिसंबर 2010-11	अप्रील-दिसंबर 2011-12
समग्र	100	10.5	7.8	8.3	3.6
क्षेत्रगत वर्गीकरण					
खनन एवं प्रस्तर खनन	14.16	9.9	5.9	6.9	-2.7
विनिर्माण	75.53	11.0	9.0	9.4	3.9
विद्युत	10.31	6.0	4.6	4.5	9.4
उपयोग आधारित वर्गीकरण					
बुनियादी सामग्रियां	45.68	7.2	6.3	5.7	6.1
पूंजीगत सामग्रियां	8.83	20.9	9.3	18.4	-2.9
मध्यवर्ती सामग्रियां	15.69	13.6	8.8	8.0	-0.8
उपभोक्ता सामग्रियां	29.80	6.2	7.5	7.4	5.7
टिकाऊ उपभोक्ता सामग्रियां	8.46	24.6	20.9	13.8	5.3
गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामग्रियां	21.34	0.4	2.2	2.5	6.1

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली

वर्ष 2012-13 का पूर्वार्ध भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए शुभ संकेत देता नहीं दिखता है। मई 2012 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मात्र 2.4 प्रतिशत था जबकि गत वर्ष यह आंकड़ा 6.2 प्रतिशत था। इसके अलावा, वर्तमान

वित्तवर्ष 2012-13 के पहले दो महीनों में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर मात्र 0.8 प्रतिशत रही है। इसी प्रकार, खनन, निर्माण और विद्युत क्षेत्र भी काफी गिरावट दर्ज की गई।

चार्ट 3.1 : औद्योगिक विकास के सूचक (आधार : 2004-05 = 100)

खनन

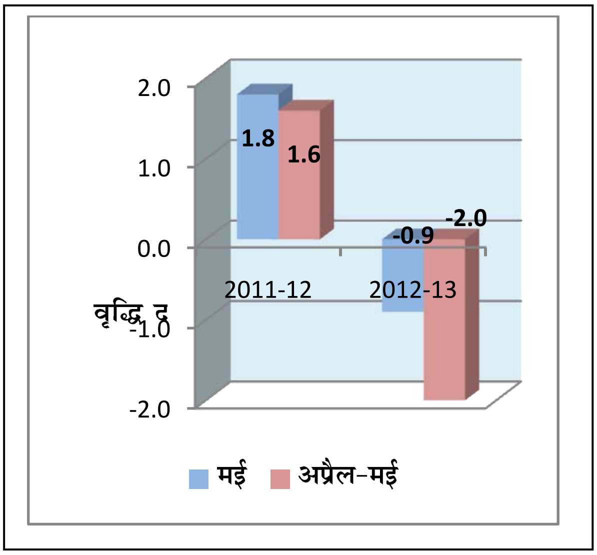

विनिर्माण

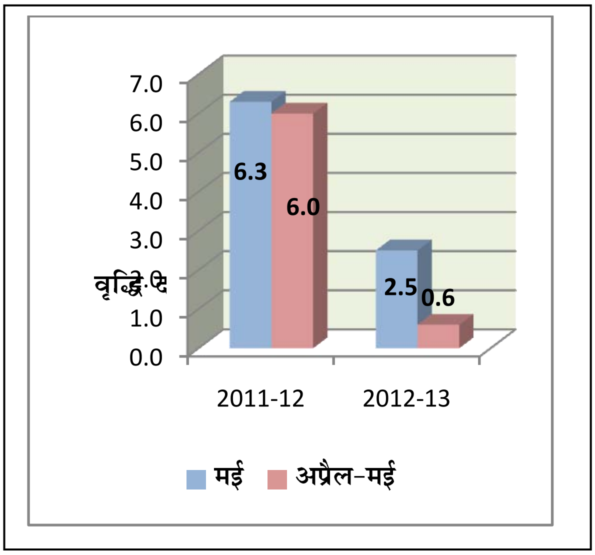

विद्युत

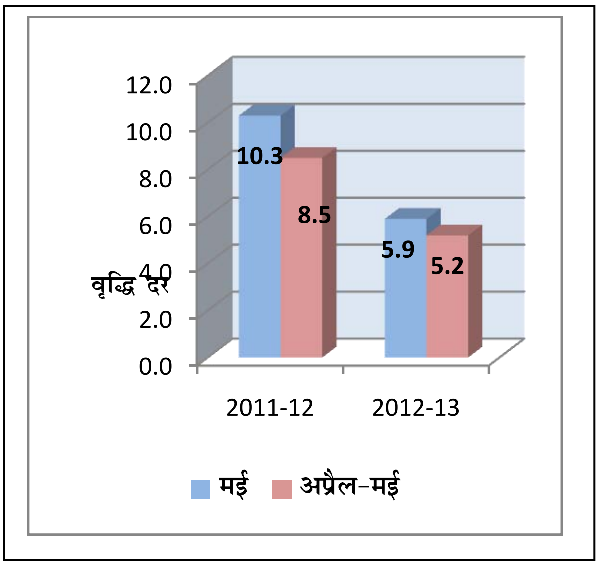

समग्र

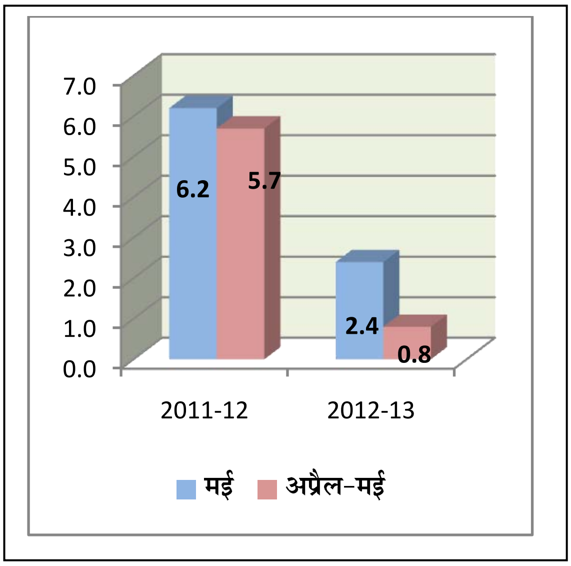

विगत कुछ वर्षों के दौरान देश में धुंधले औद्योगिक परिदृश्य के बावजूद बिहार में औद्योगिक विकास के मामले में बेहतर उपलब्धियां हासिल हुई हैं, हालांकि इस लिहाज से यह देश के विकसित राज्यों से बहुत पीछे है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2010-11 में सबसे कम (16.0 प्रतिशत) था जबकि झारखंड का 48 प्रतिशत और गुजरात का 41 प्रतिशत था और महाराष्ट्र (31.0 प्रतिशत), कर्नाटक (29.5 प्रतिशत), हरियाणा (29.0 प्रतिशत) तथा तमिलनाडु (28.8 प्रतिशत) का 30 प्रतिशत के आसपास था।

तालिका 3.2 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान (2010-11)

राज्य	औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा
बिहार	16.0
उत्तर प्रदेश	25.1
महाराष्ट्र	31.0
गुजरात	41.3
गोवा	50.3
हरियाणा	29.0
झारखंड	47.7
आंध्र प्रदेश	26.1
तमिलनाडु	28.8
कर्नाटक	29.5
भारत	27.3

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली

वर्ष 2004-05 के मूल्य पर 2011-12 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 151.87 हजार करोड़ रु. था जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 18.6 प्रतिशत था। तालिका 3.3 में देखा जा सकता है कि विनिर्माण क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 2009-10 में गिरकर (-)4.03 प्रतिशत हो गई थी लेकिन उसके बाद से स्थिति में सुधार दिखा और दर 2010-11 में 8.50 प्रतिशत तथा 2011-12 में 8.97 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, निबंधित विनिर्माण क्षेत्र में भी 2009-10 में वार्षिक वृद्धि दर (-)14.62 प्रतिशत तक गिर गई थी लेकिन बाद के दोनों वर्षों में उसमें 17 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि दर दर्ज हुई जिसे 2012-13 में भी बरकरार रहना अनुमानित है। हालांकि निर्माण क्षेत्र में 2011-12 में 23.60 प्रतिशत की भारी विकास दर दर्ज की गई है लेकिन 2009-10 में दर्ज 25.78 प्रतिशत विकास दर से यह अभी भी कम है। बिजली/ जलापूर्ति/ गैस क्षेत्र की विकास दर में भी मामूली वृद्धि दिखी जो 2011-12 में 2010-11 के 3.52 प्रतिशत से बढ़कर 4.80 प्रतिशत हो गई लेकिन 2009-10 में हासिल 13.03 प्रतिशत वृद्धि दर से यह काफी नीचे है।

तालिका 3.3 : 2004-05 के स्थिर मूल्य पर बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दरें

सं.	क्षेत्र	वार्षिक वृद्धि दर		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	खनन/ प्रस्तर खनन	-27.27	15.58	-0.38
2	विनिर्माण	-4.03	8.50	8.97
	(क) निबंधित	-14.62	17.11	17.58
	(ख) अनिबंधित	1.58	4.67	4.68
3	निर्माण	25.78	22.62	23.60
4	विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	13.03	3.52	4.80
5	योग - द्वितीयक क्षेत्र	14.39	17.01	18.35
6	2004-05 के स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रु.)	114.48	130.12	151.87
7	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)	11444	13388	15417

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

3.1 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (2009-10)

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में अनेक मापदंडों के लिहाज से संगठित कारखाना क्षेत्र (बिजली का उपयोग करने पर 10 या अधिक श्रमिकों के नियोजन वाले) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण की 2009-10 से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2008-09 में कुल 1,777 कारखाने थे जिनकी संख्या 142 नए कारखानों की वृद्धि के साथ 2009-10 में 1,919 हो गई। इस प्रकार बिहार का संपूर्ण भारत में हिस्सा 2008-09 के 1.14 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 1.21 प्रतिशत हो गया। हालांकि 2009-10 में स्थिर पूंजी का हिस्सा 2008-09 के 0.29 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 0.33 प्रतिश्त हो गया लेकिन कार्यशील पूंजी के हिस्से में कमी दिखी। इसी प्रकार, इस अवधि में उत्पादों के मूल्य में हिस्सा 0.90 प्रतिशत से गिरकर 0.76 प्रतिशत रह गया और निवल मूल्यवर्धन (नेट वैल्यू ऐडेड) 0.60 प्रतिशत से घटकर 0.39 प्रतिशत। हालांकि नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या में हिस्सा बढ़ा जो 2008-09 के 0.65 प्रतिशत से 2009-10 में 0.73 प्रतिशत हो गया।

तालिका 3.4 : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (2008-09 और 2009-10)

विशेषताएं	2008-09			2009-10		
	भारत	बिहार	बिहार का प्रतिशत हिस्सा	भारत	बिहार	बिहार का प्रतिशत हिस्सा
कारखानों की संख्या	155322	1777	1.14	158878	1919	1.21
स्थिर पूंजी (करोड़ रु.)	1055966	3033	0.29	1352184	4452	0.33
कार्यशील पूंजी (करोड़ रु.)	311233	1471	0.47	387745	951	0.25
कुल नियोजित व्यक्ति (सं.)	11327485	73659	0.65	11792055	86620	0.73
उत्पादों के मूल्य (करोड़ रु.)	3272798	295	0.90	3733036	2825	0.76
निवल मूल्यवर्धन (करोड़ रु.)	527766	3184	0.60	592114	2321	0.39

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण : 2008-09 और 2009-10

यह भी दिखा कि दोनों वर्षों में बिहार में चालू कारखानों का प्रतिशत संपूर्ण भारत की तुलना में कम था (तालिका 3.5)। हालांकि इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि चालू कारखानों के मामले में (कृषि आधारित कारखानों को छोड़कर) जहां संपूर्ण भारत के प्रतिशत में 2009-10 मं पिछले वर्ष से थोड़ी कमी आई, वहीं बिहार में कृषि आधारित और गैर-कृषि आधारित, दोनो प्रकार के कारखानों में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बिहार में 2008-09 में स्थिति इसके विपरीत थी जब दोनों श्रेणी के उद्योगों के मामले में 2007-08 की अपेक्षा लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर चालू कारखानों के अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई थी।

तालिका 3.5 : चालू कारखानों की संख्या (2008-09 और 2009-10)

उद्योग की श्रेणी	कारखानों की संख्या			चालू कारखाने			चालू कारखानों का प्रतिशत	
	भारत	बिहार	बिहार का हिस्सा (%)	भारत	बिहार	बिहार का हिस्सा (%)	संपूर्ण भारत	बिहार
2008-09								
कृषि आधारित	67259	437	0.65	64005	377	0.59	95.16	86.27
गैर-कृषि आधारित	88063	1340	1.52	86285	1172	1.36	97.98	87.46
योग	155322	1777	1.14	150290	1549	1.03	96.76	87.17
2009-10								
कृषि आधारित	65409	510	0.78	62299	454	0.73	95.25	89.02
गैर-कृषि आधारित	93469	1409	1.51	90336	1271	1.41	96.65	90.21
योग	158878	1919	1.21	152635	1725	1.13	96.07	89.89

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण : 2008-09 और 2009-10

तालिका प 3.1 और तालिका प 3.2 (परिशिष्ट) में यह भी दिखता है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के मामले में शुद्ध मूल्यवर्धन का हिस्सा गैर कृषि आधारित उद्योगों से लगभग चारगुना अधिक था। वर्ष 2009-10 में विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू का ही प्रदर्शन उत्पादों के मूल्य और शुद्ध मूल्यवर्धन, दोनों लिहाज से बेहतर दिखा। फिर, कोक और शोधित पेट्रॉलियम उत्पादों के उत्पादों के मूल्य में बिहार का हिस्सा 3.29 प्रतिशत था लेकिन शुद्ध मूल्यवर्धन के मामले में हिस्सा मात्र 0.31 प्रतिशत था।

भारत और बिहार में औद्योगिक इकाइयों के संरचना अनुपातों के विश्लेषण से पता चलता है कि बिहार में उद्योगों का आकार प्रति कारखाना स्थिर पूंजी, शुद्ध मूल्यवर्धन और श्रमिकों/ कर्मचारियों की संख्या के लिहाज से सामान्यत: छोटा है। तालिका 3.6 में देखा जा सकता है कि बिहार में प्रति कारखाना स्थिर पूंजी, शुद्ध मूल्यवर्धन और श्रमिकों/ कर्मचारियों की संख्या राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है।

तालिका 3.6 : बिहार और भारत में उद्योगों के संरचना अनुपात (2009-10)

विशेषताएं	भारत		बिहार	
	समस्त	विनिर्माण	समस्त	विनिर्माण
प्रति कारखाना स्थिर पूंजी (लाख रु.)	851	822	232	254
प्रति कारखाना शुद्ध मूल्यवर्धन (लाख रु.)	373	379	121	127
प्रति कारखाना कामगार (संख्या)	58	60	38	40
प्रति कारखाना कर्मचारी (संख्या)	74	77	45	47
प्रति कर्मचारी शुद्ध मूल्यवर्धन (रु.)	5.02	2.68	2.68	2.72

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण : 2009-10

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के कारखाने अपने कामकाज के लिए इंधन के बतौर सामान्यतः पेट्रॉलियम उत्पादों का उपयोग करते हैं। अन्य इंधनों का उपयोग बिल्कुल नगण्य है। इंधन के रूप में विद्युत ऊर्जा की तुलना में पेट्रॉलियम उत्पादों का अधिक उपयोग बिहार में बिजली की भारी कमी के कारण होता है जिससे राज्य में उत्पादन व्यय स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तालिका 3.7 में देखा जा सकता है कि बिहार में कारखानों में पेट्रॉलियम उत्पादों के उपयोग का अनुपात 2008-09 (73 प्रतिशत) और 2009-10 (65 प्रतिशत), दोनों वर्षों में सर्वाधिक था जबकि अन्य राज्यों में यह अनुपात 10 से 30 प्रतिशत के बीच था। संपूर्ण भारत के स्तर पर पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत लगभग 19 प्रतिशत रही। अन्य इंधनों की खपत भी सभी राज्यों में (10 से 32 प्रतिशत) के साथ-साथ संपूर्ण भारत में (17.45 प्रतिशत) काफी अधिक थी जबकि बिहार में 2009-10 में यह अनुपात मात्र 1 प्रतिशत था।

तालिका 3.7 : कारखाना क्षेत्र में दो अंकों वाले उद्योग प्रभाग में इंधनों की खपत

राज्य	इंधन का प्रकार						योग	चालू कारखानों की सं.	प्रति कारखाना मूल्य
	कोयला		बिजली		पेट्रॉलियम उत्पाद	अन्य इंधन			
	मात्रा हजार टन	मूल्य (%)	मात्रा हजार किवा/ आवर	मूल्य (%)	मूल्य (%)	मूल्य (%)	मूल्य (हजार रु.)		
2009-10									
बिहार	245	6.70	705998	27.17	65.03	1.10	164925.37 (100.00)	1725	95.61
गुजरात	11186	18.06	14016436	37.99	12.26	31.69	2290864.71 (100.00)	15339	149.35
कर्नाटक	3401	20.88	5051755	41.14	24.54	13.44	682640.94 (100.00)	8353	81.72
मध्य प्रदेश	6216	35.78	4666958	45.87	9.24	9.11	532923.72 (100.00)	3315	160.76
महाराष्ट्र	3986	7.00	21190313	50.43	20.18	22.40	2272709.61 (100.00)	18839	120.64
उत्तर प्रदेश	2751	9.95	12772281	42.77	21.97	25.31	1030751.09 (100.00)	10696	96.37
संपूर्ण भारत	79344	17.99	154733915	45.14	19.43	17.45	16160000.69 (100.00)	152633	105.87
2008-09									
बिहार	211	5.05	614959	20.79	72.69	1.47	159958.39 (100.00)	1549	103.27
गुजरात	10298	17.69	13561857	31.86	8.96	41.48	2430414.14 (100.00)	14520	167.38
कर्नाटक	14558	14.85	4577960	44.60	22.27	18.28	592093.36 (100.00)	8215	72.07
मध्य प्रदेश	5908	38.04	4256685	39.08	10.62	12.26	522874.98 (100.00)	3267	160.05
महाराष्ट्र	4297	7.79	19299778	48.36	22.53	21.31	2036417.47 (100.00)	19796	102.87
उत्तर प्रदेश	1250	6.10	13704657	45.01	27.09	21.81	1447955.72 (100.00)	24726	58.56
संपूर्ण भारत	116450	16.90	143438679	42.18	18.06	22.86	15216203.46 (100.00)	155322	97.97

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण : 2008-09 और 2009-10

नियोजित व्यक्तियों और भुगतान की गई मजदूरी के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रति कारखाना लोगों की संख्या 50 व्यक्ति है जो अपेक्षाकृत विकसित राज्यों की तुलना में काफी कम है। दोनों संबंधित वर्षों में उन राज्यों में यह अनुपात 70-80 व्यक्ति प्रति कारखाना था। इससे यह बात स्थापित होती है कि नियोजन के लिहाज से बिहार के कारखानों का आकार अपेक्षाकृत छोटा है। तालिका 3.8 में सभी राज्यों के लिए दिए गए आंकड़ों से यह भी पता चलता ह कि दोनों वर्षों में प्रति व्यक्ति दी गई मजदूरी बिहार में सबसे कम - 62 हजार रु. थी।

तालिका 3.8 : कारखाना क्षेत्र में रोजगार, नियोजित मानवदिवस और भुगतान की गई परिलब्धियों का अनुमान

राज्य	कारखानों की सं.	नियोजित व्यक्तियों की सं.	अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों की सं.	सवैतनिक श्रमिकों की सं.	कुल नियोजित मानवदिवस (हजार)	मजदूरी, वेतन और बोनस (लाख रु.)	प्रति कारखाना व्यक्तियों की सं.	प्रति सवैतनिक व्यक्ति वार्षिक मजदूरी, वेतन और बोनस (रु.)
								2009-10
बिहार	1725	86620	1385	85235	19619	53469	50	62731
गुजरात	15339	1159239	4949	115429	360106	1558915	76	135054
कर्नाटक	8353	886706	1652	881757	270221	1050929	106	119185
मध्य प्रदेश	3315	279902	1036	27866	89147	368400	84	132104
महाराष्ट्र	18839	1514069	7998	1506071	471483	2810052	80	186581
उत्तर प्रदेश	10696	762599	5782	756817	224444	877763	71	115980
संपूर्ण भारत	158878	11792055	69423	11722632	3574683	14700696	77	125404
								2008-09
बिहार	1549	73659	1221	72438	15441	44472	48	61393
गुजरात	14520	1125543	5902	1119641	346652	1303885	78	116455
कर्नाटक	8215	770133	2096	768037	232860	958062	94	124741
मध्य प्रदेश	3267	273332	1317	272015	84231	312612	84	114924
महाराष्ट्र	19796	1491931	8171	148376	463998	2588401	75	174448
उत्तर प्रदेश	24726	738644	5192	733452	218447	797971	30	108796
संपूर्ण भारत	155322	11327485	74692	11252793	3386622	12944123	73	115030

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण : 2008-09 और 2009-10

राज्य में चालू कारखानों की संख्या 2008-09 के 1,549 से बढ़कर 2009-10 में 1,725 हो गई और सवैतनिक श्रमिकों की संख्या 72.44 हजार से बढ़कर 85.24 हजार। इसके विपरीत, निर्गत उत्पादों के मूल्य में थोड़ी गिरावट आई जो 2008-09 के 295 करोड़ रु. से 2009-10 में 282 करोड़ रु. रह गया। हालांकि लागत-निर्गत अनुपात 88.21 से बढ़कर 90.52 हो गया जो संपूर्ण भारत के औसत से अधिक है। बिहार में प्रति श्रमिक नियोजित पूंजी 2009-10 में 8.72 लाख रु. थी जो संपूर्ण भारत के औसत (16.38 लाख रु.) की तुलना में काफी कम थी। इसी प्रकार, परिलब्धि-निर्गत अनुपात (इमॉल्यूमेंट-आउटपुट रेशियो) भी बिहार में काफी कम बना रहा। इसके विपरीत, बिहार में इंधन-निर्गत अनुपात संपूर्ण भारत के आंकड़े से अधिक था।

तालिका 3.9 : बिहार में उद्योगों के कुछ प्रमुख पैरामीटर

प्रमुख पैरामीटर	2008-09		2009-10	
	संपूर्ण भारत	बिहार	संपूर्ण भारत	बिहार
चालू कारखानों की संख्या	155322	1549	158878	1725
निर्गत मूल्य (करोड़ रु.)	3272797.86	29539.67	3733035.93	28254.81
लागत-निर्गत अनुपात	81.32	88.21	81.54	90.52
निवेशित पूंजी-श्रमिक अनुपात (हजार रु.)	1355.00	794.04	1638.00	872.48
इंधन-निर्गत अनुपात	4.65	5.42	4.34	5.84
परिलब्धि-निर्गत अनुपात	3.96	1.51	3.95	1.89

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण : 2008-09 और 2009-10

राष्टोय विनिर्माण नीति - 2011

वर्ष 2008 में प्रस्तुत प्रधानमंत्री के समूह की रिपोर्ट में विनिर्माण क्षेत्र में 12-14 प्रतिशत की स्थिर विकास दर हासिल करने के लिए सुसंरचित विनिर्माण क्षेत्र नीति लागू करने की अनुशंसा की गई थी। सरकार ने गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन लाने के लिए 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) जारी की। इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे : (1) विनिर्माण क्षेत्र में मध्यावधि में विकास दर बढ़ाकर 12-14 प्रतिशत तक पहुंचाना; (2) 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद में न्यूनतम 25 प्रतिशत योगदान करने में सक्षम बनाना; (3) 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा करना; (4) विनिर्माण क्षेत्र में सहज अवशोषण के लिए ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों को उपयुक्त कौशलों से लैश करना; (5) विनिर्माण में देशज मूल्यवर्धन और प्रौद्योगिकी संबंधी गहराई बढ़ाना; तथा (6) भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।

हितधारियों के साथ सघन परामर्श और उद्योगों, राज्य सरकारों तथा विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और व्यापार-सम्मत वातावरण के क्षेत्र के निपुण व्यक्तियों से प्राप्त इनपुट को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को अंतिम रूप दिया गया था। नीति में व्यापारिक विनियमों की अंतर्वस्तु को विरल किए बिना उनके सरलीकरण की बात सोची गई है। देश की अर्थव्यवस्था में लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को मान्यता देते हुए विनिर्माण उद्योग के लिए आम हस्तक्षेपों के अलावा लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विशेष हस्तक्षेप की बात भी नीति में मौजूद है। ये हस्तक्षेप मुख्यत: प्रौद्योगिकी उन्नयन, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाने और इक्विटी में निवेशों से संबंधित हैं। निजी क्षेत्र और सरकारी योजनाओं में राजकोषीय प्रोत्साहनों के जरिए युवा-युवतियों को रोजगार के लायक बनाने के लिए कौशल विकास को नीति में उच्च प्राथमिकता दी गई है। विरूपित और अकृष्य भूखंडों पर राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन (NIMZ) के भी प्रावधान किए गए हैं। जोनों की कल्पना विश्वस्तरीय भौतिक और सामाजिक अधिसंरचनाओं से युक्त समेकित औद्योगिक उपनगरों के बतौर की गई है। देश में विनिर्माण क्षेत्र के लिए खास तौर पर बनी पहली नीति, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति से बढ़े पूंजी निर्माण, विश्वस्तरीय औद्योगिक अधिसंरचना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवोन्मेष सजन, व्यावसायिक कौशल विकास अधिसंरचना और उद्योगों, कामगारों तथा पर्यावरण के लिए अनुकूल विनियमों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण परिदृश्य में बदलाव आने की आशा है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण नीति समीक्षा तंत्रों को भी संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में उच्चस्तरीय विनिर्माण उद्योग प्रोत्साहन बोर्ड (MIPB) के गठन का भी प्रावधान है।

3.2 वृहत उद्योग

तत्कालीन बिहार के विभाजन के परिणामस्वरूप वर्तमान बिहार बड़ी औद्योगिक इकाइयों से रहित है। हालांकि बिहार औद्योगिक नीति, 2006 और बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 को लागू करने के बाद से राज्य में उद्योगों के लिए उपयुक्त माहौल बना है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना से राज्य के अंदर-बाहर से निवेश आकर्षित हुआ है। वर्ष 2010-11 में कुल 36 वृहत उद्योग इकाइयां थीं और 2011-12 में बोर्ड ने कुल 12 वृहत उद्योग इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की है। इन इकाइयों के प्रवर्तकों में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, रैमको इंडस्ट्रीज, बंसल बिस्किट्स, हिंदुस्तान पेट्रॉलियम आदि शामिल हैं। अन्य अनेक निवेश प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

तालिका 3.10 : 2011-12 में स्वीकृत बड़ी औद्योगिक इकाइयां

इकाई का प्रकार	संख्या	अवस्थिति
1. चीनी मिल	3	बगहा (पश्चिम चंपारण), लौरिया (पश्चिम चंपारण), सुगौली (पूर्व चंपारण)
2. एसबेस्टस संयंत्र	2	बिहिया (भोजपुर), गीधा (भोजपुर)
3. बिस्कुट और बेकरी	3	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर
4. रिफाइन वनस्पति तेल	1	कुल्हड़िया (आरा)
5. पेय पदार्थ	1	हाजीपुर
6. री-रॉलिंग मिल	1	बिहटा (पटना)
7. विद्युत परियोजना	1	हरिनगर

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

3.3 अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक जीवंत क्षेत्र है। यह जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देता है और रोजगार सृजन के प्रधान सामाजिक उद्देश्य में महत्वपूर्ण योगदान करता है। औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और सकल घरेलू उत्पाद में इसका बड़ा योगदान है। अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 लागू करना और 2007 में इनके प्रोत्साहन हेतु पैकेज की व्यवस्था इस क्षेत्र के अधिक प्रोत्साहन के लिए ली गई दो महत्वपूर्ण पहलकदमियां हैं।

वर्ष 2006-07 में संपन्न चतुर्थ संपूर्ण भारत अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार देश में इस क्षेत्र की कुल 22.48 लाख इकाइयां थीं जिनमें से 15.64 लाख (69.57 प्रतिशत) ही चालू थीं, 22.08 प्रतिशत बंद थीं और 8.35 प्रतिशत का पता नहीं चला। बिहार में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई। राज्य में कुल 70.67 हजार इकाइयां थीं जिनमें से 70.80 प्रतिशत चालू थीं, 23.13 प्रतिशत बंद थीं और 6.07 प्रतिशत लापता थीं। चालू इकाइयों का अनुपात गुजरात (80 प्रतिशत) और कर्नाटक (71 प्रतिशत) जैसे विकसित राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक था लेकिन उत्तर प्रदेश (62 प्रतिशत) और मध्य पदेश (69 प्रतिशत) में कम था। वहीं महाराष्ट्र में यह अनुपात आश्चर्यजनक ढंग से कम था - मात्र 53 प्रतिशत।

तालिका 3.11 : संचालन के लिहाज से उद्यमों की स्थिति

राज्य	चालू इकाइयां	बंद इकाइयां	लापता इकाइयां	योग
बिहार	50036 (70.80)	16344 (23.13)	4291 (6.07)	70671 (100.00)
गुजरात	229830 (79.94)	34945 (12.15)	22745 (7.91)	287520 (100.00)
कर्नाटक	136186 (71.15)	47581 (24.86)	7648 (4.00)	191415 (100.00)
मध्य प्रदेश	106997 (69.27)	36502 (23.63)	10957 (7.09)	154456 (100.00)
महाराष्ट्र	86586 (53.18)	41856 (25.71)	34383 (21.12)	162825 (100.00)
उत्तर प्रदेश	187742 (61.84)	80616 (26.55)	35231 (11.61)	303589 (100.00)
संपूर्ण भारत	1563974 (69.57)	496355 (22.08)	187682 (8.35)	2248011 (100.00)

स्रोत : चतुर्थ अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योग गणना, भारत सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में प्रतिशत दर्शाए गए हैं।

चार्ट 3.2 : संचालन के लिहाज से उद्यमों की स्थिति

बिहार

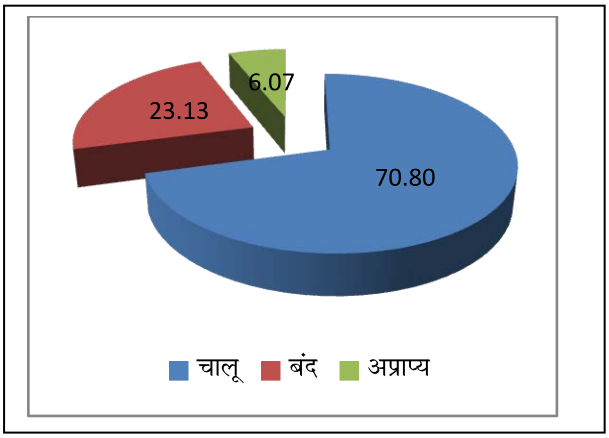

भारत

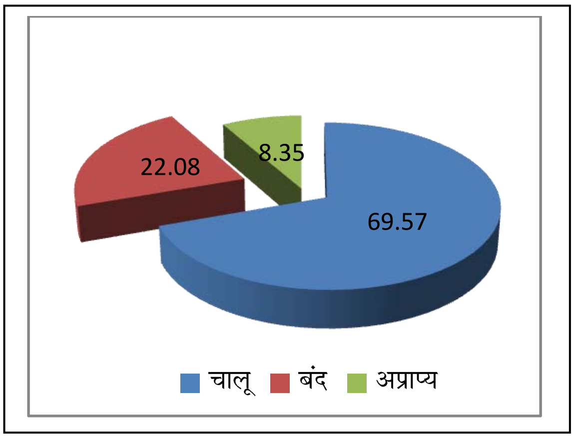

सर्वेक्षण के अनुसार देश में अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यमों की 15.64 लाख इकाइयां चालू थीं जिनमें से न्यूनतम 95 प्रतिशत अतिलघु इकाइयां और लगभग 5 प्रतिशत लघु इकाइयां थीं। मध्यम श्रेणी की इकाइयां 1 प्रतिशत से भी कम थीं। गुजरात और महाराष्ट्र में अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल इकाइयों में अतिलघु इकाइयों का हिस्सा लगभग 85 प्रतिशत था। वहीं बिहार सहित शेष राज्यों में यह कर्नाटक के 98 प्रतिशत और बिहार के लगभग शत-प्रतिशत (99.66 प्रतिशत) के बीच था। तालिका 3.12 में देखा जा सकता है कि लघु और मध्यम श्रेणी की इकाइयों का संयुक्त हिस्सा भी मध्य प्रदेश में महज 0.94 प्रतिशत था और बिहार में तो 0.33 प्रतिशत ही था।

तालिका 3.12 : कार्यशील इकाइयों का प्रकार के अनुसार राज्यवार वितरण

राज्य	अतिलघु	लघु	मध्यम	योग
बिहार	49867 (99.66)	157(0.31)	12 (0.02)	50036 (100.00)
गुजरात	196894 (85.67)	31676 (13.78)	1260 (0.55)	229830 (100.00)
कर्नाटक	133524 (98.05)	2562 (1.88)	100 (0.07)	136186 (100.00)
मध्य प्रदेश	105998 (99.07)	950 (0.89)	49 (0.05)	106997 (100.00)
महाराष्ट्र	73936 (85.39)	12459 (14.39)	191 (0.22)	86586 (100.00)
उत्तर प्रदेश	184503 (98.27)	3089 (1.65)	750 (0.08)	187742 (100.00)
संपूर्ण भारत	1484768 (94.94)	76523 (4.89)	2683 (0.17)	1563974 (100.00)

स्रोत : चतुर्थ अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योग गणना, भारत सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में प्रतिशत दर्शाए गए हैं।

यह भी देखा गया कि अधिकांश अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम विनिर्माण/ एसेंब्ली/ प्रसंस्करण में लगे हैं। देश की कुल चालू इकाइयों में से 67 प्रतिशत विनिर्माण/ एसेंब्ली/ प्रसंस्करण में, लगभग 16 प्रतिशत सेवा में और 16 प्रतिशत मरम्मत/ रखरखाव के काम में लगी थीं। बिहार में 69 प्रतिशत इकाइयां विनिर्माण और संबंधित गतिविधियों में, 24 प्रतिशत मरम्मत/ रखरखाव में और मात्र 7 प्रतिशत सेवा में लगी थीं। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी सेवा की तुलना में विनिर्माण/ मरम्मत में अधिक इकाइयां लगी थीं। हालांकि कर्नाटक और महाराष्ट्र में सेवा इकाइयों की संख्या मरम्मत/ रखरखाव इकाइयों से अधिक होने की सूचना है।

तालिका 3.13 : गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार कार्यशील इकाइयों का राज्यवार वितरण

राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्र	गतिविधियों की प्रकृति वाले उद्यमों की संख्या			
	विनिर्माण/ एसेंब्ली/ प्रसंस्करण	सेवा	मरम्मत एवं रखरखाव	योग
बिहार	34660 (69.3)	3424 (6.84)	11952 (23.89)	50036
गुजरात	151512 (65.9)	34018 (14.8)	44300 (19.3)	229830
कर्नाटक	102903 (75.6)	21799 (16.0)	11484 (8.4)	136186
मध्य प्रदेश	52599 (49.2)	22302 (20.8)	32096 (30.0)	106997
महाराष्ट्र	80244 (92.7)	3692 (4.3)	2650 (3.1)	86586
उत्तर प्रदेश	113840 (60.6)	31350 (16.7)	42552 (22.7)	187742
संपूर्ण भारत	1049393 (67.1)	262369 (16.8)	252212 (16.1)	1563974

स्रोत : चतुर्थ अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योग गणना, भारत सरकार

टिप्पणी : कोष्ठकों में प्रतिशत दर्शाए गए हैं।

प्रति कारखाना रोजगार के लिहाज से बिहार (2.95 व्यक्ति) बहुत पीछे है और मध्य प्रदेश (2.79 व्यक्ति) के आसपास है (तालिका 3.14)। हालांकि संपूर्ण भारत के स्तर पर और गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में औसत रोजगार 4.02 से 5.95 व्यक्ति प्रति इकाई के बीच है। महाराष्ट्र में औसत रोजगार सर्वाधिक 12.57

व्यक्ति प्रति कारखाना है। इसी प्रकार, प्रति कारखाना स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य और निवल मूल्य के मामले में भी राज्यों के बीच काफी अंतर है और बिहार उनमें भी सबसे पीछे है।

तालिका 3.14 : देश के प्रमुख राज्यों में प्रमुख विशेषताओं का वितरण

राज्य	चालू उद्यमों की सं.	रोजगार (सं.)	स्थायी परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य (करोड़ रु.)	सकल उत्पाद का मूल्य (करोड़ रु.)	शुद्ध मूल्यवर्धन (करोड़ रु.)	प्रति कारखाना रोजगार (सं.)	स्थायी परिसंपत्ति का प्रति कारखाना मूल्य (लाख रु.)	प्रति कारखाना शुद्ध मूल्य (लाख रु.)
बिहार	50036	147774	3674.46	4661.53	2458.95	2.95	7.34	4.91
गुजरात	229830	1244981	151868.8	38438.44	26504.39	5.42	66.08	11.53
कर्नाटक	136186	789358	14818.73	41060.27	17666.17	5.80	10.88	12.97
मध्य प्रदेश	106997	298047	6834.2	26191.6	11348.92	2.79	6.39	10.61
महाराष्ट्र	86586	1088791	54365.37	110705.1	88691.52	12.57	62.79	102.43
उत्तर प्रदेश	187742	754908	33666.01	74065.17	50514.11	4.02	17.93	26.91
संपूर्ण भारत	1563974	9309486	449138.4	707510.3	415303.4	5.95	28.72	26.55

स्रोत : चतुर्थ अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योग गणना, भारत सरकार

अतिलघु और लघु उद्यम रोजगार पैदा करने और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हालांकि समग्र औद्योगिक क्षेत्र की दिशा के अनुरूप देश में अतिलघु और लघु उद्योगों को मिलने वाले ऋणों की वृद्धि दर दिसंबर 2011 में दिसंबर 2010 के 19.9 प्रतिशत से गिरकर 7.2 प्रतिशत रह गई। मध्यम उद्योगों के मामले में कम गिरावट आई है। अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यमों को अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों से मिलने वाले अग्रिमों में अतिलघु उद्यमों का हिस्सा दिसंबर 2011 में दिसंबर 2010 के 40.1 प्रतिशत से गिरकर 38.7 प्रतिशत रह गया।

बिहार में अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रगति

वर्ष 2011-12 में अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल 4,108 इकाइयों का निबंधन हुआ था जो वर्ष के लिए तय लक्ष्य का 51.35 प्रतिशत है (तालिका 3.15)। इस क्षेत्र की वर्षवार निबंधित इकाइयों की संख्या के विश्लेषण से पता चलता है कि संपूर्ण भारत के रुझान के अनुरूप बिहार में अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में 2010-11 में 2009-10 की अपेक्षा 5 प्रतिशत की गिरावट आई और 2011-12 में पिछले वर्ष की अपेक्षा 15 प्रतिशत की। गिरावट का रुझान 2008-09 में वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण शुरू हुआ जो अभी भी जारी है। हालांकि निवेश 2009-10 के 129 करोड़ रु. से बढ़कर 2010-11 में 186 करोड़ रु. और 2011-12 में और भी बढ़कर 390 करोड़ रु. हो गया लेकिन 2010-11 से 2011-12 के बीच रोजगार वृद्धि में लगभग 4.5 प्रतिशत गिरावट आई। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 2012-13 के लिए 8,000 इकाइयों के आरंभ का पुन: आशावादी लक्ष्य निर्धारित किया है। बहरहाल, इस लक्ष्य में से 182.35 करोड़ रु. निवेश वाली 1,410 इकाइयों (लक्ष्य का 17.60 प्रतिशत) का ही निबंधन वर्ष क पूर्वार्ध में, अर्थात अप्रील से सितंबर 2012 तक हो सका था। वर्ष 2012-13 में (सितंबर 2012 तक) स्थापित कुल इकाइयों में से 99 प्रतिशत अतिलघु

इकाइयां थीं। लघु इकाइयों की संख्या 9 और मध्यम इकाइयों की संख्या 5 ही थी। तालिका यह भी दर्शाती है कि मध्यम और अतिलघु इकाइयों के मामले में वार्षिक चक्रवृद्धि दर का रुझान नकारात्मक था हालांकि बाद के वर्षों में इसमें कमी आई।

तालिका 3.15 : बिहार में निबंधित अतिलघु, लघु और मध्यम इकाइयों की वर्षवार स्थापना

वर्ष	मध्यम उद्योग	लघु उद्योग	अतिलघु उद्योग	योग	निवेश (करोड़ रु.)	रोजगार (संख्या)
2006-07 तक		1433	162063	163496	801.15	536890
2007-08	4	42	7156	7202	134.83	19963
2008-09	7	25	6122	6154	118.86	17474
2009-10	2	41	5048	5091	128.64	16011
2010-11	3	33	4799	4835	185.57	17365
2011-12	2	56	4050	4108	389.64	16581
2012-13, सितंबर 2012 तक	5	9	1396	1410	182.35	5740
योग	23	1639	190634	192296	1941.04	630024
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	-20.02	8.90	-12.91	-12.75	29.28	-3.70

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : 2008-09 से कारीगरी इकाइयों को अतिलघु इकाइयों में मिला दिया गया है।

चार्ट 3.3 : बिहार में निबंधित कुल अतिलघु, लघु और मध्यम इकाइयां

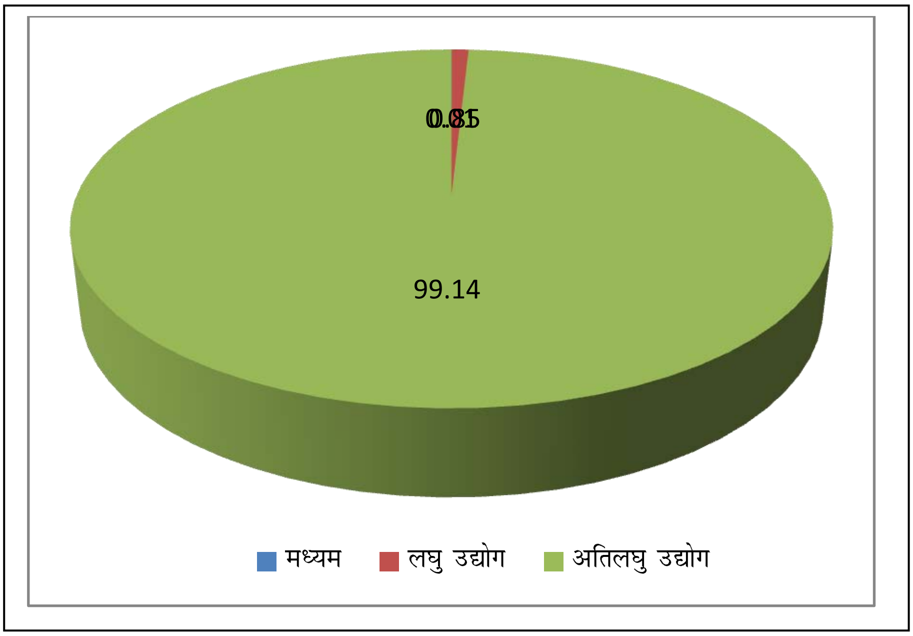

वर्ष 2011-12 में निबंधित 4,108 इकाइयों में से लगभग 30 प्रतिशत का निबंधन अकेले पटना प्रमंडल में हुआ। जिलों के बीच सर्वाधिक 458 इकाइयों के साथ पटना शीर्ष पर था और उसके बाद गया (318) तथा मधुबनी (313)। सबसे कम, मात्र 5 इकाइयों का निबंधन सुपौल जिले में हुआ।

तालिका 3.16 : 2011-12 में निबंधित मध्यम, लघु और अतिलघु इकाइयों का प्रतिशत वितरण

प्रमंडल	प्रतिशत			
	अतिलघु	लघु	मध्यम	योग
पटना	28.7	82.1	50.0	29.5
मुंगेर	11.3	0.0	0.0	11.2
भागलपुर	2.0	0.0	0.0	2.0
पूर्णिया	8.6	3.6	0.0	8.5
मगध	17.9	3.6	0.0	17.7
दरभंगा	12.5	0.0	0.0	12.3
कोशी	3.6	0.0	0.0	3.6
तिरहुत	10.1	10.7	50.0	10.1
सारण	5.2	0.0	0.0	5.1
योग	100.0	100.0	100.0	100.0
इकाइयों की कुल संख्या	4050	56	2	4108

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2011-12 में निबंधित मध्यम, लघु एवं अतिलघु उद्यम क्षेत्र की कुल 4,108 इकाइयों के स्वामित्व की बात करें, तो 4 प्रतिशत पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के, 7 प्रतिशत पर अल्पसंख्यक समुदाय के और शेष 89 प्रतिशत पर शेष श्रेणियों के सामान्य और पिछड़े वर्गों के लोगों का स्वामित्व था। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक श्रेणी के स्वामित्व में सिर्फ अतिलघु इकाइयां थीं जिनमें कुल निवेश 390 करोड़ रु. के आसपास था। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के स्वामित्व वाली इकाइयों का हिस्सा 0.13 प्रतिशत था और अल्पसंख्यक श्रेणी के स्वामित्व वाली इकाइयों का 2.44 प्रतिशत (तालिका प 3.3 - परिशिष्ट)।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ऋण से जुड़ी सब्सिडी युक्त है जिसका क्रियान्वयन नोडल अभिकरण के बतौर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कर रहा है। योजना के तहत लाभार्थी को परियोजना व्यय का 10 प्रतिशत निवेश करना पड़ता है और शेष 90 प्रतिशत रकम बैंक द्वारा मंजूर की जाती है। अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य कमजोर तबकों के लिए यह अनुपात 5 प्रतिशत और 95 प्रतिशत होता है।

वर्ष 2011-12 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 5,298 इकाइयों के लक्ष्य के मद्देनजर 11,577 इकाइयों की अनुशंसा की गई थी लेकिन 4,987 (43 प्रतिशत) इकाइयों का ही स्वीकृति मिली जो वर्ष हेतु तय लक्ष्य का 94 प्रतिशत है (तालिका 3.17)। 4,987 स्वीकृत इकाइयों में से 4,887 (98 प्रतिशत) के बीच 98.74 करोड़ रु. की रकम वितरित की गई जो 74.17 करोड़ रु. के लक्ष्य से अधिक है। वितरण की राशि प्रति परियोजना 2.02 लाख रु. ठहरती है। इन इकाइयों से 35.2 हजार कामगारों को रोजगार मिलना संभावित है। प्रति परियोजना रोजगार का औसत 7.20 व्यक्ति होता है जो 10 व्यक्तियों के लक्ष्य से थोड़ा कम है। हालांकि 2012-13 में (सितंबर तक) 4,674 परियोजनाएं अनुशंसित हो चुकी थीं लेकिन 233

(5 प्रतिशत) ही स्वीकृत हुई थीं जिनमें से 25 प्रतिशत के बीच 1.73 लाख रु. के औसत से कुल 1.02 करोड़ रु. वितरित हुए हैं।

तालिका 3.17 : बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति

मद	2011-12				
	लक्ष्य	अनुशंसित	स्वीकृत	वितरण	
				संख्या/ रकम	प्रतिशत
परियोजना (संख्या)	5298	11577	4987	4887	98.0
परियोजना राशि (लाख रु.)	7417.30	24315	10089.47	9873.73	97.9
रोजगार सृजन (संख्या)	52980	80737	36047	35193	97.6
प्रति परियोजना औसत रोजगार (संख्या)	10	6.97	7.23	7.20	99.6

स्रोत : उद्योग मित्र, बिहार सरकार

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने में लगे अभिकरण खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र हैं। तालिका 3.18 में देखा जा सकता है कि इन तीनों अभिकरणों में जिला उद्योग केंद्र ने 2011-12 लगभग 80 प्रतिशत आवेदनों को अनुशंसा, स्वीकृति और रकम उपलब्ध कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वितरित रकम और रोजगार, दोनों लक्ष्य के लगभग 74 प्रतिशत थे।

तालिका 3.18 : बिहार में 2011-12 मं प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत स्वीकृति और वितरण

अभिकरण	अनुशंसित आवेदन		स्वीकृत आवेदन		वितरण		
	संख्या	संलग्न रकम (करोड़ रु.)	संख्या	संलग्न रकम (करोड़ रु.)	संख्या	संलग्न रकम (करोड़ रु.)	रोजगार की संख्या
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	916 (7.9)	3091.05 (12.7)	606 (12.2)	1542.25 (15.3)	594 (12.2)	1509.05 (15.3)	5186 (14.7)
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	1416 (12.2)	3545.8 (14.6)	437 (8.8)	1099.24 (10.9)	427 (8.7)	1073.1 (10.9)	3914 (11.1)
जिला उद्योग केंद्र	9245 (79.9)	17678.15 (72.7)	3944 (79.1)	7447.98 (73.8)	3866 (79.1)	7291.58 (73.8)	26093 (74.1)
योग	11577 (100.0)	24315 (100.0)	4987 (100.0)	10089.47 (100.0)	4887 (100.0)	9873.73 (100.0)	35193 (100.0)

स्रोत : उद्योग मित्र, बिहार सरकार

3.4 कृषि आधारित उद्योग

कृषि द्वारा राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी है इसलिए कृषि आधारित उद्योगों के लिए राज्य में जबर्दस्त अवसर मौजूद हैं। खाद्य उत्पादन के लिहाज से बिहार देश की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और फल-सब्जी उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। राज्य में भारी संभावना को देखते हुए कटाई-तुड़ाई के बाद और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक बुनियादी अधिसंरचनाओं के प्रोत्साहन हेतु राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

निदेशालय की स्थापना की गई है। खाद्य उत्पाद, पेय, तंबाकू आदि के अंतर्गत ढेर सारे उत्पाद शामिल हैं जिनका कुल औद्योगिक उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक योगदान है और निवल मूल्यवर्धन तथा रोजगार के लिहाज से अच्छी संभावना है। हाल के वर्षों में कृषि आधारित उद्योग, खास कर चाय और दुग्ध उत्पादों ने सकारात्मक विकास का रुझान दर्शाना शुरू किया है।

खाद्य प्रसंस्करण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भारत में व्यापक तौर पर 'उदीयमान उद्योग' माना जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था के उन्नयन, बड़े पैमाने पर प्रसंस्कृत खाद्य सामग्रियों के विनिर्माण, आहारशृंखला सुविधाओं के प्रोत्साहन और उनके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन तथा निर्यात से आय के लिहाज से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भारी संभावना है।

भारतीय राज्यों में बिहार सब्जियों का सबसे बड़ा और फलों का दूसरा बड़ा उत्पादक है। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के लिए काफी अवसर मौजूद हैं। गुणवत्ता और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास से फलों-सब्जियों की तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान में काफी हद तक कमी होगी जिसका कारण कटाई-तुड़ाई और परिवहन के खराब तरीके हैं। फलों-सब्जियों के भंडारण की समुचित सुविधा भी मौजूद नहीं है। गोदामों और शीतगृह शृंखला की कमी है जिसकी परिणति कच्चे माल के गुणवत्ता ह्रास में होती है। सीमित संख्या में मौजूद शीतगृह निजी क्षेत्र में हैं। सहकारी क्षेत्र का हिस्सा बहुत कम है।

फल और सब्जियां

बिहार में अनेक प्रकार की सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। वर्ष 2011-12 में राज्य में 298 हजार हे. में फलों की और 853 हजार हे. में सब्जियों की खेती हुई थी। फलों में उत्पादन के लिहाज से केला, आम, अमरुद और लीची प्रमुख हैं। वर्ष 2011-12 में कुल 3,932.78 हजार टन फलों का उत्पादन हुआ था जिसमें केला का 40.2 प्रतिशत, आम का 32.0 प्रतिशत, अमरुद का 6.2 प्रतिशत, लीची का 6.0 प्रतिशत और अन्नानास का 3.3 प्रतिशत हिस्सा था। इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि लीची के अलावा मखाना भी राज्य का खास उत्पाद है जिसका वार्षिक उत्पादन 96,000 टन है। दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण और वैशाली आम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं जिनका राज्य के कुल उत्पादन में संयुक्त रूप से 36 प्रतिशत हिस्सा है। मुजफ्फरपुर जिला लीची उत्पादन में शीर्ष पर है और राज्य के उत्पादन में उसका 25 प्रतिशत हिस्सा है। अमरुद उत्पादन में रोहतास शीर्ष पर है जिसका कुल उत्पादन में 10 प्रतिशत हिस्सा है। इसी प्रकार, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और समस्तीपुर केले के मामले में अग्रणी हैं जिनका राज्य के कुल केला उत्पादन में 23 प्रतिशत हिस्सा है। प्रमुख मखाना उत्पादक जिले समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और सहरसा हैं। इसका फैलाव मखाना उत्पादन की संभावना वाले उत्तर बिहार के कुछ अन्य जिलों में भी हो सकता है।

राज्य में सब्जियों का उत्पादन 853 हजार हे. क्षेत्र में होता है जो फलों के कुल उत्पादन क्षेत्र का लगभग तीनगुना है। राज्य में उगाई जाने वाली सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर, फूलगोभी और बैंगन प्रमुख हैं जिनका कुल उत्पादन में 70 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा है। नालंदा में 1,190.48 हजार टन सब्जियों का उत्पादन

हुआ जो राज्य के कुल सब्जी उत्पादन का 8 प्रतिशत है। नालंदा आलू, प्याज और बैंगन के उत्पादन में भी शीर्ष पर है।

तालिका 3.19 : बिहार में फलों और सब्जियों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2011-12)

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन हजार टन/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

सामग्री	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	सामग्री	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
सब्जियां				**फल**			
आलू	315.17	6101.69	19360.00	आम	147.51	1241.80	8418.66
प्याज	53.81	1236.77	22985.24	अमरुद	29.51	245.18	8308.87
टमाटर	47.18	1104.76	23417.80	लीची	31.10	236.43	7602.89
फूलगोभी	62.95	1155.12	18348.96	नींबू	180.10	133.88	743.34
पत्तागोभी	39.58	734.99	18571.14	केला	321.09	1580.48	4922.23
बैगन	56.11	1271.54	22663.58	अन्नानास	4.94	131.94	26713.30
मिर्च	40.22	486.03	12085.54	पपीता	1.71	41.28	24169.20
कद्दू/ नेनुआ	69.36	1238.86	17860.76	आंवला	1.70	16.01	9433.12
अन्य	168.25	2173.40	12917.68	अन्य	32.66	319.23	9773.18
योग	852.62	15503.13	18183.02	योग	297.98	3932.71	13198.12

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

खाद्य प्रसंस्करण

बिहार कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है जिसमें अनेक प्रकार की खाद्य फसलें पैदा होती हैं। इनमें चावल का मुख्य स्थान है जिसका कुल अनाज उत्पादन में 50.5 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य में 40 लाख हे. क्षेत्र में मोटे तौर पर 50 लाख टन धान का उत्पादन होता है। अनाज उत्पादन में मक्का का हिस्सा 13 प्रतिशत है। 7 लाख हे. क्षेत्र में इसका 20 लाख टन उत्पादन हुआ। रबी मक्का में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। राज्य में बड़ी संख्या में चावल मिल मौजूद हैं। इनकी संख्या लगभग 5 हजार है लेकिन इनमें से 5 प्रतिशत ही आधुनिक मिल हैं। मिल कुछ मिलाकर कालातीत प्रौद्येगिकी का उपयोग करते हैं जिसके कारण प्राप्त चावल की दर कम रहती है। राज्य के चावल मिलों के आधुनिकीकरण की तत्काल जरूरत है।

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार सभी संभव प्रयास कर रही है। समेकित खाद्य प्रसंस्करण विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को दिसंबर 2011 तक निजी निवेशकों से कुल 4,321 करोड़ रु. अनुमानित परियोजना व्यय वाले 314 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 98 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिनका कुल परिव्यय 1,610 करोड़ रु. है। कुल 317 करोड़ रु. की अनुमानित परिव्यय वाली 64 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। जनवरी 2012 तक 120.11 करोड़ रु. की स्वीकार्य सब्सिडी वाली कुल 50 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। सब्सिडी की रकम के बतौर 57.98 करोड़ रु. स्वीकृत किए जा चुके हैं। भागलपुर और कटिहार में फुड पार्क के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मेगा फुड पार्क योजना के तहत उन्हें स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के लिए 2012-13 के लिए 8,000 करोड़ रु. का परिव्यय प्रस्तावित है। फुड पार्क राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए खेत से बाजार तक जुड़ी कड़ियों वाली सक्षमकारी अधिसंरचनाओं के निर्माण के मकसद से स्थापित किए जा रहे हैं।

फुड पार्क के घटक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, शीतगृह नेटवर्क, और अभियंत्रण तथा निर्माण गतिविधियों के लिए परामर्श सेवा हैं।

चीनी उद्योग

चीनी उद्योग बिहार का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इससे कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्षत: तथा सहायक उद्योगों एवं संबंधित गतिविधियों के जरिए अप्रत्यक्षत: काफी रोजगार मिलता है। अनुमान है कि राज्य में कोई 5 लाख किसान ईख की खेती में और 50 हजार लोग कुशल-अकुशल श्रमिक के बतौर लगे हैं। राज्य में चीनी उद्योग में प्रशिक्षित प्रौद्योगिकीविदों को भी प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त है। राज्य में चीनी और सहवर्ती उद्योगों की भारी संभावना है, खास कर ईथेनॉल उत्पादन और आबद्ध (कैप्टिव) विद्युत उत्पादन की। इसके विस्तार की भारी गुंजाइश के मद्देनजर राज्य सरकार ने राज्य में ईख आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने का निर्णय किया है जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर दीर्घगामी प्रभाव पड़ेगा। चीनी कंपनियों द्वारा अपने क्षमता विस्तार के लिए 600 करोड़ रु. से भी अधिक का निवेश किया गया है जिसके फलस्वरूप उनको दैनिक पेराई क्षमता 2005 के 37 हजार टन से बढ़कर इस समय 68 हजार टन हो गई है। राज्य के कुल 54 लाख हे. कृष्य क्षेत्र के 4.41 प्रतिशत हिस्से में ही ईख की खेती होती है। ईख की खेती क्षेत्रफल बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। आजादी के पहले राज्य में 33 चीनी मिल थ जो देश का 40 प्रतिशत चीनी उत्पादित करते थे। लेकिन अभी चीनी उत्पादन में राज्य का हिस्सा मात्र 3-4 प्रतिशत है और चीनी मिलों की संख्या घटकर 28 रह गई है जिनमें से 18 रुग्ण और बंद हैं - 15 बिहार राज्य चीनी निगम के और 3 केंद्र के बीआइसी समूह के। बीआइसी समूह के चनपटिया और बाराचकिया स्थित दो चीनी मिल परिसमापन के चरण में हैं और तीसरा पुनर्वास की प्रक्रिया में है। राजकीय क्षेत्र के बंद 15 मिलों की बात करें, तो उनमें से 8 को चार चक्र में संपन्न निविदा के जरिए निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। हालांकि शेष 7 मिलों को लीज पर लेने के लिए निजी कंपनियों द्वारा कोई पेशकश नहीं की गई है अत: राज्य सरकार लीज अथवा वैकल्पिक उपयोगों के नियमों और शर्तों में कुछ परिवर्तन करने के बारे में सोच रही है। इन्हें लीज पर देकर राज्य सरकार 250 करोड़ रु. प्राप्त करने की आशा कर रही है। इन मिलों के विवरण तालिका 3.20 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.20 : बिहार में राजकीय क्षेत्र के बंद चीनी मिलों की स्थिति

(सितंबर 2012 में)

लीज पर दिए गए चीनी मिल	निविदा के चक्र	निजी कंपनी का नाम	अभ्युक्ति
1. सुगौली	प्रथम	एचपीसीएल	उत्पादन शुरू
2. लौरिया	प्रथम	एचपीसीएल	उत्पादन शुरू
3. सकरी	द्वितीय	तिरहुत इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उत्पादन शुरू
4. रैयाम	द्वितीय	तिरहुत इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उत्पादन शुरू
5. बिहटा	तृतीय	प्रिस्टीन इंडस्ट्रीज	उत्पादन शुरू
6. मोतीपुर	तृतीय	इंडियन पोटाश लिमिटेड	उत्पादन शुरू
7. समस्तीपुर	चतुर्थ	विन्सम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उत्पादन शुरू
8. लोहट	चतुर्थ	दलौरिया भारत सुगर लिमिटेड	उत्पादन शुरू
लीज पर दिए जाने वाले मिल			
वारसलीगंज, बनमनखी, गोरौल, गुरारू, हथुआ, न्यू सावन, सीवान			

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

राज्य के शेष 10 चीनी मिल निजी क्षेत्र में हैं जिनमें से 2011-12 बंद मोतीपुर चीनी मिल की स्थिति काफी संदेहास्पद है। वर्ष 2011-12 के पेराई के मौसम में एचपीसीएल को लीज पर हस्तांतरित सुगौली और लौरिया चीनी मिलों में उत्पादन शुरू हो गया। इस प्रकार 2011-12 में कुल मिलाकर 11 चीनी मिल चालू थे जिनमें कुल 488.30 लाख क्विंटल ईख की पेराई हुई जबकि 2010-11 में 414.06 लाख क्विंटल की पेराई हुई थी। वर्ष 2011-12 में चीनी प्राप्ति की दर (9.24 प्रतिशत) गत वर्ष से कम थी फिर भी इस वर्ष कुल 45.10 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ जबकि गत वर्ष 39 लाख टन चीनी ही का उत्पादन हुआ था। राज्य का चीनी उद्योग ईख से चीनी की कम प्राप्ति की चुनौती झेल रहा है। बिहार में इसकी दर 9.24 प्रतिशत है जो महाराष्ट्र के 12 प्रतिशत से काफी कम है। तालिका 3.21 से स्पष्ट है कि एचपीसीएल द्वारा लीज पर लिए गए लौरिया और सुगौली के चीनी मिलों में पहले से कार्यरत चीनी मिलों की अपेक्षा चीनी प्राप्ति की दर कम दिखी जो संभवत: सचालन का पहला वर्ष होने के कारण है।

तालिका 3.21 : तीन पेराई वर्षों में चीनी मिलों का प्रदर्शन स्तर

चीनी मिल का नाम	पेरी गई ईख (लाख क्विंटल)	उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल)	चीनी की प्राप्ति (%)	पेरी गई ईख (लाख क्विंटल)	उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल)	चीनी की प्राप्ति (%)	पेरी गई ईख (लाख क्विंटल)	उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल)	चीनी की प्राप्ति (%)
	2009-10			**2010-11**			**2011-12**		
बगहा	31.61	3.92	9.67	42.06	4.12	9.80	50.61	4.99	9.84
हरिनगर	63.49	6.33	9.96	98.42	9.25	9.40	94.61	8.96	9.47
नरकटियागंज	51.65	5.19	9.51	68.15	6.52	9.57	78.79	7.65	9.71
मझौलिया	26.89	2.56	9.32	42.96	3.93	9.15	44.87	4.23	9.30
मोतीपुर	बंद			1.26	0.09	7.14	बंद		
सासामुसा	17.06	1.61	9.23	19.69	1.81	9.19	21.09	2.06	9.51
गोपालगंज	25.16	2.42	9.25	32.87	3.12	9.49	39.19	3.72	9.50
सिधवलिया	21.64	2.25	9.11	39.64	3.72	9.38	47.01	4.43	9.43
रीगा	22.21	2.02	9.10	48.11	4.46	9.27	48.13	4.48	9.31
हसनपुर	12.63	1.15	9.09	20.91	1.95	9.33	31.17	2.95	9.48
उप-योग	**272.34**	**27.45**	**10.08**	**414.06**	**38.97**	**9.41**	**455.47**	**43.47**	**9.54**
नए चीनी मिल									
लौरिया	-	-	-	-	-	-	15.29	0.66	4.32
सुगौली	-	-	-	-	-	-	17.54	0.97	5.53
उप-योग							**32.83**	**1.63**	**4.96**
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**488.3**	**45.10**	**9.24**

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 3.4 : तीन पेराई वर्षों में चीनी मिलों का प्रदर्शन स्तर

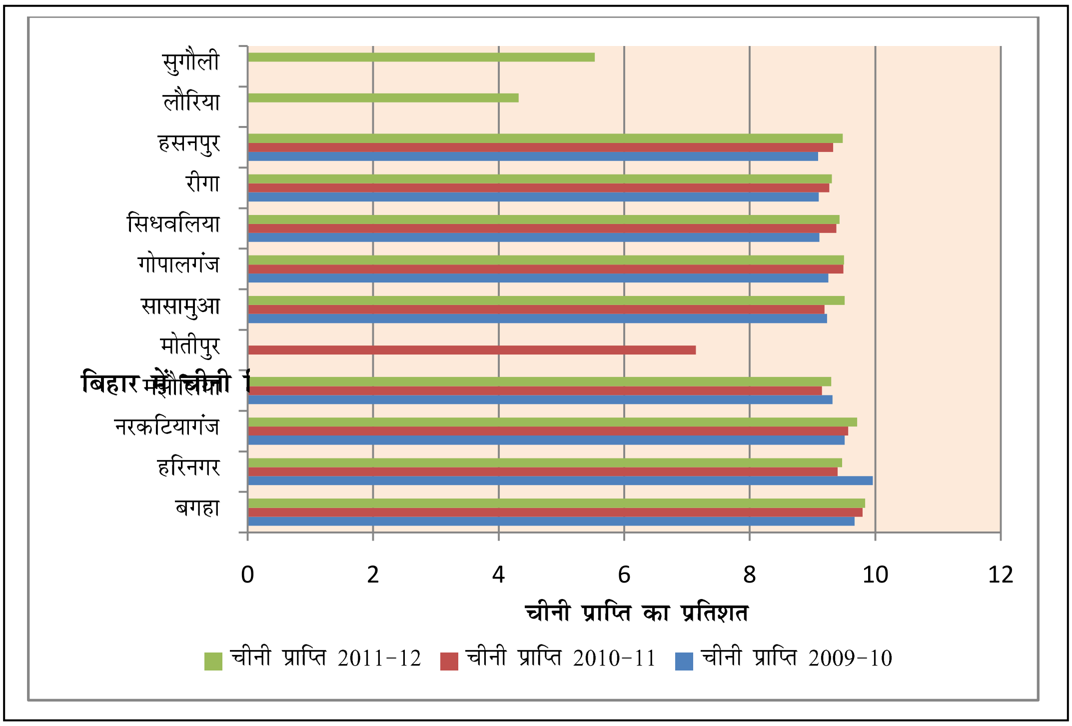

केंद्र सरकार चीनी उद्योग के प्रोत्साहन हेतु सुविधाएं प्रदान करती है। उसने पहले ही घोषणा कर दी है कि निर्यातकों को निर्यातित चीनी की मात्रा के लिए अनिवार्य लेवी नहीं देनी होगी। चीनी उद्योग ने चीनी प्रोत्साहन नीति, 2006 में परिवर्तन की मांग की है ताकि उसके प्रावधान और उसके द्वारा पेश प्रोत्साहन तत्काल नई औद्योगिक नीति, 2011 के प्रावधानों और प्रोत्साहनों के समकक्ष आ सकें। प्रमुख चिंताओं में वर्तमान चीनी प्रोत्साहन नीति में तत्काल संशोधन, रैक्टिफाइड (शोधित) स्प्रीट की कीमतों में संशोधन, और प्रवेश कर लगाना शामिल है। राज्य के उद्यमियों के लिए कामकाज का समान स्तर उपलब्ध कराने के लिहाज से राज्य सरकार इस वर्ष समेकित नीति का निर्माण करने के लिए सहमत हो गई है। राज्य सरकार नए चीनी मिलों, आसवन संयंत्रों और ईथेनॉल इकाइयों को विद्युत सह-उत्पादन संयंत्रों की इकाइयां स्थापित करने के लिए तथा प्रोत्साहन पैकेज मंजूर कर रही है जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत हैं।

(क) **नए चीनी मिलों के लिए :** (1) चीनी पर लगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति; (2) ईख पर क्रय कर से छूट; (3) जमीन की खरीद पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से छूट; और (4) पूंजी निवेश (संयंत्र और मशीनों) पर 10 प्रतिशत सब्सिडी जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रु. है।

(ख) **आसवन संयंत्रों और ईथेनॉल इकाइयों के लिए :** (1) छोआ पर प्रशासनिक शुल्कों से छूट; (2) छोआ पर बिक्री कर (वैट) की प्रतिपूर्ति; (3) जमीन की खरीद पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से छूट; और (4) पूंजी निवेश (संयंत्र और मशीनों) पर 10 प्रतिशत सब्सिडी।

(ग) **विद्युत सह-उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए :** (1) उत्पादित बिजली पर विद्युत शुल्क से छूट; (2) जमीन की खरीद पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से छूट; (3) पूंजी निवेश (संयंत्र और मशीनों) पर 10 प्रतिशत सब्सिडी; और (4) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कारखाना से ग्रिड स्टेशन तक संचरण लाइन बिछाना।

कुल 3,606 करोड़ रु. के व्यय से 14 नए चीनी मिल संकुलों की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिनमें से 8 का अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया है और 6 का राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा। इसी प्रकार, 763 करोड़ रु. के निवेश से पहले से कार्यरत चीनी मिलों के क्षमता विस्तार के 8 प्रस्ताव प्रस्तुति की प्रक्रिया में हैं।

चाय उद्योग

राज्य में एक चाय कंपनी द्वारा 1982 में किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में चाय की खेती महज आधा हेक्टेयर जमीन पर शुरू की गई थी। बाद में इसका विस्तार जिले के अन्य हिस्सों में भी हो गया और अभी राज्य में चाय उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है। राज्य में 25 हजार एकड़ पर चाय की खेती हो रही है जिसका अधिकांश भाग किशनगंज जिले में है और शेष पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिलों में। इनसे 40 लाख किग्रा. से भो अधिक चाय का वार्षिक उत्पादन हो रहा है। किशनगंज जिले में पोठिया प्रखंड के 47.75 प्रतिशत, ठाकुरगंज के 40 प्रतिशत और किशनगंज के 13 प्रतिशत क्षेत्र में चाय की खेती होती है। किशनगंज में मात्र 5 चाय प्रसंस्करण संयंत्र मौजूद हैं जिनमें 2,300 टन से भी अधिक चाय का वार्षिक उत्पादन होता है। हालांकि किशनगंज में 20 से अधिक नए चाय प्रसंस्करण संयंत्रों की गुंजाइश है। राज्य में चाय उद्योग की काफी संभावना है जिसकी अग्रगति के लिए चाय प्रोत्साहन नीति निर्माणाधीन है। राज्य सरकार ने नए चाय प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा पहले ही कर रखी है और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की तरह सब्सिडी की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने पर सक्रियता से विचार कर रही है। नए संयंत्रों की स्थापना से उत्पाद को पश्चिम बंगाल ले जाने से मुक्ति मिलेगी। बिहार के उत्पाद से पश्चिम बंगाल में 20 से भी अधिक चाय प्रसंस्करण संयंत्र चल रहे हैं।

किशनगंज में एक चाय नीलामी केंद्र की स्थापना की जानी है और राज्य सरकार वैट के तहत चाय नीलामी केंद्रों पर ले जाने के लिए लगने वाले 1 प्रतिशत कर को समाप्त करने पर विचार कर सकती है। राज्य सरकार ने चाय पर वैट की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर पहले ही 4 प्रतिशत कर दिया है। हाल में स्थानीय प्रशासन चाय की खेती को बढ़ावा देने में रुचि दिखाने लगा है। चाय की खेती के प्रक्रियागत अवरोधों की समाप्ति के लिए समवेत प्रयास करने के लिहाज से प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को लेकर 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

दुग्ध उत्पादन

बिहार में दूध उद्योग नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ (कॉम्फेड) गुजरात के आनंद की तर्ज पर राज्य में दुग्ध उत्पादन विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित ऑपरेशन फ्लड का क्रियान्वयक अभिकरण है। दूध की खरीद के मामले में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। कॉम्फेड द्वारा दूध की खरीद पूरे राज्य में फैले दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति के जरिए की जाती है। राज्य के बाहर कांम्फेड झारखंड के रांची में दूध खरीदता है हालांकि उसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम है। वर्ष 2011-12 तक संगठित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की कुल संख्या 11,638 थी जिसमें से 8,823 (76 प्रतिशत) कार्यशील थीं और उनमें से लगभग 34 प्रतिशत निबंधित थीं। वर्ष 2011-12 मं संगठित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की कुल सदस्यता 629 हजार थी जो गत वर्ष की अपेक्षा 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

इन समितियों के जरिए 2011-12 में खरीदा गया कुल दूध 122 किग्रा प्रति सहकारी समिति के औसत से 1,075 हजार किग्रा प्रतिदिन था। हालांकि यह औसत 2010-11 के 159 किग्रा प्रतिदिन से 2011-12 में घट गया है।

चार्ट 3.5 : दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद

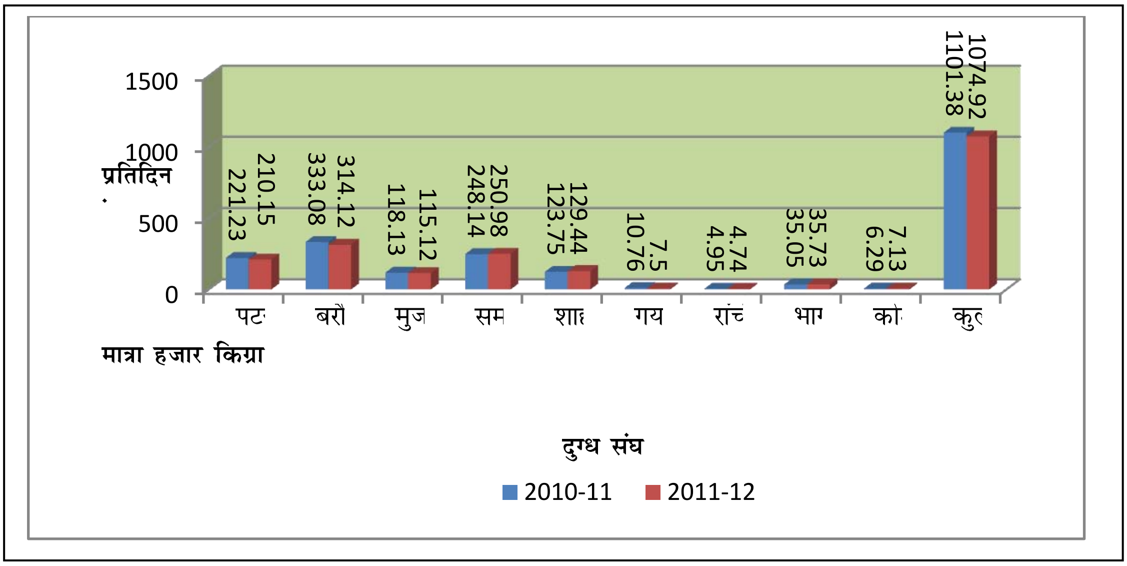

वर्ष 2011-12 में की गई 1,075 हजार किग्रा प्रतिदिन खरीद में से औसतन 817 हजार किग्रा प्रतिदिन का विपणन किया गया था जो 2010-11 के 727 हजार किग्रा प्रतिदिन से अधिक है। झारखंड में रांची के अलावा बोकारो और जमशेदपुर में भी दूध का विपणन किया जाता है।

चार्ट 3.6 : दूध का औसत दैनिक विपणन

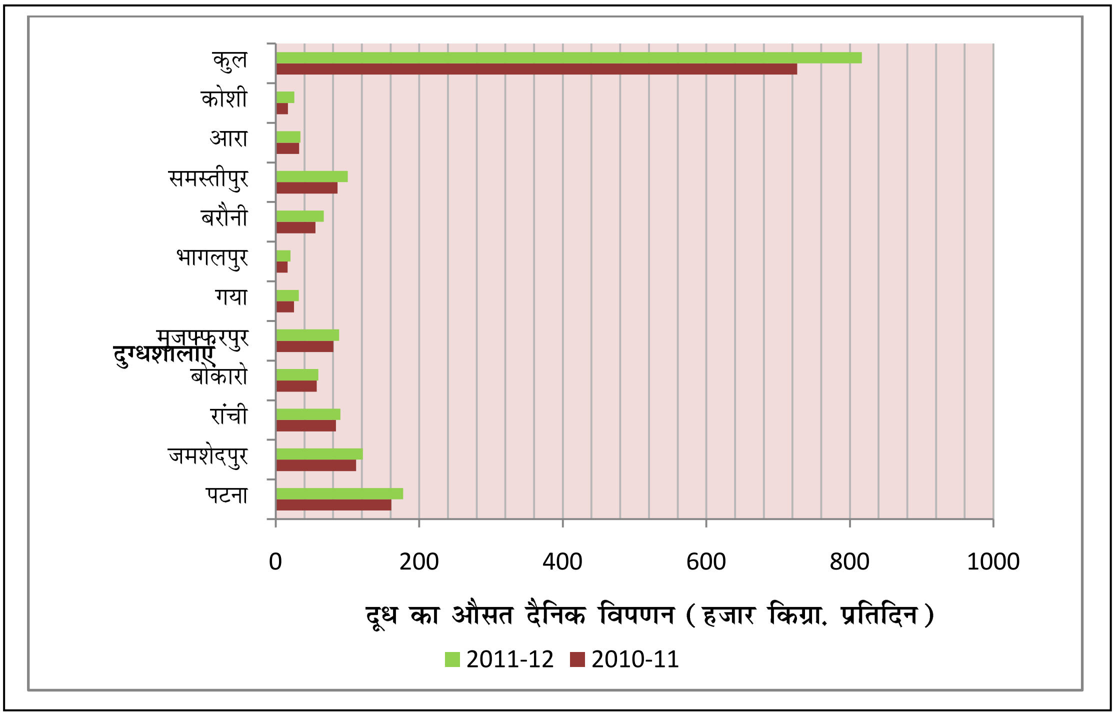

कॉम्फेड द्वारा 'सुधा' ब्रांड नाम से दुग्ध उत्पादों का विपणन किया जाता है जिसकी भारी मांग है। अभी दूध सहित इन उत्पादों का विपणन दिल्ली में भी किया जाता है। तालिका 3.22 में देखा जा सकता है कि हर उत्पाद का विपणन हर साल नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। वर्ष 2012 में कॉम्फेड द्वारा 57 नई दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन किया गया और ऐसी 50 समितियों को सोलर प्लेट प्रणाली की आपूर्ति भी की गई।

तालिका 3.22 : विभिन्न दुग्ध उत्पादों का विपणन

(टन में)

दुग्ध उत्पाद	2009-10	2010-11	2011-12
घी	981.79	1270.14	1322.73
मक्खन (टेबल बटर)	74.45	66.00	58.39
आइसक्रीम	472.32	584.82	663.30
लस्सी	3216.88	4093.98	3242.49
मीठा दही	820.21	1219.10	1217.65
पेड़ा	735.73	769.70	745.33
पनीर	1701.48	1936.35	2090.10
सुधा स्पेशल	870.39	1603.45	1101.24
सादा दही	2723.03	2856.70	3251.69
कलाकंद	152.76	167.83	173.10
रसगुल्ले	497.06	731.93	672.71
गुलाबजामन	335.75	462.59	565.93

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

कॉम्फेड और इसकी संघटक इकाइयों को ब्याज और मूल्यह्रास घटाए बिना हर साल मुनाफा हो रहा है हालांकि 2010-11 में मुनाफा के स्तर में 2009-10 की अपेक्षा कमी आई। देखा जा सकता है कि 2008-09 में कुल लाभ 33.66 करोड़ रु. था जो 2009-10 में 38 प्रतिशत बढ़कर 46.49 करोड़ रु. हो गया था लेकिन 2010-11 में उसमें 7 प्रतिशत गिरावट आई। सभी इकाइयों के बीच शाहाबाद इकाई को ही 2009-10 में घाटा हुआ था।

तालिका 3.23 : ब्याज और मूल्यह्रास पूर्व लाभ

(लाख रु. में)

महासंघ/ इकाई	2008-09	2009-10	2010-11
कॉम्फेड	2396.48	2690.55	2209.11
पटना	213.67	281.02	352.52
बरौनी	406.36	845.65	351.51
मुजफ्फरपुर	92.26	603.84	603.07
समस्तीपुर	211.53	280.19	548.53
शाहाबाद	12.4	-82.46	95.65
भागलपुर	33.66	29.87	178.56
योग	**3366.36**	**4648.66**	**4338.95**

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

बिहार में दूध का उत्पादन बढाने के लिहाज से राज्य सरकार ने 5 से 50 बछियों के पालन के लिए सब्सिडी योजना क्रियान्वित की है। योजना के तहत 20 दुधारू पशुओं वाली व्यावसायिक दुग्धशाला को 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। 2 से 10 की संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले दुधारू जानवरों के लिए 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/ जनजाति को 58 प्रतिशत) सब्सिडी दी जाती है। अशिक्षित बेरोजगार युवा-युवतियों द्वारा गाय-भैंस पालन के लिहाज से बनी दुग्ध उद्यमी विकास योजना के तहत 180 करोड़ रु. व्यय होना है। प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना के तहत 2,330 सदस्यों को दुग्ध विज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया। 810 दुग्ध उत्पादक समितियों के लिए प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की गई थी और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 1 रु. प्रति ली. प्रोत्साहन मूल्य दिया गया। वर्ष 2012 में 7,663 दुग्ध उत्पादकों के प्रशिक्षण पर 2.24 करोड़ रु. खर्च किए गए।

3.5 गैर-कृषि आधारित उद्योग

वस्त्र

वस्त्र उद्योग का देश में खास स्थान है और देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में इसका 14 प्रतिशत तथा कुल निर्यात में लगभग 30 प्रतिशत योगदान है। रोजगार देने के मामले में कृषि के बाद इसी का स्थान है। वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनेक नीतियां और योजनाएं सूत्रबद्ध की हैं। नवीं और दसवीं योजना के दौरान अधिकांश योजनागत हस्तक्षेप राजकीय अभिकरणों और सहकारी समितियों के जरिए होते रहे हैं। देश का वस्त्र उद्योग 9-10 प्रतिशत वार्षिक विकास दर दर्शाता रहा है जिसे 2012 में बढ़कर 16 प्रतिशत हो जाने की आशा है।

रेशम

बिहार में भागलपुर क्षेत्र में रेशम उद्योग के विकास की भारी संभावना है और इसी लिहाज से मांग होती रही है कि भगलपुर शहर को 'भारत का रेशम नगर' के बतौर लोकप्रिय बनाया जाय। वर्ष 2010-11 में राज्य में रेशम उत्पादन के विकास के लिए राज्य ने केंद्रीय अंशदान के बतौर 2.90 करोड़ रु. प्राप्त किए और निम्नलिखित के लिए राज्य सरकार ने 89.58 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान की : (1) मलबरी विकास परियोजना, पूर्णिया, (2) तसर विकास, बांका/ नवादा, (3) अंडी सिल्क विकास, बेगूसराय, और (4) किशनगंज/ पूर्णिया/ सुपौल में मलबरी विकास। योजना के तहत 214 एकड़ जमीन में मलबरी के और 100 एकड़ जमीन में तसर के लिए पौधे लगाए गए हैं। कीटपालन गृहों की 193 इकाइयों का निर्माण किया गया है और 490 लोगों का कीटपालन का प्रशिक्षण दिया गया। 115 कीटपालकों को अध्ययन यात्रा पर राज्य के बाहर भी भेजा गया। जमुई जिले के चकाई में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित तसर विकास परियोजना 2010-11 में आरंभ की गई है जिसे प्रदान नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। वर्ष के दारान 67.23 लाख रु. के प्रावधान के बरअक्स 13.21 लाख रु. खर्च किए गए। बारहवीं योजना के दौरान बांका, मुंगेर, नवादा और कैमूर जिलों में तसर सिल्क के विकास के लिए 170.90 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे। 4,464 एकड़ जमीन पर तसर हेतु पौधे लगाए गए हैं और 3.34 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए 8 कीटपालकों और 8 धागा उत्पादकों के बीच कुल 1.50 लाख रु. पुरस्कार के बतौर वितरित किए गए। वर्ष 2011-12 में नाथनगर में वस्त्र जांच

प्रयोगशाला और कंप्यूटर समर्थित डिजाइन (कैड) केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। 200 कीटपालकों को साइकल खरीद के लिए दो-दो हजार रु. अनुदान देने का भी प्रस्ताव है। इसी प्रकार, निजी कीटपालकों को बैंगलोर स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के बीज घर से कॉकून खरीदने के लिए कुल 5 लाख रु. अनुदान देने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2009-10 में लगभग 48 टन कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ था जिसमें मलबरी रेशम 18.84 टन, तसर रेशम 26.27 टन और अंडी रेशम 2.92 टन था। वर्ष 2010-11 में भी लगभग उसी स्तर पर उत्पादन हुआ - मलबरी रेशम 16.55 टन, तसर रेशम 26.52 टन और अंडी रेशम 4.78 टन।

हथकरघा

बिहार में बड़ी संख्या में हथकरघा इकाइयां मौजूद हैं जिनसे 1.32 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। राज्य में कुल मिलाकर 1,089 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां हैं जिनके तहत 10,850 हथकरघे चल रहे हैं। शीर्ष स्तर पर दो विपणन संगठन हैं : बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ और बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ। दोनों पटना में अवस्थित हैं। हथकरघा इकाइयां राज्य के 14 जिलों में संकेंद्रित हैं जिनमें मधुबनी, सीवान, गया, भागलपुर, नालंदा और पटना प्रमुख हैं। एक अध्ययन के अनुसार, 54 प्रतिशत बुनकरों के अपने हथकरघे थे और शेष के पास व्यापारियों के हथकरघे। पावरलूम के क्षेत्र में 11 हजार से अधिक हथकरघे थे जो भागलपुर, गया और बांका में संकेंद्रित थे। पावरलूम क्षेत्र के मुख्य उत्पाद स्टेपल, चादर और सजावटी सामग्रियां हैं।

हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए विगत दो वर्षों के दौरान अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। इनमें से प्रमुख योजनाएं हैं : पावरलूम टैरिफ अनुदान, बुनकर प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना, पूर्णिया के मरांगा में जूट पार्क की स्थापना आदि। जूट पार्क देश में अपने किस्म का पहला पार्क होगा जिसके लिए कुल परियोजना व्यय 42 करोड़ रु. है।

तालिका 3.24 : हथकरघा क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं

(लाख रु. में)

योजना	2010-11		2011-12	
	रकम	लाभार्थियों की संख्या	रकम	लाभार्थियों की संख्या
1. पावर टैरिफ अनुदान	30.91	450	4.91	112
2. प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	4.02	124	4.17	119
3. पावरलूम सेवा केंद्र, भागलपुर के लिए छात्रवृत्ति	0.27	53	0.32	76
4. डिजाइन केंद्र, पटना के लिए छात्रवृत्ति	0.45	15	0.41	22
5. पूर्णिया के मरांगा में जूट पार्क की स्थापना	16.73	-	16.73	-
6. 200-500 बुनकरों के लिए समेकित हथकरघा संकुल का विकास	105.22	9 संकुल	37.86	13 संकुल

स्रोत : हथकरघा, उद्योग विभाग, बिहार सरकार

24 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से भागलपुर जिले में 25 एकड़ जमीन पर साझा हथकरघा उत्पादन अधिसंरचना स्थापित की जा रही है। इस परियोजना में 4 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। बुनकरों के चतुर्दिक विकास के लिए 150.25 करोड़ रु. की परियोजना चलाई जा रही है जो 2015-16 में पूरी होगी।

राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई समेकित हथकरघा विकास योजना से तीन वर्षों के अंदर राज्य के 13 संकुलों में व्यापक हस्तक्षेपों को समर्थन मिलने का अनुमान है। राज्य सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, रंगाई-पैकेजिंग-प्रसंस्करण केंद्रों के लिए सहायता, और राज्य के पारंपरिक बुनकरों को विश्वस्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा उच्च और अधिक कुशल तरीके से उत्पादन के लिए खुद को संगठित करने में उनकी मदद करने के लिहाज से हथकरघा पार्कों की स्थापना हेतु हस्तक्षेप करने की योजना बना रही है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

खादी एवं ग्रामोद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ गैर-कृषि रोजगार पैदा करने के लिहाज से एक प्रमुख क्षेत्र है। खादी और ग्रामोद्योग केंद्र सरकार के अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के दायरे में आता है। खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के तेजी से क्रियान्वयन के लिए देश भर में आयोग के 36 राज्य/ प्रभागीय कार्यालय हैं। आयोग प्रशिक्षण, विपणन, वित्तपोषण, आर्थिक अनुसंधान और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का समन्वय भी करता है। राज्य स्तर पर मौजूद खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के जिलास्तरीय कार्यालय भी होते हैं जिनके जरिए वह ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने का काम करता है। खादी बुनकरों/ समितियों/ संस्थाओं के लाभ के लिए खादी की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिहाज से खादी वस्त्रों और पोशाकों पर रियायत दी जाती है।

वर्ष 2011-12 में खादी पर रियायत के तहत राज्य की 62 अनुमोदित संस्थाआं को 1.21 करोड़ रु. का भुगतान किया गया। वर्ष 2011-12 में खादी एवं ग्रामोद्योग योजना के तहत बोर्ड के जिला कार्यालयों को 195 लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने के लिए 34.62 लाख रु. विमुक्त किए गए। विवरण तालिका 3.25 में प्रस्तुत हैं। इस वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ कुछ व्यवसायों में 150 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिहाज से हुआ है और चुनाव की प्रक्रिया प्रगति पर है।

तालिका 3.25 : 2011-12 में प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों की संख्या

व्यवसाय	लाभार्थियों की संख्या	व्यवसाय	लाभार्थियों की संख्या
1. सूती खादी	25	5. लाह उत्पाद	20
2. बांस के उत्पाद	25	6. कागज निर्माण	25
3. मधुमक्खी पालन	30	प्रक्रियाधीन	45
4. चमड़े का काम	25	योग	195

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

वर्ष के अंदर राष्ट्रीय सम्मेलन और एक राज्यस्तरीय छ:दिवसीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी पर भी 6.24 लाख रु. खर्च किए गए हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2012-13 में 5 करोड़ रु. का परिव्यय प्रस्तावित है।

चर्म उद्योग

बिहार में बड़ी संख्या में पशुधन मौजूद है जिसके कारण यहां गाय-भैंसों और बकरियों की अच्छी गुणवत्ता वाली खालें बड़ी संख्या में तैयार होती हैं। चमड़ों और खालों की उपलब्धता के मामले में पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद बिहार का ही स्थान है। इस कारण राज्य में चर्म आधारित उद्योगों के जबर्दस्त विकास की संभावना है।

केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआइ) द्वारा संपन्न हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में गाय-भैंस की 26.4 लाख खालों और 50.9 लाख चमड़ों का वार्षिक उत्पादन होता है। संख्या से भी अधिक बिहार की शोहरत बकरे-बकरियों के सर्वोच्च गुणवत्ता वाले चमड़ों, गायों की खालों और बछड़ों के चमड़ों (काफ स्किन) के कारण है। राज्य में पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार चमड़ा से संबंधित गतिविधियों के मुख्य क्षेत्र हैं। राज्य में चर्मशोधन उद्योग के तीन हिस्से हैं : (1) बिहार चम विकास निगम और इसकी सहायक कंपनी बिहार फिनिश्ड लेदर लिमिटेड के अंतर्गत स्थापित इकाइयां, (2) मुजफ्फरपुर में कार्यरत कुछ निजी इकाइयां और (3) मोकामाघाट में बाटा की चर्मशोधन इकाई। स्थानीय चर्मशोधन उद्योग इन्हीं इकाइयों तक सीमित हैं और कच्चा माल अधिकांशत: कोलकाता, कानपुर और चेन्नई भेजा जाता है। कुछ नील चर्म (ब्लू लेदर) मध्य प्रदेश में देवास भी भेजा जाता है।

मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआइटी) में 1986 में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चर्म प्रौद्योगिकी विभाग शुरू किया गया था जो तब से 4 वर्षीय शैक्षिक और 6 महीने के व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए स्नातक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। वहां हर वर्ष 15 विद्यार्थियों का नामांकन होता है। अभी इस पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 6 संकाय सदस्य कार्यरत हैं। इस महाविद्यालय से परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्राय: राज्य के बाहर रोजगार मिलता है क्योंकि स्थानीय चर्म उद्योग पर्याप्त सहायता-समर्थन के अभाव में छोटे आकार के हैं।

बिहार में बड़ी संख्या में मौजूद पारंपरिक कारीगरों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करने, उन्हें प्रशिक्षण देने और उनके कामकाज के लिए अधिसंरचना निर्मित करने के जरिए राज्य में चर्म उद्योग को सहायता प्रदान करने की जरूरत है।

खान तथा खनिज

खनिज अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो अनेक बुनियादी और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल होते हैं। भारत में बड़ी मात्रा में आर्थिक रूप से उपयोगी खनिजों का खनन होता है जिनका विश्व के ज्ञात खनिज संसाधनों में लगभग एक-चौथाई हिस्सा है। लेकिन विभाजन के बाद बिहार में बहुत कम खनिज संपदा बची है। गौण खनिज बालू, पत्थर और मिट्टी ही राज्य में मुख्य खनिज हैं। मुख्य खनिजों में कुछ पायराइट, चूना पत्थर और अभ्रक तो राज्य में हैं लेकिन उनकी उपलब्धता काफी सीमित है। राज्य में खनिजों की बहुत कम अनुपात में उपस्थिति के बावजूद विगत एक दशक में खनिजों से राजस्व संग्रहण में आठगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है - 2000-01 के 39 करोड़ रु. से 2010-11 में 314 करोड़ रु.।

तालिका 3.26 : 2010-11 में बिहार में खनिजों से प्राप्त राजस्व

स्रोत	रकम (लाख रु.)	स्रोत	रकम (लाख रु.)
1. प्रमुख खनिज	532.45	(v) मिट्टी	151.05
2. गौण खनिज		(vi) निर्माण विभाग	11184.49
(i) ईंट	1954.31	(vii) यात्रा पास	41.11
(ii) बालू	12906.74	(viii) अन्य	151.78
(iii) पत्थर	3919.24	3. बकाया	539.44
(iv) मोरम	38.43	योग	31419.04

स्रोत : खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 3.7 : खनन से राजस्व संग्रहण

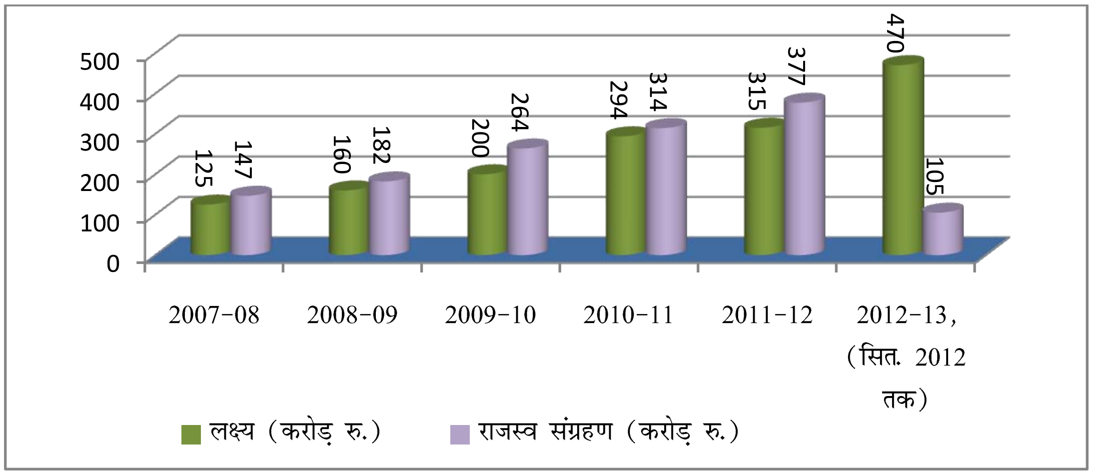

विभाजन के बाद राज्य भूवैज्ञानिक प्रोग्रामन बोर्ड को पुनर्जीवित किया गया है जिसके तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कराने के लिए चार भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों की योजना बनाई गई है। सर्वेक्षण के दौरान भूवैज्ञानिकों ने अनुशंसा की कि जमुई, नालंदा और गया जिलों में भूमिगत चट्टानों की अनन्य विशेषताआं के कारण सोना और हीरा का पता चलने की काफी संभावना है। रोहतास और कैमूर जिलों में लगभग 21 करोड़ टन चूना पत्थर का निक्षेप मौजूद है।

खान एवं भूविज्ञान विभाग के सही ढंग से कामकाज के लिए राज्य सरकार वार्षिक बजट का प्रावधान करती है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए वार्षिक बजट के प्रावधान और व्यय तालिका 3.27 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.27 : वार्षिक गैर-योजना बजट प्रावधान और व्यय (2010-11 और 2011-12)

वर्ष	बजट प्रावधान (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	व्यय का प्रतिशत
2010-11	13.67	11.03	80.69
2011-12	15.98	6.44	40.30

स्रोत : खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार

3.6 सहयोगदाता संस्थाएं

राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को बल देने के लिए अनेक सहयोगदाता संस्थाएं स्थापित की गई हैं। समय के साथ कुछ सहयोगदाता संस्थाएं कमजोर हो गईं लेकिन औद्योगिक परिदृश्य में सुधार करने तथा राज्य के अंदर और बाहर से निवेश आकर्षित करने के लिहाज से राज्य सरकार उनके पुनर्वास के लिए चतुर्दिक प्रयास कर रही है। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) और बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम (बिसिको) हेतु पुनर्वास योजनाएं आरंभ की गई हैं।

बिहार फाउंडेशन

इस संस्था की स्थापना मुख्यत: बिहारियों समेत अनिवासी भारतीयों को आकर्षित करने के जरिए राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हुई थी। यह संस्था संस्था निबंधन अधिनियम के तहत निबंधित है। इस प्रयत्न में संभावित उद्यमियों का एकल गवाक्ष (सिंगल विंडो) व्यवस्था के जरिए प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बिहार फाउंडेशन की शाखाएं (चैप्टर) देश-विदेश में कई स्थानों पर खोली गई हैं। वर्ष 2011-12 में इसकी नई शाखाएं हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली और जयपुर में खोलना प्रस्तावित है। सहायता केंद्रों, सूचना केंद्रों, सामान्य सेवा केंद्र (पटना) और विभिन्न शाखाओं पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

उद्योग मित्र

उद्योग मित्र राज्य सरकार के उद्योग विभाग का अंग है जो निवेशकों को विभिन्न उद्योगों के लिए निवेश प्रोफाइल से संबंधित प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। यह सुगमकर्ता के बतौर काम करता है और निवेशकों को कई प्रकार से सहायता प्रदान करता है। उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के अलावा उद्योग मित्र परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अन्य समस्याओं के समाधान में उनकी मदद करता है। यह उद्यमियों के उपयोग के लिए अद्यतन सूचनाओं का संधारण करता है और विभाग की योजनाओं का अनुश्रवण करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला तथा राज्यस्तरीय औद्योगिक मेलों में भाग लेता है और संगोष्ठियों/ विमर्शों का आयोजन करता है। वर्ष 2011-12 में इसने औद्योगिक नीति, विद्युत अधिनियम, कोषागार नियमावली, श्रम एवं कारखाना अधिनियम, बिक्री कर, आइएसआइ मार्क की प्राप्ति, ट्रेड मार्क प्राप्ति, पेटेंट हासिल करना, डिजाइनिंग, कॉपीराइट, पैकेजिंग आदि विभिन्न विषयों पर जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया। इस वर्ष पूर्णिया जिला उद्योग केंद्र द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 पर एक प्रस्तुति दी गई। इसने उद्योगों की स्थापना के लिए इच्छुक 650 उद्यमियों को परियोजना पोफाइल, मार्गदर्शन तथा आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराईं। कार्यक्रमों और योजनाओं को हाथ में लेने के लिए उद्योग मित्र को वित्तवर्ष 2011-12 में 1.00 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए थे। वर्ष 2012-13 के लिए उद्योग मित्र हेतु 1.04 करोड़ रु. का परिव्यय प्रस्तावित था जिसमें से 97.60 लाख रु. आबंटित हुए। वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक उद्योग मित्र के जरिए हर वर्ष लगभग 700 उद्यमी लाभान्वित होते रहे। उद्योग मित्र की वर्षवार भौतिक और सामाजिक उपलब्धियां तालिका 3. 28 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.28 : उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां

वर्ष	आबंटित रकम (लाख रु.)	खर्च की गई रकम (लाख रु.)	लाभान्वित उद्यमियों की सं.
2006-07	50.00	50.00	717
2007-08	48.00	48.00	648
2008-09	25.00	25.00	658
2009-10	60.00	60.00	679
2010-11	66.00	66.00	630
2011-12	75.00 (अजा/ अजजा के लिए 25)	75.00 (अजा/ अजजा 1.78)	753
2012-13, सितंबर 2012 तक	97.60		336

स्रोत : उद्योग मित्र, बिहार सरकार

चार्ट 3.8 : उद्योग मित्र की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां

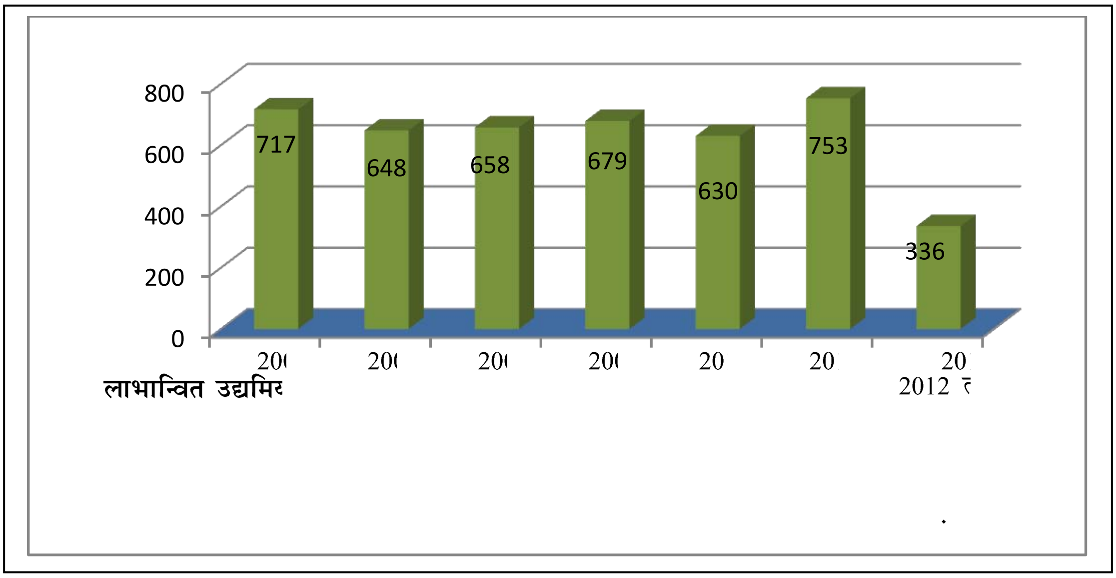

बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी)

बिहार राज्य वित्त निगम राज्य में औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन और वित्तपोषण के लिए अस्तित्व में आया। लेकिन कम ऋण वापसी और भारी बकाया के कारण निगम अकार्यशील हो गया था। हालांकि नई नीति सूत्रबद्ध करने और नई रणनीतियां अपनाने से ऋण वापसी की दर में सुधार होने लगा है। निगम को महसूस हो रहा है कि औद्योगिक इकाइयों के वित्तपोषण की अपने लिए नियत भूमिका के निर्वाह के पहले उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए। इसके मद्देनजर निगम पूर्व में वित्तपोषित इकाइयों से ऋण वसूली पर जार दे रहा है। वर्ष 2008-09 से अगस्त 2012 तक उसने कुल 101.59 करोड़ रु. की वसूली की है। ऋण वसूली की वर्षवार स्थिति नीचे के चार्ट में प्रस्तुत है जो दर्शाती है कि 2008-09 की तुलना में 2010-11 में ऋण वसूली में तेज उछाल आया। हालांकि 2011-12 में ऋण वसूली की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी थी।

चार्ट 3.9 : बिहार राज्य वित्त निगम की ऋण वसूली की स्थिति

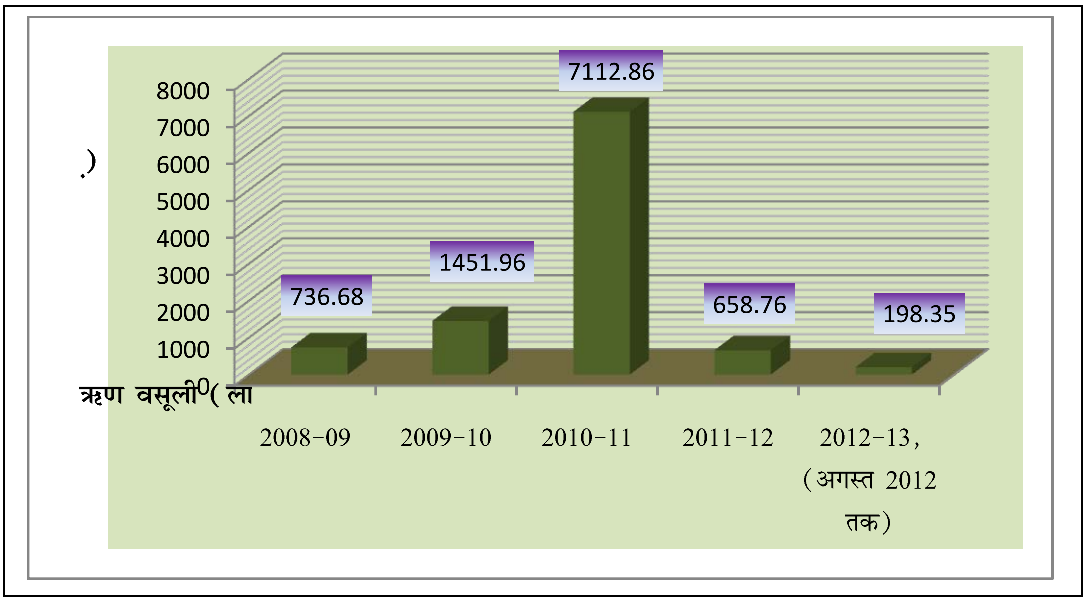

निगम अब सारी बाहरी देनदारियों से मुक्त है। निगम को दी गई सारी ऋण राशि को हिस्सा पूंजी में बदल देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। इससे निगम वित्तीय रूप से काफी मजबूत हो जाएगा और नए उपक्रम आरंभ करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करने में सक्षम होगा। सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) के साथ मिलकर निगम ने पटना से 50 किमी के दायरे में अवस्थित लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण देने के लिए एक नीति सूत्रबद्ध की है जिसका बाद में क्षेत्र विस्तार करने की योजना है। वर्ष 2011-12 में 7 प्रतिशत ब्याज दर पर अनुसूचित जातियों/ जनजातियों और सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के लिए 5-5 करोड़ के दो ऋण स्वीकृत किए गए। हालांकि कुछ अपरिहार्य कारणों से ये ऋण विमुक्त नहीं किए जा सके। सभी जिलों में सूक्ष्म-वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिहाज से आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लोगों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए निगम को हिस्सा पूंजी के बतौर 2,000 करोड़ रु. देने का प्रस्ताव है। सिडबी ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है।

निगम संभावित उद्यमियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण भी पदान करता है। वर्ष 2011-12 में उसके 'आइफेडप्रो' प्रभाग ने दो बैच में 41 प्रत्याशियों को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया था। इसी प्रकार, 2012-13 में सितंबर तक 58 प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला उद्योग केंद्रों और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रत्याशियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की भी योजना है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक संस्थान 'मैनेज' के पर्यवेक्षण में यह कृषि और सहवर्ती विषयों के स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को दो महीने का मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण भी देने जा रहा है। उद्योग विभाग ने निगम को विभिन्न जिलों में कौशल विकास प्रशिक्षण चलाने का निर्देश दिया है जिसके लिए इसने आर्थिक सहयोग की मांग की है। सहायता प्राप्त होते ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा)

बिआडा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने, औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, बिजली जैसी संबंधित अधिसंरचनाएं विकसित करने और उसके बाद उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन को निवेशकों के

बीच आबंटित करने के लिए जवाबदेह है। ऐसा पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा स्थित इसके चार क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए किया जा रहा है। 31 अक्तूबर 2012 तक बिआडा ने कुल 5,632 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है जिसमें से 4,050 एकड़ (72 प्रतिशत) का आबंटन इकाइयों के बीच किया जा सका है (तालिका 3.29)।

तालिका 3.29 : अधिग्रहित और आबंटित जमीन तथा औद्योगिक प्रांगणों में इकाइयों की संख्या के अंचलवार विवरण (अक्तूबर 2012 तक)

क्षेत्रीय कार्यालय	अधिग्रहित भूमि (एकड़ में)	कुल आबंटित भूमि		कुल रिक्त भूमि		
		भूमि (एकड़ में)	अधिसंरचना, प्रशासनिक खंड, सड़क आदि हेतु आरक्षित भूमि (एकड़ में)	भूमि (एकड़ में)	आबंटित भूमि का प्रतिशत हिस्सा	चालू इकाइयों की संख्या
पटना	2609.11	2105.92	241.51	261.68	12.43	500
भागलपुर	1570.51	1084.1	106.77	344.14	31.74	202
मुजफ्फरपुर	1040.43	546.81	155.58	338.04	61.82	236
दरभंगा	411.96	313.31	76.67	21.97	7.01	196
योग	5632.01	4050.14	580.53	965.83	23.85	1134

स्रोत : बिआडा, बिहार सरकार

बिआडा के 4 अंचलों में कुल 2,520 इकाइयां स्थापित थीं। इनमें से मात्र 1,134 (45 प्रतिशत) उत्पादन में लगी हैं, 405 (16 प्रतिशत) निर्माणाधीन हैं और 535 इकाइयों (21 प्रतिशत) को निर्माण आरंभ ही करना है। शेष 446 इकाइयां (18 प्रतिशत) बंद और रुग्ण हैं।

वर्ष 2006-07 में औद्योगिक प्रांगणों में मात्र 346 इकाइयां चालू थीं जो लगाता बढ़ती गई और 2012-13 में (अक्तूबर 2012 तक) इनकी संख्या तीनगुनी से भी अधिक हो गई है। विवरण नीचे प्रस्तुत हैं।

चार्ट 3.10 : बिआडा के अंतर्गत उत्पादनशील इकाइयों का वर्षवार विवरण

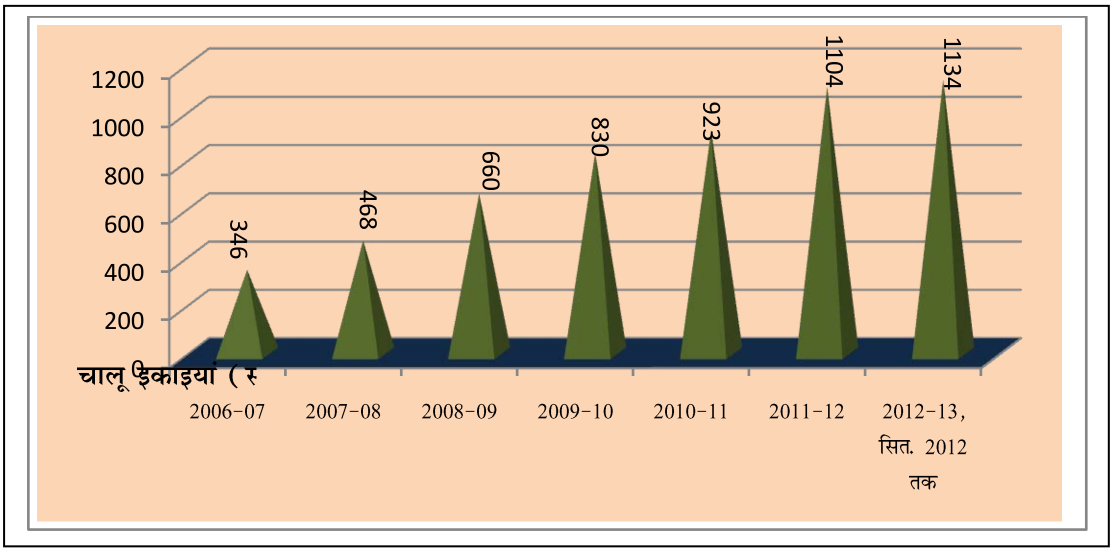

जिला उद्योग केंद्र

जिला उद्योग केंद्र जिला स्तर पर उद्योगों को, खास कर अतिलघु, लघु एवं मध्यम इकाइयों प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय उद्यमियों को अपनी इकाइयों की स्थापना में हर संभव सहयोग देने और मार्गदर्शन करने के लिए जवाबदेह हैं। इसके अलावा, जिला उद्योग केंद्र जिलों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भी लगे हैं। हालांकि इस काम में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भी लगे हैं लेकिन जिला उद्योग केंद्रों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। इनका कुल 4,887 लाभार्थियों के लिए संवितरण में 79 पतिशत और कार्यक्रम के अंतर्गत कुल अतिरिक्त रोजगार सृजन में 74 प्रतिशत योगदान है।

अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के मामले में जिला उद्योग केंद्रों की लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धियों में समय के साथ गिरावट आती गई है। देखा जा सकता है कि 8,000 के लक्ष्य के बरअक्स उपलब्धि 2010-11 में लगभग 60 प्रतिशत और 2011-12 में 52 प्रतिशत थी, हालांकि 2007-08 में उपलब्धि 103 प्रतिशत थी और 2008-09 में 77 प्रतिशत। इस लिहाज से जिला उद्योग केंद्रों और उद्योग विभाग को सशक्त दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है ताकि लक्ष्य और उपलब्धि के बीच के अंतर को कम किया जा सके।

तालिका 3.30 : विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जिला उद्योग केंद्रों की उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि		
		संख्या	ऋण/ निवेश राशि (लाख रु.)	उपलब्धि लक्ष्य के प्रतिशत में
अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना				
2007-08	7000	7202	13482.98	102.89
2008-09	8000	6154	11886.06	76.93
2009-10	8000	5091	12864.46	63.64
2010-11	8000	4834	18556.77	60.43
2011-12	8000	4151	39038.15	51.89
कारीगर क्रेडिट कार्ड (ACC)				
2007-08	23491	10607	15820.53	45.15
2008-09	25000	7055	2398.57	28.22
2009-10	25000	3071	1015.66	12.28
2010-11	25000	1529	4428.31	6.12
2011-12	25000	360	2632.85	1.44
लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड (SME)				
2007-08	15000	5140	11487.00	34.27
2008-09	15000	6265	19422.83	41.77
2009-10	15000	7008	49716.44	46.72
2010-11	15000	5042	21732.13	33.61
2011-12	15000	12557	35750.09	83.71

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

इसो प्रकार, हर साल 25,000 कारीगर क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य था जबकि 2007-08 से 2011-12 के बीच उपलब्धियां काफी कम रही हैं। वर्ष 2008-09 में उपलब्धि 28 प्रतिशत और 2009-10 में 12 प्रतिशत थी जो बाद के वर्षों में और भी कम हो गई। वर्ष 2007-08 से 2010-11 के बीच लघु उद्यमी क्रेडिट

कार्ड के मामले में 15,000 के वार्षिक लक्ष्य के बरअक्स उपलब्धि थोड़ी बेहतर (34 से 37 प्रतिशत) थी। वहीं 2011-12 में उपलब्धि 84 प्रतिशत के सराहनीय स्तर पर पहुंच गई।

निर्यात

वैश्विक मंदी के रुझान के लिहाज से देश द्वारा निर्यात में भी हाल के वर्षों में गिरावट का रुझान दिखा। वर्ष 2012 में अप्रील के 3.3 प्रतिशत से गिरकर यह सितंबर में (-)10.78 प्रतिशत हो गया। भारत के निर्यात में बिहार का हिस्सा नगण्य है। चतुर्थ अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योग गणना के अनुसार बिहार के 726 उद्यम संपूर्ण भारत की कुल इकाइयों का 1.56 प्रतिशत ही 7.98 करोड़ रु. की सामग्रियों का निर्यात कर रहे थे। सामग्रियों में मुख्य रूप से भागलपुर और अन्य स्थानों के रेशमी और अन्य वस्त्र शामिल हैं। बिहार की बुनाई इकाइयां सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं इसलिए निर्यात में शहरी इकाइयों की तुलना में ग्रामीण इकाइयों का हिस्सा संपूर्ण भारत के स्तर पर इनके अनुपात से अधिक था जहां लगभग 68 प्रतिशत चालू इकाइयां शहरी क्षेत्र की हैं।

तालिका 3.31 : बिहार में निर्यातक उद्यमों का वितरण

प्रकार	भारत	बिहार	
	निर्यातक उद्यमों की संख्या	निर्यातक उद्यमों की संख्या	भारत का प्रतिशत हिस्सा
ग्रामीण	14740	455	3.09
शहरी	31935	271	0.85
योग	46675	726	1.56

स्रोत : चतुर्थ अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योग गणना, भारत सरकार

चार्ट 3.11 : निर्यातक उद्यमों का प्रतिशत

भारत

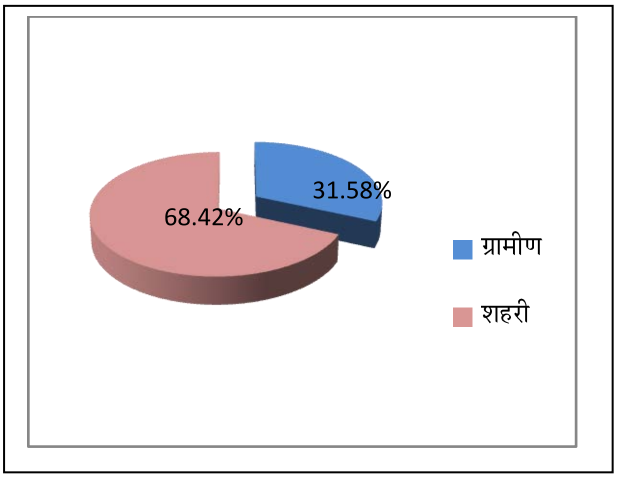

बिहार

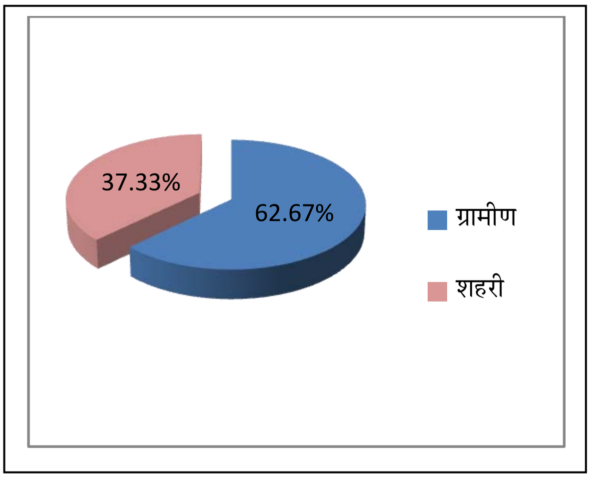

पूर्व में संपन्न तृतीय अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योग गणना के अनुसार बिहार में 1,675 निर्यातक इकाइयां मौजूद होने की सूचना थी जिनके द्वारा 5.30 करोड़ रु. का निर्यात हुआ था और निर्यात का परिमाण सकल उत्पाद का मात्र 0.68 प्रतिशत था। कुल निर्यात में 87 प्रतिशत योगदान लघु उद्योग इकाइयों का था। निबंधित और अनिबंधित, दोनों प्रकार की इकाइयों के लिहाज से अपेक्षाकृत अधिक संख्या में निर्यात इकाइयों की मौजूदगी वाले जिले गोपालगंज (620), मुजफ्फरपुर (337), पश्चिम चंपारण (235), सुपौल (156), समस्तीपुर (121) और भागलपुर (120) थे। निर्यात के अनुमान भारतीय निर्यात प्रोत्साहन बार्ड और वाणिज्य मंत्रालय से संग्रहित आंकड़ों पर आधारित हैं। चौथी गणना में निर्यात इकाइयों की संख्या का अनुमान तीसरी गणना से कम है जिसका कारण संबंधित इकाइयों द्वारा सूचना नहीं देना या कम सूचना देना हो सकता है। अधिकांश इकाइयां खुद निर्यात नहीं करके निर्यात/ प्यापारिक घरानों के माध्यम से करती हैं जो प्रायः राज्य के बाहर अवस्थित होते हैं।

3.7 औद्योगिक क्षेत्र में रुग्णता

एक ओर बिहार जहां अधिक औद्योगीकरण के लिए लालायित है, वहीं दूसरी ओर पहले से स्थापित औद्योगिक इकाइयां रुग्ण होती जा रही हैं जिसकी जानकारी नीचे प्रस्तुत है। यह एक गंभीर चुनौती है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान औद्योगिक ह्रास ने रुग्णता की समस्या को बढ़ावा दिया है जिसकी परिणति कई इकाइयों की बंदी और भारी मात्रा में पूंजी की अवरुद्धता में हुई है। एक अनुमान के अनुसार, 1.9 लाख लघु और अतिलघु इकाइयों में से 1 लाख कार्यशील थीं और शेष बंद या रुग्ण थीं। चतुर्थ अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योग गणना का निष्कर्ष दर्शाता है कि बिहार में शामिल 70,671 इकाइयों में से 23.13 प्रतिशत बंद थीं और 6.07 प्रतिशत लापता थीं। फिर, 50,036 चालू इकाइयों में से 3.28 प्रतिशत रुग्णता, 3.56 प्रतिशत प्रारंभिक रुग्णता (इनसिपिएंट सिकनेस) और 5.86 प्रतिशत दोनों की शिकार थीं जिन्हें मिलाकर कुल हिस्सा 12.70 प्रतिशत हो जाता है। तालिका 3.32 में देखा जा सकता है कि अधिसंख्यक अतिलघु इकाइयां रुग्णता या प्रारंभिक रुग्णता से पीड़ित थीं।

तालिका 3.32 : रुग्णता के चरित्र के अनुसार इकाइयों की संख्या

प्रकार	उद्यमों की संख्या और प्रतिशत							
	रुग्ण		प्रारंभिक रुग्ण		रुग्ण/ प्रारंभिक रुग्ण		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अतिलघु	1617	98.48	1784	99.94	2907	99.15	6308	99.20
लघु	22	1.34	1	0.06	22	0.75	45	0.71
मध्यम	3	0.18	0	0.00	3	0.10	6	0.09
सभी	1642	100	1785	100	2932	100	6359	100

स्रोत : चतुर्थ अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योग गणना, भारत सरकार

गणना के अनुसार, ऋण भुगतान में देर अथवा शुद्ध मूल्य में ह्रास के लिहाज से रुग्णता 3.73 प्रतिशत थी। इसके अलावा, 29.40 प्रतिशत इकाइयां बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास ऋण बकाया होने के कारण रुग्ण थीं। 3.87 प्रतिशत इकाइयों में सकल निर्गत (ग्रौस आउटपुट) में लगातार ह्रास के परिणामस्वरूप प्रारंभिक रुग्णता पाई गई। इन तीनों कसौटियों के आधार पर अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यमों की एक-तिहाई से भी

अधिक इकाइयां या तो रुग्ण थीं या उनके ऊपर रुग्ण होने का खतरा मंडरा रहा था। औद्योगिक इकाइयों में रुग्णता के मुख्य कारण कार्यशील पूंजी की कमी (88 प्रतिशत) और विपणन समस्याएं (32 प्रतिशत) थीं। अन्य कारणों में मांग की कमी (22 प्रतिशत), बिजली की कमी (21 प्रतिशत), उपकरण (18 प्रतिशत), कच्चे माल की अनुपब्धता (5 प्रतिशत), श्रमिक समस्याएं (5 प्रतिशत) और प्रबंधन संबंधी समस्याएं (2 प्रतिशत) शामिल थीं।

3.8 सूचना प्रौद्योगिकी

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है और बिहार भी इस क्षेत्र में डग भर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अधिसंरचना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं।

स्वान (स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क)

केंद्र सरकार की सहायता से राज्य में कुल 534 पीओपी (उपस्थिति बिंदु) स्थापित किए जाने थे - 1 राज्य मुख्यालय में, 38 जिला मुख्यालयों में और 495 प्रखंड मुख्यालयों में। लेकिन प्रखंड स्तर पर स्थलों की अनुपलब्धता के कारण अनुमंडल स्तर पर पीओपी लगाए गए जिसके कारण अनेक प्रखंड अभी भी अनाच्छादित हैं। अनाच्छादित प्रखंडों/ अनुमंडलों में पीओपी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रु. स्वीकृत हैं। वर्ष 2012-13 में प्रखंड स्तर पर 460 पीओपी स्थापित किए किए गए हैं। विस्वान के तहत अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लैन) की स्थापना के लिए बेल्ट्रॉन (बिहार राज्य इलक्ट्रॉनिक विकास निगम लि.) नोडल अभिकरण है।

सेक्लैन (सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क)

बिस्वान के तहत सभी सचिवालय कार्यालयों में 330 नोड स्थापित किए गए हैं। सेक्लैन के तहत सचिवालय भवनों में स्थापित कंप्यूटरों और अन्य सहायक सामग्रियों के वार्षिक रखरखाव के लिए 15.81 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं। राज्य के मंत्रियों और उच्चाधिकारियों को वीडियो कंफेरेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2011-12 में 2.99 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)

सामान्य सेवा केंद्र राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस की एक मुख्य अधिसंरचना है। केंद्र सरकार ने इस मकसद से बेल्ट्रॉन को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के बतौर 2011-12 में 6.09 करोड़ रु. उपलब्ध कराए हैं।

ई-डिस्ट्रिक्ट

यह योजना स्वीकृत है और चार जिलों - नालंदा, औरंगाबाद, गया और मधुबनी में चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत प्रखंड स्तर पर स्थापित सामान्य सुविधा सेवा केंद्रों (सीएफसी) और पंचायत स्तर पर स्थापित वसुधा केंदों के जरिए प्रमाणपत्र, पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। विभिन्न श्रेणी की सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्कों की भी अनुशंसा की गई है।

ई-गवर्नेंस

यह महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य योजना के तहत अनुमोदित है। ई-गवर्नेंस योजना के तहत ई-लर्निंग और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 7.38 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे। राज्य के 264 मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए भी 28.24 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे। राज्य सरकार के 14 पूर्वानुमोदित विभागों के

अतिरिक्त अन्य 12 विभागों में समेकित कार्यप्रवाह एवं प्रलेख प्रबंधन प्रणाली (आइडब्ल्यूडीएमएस) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

महाधिवक्ता कार्यालय के कंप्यूटरीकरण के अंग के बतौर सभी संबंधित विधि कार्यालयों को लैपटॉप उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सूचना आयोग अब पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है।

अन्य परियोजनाएं

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 2011-12 में अनेक अन्य परियोजनाओं के लिए भी धनराशि की स्वीकृति दी है (तालिका 3.33)। वर्ष 2012-13 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 197.58 करोड़ रु. का परिव्यय प्रस्तावित है।

तालिका 3.33 : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा धनराशि की योजनावार स्वीकृति

परियोजना	रकम (करोड़ रु.)
1. ई-प्रोक्योरमेंट	1.00
2. राज्य आंकड़ा केंद्र	9.00
3. राज्य सेवा प्रदान गेटवे (SSDG)	13.89
4. मुख्यमंत्री लोक शिकायत कोषांग	0.41
5. प्रमंडल स्तर पर नॉलेज सिटी (मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर)	1.41
6. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित भवनों का आधुनिकीकरण	2.55

स्रोत : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार

3.9 निवेशोचित वातावरण

औद्योगिक विकास निवेश और टिकाऊ क्षमता विस्तार पर निर्भर करता है जो खुद संसाधनों, भौतिक अधिसंरचनाओं, नीतिगत ढांचा और आवश्यक प्रोत्साहनों पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होती रही है जिसका मुख्य कारण सुधरी हुई अधिसंरचना और नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 है।

सकल पूंजी निर्माण

राज्य का सकल पूंजी निर्माण (जीएफसी) भी बढ़ रहा है। यह 60 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए 2007-08 के 10,386 करोड़ रु. से बढ़कर 2011-12 में 16,557 करोड़ रु. हो गया। तालिका 3.34 में देखा जा सकता है कि जहां केंद्र सरकार के सभी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से वृद्धि दिखी, वहीं बैंकिंग क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण के मामले में लगातार ह्रास दिखा। ऐसा लगता है कि बिहार के विकास प्रयासों में सहयोग के मामले में बैंकों ने अभी तक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है।

तालिका 3.34 : बिहार में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण का अनुमान

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	2007-08	2008-09	2010-11
रेलवे	955.15	973.7	1011.88
संचार (सार्वजनिक और निजी)	845.86	1075.8	1816.98
बैंकिंग (सार्वजनिक और निजी)	208.35	206.09	201.67
केंद्र सरकार का प्रशासन	467.63	505.65	591.22
योग - केंद्रीय क्षेत्र	2476.98	2761.24	3621.75
बिहार राज्य	7909.23	7741.6	12934.75
कुल योग (केंद्र + राज्य)	10386.21	10502.84	16556.5

स्रोत : योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार

लगभग 77 प्रतिशत निवेश बिजली के क्षेत्र में हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र के मात्र 11 प्रतिशत निवेश हुआ है और सेवा क्षेत्र में भी 11 प्रतिशत। उल्लेखनीय है कि विनिर्माण क्षेत्र में खाद्य और पेय का हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक है। बिहार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनता भी जा रहा है। यह ब्रिटानिया, पारले जी, बिरला सीमेंट, जस इंडस्ट्रीज, नेसले, एचपीसीएल आदि बड़ी कंपनियों द्वारा राज्य में निवेश साकार होने के रूप में अभिव्यक्त होता है।

निवेश

सितंबर 2012 तक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कुल 3.19 लाख करोड़ रु. निवेश और 2.27 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार की संभावना वाले कुल 939 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तालिका 3.35 (क) को देखने से पता चलता है कि 53 प्रतिशत अनुमोदित प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के लिए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्युत संयंत्र है जिसका कुल निवेश में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है।

तालिका 3.35 (क) : राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव (सितंबर 2012 तक)

मद	2009-10 तक	2010-11	2011-12	2012-13, सितंबर 2012 तक	योग
अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	300	161	263	215	939
प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)	183699	81824	40732	12520	318775
प्रस्तावित रोजगार	143730	17899	31367	34283	227279
क्षेत्र-वार					
(i) नया चीनी मिल	26	1	1	0	28
(ii) चालू चीनी मिलों का विस्तार	7	1	2	0	10
(iii) चालू चीनी मिलों का नया ईथेनॉल संयंत्र	2	0	1	0	3
(iv) ईथेनॉल सह इक्षु रस	5	0	0	0	5
(v) विद्युत संयंत्र	34	19	16	21	90
(vi) खाद्य प्रसंस्करण	111	111	161	111	494
(vii) इस्पात प्रसंस्करण एवं सीमेंट	25	8	8	10	51
(viii) तकनीकी संस्थान	25	4	6	3	38
(ix) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल	19	0	0	2	21
(x) अन्य	46	17	68	68	199

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.35 (ख) : क्रियान्वयन की क्षेत्रवार अवस्थाएं (सितंबर 2012 तक)

क्षेत्र	चालू इकाइयां	क्रियान्वयन की स्थिति		निवेश (करोड़ रु.)
		प्रगति	आरंभिक चरण	
(i) नया चीनी मिल	2	3	23	802.99
(ii) चालू चीनी मिलों का विस्तार	6	2	2	525.39
(iii) चालू चीनी मिलों का नया ईथेनॉल संयंत्र	1		2	55.35
(iv) ईथेनॉल सह इक्षु रस			5	
(v) विद्युत संयंत्र	2	13	75	2185.88
(vi) खाद्य प्रसंस्करण	54	84	356	762.06
(vii) इस्पात प्रसंस्करण एवं सीमेंट	10	11	30	436.13
(viii) तकनीकी संस्थान	3	7	28	14.06
(ix) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल	1	3	17	43.9
(x) अन्य	11	19	169	190.76
योग	90	142	707	5016.52

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

कुल 939 अनुमोदित प्रस्तावों में से लगभग 10 प्रतिशत इकाइयों ने 5,017 करोड़ रु. के निवेश के साथ काम करना शुरू कर दिया है और 15 प्रतिशत प्रगति के चरण में हैं। शेष 75 प्रतिशत प्रस्तावों वाली इकाइयां क्रियान्वयन के आरंभिक चरण में हैं। नई औद्योगिक नीति, 2011 को लागू करने के बाद कुछ नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें डेनमार्क के कॉल्सबर्ग, अदानी पावर्स, मोजर बायर, आइसलैंड बीयर, इंडियन गैसोहॉल, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आदि के प्रस्ताव शामिल हैं।

नए उद्यमों की सुगमतापूर्वक स्थापना और एकल गवाक्ष निष्पादन अधिनियम (सिंगल विंडो क्लीयरेंस एॅक्ट), 2006 को अधिक प्रभावी बनाने के लिहाज से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(क) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के लिए उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्यों में वाणिज्य कर विभाग, ऊर्जा विभाग, भूमि राजस्व विभाग के साथ-साथ बियाडा तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हैं। इससे स्वीकृत प्रस्तावों का संबंधित विभागों द्वारा समय से अनुपालन सुनिश्चित होगा।

(ख) एक एकल गवाक्ष कोषांग का गठन किया जा रहा है जो उद्यमों की राह में आने वाली समस्याओं की छानबीन करेगा।

बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और उद्यमियों/ निवेशकों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 23 सदस्यीय बिहार राज्य औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद का गठन किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष इस परिषद के संयोजक हैं। इसकी पहली बैठक में आइसीआइसीआइ के अध्यक्ष और अनेक अन्य बड़े उद्योगपतियों सहित

एचडीएफसी, मैक्स इंडिया तथा अनेक निगमों के कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया। राज्य में औद्योगीकरण के लिहाज से उत्साहवर्धक रुझान दिख रहा है जो इस बात से अभिव्यक्त होता है कि इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशक अपने जरिए ही जमीन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में कुछ समस्याएं सामने आई हैं लेकिन जिला समाहर्ताओं/ प्रमंडल आयुक्तों द्वारा उनका समाधान किया जा रहा है।

राज्य निवेश सलाहकार परिषद के प्रयास से अभी तक 5,000 करोड़ रु. के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं और निम्नलिखित इकाइयां जल्द ही स्थापित होने वाली हैं :

तालिका 3.36 : बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद के प्रयासों से स्थापित हो रही इकाइयां

नाम	अवस्थिति	निवेश (करोड़ रु.)
ब्रिटानिया बिस्कुट्स	हाजीपुर	50
बंसल बिस्कुट्स	हाजीपुर	50
इको सेमेंट	कैमूर	90
रुचि सोया	कैमूर	100

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

3.10 पर्यटन

पर्यटन दुनिया के अनेक देशों के लिए उद्योग बन गया है। भारत में यह सबसे बड़ा सेवा उद्योग है जिसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 6.23 प्रतिशत और देश के कुल रोजगार में लगभग 9 प्रतिशत योगदान है। बिहार में भी पर्यटन के विकास की जबर्दस्त संभावना है। अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधताओं के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। राज्य सरकार पर्यटन को व्यवस्थित रूप से विकसित करने, इसे आर्थिक विकास का इंजन बनाने और इसके प्रत्यक्ष एवं बहुगुणक प्रभावों का विकास के लिए उपयोग करने का हर संभव प्रयास कर रही है।

पर्यटन की जबर्दस्त संभावना के दोहन के लिहाज से राज्य सरकार नए पर्यटन स्थलों का विकास करने और जीर्णशीर्ण स्थलों का पुनरुद्धार करने के लिए कृतसंकल्प है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन अधिसंरचना तथा अन्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पर्यटन विभाग विकासमूलक और व्यावसायिक, दोनों प्रकार की गतिविधियां चला रहा है। पुराने पर्यटन परिपथों के पुनरुद्धार और नए परिपथों की पहचान एवं विकास का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पर्यटक आवासों, बिजली, सुरक्षित पेयजल, मलजल निकासी व्यवस्था आदि सहित अधिसंरचनाओं के विकास के जरिए वर्तमान पर्यटन गंतव्यों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इन गंतव्य स्थलों को सड़क, रेल और वायु मार्गों की बेहतर सुविधाओं के जरिए जोड़ा जा रहा है। पर्यटकों की मांग और जरूरतों के अनुकूल वर्तमान सेवा स्तर में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बौद्ध धर्म के उद्भव का स्थान होने के नाते बिहार को अपनो समृद्ध बौद्ध विरासत पर गर्व है। पूरे राज्य में अनेक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल मौजूद हैं। बोधगया के महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर और

वैशाली के स्तूप जैसे बौद्ध स्थल पर्यटकों के अत्यंत पसंदीदा स्थान हैं, खास कर बौद्ध देशों से आने वाले पर्यटकों के लिए। बारहवीं योजना के दौरान बौद्ध परिपथों के अलावा, कुछ सूफी, सिख और जैन परिपथों के विकास की भी योजना बनाई गई है। साथ ही, गया में हर साल एक पखवारा तक चलने वाले पितृपक्ष मेले में पूरे देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। हाल ही में आरंभ किए गए गंगा नदी में जल पर्यटन और गंगा आरती ने भी अनेक देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है।

विगत वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों का आना कईगुना बढ़ा है। पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार हर छः में से एक विदेशी पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए बिहार आता है। उसमें यह भी उल्लेख है कि अपने समुद्रतटों के कारण विदेशी लोगों में अत्यंत लोकप्रिय गोवा से भी अधिक छुट्टी मनाने वाले लोग बिहार पहुंचते हैं। राज्य सरकार द्वारा किए गए सतत प्रयासों के फलस्वरूप हाल के वर्षों में देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या कईगुनी बढ़ी है और 2011-12 में विदेशी पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या को आकर्षित करने वाले देश के 10 राज्यों के बीच सातवें स्थान पर था। सूची में बिहार से आगे रहने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। जैसा कि नीचे के आरेख में दर्शाया गया है कि बिहार पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 2007 के 1.77 लाख से चारगुनी से भी अधिक बढ़कर 2011 में 7.95 लाख हो गई। वर्ष 2012 के पहले आठ महीनों में संख्या 2011 के स्तर से भी बढ़कर 8.42 लाख पहुंच गई और वर्ष के अंत तक इसके 10 लाख से भी बढ़ जाने की आशा है। देशी पर्यटकों की संख्या में भी 2007 की तुलना में वृद्धि हुई और 2008 में 1.97 करोड़ पहुंच गई। लेकिन उसके बाद 2009 और 2010 में गिरावट आई जिसके बाद से वृद्धि का रुझान है और 2012 में इसके 2008 से आगे बढ़ जाने की आशा है। गंतव्यवार देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या तालिका प 3.4 (परिशिष्ट) में दी गई है।

चार्ट 3.12 : पर्यटकों का वर्षवार आगमन (हजार में)

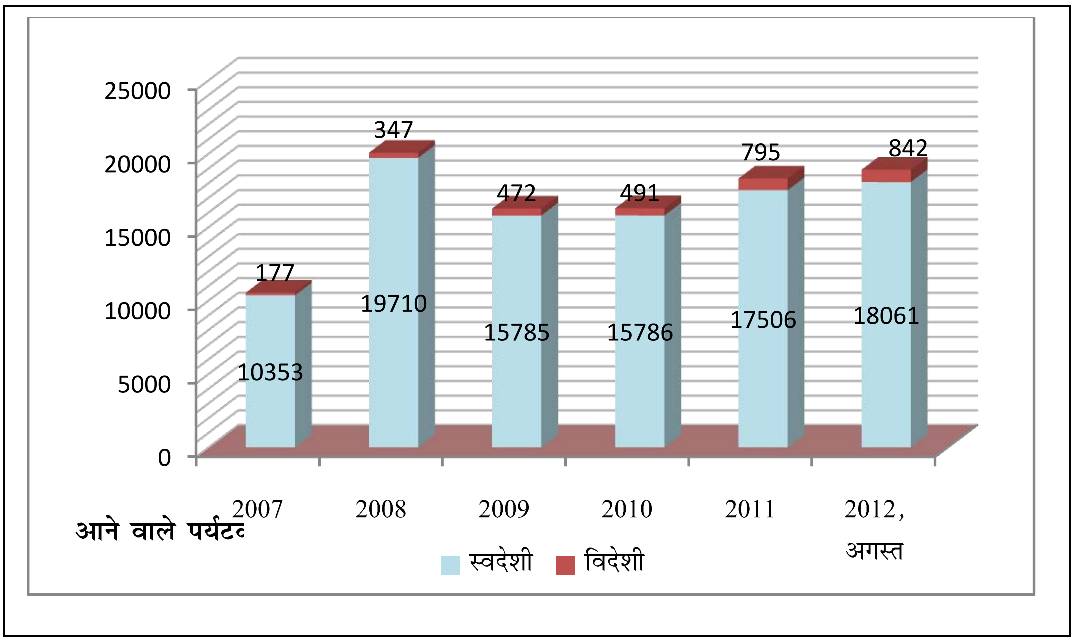

राज्य सरकार अधिक संख्या में देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिहाज से कदम उठा रही है। इस वर्ष मॉरीशस में अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान बिहार पर एक रोड शो आयोजित किया गया था। लंदन में आयोजित चार दिवसीय विश्व यात्रा बाजार (डब्ल्यूबीएम), 2012 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने

विशेष रूपांकित पैकेज के साथ भाग लिया जिसमें यूनाइटेड किंगडम के यात्रा संचालकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यत: पटना, राजगिर और बोधगया के आकर्षक पक्षों को जोर देकर रखा गया।

तालिका 3.37 में देखा जा सकता है कि पर्यटन विभाग ने सभी वर्षों में अपने लिए स्वीकृत परिव्यय का लगभग पूरे का पूरा उपयोग किया है। वर्ष 2011-12 में विभाग ने 30.44 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय में से 29.94 करोड़ रु. का उपयोग किया जो 98 प्रतिशत से भी अधिक है।

तालिका 3.37 : पर्यटन विभाग के परिव्यय और व्यय के विवरण

वर्ष	परिव्यय (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)	उपयोग का प्रतिशत
2007- 08	2679.42	2673.54	99.78
2008- 09	2513.02	2512.78	99.99
2009- 10	2978.00	2978.00	100.00
2010-11	2975.18	2954.81	99.31
2011-12	3043.89	2994.08	98.36

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य में आने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिहाज से अनेक इकाइयां चलाता है। वर्ष 2009-10 में इसे 8.79 करोड़ रु. की आय हुई थी और 6.55 करोड़ रु. व्यय करने के बाद इसने 2.23 करोड़ रु. का प्रचालन लाभ (ऑपरेटिंग प्रोफिट) अर्जित किया था। अनंकेक्षित रिपोर्ट के अनुसार, इसे 2011-12 में 10.38 करोड़ रु. की आय हुई जिसमें 7.39 करोड़ रु. खर्च करने के बाद इसके पास 2.99 करोड़ रु. का प्रचालन लाभ बचा रहा जो गत वर्ष से 34 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

चार्ट 3.13 : बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आय, व्यय और प्रचालन लाभ

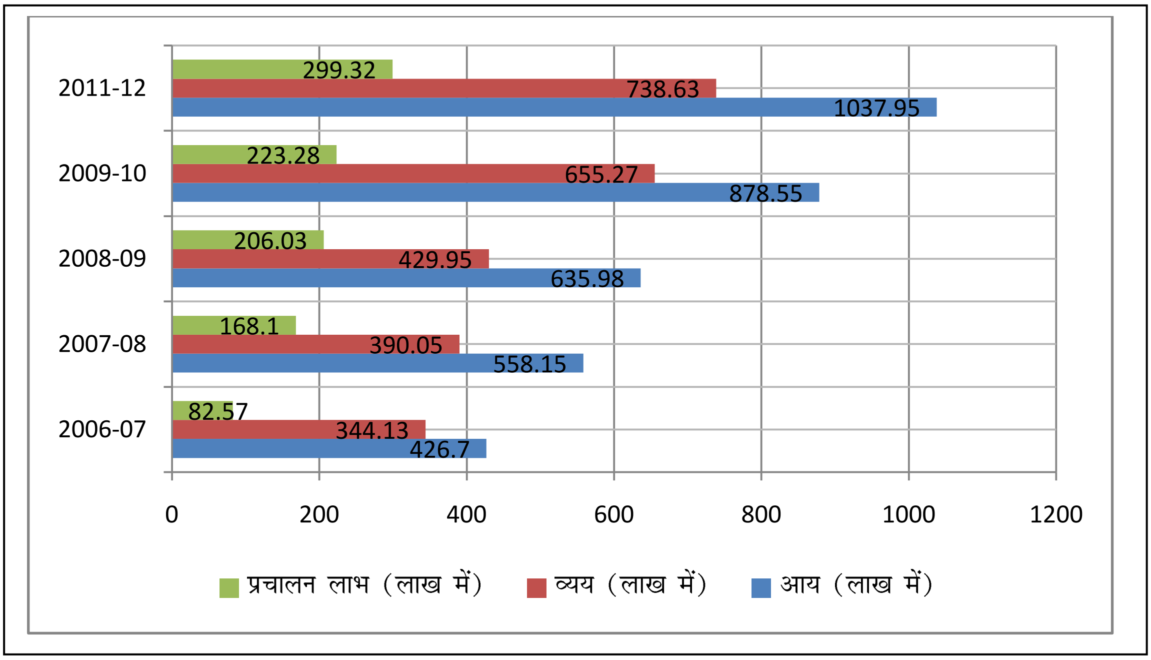

3.11 चुनौतियां और संभावनाएं

हाल के वर्षों में बिहार के कायापलट ने इसकी छवि में काफी सुधार किया है। हालांकि देश में बिहार को अभी भी विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता है जिसका मुख्य कारण राज्य का कमजोर औद्योगीकरण है। खराब औद्योगिक वातावरण, जमीन की अनुपलब्धता, कुशल श्रमिकों की कमी और उद्योगों, खास कर अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए खराब बैंकिंग सेवा के कारण उद्योगपति राज्य में आने से हिचकते रहे। रुग्ण और बंद इकाइयों का पुनरुद्धार अभी होना ही है। उत्पादक गतिविधियों में निवेश के प्रवाह के लिए निवेशकों में विश्वास की भावना पैदा करना और कारोबारी संवदेना को बढ़ावा देना राज्य सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। इस मामले में राज्य सरकार ने गुत्थियों की पहचान की है और राज्य में सड़क, बिजली, कौशल विकास प्रशिक्षण जैसे प्रमुख अधिसंरचना क्षेत्रों में परियोजना क्रियान्वयन के जरिए औद्योगीकरण की प्रक्रिया को अग्रगति देने के लिए उसने कुछ त्वरित कदम उठाए हैं। विद्युत क्षेत्र के अवरोधों की समाप्ति के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ भी वार्ता की है। औद्योगिक और अधिसंरचनात्मक उपयोग के लिए जमीन की उपलब्धता के मुद्दे को भी हल करने की जरूरत है। चूंकि बिहार सघन जनसंख्या वाला राज्य है इसलिए विनिर्माण क्षेत्र के विकास में सुगमता के लिए जमीन अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। हाल में इस मुद्दे की संवेदनशीलता के मद्देनजर उद्यमियों ने खुद किसानों/ भूस्वामियों से संपर्क किया और जमीन की खरीद के लिए उनके साथ मोल-तोल करके सौदे को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिया। कठिनाई की स्थिति में मुद्दे के समाधान के लिए उनलोगों ने संबंधित जिला समाहर्ता तथा अन्य अधिकारियों से संपर्क किया।

औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और बिहार के आर्थिक विकास में उद्यमिता क्षेत्र का वांछित योगदान सुनिश्चत करने के लिहाज से राज्य ने आकर्षक औद्योगिक नीतियां अपनाई हैं जिनसे राज्य की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार करने में मदद मिली है। औद्योगिक अधिसंरचना को बढ़ावा देने के लिए बेहतर सड़कं, बिजली की स्थिति में सुधार और पानी तथा जलनिकासी व्यवस्था के प्रावधान जैसे अनेक उपाय किए गए हैं। फलतः बड़े औद्योगिक घरानों ने राज्य में निवेश करना शुरू कर दिया है। उभरते बिहार में अवसर प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में अनिवासी भारतीय राज्य से जुड़ रहे हैं। राज्य में विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, दुग्ध विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, चीनी, और अन्य क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हो गए हैं। राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण राज्य में कृषि आधारित उद्योग को भारी सफलता मिलेगी। इसके अलावा, बिहार में उच्च गुणवत्ता वाला चमड़ा उपलब्ध है, इसलिए मुंबई में अपनी जगह बनाने वाले बिहार के लोग पटना के निकट फतुहा चर्म केंद्र में निवेश करने जा रहे हैं। चर्म केंद्र में 600 से भी अधिक उद्यमी निवेश कर रहे हैं और अनेक कारखाने लगने वाले हैं।

वर्तमान बिहार सरकार ने बिहार के बारे में व्याप्त भ्रांतियों को सफलतापूर्वक दूर कर दिया है। कानून-व्यवस्था अब कोई समस्या नहीं है। बिहार में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह उत्प्रेरक का काम कर रही है। बड़े उद्योगपतियों की सदस्यता वाले बिहार राज्य औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद के गठन का निवेशकों को सफलतापूर्वक राज्य में लाने और निवेश आकर्षित करने पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

परिशिष्ट

तालिका प 3.1 : 2009-10 में चुनिंदा कृषि एवं गैर-कृषि आधारित उद्योगों के निर्गत के मूल्य और निवल मूल्यवर्धन (बिहार और भारत)

(करोड़ रु.)

एनआइसी 2008	औद्योगिक समूह	उत्पादों की कीमत			निवल मूल्यवर्धन		
		भारत	बिहार	बिहार का % हिस्सा	भारत	बिहार	बिहार का % हिस्सा
	कृषि आधारित						
10+11+12	खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू उत्पाद	468856	4617	0.98	50973	988	1.94
13+14	वस्त्र/ परिधान	261416	108	0.04	38297	30	0.08
15	चर्म एवं चर्म उत्पाद	30554	57	0.19	4607	9	0.19
16+31	काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद/ फर्नीचर	19834	68	0.34	2860	11	0.37
17+18+58	कागज एवं कागज उत्पाद/ मुद्रण तथा अभिलेखित माध्यम का पुनरुत्पादन/ प्रकाशन गतिविधियां	69763	157	0.23	11659	56	0.48
	उप-योग	850423	5007	0.59	108395	1093	1.01
	गैर-कृषि आधारित						
19	कोक तथा शोधित पेट्रॉलियम उत्पाद	539553	17746	3.29	61962	193	0.31
20	रसायन/ रासायनिक उत्पाद	279115	222	0.08	53354	18	0.03
21	मूल औषधीय उत्पाद	111629	173	0.16	34184	43	0.13
22	रबर और प्लास्टिक उत्पाद	125917	200	0.16	21217	101	0.48
23	अधातु खनिज उत्पाद	127719	751	0.59	39718	187	0.47
24+25	मशीन और उपकरण से इतर धातु/ फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद	616826	1925	0.31	98892	564	0.57
27+28+33	बिजली के सामान/ मशीन एवं उपकरण/ एनईसी/ मशीनी उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	331402	366	0.11	70299	66	0.09
29+30	मोटर वाहन, ट्रेलर, सेमी-ट्रेलर/ अन्य परिवहन उपकरण	316216	30	0.01	51492	2	0.00
32	अन्य विनिर्माण	164306	12	0.01	7480	2	0.02
	अन्य	138429	1851	1.34	24043	52	0.22
	उप-योग	2751110	23277	0.85	462641	1228	0.27
	कुल योग	3601534	28285	0.79	571036	2321	0.41

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2009-10

तालिका प 3.2 : बिहार में उद्योगों की संरचना (2008-09 और 2009-10)

औद्योगिक समूह	कारखानों की संख्या		चालू कारखाने		कुल उत्पादन (करोड़ रु.)		निवल मूल्यवर्धन (करोड़ रु.)		प्रतिशत हिस्सा					
									चालू कारखाने		कुल उत्पादन		निवल मूल्यवर्धन	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
कृषि आधारित														
खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू	235	309	190	267	2,913.06	4,617.39	1,124.91	987.69	12.27	15.48	9.86	16.34	35.33	42.55
वस्त्र/ परिधान	21	19	16	16	51.2	107.75	16.55	30.08	1.03	0.93	0.17	0.38	0.52	1.30
चर्म एवं चर्म उत्पाद	6	9	6	9	61.1	56.86	7.81	8.97	0.39	0.52	0.21	0.20	0.25	0.39
काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद/ फर्नीचर	125	129	115	123	55.28	68.11	12.09	10.52	7.42	7.13	0.19	0.24	0.38	0.45
कागज एवं कागज उत्पाद/ मुद्रण तथा अभिलेखित माध्यम का पुनरुत्पादन/ प्रकाशन गतिविधियां	50	44	50	39	208.71	157.04	47.13	55.84	3.23	2.26	0.71	0.56	1.48	2.41
गैर-कृषि आधारित														
कोक तथा शोधित पेट्रॉलियम उत्पाद	49	55	45	55	22,843.16	17,745.92	1,164.54	193.09	2.91	3.19	77.33	62.81	36.58	8.32
रसायन/ रासायनिक उत्पाद	32	30	22	20	48.59	222.07	7.93	18.35	1.42	1.16	0.16	0.79	0.25	0.79
मूल औषधीय उत्पाद	19	17	19	17	33.85	173.27	7.68	42.82	1.23	0.99	0.11	0.61	0.24	1.84
रबर/ प्लास्टिक उत्पाद	18	25	18	25	264.9	199.82	190.23	100.88	1.16	1.45	0.90	0.71	5.98	4.35
अधातु खनिज उत्पाद	917	987	778	884	592.77	751.3	131.48	187.03	50.23	51.25	2.01	2.66	4.13	8.06
मशीन और उपकरण से इतर धातु/ फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद	101	113	97	108	1,410.75	1,925.47	85.01	564.04	6.26	6.26	4.78	6.81	2.67	24.30
बिजली के सामान/ मशीन एवं उपकरण/ एनईसी/ मशीन उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	42	25	38	19	128.05	336.46	10.71	66.01	2.45	1.10	0.43	1.19	0.34	2.84
मोटर वाहन, ट्रेलर, सेमी-ट्रेलर/ अन्य परिवहन उपकरण	10	14	10	13	17.07	29.83	1.61	2.37	0.65	0.75	0.06	0.11	0.05	0.10
अन्य विनिर्माण	5	4	4	3	9.25	12.36	1.9	1.64	0.26	0.17	0.03	0.04	0.06	0.07
अन्य	147	139	141	127	901.93	1851.16	374.18	51.97	9.10	7.36	3.05	6.55	11.75	2.24
योग	1777	1919	1549	1725	29,539.67	28,254.81	3,183.76	2,321.30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

तालिका प 3.3 : 2011-12 में अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों की सामाजिक श्रेणिवार उपलब्धियां

श्रेणी	प्रमंडल										योग	प्रति इकाई निवेश/ रोजगार
	मद	पटना	मुंगेर	भागलपुर	पूर्णिया	मगध	दरभंगा	कोशी	तिरहुत	सारण		
योग (सं.)	अतिलघु	1164	459	82	348	726	507	147	408	209	4050	
	लघु	46	0	0	2	2	0	0	6	0	56	
	मध्यम	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
	योग	1211	459	82	350	728	507	147	415	209	4108	
	निवेश (लाख रु.)	27859.41	1146.08	197.82	598.21	4423.4	1000.77	294.44	2472.57	971.76	38964.46	9.49
	रोजगार	5875	1716	435	1297	2885	1260	335	1911	867	16581	4.04
सामान्य (सं.)	अतिलघु	1079	373	72	261	598	496	116	390	188	3573	
	लघु	46	0	0	2	2	0	0	6	0	56	
	मध्यम	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
	योग	1126	373	72	263	600	496	116	397	188	3631	
	निवेश (लाख रु.)	27806.29	1062.08	190.87	511.54	3871.53	988.3	217.55	2466.94	841.36	37956.46	10.45
	रोजगार	5628	1534	394	988	2429	1231	260	1871	792	15127	4.17
अजा/ अजजा (सं.)	अतिलघु	24	44	1	3	53	1	15	13	8	162	
	लघु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	मध्यम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग	24	44	1	3	53	1	15	13	8	162	
	निवेश (लाख रु.)	10.43	14.23	0.25	4.09	10.85	0.85	4.55	1.68	5.65	52.58	0.32
	रोजगार	73	71	3	8	139	2	21	21	25	363	2.24
अल्पसंख्यक (सं.)	अतिलघु	61	42	1	84	75	10	16	5	13	307	
	लघु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	मध्यम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग	61	42	1	84	75	10	16	5	13	307	
	निवेश (लाख रु.)	42.69	69.77	0.25	82.58	541.02	11.62	72.34	3.95	124.75	948.97	3.09
	रोजगार	174	111	3	301	317	27	54	19	50	1056	3.44

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.4 : बिहार में देशी-विदेशी पर्यटकों का प्रवाह

स्थान	पर्यटक	पर्यटकों की संख्या (हजार)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012, अगस्त तक
पटना	देशी	719	4306	3576	4162	5778	4053
	विदेशी	4	4	65	21	10	10
गया	देशी	1359	4117	5018	4872	5023	1989
	विदेशी	2	90	98	224	255	147
बोधगया	देशी	480	7453	848	832	1006	452
	विदेशी	120	144	138	96	294	133
राजगिर	देशी	891	777	1065	1971	1341	1635
	विदेशी	33	86	107	130	201	226
रक्सौल	देशी	72	91	82	15	22	75
	विदेशी	7	5	6	3	4	2
मुंगेर	देशी	41	38	65	65	89	68
	विदेशी	0	0	0	0	0	0
वैशाली	देशी	226	121	47	81	63	32
	विदेशी	10	17	8	16	30	23
मुजफ्फरपुर	देशी	241	295	217	269	303	26
	विदेशी	1	0	0	0	0	0
सोनपुर मेला	देशी	4020	216	2786	2786	895	0
	विदेशी	1	0	50	0	0	0
श्रावणी मेला, सुल्तानगंज (भागलपुर)	देशी	2198	1114	1510	260	1631	0
	विदेशी	0	0	0	0	0	0
भागलपुर	देशी	88	1115	545	454	1317	0
	विदेशी	0	0	0	0	0	0
अन्य	देशी	19	67	26	19	36	9731
	विदेशी	0	1	0	1	0	300
सभी स्थान	देशी	10353	19710	15785	15786	17506	18061
	विदेशी	177	347	472	491	795	842
योग		10530	20057	16257	16277	18300	18903

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

अध्याय 4

अधिसंरचना और संचार

ग्यारहवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन ने रेखांकित किया कि अधिसंरचना के मामले में कमजोरी किसी अर्थव्यवस्था के मध्यावधि विकास की राह में महत्वपूर्ण अवरोध है, खास कर ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में। इस योजना अवधि में जहां अधिसंरचना के कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं, वहीं अन्य क्षेत्रों में गिरावट दिखी। बारहवीं योजना अवधि में योजना आयोग ने अधिसंरचना में 45 लाख करोड़ रु. निवेश का अनुमान किया है। इसमें से 50 प्रतिशत निवेश निजी क्षेत्र से अनुमानित है जो ग्यारहवीं योजना अवधि में 36 प्रतिशत था। हालांकि प्रमुख अधिसंरचना क्षेत्रों का प्रदर्शन काफी हद तक सार्वजनिक निवेश वाली परियोजनाओं पर निर्भर है। हाल में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी अधिसंरचना क्षेत्र का विकास करने और इसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हालांकि इस मामले में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, खास कर बिजली के क्षेत्र में। राज्य सरकार अधिसंरचना क्षेत्र के विकास के मामले में बड़े पैमाने पर शामिल होने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमियों को मनाने का प्रयास कर रही है। अधिसंरचना का विकास कोई एकमुश्त निवेश नहीं होता है, उसके रखरखाव में भी खर्च करना पड़ता है। यह देखते हुए पहले से निर्मित सड़क, भवन, जन उपयोगिता आदि अधिसंरचनाओं की देखरेख के लिए राज्य सरकार जल्द ही 'राज्य अनुरक्षण नीति' सूत्रबद्ध करने जा रही है जिसके लिए शर्तों आदि को अंतिम रूप दे दिया गया है।

4.1 सड़क

सड़कों को किसी भी राज्य में अधिसंरचना के विकास के लिए बुनियादी घटक माना जाता है और पथ निर्माण विभाग बिहार का परिदृश्य बदलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संकल्प के साथ त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करते हुए नई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं कि राज्य के सुदूर क्षेत्रों से भी राजधानी में अधिकतम छः घंटे में पहुंचा जा सके। सरकार के गंभीर प्रयासों के बावजूद बिहार प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई के लिहाज से संपूर्ण भारत के औसत से काफी पीछे है जो इस बात को सत्यापित करती है बिहार में सड़कों की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है। प्रति 100 वर्ग किमी पर सड़कों की लंबाई (119.72 किमी) के लिहाज से भी बिहार संपूर्ण भारत के औसत (127.76 किमी) से पीछे है।

तालिका 4.1 : बिहार और भारत में सड़कों की औसत लंबाई (2011-12)

वर्ष	प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई (किमी)		प्रति 100 वर्ग किमी पर सड़कों की लंबाई (किमी)	
	बिहार	भारत	बिहार	भारत
2011-12	108.60	347.05	119.72	127.76

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

हालांकि राष्ट्रीय और राज्य उच्चपथों में गत वर्ष कोई वृद्धि नहीं हुई लेकिन मुख्य जिला पथों की लंबाई में 6 प्रतिशत वृद्धि हुई जिसके कारण उनकी कुल लंबाई गत वर्ष के 8,505 किमी से बढ़कर सितंबर 2012 में

9,031 किमी हो गई। राज्य में जिलावार सड़क नटवर्क के आंकड़े तालिका प 4.1 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। अब अन्य जिला पथों को ग्रामीण पथों में शामिल कर लिया गया है जिसकी लंबाई में गत एक वर्ष के दौरान असाधारण वृद्धि हुई है हालांकि इनका अच्छा-खासा (73 प्रतिशत) हिस्सा अभी भी कच्चा है।

तालिका 4.2 : बिहार में सड़कों की लंबाई (सितंबर 2012 में)

श्रेणी	सड़कों की लंबाई (कि.मी.)			
	पक्की	कच्ची	कुल	प्रतिशत हिस्सा
राष्ट्रीय उच्चपथ	3734.38	-	3734.38	2.66
राज्य उच्चपथ	4857.00	-	4857.00	3.46
मुख्य जिला पथ	9030.59	-	9030.59	6.44
ग्रामीण पथ	33023.00	89575.00	122598.00	87.43
योग	50644.97	89575.00	140219.97	100.00

स्रोत : पथ निर्माण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

राष्ट्रीय उच्चपथ

राष्ट्रीय उच्चपथ किसी राज्य के विकास के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राज्य में मौजूद या राज्य से गुजरने वाले कुल 28 राष्टोय उच्चपथ हैं जिनकी कुल लंबाई 3,734 किमी है। राष्टोय उच्चपथों का निर्माण विभिन्न श्रेणियों के तहत होता है जिसमें एक लेन, दो लेन या अनेक लेन हो सकते हैं जिनकी चौड़ाई 3.75 मी. से लेकर 7.00 मी. से भी अधिक हो सकती है। हालांकि सितंबर 2011 से सितंबर 2012 के बीच बिहार में राष्टोय उच्चपथों की लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुई लेकिन कुल लंबाई में मध्यवर्ती लेन (5.50 मी.) और दो लेन (7.00 मी.) वाली सड़कों का हिस्सा बढ़ा है जिसके कारण एक लेन वाली सड़कों का हिस्सा घटा है।

तालिका 4.3 : बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों की स्थिति

राष्ट्रीय उच्चपथों की श्रेणी	सितंबर 2011		सितंबर 2012	
	लंबाई (कि.मी.)	प्रतिशत हिस्सा	लंबाई (कि.मी.)	प्रतिशत हिस्सा
एक लेन (3.75 मी. चौड़ी)	633.22	16.96	526.79	14.11
मध्यवर्ती लेन (5.50 मी. चौड़ी)	832.18	22.28	865.13	23.17
दो लेन (7.00 मी. चौड़ी)	1477.11	39.55	1538.24	41.19
7.00 मी. से अधिक चौड़ी	767.37	20.55	779.72	20.88
जानकारी नहीं (मिसिंग लिंक)	24.50	0.66	24.50	0.66
योग	3734.38	100.00	3734.38	100.00

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

नेपाल और बंगलादेश का सीमावर्ती होने की रणनीतिक अवस्थिति के लिहाज से बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई नितांत अपर्याप्त है। राज्य के तीन जिलों में राष्ट्रीय उच्चपथ है ही नहीं। वर्तमान लंबाई में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय उच्चपथों की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के प्रथम चरण में 205.70 किमी लबाई में सड़कों को चार लेन वाली सड़कों में बदला गया है। इसके द्वितीय चरण में पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर के अंतर्गत 513 किमी सड़कों (संशोधित लंबाई 488 किमी) को चार लेन में बदलने के लिए भारतीय राष्टोय

उच्चपथ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया है। इनमें से 438 किमी सड़कों का काम पूरा हो गया है और शेष का कार्य प्रगति पर है। इसके तृतीय चरण और चतुर्थ चरण के अंतर्गत 2011-12 में 1,481 किमी लंबाई वाली 12 सड़कों के लिए प्रस्ताव किया गया था जिनमें से अधिकांश का काम हाथ में लिया गया है। इसके पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की सीमा पर 120 किमी सड़कों को 6 लेन में बदलने का काम प्रगति पर है और झारखंड सीमा पर 85 किमी लंबी सड़कों के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। छठे चरण में पटना रिंग रोड के निर्माण के लिए भारतीय राष्टोय उच्चपथ प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है (तालिका 4.4)।

तालिका 4.4 : बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों के चार लेन वाली सड़कों में उन्नयन की स्थिति (2011-12)

चरण	परियोजना	लंबाई (किमी)	अभ्युक्ति
I	स्वर्ण चतुर्भुज	205.70	कार्य पूरा
II	पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर	488.00	438 किमी का काम पूरा
III	राष्टोय उच्चपथ विकास परियोजना	1012.88	प्रगति पर
IV	राष्टोय उच्चपथ विकास परियोजना	468.00	काम आबंटित/ निविदा की प्रक्रिया जारी
V	राष्टोय उच्चपथ विकास परियोजना उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा पर	120.00 85.00	निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर
VI	राष्टोय उच्चपथ विकास परियोजना	पटना रिंग रोड	भारतीय राष्टोय उच्चपथ प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माण प्रक्रियाधीन

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

इसके अलावा, परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय ने राष्टोय उच्चपथों के कुछ हिस्सों को विशेष परियोजना के तहत दो लेन में बदलने के लिए चुना है जिसमें तीन उच्चपथों के 104 किमी हिस्से को 462.12 करोड़ रु. के बजट प्रावधान के तहत और 6 उच्चपथों के 745 किमी लंबे हिस्से को विश्‍व बैंक की सहायता-प्राप्त परियोजना के तहत 745 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से निर्मित करना शामिल है। गत वर्ष (सितंबर 2011 से सितंबर 2012 के बीच) 184.01 किमी लंबाई में राष्टोय उच्चपथों का उन्नयन किया गया है जिसे मिलाकर 2007-08 से लेकर अब तक कुल 3,214 किमी उच्चपथों का उन्नयन हो चुका है।

चार्ट सं. 4.1: राष्टोय उच्चपथों का उन्नयन

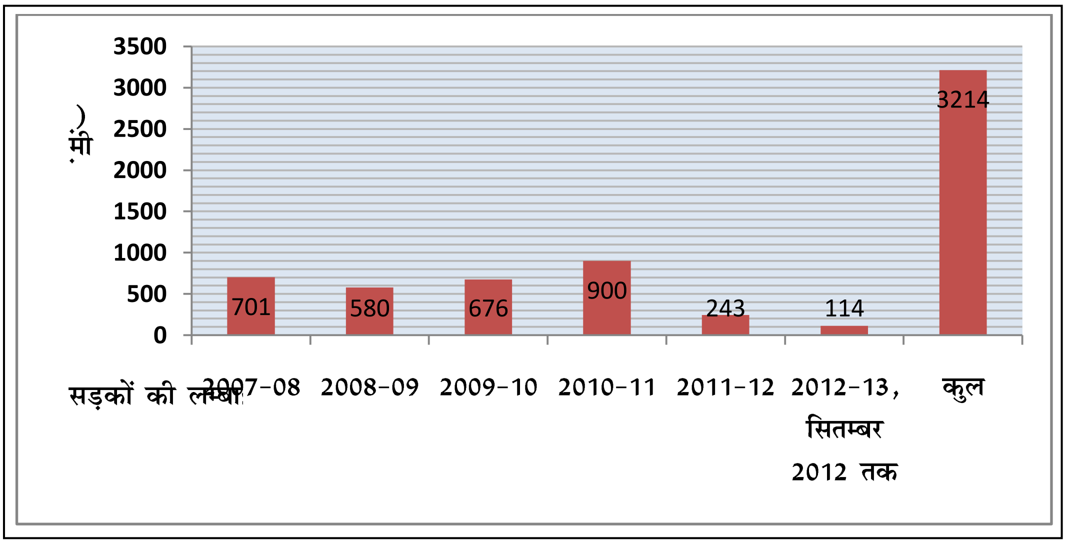

जापान अंतर्राष्टोय सहयोग अभिकरण

जापान अंतर्राष्टोय सहयोग अभिकरण के जरिए बौद्ध परिपथ उन्नयन कार्यक्रम के तहत राष्टोय उच्चपथ-82 के 92.94 किमी लंबे गया-बिहारशरीफ खंड को चार लेन वाली सड़क में बदलने के लिए ऋण सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। अभिकरण इस प्रस्ताव से सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है। इस परियोजना का कुल अनुमानित व्यय 1,319.58 करोड़ रु. है। परियोजना के लिए ऋण सहमति मार्च 2013 में निष्पादित हो जाने की उम्मीद है।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी

इनफ्रास्टक्चर लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेज (IL&FS) और इनफ्रास्टक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनांस कंपनी (IDFC) को सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल के तहत महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु परियोजना विकास परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और निम्नलिखित परियोंजनाओं पर कार्य प्रगति पर है - (1) बख्तियारपुर (पटना) और ताजपुर (समस्तीपुर) के बीच गंगा नदी पर पुल और संपर्क पथ, (2) राष्टोय उच्चपथ-30 के 116.76 किमी लंबे आरा-मोहनिया खंड को चार लेन में बदलना, (3) दीघा और दीदारगंज के बीच गंगा नदी के किनारे 20.5 किमी लंबी सड़क गंगा उच्चपथ का निर्माण, (4) राष्टोय उच्चपथ-31 के 107.09 किमी लंबे रजौली-नालंदा-बिहारशरीफ-दीदारगंज खंड को चार लेन में बदलना, तथा (5) बिहटा और औरंगाबाद के बीच 116 किमी लंबी सड़क को दो लेन में बदलना।

राज्य उच्चपथ

सितंबर 2012 तक बिहार में राज्य उच्चपथों की कुल लंबाई 4,857 किमी थी। लगभग 63 प्रतिशत उच्चपथ दो लेन वाले, 21 प्रतिशत एक लेन वाले और 15 प्रतिशत मध्यवर्ती लेन वाले हैं। राज्य उच्चपथों की कुल लंबाई में 14 मी. चौड़ाई वाली सड़कों का हिस्सा अत्यंत नगण्य (0.91 प्रतिशत) है।

तालिका - 4.5 : बिहार में राज्य उच्चपथों की स्थिति (सितंबर 2012 में)

लेन का प्रकार	चौडाई (मी.)	कल लंबाई (किमी)	कल लंबाई का प्रतिशत
एक लेन	3.75	1023.92	21.08
मध्यवर्ती लेन	5.50	739.95	15.23
दो लेन	7.00	3049.15	62.78
चार लेन	14.00	43.98	0.91
योग	30.25	4857	100.00

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार ने राज्य उच्चपथ विकास कार्यक्रम के तहत राज्य उच्चपथों की पूरी 4,857 किमी लंबाई को दो लेन में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। गत एक वर्ष में पूर्व में राज्य उच्चपथ घोषित 183.40 किमी सड़कों का उन्नयन कार्य राष्टोय सम विकास योजना और एशियाई विकास बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि से पूरा हो गया है।

राज्य सरकार ने राष्टोय सम विकास योजना के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि से राज्य उच्चपथों की पूरी लंबाई को दो लेन चौड़ी सड़कों में विकसित करन की योजनाएं शुरू की ह। राष्टोय सम विकास योजना के तहत 2,045 किमी लंबे राज्य उच्चपथों का उन्नयन कार्य 2005 में केंद्रोय लोक निर्माण विभाग और इरकॉन इंटरनेशनल के साथ हस्ताक्षरित तृपक्षीय समझौते के तहत कराया जा रहा है। इसमें से केंद्रोय लोक निर्माण विभाग को 1,715 किमी लंबे और इरकॉन को 330 किमी लंबे उच्चपथों के उन्नयन का काम सौंपा गया है। चार जिलों (वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी) में इरकॉन द्वारा काम किया जा रहा है और 33 जिलों में केंद्रोय लोक निर्माण विभाग द्वारा। केंद्रोय लोक निर्माण विभाग ने 1,689.55 किमी और इरकॉन ने 316.41 किमी उच्चपथों का उन्नयन कार्य पूरा कर लिया है। उन्नयन हेत् अनुमोदित उच्चपथों और 2011-12 में हासिल उपलब्धियों की जिलावार स्थिति तालिका प 4.2 (परिशिष्ट) में दी गई है।

राज्य सरकार ने 2,581.42 किमी मुख्य जिला पथों को राज्य उच्चपथ घोषित किया है और एशियाई विकास बैंक बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना के तहत उनके दो लेन में उन्नयन हेतु ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। परियोजना के प्रथम चरण में 820 किमी पर 2008 में काम आरंभ किया गया था जिसमें से 635.18 किमी पर काम पूरा हो गया है। शेष पर काम प्रगति पर है जिसे 2012-13 में पूरा हो जाने की आशा है। परियोजना के पूरे व्यय में 90 प्रतिशत हिस्सा एशियाई विकास बैंक के ऋण का है और शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना है।

बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना के दूसरे चरण में कुल 1,814.73 करोड़ रु. के व्यय से 386.67 किमी सड़कों का उन्नयन किया जाना है जिसका 70 प्रतिशत भाग एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा और शेष 30 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। इस पर 2010 में समझौता हुआ था। बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना के दूसरे चरण में अतिरिक्त वित्तपोषण का भी प्रस्ताव है जिसका लक्ष्य 1,658.69 करोड़ रु. के व्यय से और 254.51 किमी लंबाई में उच्चपथों का उन्नयन करना है। अतिरिक्त वित्तपोषण के बारे में बातचीत चल रही है। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ने 30 करोड़ डॉलर (164.50 करोड़ रु.) का ऋण स्वीकृत कर दिया है। समझौते पर जनवरी 2013 में हस्ताक्षर होने की संभावना है।

मुख्य जिला पथ

राज्य में मुख्य जिला पथों की कुल लंबाई 9,031 किमी है जिनकी चौड़ाई भिन्न-भिन्न है। बहरहाल अधिकांश मुख्य जिला पथों की अपर्याप्त (3.05 मी. से 3.50 मी.) चौड़ाई और बढ़ते यातायात को संभाल पाने की अक्षमता को देखते हुए राज्य सरकार इन सड़कों को न्यूनतम 5.50 मी. चौड़ाई वाली मध्यवर्ती लेन में बदलने का प्रयत्न कर रही है। उन्नयन का काम धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप किया जाएगा। जहां ऐसा उन्नयन संभव नहीं होगा, वहां उनकी सतह नई बनाई जाएगी। इस कार्य के लिए धनराशि राज्य योजना, ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत नाबार्ड के कोष, भारत-नेपाल सीमा समानांतर सड़क विकास कार्यक्रम, तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आर्थिक महत्व वाली सड़कों के लिए नियत धनराशि के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक अनुमोदित परिव्ययों और निर्मित होने वाली सड़कों की लंबाई के विवरण तालिका 4.6 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.6 : स्वीकृत सड़कों की लंबाई और परिव्यय (2006-07 और 2011-12)

वर्ष	सड़कों की स्वीकृत लंबाई (किमी)	परिव्यय (करोड़ रु.)
2006-07	1500	770.19
2007-08	4461	2221.80
2008-09	1245	746.40
2009-10	714	415.00
2010-11	379	416.98
2011-12, फरवरी 2012 तक	12 (योजनागत योजना)	51.91
	1126 (गैर-योजना)	383.17

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

साथ ही, बिहार व्यापार विकास कोष (सड़क) के तहत 2010-11 में 108.41 करोड़ रु. के परिव्यय से 42. 42 किमी और 2011-12 में 11.17 करोड़ रु. के परिव्यय से 16.70 किमी सड़कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त तालिका में दर्शाए गए स्वीकृत परिव्ययों से कुल 7,184.26 किमी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और शेष लंबाई में कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 2012-13 में 1,000 किमी सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ-साथ, 2012-13 में अनुसूचित जाति की बहुलता वाले क्षेत्रों में 210 किमी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है जिसके लिए 225 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण पथ

ग्रामीण पथ गांव-टोलों को सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराते हैं और उन्हें नजदीकी शहरों-बाजारों से जोड़ते हैं। बिहार में ग्रामीण पथों की कुल लंबाई 1.23 लाख किमी है जिसमें से बड़ा हिस्सा कच्ची सड़कों का है। राज्य सरकार सुदूर क्षेत्रों के गांव-टोलों को संपर्क उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग करता है। वर्ष 2006 से अक्तूबर 2012 तक विभाग ने 33 हजार किमी सड़कों और 55 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया है। विवरण तालिका 4.7 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.7 : ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा योजना-वार निर्मित सड़कें (2006 से 2012)

क्र.सं.	योजना का नाम	पथ निर्माण (किमी)	पुल निर्माण (सं.)	व्यय (करोड़ रु.)
1	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	5064.65		2379.08
2	आपकी सरकार आपके द्वार	566.00		256.46
3	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	3382.37	28	1207.22
4	विशेष घटक योजना/ महादलित योजना (SCP)	136.78		58.96
5	ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (नाबार्ड योजना)	1671.27	27	1029.85
6	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	64.87		24.29
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	22137.47		10832.39
	योग	33023.41	55	15788.25

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास

राज्य में पांच जिले केंद्र सरकार द्वारा अतिवाद प्रभावित जिलों के बतौर चिन्हित हैं - गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल और जमुई। इन क्षेत्रों में सड़कों के उन्नयन के लिहाज से 616.34 करोड़ रु. के परिव्यय से 678 किमी सड़कों (71 किमी राष्टोय उच्चपथों और 607 किमी मुख्य जिला पथों) के लिए प्रथम चरण में स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 530 किमी सड़कों का निर्माण फरवरी 2012 तक पूरा हो चुका था और शेष कार्य मार्च 2013 तक पूरा हो जाना है। दूसरे चरण में 2,499.50 करोड़ रु. के परिव्यय से तीन पुलों सहित कुल 1,514 किमी लंबाई वाली 80 सड़कों के उन्नयन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को पेश किया जा रहा है। योजनागत योजना के तहत 604.63 करोड़ रु. के व्यय से 300 किमी मुख्य जिला पथों और 17 किमी राष्टोय उच्चपथ का उन्नयन किया गया है।

केंद्रोय सड़क कोष

केंद्र सरकार पेट्रॉल और हाई स्पीड डीजल पर 1.50 रु. प्रति लीटर की दर से कर वसूलती है। इस प्रकार केंद्रोय सड़क कोष के तहत संग्रहित राशि का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय सड़क कोष के लिए होता है और 10 प्रतिशत अंतर्राष्टोय तथा आर्थिक महत्व के पथ संपर्क के लिए। इस कोष के तहत 64 परियोजनाओं के मामले में राज्य को केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनमें से 58 पूरी हो गई हैं और 6 का काम प्रगति पर है। पुनः, कुल 202.71 करोड़ रु. के कुल व्यय वाली 7 नई योजनाओं को 2011-12 में स्वीकृति मिली। 6 योजनाओं के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया और एक के लिए कार्य प्रगति पर है।

भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना

स्थानीय लोगों को समुचित आवागमन और सीमा सुरक्षा बल को खुली सीमा की पेटॉलिंग में सक्षम बनाने के लिए राज्य में भारत-नेपाल सीमा के किनारे सड़क निर्माण किया जाना है। प्रस्तावित सड़क अंचल के विशाल कृषि क्षेत्र से होकर गुजरती है। मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में 1,702 करोड़ रु. के व्यय से 564 किमी सड़क निर्माण के लिए अनंतिम स्वीकृति प्रदान की है। काम आरंभ करने के लिए राज्य सरकार पहले ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर चुकी है।

244.67 किमी लंबी सड़कों, 9 पुलों और 359 पुलियों के लिए विस्तत परियोजना रिपोर्ट को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से पहले ही स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तदनुरूप बोलियां आमंत्रित की गई हैं और वे प्रक्रियाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 307.63 किमी लंबी सड़कों, 5 पुलों और 493 पुलियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तकनीकी समिति की स्वीकृति हासिल हो चुकी है। अंतिम स्वीकृति के मामले में आवश्यक कार्य प्रक्रियाधीन हैं। इनके साथ-साथ रास्ते में आने वाले 121 छोटे-बड़े पुल नाबार्ड कोष और राज्य योजना के तहत प्रस्तावित हैं।

4.2 पुल क्षेत्र

रेल उपरिपुल

वर्ष 2005 में किए गए त्रिपक्षीय समझौते के तहत व्यय में हिस्सेदारी के आधार पर राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर 22 रेल उपरिपुलों (ओवरब्रीज) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 828.73 करोड़ रु. के व्यय से ऐसे 14 पुलों

का निर्माण इरकॉन इंटरनेशनल कर रहा है जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 398.04 करोड़ रु. और भूमि अधिग्रहण की राशि 186.78 करोड़ रु. है। इनमें से 7 उपरिपुलों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और शेष 7 का कार्य प्रगति पर है। मुख्य जिला पथों पर 8 उपरिपुलों का निर्माण कार्य इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है आर इनके लिए संपर्कपथों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। निगम को 8 परियोजनाओं का भी कार्यभार सौंपा गया था जिनमें से 7 पूरी हो चुकी हैं। बरियारपुर-खड़गपुर-जमुई रोड पर एक रेल उपरिपुल का निर्माण भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्या के कारण अपूर्ण है। इन 8 परियोजनाओं का कुल अनुमानित मूल्य 257.82 करोड़ रु. है जिसमें राज्य का हिस्सा 120.91 करोड़ रु. है और भूमि अधिग्रहण व्यय 16.00 करोड़ रु.।

12 रेलवे क्रॉसिंग पर उपरिपुलों के निर्माण का काम स्वीकृति की प्रक्रिया में है और 8 उपरिपुलों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माणाधीन है। इसके अलावा, समपारों (लेवल क्रॉसिंग) पर अन्य 22 उपरिपुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय को समर्पित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना

इस योजना के तहत 25 लाख रु. तक व्यय वाले कार्यों का क्रियान्वयन जिला प्रशासन द्वारा होता है जबकि उससे अधिक व्यय वाले काम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को सौंपे जाते हैं। अभी तक 2,508 करोड़ रु. के व्यय से निर्माण के लिए 4,655 योजनाओं को चिन्हित किया गया है। कुल योजनाओं में से 2,455 को जिला प्रशासन ने पूरा किया है और 685 को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने। शेष योजनओं पर काम प्रगति पर है और उनका 2012-13 में पूरा होना लक्षित है। परियोजना के तहत 2012-13 के लिए 400 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

तालिका 4.8 : मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत निर्मित पुल (2011-12)

क्र. सं.	प्रमंडल	परियोजनाओं की सं.	अनुमानित व्यय (करोड़ रु.)
1	पटना	99	189.71
2	भागलपुर	31	56.29
3	दरभंगा	103	252.33
4	कोशी	54	115.20
5	मगध	48	164.82
6	मुंगेर	52	144.43
7	पूर्णिया	79	151.83
8	सारण	74	133.88
9	तिरहुत	221	344.02
योग		761	1552.51

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार सरकार

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने सितंबर 2012 तक विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के तहत कुल 2801 करोड़ रु. के व्यय से 946 पुलों का निर्माण किया है (तालिका 4.9)।

तालिका 4.9 : निर्मित पुलों की संख्या

वर्ष	पुलों की सं.	व्यय (करोड़ रु.)
2007-08	60	45.34
2008-09	157	183.78
2009-10	235	684.13
2010-11	195	797.70
2011-12	255	875.54
2012-13, सितंबर 2012 तक	44	214.55
योग	946	2801.04

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार सरकार

4.3 पथ परिवहन

पथ परिवहन राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य में सड़क नेटवर्क का निर्माण और विकास होने से सुदूर क्षेत्रों में भी मालों और यात्रियों का जाना आसान हो गया है जिससे लोगों की जीवनदशा में सुधार हुआ है। परिवहन विभाग वाहनों के निबंधन शुल्कों, करों, दंडों-जुर्मानों आदि की वसूली के जरिए आंतरिक राजस्व की उगाही के लिहाज से भी महत्वपूर्ण अभिकरण है। इसने यात्रियों की सुविधा और पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया है।

राज्य के सभी वाहनों का निबंधन केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत होता है। निबंधित वाहनों की संख्या हर साल बढ़ रही है। इनकी संख्या 2007-08 के 1.62 लाख से लगभग तीनगुनी बढ़कर 2011-12 में 4.40 लाख हो गई है। वर्ष 2012-13 के पहले छः महीनों (अप्रील-सितंबर) में 2.30 लाख से भी अधिक वाहनों का निबंधन हुआ है। तालिका 4.10 में देखा जा सकता है कि 2011-12 में समाप्त हुए पांच वर्षों के दौरान दोपहियों के निबंधन में लगभग तीनगुनी की असाधारण वृद्धि हुई है। तालिका प 4.3 (परिशिष्ट) में दिया गया 2011-12 का जिलावार आंकड़ा दर्शाता है कि वाहनों के निबंधन के मामले में जिलों के बोच भारी विषमता मौजूद है - पटना में 85 हजार से भी अधिक तो शिवहर में 875 और अरवल में तो 704 ही।

तालिका 4.10 : निबंधित वाहनों की संख्या (2007-08 से 2012-13, सितंबर 2012 तक)

वर्ष	ट्रक	बस	कार	टैक्सी	जीप	ऑटो	दुपहिया	ट्रैक्टर	ट्रेलर	अन्य	योग
2007-08	2409	1341	8223	3042	4229	6030	120296	8164	5358	2665	161757
2008-09	3598	1121	10549	3791	5748	8423	166882	11203	7510	1588	220413
2009-10	8474	1555	14854	7347	9862	12392	233656	19496	10529	969	319134
2010-11	6990	1494	18814	5419	9746	17422	293204	21208	11137	1947	387381
2011-12	9719	1394	23495	8595	9071	20698	331052	22954	11404	1289	439671
2012-13, सितंबर 2012 तक	4914	1002	10229	5288	4276	12830	173614	12318	4830	957	230258
योग	36104	7907	86164	33482	42932	77795	1318704	95343	50768	9415	1758614

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 4.2 : बिहार में निबंधित वाहनों की संख्या

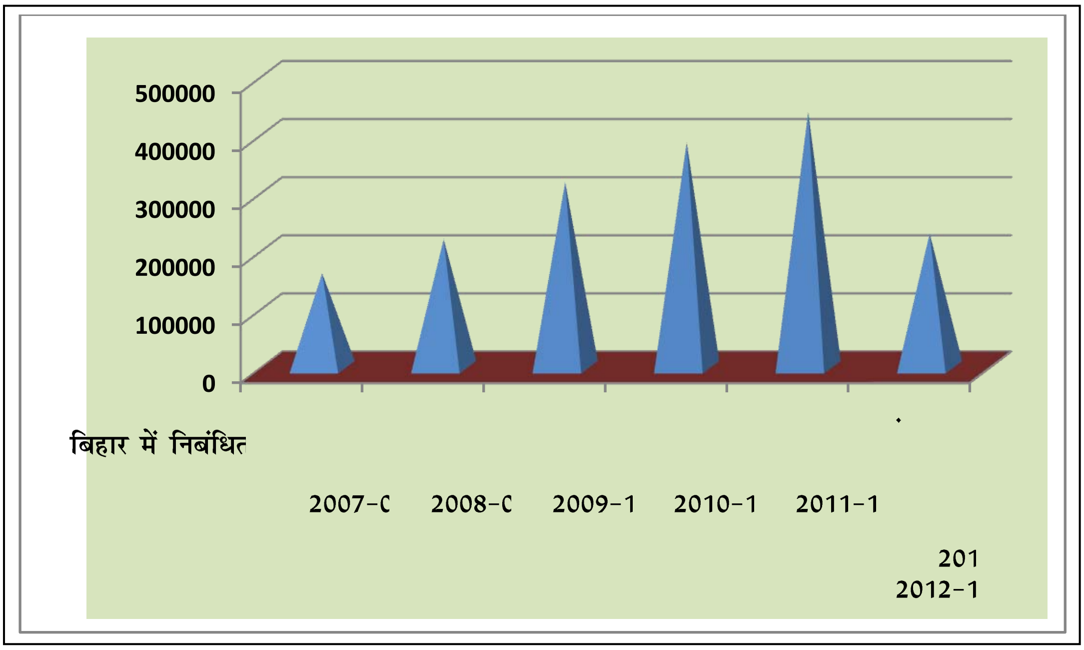

चार्ट 4.3 : बिहार में निबंधित वाहनों के प्रकार में वृद्धि (2011-12)

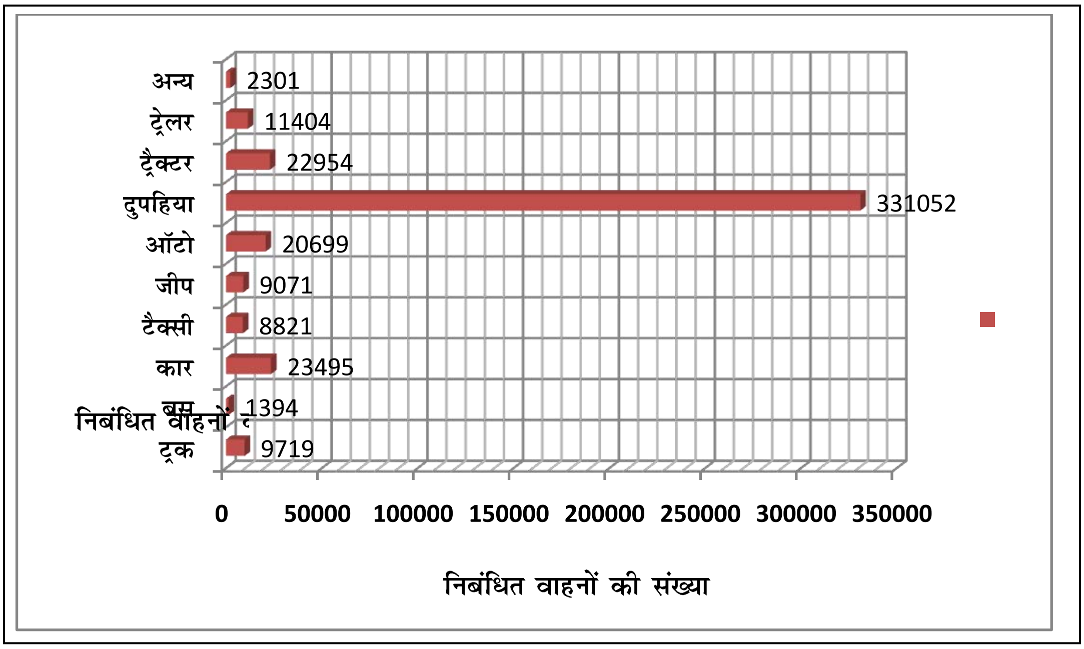

नए वाहनों के निबंधन में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप 2011-12 में राजस्व संग्रहण भी 2007-08 की अपेक्षा दूने से अधिक हो गया। गौर करने की एक अन्य बात यह भी है कि समय के साथ लक्ष्य और वास्तविक संग्रहण के बीच अंतराल भी घटता गया है। संग्रहण में प्रवर्तन इकाइयों द्वारा वसूला गया अर्थदंड भी शामिल होता है। वर्ष 2010-11 अर्थदंड से संग्रहण 64 कराड़ रु. था जबकि 2007-08 में 22 करोड़ रु. ही था।

चार्ट 4.4 : परिवहन विभाग द्वारा संग्रहित राजस्व

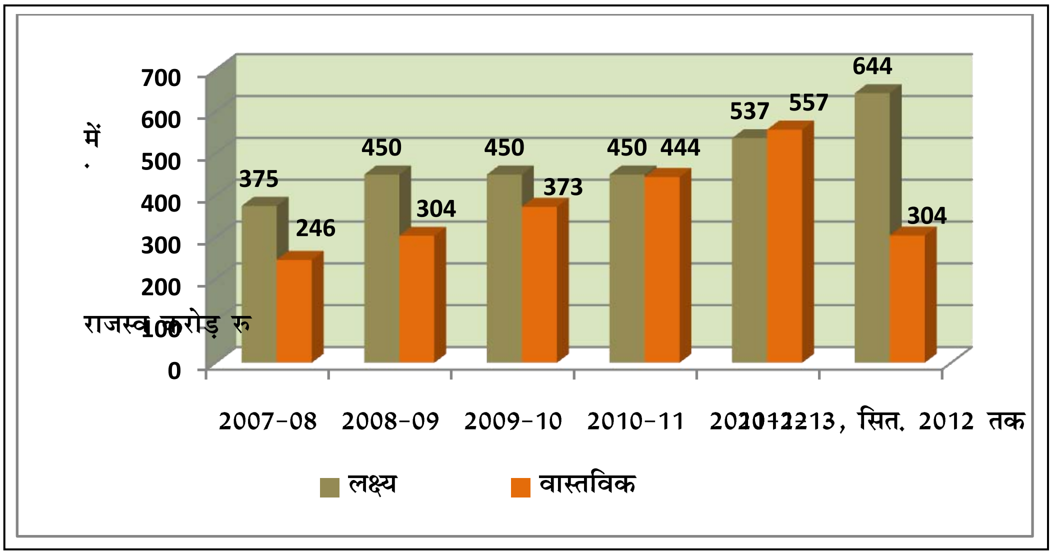

परिवहन विभाग ने अपना राजस्व बढ़ाने और अपने कामकाज में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) राज्य के 6 प्रवेश स्थलों पर जांच चौकियां स्थापित की जा रही हैं जिसके लिए वाणिज्य कर विभाग नोडल विभाग है। हालांकि इन चौकियों का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी ये काम करने लगी हैं। इनका निर्माण पूरा हो जान पर विभाग का राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी और राज्य में अवैध वाहनों का प्रवेश भी रुकेगा।

(ख) वाहन मालिकों की सुविधा के लिए वाहन करों के ई-भुगतान की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाने वाली है। इस मकसद से भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित होगा। इससे वाहन मालिक इंटरनेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/ प्रीपेड कार्ड/ डेबिट कार्ड आदि के जरिए वाहन कर का भुगतान करने में समर्थ होंगे।

(ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए वाहनों में उच्च सुरक्षा वाले निबंधन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। डीडी इंडस्टोज के साथ एक समझौता कर लिया गया है और नए निबंधन प्लेट लगाने का काम 31 मार्च 2012 से शुरू कर दिया गया है।

(घ) विभाग आम जनता में पथ सुरक्षा संबंधी जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है। नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए पटना यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया ह।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

निगम यात्रियों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त बस सेवा उपलब्ध कराने के लिहाज से 1953 में स्थापित वैधानिक व्यावसायिक निकाय है। हालांकि निगम अनेक वर्षों तक इस हद तक रुग्ण रहा कि अपने कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ देने की स्थिति में भी नहीं था। निगम के पुनरुद्धार के लिए अनेक कदम उठाए गए और उसके पुनर्वास के लिए 113 करोड़ रु. के पैकेज की अनुशंसा की गई। आर्थिक पैकेज के तहत

निगम ने 1998 से 2010 के बीच 637 नई बसें खरीदीं। वेतन भुगतान और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए निगम को बिहार सरकार से 459 करोड़ रु. और झारखंड सरकार से 97 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए। बेकार पड़ी और जीर्णशीर्ण स्थिति वाली 100 से भी अधिक बसों की मरम्मत की गई और सड़क पर लाया गया। बसें सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत भी चलाई जाती हं जिनमें नगर सेवा की बसें भी शामिल हैं। निगम द्वारा उठाए गए इन कदमों की परिणति यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि में हुई है। सितंबर 2009 में निगम की बसों का उपयोग करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 3.58 लाख थी जो दिसंबर 2011 में 8.77 लाख तक पहुंच गई।

अधिक मार्गों पर सेवा प्रदान करने के लिहाज से निगम ने सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत बसें चलाने का फैसला किया जिसके फलस्वरूप 295 बसें सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत चल रही हैं। साथ ही, जिला मुख्यालयों के बीच 300 अतिरिक्त बसें चलाने का भी निर्णय लिया गया है जिनकी सेवा अगले छः महीनों के अंदर शुरू होने की आशा है।

निगम ने नगर बस सेवा का विस्तार पटना के अलावा कुछ और शहरों में भी करने का फैसला किया है। इस समय 5 शहरों में 111 बसें सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत चल रही हैं जिनकी संख्या और बढ़ाने तथा सेवा का विस्तार शहर के अन्य शहरों तक भी करने की योजना है।

तालिका 4.11 : सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत नगर सेवा के बसों की संख्या

क्र.सं.	शहर का नाम	फेरों की संख्या	लक्ष्य
1	पटना	73	150
2	पूर्णिया	5	15
3	गया	8	20
4	मुजफ्फरपुर	20	20
5	दरभंगा	5	15
	योग	111	220

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

अन्य राज्यों के यात्रियों की सुविधा के लिए पारस्परिक परिवहन समझौता टेंपलेट तैयार किए गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उस पर सहमति हो भी गई है। बसें चलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी समझौता हो गया है। झारखंड के साथ 2007 में पारस्परिक समझौता हुआ था और परमिट जारी किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समझौता की औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं।

4.4 अंतर्देशीय जलमार्ग

बिहार में नदी नौवहन की जबर्दस्त संभावना है। जलमार्ग में सुधार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव लाया जा सकता है। इसके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने गंगा, गंडक, कोशी, सोन और अन्य नदियों को नौगम्य बनाने तथा 2000 पंचायतों को जलमार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के पास योजना पेश की है।

पटना नगर संकुल के समीप गंगा नदी के पर्यटन के लिहाज से विकास और अन्य बुनियादी अधिसंरचनाओं के लिए आवश्यक योजनाएं भी वित्तपोषण हेतु केंद्र सरकार को पेश की गई हैं। पटना में नदी और स्थलों के सर्वेक्षण के बाद केंद्र सरकार इन योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने के लिए पहले ही 115 लाख रु. स्वीकृत कर चुकी है। राज्य सरकार ने भी केंद्र द्वारा स्वीकृत धनराशि का 10 प्रतिशत हिस्सा स्वीकृत किया है और इस मकसद से केंद्र सरकार के उपक्रम राइट्स लि. को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। चार नदियों - गंगा, गंडक, कोशी और सोन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

राज्य सरकार ने नदियों में होने वाली नौका दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए बंगाल नौवहन अधिनियम, 1885 की तर्ज पर आदर्श नौवहन नियमावली, 2011 सूत्रबद्ध की है। नियमावली के अंतर्गत राज्य में चलने वाली सभी नावों और स्टीमरों का निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है जिनका स्वामित्व हस्तांतरणीय हो सकता है। प्रावधान के तहत चूक होने पर निबंधन रद्द भी किया जा सकता है। निबंधित नावों/ स्टीमरों द्वारा ढुलाई के लिए स्वीकार्य यात्रियों की संख्या और माल का वजन उनकी क्षमता के अनुरूप तय की जाएगी।

4.5 रेलमार्ग

राज्य में रेलमार्ग की लंबाई 5,400 किमी से भी अधिक है और राज्य देश के सारे प्रमुख नगरों-महानगरों से जुड़ा हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे देश का सबसे बड़ा जोन है जिसका मुख्यालय पटना के समीप हाजीपुर में है। छपरा के बेलापुर में स्थित पहिया कारखाना पूरी तरह चालू है। नालंदा जिले के हरनौत में स्थित कोच रखरखाव कार्यशाला में जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इनके अलावा भी राज्य में दो महत्वाकांक्षी रेल परियाोजनाएं लंबित हैं - मढ़ौरा में डीजल इंजन का कारखाना और मधेपुरा में विद्युत इंजन का कारखाना। यात्री और मालवाही रेलगाड़ियों के सहज संचालन के लिहाज से वार्षिक जरूरतों के मद्दनजर इन परियोजनाओं का भारी महत्व है। प्रस्तावित कारखानों का निर्माण सार्वजनिक-निजी साझेदारी के आधार पर किया जाना है। मढ़ौरा डीजल इंजन निर्माण कारखना का निर्माण 2,025 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से होना प्रस्तावित है, वहीं मधेपुरा बिजली इंजन कारखाना का अनुमानित व्यय 1,924 करोड़ रु. है। पांच वर्ष से भी अधिक विलंब के बाद जब किसी कंपनी ने इन परियोजनाओं में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो इन दोनों प्रमुख परियोजनाओं की स्थापना के मामले में बोली वाले संशोधित दस्तावेजों को स्वीकृति प्रदान करके रेलवे बोर्ड ने इसे महत्वपूर्ण गति प्रदान की। इकाइयों के निर्माण के बाद 12 वर्षों मं मढ़ौरा इकाई में 1,000 डीजल इंजन और मधेपुरा कारखाने में 800 बिजली इंजन के उत्पादन की संभावना है।

4.6 नागरिक उड्डयन

देश में वायु यातायात का तेज विकास जारी है जिसमें विगत सात वर्षों के दौरान 18.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। अभी भारत विश्व का नवां उड्डयन बाजार है। जनवरी से नवंबर 2011 के बीच विभिन्न हवाईअड्डों पर घरेलू यात्रियों का कुल यातायात पिछले वर्ष की इसी अवधि 9.05 करोड़ से 19.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 10.81 करोड़ तक पहुंच गया। इसी प्रकार, हवाईअड्डों पर अंतर्राष्टोय यात्री यातायात और माल ढुलाई में इस अवधि के दौरान 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हवाईअड्डों की अधिसंरचना का तेज गति से विकास भी जारी रहा।

राष्टोय रुझान के अनुरूप बिहार में देशी-विदेशी यात्री यातायात काफी बढ़ गया। पटना हवाईअड्डे पर यात्रियों की संख्या पांच वर्षों में लगभग ढाईगुनी वृद्धि दर्ज करते हुए 2007-08 के 4.44 लाख से बढ़कर 2011-12 में लगभग 10.94 लाख पहुंच गई। इस अवधि में लगभग 66 प्रतिशत वृद्धि के साथ माल ढुलाई भी 1,770 टन से बढ़कर 2,930 टन हो गई। यद्यपि वायुयानों की आवाजाही में इस अवधि में उतार-चढ़ाव होता रहा लेकिन इसमें 2011-12 में 2007-08 की अपेक्ष 3.57 प्रतिशत की वृद्धि दिखी।

तालिका 4.12 : पटना हवाईअड्डे पर यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई सहित वायुयानों की आवाजाही

वर्ष	वायुयानों की आवाजाही (सं.)		यात्री (सं.)		माल ढुलाई (टन)	
	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू
2007-08	0	12604	0	444458	0	1770
2008-09	0	9666	0	369408	0	1943
2009-10	8	10726	0	552542	0	2532
2010-11	4	9547	0	838509	0	3279
2011-12	0	13054		1094219	0	2930
2012-13, सितंबर 2012 तक	0	6342	0	574855	0	1034

स्रोत : भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, पटना

बिहार देश के प्रमुख शहरों और कुछ देशों की राजधानियों (बैंकॉक, सिंगापुर और कोलंबो) से वायु सेवा के जरिए अच्छी तरह जुड़ा है। बिहार में दो हवाईअड्डे हैं - पटना और गया। पटना सीमित अंतर्राष्टोय हवाईअड्डे के बतौर वर्गीकृत है जहां अंतर्राष्टोय चार्टर्ड उड़ानों के उतरने के लिए सीमा शुल्क संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गया छोटा अंतर्राष्टोय हवाईअड्डा है जो मुख्यत: बौद्ध देशों से जुड़ा हुआ है। पटना से चलने वाली वायु सेवाओं में इंडियन एयरलाइन्स, जेट एयरवेज, एयर दक्कन, गा एयर और इंडिगो शामिल हैं। विभिन्न वायुसेवाओं द्वारा संचालित दैनिक उड़ानों की संख्या तालिका 4.13 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.13 : वायु सेवा और उड़ानों की संख्या (पटना हवाईअड्डा)

वायु सेवा	दैनिक उड़ानों की संख्या	
	2011-12	2011-12, सितंबर 2012 तक
इंडियन एयरलाइन्स/ एयर इंडिया	3	3
जेट एयरवेज	4	5
एयर दक्कन/ किंग फिशर	3	
गो एयर	3	3
इंडिगो	4	5
योग	17	16

स्रोत : भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, पटना

4.7 दूरसंचार

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में गत दशक के दौरान जबर्दस्त विकास हुआ है। अभी भारत का दूरसंचार नेटवर्क चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। उदार नीतिगत व्यवस्था और निजी कंपनियों की संलग्नता ने इस क्षेत्र को पूरी तरह बदल डाला है। इस क्षेत्र का विकास वस्तुतः ग्यारहवीं योजना अवधि में हुआ है और मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार इस क्षेत्र में संभावित निवेश 3.5 लाख करोड़ रु. है जो मूल अनुमान से 34 प्रतिशत अधिक है। इस अति-उपलब्धि का मुख्य कारण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा 24 प्रतिशत कम निवेश के बावजूद निजी क्षेत्र द्वारा मूल अनुमानों की अपेक्षा 60 प्रतिशत अधिक निवेश है। फलतः देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या पूर्व की तिमाही की 2.16 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबले एक तिमाही में 2.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए दिसंबर 2011 के 92.65 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 में 95.13 करोड़ हो गई।

बिहार के दूरसंचार क्षेत्र ने भी गत कुछ वर्षों के दौरान लंबी छलांग लगाई है जो इसके आर्थिक विकास का सर्वाधिक प्रत्यक्ष सबूत है। इससे राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को बल मिला है जो राज्य के तीव्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सहायता है। वर्ष 2011-12 के अंत तक बिहार में लगभग 4.6 करोड़ दूरभाष कनेक्शन थे जिनमें मोबाइल फोन की संख्या 98 प्रतिशत से भी अधिक थी। इसमें निजी सेवाप्रदाता बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दूरसंचार क्षेत्र की एक दिखने वाली परिघटना यह है कि भारतीय संचार निगम (बीएसएनएल) के लैंडलाइन कनेक्शन की संख्या 61 प्रतिशत घटकर 2010-11 के 9.66 लाख से 2011-12 में मात्र 3.80 लाख रह गई है, वहीं निगम के मोबाइल फोन की संख्या में भी लगभग 26 प्रतिशत कमी आई है। निजी सेवाप्रदाताओं के लैंडलाइन कनक्शन नगण्य हैं हालांकि उनके मोबाइल कनेक्शनों की संख्या 2005-06 से कईगुना बढ़कर 2010-11 में 3.80 करोड़ और 2011-12 में 4.12 करोड़ हो गई।

तालिका 4.14 : बिहार में दूरभाष कनेक्शन (2001-2012)

(लाख में)

वर्ष	भारतीय संचार निगम लि.				निजी संचालक			योग
	लैंडलाइन	डब्ल्यूएलएल	मोबाइल	योग	लैंडलाइन	मोबाइल	योग	
2001-02	8.05	0.40	0.08	8.53	—	1.15	1.15	9.68
2002-03	9.66	0.79	0.76	11.21	—	1.84	1.84	13.05
2003-04	11.1	0.89	2.58	14.57	—	2.58	2.58	17.15
2004-05	12.89	0.98	4.05	17.92	—	5.65	5.65	23.57
2005-06	17.38	1.30	9.28	27.96	—	14.18	14.18	42.14
2006-07	9.86	1.53	12.68	24.07	—	34.5	34.5	58.57
2007-08	9.73	1.88	16.3	27.91	—	68.03	68.03	95.94
2008-09	9.63	2.38	26.92	38.93	0.05	133.69	133.74	172.67
2009-10	9.61	2.82	43.44	55.87	0.10	251.25	251.35	307.22
2010-11	9.66	2.84	55.82	68.32	0.13	379.5	379.63	447.95
2011-12	3.80	2.84	41.47	48.11	0.10	411.89	411.99	460.10

स्रोत : भारतीय संचार निगम लि. तथा भारतीय सेलुलर ऑपरेटर संघ

टिप्पणी : मोबाइल के लिए भारतीय सेलुलर ऑपरेटर संघ (सीओएआइ) द्वारा दिए गए जीएसएम के आंकड़े ही दिए गए हैं।

चार्ट 4.5 : बिहार में कुल कनेक्शन (2001-2012)

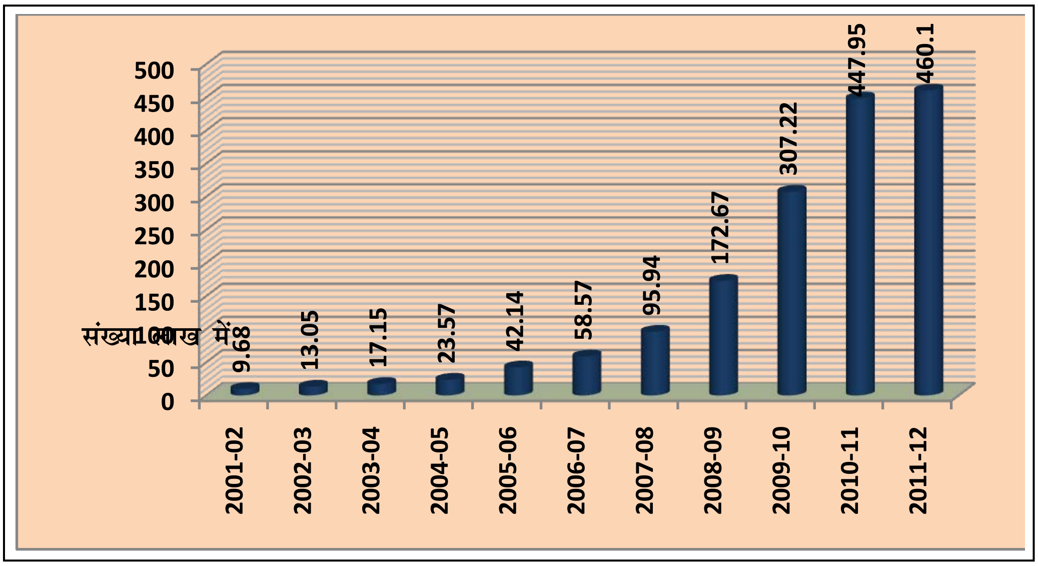

मोबाइल फोन के प्रवेश से, खास कर भारती, रिलायंस, वोडाफोन, टाटा, एयरसेल आदि निजी सेवा प्रदाताओं के इस क्षेत्र में आने से दूरसंचार क्षेत्र पूरी तरह बदल गया है। सुदूर क्षेत्रों तक संपर्क में विस्तार के अलावा मोबाइल फोन से उपभोक्ताओं के लाभ भी अधिकाधिक बढ़े हैं।

चार्ट 4.6 : वर्ष 2011-12 में कनेक्शनों की संख्या

भारत दूरसंचार निगम लि.

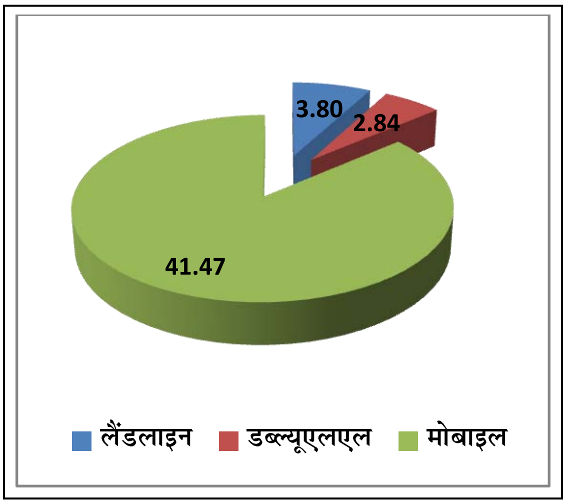

निजी सेवा प्रदाता

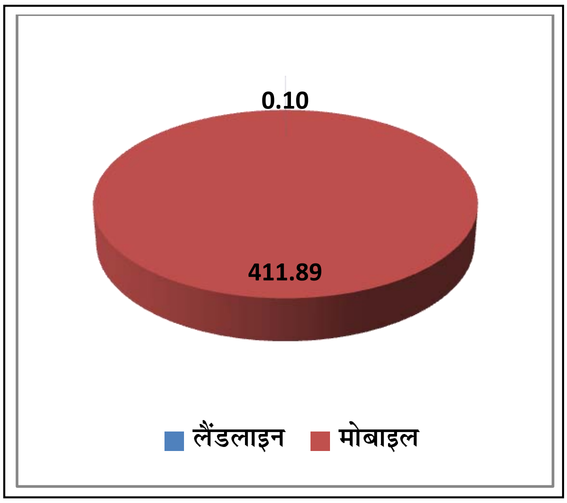

दूरभाष घनत्व

दूरभाष घनत्व (टेलिडेंसिटी) का आशय प्रति 100 व्यक्ति की आबादी पर दूरभाष की संख्या से है जो इस उपयोगी प्रौद्योगिकी की पहुंच का सूचक है। देश में दूरभाष घनत्व की वृद्धि में असाधारण उछाल आया है। वर्ष 2011 में दूरभाष घनत्व 73.97 था जो 2012 में बढ़कर 78.66 हो गया। हालांकि दूरभाष घनत्व में भारी वृद्धि का झुकाव शहरी क्षेत्रों की ओर ही रहा है। वर्ष 2011 में संपूर्ण भारत के स्तर पर शहरी घनत्व 163.13 था जबकि ग्रामीण घनत्व 35.60 ही था। वर्ष 2012 में शहरी घनत्व बढ़कर 169.55 पहुंच गया लेकिन ग्रामीण घनत्व 39.22 ही पहुंच पाया। बिहार में दूरभाष घनत्व राष्टोय औसत से बहुत कम - 2011 में 45.10 और 2012 में 48.90 था लेकिन शहरी दूरभाष घनत्व के मामले में संपूर्ण भारत के औसत से आगे था (2011 में

182.33 और 2012 में 196.24)। तालिका 4.15 से स्पष्ट है कि शहरी दूरभाष घनत्व के मामले में 2011 में बिहार का स्थान केरल (246) और उड़ीसा (202) के बाद आंध्र प्रदेश के समान था लेकिन 2012 में राज्य का शहरी दूरभाष 196.24 हो गया और यह आंध्र प्रदेश से आगे निकल गया। इसके विपरीत, ग्रामीण दूरभाष घनत्व के मामले में बिहार दोनों वर्षों में सबसे निचले पायदान पर बना रहा। बिहार समेत सभी राज्यों में शहरी और ग्रामीण दूरभाष घनत्वों के बीच भारी फासला है। ग्रामीण दूरभाष घनत्व में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्तमान सरकार की नीतियां इस फासले को पाटने की ओर लक्षित हैं।

तालिका 4.15 : प्रमुख भारतीय राज्यों का दूरभाष घनत्व

सेवा क्षेत्र	2011			2012		
	ग्रामीण दूरभाष घनत्व	शहरी दूरभाष घनत्व	कुल दूरभाष घनत्व	ग्रामीण दूरभाष घनत्व	शहरी दूरभाष घनत्व	कुल दूरभाष घनत्व
आंध्र प्रदेश	35.53	182.84	76.38	39.21	189.26	80.87
बिहार	23.43	182.33	45.10	25.58	196.24	48.90
गुजरात	48.39	138.18	84.68	53.89	145.51	91.14
हरियाणा	54.57	145.57	85.33	55.92	153.97	89.42
कर्नाटक	35.33	183.21	90.48	44.08	185.62	97.22
केरल	55.01	246.04	103.79	61.94	237.08	106.61
मध्य प्रदेश	24.38	124.57	51.02	25.90	130.37	53.81
महाराष्ट्र	48.27	144.24	92.96	52.03	147.56	96.80
उड़ीसा	30.62	201.61	59.39	35.24	215.58	65.84
पंजाब	59.93	177.28	108.40	64.59	180.95	113.13
तमिलनाडु	51.65	158.28	110.37	56.20	164.40	116.61
उत्तर प्रदेश	28.61	152.59	56.25	31.98	161.32	60.93
पश्चिम बंगाल	39.91	162.37	74.75	43.42	171.45	79.91
संपूर्ण भारत	35.60	163.13	73.97	39.22	169.55	78.66

स्रोत : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

टिप्पणी : दूरभाष घनत्व का आशय 100 व्यक्तियों पर उपलब्ध दूरभाषों की संख्या से है।

चार्ट 4.7 : बिहार और भारत में 2012 में दूरभाष घनत्व

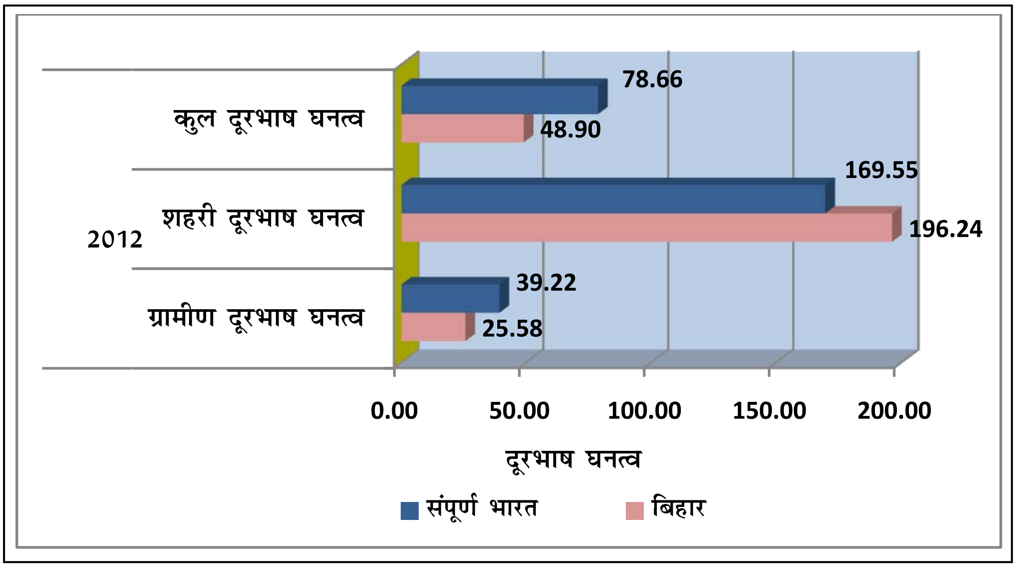

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

भारत संचार निगम वर्षों से दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। हालांकि राज्य में टेलीफोन एक्सचेंज और कनेक्शनों की कुल संख्या 2009-10 तक बढ़ती गई लेकिन उसके बाद से गिरावट दिखी। वर्ष 2009-10 में टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या 1,242 थी जो 2010-11 में घटकर 1,214 और 2011-12 में 1,197 रह गई। कनेक्शनों की संख्या में भी भारी गिरावट आई जो 2007-08 के 9.73 लाख से घटकर 2011-12 में 3.80 लाख रह गई। इसके विपरीत, मोबाइल कनेक्शन की संख्या बढ़ती गई और 2007-08 के 14.15 लाख से बढ़कर 2011-12 में 41.47 लाख के उच्च स्तर तक पहुंच गई। डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों की संख्या भी बढ़ी और 2007-08 के 1.88 लाख से 2010-11 में 2.84 लाख हो गई हालांकि 2011-12 में उसमें थोड़ी गिरावट आई।

तालिका 4.16 : भारत संचार निगम का विकास

(लाख में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
टेलिफोन एक्सचेंज की संख्या	1225.00	1235.00	1242.00	1214.00	1197.00
कुल क्षमता (कनेक्शनों की संख्या)	13.37	13.37	13.38	13.22	13.17
कुल कनेक्शन	9.73	9.63	9.61	9.66	3.80
प्रतीक्षा सूची	0.47	0.81	0.02	0.00	0.00
ऑटो ट्रंक एक्सचेंज की क्षमता	2.22	2.22	2.22	3.68	3.81
इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या	0.31	0.43	0.50	0.70	0.57
मोबाइल की क्षमता (संख्या)	10.83	16.86	21.16	22.27	22.63
मोबाइल कनेक्शन (संख्या)	14.15	22.47	35.42	40.49	41.47
डब्ल्यूएलएल की क्षमता (संख्या)	2.89	3.14	3.54	3.66	3.66
डब्ल्यूएलएल कनेक्शन (संख्या)	1.88	2.38	2.82	2.84	2.74

स्रोत : भारत संचार निगम लिमिटेड

20,000 करोड़ रु. के व्यय से देश के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड संपर्क उपलब्ध कराने के लिहाज से अक्तूबर 2011 में केंद्र सरकार ने राष्टोय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए एक योजना स्वीकृत की है। नेटवर्क से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं, यथा ग्राम पंचायतों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को संपर्क उपलब्ध होगा। 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस ऍक्सेस (बीडब्ल्यूए) कनेक्शन उत्प्रेरक का काम करेंगे और सुदूर क्षेत्रों को भी जोड़ने के लिए ब्रॉडबैंड की पहुंच उपलब्ध कराएंगे। आगामी दशक सबके लिए मोबाइल की मूल्यवर्धित सेवाओं और ब्रॉडबैंड के जरिए सूचना युग में प्रवेश करेगा।

4.8 डाक नेटवर्क

भारतीय डाक सेवा दुनिया का सर्वाधिक विस्तृत नेटवर्क है जिसके अंतर्गत मार्च 2011 में पूरे देश में लगभग 1.55 लाख डाकघर थे। प्रत्येक डाकघर औसतन 7,814 लोगों की सेवा करता है। ग्रामीण भारत में 1.39 लाख डाकघर हैं और शहरी क्षेत्रों में 15,826 डाकघर। इनके अलावा डाक विभाग उन क्षेत्रों में 1,155 फ्रेंचाइजी आउटलेट के जरिए काम करता है जिनमें डाकघर खोलना संभव नहीं है।

बिहार परिक्षेत्र (सर्किल) में मार्च 2012 में जिला मुख्यालयों में अवस्थित 31 मुख्य डाकघरों के अलावा 9,057 डाकघर थे। राज्य के कुल डाकघरों में लगभग 90 प्रतिशत विभागेतर शाखा डाकघर थे और लगभग 10 प्रतिशत विभागीय डाकघर। मार्च 2012 तक 117 अस्थायी डाकघर और 6 रात्रिकालीन डाकघर भी मौजूद थे। पत्रपेटियों की संख्या 25 हजार से कुछ अधिक थी जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा 89 प्रतिशत था। तालिका 4. 17 में देखा जा सकता है कि राज्य के 95 प्रतिशत डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं।

तालिका 4.17 : बिहार में डाक सुविधाएं

(संख्या में)

डाक सुविधाएं	मार्च, 2011			मार्च, 2012		
	शहरी	ग्रामीण	योग	शहरी	ग्रामीण	योग
मुख्य डाकघर	30	1	31	30	1	31
डाकघर	403	8622	9025	474	8583	9057
विभागीय डाकघर	398	616	1014	428	617	1045
विभागेतर डाकघर	5	8006	8011	46	7966	8012
स्थायी डाकघर	414	8463	8877	474	8583	9057
अस्थायी डाकघर	22	95	117	22	95	117
रात्रि डाकघर	6	0	6	6	0	6
लेटर बॉक्स	2851	22159	25010	2851	22159	25010
पोस्ट बॉक्स	917	0	917	917	0	917

स्रोत : डाक विभाग, बिहार परिक्षेत्र

वर्ष 2008 में 'प्रोजेक्ट एरो' के शुभारंभ के साथ डाकघरों के डाक वितरण, मुद्रा प्रेषण और बैंकिंग सेवा जैसे कार्यों का उन्नयन किया जा रहा है। इससे भारतीय डाक सेवा खुदरा उत्पादों के लिए सर्वसुविधा केंद्र के बतौर उभर रहा है जो बैंकिंग, मुद्रा प्रेषण और अन्य वित्तीय उत्पाद एक ही जगह उपलब्ध करा रहा है। बिहार परिक्षेत्र में इस योजना के तहत 15 मुख्य डाकघरों को शामिल किया गया है। डाकघरों को मनरेगा के लाभार्थियों को डाकघरों के बचत खातों के जरिए मजदूरी वितरण का दायित्व भी दिया गया है।

वर्ष 2010-11 और 2011-12 में डाक की आवाजाही के विवरण तालिका 4.18 में प्रस्तुत हैं जिसमें देखा जा सकता है कि डाकघरों के जरिए भेजी जाने वाली निबंधित, अनिबंधित और विदेशी अनिबंधित सामग्रियों में 2011-12 में विगत वर्ष की अपेक्षा थोड़ी वृद्धि हुई है।

तालिका 4.18 : डाक आवागमन - देशी और विदेशी (2010-11 और 2011-12)

क्र. सं.	सामग्रियां	2010-11	2011-12	प्रतिशत परिवर्तन
1	निबंधित (हजार)	6623.72	6689.35	0.99
2	अनिबंधित (करोड़)	8.32	8.54	2.64
3	विदेशी डाक अनिबंधित (हजार)	4651.13	4681.23	0.65
	(i) विदेशी काउंटरों को	2349.92	2365.02	0.64
	(ii) विदेशी काउंटरों से	2301.21	2316.21	0.65

स्रोत : डाक विभाग, बिहार परिक्षेत्र

उल्लेखनीय है कि राज्य से रोज 60 हजार से भी अधिक पत्र स्पीड पोस्ट से भेजे जाते हैं जिनमें अकेले पटना से 35 हजार पत्र भेजे जाते हैं। वर्ष 2006 में स्टांप शुल्क में वृद्धि के बावजूद बिहार में स्पीड पोस्ट वाले पत्रों की संख्या में तब से 30 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर यह वृद्धि मात्र 20 प्रतिशत है। बिहार परिक्षेत्र में 2011-12 में अकेले स्पीड पोस्ट से 900 करोड़ रु. की आय हुई। यह भी गौरतलब है कि भारतीय डाक के बिहार परिक्षेत्र ने इस वर्ष अकेले धनतेरस के दिन 17 किलोग्राम सोने की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया।

वर्ष 2010-11 में 3,404 शिकायतें लंबित थीं और 34 हजार से अधिक नई शिकायतें प्राप्त हुईं जिससे शिकायतों की कुल संख्या 37,619 हा गईं। उनमें से 36 हजार से भी अधिक (97 प्रतिशत) शिकायतों का निपटारा किया गया और मात्र 1,300 शिकायतें लंबित रहीं। मार्च 2012 तक लंबित शिकायतों की संख्या और भी घटकर मात्र 649 रह गईं। विवरण तालिका 4.19 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.19 : डाक विभाग में लोगों की शिकायता पर कार्रवाई (2010-11 एवं 2011-12)

(संख्या)

मद	2010-11	2011-12
लंबित शिकायतें	3404	1300
वर्ष के अंदर प्राप्त शिकायतें	34215	21536
वर्ष में निष्पादित शिकायतों की संख्या	36319	22187
लंबित शिकायतों की संख्या	1300	649

स्रोत : डाक विभाग, बिहार परिक्षेत्र

बिहार परिक्षेत्र के डाकघरों में मार्च 2012 तक मनरेगा सहित सक्रिय खातों की कुल संख्या 327.57 लाख थी मार्च 2012 के अंत में इनमें कुल जमा राशि 19 हजार करोड़ रु. से अधिक थी जो गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 7 प्रतिशत अधिक है। खातों की कुल संख्या और विभिन्न योजनाओं के तहत जमा कुल राशि तालिका 4.20 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.20 : सक्रिय खातों की संख्या और उनमें जमा रकम (2011 और 2012)

योजना	खातों की संख्या	जमा राशि (हजार रु.)	खातों की संख्या	जमा राशि (हजार रु.)
	2011		2012	
बचत खाता	16776276	74326589	18023974	81521599
मनरेगा	5576228	16878514	6154129	26008409
मासिक आय योजना	764064	42162278	785569	11800202
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	5608673	13177832	6853468	13979735
एकवर्षीय सावधिक जमा	426757	7622456	457659	9833367
द्विवर्षीय सावधिक जमा	78468	134616	88682	186618
त्रिवर्षीय सावधिक जमा	128476	1234752	159378	1457863
पंचवर्षीय सावधिक जमा	170593	514888	211692	565690
आवर्ती जमा	2500912	9651354	2724865	11681364
सार्वजनिक भविष्य निधि	34871	684127	39935	714629
वद्धावस्था पेंशन (सामाजिक सुरक्षा खाता)	691415	13534475	16121865	34644576
योग	32756733	179921881	51621216	192394053

स्रोत : मुख्य महाडाकपाल, बिहार परिक्षेत्र

4.9 शहरी अधिसंरचना

भारत में शहरीकरण की गति धीमी रही है लेकिन भविष्य में इसमें तेजी से परिवर्तन आने की उम्मीद है। अभी शहरी आबादी लगभग 30 प्रतिशत है। वर्ष 2030 तक शहरी आबादी 60 करोड़ और कुल आबादी में उसका हिस्सा 40 प्रतिशत पहुंच जाने की आशा है। इसके कारण शहरी अधिसंरचना में, खास कर इसके वर्तमान निम्न स्तर को देखते हुए, भारी विस्तार की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार शहरी संक्रमण का प्रबंधन आने वाले वर्षों में विशेष चुनौती प्रस्तुत करेगा।

बिहार में स्थिति और भी खराब है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी कुल आबादी का मात्र 11.3 प्रतिशत है। इस प्रकार राज्य में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग 1.7 करोड़ है। कुल जनसंख्या की वृद्धि दर (2.5 प्रतिशत) के मुकाबले शहरी आबादी की वृद्धि दर काफी अधिक (3.5 प्रतिशत) है। राज्य के शहरी पर्यावरण पर बढ़ती आबादी का दबाव शहरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर डाल रहा है। शहरी सुख-सुविधाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार अनेक पहलकदमियां ले रही है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीकरण मिशन

नगर विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में सात वर्षों की अवधि के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की शुरुआत शहरी क्षेत्रों में विद्यमान नागरिक सुविधाओं में चरणबद्ध ढंग से सुधार लाने के लिए हुई थी। मिशन के तहत स्थानीय नगर निकायों की क्षमतावृद्धि के लिए मुख्य निर्धनपक्षीय सुधारों में से तीन अनिवार्य सुधारों के क्रियान्वन पर जोर दिया गया है। इन सुधारों में शामिल हैं : (क) शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवाओं के लिए स्थानीय निकाय के बजट में धनराशि निर्धारण, (ख) सभी आवासीय परियोजनाओं में न्यूनतम 20-25 प्रतिशत विकसित भूमि का कमजोर तबकों/ निम्न आय वर्ग के लिए निर्धारण, तथा (ग) नगर नवीकरण, जलापूर्ति, स्वच्छता, नगर परिवहन, विरासत क्षेत्रों का विकास और जल निकायों के संरक्षण सहित सात बुनियादी सेवाओं के प्रावधान।

मिशन के घटक 'शहरी अधिसंरचना एवं अभिशासन' (यूआइजी) के तहत पूरे देश में 65 शहरों को चुना गया है जिसमें से बिहार के मात्र दो शहर - पटना और बोधगया - चुने गए हैं। शहरी अधिसंरचना एवं अभिशासन के मामले में उनकी दीर्घकालिक दृष्टि और ध्येयों को सूत्रबद्ध करते हुए दोनों शहरों के लिए सम्यक नगर विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। आम आदमी और शहरी गरीबों को प्रत्यक्ष लाभ देने वाले जलापूर्ति, स्वच्छता और जल निकासी जैसे क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मिशन के एक अन्य घटक शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) के तहत भी काम हाथ में लिए गए हैं। मिशन के घटक लघु एवं मध्यम नगर शहरी अधिसंरचना विकास योजना (यूआइडीएसएसएमटी) के तहत छोटे और मंझोले आकार के शहरों को शामिल किया जा रहा है। इसी प्रकार, छोटे और मंझोले आकार के शहरों में समेकित आवास एवं मलिन-बस्ती विकास कार्यक्रम (आइएचएसडीपी) भी चलाया जा रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा शहरी अधिसंरचना एवं अभिशासन के तहत कुल 758 करोड़ रु. परियोजना व्यय वाली 10 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सितंबर 2012 तक कुल स्वीकृत रकम में से 214.93 करोड़ रु. बिहार नगर विकास अभिकरण (बीयूडीए) के लिए और 191.61 करोड़ रु. क्रियान्वयक अभिकरण के लिए विमुक्त किए गए हैं। अधिकांश योजनाओं में काम या तो शुरू हुआ है या प्रगति पर है (तालिका प 4.4) (परिशिष्ट)। मिशन और राज्य सरकार के कोष से नगर विकास हेतु अनुमोदित परियोजनाओं की सूची तालिका प 4.5

(परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा के तहत पटना और बोधगया के लिए कुल 710 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से 22,372 मकानों का निर्माण स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार समेकित आवास एवं मलिन-बस्ती विकास कार्यक्रम के तहत, जिसका मुख्य प्रयोजन आवास और सड़क, नाली आदि बुनियादी अधिसंरचनाएं उपलब्ध कराना है, 25 स्थानीय नगर निकायों के लिए कुल 431.84 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से 18,594 आवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है।

तालिका 4.21 : समेकित आवास एवं मलिन-बस्ती विकास कार्यक्रम तथा शहरी गरीब हेतु बुनियादी सुविधा

	स्थानीय नगर निकाय	अनुमानित व्यय (करोड़ रु.)	स्वीकृत आवासों की संख्या
समेकित आवास एवं मलिन-बस्ती विकास कार्यक्रम	कांटी	3.20	143
	औरंगाबाद	3.08	247
	नरकटियागंज	3.84	300
	मोतीपुर	5.44	520
	रोसड़ा	14.32	1562
	शेखपुरा	2.38	207
	भागलपुर	16.55	1188
	किशनगंज	12.02	552
	बहादुरगंज	5.00	294
	पूर्णिया	14.90	1487
	बेगूसराय	24.50	853
	बिहारशरीफ	24.54	810
	आरा	31.22	754
	जोगबनी	12.71	321
	मधेपुरा	12.43	319
	सुपौल	7.99	207
	मुंगेर	20.19	784
	अररिया	21.26	728
	मधेपुरा - द्वितीय चरण	20.32	776
	सहरसा	19.32	820
	बाढ़	34.66	890
	गया	44.59	1747
	किशनगंज - द्वितीय चरण	30.55	1255
	जमुई	25.30	960
	फार्बिसगंज	21.53	870
	योग	431.84	18594
शहरी गरीब हेतु बुनियादी सुविधा	पटना	625.95	19124
	फुलवारीशरीफ	11.57	496
	खगौल	2.28	96
	दानापुर	15.6	656
	बोधगया	54.57	2000
	योग	709.97	22372

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

इसके अलावा, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत राज्य के 38 जिलों में सड़कों, नालियों, पार्कों आदि के विकास के लिए 139.19 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। साथ ही, बरबीघा में 15.73 करोड़ रु., भभुआ में 18.88 करोड़ रु., बख्तियारपुर में 5.11 करोड़ रु., लालगंज में 12.63 करोड़ रु. और चकिया में 12.85 करोड़ रु. के व्यय से सड़कों और नालियों का निर्माण शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने बिहार को पांच वर्षों के अंदर मलिन-बस्ती मुक्त करने का संकल्प लिया है और बिहार मंत्रिमंडल में 'मलिन-बस्ती नीति' पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जनसंख्या में भावी वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार शहरों में नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार कर रही है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, और आरा सहित नौ शहरों के लिए मास्टर प्लान जल्द ही तैयार हो जाएंगे।

केंद्र सरकार ने गंगा नदी के किनारे बसे 21 शहरों में मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि सुविधाओं में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार (एनजीआरबीए) की स्थापना की है। इस कार्यक्रम के तहत उसने राज्य के 4 शहरों (बेगूसराय, बक्सर, हाजीपुर और मुंगेर) में मलजल निकासी व्यवस्था के निर्माण और मलजल उपचार संयंत्रों की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इस मकसद से 441.86 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं और 15.16 करोड़ रु. राज्यांश सहित 35.37 करोड़ रु. विमुक्त किए गए हैं।

तालिका 4.22 : राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार के तहत स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रु.)

शहर का नाम	स्वीकृत राशि	विमुक्त राशि	राज्यांश
हाजीपुर	11362.00	795.00	340.71
बेगूसराय	6540.00	405.00	173.57
बक्सर	7495.00	337.00	144.43
मुंगेर	18789.00	2000.00	857.14
योग	44186.00	3537.00	1515.85

स्रोत : शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

4.10 सिंचाई

सिंचाई और जलछाजन प्रबंधन ग्रामीण अधिसंरचना के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं जो सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के अधिकारक्षेत्र में हैं। सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं के प्रावधान का उच्च कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसके कारण आय बढती है और राज्य के गरीबी अनुपात में कमी आती है। हालांकि बिहार में सामान्य वार्षिक वर्षापात का औसत 1200 मिमी है लेकिन मॉनसून के अनियमित होने के कारण सिंचाई सुविधाएं राज्य की मुख्यत: कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनिवार्य हो जाती हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सिंचाई के महत्व को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने सिंचाई क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी है और उपलब्ध जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के जरिए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

राज्य में सिंचाई के सामान्यत: छ: स्रोत हैं - भूतल सिंचाई (वृहत), भूतल सिंचाई (लघु), तालाब आहर-पइन सहित, नलकूप, अन्य कूप तथा अन्य स्रोत। चूंकि तालाबों और अन्य स्रोतों का महत्व समय के साथ घटता जा

रहा है इसलिए शेष चार स्रोत ही इस समय सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इनमें से कुल सिंचित क्षेत्र में दो-तिहाई लघु सिंचाई स्रोतों से होती है और एक-तिहाई वृहत एवं मध्यम स्रोतों से। बड़े, मंझोले और छोटे स्रोतों से निकली नहरें 7 चावल उत्पादक जिलों - रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, बांका और लखीसराय में अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

वृहत एवं मध्यम सिंचाई

वृहत एवं मध्यम सिंचाई श्रेणियों के तहत 53.33 लाख हे. की अधिकतम सिंचाई क्षमता में से राज्य में 2011-12 तक 28.93 लाख हे. (54.25 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का ही उपयोग किया जा सका था। वर्ष 2011-12 में विकसित सिंचाई क्षमता की 2001-02 के आंकड़ों के साथ तुलना करने से पता चलता है कि इस अवधि में सिंचाई क्षमता 1 प्रतिशत से कुछ ही अधिक बढ़ी है। हांलाकि राज्य सरकार इस मामले में सभी संभव प्रयास कर रही है और इस समय अनेक सिंचाई योजनाएं कार्याधीन हैं।

वर्षवार विकसित सिंचाई क्षमता और वृहत एवं मध्यम शीर्ष के जरिए विकसित वास्तविक सिंचाई क्षमता पर नजर डालने से पता चलता है कि उस वर्ष विकसित सिंचाई क्षमता और कुल सिंचित क्षेत्र के बीच भारी अंतर है। उपयोग दक्षता में भारी गिरावट आई जो 2001-02 के 66 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 42 प्रतिशत रह गई। लेकिन सौभाग्यवश उसके बाद से उसमें सुधार होने लगा और 2011-12 में यह 52 प्रतिशत थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नहर प्रणाली में भारी मात्रा में गाद जमने और उनके टूटने के कारण सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग मुश्किल हो गया है। बहरहाल, राज्य सरकार सिंचाई क्षमता की सिंचाई दक्षता बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है। विस्तार, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) के तहत अच्छी संख्या में बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं के आरंभ के चलते सिंचाई क्षमता में तजी से वृद्धि हो रही है और 2015 तक 12.50 लाख हे. सिंचाई क्षमता पुन:स्थापित हो जाने की आशा है।

तालिका 4.23 : बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग दक्षता

(आंकड़े हजार हे. में)

वर्ष	सृजित सिंचाई क्षमता	खरीफ		रबी		गरमा		कुल सिंचाई	दक्षता (%)
		लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई		
2001-02	2482	1667.97	1261.00	556.10	380.00	8.00	0.40	1641.40	66.12
2002-03	2509	1653.48	1189.09	463.37	390.87	16.68	15.16	1595.12	63.53
2003-04	2574	1653.48	1250.36	597.64	414.58	13.33	12.12	1677.06	65.15
2004-05	2619	1654.01	1161.58	448.13	355.08	12.96	11.79	1528.45	58.36
2005-06	2637	1642.77	1253.46	512.95	399.99	12.80	11.63	1665.08	63.14
2006-07	2833	1389.00	1220.77	477.63	453.05	11.60	10.90	1684.72	59.47
2007-08	2863	1440.69	1245.28	477.63	453.05	12.27	10.82	1709.15	59.70
2008-09	2873	1479.91	1275.28	442.63	388.51	12.91	2.25	1666.04	57.99
2009-10	2880	1450.51	884.77	384.87	317.68	0.00	0.00	1202.45	41.75
2010-11	2886	1365.03	907.13	408.65	318.93	0.00	0.00	1226.06	42.48
2011-12	2893	1305.46	1171.12	394.97	337.11	0.00	0.00	1508.23	52.14

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार कृषि रोड मैप के अनुरूप, 11.56 लाख हे. सिंचाई क्षमता विकसित करने के लिए 3,883 करोड़ रु. के कुल व्यय से 9 बड़ी और मंझोली योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है जिनसे 2017 तक 2.26 लाख हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी। विवरण तालिका प 4.6 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। इनके बारहवीं योजना अवधि (2012-17) में पूरा हो जाने की उम्मीद है। योजना अवधि में 12,283 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय वाली 7 नई योजनाएं भी प्रस्तावित हैं जिनसे 9.30 लाख हे. अतिरिक्त सिंचाई सुविधा विकसित होगी। विवरण तालिका प 4.7 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

नदियों का अंतर्संबंधन

वर्ष 2017 से 2022 के बीच बिहार के सूखाप्रवण क्षेत्रों की कुछ नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के तहत मुख्यत: बरसात के मौसम में पानी की अधिकता वाले नदी बेसिन से पानी कमी वाले बेसिन में स्थानांतरित किया जाएगा। इन योजनाओं के लिए वित्तीय आवश्यकताएं और इनके जरिए विकसित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की जानकारी तालिका 4.24 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.24 : वित्तीय आवश्यकताएं तथा 2017 से 2022 के बीच विकसित होने वाली अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

क्र. सं.	योजना का नाम	वित्तीय आवश्यकता (करोड़ रु.)	अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन (लाख हे.)
1	कोशी-मेची संपर्क नहर के जरिए कोशी के पानी का महानंदा बेसिन में स्थानांतरण	4442.00	2.43
2	धनर्जय जलाशय योजना का फुलवरिया जलाशय योजना के साथ संपर्क	273.00	सिंचाई और प्रस्तावित आणविक विद्युत संयंत्र हेतु फुलवरिया जलाशय में पानी का स्थिरीकरण
3	सकरी नदी पर बकसोती बराज योजना तथा बकसोती बराज नहर के जरिए सकरी के पानी का नाटा नदी में स्थानांतरण	540.00	0.20
4	उत्तर बिहार की नदियों के पानी को पंप करके गंगा पार अन्य नदी के बेसिन में स्थानांतरण (अन्वेषणाधीन)	12,000.00	8.00
5	क्षमता निर्माण (10%)	1725.00	-
	योग	18,980.00	10.63

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम)

राज्य में बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं में कमांड क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन चार कमांड क्षेत्र विकास अभिकरणों के जरिए 2012 से 2022 के बीच किया जाएगा। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआइबीपी) के जरिए वित्तपोषित है। कार्यक्रम के तहत

2012 से 2017 के बीच 1,672 करोड़ रु. के व्यय से 4.4 लाख हे. और 2017 से 2022 के बीच 1,867 करोड़ रु. के व्यय से 4.96 लाख हे. कमांड क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

राष्टोय जल नीति

पानी प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ विकास के लिए बुनियादी चीज है। यह विरल संसाधन भी है। भारत में विश्व की 17 प्रतिशत आबादी रहती है लेकिन विश्व का 4 प्रतिशत नवीकरणीय जल और 2.6 प्रतिशत भूक्षेत्र ही भारत में मौजूद है। समय और स्थान के लिहाज से असमान वितरण के कारण उपयोग लायक पानी और भी सीमित हो जाता है। इसके अलावा, देश के एक भाग में बार-बार आने वाली बाढ़ की चुनौती रहती है तो दूसरे क्षेत्र में सूखे की। बढ़ती आबादी और तेजी से विकसित हो रहे राष्ट को बढ़ती जरूरतों तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के कारण भविष्य में उपयोग लायक पानी पर भारी दबाव रहेगा जिसके कारण विभिन्न उपभोक्ता समूहों के बीच टकराव गहराने की आशंका बनी रहेगी। जल की कमी और इसके जीवनदायी और आर्थिक मूल्य के बारे में कम जागरूकता की परिणति इसके कुप्रबंधन, बर्बादी और अकुशल उपयोग के साथ-साथ प्रदूषण और न्यूनतम पारिस्थितिक जरूरतों से कम प्रवाह में होती है। साथ ही, वितरण के मामले में भी असमानता मौजूद है और जल संसाधनों के नियोजन, प्रबंधन तथा उपयोग के मामले में एकीकृत दृष्टिकोण की कमी है। इस पृष्ठभूमि में राष्टोय जल पर्षद ने दिसंबर 2012 में आयोजित अपनी बैठक में प्रारूप राष्टोय जल नीति की अनुशंसा की है। नीति का उद्दश्य वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेना, कानून और संस्था की व्यवस्था निर्मित करने के लिए ढांचा प्रस्तावित करना और एकीकृत राष्टोय परिप्रेक्ष्य के साथ कार्ययोजना तैयार करना है।

भारत में जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रबंधन ने अनेक चिंताएं बढ़ा दी हैं। नीति में उनके निवारण की जरूरत को भी रेखांकित किया गया है। अंतिम राष्ट्रीय जल नीति अभी तैयार नहीं है। हालांकि पानी के अधिशेष से युक्त समझे जाने वाले बिहार जैसे पूर्वी राज्यों ने नीति के मामले में आपत्ति प्रकट की है। चूंकि पानी राज्य का विषय है इसलिए बिहार जल संसाधनों के प्रबंधन अथवा नियंत्रण के लिए किसी केंद्रीय विधान या केंद्रीय संस्थान के पक्ष में नहीं है। पानी पर सामान्य नीतियों के मामले में राष्ट्रीय रूपरेखा भर ही हो सकती है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा तैयार बिहार कृषि रोड मैप का राष्ट्रपति द्वारा शुभारंभ किया गया है। इसका मकसद राज्य में इंद्रधनुषी क्रांति लाना है जिसमें सिंचाई क्षमता को 83 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017 तक 158 प्रतिशत और 2022 तक 209 प्रतिशत करना शामिल है। इस प्रकार बिहार में कृषि के लिए पानी की जरूरत बढ़ेगी। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

लघु सिंचाई

अधिकतम 2000 हे. तक कमांड क्षेत्र वाली भूतल और भूजल सिंचाई योजनाएं लघु सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और लघु जल संसाधन क्षेत्र के अधीन हैं। विभाग भूतल और भूजल, दोनों जलस्रोतों से सिंचाई क्षमता विकसित करने और उसे अत्यंत कम समय में कम खर्च पर किसानों को उपयोग के लिए उपलब्ध कराने में लगा है। तालिका 4.25 में देखा जा सकता है कि राज्य में लघु सिंचाई के जरिए भूतल और भूजल, दोनों स्रोतों

से सिंचाई की अधिकतम संभावना 64 लाख हे. है जिसमें से 34 लाख हे. (लगभग 53 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है। बारहवीं योजना अवधि में कुल 236 लाख हे. नई सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। निजी नलकूपों की जिलावार संख्या और उनके द्वारा विकसित सिंचाई क्षमता तालिका प 4.8 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

तालिका 4.25 : बिहार में लघु सिंचाई स्रोतों की स्थिति

(हजार हे. में)

मद	अधिकतम संभावना	विकसित क्षमता (2007-12)	नई सिंचाई क्षमता (12वीं योजना)
1. भूतल सिंचाई	1544	519	1025
(i) आहर/ पइन/ सिंचाई तालाब		164	723
(ii) उद्वह सिंचाई		202	100
(iii) भूतल लघु सिंचाई वीयर/ स्लूइस गेट		153	202
2. भूजल सिंचाई	4857	2899	1336
(i) सरकारी नलकूप		647	508
(ii) निजी नलकूप		2252	828
योग	6401	3418	2361

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 4.26 में देखा जा सकता है कि लघु सिंचाई स्रोतों से कुल सिंचित क्षेत्र 2011-12 में लगभग 33 लाख हे. था जिसमें कुल सिंचित क्षेत्र का 93 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के नलकूपों का था। यह भी देखा जा सकता है कि 2008-09 में लघु स्रोतों से सिंचित कुल क्षेत्र 32.54 लाख हे. था जो 1.51 प्रतिशत बढ़कर 2011-12 में 33.03 लाख हे. हो गया।

तालिका 4.26 : लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13, अक्तू. 2012
छोटी नहरें	29.21	17.59	23	52.00	36.57
तालाब (आहर एवं पइन सहित)	332.56	332.56	अनु.	22.79	45.99
नलकूप (निजी और सरकारी)	2722.39	2726.6	2803.45	3082.08	2246.79
अन्य कुएं (सिंचाई कूप)	145.79	145.79	145.79	135.00	101.25
अन्य स्रोत (उद्वह एवं दोन)	24.36	16.74	15.50	11.61	13.159
योग	3254.31	3239.28	2987.74	3303.48	2443.76

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

आहर-पइन

बिहार में सैंकड़ों साल पुरानी सिंचाई तालाबों से युक्त आहर-पइन की पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था मौजूद है जो कालक्रम में क्रमशः अक्रियाशील होती जा रही है। हालांकि राज्य सरकार इन पारंपरिक सिंचाई स्रोतों के महत्व के प्रति जागरूक है और उनको पुनर्जीवित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। वर्ष 2006 में आहर-पइनों के जीर्णोद्धार की योजनाएं लघु जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थीं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य के 17 जिलों में मौजूद कुल 20,938 आहर-पइनों में से कुल 8.87 लाख हे. सिंचाई क्षमता वाली 2,237 आहर-पइनों को जीर्णोद्धार हेतु चुना गया है। वर्ष 2012 तक इनमें से 217 पर काम पूरा हो गया है और 250 पर कार्य जारी है। पूरी और जारी योजनाओं को मिलाकर 1.64 लाख हे. सिंचाई क्षमता विकसित होगी। हालांकि कुल 7.23 लाख हे. सिंचाई क्षमता वाली 1,770 योजनाओं पर काम किया जाना अभी भी बाकी है। योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य योजना और मुख्यमंत्री आहर-पइन सिंचाई योजना में उपलब्ध संसाधनों से किया गया है।

तालिका 4.27 : आहर-पइनों/ सिंचाई तालाबों के जिलावार आंकड़े

जिला	विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार समेकित योजनाओं की सं.	सिंचाई क्षमता (हजार हे.)	आहर/ पइन/ तालाब सिंचाई के तहत 5 वर्षों में चली योजनाओं की सं.		विकसित सिंचाई क्षमता (हजार हे.)	जिला	विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार समेकित योजनाओं की सं.	सिंचाई क्षमता (हजार हे.)	आहर/ पइन/ तालाब सिंचाई के तहत 5 वर्षों में चली योजनाओं की सं.		विकसित सिंचाई क्षमता (हजार हे.)
			पूरी	जारी					पूरी	जारी	
पटना	215	175.38	20	34	35.15	जहानाबाद	48	78.67	30	16	10.10
नालंदा	155	57.68	45	44	27.58	अरवल	18	15.10	0	3	1.26
भोजपुर	46	19.37	0	10	5.17	भागलपुर	70	8.85	0	2	1.30
बक्सर	41	24.16	0	5	1.48	बांका	79	10.95	0	4	0.28
कैमूर	103	26.56	0	4	0.72	मुंगेर	73	10.73	0	2	0.24
रोहतास	57	37.42	0	4	2.00	जमुई	600	166.92	66	32	24.12
औरंगाबाद	73	44.60	0	7	3.92	लखीसराय	86	16.11	0	10	1.00
गया	309	103.22	53	48	31.39	शेखपुरा	48	10.36	0	5	6.14
नवादा	216	80.78	3	20	12.00	योग	2237	886.86	217	250	163.86

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार ने 10 वर्षों (2012-22) के लिए कृषि रोड मैप तैयार किया है। योजना के अनुसार सिंचाई सघनता को 85 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 2017 तक 159 प्रतिशत और 2022 तक 209 प्रतिशत करना है। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 2012 से 2017 के बीच 10.25 लाख हे. सिंचाई क्षमता विकसित करने और भूतल योजनाओं के क्रियान्वयन के जरिए पूर्वसृजित 2.83 लाख हे. सिंचाई क्षमता को पुनःस्थापित करने की योजना है। इसी प्रकार भूजल योजनाओं के जरिए 113.36 लाख हे. सिंचाई क्षमता विकसित और कमांड क्षेत्र के तहत 2.83 लाख हे. सिंचाई क्षमता पुनःस्थापित की जाएगी।

बहरहाल, भूतल योजनाओं के जरिए 2017 से 2022 के बीच 0.39 लाख हे. सिंचाई क्षमता की पुनःस्थापना प्रस्तावित है। इसके अलावा, भूजल योजनाओं के जरिए 21.08 लाख हे. सिंचाई सुविधा विकसित और 6.20

लाख हे. सिंचाई सुविधा पुन:स्थापित की जाएगी। इस प्रकार, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा सभी 17 जिलों में आहर-पइन के जीर्णोद्धार और छिछले नलकूप की योजनाओं तथा स्लूइस गेट, वीयर आदि के जरिए अगले 10 वर्षों में भूजल से सिंचाई की संभावना का शत-प्रतिशत उपयोग प्रस्तावित है। इसी प्रकार, ईख उत्पादक क्षेत्रों और दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित करने के लिए मध्यवर्ती गहराई के 25,400 नलकूप लगाने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री आहर-पइन परियोजना

इस परियोजना के तहत 229 योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है जिनके मार्च 2013 तक पूरा हो जाने की संभावना ह। इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर 1.22 लाख हे. में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा विकसित होगी। अभी तक 35 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन योजनाओं में 415 पुरानी और जीर्णशीर्ण सिंचाई योजनाओं को भी शामिल किया गया है जिनसे 31,286 हे. अतिरिक्त सिंचाई सुविधा विकसित होगी।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सूखाप्रवण जमुई जिले में 23,466 हे. सिंचाई सुविधा विकसित की गई है और मार्च 2013 तक अन्य 32 योजानओं को पूरा करके 15,120 हे. अतिरिक्त सिंचाई सुविधा विकसित करने का कार्यक्रम है। जमुई और नवादा जिलों की 221 करोड़ रु. अनुमानित व्यय वाली 134 योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। इन योजनाओं के पूरा होने से दोनों जिलों में 59,037 हे. अतिरिक्त सिंचाई सुविधा विकसित होगी।

जल निकायों का पुनर्वास, पुनर्निर्माण और मरम्मत

जल निकाय पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं मरम्मत योजनाओं के तहत मार्गदर्शी परियोजनाओं के बतौर 6 योजनाओं के पूरा होने से 1,445 हे. सिंचाई सुविधा विकसित हुई है। अभी पटना, जहानाबाद, गया और रोहतास जिलों में 15 योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है जिनके मार्च 2013 तक पूरा हो जाने पर 15,718 हे. सिंचाई सुविधा विकसित होगी। इसके अतिरिक्त, 127 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय वाली 39 योजनाएं जल संसाधन मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु समर्पित की गई हैं जिनके पूरा होन पर 27,513 हे. सिंचाई क्षमता विकसित होगी।

राजकीय नलकूप

मंझोली गहराई वाले 2,758 नलकूपों के मामले में निर्माण कार्य मार्च 2012 तक पूरा कर लिया गया था जिनको ऊर्जा उपलब्ध कराने का काम शुरू किया गया है। अभी तक 130 नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है जिनसे 5,200 हे. जमीन की सिंचाई होगी। शेष नलकूपों का ऊर्जान्वयन प्रगति पर है।

4.11 बिहार में विद्युत क्षेत्र

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान बिहार में तेज विकास दिखा है जिसका मुख्य कारण द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का विकास है। इसके कारण प्रति व्यक्ति आय में तेज वृद्धि हुई जो 10.47 प्रतिशत की दर से बढ़ा - राष्ट्रीय औसत से 4 प्रतिशत अधिक। हालांकि विद्युत क्षेत्र के विकास में यह अभी भी प्रतिबिंबित नहीं हुआ है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत अभी भी 117 किलोवाट आवर है जबकि राष्ट्रीय औसत 813

किलोवाट आवर है। गत 6 वर्षों के दौरान राज्य में बिजली की मांग लगभग 8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। हालांकि आपूर्ति की स्थिति नितांत अपर्याप्त रही है जिसके कारण चरम मांग के समय काफी अधिक कमी रही है। केंद्रीय विद्युत आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 में चरम कमी (पीक डफिसिट) 31.0 प्रतिशत और ऊर्जा की मांग के लिहाज से कमी 20.2 प्रतिशत के आसपास होगी। गत कुछ वर्षों के दौरान कमी के आंकड़े नीचे के आरेख में प्रस्तुत हैं :

चार्ट 4.8 : आवश्यक विद्युत संबंधी कमी

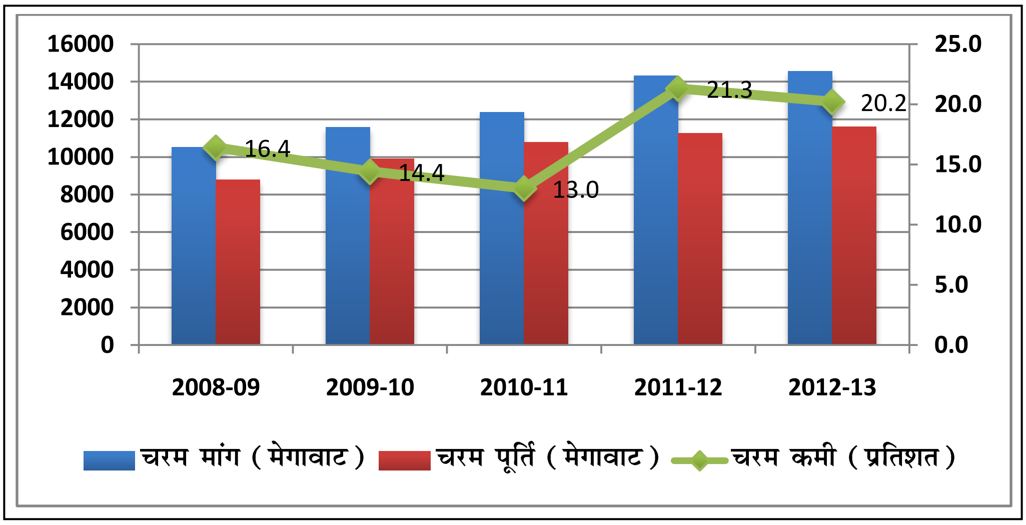

स्रोत : पावर सेक्टर एँट ए ग्लांस, नवंबर 2012, विद्युत नियामक प्राधिकरण

चार्ट 4.9 : चरम मांग संबंधी कमी

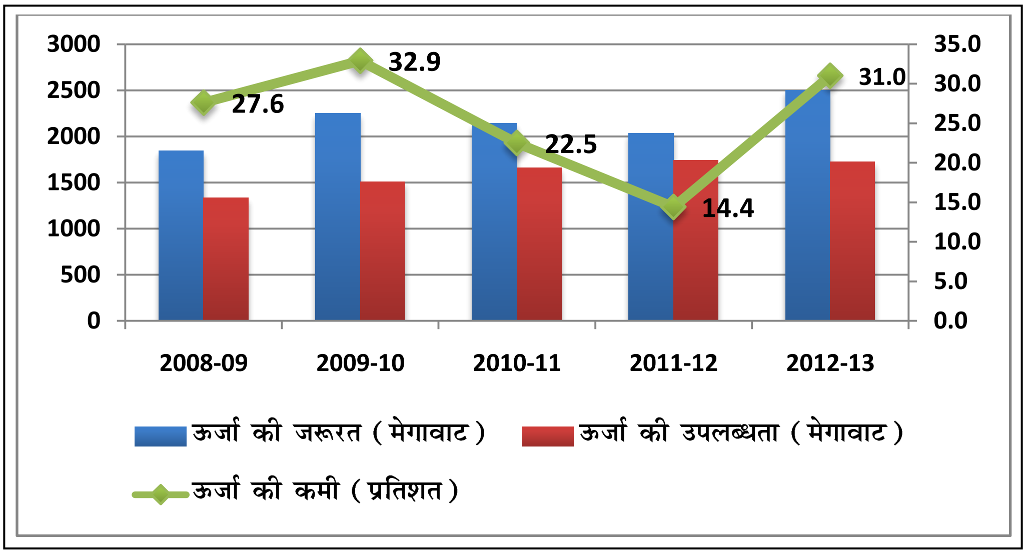

स्रोत : पावर सेक्टर एँट ए ग्लांस, नवंबर 2012, विद्युत नियामक प्राधिकरण

बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में तीन प्रमुख अभिकरण कार्यशील हैं - बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी), बिहार राज्य जलविद्युत निगम लि. (बीएचएसपीसी) तथा बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा)। परवर्ती खंडों में गत वर्ष की उनकी उपलब्धियों और चुनौतियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की मूल रूप में स्थापना विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद 5 के तहत 1 अप्रील, 1958 को हुई थी और उसे बिहार में विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण तथा संबंधित गतिविधियों के लिए अधिदेशित किया गया था। नई बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना, 2012 के तहत बोर्ड को पांच कंपनियों में बांट दिया गया है जो 1 नवंबर 2012 से प्रभावी हो गया है। ये कंपनियां हैं – बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी), बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी।

चार्ट 4.10 : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का विभाजन

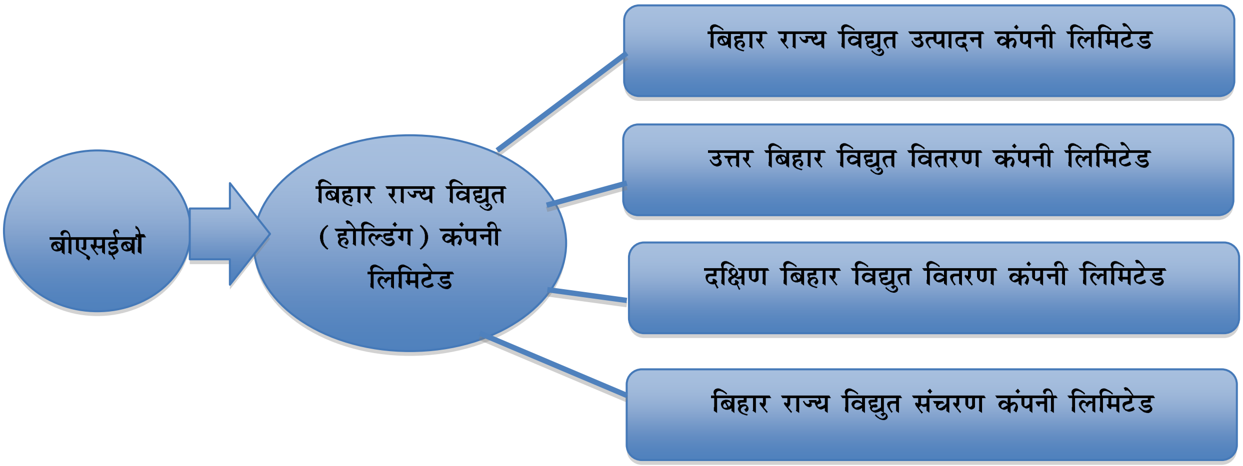

बिहार में ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण के पहले नवगठित कंपनियों की भूमिकाएं और दायित्व नीचे वर्णित हैं :

- बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसी) चार कंपनियों – बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि., बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लि., उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. – की होल्डिंग कंपनी है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है और संपत्ति के हित, अधिकार और दायित्व सुपुर्द किए गए हैं। कंपनी मुख्यत: निवेश करने वाली कंपनी होगी। यह उनकी गतिविधियों का समन्वय और विवादों का निपटारा करेगी तथा उन्हें सारा आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी।

- बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. (बीएसपीजीसी) उत्पादन केंद्रों के निर्माण, संचालन एवं रखरखाव तथा संबंधित सुविधाओं संबंधी तमाम मामलों में विद्युत उत्पादन में लगी अपनी सहायक कंपनियों सहित अन्य कंपनियों आदि का समन्वय करने और उन्हें सुझाव देने के लिए जवाबदेह है। यह इंधन की खरीद और विभिन्न स्थलों तक उनके परिवहन तथा लंबित विवादों के निपटारे के लिए भी जवाबदेह है।

- बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लि. (बीएसपीटीसी) विद्युत संचरण के लिए जवाबदेह है। उसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण विषयक परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है और संपत्ति के हित, अधिकार और दायित्व सुपुर्द किए गए हैं। यह कंपनी अंतर-राज्य संचरण संबंधी गतिविधियों का योजना निर्माण और समन्वय करेगी और उत्पादन केंद्रों से भार केंद्रों (लोड सेंटर) तक बिजली के सुगम संचाार के लिए अंतर-राज्य संचरण लाइनों की कुशल और किफायती व्यवस्था विकसित करेगी।

- उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. सभी उपभोक्ताओं को बिजली का वितरण, बिजली का व्यापार, ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का क्रियान्वयन और विद्युत अधिनियम, 2003 तथा नियंत्रक के दिशानिर्देश के अनुसार वितरण की खुली उपलब्धता शुरू करने का काम करेंगी। वे बिजली की खरीद या बिक्री के लिए विद्युत क्रय समझौते तथा अन्य समझौतों के लिए निविदा जारी करेंगी, उन्हें अंतिम रूप देंगी और निष्पादित करेंगी।

वर्ष 2012-13 में विभिन्न शीर्षों के तहत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लिए आबंटन निर्धारण तालिका 4.28 में प्रस्तुत है। आबंटन शीर्षों में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार परियोजना (आर-एपीडीआरपी) भी शामिल है। चूंकि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का विभाजन नवंबर 2012 में हुआ इसलिए परवर्ती खंडों में चर्चा नीचे की तालिका में सूचीबद्ध बोर्ड के शीर्षों पर ही की जाएगी।

तालिका 4.28 : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का अनुमोदित परिव्यय (2012-13)

शीर्ष	परिव्यय (करोड़ रु.)
उत्पादन	559.73
संचरण	92.01
वितरण	287.15
आर-एपीडीआरपी/ एपीडीआरपी	64.07
योग	**1002.96**

उत्पादन

बिहार में बिजली की समस्या दुहरी है। एक तो बिहार बिजली आपूर्ति के लिए पूरी तरह केंद्र सरकार पर निर्भर है। हालांकि राज्य में दो बड़ी विद्युत उत्पादन इकाइयां है लेकिन इस समय कोई भी चालू नहीं है। राज्य को होने वाला वार्षिक आबंटन लगभग 1,772 मेगावाट है जिसमें से औसतन 900 से 1,000 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध होती है। इससे राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति और भी खराब हो जाती है। तालिका 4.29 में विभिन्न केंद्रीय विद्युत केंद्रों से राज्य को होने वाला विद्युत आबंटन दर्शाया गया है। दूसरे, बिहार लगभग पूरी तरह तापविद्युत पर निर्भर है। 494.3 मेगावाट स्थापित क्षमता में से 440 मेगावाट तापविद्युत है और शेष 54.3

मेगावाट जलविद्युत। चूंकि तापविद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला लिंकेज प्राप्त करना आसान नहीं है इसलिए उत्पादन इकाइयों की क्षमता अवरुद्ध हो जाना आए दिन की परिघटना है। आयातित कोयले का उपयोग स्पष्टत: कोई समाधान नहीं है। इसीलिए कोयला आधारित संयंत्रों को भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा का एकमात्र निर्भरणीय विकल्प के बतौर नहीं देखा जाना चाहिए।

तालिका 4.29 : केंद्रीय विद्युत केंद्रों से विद्युत आबंटन

केंद्रों के नाम	क्षमता (मेगावाट)	बिहार का अंशभाग	
		मेगावाट	प्रतिशत
राष्टोय तापविद्युत निगम			
फरक्का सुपर तापविद्युत केंद्र	1600	466.40	29.15
तलचर सुपर तापविद्युत केंद्र	1000	397.90	39.79
कहलगांव सुपर तापविद्युत केंद्र-1	840	338.27	40.27
कहलगांव सुपर तापविद्युत केंद्र-2	1500	100.00	6.67
पीएचसी			
टाला जलविद्युत केंद्र	1020	260.10	25.50
चूखा जलविद्युत केंद्र	270	80.00	29.62
राष्टोय जलविद्युत निगम			
रंगित जलविद्युत केंद्र	60	21.00	35.00
तिस्ता जलविद्युत केंद्र	510	108.43	21.26
योग		**1772.00**	

स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन 2011-12, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में निम्नलिखित तीन विद्युत उत्पादन संयंत्र बचे :

(क) **बरौनी तापविद्युत केंद्र (बीटीपीएस) :** बरौनी तापविद्युत केंद्र राजकीय क्षेत्र का अकेला विद्युत केंद्र है। इसका निर्माण तीन चरणों में हुआ था। इसमें 7 इकाइयां हैं जिनमें से छठी और सातवीं इकाइयां ही चलाने के लिए उपलब्ध हैं (तालिका 4.30)। बहरहाल, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य के लिए इकाई 6 और 7 को भी बंद कर दिया गया है। आशा है कि एक इकाई दिसंबर 2013 तक और दूसरी मई 2013 तक चालू हो जाएगी। 581.2 करोड़ रु. के व्यय से इनके जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य की जवाबदेही भेल (भारत हेवी इलक्ट्रिकल्स लि.) पर है। बरौनी केंद्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जारी जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य के अलावा, वर्तमान इकाइयों के साथ-साथ 250 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयों की स्थापना भी प्रस्तावित है। प्रस्तावित इकाइयों के लिए अनुमानित व्यय 3,666 करोड़ रु. है। प्रस्तावित 70:30 ऋण-इक्विटी अनुपात के तहत ऋण वाले भाग का वित्तपोषण राज्य

सरकार के विद्युत वित्त निगम और बैंकों द्वारा किया जाएगा तथा इक्विटी वाले भाग का जेनको और/ या राज्य सरकार द्वारा। आशा है कि दोनों में से एक इकाई सितंबर 2015 तक चालू हा जाएगी। बरौनी तापविद्युत केंद्र हेतु नियोजित पूंजीगत व्यय तालिका 4.31 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.30 : बरौनी तापविद्युत केंद्र की वर्तमान स्थिति (30.08.2012 को)

चरण	इकाई	क्षमता/ पुनर्निधारित क्षमता	निर्माण तिथि	वर्तमान स्थिति
I	1	15 मेगावाट	26/01/1966	16/02/1983 को सेवानिवृत्त
	2	15 मेगावाट	16/01/1963	26/11/1985 को सेवानिवृत्त
	3	15 मेगावाट	20/10/1963	05/10/1985 को सेवानिवृत्त
II	4	50 मेगावाट	09/11/1969	12/03/2012 को सेवानिवृत्त
	5	50 मेगावाट	01/12/1971	12/02/2012 को सेवानिवृत्त
III	6	110/105 मेगावाट	01/12/1984	जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के अधीन
	7	110/105 मेगावाट	31/03/2005	जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के अधीन

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी

तालिका 4.31 : बरौनी तापविद्युत केंद्र हेतु नियोजित पूंजीगत व्यय

(करोड़ रु.)

	कुल परियोजना व्यय	विमुक्त राशि	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बरौनी केंद्र का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (इकाई 6 और 7)	581.2	431.8	0	149.44	0	0
केंद्र का विस्तार (इकाई 8 और 9)	3666	346	750	792.41	799.96	830.14
केंद्र में अधिसंरचना सुदृढ़ीकरण	253.69	0	0	87.87	55.36	57.45
केंद्र हेतु गंगा नदी जल योजना	173	54	0	59.92	37.75	21.33
कुल निवेश	**4673.9**	**831.8**	**750**	**1069.64**	**893.1**	**906.9**

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी

बरौनी तापविद्युत केंद्र में अधिसंरचना सुविधाओं के सुदृढोकरण में संपर्कपथ, और पानी तथा उपचार योग्य जल की उपलब्धता शामिल हैं। केंद्र के लिए जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने 60 क्यूसेक और केंद्रीय जल आयोग ने 45 क्यूसेक पानी के लिए अनुमति प्रदान की है। केंद्र की दो

निर्माणाधीन इकाइयां के लिए राज्य सरकार अंतरिम कोल लिंकेज पाने में भी सफल रही है जब तक कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड और बिहार राज्य खनिज विकास निगम को कोयले की खोज और खनन के लिए आबंटित उरमा पहाड़ीटोला कोल ब्लॉक में तकरीबन 2018 तक उत्पादन शुरू नहीं हो जाता है।

(ख) **मुजफ्फरपुर तापविद्युत केंद्र :** राष्ट्रीय तापविद्युत निगम की पूर्णत: अंगीभूत कंपनी कांटी बिजली उत्पादन निगम लि. (केबीयूएनएल) ने मुजफ्फरपुर तापविद्युत केंद्र की 110 मेगावाट की दो इकाइयों का अधिग्रहण कर लिया है। कांटी बिजली उत्पादन निगम में राष्ट्रीय तापविद्युत निगम की 64.57 प्रतिशत और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (अब बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी) की शेष 35.43 प्रतिशत इक्विटी है। केंद्र से उत्पादित बिजली की आपूर्ति बिहार को की जाएगी। अभी दोनों इकाइयों में भेल द्वारा जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है।

(ग) **कोशी जलविद्युत केंद्र (केएचपीएस) :** कोशी जलविद्युत केंद्र में 4.8 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं। इसका निर्माण 1970 से 1978 के बीच हुआ था और बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) को 2003 में हस्तांतरित किया गया था।

तालिका 4.32 : कोशी जलविद्युत केंद्र की इकाइयों की वर्तमान स्थिति

इकाई	क्षमता	निर्माण तिथि	वर्तमान स्थिति
1	4.8 मेगावाट	अप्रील 1970	कोशी जलविद्युत केंद्र 16/11/2003 को बिहार राज्य जलविद्युत निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है।
2	4.8 मेगावाट	मार्च 1971	
3	4.8 मेगावाट	अक्तूबर 1973	
4	4.8 मेगावाट	अक्तूबर 1978	
योग	**19.2 मेगावाट**		

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी

राज्य में ऊर्जा की जरूरत निकट भविष्य में तेजी से बढ़कर 2,000 मेगावाट से 6,000 मेगावाट तक पहुंच जाने की आशा है। इसकी पूर्ति के लिहाज विद्युत उत्पादन में क्षमता विस्तार के लिए राज्य सरकार ने अनेक अन्य परियोजनाओं की भी योजना बनाई है। बिहार में निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा संयुक्त उपक्रम के बतौर भविष्य में स्थापित होने वाली परियोजनाओं की सूची तालिका 4.33 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.33 : बिहार की आगामी परियोजनाएं

	क्षमता (मेगावाट)	अभिकरण	अभ्युक्ति
क) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अंतर्गत			
(i) बरौनी तापविद्युत केंद्र का विस्तार - जिला बेगूसराय	2x 250 मेगावाट	बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कं	कार्य प्रगति पर, भेल द्वारा क्रियान्वयन
ख) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और राष्ट्रीय तापविद्युत निगम के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत			
(i) कांटी तापविद्युत केंद्र का विस्तार, कांटी, मुजफ्फरपुर	2x 195 मेगावाट	केबीयूएनएल	कार्य प्रगति पर, भेल द्वारा क्रियान्वयन
(ii) नबीनगर, जिला औरंगाबाद में नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी	3x 660 मेगावाट	एनपीजीसीपीएल	भूमि की भौतिक दखल प्रक्रियाधीन। बिहार सरकार ने 125 क्यूसेक पानी के लिए स्वीकृति दे दी है।
ग) निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत टैरिफ आधारित बोली के जरिए			
(i) बक्सर तापविद्युत केंद्र, चौसा, जिला - बक्सर	2x 660 मेगावाट	निजी-बीपीआइसीपीएल	केंद्रीय जल आयोग द्वारा 55 क्यूसेक पानी हेतु स्वीकृति। कोयला आबंटन हेतु कोयला मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत। भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन।
(ii) लखीसराय तापविद्युत केंद्र, कजरा (लखीसराय)	2x 660 मेगावाट	निजी-बीपीआइसीपीएल	केंद्रीय जल आयोग द्वारा 55 क्यूसेक पानी हेतु स्वीकृति। कोयला आबंटन हेतु कोयला मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत। भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन।
(iii) पीरपैंती तापविद्युत केंद्र, पीरपैंती (भागलपुर)	2x 660 मेगावाट	निजी-बीपीआइसीपीएल	केंद्रीय जल आयोग द्वारा 55 क्यूसेक पानी हेतु स्वीकृति। कोयला आबंटन हेतु कोयला मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत। भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन।
घ) निजी क्षेत्र के अंतर्गत			
(i) जेएएस इनफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., नागपुर - बांका, भागलपुर में	4 x 660 मेगावाट	निजी- जेएएस	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन
(ii) नालंदा पावर कंपनी लि., कोलकाता - पीरपैंती, भागलपुर में	2000 मेगावाट	निजी-नालंदा	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन
(iii) गंगा पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लि., कोलकाता, पीरपैंती में	2x 660 मेगावाट	निजी-आधुनिक	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन
(iv) इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लि., कोलकाता, पूर्व चंपारण में	2x 660 मेगावाट	निजी-इंडिया पावर	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन
(v) ट्राइटन इनर्जी लि., गुड़गांव, हरियाणा - बारुन, औरंगाबाद में	2x 660 मेगावाट	निजी-ट्राइटन	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन
(vi) एस्सार पावर लि., रांची - पीरपैंती, भागलपुर में	3x 660 मेगावाट	निजी-एस्सार पावर	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन
(vii) उषा मार्टिन लि. - पीरपैंती, भागलपुर में	1200-1320 मेगावाट	निजी-उषा मार्टिन	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन
(viii) सर्वोत्तम इनफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस, कोलकाता, कहलगांव में	540 मेगावाट	निजी-सर्वोत्तम	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन
(ix) एर्रिसन पावर लि., कोलकाता, बांका में	2x660 मेगावाट	निजी-एर्रिसन	भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन
(x) ग्लोबल पावमिन लि., कोलकाता, नवादा में	4x660 मेगावाट	निजी - ग्लोबल	
(xi) मिराक पावर प्रा. लि. हैदराबाद, लखीसराय में	2x660 मेगावाट	निजी - मिराक	जमीन चिन्हित
(xii) एईएस इंडिया प्रा. लि., गुड़गांव, जगदीशपुर, भागलपुर में	2x660 मेगावाट	निजी - एईएस	भूमि अधिग्रहण का शीर्ष आरंभ
च) आणविक विद्युत परियोजना			
(i) रजौली में आणविक विद्युत संयंत्र लगाने के लिए भारतीय आणविक विद्युत निगम लि. से अनुरोध	4x700 मेगावाट	एनपीसीआइएल	पर्याप्त जल अनुपब्ध, अत: अतिरिक्त तापविद्युत केंद्र का निर्माण

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

संचरण

संचरण नेटवर्क विद्युत उत्पादन और आपूर्ति के वितरण के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के बतौर काम करता है। संचरण नेटवर्क की चुनौती इन दोनों घटकों के विकास के साथ तालमेल बनाए रखना है। 18वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार बिजली की प्रति व्यक्ति खपत का स्तर 770 किलोवाट आवर तक पहुंचाने के लिए बिहार को 17 हजार अतिरिक्त गांवों का विद्युतीकरण करना होगा और 2016-17 तक विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 14,000 मेगावाट करना होगा। प्रत्याशित विकास को देखते हुए संचरण प्रणाली का पर्याप्त और समय से सशक्तीकरण करने और ग्रिड स्थायित्व तथा आपूर्ति की गुणवत्ता बरकरार रखन की जरूरत होगी।

बिहार में बिजली का संचरण 400 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट और 132 किलोवोल्ट स्तर पर होता है। बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी के संचरण नेटवर्क में 85 उपकेंद्र और लगभग 6,400 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) लंबी संचरण लाइनें हैं। संचरण व्यवस्था 5,418.4 मेगावाट-एंपीयर बिजली का संचरण करने में सक्षम है। मार्च 2012 तक मौजूद संचरण अधिसंरचना के विवरण तालिका 4.34 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.34 : संचरण - विद्यमान अधिसंरचना

वोल्टेज	उपकेंद्रों की संख्या	लाइन की लंबाई (सीकेएम)	ट्रांसफर्मरों की क्षमता (मेगावाट एंपियर)
400 किलो वोल्ट	-	75	-
220 किलो वोल्ट	9	1147	2450
132 किलो वोल्ट	76	5178	4588
योग	85	6400	

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी की कार्ययोजना, नवंबर 2012

विगत कुछ वर्षों में उपकेंद्रों की संख्या और ट्रांफर्मरों की क्षमता, दोनों में मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि आगामी वर्षों में बिजली की उपलब्धता और खुदरा बिक्री में संभावित जबर्दस्त विकास को देखते हुए विस्तार और उपयुक्त जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण योजनाओं के जरिए संचरण के क्षेत्र का और अधिक सुदृढ़ीकरण करने की जरूरत है। अत: बिजली की बढती जरूरतों के अनुरूप अपनी गति बरकरार रखना नई संचरण कंपनी के लिए प्रमुख चुनौती होगा।

संचरण व्यवस्था के सुधार और विस्तार का काम राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत दो चरणों में किया जा रहा है जो भारतीय पावर ग्रिड निगम लि. (पीजीसीआइएल) द्वारा समर्थित है। कार्यक्रम के पहले चरण में 486.40 करोड़ रु. के व्यय से 17 ग्रिड उपकेंद्रों, 1 विद्युत केंद्र और 876 किमी संचरण लाइनों का निर्माणकार्य पूरा किया गया है। दूसरे चरण के पहले भाग में 1,005.72 करोड़ रु. खर्च वाला काम प्रगति पर है। 7 नए ग्रिड उपकेंद्रों का निर्माण आर 18 पुराने ग्रिड उपकेंद्रों का विस्तार तथा 1,015 किमी लंबी संचरण लाइनों का निर्माण पूरा हो गया है। दूसरे चरण के दूसरे भाग में भी 6 नए ग्रिड उपकेंद्रों का निर्माण, 11 पुराने ग्रिड उपकेंद्रों का विस्तार तथा 687 सर्किट किमी संचरण लाइनों का निर्माण पूरा हो गया है। दूसरे चरण का शेष काम जारी है।

साथ ही, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी की नई संचरण लाइनों और उपकेंद्रों के निर्माण के साथ-साथ वर्तमान संचरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षमता विस्तार तथा जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए भी पूंजीगत व्यय करने की योजना है। इस मकसद से 6,845 करोड़ रु. का निवेश करने की योजना बनाई गई है। इसमें से 3,957 करोड़ रु. का निवेश 2013-14 से 2015-16 के बीच करने की योजना है जिसके विवरण तालिका 4.35 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.35 : संचरण कार्य हेतु पूंजी निवेश की योजना

क्र. सं.	योजनागत योजना	पूंजी निवेश की योजना
1.	बारहवीं योजना - 18वां विद्युत शक्ति सर्वेक्षण (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)	3450
2.	संचरण संबंधी अवरोधों का तत्काल निराकरण	310
3.	एशियाई विकास बैंक वित्तपोषित योजना	197
	कुल योग	**3957**

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी की कार्ययोजना, नवंबर 2012

उक्त कुल व्यय में बिहार विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजना का व्यय भी शामिल है जिसका वित्तपोषण एशियाई विकास बैंक द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के संचरण संबंधी घटक में नए संचरण उपकेंद्रों का क्षमता निर्माण, वर्तमान उपकेंद्रों की क्षमता का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण तथा नई अथवा उत्क्रमित संचरण लाइनें जोड़ना शामिल हैं (तालिका 4.36)।

तालिका 4.36 : बिहार विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजना - वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	परियोजना	व्यय (करोड़ रु.)
1	धनहा (पश्चिम चंपारण) में टर्नकी आधार पर 50 मेगावाट आवर के 2 तथा 132/33 किलोवोल्ट के ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण	**49.15**
2	गंगवारा (दरभंगा) में टर्नकी आधार पर 50 मेगावाट आवर के 2 तथा 132/33 किलोवोल्ट के ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण	
3	बेतिया, सासाराम, मोहनिया, दिनारा, लखीसराय और शेखपुरा ग्रिड उपकेंद्रों में 132 किलोवोल्ट के एक-एक बे का निर्माण	
4	डाउन लिंकिंग के लिए रिमोट एंड 33/11 किलोवोल्ट विद्युत केंद्रों में 33 किलोवोल्ट के 4 बे का निर्माण	
5	पुसौली (कैमूर) में 150 मेगावाट आवर के 2 तथा 220/132 किलोवोल्ट के ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण	**47.98**
6	डेहरी ग्रिड उपकेंद्र में 132 किलोवोल्ट के 2 बे एक्सटेंशन का निर्माण	
	132 किलोवोल्ट लाइन (202 किमी)	**48.61**
7	गंगवारा में 132 किलोवोल्ट की पंडौल लाइन का एलआइएलओ - लगभग 10 किमी	2.41
8	पुसौली (नया)-सासाराम डीसीसीएस लाइन - लगभग 50 किमी	12.03
9	पुसौली (नया)-भभुआ डीसीसीएस लाइन - लगभग 15 किमी	3.61
10	पुसौली (नया)-दिनारा डीसीसीएस लाइन - लगभग 45 किमी	10.83
11	लखीसराय-शेखपुरा डीसीसीएस लाइन - लगभग 32 किमी	7.70
12	बेतिया-धनहा डीसीसीएस लाइन - लगभग 50 किमी	12.03
	33 किलोवोल्ट लाइन (40 किमी)	**9.63**
13	132 किलोवोल्ट उपकेंद्र धनहा (नया) से नई लाइन - लगभग 20 किमी	4.81
14	132 किलोवोल्ट उपकेंद्र गंगवारा (नया) से नई लाइन - लगभग 20 किमी	4.81
15	सासाराम (पीजीसीआइएल)-आरा (पीजीसीआइएल) के पुसौली स्थित नए उपकेंद्र की 220 किलोवोल्ट डीसी लाइन के दोनों सर्किट का एलआइएलओ - 6 किमी	**41.53**
16	पुसौली (नया)-डेहरी (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड) 220 किलोवोल्ट डीसी लाइन - 8 किमी	
	कुल योग	**196.89**

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी की कार्ययोजना, नवबंबर 2012

वितरण

जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार के फलस्वरूप बिहार में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। गत छः वर्षों में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 14 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। हालांकि तदनुरूप बिजली बिक्री की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 6.8 प्रतिशत ही है। इसका कारण पुरानी अधिसंरचना और बिजली की चोरी है। वर्ष 2011-12 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का संचरण एवं वितरण ह्रास 44.05 प्रतिशत था (तालिका 4.37)। बोर्ड ने संचरण एवं वितरण ह्रास की गणना बिहार विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2010-11 से मीटररहित उपभोक्ता श्रेणियों के लिए तय संशोधित मानकों के अनुसार की है। मीटररहित उपभोक्ताओं के लिए पुराने मानकों के जारी रहने पर संचरण एवं वितरण ह्रास 2010-11 में 35.26 प्रतिशत ही होता। यह स्तर आयोग द्वारा तय लक्ष्य (29 प्रतिशत) से अधिक ही नहीं है, देश में सर्वाधिक भी है। पुरानी जीर्णशीर्ण अधिसंरचना के अतिरिक्त नेटवर्क में तकनीकी और व्यावसायिक ह्रास बहुत चिंता की बात है। नई वितरण कंपनियों को मीटर व्यवस्था, विपत्र व्यवस्था और संग्रहण में सुधार करने के साथ-साथ 100 प्रतिशत मीटर लगाने के जरिए इस मामले में सुधार लाने की जरूरत है। इन ह्रासों में कमी लाने के लिए फीडर और वितरण ट्रांसफर्मर के समीप ऊर्जा लेखाकरण और लेखापरीक्षा निहायत जरूरी है।

तालिका 4.37 : अनुमोदित और वास्तविक संचरण एवं वितरण ह्रास (2006-07 से 2011-12)

वर्ष	वार्षिक लेखों के अनुसार संचरण एवं वितरण ह्रास	आयोग द्वारा अनुमोदित संचरण एवं वितरण ह्रास
2006-07	42.61	41.40
2007-08	39.06	38.00
2008-09	37.98	38.00
2009-10	38.32	35.00
2010-11	43.59	32.00
2011-12	44.05	29.00

स्रोत : ऊर्जा विभाग : बिहार सरकार

संचरण एवं वितरण ह्रास के नियंत्रण और नेटवर्क की विश्वसनीयता में सुधार के लिए वितरण कंपनियां निम्नलिखित काम कर रही हैं :

(क) **पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) :** यह विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। विद्युत वित्त निगम लि. इस योजना के लिए नोडल अभिकरण है। कार्यक्रम के भाग-क में बेसलाइन आंकड़ों के संधारण और ऊर्जा लेखाकरण/ लेखापरीक्षा के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपभोक्ता सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के भाग-क के तहत सभी 71 शहरां का चुनाव किया गया है। इसमें पटना में स्काडा/ डीएमएस (सुपरवाइजरी कंट्रॉल एंड डेटा एँक्विजीशन/ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) परियोजना की स्थापना भी शामिल है। इसका लक्ष्य सही समय पर अनुश्रवण, ह्रास न्यूनीकरण, लोड संतुलन और वोल्टेज सुधार/ वीएआर प्रोफाइल उपलब्ध कराना है। योजना के भाग-ख में नेटवर्क में समूहित तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास (एटी एंड सी) में कमी के लिहाज से नेटवर्क सुदृढ़ीकरण के क्रियान्वयन के लिए रकम आबंटित कर दी गई है। कार्यक्रम के भाग-ख के तहत चुने गए सभी 64 शहरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को ऊर्जा मंत्रालय की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कार्यक्रम में शहरों में तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास कम करके 15 प्रतिशत तक लाना वांछित है। कार्यक्रम के तहत व्यय के विवरण तालिका 4.38 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.38 : पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का पूंजीगत व्यय

कार्यक्रम के तहत परियोजना के घटक	परिव्यय (करोड़ रु.)
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम – भाग ख	1155.21
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम – भाग क	253.68
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम - स्काडा	36.00
योग	1444.89

स्रोत : उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी की संयुक्त कार्य योजना, नवंबर 2012

(ख) **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि :** इसके तहत पुराने विद्युत उपकेंद्रों, वितरण उपकेंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों की संबंधित लाइनों के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण की योजना है। इन परियोजनाओं से कुशल लोड प्रबंधन और संचालन कुशलता में सुधार में मदद मिलेगी।

- लोड प्रबंधन में सुधार और सिंचाई हेतु विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष कृषि फीडर के जरिए ग्रामीण लोड को अलग करना। इसका लक्ष्य कृषि पंपसेट के लिए बिजली की मुफ्त आपूर्ति का नियंत्रण और उसके जरिए भूजल के अत्यधिक दोहन को सीमित करना है।
- पुराने विद्युत उपकेंद्रों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण : इस परियोजना का लक्ष्य तकनीकी प्रदर्शन में सुधार और उपकेंद्र के तकनीकी ह्रासों में कमी लाना है।
- गैर–आरएपीडीआरपी : इस परियोजना को पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के तहत अनाच्छादित 49 छोटे शहरों में समूहित तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास में कमी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को क्रियान्वित करना और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण करना है। इन क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय उसी तरह करने की योजना है जिस तरह पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम की गतिविधियों में है (तालिका 4.39)।

तालिका 4.39 : पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत पूंजीगत व्यय के वित्तीय परिव्यय की योजना

(करोड़ रु.)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूंजीगत व्यय की योजना	88	1075	1100	1100.25	100

स्रोत : उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी की संयुक्त कार्ययोजना, नवबंर 2012

(ग) **12 लाख उपभोक्ताओं के घर उपभोक्ता मीटर :** इस कार्यक्रम के तहत लगभग 2012–13 तक 12 लाख उपभोक्ता मीटर लगाने हैं। यह पूर्ववती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 100 प्रतिशत मीटर लगाने की पहल का अंग है।

(घ) **72,000 किमी लंबी निम्न विभव और उच्च विभव लाइनों की रिकंडक्टरिंग :** इस परियोजना में तकनीकी ह्रासों में कमी के लिए पुरानी और जीर्णशीर्ण अधिसंरचनाओं को बदला जाएगा।

(च) **वाह्य सहायता-प्राप्त परियोजना :** एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित बिहार विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना में शामिल वितरण संबंधी घटक को इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह पुनर्गठित त्वरित

विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के वितरण संबंधी निवेश कार्यक्रम के लिए उपयुक्त हो और राज्य के चार वितरण परिक्षेत्रों के 7 शहरों को आच्छादित करे (तालिका 4.40)।

तालिका 4.40 : एशियाई विकास बैंक के वित्तपोषण से होने वाले कार्यों का पैकैज-वार सारांश

पैकैज	शहर	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रु.)
पैकैज क	बिहारशरीफ	38.16
पैकैज ख	मोतिहारी और बेतिया	34.48
पैकैज ग	समस्तीपुर और बेगूसराय	56.29
पैकैज घ	आरा और बक्सर	49.01
	योग	**177.94**
अतिरिक्त परिव्यय		**250.00**
	कुल योग	**427.94**

स्रोत : उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी की संयुक्त कार्ययोजना, नवबंर 2012

राजस्व के मामले में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड 2006-07 से 2011-12 के बीच अपना राजस्व 18.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ाने में सफल रहा। हालांकि बोर्ड का राजस्व बढ़ा लेकिन उसका घाटा साल दर साल बढ़ता गया। इसका मुख्य कारण लागत की अपर्याप्त वसूली था क्योंकि टैरिफ में वृद्धि खरीदी जाने वाली बिजली का मूल्य चुकाने के लिहाज से अपर्याप्त थी। बिजली की प्रति इकाई खरीद का खर्च 2005-06 से 2011-12 के बीच लगभग तीनगुना हो गया लेकिन बिल की औसत दर दूनी से भी कम बढ़ी। बिजली की खरीद की कीमत के अलावा ब्याज पर व्यय और वित्तपोषण शुल्कों तथा कर्मचारियों पर व्यय बढ़ने के कारण भी बोर्ड का खर्च बढ़ गया। (तालिका 4.4)।

तालिका 4.41 : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचालनगत और वित्तीय स्थिति

मद	2009	2010	2011	2012
उत्पादन और खरीद (करोड़ किलोवाट आवर)	858.5	983.7	1088.3	1196.5
बिक्री (करोड़ किलोवाट आवर)	532.5	606.7	613.9	669.5
घाटा (प्रतिशत)	37.98	38.32	43.59	44.05
औसत राजस्व (रु./ किलोवाट आवर)	3.12	3.03	3.87	4.64
बिजली की बिक्री (करोड़ रु.)	1676	1862	2410	3150
सब्सिडी सहित कुल आय (करोड़ रु.)	2485	2796	3618	5422
कुल व्यय (आयोग द्वारा राज्य सरकार के ऋण पर अस्वीकृत ब्याज को छोड़कर) (करोड़ रु.) *	2750	3391	4029	6172
व्यय की पूर्ति (टैरिफ व्यय) (प्रतिशत)	61	55	60	51

टिप्पणी : राज्य सरकार के ऋण पर ब्याज 2008-09 में 740.03 करोड़ रु., 2009-10 में 817.21 करोड़ रु., 2010-11 920.87 करोड़ रु. और 2011-12 में 1,066.57 करोड़ रु. था। बिहार विद्युत नियामक आयोग ने इन्हें बोर्ड की वांछित वार्षिक राजस्व में शामिल नहीं किया है।

विद्युत वितरण का दूसरा पहलू राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रिड से जोड़ना है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम चल रहा है। काम 24 जिलों में

भारतीय पावर ग्रिड निगम द्वारा, 6 जिलों में राष्ट्रीय जलविद्युत निगम द्वारा और शेष 8 जिलों में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। सितंबर 2012 तक कुल 18,635 गांवों और 22.54 लाख बीपीएल आवासों को ग्रिड से जोड़ा गया था। इस योजना के तहत 33/11 किलोवोल्ट क्षमता के 171 विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 93 का निर्माणकार्य पूरा हो गया है। वर्ष 2012-13 में सितंबर 2012 तक 844 गांव और 1.12 लाख बीपीएल आवासों को ग्रिड से जोड़ा गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना क तहत ग्रिड से जुड़े बीपीएल आवासों और गांवों का अभिकरण-वार ब्योरा तथा बने और चल रहे विद्युत उपकेंद्रों की संख्या तालिका 4.42 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.42 : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण तथा गांवों और बीपीएल आवासों के विद्युतीकरण की उपलब्धियां

गतिविधियां	भारतीय पावर ग्रिड निगम	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	योग
विद्युत उप-केंद्रों का निर्माण	86	40	45	171
10वीं योजना में शामिल	75	15	--	90
11वीं योजना में शामिल	11	25	45	81
अब तक पूर्णत: निर्मित				
चालू विद्युत उप-केंद्रों की संख्या	72	17	13	102
गांवों का विद्युतीकरण				
मार्च 2012 तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या	14387	3062	342	17791
सितंबर 2012 (2012-13) तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या	418	191	235	844
विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या	14805	3253	577	18635
बीपीएल आवासों का विद्युतीकरण				
मार्च 2012 तक विद्युतीकृत आवासों की संख्या (हजार)	943054	971784	227076	2141914
2012-13 में विद्युतीकृत होने वाले आवासों की संख्या (लक्ष्य) (हजार में)	116581	128472	375488	620541
2012-13 में सितंबर 2012 तक विद्युतीकृत होने वाले आवासों की संख्या (हजार)	2886	2922	105972	111780
उपलब्धि का प्रतिशत (2012-13) सितंबर 2012 तक	2.47	2.27	28.22	
सितंबर 2012 तक विद्युतीकृत हुए आवासों की संख्या (हजार)	945940	974706	333048	2253694

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड

बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड (बीएसएचपीसी) की स्थापना राज्य में जलविद्युत की संभावनाओं के दोहन के लिए की गई थी। लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पहले से प्राप्त अधिदेश के अलावा निगम दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं की तलाश में लगा। राज्य में इस समय 13 लघु जलविद्युत परियोजनाएं चालू हैं जिनकी स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। इन परियोजनाओं के विवरण तालिका 4.43 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.43 : बिहार में कार्यशील लघु जलविद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जिला	स्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	पूर्वी गंडक नहर जलविद्युत परियोजना, वाल्मीकिनगर	पश्चिम चंपारण	15
2	सोन पश्चिमी संपर्क नहर जलविद्युत परियोजना, डेहरी	रोहतास	6.6
3	सोन पूर्वी संपर्क नहर जलविद्युत परियोजना, बारुन	औरंगाबाद	3.3
4	कोशी जलविद्युत केंद्र	सुपौल	19.2
5	अगनूर लघु जलविद्युत परियोजना	अरवल	1
6	ढेलाबाग लघु जलविद्युत परियोजना	रोहतास	1
7	नासरीगंज लघु जलविद्युत परियोजना	रोहतास	1
8	त्रिवेणी संपर्क नहर जलविद्युत परियोजना	पश्चिम चंपारण	1
9	जैनगरा लघु जलविद्युत परियोजना	रोहतास	1
10	सेबारी लघु जलविद्युत परियोजना	रोहतास	1
11	सिरखिंडा लघु जलविद्युत परियोजना	रोहतास	0.7
12	अरवल लघु जलविद्युत परियोजना	अरवल	0.5
13	बेलसार लघु जलविद्युत परियोजना	अरवल	1
		योग	**54.3**

स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, 2011-12, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

पहले भी उल्लेख किया गया है कि निगम अभी राज्य में लघु जलविद्युत परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने में भी लगा है। 17 स्थानों पर तलाश का काम प्रगति पर है (तालिका 4.44)।

तालिका 4.44 : प्रस्तावित लघु जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान स्थिति
1.	तेजपुरा लघु जलविद्युत परियोजना	1.5	कार्य प्रगति पर
2	अमेठी लघु जलविद्युत परियोजना	0.5	कार्य प्रगति पर
3.	नटवार लघु जलविद्युत परियोजना	0.25	कार्य प्रगति पर
4.	रामपुर लघु जलविद्युत परियोजना	0.25	कार्य प्रगति पर
5.	राजापुर लघु जलविद्युत परियोजना	0.7	कार्य प्रगति पर
6.	पहरमा लघु जलविद्युत परियोजना	1	कार्य प्रगति पर
7.	बथनाहा लघु जलविद्युत परियोजना, चरण-1	8	कार्य प्रगति पर
8.	निर्मली लघु जलविद्युत परियोजना	7	कार्य प्रगति पर
9.	धोबा लघु जलविद्युत परियोजना	2	कार्य प्रगति पर
10.	कटन्या लघु जलविद्युत परियोजना	2	कार्य प्रगति पर
11.	मथौली लघु जलविद्युत परियोजना	0.8	कार्य प्रगति पर
12.	बड़वल लघु जलविद्युत परियोजना	1.6	कार्य प्रगति पर
13.	डेहरी एस्केप चैनल	3.3	कार्य प्रगति पर
14.	देहरा लघु जलविद्युत परियोजना	1	कार्य प्रगति पर
15.	सिपहा लघु जलविद्युत परियोजना	1	कार्य प्रगति पर
16.	वाल्मीकिनगर एस्केप चैनल	6	कार्य 2012-13 हेतु प्रस्तावित
17.	नई लघु जलविद्युत परियोजनाएं	12	कार्य 2012-13 हेतु प्रस्तावित

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही निगम ने डगमारा में बड़ी जलविद्युत परियोजना की संभावना चिन्हित की थी। इस वर्ष बहुप्रतीक्षित इंद्रपुरी जलाशय परियोजना पर काम शुरू हुआ है। चार अन्य योजनाओं के मामले में भी पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार की गई है (तालिका 4.45)।

तालिका 4.45 : बिहार में प्रस्तावित बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	जिला
1	डगमारा जलविद्युत परियोजना	130	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/ केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति प्रक्रियाधीन
2	इंद्रपुरी जलाशय परियोजना	450	भारतीय सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू
3	सिनाफदर पंप भंडारण योजना	345	पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट तैयार
4	हथियादह-दुर्गावती पंप भंडारण योजना	1600	पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट तैयार
5	पंचगोटिया पंप भंडारण योजना	225	पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट तैयार
6	तेलहरकुंड पंप भंडारण योजना	400	पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट तैयार

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

डगमारा जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए फ्रांसीसी विकास अभिकरण (एफडीए) से ऋण लेने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना 1987 से ही लंबित है। जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय करके बिहार राज्य जलविद्युत निगम ने इस परियोजना पर काम जारी रखने के लिए समझौता किया है। इस पृष्ठभूमि भारतीय सर्वेक्षण (सर्वे ऑफ इंडिया) द्वारा परियोजना के लिए समोच्च (कंटूर) सर्वेक्षण और संपदा रेखा (प्रोपर्टी लाइन) सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। शेष 4 परियोजनाओं के लिए संभाव्यता सर्वेक्षण की जांच करने के बाद राष्ट्रीय जलविद्युत निगम ने बिहार राज्य जलविद्युत निगम के साथ संयुक्त उपक्रम के बतौर इन योजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव किया है। सिनाफदर और हथियादह-दुर्गावती, दोनों पंप भंडारण योजनाओं के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

बिहार सरकार द्वारा राज्य के लिए भूटान से 1,500 मेगावाट बिजली के आबंटन के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। राज्य में जलविद्युत उत्पादन की संभावना विकसित करने के लिए निजी उद्यमियों को आकर्षित करने की जरूरत है।

बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा)

देश में कोयला संसाधनों की अनुपब्धता और कोयले की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमत को देखते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर-पारंपरिक स्रोतों के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। राज्य में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग वाली परियोजनाओं के विकास का दायित्व बिहार राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण पर है।

वर्ष 2011-12 में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु 1,052.53 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना के तहत 10 प्रखंडों में 2 अश्वशक्ति या 1.8 किलोवाट आवर क्षमता के 560 सौर पंप लगाने का प्रस्ताव था जहां जल स्तर 2 से 5 मीटर के बीच हो। राज्य के थरुहट क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों के बीपीएल सदस्यों को सौर लालटेन देने और 267 गांवों में प्रति गांव 6 सौर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव है। राज्य में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में मुख्यमंत्री निवास, आवसीय कार्यालय और परिसर का सौर ऊर्जा के जरिए विद्युतीकरण करने की योजना है। साथ ही, नक्सल प्रभावित जिलों में ग्राम संकुलों में नवीकरणीय एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय सौर ऊर्जा चालित रिचार्ज केंद्र और बायोमास गैसीफायर लगाने पर 90 प्रतिशत सब्सिडी देने के लिए इच्छुक है।

राज्य में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए सिमुलतला (जमुई) और लालगंज (वैशाली) में वायु गति मापन अध्ययन का काम समाप्ति पर है और बोधगया, रक्सौल, अधौरा तथा मुंगेर में काम जारी है। राज्य में बायोमास ऊर्जा की भारी संभावना को ध्यान में रखकर निजी उपयोग के लिए शीतगृहों और रॉलिंग मिलों में लगभग 6 मेगावाट उत्पादन क्षमता के बायोमास गैसीफायर लगाए गए हैं। इसके अलावा 2-3 गांवों के संकुलों में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के आधार पर भी 20 बायोमास गैसीफायर लगाए हैं।

परिशिष्ट

तालिका प 4.1 : बिहार में जिलावार सड़क नेटवर्क (2010-2012)

(लंबाई किमी में)

जिले	2010			2011			2012		
श्रेणियां	राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	मुख्य जिला पथ	राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	मुख्य जिला पथ	राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	मुख्य जिला पथ
पटना	394.90	150.96	422.37	394.90	162.96	422.37	394.90	162.16	427.40
नालंदा	177.07	157.00	179.07	177.07	172.00	179.07	177.07	172.00	203.08
भोजपुर	85.00	93.57	289.51	85.00	152.80	289.51	85.00	152.80	280.18
बक्सर	55.00	78.50	108.11	55.00	78.50	108.11	55.00	78.50	126.39
रोहतास	145.24	234.80	408.00	145.24	234.80	388.00	145.24	234.80	425.16
कैमूर	52.24	99.40	210.80	52.24	99.40	210.80	52.24	99.40	232.60
गया	119.50	226.80	254.83	119.50	255.10	254.83	119.50	218.60	304.19
अरवल/जहानाबाद	134.23	46.40	184.55	134.23	61.90	184.55	134.23	104.30	186.61
नवादा	84.30	140.88	102.40	84.30	186.88	102.40	84.30	170.33	173.58
औरंगाबाद	137.23	88.80	221.55	137.23	150.50	204.55	137.23	150.50	218.10
सारण	180.50	116.60	184.74	180.50	201.80	164.54	180.50	201.80	202.79
सीवान	54.00	125.40	230.86	54.00	159.40	196.86	54.00	159.40	328.66
गोपालगंज	96.43	50.15	311.09	96.43	85.95	304.29	96.43	81.64	312.21
पश्चिम चंपारण	112.00	47.00	317.01	112.00	101.60	262.41	112.00	101.60	317.01
पूर्व चंपारण	94.00	99.90	284.92	94.00	99.90	284.92	94.00	144.05	309.84
मुजफ्फरपुर	229.20	70.33	358.89	229.20	70.33	358.89	229.20	70.33	364.01
सीतामढ़ी	102.00	52.72	200.18	102.00	52.72	200.18	102.00	49.30	203.56
शिवहर	22.00	13.64	33.00	22.00	13.64	33.00	22.00	13.64	33.00
वैशाली	127.61	80.60	187.84	127.61	118.60	149.84	127.61	151.20	177.30
दरभंगा	49.00	106.08	261.95	49.00	106.08	261.95	49.00	198.06	403.55
मधुबनी	207.75	213.06	312.20	207.75	213.06	312.20	207.75	131.95	282.94
समस्तीपुर	65.51	136.50	392.69	65.51	174.40	354.79	65.51	221.90	321.45
बेगूसराय	95.89	42.00	199.05	95.89	42.00	199.05	95.89	42.00	201.63
मुंगेर	38.57	35.34	45.20	38.57	35.34	45.20	38.57	69.40	45.20
शेखपुरा	12.00	52.47	92.05	12.00	52.47	92.05	12.00	52.90	108.51
लखीसराय	45.21	58.84	33.39	45.21	58.84	33.39	45.21	58.84	58.29
जमुई	-	220.15	183.71	-	220.15	183.71	-	221.45	183.78
खगड़िया	92.30	0.00	130.34	92.30	15.50	114.84	92.30	15.00	129.05
भागलपुर	146.00	81.05	213.23	146.00	81.05	213.23	146.00	81.05	214.90
बांका	-	175.35	253.71	-	175.35	253.71	-	215.21	245.77
सहरसा	59.70	58.00	310.69	59.70	118.00	250.69	59.70	153.75	339.10
सुपौल	133.00	165.45	480.27	133.00	229.25	462.53	133.00	221.99	469.79
मधेपुरा	109.00	97.30	99.98	109.00	97.30	99.98	109.00	99.48	53.80
पूर्णिया	103.00	128.80	289.65	103.00	156.80	261.65	103.00	161.48	286.25
किशनगंज	0.00	78.60	424.50	0.00	125.60	377.50	0.00	117.06	233.50
अररिया	85.00	112.00	266.43	85.00	127.20	266.43	85.00	163.15	252.29
कटिहार	90.00	52.20	486.67	90.00	116.30	422.57	90.00	115.98	375.12
बिहार	3734.00	3787.00	8965.00	3734.38	4603.46	8505.20	3734.38	4857.00	9030.59

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 4.2 : राज्य उच्चपथों की उन्नयन हेतु स्वीकृत लंबाई और भौतिक उपलब्धि की जिलावार स्थिति (2011-12)

जिलों के नाम	क्रियान्वयन अभिकरण	स्वीकृत लंबाई (किमी)	भौतिक उपलब्धि (किमी)
पटना	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	79.40	78.30
नालंदा	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	39.50	39.50
भोजपुर	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	47.00	46.90
बक्सर	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	52.84	52.56
रोहतास	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	188.96	178.30
कैमूर	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	52.29	51.70
गया	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	68.22	68.22
अरवल/ जहानाबाद	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	3.50	3.50
नवादा	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	45.45	45.00
औरंगाबाद	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	37.10	35.59
सारण	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	अनु.	अनु.
सीवान	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	54.60	54.60
गोपालगंज	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	24.90	24.90
पश्चिम चंपारण	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	35.85	29.85
पूर्व चंपारण	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	102.45	103.45
मुजफ्फरपुर	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	अनु.	अनु.
सीतामढ़ी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	26.54	26.54
शिवहर	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	12.00	12.00
वैशाली	इरकॉन	31.01	31.01
दरभंगा	इरकॉन	96.77	91.77
मधुबनी	इरकॉन	105.86	105.86
समस्तीपुर	इरकॉन	97.17	87.77
बेगूसराय	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	41.30	41.30
मुंगेर	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	34.00	33.70
शेखपुरा	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	38.54	38.50
लखीसराय	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	58.98	58.74
जमुई	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	151.86	150.90
खगड़िया	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	अनु.	अनु.
भागलपुर	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	46.35	46.33
बांका	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	167.06	165.20
सहरसा	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	24.10	24.10
सुपौल	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	33.10	33.10
मधेपुरा	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	27.77	27.77
पूर्णिया	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	91.40	91.00
किशनगंज	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	79.59	78.00
अररिया	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	30.50	30.50
कटिहार	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	19.71	19.50
याग		2045.67	2005.96

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 4.3 : बिहार राज्य में 2011-12 में निबंधित वाहनों के आंकड

(संख्या)

जिलों के नाम	ट्रक	बस	कार	टैक्सी	जीप	तिपहिया	दोपहिया	ट्रैक्टर	ट्रेलर	अन्य	योग
पटना	3251	352	13805	1574	1706	4432	57836	1410	846	21	85233
नालंदा	309	89	59	147	145	416	6595	827	311	14	8912
भोजपुर	52	11	54	175	287	520	8093	635	602	177	10606
बक्सर	57	6	31	231	82	77	3880	449	453	90	5356
रोहतास	84	34	50	27	112	183	6351	570	561	51	8023
कैमूर	37	26	39	50	122	46	4293	363	125	1	5102
गया	475	100	1413	540	563	1433	18357	579	507	1133	25100
जहानाबाद	46	18	6	50	80	310	1254	344	310	10	2428
अरवल	4	3	11	3	13	109	307	125	124	5	704
नवादा	101	22	67	141	206	198	3463	365	288	107	4958
औरंगाबाद	192	22	109	0	311	839	3749	770	15	24	6031
सारण	67	73	121	188	361	797	2596	650	231	19	5103
सीवान	238	75	95	146	531	446	13114	715	10	4	15374
गोपालगंज	39	21	560	78	60	126	11001	432	26	33	12376
पश्चिम चंपारण	39	13	36	142	302	404	16275	1221	966	66	19464
पूर्व चंपारण	121	8	71	206	339	256	5421	349	52	22	6845
मुजफ्फरपुर	2727	267	2232	2375	1025	2080	37807	1490	276	52	50331
सीतामढ़ी	16	5	75	2	35	493	5635	549	155	14	6979
शिवहर	0	1	1	25	31	73	511	207	23	3	875
वैशाली	186	7	1236	153	397	1059	15833	1223	647	89	20830
दरभंगा	33	18	344	152	182	999	12671	774	453	72	15698
मधुबनी	6	16	8	104	120	188	10274	1146	448	37	12347
समस्तीपुर	260	32	139	271	172	837	10130	570	307	0	12718
बेगूसराय	474	32	588	491	333	128	12237	858	502	1	15644
मुंगेर	61	3	57	126	50	144	4639	116	103	7	5306
शेखपुरा	24	10	9	49	95	6	1469	277	233	1	2173
लखीसराय	51	4	13	45	36	16	796	271	264	0	1496
जमुई	16	12	110	139	0	160	2063	379	380	0	3259
खगड़िया	55	4	44	69	13	177	3245	575	263	3	4448
भागलपुर	121	44	1048	335	417	1362	11730	802	438	205	16502
बांका	20	0	14	14	42	89	1817	54	32	10	2092
सहरसा	46	14	5	16	53	91	3632	416	331	0	4604
सुपौल	34	0	19	47	40	88	2207	101	74	30	2640
मधेपुरा	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
पूर्णिया	451	44	788	680	714	1654	10585	2121	674	0	17711
किशनगंज	0	0	23	4	6	7	2166	73	37	0	2316
अररिया	12	2	104	0	81	370	4370	637	168	0	5744
कटिहार	14	6	111	26	9	86	14650	511	169	0	15582
बिहार	9719	1394	23495	8821	9071	20699	331052	22954	11404	2301	440910

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 4.4 : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार - शहरी अधिसंरचना एवं अभिशासन की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां (2012-13, अक्तूबर 2012 तक)

(रु. लाख में)

क्र. सं.	शहरों के नाम	योजना	कुल परियोजना व्यय	एसएलएनए - बीयूडीए को विमुक्त कुल राशि	क्रियान्वयन अभिकरण	क्रियान्वयन अभिकरण को विमुक्त राशि	काम की स्थिति
1	पटना	पटना शहर हेतु नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	3695.7	2309.62	पटना नगर निगम	2309.62	नया अभिकरण चुना गया; कार्य शीघ्र शुरू होगा।
2	पटना	पटना नगर संकुल में समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1155.81	288.96	ब्यूडको	288.96	काम प्रगति पर; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपकरण उपलब्ध; वार्डों में सफाई कार्य जारी।
3	पटना	खगौल जलापूर्ति योजना	1315.43	308.86	ब्यूडको	308.86	निर्माणकार्य प्रगति पर; दो नलकूप पूरे, चहारदीवारी, पंप चैंबर, क्वार्टर निर्माण प्रगति पर।
4	पटना	फुलवारीशरीफ जलापूर्ति योजना	2470.26	617.56	ब्यूडको	617.56	दो नलकूपों और चहारदीवारी, पंप चैंबर, क्वार्टर निर्माण प्रगति पर।
5	बोधगया	जलापूर्ति योजना	3355.72	838.93	ब्यूडको	838.93	दो नलकूपों और जल वितरण प्रणाली का निर्माण प्रगति पर।
6	पटना	69वीं बैठक में सीएसएमसी द्वारा स्वीकृत द्वितीय स्टीमुलस पैकेज के अंश के बतौर नगर परिवहन हेतु बसों की खरीद	3990	1995	सार्वजनिक निजी साझेदारी आधारित	-	अभिरुचि अभिव्यक्ति (EOI) प्रकाशित किंतु किसी ने बोली नहीं लगाई।
7	बोधगया	69वीं बैठक में सीएसएमसी द्वारा स्वीकृत द्वितीय स्टीमुलस पैकेज के अंश के बतौर नगर परिवहन हेतु बसों की खरीद	675	337.5	सार्वजनिक निजी साझेदारी आधारित	-	बसों की खरीद के लिए रकम बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को हस्तांतरित।
8	पटना	दानापुर जलापूर्ति योजना की क्षमतावृद्धि	6896.45	1724.12	ब्यूडको	1724.12	वितरण प्रणाली हेतु पाइपों की आपूर्ति शुरू। नलकूप और चहारदीवारी का निर्माण प्रगति पर।
9	बोधगया	मलजल निकासी योजना	9594.34	2398.59	ब्यूडको	2398.59	सीवर लाइन बिछाने का काम प्रगति पर।
10	पटना	जलापूर्ति योजना	42698	10674.50	ब्यूडको	10674.50	सर्वेक्षण कार्य पूरा; डिजाइन कार्य अंशतः पूरा।
		योग	75846.71	21493.64		19161.14	

तालिका प 4.5 : शहरी विकास हेतु अनुमोदित योजनाओं की सूची अवस्थिति, स्रोत एवं राशि सहित

क्र. सं.	परियोजना	अवस्थिति	वित्तपोषण स्रोत	स्वीकृत व्यय (करोड़ रु.)
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	पटना शहरी क्षेत्र	जेएनएनयूआरएम	11.560
2	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	आरा	जेएनएनयूआरएम	9.840
3	पटना में तीन पार्कों का विकास	पटना	राज्य सरकार	2.200
4	जलनिकासी एवं मलजल निकासी	पटना की निकासी नाली	राज्य सरकार	330.000
5	खगौल जलापूर्ति	खगौल	जेएनएनयूआरएम	13.150
6	दानापुर जलापूर्ति	दानापुर	जेएनएनयूआरएम	68.960
7	फुलवारीशरीफ जलापूर्ति	फुलवारीशरीफ	जेएनएनयूआरएम	24.700
8	मुजफ्फरपुर जलापूर्ति	मुजफ्फरपुर	जेएनएनयूआरएम	98.720
9	बोधगया जलापूर्ति	बोधगया	जेएनएनयूआरएम	33.560
10	बोधगया मलजल निकासी	बोधगया	जेएनएनयूआरएम	95.940
11	राजगिर मलजल निकासी	राजगिर	राज्य सरकार	77.670
12	राजगिर वर्षाजल निकासी	राजगिर	राज्य सरकार	
13	हाजीपुर मलजल शोधन संयंत्र	हाजीपुर	एनजीआरबीए	113.620
14	बेगूसराय मलजल शोधन संयंत्र	बेगूसराय	एनजीआरबीए	65.400
15	बक्सर मलजल शोधन संयंत्र	बक्सर	एनजीआरबीए	74.950
16	मुंगेर मलजल निकासी	मुंगेर	एनजीआरबीए	187.890
17	सड़क एवं जलनिकासी नेटवर्क	बख्तियारपुर	जेएनएनयूआरएम	5.110
18	नाली युक्त सड़क	मुरलीगंज	जेएनएनयूआरएम	11.440
19	पार्क का विकास	नूरानीबाग, पटना	राज्य सरकार	0.800
20	जलापूर्ति	पटना	जेएनएनयूआरएम	426.980
21	घाट विकास	पटना	एनजीआरबीए	135.570
22	बुद्ध स्मृति पार्क	पटना	राज्य सरकार	2.000
	शहरी विकास एवं आवास विकास कार्यालयों की साज-सज्जा	पटना	राज्य सरकार	16.000
	निर्माण/ साज-सज्जा/ जीर्णोद्धार	बिहार के 28 शहरी स्थानीय निकायों में	राज्य सरकार	12.000

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 4.6 : जारी बड़ी-मंझोली सिंचाई योजनाओं का निष्पादन (2012-17)

योजनाओं का नाम	वित्तीय आवश्यकता (करोड़ रु.)						अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास (लाख हे.)
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल रकम	
दुर्गावती जलाशय योजना	152.09	100.00	82.91			335.00	0.21
उदेरा स्थान बराज योजना	100.00	70.00				170.00	0.27
मंडई वीयर योजना	20.00	40.00				60.00	0.04
कुंडघाट जलाशय योजना	5.00	45.00				50.00	0.02
बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना	50.00	60.00	130.00			240.00	0.23
पुनपुन बराज योजना योजना	100.00	180.00	160.00			440.00	0.14
जमानिया पंप नहर योजना	20.00					20.00	0.09
पश्चिम कोशी नहर परियोजना	90.00					90.00	0.6
अन्य बड़ी-मंझोली योजनाएं	100.00	300.00	445.00	600.00	680.00	2125.00	0.66
क्षमता विकास (10%)	63.71	79.50	81.70	60.00	68.00	352.91	
योग	700.80	874.50	899.61	660.00	748.00	3882.91	2.26

स्रोत : कृषि रोड मैप, 2012-17, बिहार सरकार

तालिका प 4.7 : नई प्रस्तावित बड़ी-मंझोली सिंचाई योजनाओं का निष्पादन (2012-17)

योजनाओं का नाम	वित्तीय आवश्यकता (करोड़ रु.)						अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास (लाख हे.)
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल रकम	
पूर्वी गंडक नहर प्रणाली का विस्तार (चरण-2)	9.00	190.00	400.00	600.00	600.50	1799.50	1.22
पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का विस्तार (चरण-2)		450.00	600.00	600.00	619.51	2169.51	0.80
अरेराज के समीप गंडक पर दूसरे बराज का निर्माण	1.00	199.00	400.00	600.00	800.00	2000.00	3.75
बागमती सिंचाई एवं जलनिकासी परियोजना (चरण-1)		50.00	250.00	450.00	525.00	1275.00	1.03
मोकामा टाल में जलनिकासी सुधार और पानी का आर्थिक उपयोग		50.00	150.00	200.00	291.00	691.00	1.06
दक्षिण बिहार की नदियों पर वीयर/ स्लूइस गेट की मंझोली योजनाएं	77.00	300.00	500.00	600.00	700.00	2177.00	1.20
उत्तर बिहार की छोटी बारहमासी नदियों पर बराज/ वीयर की मंझोली योजनाएं	50.00	150.00	200.00	304.00	350.00	1054.00	0.24
क्षमता विकास (10%)	13.70	138.90	240.00	335.40	388.60	1116.60	
योग	150.70	1527.90	2640.00	3689.40	4274.61	12282.61	9.30

स्रोत : कृषि रोड मैप, 2012-17, बिहार सरकार

तालिका प 4.8 : वर्ष 2011-12 में जिलावार निजी नलकूप

	निजी नलकूप 2000-01 तक	एमएसटीपी के तहत 2006 तक लगे निजी नलकूप	बिगविस के तहत मार्च 2012 तक लगे निजी नलकूप	निजी नलकूपों की कुल सं.	सिंचाई क्षमता (हे.)
पटना	25425	21464	2398	49287	135539.25
नालंदा	20035	17288	4160	41483	114078.25
भोजपुर	17838	13400	2265	33503	92133.25
बक्सर	12974	9376	2887	25237	69401.75
रोहतास	14988	17164	1914	34066	93681.5
कैमूर	7275	13169	646	21090	57997.5
गया	21513	20285	3247	45045	123873.75
जहानाबाद	12168	7012	1177	20357	55981.75
अरवल	6084	4278	702	11064	30426
नवादा	7956	12100	988	21044	57871
औरंगाबाद	7168	10910	2615	20693	56905.75
सारण	22501	14196	2887	39584	108856
सीवान	28050	15044	2935	46029	126579.75
गोपालगंज	20834	14803	1436	37073	101950.75
पश्चिम चंपारण	17784	18361	1855	38000	104500
पूर्व चंपारण	34433	19871	3010	57314	157613.5
मुजफ्फरपुर	34249	12706	2485	49440	135960
सीतामढ़ी	18178	8608	1207	27993	76980.75
शिवहर	6225	2054	300	8579	23592.25
वैशाली	24851	13307	1248	39406	108366.5
दरभंगा	11916	9599	1318	22833	62790.75
मधुबनी	15341	15401	877	31619	86952.25
समस्तीपुर	30981	13224	2184	46389	127569.75
बेगूसराय	20866	12887	3420	37173	102225.75
मुंगेर	3163	5633	1356	10152	27918
शेखपुरा	4436	4592	253	9281	25522.75
लखीसराय	6885	5081	936	12902	35480.5
जमुई	2663	7296	982	10941	30087.75
खगड़िया	14017	6445	458	20920	57530
भागलपुर	11545	8382	2417	22344	61446
बांका	5253	5908	927	12088	33242
सहरसा	11602	7908	1138	20648	56782
सुपौल	14136	8594	1394	24124	66341
मधेपुरा	17512	7924	244	25680	70620
पूर्णिया	22259	18545	1230	42034	115593.5
किशनगंज	10408	9310	1286	21004	57761
अररिया	13603	12841	281	26725	73493.75
कटिहार	34080	11626	701	46407	127619.25
बिहार	611195	436592	61764	1109551	3051265.25

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

अध्याय 5

सामाजिक क्षेत्र

हाल के वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था की गति काफी प्रभावशाली रही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका विकास 12.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से हुआ। हालांकि आर्थिक विकास का चरम ध्येय जनता के सभी तबकों का कल्याण है। इस ध्येय के मामले में राज्य सरकार का प्रयास उत्फुल्ल विकास प्रक्रिया से लाभान्वित होने वालों में समाज के वंचित तबके समेत सभी लोगों को शामिल करन की दिशा में रहा है। और इसके लिए सामाजिक क्षेत्र के विकास तथा कुशल सेवा प्रदान तंत्र सुनिश्चित करने की जरूरत पड़ती है। राज्य के बंटवारे के चलते वर्तमान बिहार खनिज संसाधनों और औद्योगिक आधार से रहित है। इसीलिए सतत आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इसे उर्वर भूमि और मानव संसाधनों पर निर्भर करना पड़ता है। मानव संसाधनों के विकास के लिए राज्य सरकार सामाजिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण का प्रयास कर रही है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जन वितरण प्रणाली जैसे कुछ अनिवार्य कल्याणमूलक कार्यक्रम शामिल हैं। ये सारी सेवाएं मिलकर सुनिश्चित करती हैं कि अंततः उत्पादक श्रमिक और जवाबदेह नागरिक बनने के लिए बिहार की बढ़ती आबादी स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त हो।

सामाजिक क्षेत्र के कामकाज में सुधार के लिए अनिवार्य आवश्यकता इस क्षेत्र हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान है। तालिका 5.1 में बिहार तथा देश के सभी राज्यों में 2007-08 से 2011-12 तक सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान दर्शाया गया है। तालिका में सर्वप्रथम देखा जा सकता है कि सामाजिक सेवाओं पर व्यय बिहार और संपूर्ण भारत, दोनों में 21 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। दूसरे, यह भी दिखता है कि कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा बिहार और संपूर्ण भारत, दोनों में एक-तिहाई से थोड़ा अधिक है। हालांकि गौरतलब है कि बिहार में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय संर्पूण भारत के स्तर का मुश्किल से आधा है। बिहार में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने की राह में बजट संबंधी बाधाएं सामने हैं।

इस अध्याय के आगामी खंडों में सामाजिक क्षेत्र के विकास और सीमांत तबकों के पक्ष में किए जाने वाले हस्तक्षेपों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सूचना की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के बतौर विश्लेषण का आरंभ राज्य के जनसांख्यिक परिदृश्य से किया गया है।

तालिका 5.1 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान

वर्ष	सामाजिक सेवाओं पर व्यय (करोड़ रु.)		कुल व्यय (करोड़ रु.)		कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा		सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)	
	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार
2007-08	232935	10670	699667	29669	33.29	35.97	2039	1123
2008-09	290831	12895	824613	34948	35.27	36.90	2502	1329
2009-10	338561	13301	948368	39916	35.70	33.32	2862	1344
2010-11	443326	20333	1163652	54257	38.10	37.48	3683	1993
2011-12	496729	22110	1304897	61381	38.07	36.02	4105	2126
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	21.36	21.08	17.24	20.85	---	---	19.55	18.31

स्रोत : स्टेट फिनांसेज, ए स्टडी ऑफ बजट्स, भारतीय रिजर्व बैंक (विभिन्न अंक)

चार्ट 5.1 : सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय का रुझान

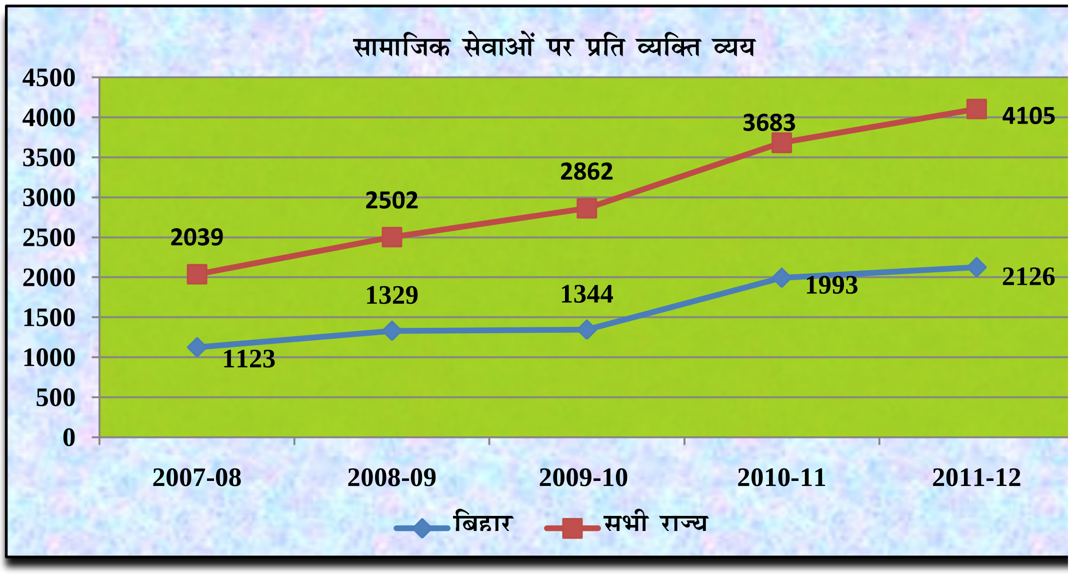

5.1 जनसांख्यिकी

इस खंड में सामाजिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बिहार की जनसांख्यिक विशेषताओं को संपूर्ण भारत के स्तर के साथ तुलना करते हुए प्रस्तुत किया गया है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 10.38 करोड़ है और दशकीय वृद्धि दर 25.1 प्रतिशत। देश की जनंसख्या में बिहार का 8.58 प्रतिशत और क्षेत्रफल में 3.7 प्रतिशत हिस्सा है। तालिका 5.2 में बिहार और भारत की जनसांख्यिक विशेषताओं के विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। भारत से बिहार की तीन जनसांख्यिक विशेषताएं काफी हद तक अलग हैं – दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व और शहरीकरण की दर। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (25.1 प्रतिशत) संपूर्ण देश की दर (17.6 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है जो देश के अनेक हिस्सों में पहले से महसूस किए जा रहे जनसांख्यिक संक्रमण की अनुपस्थिति को दर्शाती है। गंगा के मैदान का अंग होने के नाते बिहार में प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की संख्या (1,102) संपूर्ण भारत के औसत (382) की लगभग तीनगुनी है। जनसंख्या का यह दबाव बिहार के लिए बड़ी चुनौती है। जनसंख्या के उच्चस्तरीय दबाव के कारण राज्य के विकास के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत है। तालिका 5.2 में इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया है कि बिहार अत्यधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य है जिसमें शहरी क्षेत्र में मात्र 11.3 प्रतिशत आबादी रहती है जबकि संपूर्ण देश का औसत 31.2 प्रतिशत है।

तालिका 5.2 : भारत और बिहार की जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011)

जनसांख्यिक सूचक	भारत		बिहार	
	2001	2011	2001	2011
जनसंख्या (करोड़)	102.87	121.02	8.29	10.38
दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.5	17.6	28.6	25.1
घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	325	382	880	1102
शहरीकरण अनुपात (प्रतिशत)	27.81	31.16	10.5	11.3
लिंग अनुपात (महिला प्रति हजार पुरुष)	933	940	919	916
बाल लिंग अनुपात	927	914	942	933

स्रोत : जनगणना 2001 तथा 2011

हालांकि बिहार की उक्त जनसांख्यिक विशेषताएं पूरे राज्य में एक जैसी नहीं हैं। जिलों के बीच काफी अंतर है जो तालिका प 5.1 और प 5.2 (परिशिष्ट) से बिल्कुल स्पष्ट है। उदाहरण के तौर पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर और शहरीकरण की दर को देखा जा सकता है। तालिका 5.3 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दरों के हिसाब से जिलों का वर्गीकरण प्रस्तुत है। बिहार में सभी जिलों के मामले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर संपूर्ण भारत की वृद्धि दर (17.6 प्रतिशत) से ऊंची थी। 20 प्रतिशत से कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले सिर्फ चार थे - गोपालगंज (18.8 प्रतिशत), दरभंगा (19.0 प्रतिशत), मुंगेर (19.5 प्रतिशत) और अरवल (19.0 प्रतिशत)। दूसरी ओर, तीन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दरें 30 प्रतिशत से भी अधिक थीं - अररिया (30.0 प्रतिशत), किशनगंज (30.4 प्रतिशत) और मधेपुरा (30.7 प्रतिशत)।

तालिका 5.3 : दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार जिलों का वर्गीकरण (2001-2011)

दशकीय वृद्धि दर का रेंज	जिला
20.0 तक	गोपालगंज (18.8), दरभंगा (19.0), अरवल (19.0), मुंगेर (19.5)
20.1-24.0	रोहतास (20.2), शेखपुरा (20.8), नालंदा (21.2), भोजपुर (21.3), जहानाबाद (21.3), सारण (21.4), बक्सर (21.8), सीवान (22.3), पटना (22.3), नवादा (22.5)
24.1-28.0	लखीसराय (24.7), औरंगाबाद (24.8), भागलपुर (25.1), मधुबनी (25.2), समस्तीपुर (25.3), जमुई (25.5), सहरसा (25.8), बेगूसराय (25.8), बांका (26.1), गया (26.1), शिवहर (27.3), सीतामढ़ी (27.5), मुजफ्फपुर (27.5), कैमूर (27.5)
28.0 से अधिक	कटिहार (28.2), वैशाली (28.6), सुपौल (28.6), पूर्णिया (28.7), पश्चिम चंपारण (28.9) पूर्व चंपारण (29.0), खगड़िया (29.5), अररिया (30.0), किशनगंज (30.4), मधेपुरा (30.7)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं।

बिहार में शहरीकरण की दर 2001 में 10.5 प्रतिशत थी और 2011 में 11.3 प्रतिशत जो एक दशक में मात्र 0.8 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। संपूर्ण भारत के मामले में वृद्धि 3.4 प्रतिशत है जो देश के स्तर पर काफी तेज शहरीकरण को दर्शाता है। वर्ष 2001 और 2011 के बीच बिहार में वैधानिक शहरों की संख्या 125 से बढ़कर 139 हो गई लेकिन शहरीकरण की दर अभी भी बहुत धीमी है। जिलों में शहरीकरण की दर समस्तीपुर के 3.2 प्रतिशत और पटना के 43.5 प्रतिशत के बीच थी। तालिका 5.4 में 2001 और 2011 में बिहार के सभी 38 जिलों की शहरीकरण की दरें प्रस्तुत की गई हैं। वर्ष 2011 में सबसे कम शहरीकरण वाले तीन जिले समस्तीपुर (3.5 प्रतिशत), बांका (3.5 प्रतिशत) और मधुबनी (3.7 प्रतिशत) हैं। दूसरी ओर सर्वाधिक शहरीकरण वाले तीन जिले पटना (43.5 प्रतिशत), मुंगेर (28.3 प्रतिशत) और भागलपुर (19.8 प्रतिशत) हैं।

तालिका 5.4 : शहरीकरण की दर के अनुसार जिलों का वर्गीकरण (2001-2011)

शहरीकरण की दर	2001	2011
4.0 तक	कैमूर (3.2), मधुबनी (3.5), बांका (3.5), समस्तीपुर (3.6)	समस्तीपुर (3.5), बांका (3.5), मधुबनी (3.7), कैमूर (4.0)
4.1-8.0	शिवहर (4.1), मधेपुरा (4.5), बेगूसराय (4.6), सुपौल (5.1), सीवान (5.5), सीतामढ़ी (5.7), खगड़िया (6.0), अररिया (6.1), गोपालगंज (6.1), पूर्व चंपारण (6.4), वैशाली (6.9), जहानाबाद (7.4), नवादा (7.4), अरवल (7.4), जमुई (7.4)	शिवहर (4.3), मधेपुरा (4.4), सुपौल (4.7), खगड़िया (5.3), सीवान (5.5), सीतामढ़ी (5.6), अररिया (6.0), गोपालगंज (6.3), पूर्व चंपारण (6.4), वैशाली (6.7), अरवल (7.4)
8.1-12.0	दरभंगा (8.1), सहरसा (8.3), औरंगाबाद (8.4), पूर्णिया (8.7), कटिहार (9.1), बक्सर (9.2), सारण (9.2), मुजफ्फरपुर (9.3), पश्चिम चंपारण (10.2), किशनगंज (10.0)	जमुई (7.4), सहरसा (8.2), कटिहार (8.9), सारण (8.9), औरंगाबाद (9.4), बक्सर (9.6), नवादा (9.7), दरभंगा (9.7), मुजफ्फरपुर (9.8), पश्चिम चंपारण (10.0), किशनगंज (10.0), पूर्णिया (10.4), जहानाबाद (12.0)
12.1-16.0	रोहतास (13.3), गया (13.7), भोजपुर (13.9), लखीसराय (14.7), नालंदा (14.9), शेखपुरा (15.5)	गया (13.1), भोजपुर (14.3), लखीसराय (14.3), रोहतास (14.4), नालंदा (15.9),
16.1-20.0	भागलपुर (18.7)	शेखपुरा (15.5), बेगूसराय (19.2), भागलपुर (18.7)
20 से अधिक	पटना (41.6), मुंगेर (27.9)	पटना (43.5), मुंगेर (28.3)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े शहरीकरण की दर दर्शाते हैं।

लिंग अनुपात किसी आबादी की जनंसाख्यिक विशेषताओं का एक और महत्वपूर्ण सूचक है। राष्टोय स्तर पर यह अनुपात 2001 के 933 से सुधरकर 2011 में 940 हो गया लेकिन बिहार में थोड़ा घटकर 919 से 916 रह गया। दुर्भायवश बाल लिंग अनुपात के मामले में बिहार और भारत, दोनों के स्तर पर गिरावट देखने को मिली। बिहार का जिलावार लिंग अनुपात तालिका प 5.2 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। सर्वाधिक लिंग अनुपात गोपालगंज (1015) में दर्ज हुआ और उसके बाद सीवान (984) और सारण (949) में। सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले भागलपुर (879), मुंगेर (879) और खगड़िया (883) हैं। राज्य और राष्टोय, दोनों स्तरों पर लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात की प्रतिकूलता 'महिलाओं और लड़कियों के मामले में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे अनेकश: वंचनाओं' को प्रतिबिंबित करती है। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर इसमें सुधार करने की जरूरत है।

5.2 स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति मानव विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है और जिसे हासिल करने के लिए कुशल सेवा प्रदान प्रणाली को व्यवस्थित करना जरूरी है। देश के अन्य हिस्सों की तरह बिहार के अधिकांश लोग भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर हैं। हाल के वर्षों में तेज विकास के बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाले सुधारों को व्यापक सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक विषमताओं के लिहाज से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इनमें से कुछ चुनौतियों का सामना करने के मामले में बिहार ने काफी प्रगति की है। इसका श्रेय स्वास्थ्य पर बढ़े व्यय, लोक स्वास्थ्य अधिसंरचना के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं के सतत एवं प्रभावी अनुश्रवण को दिया जा सकता है।

स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं के मोटे तौर पर दो पक्ष होते हैं - निवारक देखरेख (प्रीवेंटिव केयर) और व्याधिशामक (क्यूरेटिव) देखरेख। निवारक देखरेख में रोगों से बचाव करने वाली सुविधाएं शामिल होती हैं। इसमें आहार, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता आदि शामिल हैं। दूसरी ओर, व्याधिशामक देखरेख में सफलतापूर्वक रोगमुक्ति सुनिश्चित करने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है। इस खंड में स्वास्थ्य देखरेख के इन दोनों पक्षों पर चर्चा की जाएगी।

बिहार हेतु स्वास्थ्य के चुनिंदा सूचक

लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति का एक संवदनशील सूचक जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (एलईबी) है। इस सूचक के मामले में बिहार और भारत, दोनों के आंकड़े तालिका 5.5 में प्रस्तुत हैं। तालिका से स्पष्ट है कि बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2001 से 2005 के बीच भारत की अपेक्षा काफी कम थी लकिन 2006 से 2010 के बीच फासला काफी घटा है। वर्ष 2001 से 2005 के बीच बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 61.0 वर्ष थी और देश के स्तर पर 63.1 वर्ष जो 2.1 साल का फासला दर्शाता है। लेकिन 2006 से 2010 के बीच जन्मकालीन जीवन संभाव्यता भारत के लिए 66.1 वर्ष और बिहार के लिए 65.8 वर्ष होने से फासला घटकर मात्र 0.3 वर्ष रह गया। पुरुष और महिला जन्मकालीन जीवन संभाव्यता की तुलना करने पर सामान्यत: पाया जाता है कि जीववैज्ञानिक कारणों से यह महिलाओं के मामले में अधिक रहती है। भारत के मामले में भी 2001-05 और 2006-10, दोनों अवधियों में यही पैटर्न देखा गया। लेकिन 2001-05 की अवधि में बिहार में महिला जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पुरुषों की तुलना में कम थी। हालांकि 2006-10 की अवधि में यह असमानता खत्म हो गई है और महिला जन्मकालीन जीवन संभाव्यता अब पुरुषों से अधिक है।

तालिका 5.5 : बिहार और भारत में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता

राज्य/ भारत	2001-05			2006-10		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
बिहार	62.0	60.1	61.0	65.5	66.2	65.8
भारत	62.3	63.9	63.1	64.6	67.7	66.1

स्रोत : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली (एसआरएस), भारतीय महानिबंधक कार्यालय, गृह कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के अलावा स्वास्थ्य संबंधी जिन सूचकों के मामले में तुलनीय आंकड़े मौजूद हैं, वे हैं : अशोधित जन्म दर (सीबीआर), अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर), कुल प्रजनन दर (टीएफआर) और शिशु मृत्यु दर (आइएमआर)। इन सूचकों से संबंधित बिहार और भारत, दोनों के 2006 से 2010 के आंकड़े तालिका 5.6 में प्रस्तुत हैं। अशोधित जन्म दर के मामले में बिहार के आंकड़े लगातार ऊंचे रहे हैं। वर्ष 2010 में भारत का आंकड़ा 22.2 और बिहार का 28.1 था। पहले भी उल्लेख किया गया है कि यह बिहार में जनसांख्यिक संक्रमण की अनुपस्थिति सूचित करता है। हालांकि 2006 से 1020 के बीच बिहार और भारत के अशोधित जन्म दरों के मामले में फासला थोड़ा घटा है। वहीं अशोधित मुत्यु दर के मामले में तुलना काफी दिलचस्प है। वर्ष 2010 में बिहार की अशोधित मुत्यु दर (6.8) भारत की दर (7.2) से कम थी। पहले, 2006 में बिहार की दर (7.7) भारत की दर (7.5) से थोड़ी अधिक थी। निम्न अशोधित मृत्यु दर स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति की ओर संकेत करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश, अधिम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर का संयुक्त प्रभाव जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर है जो अवांछित है।

बिहार और भारत की कुल प्रजनन दर की तुलना करने पर पता चलता है कि यह बिहार के मामले में लगातार ऊंची रही है। लेकिन सौभाग्यवश इस मामले में जनसांख्यिक संक्रमण के आरंभिक संकेत मिलते हैं। कुल प्रजनन दर 2006 के 4.2 बच्चों से घटकर 2010 में 3.7 बच्चों पर आ गई है जो 0.5 बच्चे की कमी है। संपूर्ण भारत के मामले में गिरावट इतनी नहीं है। तालिका 5.6 में शामिल स्वास्थ्य का चौथा सूचक शिशु मृत्यु दर है। इस पर गौर करना दिलचस्प है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रतिकूलताग्रस्त राज्य होने के बावजूद बिहार में शिशु मत्यु दर संपूर्ण भारत के औसत के काफी निकट है। साथ ही, बिहार में शिशु मृत्यु दर में संपूर्ण भारत की अपेक्षा तेज सुधार हुआ है। वर्ष 2010 में बिहार में शिशु मृत्यु दर थी पुरुष - 46, महिला - 50 और समग्र - 48; वहीं समग्र भारत के स्तर पर आंकड़े पुरुष - 46, महिला - 49 और समग्र - 47 थे।

तालिका 5.6 : बिहार और भारत के चुनिंदा स्वास्थ्य विषयक सूचक (2006 से 2010)

श्रेणी		2006	2007	2008	2009	2010
अशोधित जन्म दर						
बिहार	ग्रामीण	30.7	30.2	29.7	29.3	28.8
	शहरी	23	22.9	22.5	22.2	22
	संयुक्त	29.9	29.4	28.9	28.5	28.1
भारत	ग्रामीण	25.2	24.7	24.4	24.1	23.7
	शहरी	18.8	18.6	18.5	18.3	18
	संयुक्त	23.5	23.1	22.8	22.5	22.1
अशोधित मृत्यु दर						
बिहार	पुरुष	7.4	7.6	7.6	7.2	7.1
	महिला	7.9	7.4	6.9	6.8	6.6
	योग	7.7	7.5	7.3	7	6.8
भारत	पुरुष	8	8	8	7.8	7.7
	महिला	7	6.9	6.8	6.7	6.7
	योग	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2
कुल प्रजनन दर						
बिहार	ग्रामीण	4.3	4.1	4	4	3.8
	शहरी	3	2.9	2.8	2.8	2.7
	संयुक्त	4.2	3.9	3.9	3.9	3.7
भारत	ग्रामीण	3.1	3	2.9	2.9	2.8
	शहरी	2	2	2	2	1.9
	संयुक्त	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5
शिशु मृत्यु दर						
बिहार	पुरुष	58	57	53	52	46
	महिला	63	58	58	52	50
	योग	60	58	56	52	48
भारत	पुरुष	56	55	52	49	46
	महिला	59	56	55	52	49
	योग	57	55	53	50	47

स्रोत : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली (एसआरएस), भारतीय महानिबंधक कार्यालय, गृह कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

आशानुरूप, बिहार के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य की स्थिति के मामले में काफी अंतर है। तालिका प 5.3 (परिशिष्ट) में बिहार के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य के चार सूचकों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं – अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, राष्टोय वृद्धि दर, शिशु मत्यु दर और पांच वर्ष से छोटे शिशुओं की मृत्यु दर। सर्वप्रथम अशोधित जन्म दर के मामले में दिखता है कि यह पटना के 21.8 और सहरसा के 32.1 के बीच है। सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले तीन जिले पटना (21.8), लखीसराय (24.0) और सारण (24.5) हैं। दूसरी ओर सर्वाधिक अशोधित जन्म दर वाले तीन जिले अररिया (30.9), शिवहर (31.2) और सहरसा (32.1) हैं। सर्वाधिक संवेदनशील समझे जाने वाले शिशु मृत्यु दर के मामले में विभिन्न जिलों की स्थिति तालिका प 5.3 (परिशिष्ट) से भी तय की जा सकती है। शिशु मृत्यु दर पटना के 39 और मधेप्रा के 71 के बीच है। बेहतर प्रदर्शन वाले तीन जिले पटना (39), बेगूसराय (46) और भोजपुर (48) हैं। दूसरी ओर तीन सर्वाधिक पिछड़े जिले खगड़िया (66), सीतामढ़ी (67) और मधेपुरा (71) हैं।

चार्ट 5.2 : बिहार की अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर (2006 से 2010)

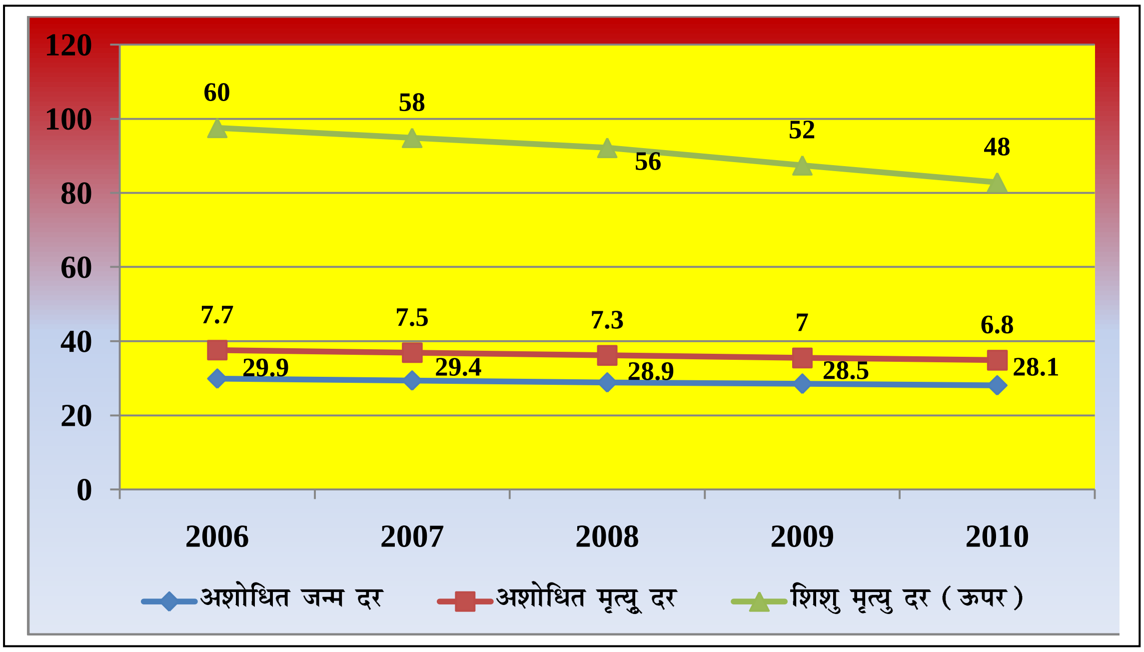

स्वास्थ्य अधिसंरचना

बिहार में अधिकांश आबादी की सीमित आय के कारण लोक स्वास्थ्य सेवाओं पर उनकी निर्भरता काफी अधिक है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य संस्थाओं के कामकाज में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या काफी बढ़ी है (तालिका 5.7)। सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या 2007 में 3,077 थी जो 2011 में तिगुनी से भी अधिक (9,317) हो गई है।

तालिका 5.7 : सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या (2007 से 2011)

वर्ष	2007	2008	2009	2010	2011
अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या	3077	3855	3826	4675	9317

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

चार्ट 5.3 : अस्पताल पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की मासिक औसत संख्या

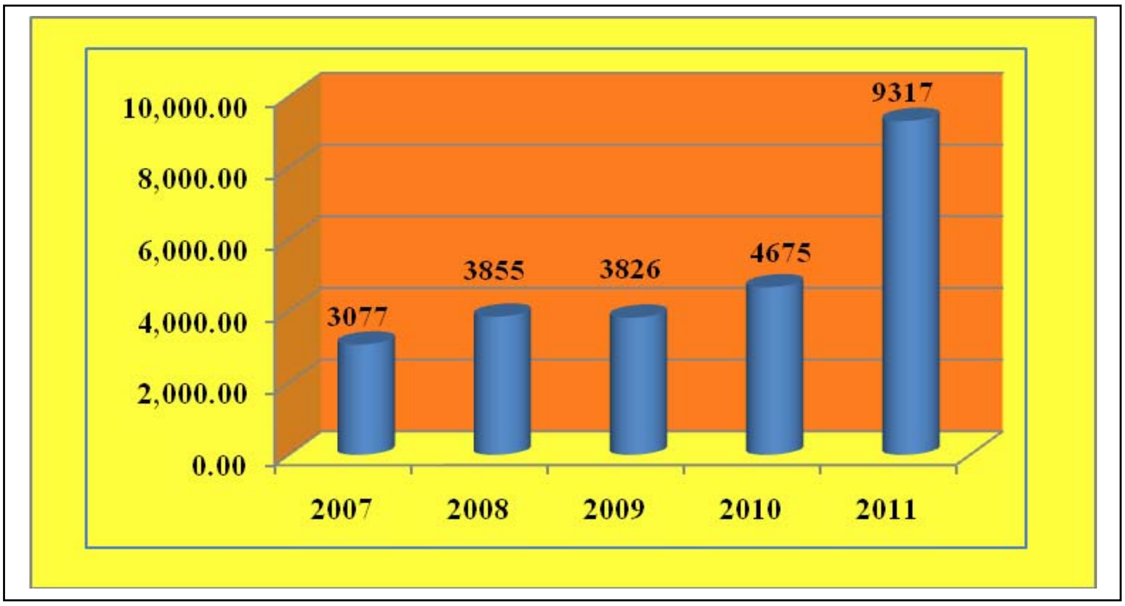

बिहार की स्वास्थ्य अधिसंरचना जिला अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से मिलकर बनी है। स्वास्थ्य केंद्र तीन प्रकार के हैं - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), उप-केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तालिका 5.8 में बिहार में हर श्रेणी की स्वास्थ्य सेवा इकाइयों की संख्या प्रस्तुत की गई है। 3 नए जिला अस्पतालों, 11 अनुमंडल अस्पतालों, 49 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 108 उप-केंद्रों और 87 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के साथ विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य में स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं का विस्तार हुआ है। अभी राज्य में 36 जिला अस्पताल, 78 रेफरल अस्पताल, 55 अनुमंडल अस्पताल और विभिन्न अस्पतालों के 11,559 स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। गणना से पता चलता है कि बिहार में प्रति स्वास्थ्य संस्थान सेवित जनसंख्या लगभग 8.9 हजार है।

तालिका 5.8 : स्वास्थ्य अधिसंरचना की समग्र स्थिति

वर्ष	जिला अस्पताल	रेफरल अस्पताल	अनुमंडल अस्पताल	स्वास्थ्य केंद्र			
				प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	उप-केंद्र	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	योग
2008	33	70	45	484	9588	1243	11315
2009	33	70	46	533	9588	1243	11364
2010	36	70	46	533	9598	1243	11470
2011	36	70	55	533	9696	1330	11559
2012	36	70	55	533	9696	1330	11559

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

बिहार के विभिन्न जिलों में मौजूद स्वास्थ्य संस्थाओं के तालिका प 5.4 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य संस्थाओं की उपलब्धता के मामले में जिलों के बीच भी काफी अंतर मौजूद है। प्रति अस्पताल/ स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सेवित जनसंख्या शिवहर में 15.6 हजार है तो जमुई में 5.2 हजार। स्वास्थ्य अधिसंरचना की उपलब्धता के लिहाज से सर्वोत्तम 3 जिले जमुई (5,165), नवादा (5,598) और शेखपुरा (5,772) हैं। दूसरी ओर तीन सर्वाधिक सुविधावंचित जिले पूर्व चंपारण (12,581), सीतामढ़ी (12,712) और शिवहर (15,641) हैं।

वर्ष 2011-12 में अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत दैनिक संख्या के लिहाज से सर्वोच्च तीन जिले औरंगाबाद (582), अररिया (542) और सुपौल (474) हैं (तालिका 5.9)। दूसरी ओर इस लिहाज से निचले पायदान के तीन जिले जमुई (198), पटना (230) और मधुबनी (242) हैं। वाह्य रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं के अलावा गंभीर रूप से बीमार रोगियों को चिकित्सा के लिए अस्पतालों में भर्ती भी कराया जाता है। भर्ती रोगियों के लिए ऐसी सेवाओं का निर्णय अस्पताल की शय्याओं की अधिभोग दर (ऑक्यूपैंसी रेट) के आधार पर किया जाता है। तालिका 5.10 में तीन वर्षों - 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए भर्ती रोगियों की अधिभोग दर प्रस्तुत की गई है। ये आंकड़े पूरे राज्य के साथ-साथ सभी जिलों के लिए भी प्रस्तुत किए गए हैं। पूरे राज्य के मामले में अधिभोग दर 2009-10 में 22.6 प्रतिशत, 2010-11 में 58.9 प्रतिशत और 2011-12 में 77.1 प्रतिशत थी जो सतत वृद्धि दर्शाती है। विभिन्न जिलों में अधिभोग दर से उन जिलों की स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं पर मौजूद दबाव का पता चलता है। सर्वाधिक दबाव भागलपुर में था जहां अधिभोग दर 237 प्रतिशत थी। उसके बाद अररिया (194 प्रतिशत) और शिवहर (174 प्रतिशत) का स्थान था। अपेक्षाकृत कम दबाव वाले जिले बांका, बेगूसराय और भोजपुर हैं जिनमें अधिभोग दर 30 प्रतिशत से कम थी। सीमित संख्या में जिलों को छोड़ दें, तो शेष में अधिभोग दर में सतत वृद्धि का रुझान पाया गया।

तालिका 5.9 : प्रति अस्पताल और प्रतिदिन पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की जिलावार औसत संख्या

जिले	प्रति अस्पताल पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की औसत संख्या		प्रतिदिन पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या	
	अप्रील '11 से मार्च '12	जनवरी'12 से सितंबर '12	अप्रील '11 से मार्च '12	जनवरी'12 से सितंबर '12
पटना	83877	72962	230	270
नालंदा	156280	99193	428	367
भोजपुर	128329	101612	352	376
बक्सर	118370	66566	324	247
रोहतास	129800	87498	356	324
कैमूर	100750	79345	276	294
गया	117327	84928	321	315
जहानाबाद	153033	94908	419	352
अरवल	119221	74007	327	274
नवादा	116780	65241	320	242
औरंगाबाद	212495	142874	582	529
सारण	161212	112885	442	418
सीवान	86325	104760	237	388
गोपालगंज	88903	67624	244	250
पश्चिम चंपारण	99494	90203	273	334
पूर्व चंपारण	106742	101894	292	377
मुजफ्फरपुर	145053	107317	397	397
सीतामढ़ी	108092	96780	296	358
शिवहर	104828	66827	287	248
वैशाली	117696	106902	322	396
दरभंगा	134846	94291	369	349
मधुबनी	88363	79403	242	294
समस्तीपुर	141426	101658	387	377
बेगूसराय	91994	80315	252	297
मुंगेर	105162	76641	288	284
शेखपुरा	104516	69127	286	256
लखीसराय	108700	60011	298	222
जमुई	72272	65837	198	244
खगड़िया	155056	118111	425	437
भागलपुर	103649	75225	284	279
बांका	105367	85997	289	319
सहरसा	123762	96682	339	358
सुपौल	173191	117919	474	437
मधेपुरा	92252	76672	253	284
पूर्णिया	140693	113022	385	419
किशनगंज	144248	128933	395	478
अररिया	198009	88134	542	326
कटिहार	134789	97809	369	362
बिहार	120517	91358	330	338

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

तालिका 5.10 : भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर (2009-10, 2010-11 और 2011-12)

जिले	भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर		
	2009-10	2010-11	2011-12
पटना	11.2	49.1	39.4
नालंदा	42.0	81.5	98.1
भोजपुर	8.9	56.8	30.3
बक्सर	1.6	40.1	56.8
रोहतास	3.5	69.2	60.7
कैमूर	2.3	33.8	43.9
गया	53.4	133.1	56.4
जहानाबाद	0.1	अनु.	64.8
अरवल	5.1	21.8	62.3
नवादा	1.2	42.2	31.8
औरंगाबाद	9.5	68.2	70.1
सारण	7.3	53.5	64.6
सीवान	1.8	33.2	64.1
गोपालगंज	19.1	46.4	62.1
पश्चिम चंपारण	27.0	115.9	74.5
पूर्व चंपारण	1.5	39.6	140
मुजफ्फरपुर	26.4	30.1	59.6
सीतामढ़ी	14.5	25.7	54.2
शिवहर	3.6	14.6	173.8
वैशाली	103.7	100.9	78.2
दरभंगा	53.7	75.0	46.2
मधुबनी	55.8	86.0	27.6
समस्तीपुर	66.9	77.9	62.6
बेगूसराय	35.5	76.5	21.8
मुंगेर	32.2	51.8	48.5
शेखपुरा	17.0	19.9	33.9
लखीसराय	0.3	26.3	55.9
जमुई	1.0	19.4	82.2
खगड़िया	28.9	64.0	64
भागलपुर	0.0	39.0	236.8
बांका	1.4	24.4	20
सहरसा	36.0	245.6	133
सुपौल	26.9	88.5	131.1
मधेपुरा	21.0	104.0	85
पूर्णिया	41.7	49.2	148.2
किशनगंज	2.8	29.9	102.2
अररिया	34.3	57.4	194.2
कटिहार	9.9	20.4	52.7
बिहार	22.6	58.9	77.1

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

स्वास्थ्य अधिसंरचना का एक महत्वपूर्ण आयाम स्वास्थ्यकर्मियों - चिकित्सकों, नर्सों, एएनएम (सहायक परिचारिका सह धाई) और आशा (मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्मी) की उपलब्धता है। इन कर्मियों की पूरे राज्य और जिलों में उपलब्धता के आंकड़े परिशिष्ट की चार तालिकाओं में प्रस्तुत हैं - तालिका प 5.5 (चिकित्सक), तालिका प 5.6 (नर्स), तालिका प 5.7 (एएनएम) और तालिका प 5.8 (आशा)। चिकित्सकों की बात करें, तो बिहार में 4,851 स्वीकृत पदों के बरअक्स 2,472 डॉक्टर मौजूद हैं जो दर्शाता है कि लगभग आधे पद भरे जाने हैं। साथ ही, संविदा आधारित चिकित्सकों के 2,375 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 1,664 भरे गए हैं जो 30 प्रतिशत रिक्ति अनुपात दर्शाता है। इस संख्या के साथ किसी सरकारी अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रत्येक डॉक्टर औसतन लगभग 25.1 हजार आबादी की सेवा करता है। नौ जिलों (रोहतास, सीवान, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, मधेपुरा, किशनगंज और अररिया) में हरएक सरकारी डॉक्टर औसतन 30 हजार से भी अधिक आबादी की सेवा करता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप

जयप्रभा जननी-शिशु आरोग्य एक्सप्रेस : इस सेवा का शुभारंभ केंद्रीकृत कॉल सेंटर (डायल 102) के साथ 1 मई, 2012 को हुआ। ऐसे तीव्रगामी वाहनों की संख्या 504 है। गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, सड़क दुर्घटना में शिकार लोगों, बीपीएल रोगियों, वरिष्ठ नागरिकों और कालाजार के रोगियों के लिए यह आपातकालीन स्वास्थ्य देखरेख मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। अभी 345 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 अनुमंडल अस्पताल और 149 प्राथमिक रेफरल अस्पताल इस सेवा में शामिल हैं।

आदर्श दंपति योजना : इस कार्यक्रम का शुभारंभ 16 मई, 2012 को किया गया है। इस योजना के तहत विवाह और पहले बच्चे के बीच दो साल का फासला सुनिश्चित करने पर आशा को 500 रु., पहले और दूसरे बच्चे के बीच तीन वर्ष का फासला सुनिश्चित करने पर पुनः 500 रु. और दो संतानों का ही विकल्प चुनने पर 1,000 रु. का भुगतान किया जाएगा।

चिकित्सकों की ही तरह राज्य सरकार श्रेणी-ए की नियमित और संविदा आधारित नर्सों के स्वीकृत पदों को भर नहीं पाई है। पूरे राज्य में रिक्तियों की दर 50 प्रतिशत से अधिक है। कुछ जिलों में रिक्ति दरें काफी अधिक हैं। चिकित्सकों और नर्सों की स्थिति के विपरीत एएनएम और आशा के मामले में स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या काफी अधिक है। मार्च 2012 में 11,800 पदों के बरअक्स नियमित एएनएम की संख्या 9,529 थी जो दर्शाती है कि 80 प्रतिशत स्वीकृत पद भरे हुए थे। नियमित एएनएम के अलावा राज्य सरकार ने संविदा आधारित एएनएम के भी 11,479 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें से 7,952 पद भरे हुए हैं जो 30.8 प्रतिशत रिक्ति अनुपात दर्शाते हैं। विभिन्न जिलों में कार्यरत एएनएम की संख्या एक जैसी नहीं है लेकिन सौभाग्यवश जिलों के बीच अंतर कम है। आशा की बात आने पर पता चलता है कि पूरे राज्य में उनकी स्वीकृत संख्या 87.1 हजार है जबकि कार्यरत कर्मियों की संख्या 83.4 हजार है। इसका अर्थ हुआ कि रिक्ति अनुपात 5

प्रतिशत से भी कम है। यह गौर करना भी संतोषप्रद है कि मार्च 2011 में न्यूनतम 86 प्रतिशत आशा प्रशिक्षित थीं।

समग्रत:, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में गौरतलब है कि हाल के वर्षों में एक ओर जहां समग्र अधिसंरचना का विस्तार हुआ है, वहीं स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार के कारण लोगों द्वारा उनका उपयोग भी बढ़ा है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भौतिक अधिसंरचनाएं और कर्मचारी बिहार की विशाल जरूरतमंद आबादी के लिहाज से अभी भी कम हैं, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां निजी चिकित्सा सुविधाएं अत्यंत सीमित हैं।

संस्थागत प्रसव

राष्टोय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के आरंभ के बाद संस्थागत प्रसवों का प्रचलन पूरे देश में बढ़ा है। बारहवीं योजना के दृष्टिपत्र में उल्लेख है कि भारत में 2006 से 2009 के बीच संस्थागत प्रसवों की संख्या 54 प्रतिशत से बढ़कर 73 प्रतिशत हो गई। बिहार में भी हाल के वर्षों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसका आंशिक कारण यह है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदान व्यवस्था में सुधार और जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ने इस सुधार को संभव बना दिया है। तालिका 5.11 में बिहार में 2007-08 से 2011-12 के बीच संस्थागत प्रसवों की संख्या प्रस्तुत की गई है। संस्थागत प्रसव में पहला उभार 2008-09 में देखा गया था जब पिछले वर्ष से 36.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 11.4 लाख बच्चों का जन्म स्वास्थ्य संस्थानों में हुआ था। बाद के वर्षों में वृद्धि इतनी अधिक तो नहीं थी लेकिन लगातार वृद्धि जरूर होती रही थी। बाद के वर्षों में संस्थागत प्रसवों की वृद्धि दरें इस प्रकार थीं - 2009-10 में 9.10 प्रतिशत, 2010-11 में 11.1 प्रतिशत और 2011-12 में 3.3 प्रतिशत। ताजा आंकड़ों के अनुसार, 2011-12 में स्वास्थ्य संस्थानों में जन्मे बच्चों की कुल संख्या 14.3 लाख थी। उल्लेखनीय है कि बिहार में संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत, बच्चों के प्रसव से संबंधित यात्रा व्यय तथा अन्य खर्चों के भुगतान के लिए माताओं को नगद सब्सिडी उपलब्ध कराइ जाती है। गामीण स्तर तक पहुंच वाली आशा कर्मियों की बड़ी संख्या ने जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सराहनीय योगदान किया है।

राज्य के विभिन्न जिलों में संस्थागत प्रसवों की संख्या पर गौर करने पर पता चलता है कि स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशाकर्मियों ने कितने प्रभावी ढंग से काम किया है। संबंधित आंकड़े तालिका प 5.9 और प 5.10 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। संस्थागत प्रसव के सापेक्ष विस्तार की जानकारी देने के लिए तालिका प 5.9 में कुल जनसंख्या और संस्थागत प्रसवों की कुल संख्या में हर जिले का हिस्सा प्रस्तुत किया गया है। ये दोनों हिस्से आपस में लगभग बराबर हैं, खास कर 2011-12 में। इससे पता चलता है कि संस्थागत प्रसवों का फैलाव आर्थिक और सामाजिक रूप से अपेक्षाकृत उन्नत जिलों में ही नहीं, उत्तर बिहार के स्पष्टत: वंचित जिलों में भी काफी है।

तालिका 5.11 : संस्थागत प्रसवों की संख्या (2007-08 से 2011-12 तक)

वर्ष	संख्या	प्रतिशत परिवर्तन
2007-08	838481	--
2008-09	1144677	36.3
2009-10	1246494	9.1
2010-11	1384791	11.1
2011-12	1431960	3.29

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

चार्ट 5.4 : संस्थागत प्रसवों की संख्या (2007-08 से 2011-12 तक)

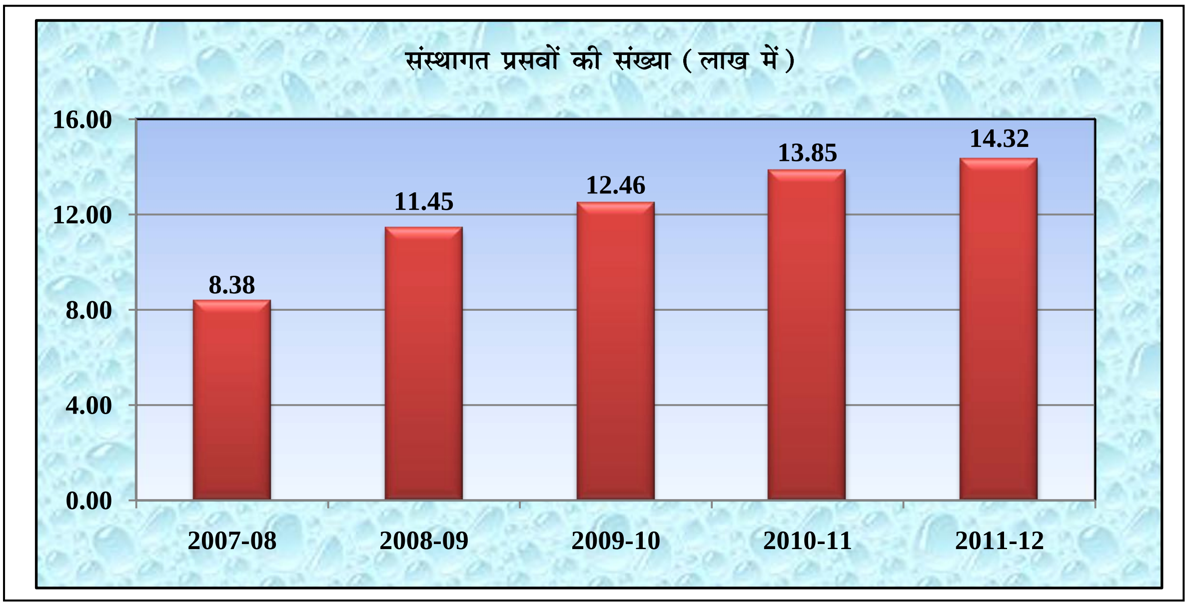

प्रतिरक्षण

भारत में हर साल लगभग 17 लाख बच्चे पांच साल पूरा करने के पहले ही मर जाते हैं। अधिकांश मामलों में बच्चे उन रोगों के कारण मरते हैं जिनकी रोकथाम बिल्कुल संभव है। प्रतिरक्षण के जरिए इस उच्च शिशु मृत्यु दर से बचना संभव है। हाल के वर्षों में देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार में भी सर्वव्यापी प्रतिरक्षण के मामले में अच्छी-खासी प्रगति हुई है। इस संबंध में प्रासंगिक आंकड़े तालिका 5.12 में प्रस्तुत हैं। प्रतिरक्षण के पांच घटकों के मामले में आंकड़े उपलब्ध हैं - टीटी (टिटेनस-रोधी), बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और खसरा (मीजल्स)। सबसे हाल के (2011-12 के) आंकड़ों पर गौर करने पर पता चलता है कि बिहार ने टीटी के मामले में पूर्ण प्रतिरक्षण (124.9 प्रतिशत) हासिल कर लिया है। बीसीजी के मामले में भी आच्छादन काफी (80.3 प्रतिशत) है। ओपीवी (पोलियो) के मामले में वर्तमान आच्छादन लगभग 50 प्रतिशत है लेकिन राज्य सौभाग्यशाली है कि इतने कम आच्छादन के बावजूद पोलियो के अत्यंत कम मामले प्रकाश में आए हैं। डीपीटी और खसरा के मामले में आच्छादन 70 प्रतिशत के आसपास है। इस लिहाज से राज्य का स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त प्रयास कर रहा है ताकि प्रतिरक्षण का आच्छादन पांचों घटकों के मामले में शत-प्रतिशत हो।

तालिका 5.12 : बिहार में एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन (2009-10 से 2011-12)

एंटोजेन का नाम	2009-10			2010-11			2011-12		
	लक्ष्य (हजार)	उपलब्धि (हजार)	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य (हजार)	उपलब्धि (हजार)	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य (हजार)	उपलब्धि (हजार)	उपलब्धि का प्रतिशत
टीटी (पी.डब्ल्यू)	3275	3244	99.1	3085	3812	123.5	3254	4063	124.9
बीसीजी	2977	2307	77.5	2805	2398	85.5	2958	2376	80.3
ओपीवी 0	2977	1449	48.7	2805	1594	56.8	2958	1377	46.5
ओपीवी 1	2977	2300	77.2	2805	2318	82.6	2958	1706	57.7
ओपीवी 2	2977	2287	76.8	2805	2264	80.7	2958	1600	54.1
ओपीवी 3	2977	2212	74.3	2805	1986	70.8	2958	1488	50.3
डीपीटी 1	2977	2435	81.8	2805	2429	86.6	2958	2299	77.7
डीपीटी 2	2977	2413	81.1	2805	2299	82.0	2958	2188	74.0
डीपीटी 3	2977	2331	78.3	2805	2116	75.4	2958	2047	69.2
खसरा	2977	2088	70.1	2805	1942	69.2	2958	2111	71.4

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

बिहार में मुख्य रोगों की व्यापकता

बिहार में मुख्य रोगों की व्यापकता के मामले में प्रासंगिक आंकड़े तालिका 5.13 में प्रस्तुत हैं। तालिका में सूचीबद्ध 11 रोगों में से तीन सर्वाधिक आम रोग 16.1 लाख मामलों वाला श्वसन तंत्र का तीव्र संक्रमण (एआरआइ), 10.9 लाख मामलों वाला अज्ञात कारणों से बुखार (एफयूओ) और 5.2 लाख मामलों वाला तीव्र अतिसार (डायरिया) हैं। जिलावार आंकड़े तालिका प 5.22 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। यह भी चिंता की बात है कि राज्य में उस वर्ष कुत्ता काटने के 3.2 लाख मामले दर्ज हुए। सुरक्षित पेयजल की अनुपस्थिति के अलावा स्वच्छता और पोषण की कमी से संबंधित अनेक कारक हैं जो बिहार में रोगों को इतने बड़े पैमाने पर व्यापकता की जड़ हैं।

इन रोगों को जिलावार व्यापकता के आंकड़े तालिका प 5.11 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तालिका के अंतिम कॉलम हर जिले में प्रति 1 लाख आबादी पर रोगों के मामलों की संख्या दर्शाई गई है। रोगों को सर्वाधिक व्यापकता वाले जिले जहानाबाद (9,710), बेगूसराय (9,556) और शेखपुरा (8,860) हैं। दूसरी ओर, सबसे कम व्यापकता वाले जिले भागलपुर (777), पूर्व चंपारण (1,362) और अररिया (1,941) हैं।

तालिका 5.13 : बिहार में मुख्य रोगों की व्यापकता (जनवरी 2012 से सितंबर 2012)

रोग	रोगियों की संख्या
तेज अतिसार (डायरिया)	522711
खूनी पेचिश	299643
वायरल हिपेटाइटिस	8574
आंत्र ज्वर	136877
मलेरिया	30613
अज्ञात मूल का बुखार (एफयूओ)	1091521
तीव्र श्वास संक्रमण (एआरआइ)	1606742
न्यूमोनिया	47766
कुत्ता काटना	322004
राज्य में होने वाले खास रोग	81671
ऊपरवर्णित रोगों से भिन्न असामान्य लक्षण	157649

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

समेकित बाल विकास योजना (आइसीडीएस)

वर्ष 1975 में आरंभ की गई समेकित बाल विकास योजना छोटे शिशुओं की देखरेख और गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम है। कार्यक्रम में 0-6 वर्ष उम्र समूह के छोटे बच्चों और उनकी माताओं के लिए वांछित सभी बुनियादी सुविधाओं को समेकित किया गया है, जैसे विकास अनुश्रवण, विद्यालय-पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक आहार, पोषण और जल एवं पर्यावरण की स्वच्छता आदि। योजना के लक्ष्य समूह - बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका के जरिए सहायता उपलब्ध होती है। बच्चों को सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा और लक्षित पोषण मानक उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करने में योजना का भारी योगदान है।

अभी बिहार में समेकित बाल विकास योजना की 544 परियोजनाएं क्रियान्वित हैं जो राज्य के सभी 38 जिलों के सभी प्रखंडों में चल रही हैं। इन 544 परियोजनाओं के तहत कुल 91,677 आंगनवाड़ी केंद्र काम कर रहे हैं। तालिका 5.14 में समेकित बाल विकास योजना के कर्मियों की स्थिति प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2011-12 के अंत में बाल विकास परियोजना अधिकारी के मात्र 8 पद रिक्त थे जिसका अर्थ हुआ कि उनके 98.5 प्रतिशत स्वीकृत पद भरे हुए थे। आंगनवाड़ी सेविकाओं के पदों को भरने के मामले में भी सुधार है। उनके 89.2 प्रतिशत पद भरे हुए थे जो पिछले वर्ष से अधिक है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के नियोजन में भी 2011-12 में 2010-11 की अपेक्षा वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 2011-12 में महिला पर्यवेक्षकों की संख्या भी कुल स्वीकृत पद का 83.8 प्रतिशत थी जो 2010-11 में मात्र 7.7 प्रतिशत थी। कर्मचारियों की अधिक संख्या के फलस्वरूप योजना के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है जो योजना के तहत उपलब्ध संसाधनों के अधिक उपयोग से प्रतिबिंबित होता है (तालिका 5.15)।

तालिका 5.14 : बिहार में समेकित बाल विकास योजना में कर्मियों की स्थिति

वर्ष	पद	बाल विकास परियोजना अधिकारी	महिला पर्यवेक्षक	आंगनवाड़ी सेविका	आंगनवाड़ी सहायिका
2008-09	स्वीकृत	544	3288	80797	80797
	पदस्थापित	485	274	80211	80211
	रिक्त	59	3014	586	586
	रिक्त पदों का प्रतिशत	10.8	91.7	0.7	0.7
2009-10	स्वीकृत	544	3288	80797	80797
	पदस्थापित	508	254	80211	80211
	रिक्त	36	3034	586	586
	रिक्त पदों का प्रतिशत	6.62	92.27	0.73	0.73
2010-11	स्वीकृत	544	3288	91677	86237
	पदस्थापित	508	254	80211	80211
	रिक्त	36	3034	11466	6026
	रिक्त पदों का प्रतिशत	6.6	92.3	12.5	7.0
2011-12	स्वीकृत	544	3288	91677	86237
	पदस्थापित	536	2754	81817	81817
	रिक्त	8	534	9860	4420
	रिक्त पदों का प्रतिशत	1.5	16.2	10.8	5.1

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

समेकित बाल विकास योजना के लिए बजट प्रावधान लगातार बढ़ा है और 2007-08 के 483.59 करोड़ रु. से 2011-12 में 1,255.87 करोड़ रु. हो गया है जो 25.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। लेकिन 2011-12 में केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त रकम बजट प्रावधान का मात्र 61.1 पतिशत थी जो गत वष से काफी कम है। इसके विपरीत, 2011-12 में कुल विमुक्त रकम के मुकाबले 123.2 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया है जो धनराशि के प्रभावी उपयोग को सूचित करता है। राज्य सरकार का अपना योगदान परियोजना में केंद्र सरकार के अंतरण के पूरक का काम करता है। समेकित बाल विकास योजना की परियोजनाओं के लिए 2010-11 और 2011-12 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योगदानों के विवरण तालिका 5.16 में प्रस्तुत हैं। कार्यक्रम के सभी घटकों की उपलब्धि दर 2011-12 में 2010-11 से अधिक रही है।

तालिका 5.15 : समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग

वर्ष	बिहार में समेकित बाल विकास योजना हेतु कुल बजट (करोड़ रु.)	बिहार हेतु केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त कुल राशि (करोड़ रु.)	बिहार द्वारा बताया गया कुल व्यय (करोड़ रु.)	विमुक्त राशि बजट के प्रतिशत के बतौर	व्यय विमुक्त धन के प्रतिशत के बतौर
2007-08	483.59	411.02	349.11	84.99	84.94
2008-09	616.21	274.58	482.45	44.56	175.70
2009-10	934.40	696.61	858.71	74.55	123.27
2010-11	880.24	727.17	615.28	82.61	84.61
2011-12	1255.87	767.40	945.09	61.11	123.15
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	25.42	24.89	25.04	---	---

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 5.16 : बिहार में समेकित बाल विकास योजना की वित्तीय उपलब्धियां

(करोड़ रु.)

योजनाएं	2010-11			2011-12		
	लक्ष्य (बजट)	भारत सरकार से प्राप्त (संशोधित परिव्यय)	उपलब्धि	लक्ष्य (बजट)	भारत सरकार से प्राप्त (संशोधित परिव्यय)	उपलब्धि
समेकित बाल विकास योजना का स्थापना व्यय (केंद्र सरकार का अंशदान - 90%)	348.18	243.80	252.42 (72.5)	540.10	363.35	447.69 (82.89)
समेकित बाल विकास योजना का स्थापना व्यय (राज्य सरकार का अंशदान - 10%)	38.68	38.68	20.0 (51.9)	66.45	0.00	52.93 (79.65)
योग	386.87	282.49	272.51 (70.4)	606.55	363.35	500.62 (82.54)
खाद्य सामग्री (केंद्र सरकार का अंशदान - 50%)	53.04	483.35	310.93 (58.4)	603.69	354.52	450.92 (74.69)
खाद्य सामग्री (राज्य सरकार का अंशदान - 50%)	444.61	262.94	259.59 (58.4)	478.39	0.00	321.24 (67.15)
योग	976.66	746.29	570.52 (58.4)	1082.08	354.52	772.16 (71.36)

टिप्पणी : कोष्ठकों में प्रदत्त आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना - सबला

11 से 18 वर्ष उम्र वाली किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए सबला योजना का आरंभ बिहार के 12 जिलों में किया गया है - पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, सीतामढो, वैशाली, मुंगेर, बांका, सहरसा, किशनगंज और कटिहार। योजना के दो घटक हैं - पोषणमूलक और गैर-पोषणमूलक। पोषणमूलक घटक में 14 से 18 वर्ष उम्र की सारी किशोरियों और 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को शामिल किया गया है। गर-पोषणमूलक घटक में 11 से 18 वर्ष उम्र वाली सारी किशोरियों को शामिल किया गया है। इस घटक के कार्यों में (क) उनका स्वविकास एवं सशक्तीकरण हेतु क्षमतावृद्धि, (ख) स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, किशोरवय प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य तथा परिवार और बच्चों की देखरेख के मामले में जागरूकता वृद्धि, (ग) गृहकौशल, जीवनकौशल और व्यावसायिक कौशल का उन्नयन, (घ) स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ना, तथा (च) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक, थाना आदि सामान्य सुविधाओं के बारे में जानकारी देना और मार्गदर्शन करना शामिल हैं।

सबला के पोषणमूलक घटक का आधा-आधा खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करते हैं। हालांकि गैर-पोषणमूलक घटक का खर्च पूरी तरह केंद्र सरकार उठाती है। वर्ष 2011-12 में आधार-रेखा सर्वेक्षण (बेसलाइन सर्वे) में 21,66,269 संभावित लाभार्थियों की पहचान की गई जिनमें से 13,05,200 को पोषण संबंधी लाभ उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2012-13 में 23,76,922 संभावित लाभार्थियों की पहचान की गई है जिनमें से 16,02,769 लड़कियों द्वारा पोषण संबंधी लाभ प्राप्त करने की आशा है।

आशा-कर्मियों को मोबाइल आधारित मुद्रांतरण (एमएमटी) : एक अनोखी पहल

मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को प्रोत्साहन राशि भुगतान करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर बोझिल और समय लेने वाली होती थी जिससे भुगतान में देर होती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए बिहार की राज्य स्वास्थ्य समिति ने नीपी-यूनॉप्स के साथ मिलकर 2010-11 में शेखपुरा जिले में आशा-कर्मियों के लिए मोबाइल आधारित मुद्रांतरण की मार्गदर्शी परियोजना चलाई। स्वास्थ्यकर्मियों को भुगतान करने के लिए देश मं ऐसी पहलकदमी पहली बार ली गई है। उनके लिए मुद्रारोध रहित (नो फ्रिल) बचत खाता खोला जाता है और मोबाइल आधारित मुद्रांतरण की तकनीक वाले व्यापारित संवाददाता 'इको फीनांसियल सर्विसेज' के तकनीकी प्रावधान के जरिए इलक्ट्रॉनिक माध्यम से मुद्रा उनके खाते में अंतरित कर दी जाती है और आशा को भुगतान के विवरण एसएमएस के जरिए भेज दिए जाते हैं। उचित और समय पर भुगतान तथा व्यवस्था की सुरक्षा और उस पर भरोसे के कारण आशा-कर्मियों में बचत की आदत बढ़ी है। इससे महिला सशक्तीकरण, वित्तीय समावेश और सुशासन का बढ़ावा मिला है। सफल मार्गदर्शी परियोजना और मुख्यमंत्री से सराहना पाने के बाद गतिविधि का अन्य जिलों में प्रसार प्रक्रियाधीन है।

सबला के पोषणमूलक घटक के लिए 2010-11 में केंद्र सरकार का अंशदान 27.74 करोड़ रु. था जिसे उस वर्ष खर्च नहीं किया जा सका। अगले साल (2011-12 में) केंद्र सरकार का अंशदान 2.78 करोड़ रु. था

लेकिन 29.53 करोड़ रु. खर्च किए गए। वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार का अंशदान 24.47 करोड़ रु. था जिसमें से 22.54 करोड़ रु. खर्च किए गए।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का उद्दश्य गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं और उनके नवजात शिशुओं (0-6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार करना है। योजना का लक्ष्य खास तौर से गर्भवती होने पर मजदूरिनों की मजदूरी के नुकसान को आंशिक भरपाई करना है ताकि वे प्रसव के कुछ पहले और बाद की अवधि में आराम कर सकें। इस योजना की लाभार्थी की उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए जो अपने पहले दो जीवित बच्चों के प्रसवों के दौरान लाभ पा सकती है। योजना पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है।

दिसंबर 2011 तक यह योजना राज्य के दो जिलों, वैशाली और सहरसा में चल रही थी। योजना का क्रियान्वयन दोनों जिलों में समेकित बाल विकास योजना के कुल 28 केंद्रों द्वारा किया जा रहा है। यह सशर्त नगद अंतरण की योजना है जिसमें गर्भवती महिलाओं को तीन किश्तों में कुल 4,000 रु. का भुगतान किया जाता है। 1,500 रु. की पहली किश्त महिला की गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में दी जाती है। 1,500 रु. की दूसरी किश्त प्रसव के तीन महीनों के बाद दी जाती है और 1,000 रु. की तीसरी किश्त प्रसव के छः महीने बाद। हर लाभान्वित पर परिलब्धि के बतौर आंगनवाड़ी सेविका को 200 रु. और आंगनवाड़ी सहायिका 100 रु. दिए जाते हैं। अभी तक 54,260 महिलाओं ने पहली किश्त, 24,961 महिलाओं ने दूसरी किश्त और 17,235 महिलाओं ने तीसरी किश्त प्राप्त की है। वर्ष 2011-12 में योजना के लिए आबंटित राशि 18.86 करोड़ रु. थी जिसमें 6.05 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

जलापूर्ति एवं स्वच्छता

निवारक स्वास्थ्य देखरेख की व्यवस्था सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और स्वच्छता एवं सफाई पर निर्भर है। इसीलिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के प्रावधान को लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के एक प्रधान कारक के बतौर देखा जाता है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और स्वच्छता को प्राथमिकता देने की जरूरत है। इस खंड में अपने लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए जलापूर्ति और स्वच्छता के मामले में राज्य के प्रदर्शन की समीक्षा की गई है।

जलापूर्ति एवं स्वच्छता के तहत प्रगति तालिका 5.17 में प्रस्तुत है। वर्ष 2011-12 में राष्टोय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत 28.3 हजार चापाकल लगाए गए हैं। वर्ष 2011-12 में 8.40 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के साथ इस मामले में भी बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। साथ ही, इस वर्ष 22.6 हजार स्कूली शौचालय और 1,521 आंगनवाड़ी शौचालय भी बनाए गए हैं। इस वर्ष स्वच्छता संकुलों (सैनिटरी कांप्लेक्स) की संख्या भी बढ़ी है। जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु वासस्थलों का केंद्र और राज्य की योजनाओं के जरिए आच्छादन तालिका प 5.13, तालिका प 5.14 और तालिका प 5.15 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

तालिका 5.17 : बिहार में जलापूर्ति एवं स्वच्छता के तहत उपलब्धियां

वर्ष	लगे चापाकलों की सं.	छूटे/ जल की खराब गुणवत्ता वाले वासस्थलों का आच्छादन	निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की सं.			स्वच्छता संकुल	स्कूली शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय
			गरीबी रेखा के ऊपर	गरीबी रेखा के नीचे	योग			
2007-08	14898	-	-	-	-	-	-	-
2008-09	18552	-	-	-	-	-	-	-
2009-10	46188	-	168865	455175	624040	20	4653	203
2010-11	58597	13922	173219	557312	730531	66	8401	315
2011-12	28286	11243	193875	646052	839927	132	22575	1521

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

राज्य योजना के तहत जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति तालिका 5.18 और तालिका 5.19 में प्रस्तुत है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक 2008-09 को छोड़कर शेष सभी वर्षों में रकम के उपयोग का स्तर काफी ऊंचा रहा है। वर्ष 2011-12 में यह 86.60 प्रतिशत रकम का उपयोग किया गया। राज्य योजना की सभी योजनाओं के तहत भौतिक प्रगति में भी 2007-08 की तुलना में क्रमिक सुधार हुआ है। वर्ष 2011-12 में पाइप आधारित ग्रामीण जलापूर्ति के मामले में दर्ज उपलब्धि की दर 52 प्रतिशत थी। नए चापाकल लगाने और पुराने चापाकलों को प्रतिस्थापित करने के मामले में उपलब्धि की दर 2011-12 में एक वर्ष पूर्व के 32 प्रतिशत से बढ़कर लक्ष्य का 48 प्रतिशत हो गई।

तालिका 5.18 : जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु राज्य योजनागत योजनाओं में वित्तीय प्रगति

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
परिव्यय (लाख रु.)	16027.85	42527.85	22700.00	22340.74	25948.74
व्यय (लाख रु.)	14812.84	13801.80	16258.51	20785.68	22470.59
व्यय का प्रतिशत	92.42	32.45	71.62	93.04	86.60

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.19 : जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु राज्य योजनागत योजनाओं में भौतिक प्रगति

योजनाएं	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना	80	20 (25%)	70	17 (24 %)	56	20 (36 %)	39	25 (64 %)	23	12 (52%)
पुराने चापाकलों को बदलना	अनु.	अनु.	27238	6887 (25 %)	20351	12298 (60 %)	10178	3298 (32 %)	6880	3330 (48%)
अनाच्छादित टोले	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	18749	13922 (74%)	15810	11243 (71%)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत उपलब्धि दर्शाते हैं।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.20 में राष्टोय ग्रामीण पेयजल परियोजना के तहत 2008-09 से 2011-12 के बीच रकम का उपयोग दर्शाया गया है। रकम का उपयोग साल दर साल बढ़ता गया है। वर्ष 2008-09 में यह 30.8 प्रतिशत था जो 2011-12 में बढ़कर 82.63 प्रतिशत हो गया। रकम के उपयोग में प्रचुर वृद्धि का भौतिक उपलब्धि पर भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। इस सफलता को आने वाले वर्षों में भी बरकरार रखना होगा ताकि स्वच्छता एवं सफाई का सर्वव्यापी आच्छादन पूरे राज्य में सुनिश्चित हो सके।

तालिका 5.20 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति (2008-09 से 2011-12)

(लाख रु.)

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
परिव्यय	31952.63	56503.67	53031.55	44080.51
व्यय	9838.16	29253.27	42139.85	36422.17
उपयोग का प्रतिशत	30.80	51.80	79.50	82.63

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

पेयजल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु हस्तक्षेप

राज्य के सभी जिलों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण के लिए **मुख्यमंत्री चापाकल योजना** नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन चापाकल लगाने के लिए किया जा रहा है। इस योजना के तहत विधान सभा सदस्य की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में हर पंचायत में 5 और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम में हर वार्ड में 3, नगर परिषद में हर वार्ड में 2 तथा नगर पंचायत में हर वार्ड में 1 चापाकल लगाने की स्वीकृति दी जाएगी। विधान परिषद सदस्य भी 100 चापाकल तक लगाने तक की स्वीकृति दे सकते हैं। इस योजना के तहत 2012-13 के लिए 225.30 करोड़ रु. की रकम स्वीकृत की गई है और 55,240 चापाकल लगाने का लक्ष्य है।

5.3 शिक्षा

शिक्षा को राष्टोय विकास का आधार माना जाता है। इससे उत्पादन क्षमता में सुधार होता है, आत्मसम्मान बढ़ता है और मानवप्राणियों का मानव पूंजी में रूपांतरण होता है जिससे राष्ट की रीढ़ के निर्माण में मदद मिलती है। बिहार में शिक्षा का काफी पुराना इतिहास है - नालंदा विश्वविद्यालय के समय से ही। लेकिन विडंबना है कि आजादी के बाद का बिहार शिक्षा के मामले में देश में लगभग सबसे पिछड़ा राज्य है। हालांकि हाल के वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। इस खंड में बिहार में शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य सरकार की पहलकदमियों का विस्तार से उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। राज्य में शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए चर्चा में शिक्षा के दोनों प्रकार के सूचकों को ध्यान में रखा गया है - परिणाम अर्थात आउटपुट (जैसे साक्षरता दर, नामांकन अनुपात, छीजन दर आदि) और इनपुट (जैसे शिक्षा सुविधा की उपलब्धता)।

साक्षरता दर

वर्ष 2011 में भी बिहार साक्षरता दर के मामले में देश में सबसे पीछे था। हालांकि गत दशक में राज्य ने साक्षरता दर बढ़ाने के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की जो 2001 के 47.0 प्रतिशत से बढकर 2011 में 63.8 प्रतिशत हो गई है। इसका अर्थ गत दशक में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि है। यह दशकीय वृद्धि बिहार में 1961 से लेकर अभी तक के सभी दशकों में हुई वृद्धि दरों से ही अधिक नहीं है, 2001-11 दशक में देश के सभी राज्यों के बीच भी सर्वाधिक है। लिंग के आधार पर जिलावार साक्षरता दरें तालिका प 5.16 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं और आवास के आधार पर तालिका प 5.17 (परिशिष्ट) में। सर्वाधिक 25.9 प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर किशनगंज में दर्ज की गई है। पटना में साक्षरता दर में सबसे कम वृद्धि दर (9.6 प्रतिशत) दर्ज की गई है जिसका मुख्य कारण इसका 2001 मं ही उच्च साक्षरता वाला जिला होना है। महिला साक्षरता दर भी सबसे अधिक किशनगंज में दर्ज हुई है और सबसे कम पटना में। वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर में वृद्धि के मामले में भी सबसे आगे किशनगंज (27.4 प्रतिशत) है और सबसे पीछे पटना (12.9 प्रतिशत)। 20 जिलों में साक्षरता दरें राज्य के औसत से अधिक हैं और 18 जिलों में कम।

तालिका 5.21 में 2011 में क्षेत्र और लिंग आधारित साक्षरता दरों के आधार पर जिलों का वर्गीकरण किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि साक्षरता दरों के लिहाज से सर्वोच्च पांचो जिले दक्षिण बिहार के हैं। एकमात्र अपवाद समस्तीपुर है जो शहरी साक्षरता दर के लिहाज से सर्वोच्च पांच में शामिल है। तालिका से यह भी पता चलता है कि गत दशक में कुछ विकास के बावजूद राज्य का उत्तर-पूर्व अंचल साक्षरता दर के लिहाज से काफी प्रतिकूलताग्रस्त है।

तालिका 5.21 : 2011 में साक्षरता दरों का जिलावार वर्गीकरण

क्षेत्र/ लिंग	सर्वोच्च पांच जिले	सबसे पीछे पांच जिले
ग्रामीण	बक्सर (70.8), सीवान (71), भोजपुर (71.5) औरंगाबाद (71.9), रोहतास (74.7)	पूर्णिया (49.8), कटिहार (50.9), सीतामढ़ी (52.2), सहरसा (52.4), मधेपुरा (52.7)
शहरी	समस्तीपुर (82.4), मुजफ्फरपुर (82.4), पटना (82.4), गया (84), कैमूर (84.7)	शिवहर (65.1), पश्चिम चंपारण (72.7), लखीसराय (73.0), शेखपुरा (73.0), अररिया (73.2)
पुरुष	औरंगाबाद (82.5), बक्सर (82.8), सीवान (82.8), भोजपुर (84.1), रोहतास (85.3)	कटिहार (61), पूर्णिया (61.1), सीतामढ़ी (62.6), शिवहर (63.7), मधेपुरा (63.8)
महिला	सीवान (60.4), औरंगाबाद (62.1), पटना (63.7), रोहतास (65), मुंगेर (65.5)	सहरसा (42.7), मधेपुरा (42.8), पूर्णिया (43.2), सीतामढ़ी (43.4), अररिया (45.2)
संयुक्त	पटना (72.5), भोजपुर (72.8), औरंगाबाद (72.8), मुंगेर (73.3), रोहतास (75.6)	पूर्णिया (52.5), सीतामढ़ी (53.5), कटिहार (53.6), मधेपुरा (53.8), सहरसा (54.6)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दी गई संख्या साक्षरता दर दर्शाती है।

तालिका 5.22 में 1961 से 2011 तक के भारत और बिहार की अब तक की साक्षरता दरों के रुझान प्रस्तुत हैं। वर्ष 2001 में बिहार की साक्षरता दर में लैंगिक अंतराल 26.7 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 20.1 प्रतिशत रह गया। यह भी गौरतलब है कि साक्षरता दरों के मामले में भारत और बिहार के बीच 17.8 प्रतिशत का फासला था जो काफी घटकर 2011 में 10.2 प्रतिशत रह गया। साक्षरता दर में लैंगिक अंतराल भारत और बिहार, दोनों में कम हुआ है। साक्षरता दर के मामले में यह विषमता 2001 में भारत में 21.6 प्रतिशत और बिहार में 26.7 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 में यह विषमता घटकर भारत में 16.6 प्रतिशत और बिहार में 20.1 प्रतिशत हो गई है। इसका अर्थ है कि बिहार इस फासले को पूरे देश की तुलना में अधिक तेज गति से घटाने में सफल हुआ है।

तालिका 5.22 : भारत और बिहार में साक्षरता दरों के रुझान

वर्ष	भारत			बिहार			लैंगिक अंतराल	
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	भारत	बिहार
1961	40.4	15.4	28.3	35.2	8.2	22.0	25.1	27.0
1971	46.0	22.0	34.5	35.8	10.2	23.2	24.0	25.5
1981	56.4	29.8	43.6	43.8	15.8	32.3	26.6	28.0
1991	64.1	39.3	52.2	52.5	22.9	37.5	24.8	29.6
2001	75.3	53.7	64.8	60.3	33.6	47.0	21.6	26.7
2011	82.1	65.5	74.0	73.4	53.3	63.8	16.6	20.1

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

साक्षरता दरों के मामले में लैंगिक अंतराल में यह कमी साक्षरता दरों में जिलों के बीच असमानताओं में कमी में भी प्रतिबिंबित होती है। वर्ष 2001 में सर्वाधिक साक्षरता दर पटना की 62.9 प्रतिशत थी और सबसे कम किशनगंज की 31.1 प्रतिशत जिससे अंतर 31.8 प्रतिशत था। लेकिन 2011 में रोहतास के सर्वाधिक 75.6 प्रतिशत और पूर्णिया के सबसे कम 52.2 प्रतिशत साक्षरता दर के बीच अंतर घटकर 23.1 प्रतिशत रह गया है। जिलावार साक्षरता दर संबंधी लैंगिक असमानता (जीडीएलआर) और ग्रामीण-शहरी असमानता तालिका 5.23 में प्रस्तुत है। साक्षरता दर में लैंगिक असमानता जितनी कम होगी, साक्षता दर में लैंगिक समानता कायम करने के मामले में जिले का प्रदर्शन उतना ही अच्छा होगा। वर्ष 2001 में सबसे कम लैंगिक असमानता पटना की (144.3 प्रतिशत) थी और उसके बाद मुंगेर (147.5 प्रतिशत) की। वर्ष 2011 में भी मुंगेर (122.3 प्रतिशत) और पटना (126.1 प्रतिशत) सर्वोत्तम जिले थे। दोनों वर्षों में सबसे खराब स्थिति सुपौल जिले की थी जिसकी साक्षरता दर में लैंगिक असमानता 2001 में 252.4 प्रतिशत थी और 2011 में 153.9 प्रतिशत। इस दशक के दौरान साक्षरता दर में लैंगिक असमानता के लिहाज से जिलों के बीच अंतर काफी घटा है जो साक्षरता दर में लैंगिक असमानता के विभेद गुणांक (सीवी) के घटते मान से स्पष्ट होता है।

तालिका 5.23 : बिहार में साक्षरता दर में लैंगिक असमानता और ग्रामीण-शहरी असमानता

जिला	लैंगिक असमानता		ग्रामीण-शहरी असमानता	
	2001	2011	2001	2011
पटना	144.3	126.1	65.8	78.0
नालंदा	172.0	140.7	73.6	86.0
भोजपुर	177.8	139.7	79.3	88.9
बक्सर	180.2	138.5	74.7	87.4
रोहतास	164.8	131.2	79.9	92.8
कैमूर	179.6	136.7	70.6	83.1
गया	172.5	136.0	61.0	75.6
जहानाबाद	177.9	141.1	76.5	86.0
अरवल	अनु.	142.9	अनु.	88.4
नवादा	188.2	139.7	62.9	77.3
औरंगाबाद	169.7	132.9	75.5	89.2
सारण	188.0	140.1	76.1	87.4
सीवान	182.4	137.1	72.5	86.4
गोपालगंज	195.7	140.0	75.0	86.8
पश्चिम चंपारण	202.8	145.7	56.7	77.4
पूर्व चंपारण	202.9	143.5	52.8	77.7
मुजफ्फरपुर	165.1	129.6	57.8	77.4
सीतामढ़ी	189.3	144.2	55.4	70.2
शिवहर	189.5	134.7	79.9	85.4
वैशाली	173.0	130.3	75.2	88.9
दरभंगा	184.1	146.3	55.4	72.6
मधुबनी	216.0	150.1	65.3	82.4
समस्तीपुर	181.7	136.6	58.0	76.6
बेगूसराय	166.0	130.3	59.8	84.7
मुंगेर	147.5	122.3	69.5	84.7
शेखपुरा	182.6	138.6	73.7	88.4
लखीसराय	178.5	134.8	74.6	87.1
जमुई	217.1	149.4	58.6	79.7
खगड़िया	176.2	131.2	56.6	76.2
भागलपुर	155.4	128.0	62.8	79.4
बांका	192.7	141.3	70.3	80.9
सहरसा	204.3	152.7	51.0	67.4
सुपौल	252.4	153.9	58.5	79.2
मधेपुरा	220.8	149.1	51.6	70.3
पूर्णिया	194.9	141.4	44.3	67.2
किशनगंज	229.6	136.7	46.9	75.3
अररिया	207.1	142.0	54.1	73.6
कटिहार	190.3	134.4	43.0	64.8
बिहार	180.4	137.7	61.1	78.4
विभेद गुणांक (% में)	11.9	5.3	16.7	8.9

टिप्पणी : साक्षरता दर में लैंगिक अंतराल = (पुरुष साक्षरता दर/ महिला साक्षरता दर) x 100

साक्षरता दर में ग्रामीण-शहरी असमानता = (ग्रामीण साक्षरता दर/ शहरी साक्षरता दर) x 100

वर्ष 2001 में ग्रामीण साक्षरता दर 43.9 प्रतिशत थी और शहरी साक्षरता दर 71.9 प्रतिशत जिसके कारण अंतर 28.0 प्रतिशत था। लेकिन 2011 में ग्रामीण साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत और शहरी साक्षरता दर 78.8 प्रतिशत होने से अंतर 17.0 प्रतिशत हो गया। तालिका 5.23 में साक्षरता दर में जिलावार ग्रामीण-शहरी असमानता भी प्रस्तुत की गई है। साक्षरता दर में ग्रामीण-शहरी असमानता का मान जितना अधिक होगा, साक्षरता दर में ग्रामीण-शहरी समानता बहाल रखने के मामले में जिले का प्रदर्शन उतना ही अच्छा होगा। यह अनुपात रोहतास के मामले में सबसे अच्छा था - 2001 में 79.9 प्रतिशत और 2011 में 92.8 प्रतिशत। कटिहार का स्थान सबसे नीचे था जिसका अनुपात 2001 में 43 प्रतिशत और 2011 में 64.8 प्रतिशत था। ग्रामीण और शहरी साक्षरतों दरों में अंतर के लिहाज से विभिन्न जिलों के बीच अंतर कम हुआ है जो 2001 और 2011 के विभेद गुणांकों से स्पष्ट होता है।

निकट भविष्य में सर्वव्यापी साक्षरता हासिल करने के लिए बिहार को साक्षरता दर में उभार बनाए रखने की जरूरत है। साक्षरता को बढ़ावा देने के मामले में बिहार के प्रदर्शन का श्रेय लोगों के बीच मौजूद सामाजिक जागरूकता संबंधी कारकों को, जिसके कारण समाज के सभी तबकों में शिक्षा की मांग बढ़ी और राज्य में शिक्षा का अवसर बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों को दिया जा सकता है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

किसी राज्य की शैक्षिक प्रगति मुख्यत: प्रारंभिक शिक्षा के विकास पर निर्भर करती है। प्रारंभिक शिक्षा की सफलता शिक्षा संबंधी दो सूचकों से निर्धारित होती है - उच्च नामांकन अनुपात और छीजन दरों में कमी। और इन दोनों सूचकों का प्रदर्शन विद्यालयों, शिक्षकों आदि शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता द्वारा प्रभावित होता है। बिहार जैसे राज्य के मामले में यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है जहां अधिकांश परिवार अपनी शैक्षिक जरूरतों के लिए सरकारी विद्यालयों पर निर्भर हैं।

नामांकन अनुपात

तालिका 5.24 में 2006-07 से 2011-12 तक बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन दर्शाया गया है। इस अवधि में प्राथमिक स्तर पर नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर 3 प्रतिशत थी। वर्ष 2006-07 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 125.49 लाख था जो 2011-12 में बढ़कर 149.34 लाख हो गया। गत चार वर्षों के दौरान उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन बढ़ा है। इस स्तर पर 2010-11 में कुल नामांकन 48. 8 लाख था और वार्षिक वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में वृद्धि दर अधिक थी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों को मिलाकर कुल नामांकन 2006-07 के 179.16 लाख से 2.2 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़कर 2010-11 में 198.14 लाख पहुंच गया। इस दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन 8.6 प्रतिशत की काफी उच्च दर से बढ़ा।

तालिका 5.24 : प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (लाख में)

विद्यार्थियों का स्तर/ प्रकार		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	वार्षिक चक्रवृद्धि दर
प्राथमिक							
लड़के	कुल	88.02	78.19	74.27	77.56	80.76	-1.8
	अजा	8.92	14.28	13.13	13.68	15.23	10.8
	अजजा	0.68	1.93	0.89	1.31	1.07	5.3
लड़कियां	सभी	37.47	68.11	57.74	61.52	68.57	11.7
	अजा	6.04	11.52	9.35	9.85	12.17	13.3
	अजजा	0.43	1.62	0.6	0.73	0.73	2.6
सभी	कुल	125.49	146.3	132.01	139.08	149.34	3
	अजा	14.97	25.81	22.49	23.54	27.4	11.8
	अजजा	1.1	3.55	1.5	2.03	1.81	4.5
उच्च प्राथमिक							
लड़के	कुल	31.87	17.28	20.66	23.42	26.65	-0.5
	अजा	4.56	2.39	3.08	3.24	3.82	-0.5
	अजजा	0.26	0.28	0.19	0.36	0.25	1.7
लड़कियां	सभी	21.8	13.06	14.56	17.85	22.14	3.5
	अजा	2.67	1.56	1.83	2.09	2.78	3.8
	अजजा	0.15	0.2	0.12	0.18	0.18	2.6
सभी	कुल	53.67	30.34	35.22	41.27	48.8	1.2
	अजा	7.22	3.94	4.92	5.33	6.61	1.3
	अजजा	0.42	0.48	0.31	0.54	0.44	2.1
योग							
लड़के	कुल	119.89	95.47	94.93	100.98	107.41	-1.6
	अजा	13.48	16.67	16.21	16.92	19.05	7.3
	अजजा	0.94	2.21	1.08	1.67	1.32	4.1
लड़कियां	कुल	59.27	81.17	72.3	79.37	90.71	8.6
	अजा	8.71	13.08	11.18	11.94	14.95	10.4
	अजजा	0.58	1.82	0.72	0.91	0.91	2.1
सभी	कुल	179.16	176.64	167.23	180.35	198.14	2.2
	अजा	22.19	29.75	27.41	28.87	34.01	8.6
	अजजा	1.52	4.03	1.81	2.57	2.25	3.4

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

इस बात का उल्लेख करना उत्साहवर्धक है कि लड़कियों का नामांकन लड़कों की अपेक्षा तेज दर से बढ़ रहा है। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के बीच लड़कियों के नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर 11.7 प्रतिशत थी। हालांकि संख्या के लिहाज से 2010-11 में लड़कों का कुल नामांकन (80.76 लाख) लड़कियों के नामांकन (68.57 लाख) से अधिक था। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का नामांकन अनुपात 2006-07 में 0.43 था जो 2010-11 में लगभग दूना होकर 0.85 हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी यही तस्वीर उभरती है। उक्त अवधि में लड़कियों के नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर लडकों की तुलना में काफी अधिक थी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों को मिलाकर देखने पर कुल नामांकन में लड़कों के नामांकन का हिस्सा 2006-07 में

दो-तिहाई था लेकिन 2011-12 में लड़कों का हिस्सा लड़कियों से थोड़ा ही अधिक था। यह बिहार में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति की जानकारी देता है। कथित अवधि में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनों स्तरों पर अनुसूचित जाति की लड़कियों के नामांकन के मामले में भी यही रुझान दिखता है।

समस्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में जिलावार कुल नामांकन के आंकड़े क्रमशः तालिका प 5.18, तालिका प 5.19 और तालिका प 5.20 (परिशिष्ट) में दिए गए हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनों स्तरों पर जिलों के बीच 2010-11 में काफी अंतर था लेकिन अंतर 2009-10 की अपेक्षा कम हुआ था। वर्ष 2010-11 में प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक 10.96 लाख नामांकन पूर्व चंपारण में दर्ज हुआ और उसके बाद 7.29 लाख मुजफ्फरपुर में। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी सर्वाधिक 4.05 लाख नामांकन पूर्व चंपारण में ही दर्ज हुआ और उसके बाद 3.8 लाख सारण में। वर्ष 2010-11 में दोनों स्तरों पर सबसे कम 0.95 लाख नामांकन शेखपुरा और शिवहर में दर्ज हुआ। नामांकन की जिलावार वार्षिक वृद्धि दरें तालिका प 5.21 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दरों वाले तीन जिले पूर्व चंपारण (19.20 प्रतिशत), सुपौल (10.86 प्रतिशत) और जमुई (10.05 प्रतिशत) हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्व चंपारण (49.46 प्रतिशत), जमुई (43.25 प्रतिशत) और सारण (33.69 प्रतिशत)। सामान्यतः उच्च वार्षिक वृद्धि दर उन जिलों में देखी गई जहां साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम है। बिहार में प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के नामांकन का सर्वव्यापी आच्छादन लगभग हासिल कर लिया गया है। यह उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन की उच्च वृद्धि दर का एक महत्वपूर्ण कारण है। अब विद्यार्थियों को विद्यालयों में टिकाए रखने और छीजन दरों में कमी लाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अतिपिछड़ी जातियों की महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए **अक्षर आंचल योजना** का शुभारंभ किया गया है।
- कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को स्कूली पोशाक मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
- मध्याह्न भोजन योजना के अनुश्रवण के लिए एक मोबाइल आधारित योजना **दोपहर** शुरू की गई है। इसके आंकड़ों को वेवसाइट के जरिए सार्वजनिक पहुंच में रखा गया है।
- प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिशन की स्थापना की गई है। मिशन ने शिक्षा में गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिए 20 सूचकों वाली विस्तृत मार्गदर्शिका **समझें-सीखें** विकसित की है।

छीजन दर

उच्च नामांकन की सफलता को तभी टिकाए रखा जा सकता है जब नामांकित बच्चे विद्यालय में टिके रहें। लेकिन खास शैक्षिक स्तर तक पहुंचने के पहले स्कूल छोड़ देना बिहार में एक बड़ी समस्या है। अनेक अध्ययनों में छीजन (विद्यालय परित्याग) के पीछे अनेक कारणों को चिन्हित किया गया है। इन सारे कारकों

को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में समेटा जा सकता है - (क) आर्थिक कारक, (ख) सामाजिक और सांस्कृतिक कारक तथा (ग) विद्यालय का वातावरण और अधिसंरचना। बिहार के मामले में विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग पर ये सारे कारक काफी प्रभाव डालते हैं। मजदूरी से आय, घरेलू काम आदि अवसरजन्य खर्च के कारण माता-पिता/ परिवार अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से रोकत हैं।

बिहार में 2006-07 से 2010-11 तक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों की छीजन दरें तालिका 5.25 में प्रस्तुत हैं। इस अवधि में शिक्षा के सभी स्तरों पर छीजन दरों में लगातार कमी आई है। प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 2006-07 के 46.1 प्रतिात से घटकर 2010-11 में 39.27 प्रतिशत रह गई। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह दर 2006-07 के 61.8 प्रतिात से घटकर 2010-11 में 55.14 प्रतिशत पर आ गई। इसका अर्थ है कि अभी भी आधे से ज्यादा विद्यार्थी माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश के पहले स्कूल छोड देते हैं। इस अवधि में शिक्षा के दोनो स्तरों पर छात्राओं की छीजन दरें छात्रों की तुलना में कम थी। इसका एक कारण माता-पिता द्वारा यह सोचना है कि लड़कियों को स्कूल भेजने का अवसरजन्य खर्च लड़कों से कम है। दूसरे, अक्सर माता-पिता शिक्षा हेतु अपनी लड़कियों को भेजने में भी चुनाव करते हैं; समान्यतया अपेक्षाकृत तेज लड़कियों को ही स्कूल भेजा जाता है।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों की अपेक्षा काफी अधिक हैं। वर्ष 2010-11 में माध्यमिक स्तर पर यह दर 62.24 प्रतिशत थो। इसका अर्थ हुआ कि कक्षा 1 में नामांकित एक-तिहाई विद्यार्थी ही माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात तो और भी कम - लगभग 30 प्रतिशत है। पहले दोनों स्तरों पर छात्राओं की छीजन दरें छात्रों की अपेक्षा अधिक थीं। लेकिन 2009-10 से छात्राओं की छीजन दरें छात्रों की अपेक्षा कम हो गई हैं। हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरों में साल दर साल कमी आती गई है लेकिन यह अभी भी काफी अधिक है और कुछ नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करती है। राज्य में मानव संसाधन के विकास के लिए इस स्तर पर विद्यार्थियों को टिकाए रखना बहुत जरूरी है।

तालिका 5.25 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग
2006-07	45.7	46.4	46.1	60.1	62.8	61.8
2007-08	45.2	45.6	45.4	61.1	61.5	61.4
2008-09	44.6	45.1	45	अनु.	अनु.	60.3
2009-10	41	43.5	42.5	56.7	60.2	58.8
2010-11	35.3	42.13	39.27	51.31	57.87	55.14
वर्ष	माध्यमिक			उच्च माध्यमिक		
	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग
2006-07	79.2	75.4	76.8	82.3	82.7	81.9
2007-08	75.6	72.6	73.7	83.7	82	82.6
2008-09	अनु.	अनु.	72.1	80.7	79.9	80.2
2009-10	67	69.9	68.8	73.4	76.3	75.2
2010-11	58.85	64.38	62.24	69.42	72.93	71.61

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

पहले भी कहा गया है कि उच्च छीजन दरों के लिए ढेर सारे कारक जबावदेह हैं और नामांकित विद्यार्थियों को टिकाए रखने के लिए लगातार अनुश्रवण जरूरी है। छीजन दरों में कमी लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रतिकूलताग्रस्त तबकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, खास कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्याथियों पर। तालिका 5.26 में बिहार में 2006-07 से 2010-11 के बीच प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छीजन दरें प्रस्तुत हैं। इस अवधि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छीजन दरें घटी हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर अनुसूचित जाति की छात्राओं की छीजन दरें पूरी अवधि में छात्रों की तुलना में नीचे रही हैं। माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति की छात्राओं की छीजन दरं 2006-07 से 2008-09 के बीच छात्रों से अधिक थीं लेकिन उसके बाद घटने लगीं और 2009-10 तथा 2010-11 में छात्रों की अपेक्षा कम हो गईं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लें, तो सभी स्तरों पर छात्राओं की छीजन दरें पूरी अवधि में छात्रों की अपेक्षा नीचे थीं, खास कर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर।

तालिका 5.26 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें

वर्ष	अनुसूचित जाति								
	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक		
	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग
2006-07	51.2	51.6	51.5	77.8	72.8	72.8	86.7	85.4	85.9
2007-08	51.0	53.3	52.4	70.3	71.8	71.2	86.0	83.0	84.1
2008-09	49.5	50.5	50.1	69.4	70.5	70.1	83.2	82.8	83.0
2009-10	49.7	50.9	50.4	69.8	72.7	71.6	80.7	81.4	81.1
2010-11	35.9	40.9	38.8	63.8	68.2	66.5	76.8	78.0	77.6
वर्ष	अनुसूचित जनजाति								
2006-07	32.4	35.7	34.5	61.6	79.8	66.9	81.9	83.8	83.0
2007-08	25.6	35.1	31.6	57.2	67.8	64.3	82.2	82.8	82.6
2008-09	29.2	30.9	30.3	55.8	65.0	61.9	75.9	79.6	78.4
2009-10	15.6	8.1	10.9	20.1	11.9	14.8	62.1	66.4	65.0
2010-11	19.8	31.6	27.1	46.1	56.5	52.6	66.8	70.9	69.5

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या तालिका प 5.22 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2007-08 के 67,865 से बढ़कर 2011-12 में 68,323 हो गई। इस अवधि में अनेक प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मौजूद शिक्षकों की जिलावार संख्या तालिका प 5.23 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या 2007-08 के 3. 19 लाख से बढ़कर 2010-11 में 3.38 लाख हो गई।

विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सूचक है। नामांकन अनुपात बढ़ने के साथ शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों को मिलाने पर 2010-11 में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 59 था। शिक्षाधिकार अधिनियम (आरटीई) द्वारा स्थापित मानक की तुलना में यह बहुत अधिक है। बिहार ने विगत कुछ वर्षों के दौरान इस अनुपात में पहले की अपेक्षा काफी सुधार किया है। वर्ष 1999-2000 में यह अनुपात 90 था। शिक्षा में विस्तार के कारण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में उच्च नामांकन हुआ है। राज्य सरकार ने अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करके इस नामांकन से तालमेल बिठाने की कोशिश की है। फलत: 2011-12 में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात गिरकर 59 पर आ गया है। हालांकि प्रति विद्यालय उपलब्ध शिक्षकों की संख्या में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन बेहतर शिक्षा सुविधा के लिए अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जरूरत है।

शिक्षा पर व्यय

शैक्षिक अधिसंरचना में विस्तार के लिए शिक्षा पर व्यय हेतु पर्याप्त प्रावधान बहुत जरूरी है। बिहार में समग्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मानव पूंजी का विकास नितांत अनिवार्य है। हाल के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में काफी वृद्धि हुई है। तालिका 5.27 में विगत 5 वर्षों के दौरान शिक्षा पर व्यय दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि 2007-08 और 2011-12 के बीच 37.4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ योजना व्यय दूने से भी अधिक बढ़ा है। दूसरी ओर इस अवधि में 5.85 वार्षिक वृद्धि दर के साथ गैर-योजना व्यय भी लगातार बढ़ा है। कुल मिलाकर 13.84 प्रतिशत की प्रभावशाली दर से बढ़ते हुए शिक्षा व्यय इस अवधि में दूना हो गया है। इससे राज्य में शिक्षा की प्रगति हेतु राज्य सरकार का निरंतर प्रयास प्रतिबिंबित होता है। कुल बजट के प्रतिशत के बतौर शिक्षा व्यय 2010-11 के 15.8 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 16.8 प्रतिशत हो गया है। सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय में शिक्षा व्यय का हिस्सा भी 2010-11 के 49.7 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 51.6 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोत्तरी पूर्व के वर्षों में गिरावट के रुझान के बाद दर्ज की गई है।

तालिका 5.27 : शिक्षा पर व्यय

वर्ष	शिक्षा पर व्यय (करोड़ रु.)			शिक्षा पर व्यय	
	योजना	गैर-योजना	योग	कुल बजट के प्रतिशत में	सामाजिक सेवाओं पर व्यय के प्रतिशत में
2007-08	1046.26	4741.76	5788.02	18.3	54.3
2008-09	1565.52	5099.47	6664.99	17.9	51.7
2009-10	1585.02	5958.68	7543.70	17.6	52.7
2010-11	3356.97	4667.28	8024.25	15.8	49.7
2011-12	3499.41	6585.91	10085.32	16.8	51.6
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	37.40	5.85	13.84	---	---

स्रोत : राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था, बिहार सरकार

मध्याह्न भोजन योजना

मध्याह्न भोजन योजना एक अधिकार आधारित योजना है। योजना का आरंभ 6 से 14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के अधिक नामांकन और स्कूल में उन्हें टिकाए रखने के जरिए प्रारंभिक शिक्षा में सुधार करने के लिए किया

गया है। बच्चों के पोषण और सामाजिक समता की स्थिति के मामले में भी इस योजना का अच्छा-खासा असर है। वर्ष 2007 में इसका विस्तार उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक कर दिया गया था और 2008 में प्रारंभिक स्तर तक इसक सर्वव्यापीकरण कर दिया गया था। बारहवें वित्त आयोग ने योजना का अच्छादन निजी विद्यालयों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है ताकि इन विद्यालयों के गरीब विद्यार्थी योजना के लाभों से वंचित नहीं रहें।

तालिका 5.28 में बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के परिदृश्य की 2008-09 से 2011-12 के बीच समग्र स्थिति दर्शाई गई है। वर्ष 2011-12 में प्राथमिक स्तर पर योजना का आच्छादन 45 प्रतिशत था। दुर्भाग्यवश इस आच्छादन में साल दर साल गिरावट आती गई है जिसका श्रेय इन वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में बढ़े नामांकन को दिया जा सकता है। इस अवधि में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी यही रुझान दर्ज हुआ है। वर्ष 2008-09 में योजना का आच्छादन 81.2 प्रतिशत था जो 2011-12 में 39 प्रतिशत रह गया।

तालिका 5.28 : बिहार में मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन (2008-09 से 2011-12)

वर्ष	कक्षा I से V			कक्षा VI से VIII		
	कुल नामांकन (लाख में)	प्रतिदिन लाभान्वित बच्चों की सं. (लाख में)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख में)	प्रतिदिन लाभान्वित बच्चों की सं. (लाख में)	आच्छादन प्रतिशत
2008-09	138.70	98.27	70.9	38.8	31.51	81.2
2009-10	144.77	77.91	53.8	43.37	20.41	47.1
2010-11	144.77	79.18	54.7	43.37	20.94	48.3
2011-12	153.16	68.85	45	52.45	20.29	39

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना, बिहार सरकार

तालिका 5.29 में बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के लिए स्वीकृत धनराशि और उसका उपयोग दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि योजना हेतु धनराशि आबंटन में साल दर साल लगातार वृद्धि होती गई है। वर्ष 2008-09 में स्वीकृत रकम 5.39 करोड़ रु. थी जो 2011-12 में तिगुनी होकर 17.66 करोड़ रु. तक पहुंच गई। योजना के तहत स्वीकृत सारी रकम का उपयोग कर लिया गया है। वर्ष 2011-12 में व्यय के दो प्रमुख घटक थे - विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण केंद्रों का सशक्तीकरण सहित अन्य आनुषंगिक व्यय और कर्मियों का वेतन। इन दोनों घटकों मे कुल नगद राशि का 84 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा चला जाता है।

प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन तालिका प 5.24 (परिशिष्ट) में दर्शाया गया है और और उच्च प्राथमिक स्तर का तालिका प 5.25 (परिशिष्ट) में। वर्ष 2011-12 में 21 जिलों में प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन राज्य के औसत (45 प्रतिशत) से कम था। वहीं दो जिलों में आच्छादन 80 प्रतिशत से भी अधिक था - मुंगेर में 81.0 प्रतिशत और लखीसराय में 88.6 प्रतिशत। सबसे कम 17.5 प्रतिशत आच्छादन औरंगाबाद में दर्ज किया गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर 18 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन राज्य के औसत (48 प्रतिशत) से कम था। आच्छादन के लिहाज से तीन सर्वोत्तम जिले कैमूर (96.76 प्रतिशत), मधुबनी (76.01 प्रतिशत) और अरवल (72.42 प्रतिशत थे। सबसे कम 17.61 प्रतिशत आच्छादन शेखपुरा में दर्ज किया गया।

तालिका 5.29 : मध्याह्न भोजन योजना में राशि की स्वीकति

(लाख रु.)

विद्यालय स्तर पर खर्च	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वजन मशीन तथा ऊंचाई मापक	357.9 (100.0)	596.5 (100.0)	0 (---)	0 (---)
प्रबंधन पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण तथा आंतरिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	2 (100.0)	3 (100.0)	3.8 (100)	3.8 (100
एमआइएस समन्वयकों तथा डाटा इंट्री ऑपरेटरों के वेतन सहित कर्मचारियों का वेतन	86.5 (100.0)	355 (100.0)	428.2 (100.0)	529.374 (100.0)
परिवहन तथा आकस्मिक व्यय	7 (100.0)	9 (100.0)	89 (100.0)	89 (100.0)
अन्य आनुषंगिक व्यय (राज्य, जिला तथा प्रखंड स्तरीय संचालन एवं अनुश्रवण समितियों के कार्य से संबंधित व्यय सहित)	0 (-)	0 (---)	723.4 (100.0)	961.776 (100.0)
फर्नीचर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं उपयोग सामग्रियां और अन्य आनुषंगिक व्यय	2.3 (100.0)	6 (100.0)	8 (100.0)	8 (100.0)
मध्याह्न भोजन में लगे कर्मियों का क्षमता विकास और प्रशिक्षण	11.3 (100.0)	11.3 (100.0)	8.8 (100.0)	8.8 (100.0)
वाह्य अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	71.6 (100.0)	119.3 (100.0)	165.5 (100.0)	165.52 (100.0)
योग	538.5 (100.0)	1100.1 (100.0)	1426.6 (100.0)	1766.23 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रकम के उपयोग का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना, बिहार सरकार

मध्याह्न भोजन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन शिक्षा का सर्वव्यापी आच्छादन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिहार जैसे राज्य के लिए यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है। मध्याह्न भोजन योजना क उचित क्रियान्वयन के संबंध में अनेक चिंताएं हैं। उनमें से कुछ ये हैं : नामांकन और उपस्थिति में भारी अंतर, मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन, भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर कम नियंत्रण, खाद्यान्नों की अनियमित आपूर्ति आदि। इन समस्याओं के निराकरण के लिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। बारहवीं योजना के दृष्टिपत्र में इन समस्याओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और वेब आधारित आंकड़ों के जरिए अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है। स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को इस योजना की गुणवत्ता बढ़ाने में अधिक सकारात्मक भूमिका निभानी होगी।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान दश में शिक्षा का सर्वव्यापीकरण सुनिश्चित करने वाला केंद्र सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका वित्तपोषण केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से होता है जिसमें केंद्र सरकार का 65 प्रतिशत और राज्य सरकार का 35 प्रतिशत अंशदान होता है। सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने निम्नलिखित उद्दश्य तय किए हैं : (1) शिक्षकों की क्षमतावृद्धि, (2) पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता और विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को वांछित स्तर पर पहुंचाना, (3) स्कूली वातावरण का सुदृढ़ीकरण और (4) ग्राम संसद स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के गठन के जरिए सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना। इसका लक्ष्य साक्षरता और प्रारंभिक शिक्षा में सामाजिक, आंचलिक और लैंगिक अंतरालों को पाटना भी है।

बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जरिए किया जा रहा है। अभियान के तहत प्राप्त वित्तोय सहायता का स्कूली शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न घटकों के बीच आदर्श आबंटन करने के लिए उचित योजना बनाने की जरूरत पड़ती है। तालिका 5.30 में सर्वशिक्षा अभियान के विभिन्न

शीर्षों के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान हुइ वित्तोय प्रगति दर्शाई गई है। वर्ष 2011-12 में सभी घटकों सहित सर्व शिक्षा अभियान की समग्र वित्तोय उपलब्धि 37.1 प्रतिशत रही है जो 2010-11 से 55.6 प्रतिशत से निश्चित तौर पर कम है। इसक लिए इस बात को जबावदेह माना जा सकता है कि वित्तोय प्रगति का अनुमान करने मं विगत वर्षों की बची राशियों को भी ध्यान में रखा गया है। हालांकि उसके बाद भी वित्तोय प्रगति में सुधार की गुंजाइश मौजूद है। सर्वाधिक 87.5 प्रतिशत वित्तोय उपलब्धि स्कूली अनुदान घटक के तहत दर्ज की गई है। शोध एवं मूल्यांकन घटक के तहत वित्तोय उपलब्धि मात्र 2.1 प्रतिशत है। प्रखंड संसाधन केंद्रों के तहत उपलब्धि साल दर साल घटती गई है। मुफ्त पाठ्यपुस्तकों के घटक पर व्यय में साल दर साल वृद्धि का रुझान दिखता है हालांकि इस शीर्ष में अच्छी-खासी रकम का अभी भी उपयोग नहीं हुआ है। सारत:, वित्तोय प्रगति क लिहाज से समग्र प्रगति में साल दर साल सुधार हुआ है, तथापि कुछ क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इनमें सिविल निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण-अधिगम सामग्री, संकुल संसाधन केंद्र तथा शोध एवं मूल्यांकन शामिल हैं। इन क्षेत्रों में उपलब्धि से छीजन दरों मं कमी और नामांकन अनुपात में वृद्धि के कारण प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा।

तालिका 5.30 : सर्व शिक्षा अभियान - वित्तीय प्रगति

(लाख रु.)

हस्तक्षेप	2009-10		2010-11		2011-12	
	वर्तमान वर्ष का वित्तीय लक्ष्य विगत शेष सहित	वित्तीय उपलब्धि	वर्तमान वर्ष का वित्तीय लक्ष्य विगत शेष सहित	वित्तीय उपलब्धि	वर्तमान वर्ष का वित्तीय लक्ष्य विगत शेष सहित	वित्तीय उपलब्धि
नामांकित विद्यालय-वाह्य बच्चों की संख्या	14299.5	9151.7 (64.0)	26008.9	11255.0 (43.3)	57446.17	15625.85 (27.2)
उपचारी शिक्षण	1852.7	1574.7 (85.0)	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
निर्माण कार्य प्रगति पर/ पूर्ण	187824.5	73320.8 (39.0)	213032.5	103407.4 (48.5)	558067.67	159691.06 (28.6)
रखरखाव अनुदान (प्रा. तथा उ. प्रा. विद्यालय)	4940.0	3294.7 (66.7)	3775.3	3246.6 (86.0)	4239.73	3281.94 (77.4)
शिक्षक प्रशिक्षण	8328.0	1664.5 (20.0)	6401.6	2277.4 (35.6)	10441.2	3422.02 (32.8)
शिक्षकों का वेतन	138112.8	86561.1 (62.7)	193940.3	124856.8 (64.4)	327737.61	168547.97 (51.4)
विद्यालय अनुदान	5316.2	4840.3 (91.0)	5523.1	4964.9 (89.9)	5703.14	4990.74 (87.5)
मुफ्त पाठ्यपुस्तकें	25228.7	13866.9 (55.0)	26442.1	19221.8 (72.7)	34476.34	19039.94 (55.2)
शिक्षक अनुदान	1632.6	1544.0 (94.6)	1588.1	1487.0 (93.6)	1757.48	1504.13 (85.6)
सामुदायिक गोलबंदी	223.8	111.0 (49.6)	771.7	99.1 (12.8)	2723.77	990.07 (36.3)
शिक्षण-अधिगम उपकरण	3279.8	1901.4 (58.0)	2451.9	874.5 (35.7)	2030.32	483.53 (23.8)
प्रखंड संसाधन केंद्र	444.7	171.7 (38.6)	1905.6	440.7 (23.1)	6238.5	764.83 (12.3)
संकुल संसाधन केंद्र	924.3	337.3 (36.5)	2553.8	1010.6 (39.6)	4694.33	1103.87 (23.5)
समेकित विकलांग शिक्षा	2194.5	968.5 (44.1)	5956.5	2776.5 (46.6)	9629.34	4092.02 (42.5)
नवाचारी गतिविधियां	3663.9	1531.1 (41.8)	3800.0	1436.0 (37.8)	3800	1381.05 (36.3)
शोध एवं मूल्यांकन	1248.7	679.7 (54.4)	1286.6	744.9 (57.9)	1528.23	31.44 (2.1)
प्रबंधन, एमआइएस तथा मीडिया	13674.5	6154.8 (45.0)	15182.8	5761.7 (37.9)	22599.47	5561.57 (24.1)
योग : सर्व शिक्षा अभियान	413189.3	207674.3 (50.3)	510620.8	283860.9 (55.6)	1053113.9	390512.03 (37.1)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

विद्यालय-वाह्य बच्चे

विद्यालय-वाह्य या अनामांकित बच्चे बिहार में बड़ी समस्या रहे हैं। अनेक वैकल्पिक नवाचारी केंद्रों के जरिए ऐसे बच्चों को विद्यालय में लाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना ने अनेक पहलकदमियां ली हैं। इन केंद्रों में शामिल हैं : (क) उत्थान केंद्र - महादलित श्रेणी के बच्चों के लिए, (ख) तालीमी मरकज - 6 से 10 वर्ष के मुसलमान बच्चों के लिए, (ग) मकतब मद्रसा केंद्र - मुसलमान बच्चों के लिए अनावासीय सेतु पाठ्यक्रमों और आवासीय सेतु पाठ्यक्रमों के लिए, (घ) उत्प्रेरण और उत्कर्ष केंद्र - 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए और (च) उन्नयन केंद्र - बचाए गए बच्चों के लिए।

तालिका 5.31 में ऐसे केंद्रों और उनके द्वारा शामिल बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। सितंबर 2010 से सितंबर 2012 के बीच उत्थान केंद्रों की संख्या और उनके द्वारा शामिल बच्चों की संख्या, दोनों में गिरावट का रुझान दिखा है। तालीमी मरकज, उत्प्रेरण केंद्रों और मकतब मदरसा केंद्रों के मामले में भी ऐसा ही रुझान देखा गया। इसकी व्याख्या इस तथ्य के जरिए की जा सकती है कि ये सारे केंद्र अनौपचारिक हैं और औपचारिक विद्यालयों की अधिसंरचना में विकास के साथ विद्यार्थी अनौपचारिक केंद्रों से औपचारिक संस्थाओं की ओर जा रहे हैं। अतएव वैकल्पित नवाचारी केंद्रों की संख्या में कमी राज्य के लिए अच्छा संकेत है। दूसरी ओर, अनावासीय सेतु पाठ्यक्रमों और आवासीय सेतु पाठ्यक्रमों जैसे अन्य केंद्रों द्वारा शामिल बच्चों की संख्या इस अवधि में बढ़ी है। इन वैकल्पिक नवाचारी केंद्रों द्वारा शामिल बच्चों की कुल संख्या निस्संदेह सितंबर 2010 के 6.82 लाख से बढ़कर सितंबर 2012 में 6.97 लाख हो गई है।

तालिका 5.31 : वैकल्पिक नवाचारी केंद्रों की स्थिति

हस्तक्षेप	सितंबर 2010 में		सितंबर 2011 में		सितंबर 2012 में	
	केंद्रों की सं.	शामिल बच्चे	केंद्रों की सं.	शामिल बच्चे	केंद्रों की सं.	शामिल बच्चे
उत्थान केंद्र	19942	515098	19962	620200	18334	546422
तालीमी मरकज	3770	75394	3851	84456	3089	72109
उत्प्रेरण केंद्र	1040	61671	933	49650	836	54763
मकतब मदरसा केंद्र	815	16309	2381	52382	37	823
गैर-सरकारी संगठन संचालित अनावासीय नवाचारी सेतु केंद्र	254	6336	70	3965	270	3986
गैर-सरकारी संगठन संचालित आवासीय नवाचारी सेतु केंद्र	118	7260	262	1950	191	19000
योग	25939	682068	27459	812603	22757	697103

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार सरकार

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा मानव संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो किसी विकासमान अर्थव्यवस्था के लिए अन्यंत आवश्यक होता है। अपनी अर्थव्यवस्था के वतर्मान विकास रुझान को बरकरार रखने और उसका पोषण करने क लिए बिहार जैसी विकासमान अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल मानवपूंजी की जरूरत है। पहले भी गौर किया गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में उच्च नामांकन और निम्न छीजन दर दर्ज की गई है जिसका उच्च शिक्षा में नामांकन पर श्रृंखलावत प्रभाव पड़ा है। बिहार में उच्च शिक्षा की मांग का बढ़ना

राज्य के लिए शुभ संकेत है। संसाधन संबंधी गंभीर अवरोधों के बावजूद, राज्य सरकार इस बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए तैयार लगती है।

उच्च शिक्षा संस्थानों का वर्गीकरण सामान्यत: दो श्रेणियों में किया जाता है – सामान्य और पेशेवर/ तकनीको। सामान्य और तकनीकी, दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए बिहार में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मौजूद हैं। तालिका 5.32 में बिहार में विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या प्रस्तुत की गई है। बिहार में महाविद्यालयों की संख्या 2010 में 13 थी जो 2011 मं बढकर 20 हो गई। बिहार में 2007 में 815 महाविद्यालय थे और 2011 में भी उतने ही। लेकिन 2011 में अनेक सरकारी और अन्य महाविद्यालयों को स्थानीय निकाय के महाविद्यालयों में बदल दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। बिहार में 2011 में 35 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र थे जिनमें से 12 केंद्र 2009 और 2011 के बीच बढ़े थे। यह वृद्धि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में उच्च नामांकन अनुपात के साथ संगतिपूर्ण है। बिहार में तकनीकी संस्थानों की संख्या भी हाल के वर्षों में बढ़ी है।

तालिका 5.32 : बिहार में उच्च शिक्षा संस्थान

संस्थानों का प्रकार/ वर्ष	2007	2008	2009	2010	2011
विश्वविद्यालय	12	13	13	13	20
मुक्त विश्वविद्यालय	1	1	1	2	1
शोध संस्थान	15	15	15	15	15
महाविद्यालय/ संस्थान	815	815	815	815	815
सरकारी महाविद्यालय	451	451	451	451	273
स्थानीय निकाय महाविद्यालय	97	97	97	97	336
अन्य महाविद्यालय	267	267	267	267	206
शिक्षा/ अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र	15	15	23	33	35
अभियंत्रण/ तकनीकी महाविद्यालय	8	8	10	10	10
अन्य	62	164	164	251	252

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

संसाधन संबंधी अवरोधों के कारण राज्य सरकार उच्च शिक्षा की मांग को अकेले पूरी करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए राज्य में अनेक निजी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना हुई है जो सामान्यत: तकनीकी, चिकित्सा और व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान हैं। वर्ष 2008 और 2009 में ऐसे संस्थानों की संख्या मात्र 164 थी जो 2011 में बढ़कर 252 हो गई। बिहार में विभिन्न विषयों से जुड़े 15 शोध संस्थान मौजूद हैं।

बिहार में 2009-10 और 2010-11 में हुआ पाठ्यक्रम-वार नामांकन तालिका प 5.26 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। इसमें कला, वाणिज्य, विज्ञान, अभियंत्रण, चिकित्सा और अन्य श्रेणियों को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों का सर्वाधिक नामांकन कला श्रेणी के पाठ्यक्रमों में दर्ज किया गया। हालांकि स्नातक या स्नातकोत्तर अथवा पीएच.डी. की डिग्री लेने का प्रयास करने वाले विद्यार्थियों का नामांकन 2009-10 के 6.14 लाख से गिरकर 2010-11 में 4.59 लाख रह गया। इन विद्यार्थियों में 2.67 लाख (58.2 प्रतिशत) लड़के थे। कला

श्रेणी के विपरीत वाणिज्य श्रेणी में नामांकन 30.72 प्रतिशत बढ़ा है। वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या 94.7 हजार थी जिनमें से 63 प्रतिशत लड़के थे और शेष 37 प्रतिशत लड़कियां। विज्ञान श्रेणी में 2010-11 में 1.2 लाख विद्यार्थी नामांकित थे जिनमें लड़कों का हिस्सा 64 प्रतिशत और लड़कियों का 36 प्रतिशत था। गत वर्ष की अपेक्षा 2010-11 में सभी धाराओं में लड़कियों के नामांकन का हिस्सा बढ़ा था। इन वर्षों में अभियंत्रण/ प्रौद्योगिकी और चिकित्सा शिक्षा में नामांकन लगभग समान रहा। अन्य संस्थानों में नामांकन में काफी वृद्धि देखी गई जो मुख्यत: पेशेवर और व्यावसायिक शिक्षा संस्थान हैं। इन संस्थानों में कुल नामांकन 2009-10 में मात्र 58.6 हजार था जो 2010-11 में बढ़कर 3.33 लाख हो गया। इनमें 59 प्रतिशत लड़के थे और 41 प्रतिशत लड़कियां। इससे पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आकांक्षियों के बीच उत्साह का साफ पता चलता है। समग्रत:, उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2009-10 के 9.42 लाख से बढ़कर 2010-11 में 10.39 लाख हो गया। तालिका प 5.27 (परिशिष्ट) में उच्च शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के और तालिका प 5.28 (परिशिष्ट) में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के नामांकन के विवरण प्रस्तुत हैं। उच्च शिक्षा की अधिकांश शाखाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन लगातार बढ़ता रहा है।

5.4 गरीबी और ग्रामीण विकास

गरीबी एक बहुआयामी परिघटना है। इसे बुनियादी मानवीय जरूरतों की वंचना समझा जाता है। गरीबी रेखा के अनुमान की प्रविधि को लेकर काफी तर्क-वितर्क होते रहे हैं। इन तर्क-वितर्कों के कारण ही योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की थी। पहले की प्रविधियों में केवल कैलोरी के उपयोग को गरीबी रेखा निर्धारित करने का मानक माना गया था। नई समितियों ने कैलोरी के उपभोग के पैरामीटर को लेने के साथ-साथ मानव वंचना के स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा पर व्यय जैसे अन्य आयामों को भी शामिल किया। इसके कारण गरीबी रेखा का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ गया। नई प्रविधि अपनाने के कारण बिहार सहित संपूर्ण भारत में गरीबी मापन अनुपात पूर्व की प्रविधियों द्वारा निर्धारित अनुपात की तुलना में बढ़ गया। तालिका 5.33 में बिहार और भारत में तेंदुलकर समिति द्वारा 2004-05 और 2009-10 में अनुमानित गरीबी अनुपात दर्शाया गया है। वर्ष 2004-05 और 2009-10, दोनों में बिहार का गरीबी अनुपात राष्टोय स्तर की तुलना में काफी अधिक है। वर्ष 2009-10 में बिहार का ग्रामीण गरीबी अनुपात 55.3 प्रतिशत और शहरी गरीबी अनुपात 39.4 प्रतिशत था जबकि समग्र गरीबी अनुपात 53.5 प्रतिशत था। यह गरीबी अनुपात भारत की अपेक्षा काफी अधिक है। उल्लेख्य अवधि में बिहार में समग्र गरीबी अनुपात में 0.9 प्रतिशत की कमी हुई। गोत्तलब है कि गरीबी में कमी के मामले में आंचलिक आधार पर काफी अंतर है। शहरी गरीबी में कमी की गति ग्रामीण गरीबी को तुलना में अधिक है।

तालिका 5.33 : बिहार और भारत में गरीबी अनुपात

राज्य	2004-05			2009-10			गरीबी अनुपात में कमी (प्रतिशत में)		
	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
बिहार	55.7	43.7	54.4	55.3	39.4	53.5	0.4	4.3	0.9
भारत	42	25.5	37.2	33.8	20.9	29.8	8.2	4.6	7.4

टिप्पणी : गरीबी अनुपात तेंदुलकर समिति की प्रविधि के अनुसार

चार्ट 5.5 : तेंदुलकर समिति के अनुसार बिहार और भारत का गरीबी अनुपात

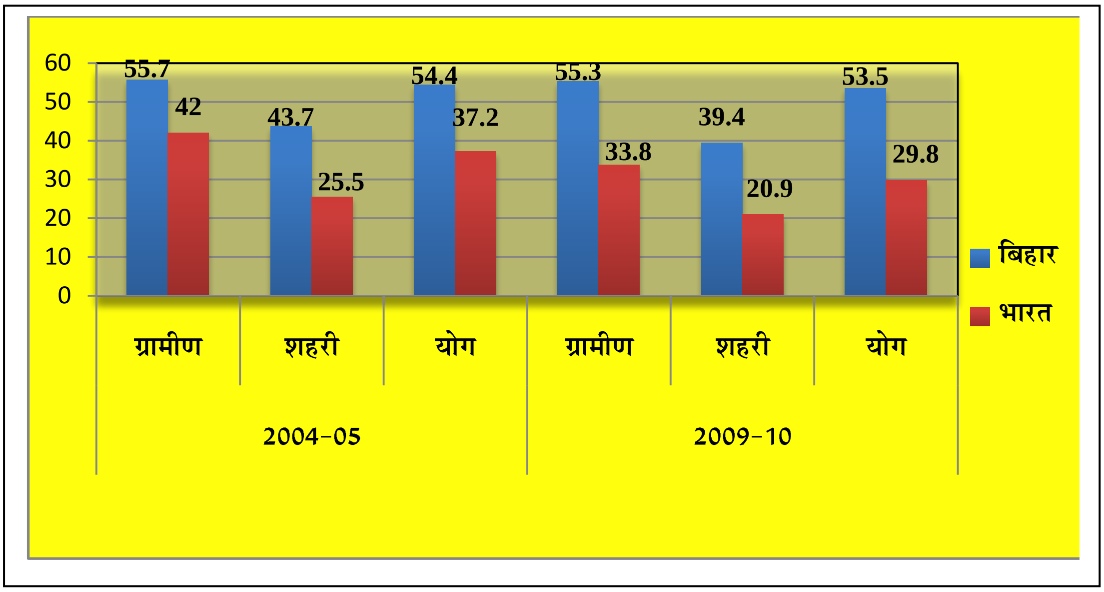

राष्टोय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के जुलाई 2009 और जून 2010 के बीच संपन्न 66वें चक्र के परिणाम से पता चलता है कि पूरे देश में पारिवारिक औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय (एमपीसीई) ग्रामीण क्षेत्रों में 1,054 रु. है और शहरी क्षेत्रों में 1,984 रु. (तालिका 5.34)। बिहार के लिए यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 780 रु. है और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,283 रु.। बिहार का आंकड़ा वस्तुतः सभी प्रमुख राज्यों के बीच सबसे कम है। तालिका 5.34 से यह भी स्पष्ट होता है कि बिहार के लोग प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के मामले में आय का अधिकांश हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। ग्रामीण बिहार में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में से 64.7 प्रतिशत भोजन के घटकों पर खर्च होता है और शहरी बिहार में 52.9 प्रतिशत। उपभोग संबंधी व्यय में भोजन का प्रतिशत हिस्सा बिहार में सर्वाधिक है। यह तथ्य बतलाता है कि आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करने के कारण लोगों को घर के अन्य खर्चों के लिए बहुत कम बच जाता है जिससे कि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

तालिका 5.34 : 2009-10 में बिहार और भारत में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय (रु. में)

राज्य	ग्रामीण		शहरी	
	औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय	उपभोग व्यय में भोजन का प्रतिशत हिस्सा	औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय	उपभोग व्यय में भोजन का प्रतिशत हिस्सा
बिहार	780	64.7	1238	52.9
संपूर्ण भारत	1054	57	1984	44.4

स्रोत : राष्टोय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), 66वां चक्र

ये सारे सूचक इस बात पर बल देते हैं कि गरीबी निवारण के लिए चलने वाले राज्य सरकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में तो और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से। इस खंड में बिहार में चल रहे कुछ गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा का प्रयास किया गया है जिनसे अतिरिक्त आय पैदा करने और लोगों के लिए जीविका के विकल्प का विस्तार करने की आशा की जाती है।

स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करते हुए स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का शुभारंभ 1999 में हुआ था। योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को संगठित करना और उनका व्यवस्थित रूप से क्षमता निर्माण करना है ताकि बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए आयवर्धक परिसंपत्तियों का निर्माण करके वे स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। सहायता पाने वाले ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है। बिहार में इस कार्यक्रम की उपलब्धियां तालिका 5.35 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 5.35 : स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का प्रदर्शन (2007-08 से 2011-12)

वर्ष	आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता-प्राप्त स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सं.		आर्थिक गतिविधियों हेतु सहायता-प्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की सं.		गठित महिला स्वयं सहायता समूहों की सं.		रकम के उपयोग का प्रतिशत
	योग	महिलाएं	योग	महिलाएं	योग	महिलाएं	
2007-08	85355	43872 (51.4)	18205	4007 (22.0)	14036	8120 (57.9)	46.9
2008-09	120402	69949 (58.1)	4976	1281 (25.7)	20407	11791 (57.8)	40.8
2009-10	158061	98695 (62.4)	6090	1266 (20.8)	30701	19073 (62.1)	52.5
2010-11	184225	120901 (65.6)	15398	3937 (25.6)	31453	28576 (90.9)	57.6
2011-12	127567	91836 (72.0)	8698	2122 (24.4)	12017	9297 (77.4)	48.0

टिप्पणी : कोष्ठकों में लिखे आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2011-12 में स्वयं सहायता समूहों के कुल 1.27 लाख सदस्यों को आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की गई है। आच्छादन में गत वर्ष से गिरावट आई है जब 1.84 लाख सदस्यों को सहायता दी गई थी। लेकिन गौरतलब है कि यह भी पूर्व की उपलब्धियों की तुलना में काफी अधिक है। स्वयं सहायता समूहों के कुल सदस्यों में 72 प्रतिशत महिलाएं हैं। महिला सदस्यों का हिस्सा साल दर साल बढ़ता गया है। योजना का जिलावार अवलोकन तालिका प 5.29 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। वर्ष 2011-12 में आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता पाने वाले स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या के लिहाज से सर्वोत्तम तीन जिले दरभंगा (9,840), नवादा (8,438) और मुजफ्फरपुर (8,217) हैं। वहीं 1,000 से भी कम संख्या में सहायता-प्राप्त स्वयं सहायता समूह सदस्यों वाले जिले शखपुरा (429), अररिया (456), अरवल (620), जहानाबाद (732), मधेपुरा (843), मुंगेर (913) और लखीसराय (971) हैं। वर्ष 2011-12 में स्वयं सहायता समूहों के अलावा व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को भी सहायता प्रदान की गई जिनमें 24.4 प्रतिशत महिलाएं थीं। इसके अलावा, 99,390 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को 2011-12 में प्रशिक्षण भी दिया गया जिनमें से 74 प्रतिशत महिलाएं थीं और 32 प्रतिशत अनुसूचित जाति श्रेणी की थीं।

वर्ष 2010-11 में 31,453 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण हुआ था जबकि 2011-12 में 12,017 का ही हुआ जिनमें से 77.4 प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूह थे। अब स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को राष्टोय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम) के नाम से पुनर्गठित किया गया है। फलत: सरकार ने पहले तो नए स्वयं सहायता समूहों के निर्माण पर रोक लगाई और बाद में उनका निबंधन प्री तरह रोक दिया। नए स्वयं सहायता समूहों की संख्या में कमी का कारण यही है। योजना का जिलावार वित्तोय और भौतिक

अवलोकन तालिका प 5.30 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। जिलों के बीच स्वयं सहायता समूहों के गठन में काफी अंतर है। लखीसराय जिले में एक भो स्वयं सहायता समूह का निर्माण नहीं हुआ। वहीं 2011-12 में सर्वाधिक संख्या में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण दरभंगा (2,090) में हुआ और उसके बाद औरंगाबाद (971), सहरसा (639) और पटना (614) में। वर्ष 2011-12 में 12 जिलों (गया, अरवल, गोपालगंज, किशनगंज, नवादा, बक्सर, सारण, समस्तीपुर, अररिया, मुजफ्फरपुर, बांका और पटना) में सारे के सारे महिला स्वयं सहायता समूह ही गठित हुए।

चार्ट 5.6 : बिहार में स्वयं सहायता समूहों के गठन का अवलोकन (2007-08 से 2010-11)

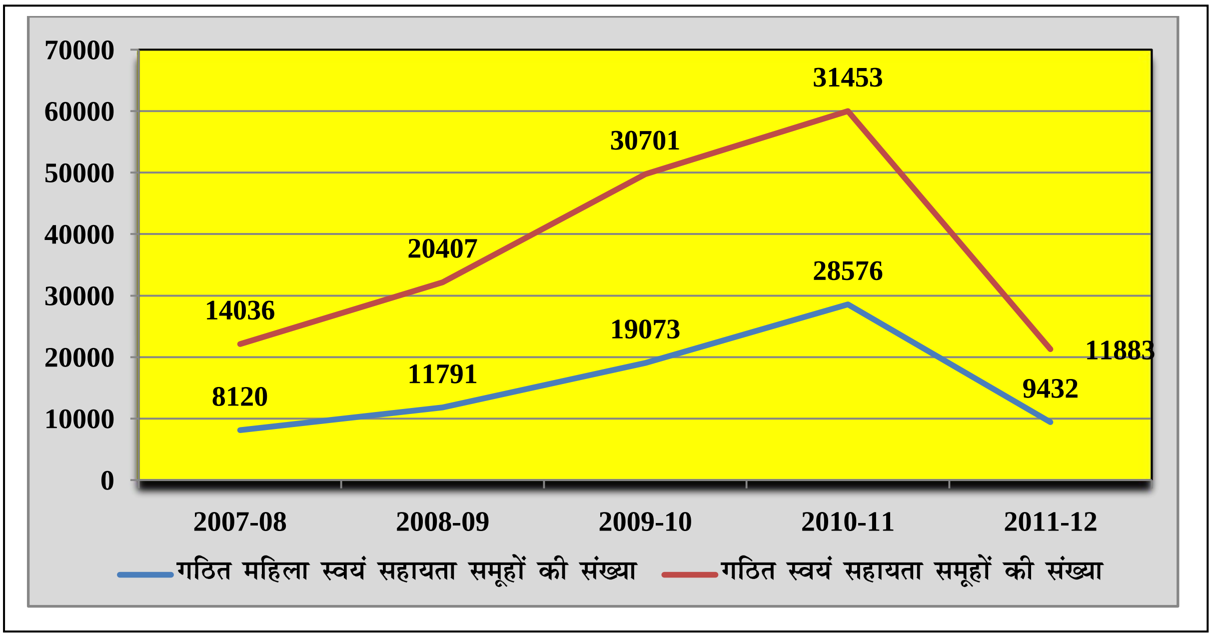

योजना के तहत कुल राशि का उपयोग 2010-11 के 57 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में 48 प्रतिशत ही हुआ। धनराशि के उपयोग में जिलों के बीच भारी अंतर है। 19 जिलों में धनराशि का राज्य के औसत (48.3 प्रतिशत) की तुलना में कम उपयोग हुआ। अररिया में 2011-12 में उपलब्ध 14.2 प्रतिशत उपलब्ध धनराशि का हो उपयोग हुआ। औरंगाबाद (96.8), बक्सर (95.5) और नवादा (92.2) जिलों में 90 प्रतिशत से भी अधिक धन का उपयोग हुआ। देशव्यापी स्वीकार्यता के बावजूद स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में निम्न उत्पादक गतिविधियों में ही संलग्न है।

स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की अग्रगति के मामले में अवरोधों की पहचान के लिए केंद्र सरकार द्वारा राधाकृष्ण समिति का गठन किया गया था। समिति ने पाया कि योजना सब्सिडी वाहित बन गई है क्योंकि लगभग दो-तिहाई धनराशि सब्सिडी के बतौर दी गई थी। योजना के सीमित हिस्से का उपयोग ही स्वयं सहायता समूह सदस्यों के प्रशिक्षण और क्षमतावृद्धि कार्यक्रम के लिए किया गया था। गलत प्रशिक्षित समूह योजना के बेहतर प्रदर्शन की राह में गंभीर बाधा हैं। समिति ने समूह-बैंक संपर्क के पहले तैयारी के काम पर भी जोर दिया। योजना की सीमाबद्धताओं के कारण ही केंद्र सरकार ने कार्यक्रम को राष्टोय ग्रामीण जीविका मिशन के बतौर पुनर्गठित किया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (मनरेगा)

मनरेगा पूर्ववर्ती ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रमों से पूरी तरह अलग है। यह मांग आधारित योजना के बतौर तैयार की गई है जो रोजगार मांगने वाले हर परिवार को 100 दिनों का अकुशल रोजगार वैधानिक रूप से सुनिश्चित करती है। यह जीविका के विकल्पों के विस्तार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में भी लक्षित है। हाल के अध्ययनों में ग्रामीण लोगों पर मनरेगा का प्रभाव दर्शाया गया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से कृषि मजदूरों की मोल-तोल की क्षमता काफी बढ़ती है। इसकी परिणति कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के जरिए उनकी मजदूरी बढ़ने और संकटजनित प्रवास में कमी में होती है। फलतः मनरेगा में समावेशी विकास की आत्मा मौजूद है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुगुणक प्रभाव हुआ है। बिहार जैसे राज्य के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है जो देश की एक सर्वाधिक तेज अर्थव्यवस्था है।

कार्यक्रम के प्रदर्शन के विवरण तालिका 5.36 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2011-12 तक कुल 133.82 लाख परिवारों को जॉबकार्ड जारी किए गए और 20 प्रतिशत कार्डधारियों को ही रोजगार मिले। रोजगार पाने वाले कार्डधारियों में 5.1 प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिनों का रोजगार मिला जबकि 2010-11 में यह आंकड़ा 5.6 प्रतिशत था। वर्ष 2011-12 में दो-तिहाई (65 प्रतिशत) धनराशि का उपयोग हुआ जो पिछले साल से कम है। इसका कारण 2011-12 में 2010-11 की अपेक्षा कम रोजगार पैदा होना है। वर्ष 2011-12 में 866.38 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित हुआ जबकि 2010-11 में यह आंकड़ा 1,597.49 लाख व्यक्ति-दिवस था। इस कार्यक्रम के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए वर्ष 2011-12 तक 107.55 लाख बैंक तथा डाकघर खाते खोले गए।

तालिका 5.36 : मनरेगा का प्रदर्शन (2007-08 से 2011-12)

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
जारी जॉबकार्ड की संख्या (लाख)	81.24	102.99	124.06	130.45	133.82
रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (लाख)	39.26 (48.3)	38.42 (37.3)	41.27 (33.3)	46.85 (35.9)	26.8 (20.1)
100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या	49945 (1.3)	100891 (2.6)	287019 (7.0)	260919 (5.6)	137649 (5.1)
रोजगार सृजन (लाख व्यक्ति-दिवस)	840.58	991.22	1137.53	1597.49	866.38
कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा	27.3	29.8	30	29.6	28.20
प्रति परिवार औसत रोजगार	21.4	25.8	27.6	34.1	32.3
पूरे हुए कार्यों की संख्या	46436	53939	70491	83593	54589
धनराशि के उपयोग का प्रतिशत	71.5	60	75.8	82.7	65.02
खुले खातों की संख्या (लाख)	--	48.78	84.91	102.57	107.55

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल जारी जॉबकार्ड के लिहाज से प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 5.7 : बिहार में परिवारों को उपलब्ध रोजगार का अवलोकन (2007-08 से 2011-12)

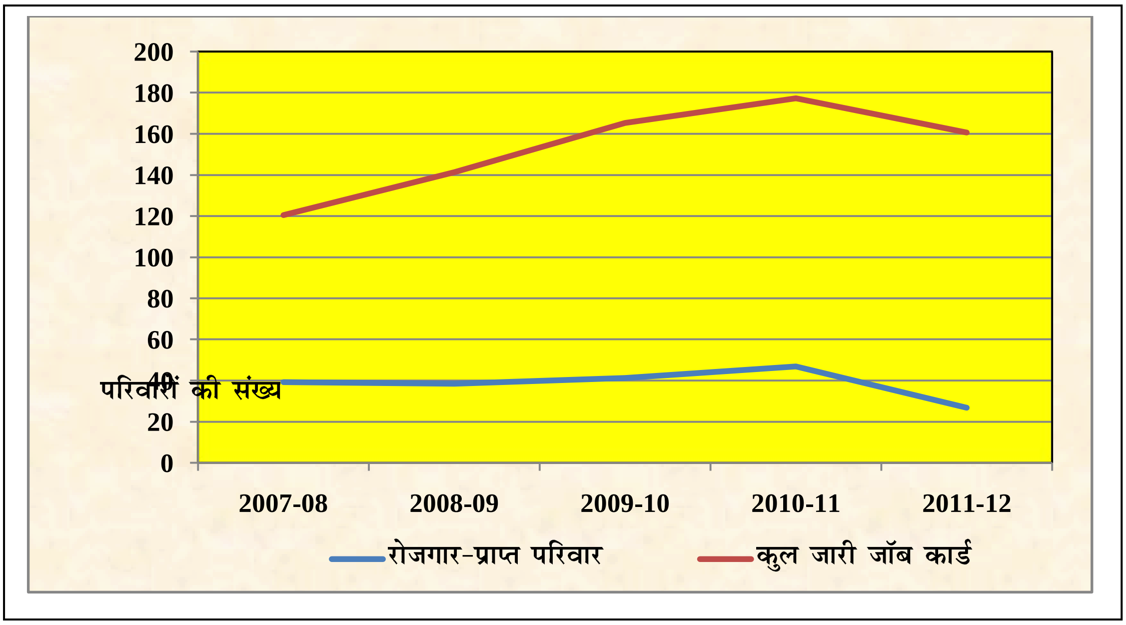

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

मनरेगा के क्रियान्वयन के जिलावार विवरण तालिका प 5.31 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। मनरेगा के प्रदर्शन में विभिन्न जिलों के बीच काफी अंतर दिखता है। वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक 6.94 लाख जॉबकार्ड मुजफ्फरपुर में जारी किए गए थे और उसके बाद 6.66 लाख मधुबनी में और 5.59 लाख पटना में। एक लाख से कम जॉबकार्ड छोटे जिलों - शिवहर (0.86 लाख), शेखपुरा (0.86 लाख) और अरवल (0.97 लाख) में जारी किए गए थे। जॉबकार्ड पाने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति के परिवारों का हिस्सा 39.85 प्रतिशत था। वर्ष 2011-12 में रोजगार मांगने वाले परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक सीतामढ़ी में था (63.44 प्रतिशत) और उसके बाद पश्चिम चंपारण में (56.69 प्रतिशत)। कटिहार (6.09 प्रतिशत), सीवान (8.72 प्रतिशत) और गोपालगंज (9.05 प्रतिशत) ऐसे जिले थे जहां 10 प्रतिशत से भी कम लोगों ने रोजगार की मांग की। रोजगार मांगने वालों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में पूर्व चंपारण (21.26 प्रतिशत) पहले स्थान पर रहा और उसके बाद बेगूसराय (13.63 प्रतिशत) और वैशाली (12.23 प्रतिशत)। सारण जिले में किसी को भी 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका। वहीं, सहरसा (0.02 प्रतिशत), मधुबनी (0.38 प्रतिशत) और पूर्णिया (0.61 प्रतिशत) में भी रोजगार मांगने वालों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में परिणाम अत्यंत कम था। वर्ष 2011-12 में मनरेगा में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी कटिहार (41.45 प्रतिशत), बेगूसराय (40.76 प्रतिशत), लखीसराय (40.56 प्रतिशत) और जमुई (40.60 प्रतिशत) में हुई जिनमें से प्रत्येक में 40 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी हुई। वहीं, सारण (6.00 प्रतिशत) और गोपालगंज (7.31 प्रतिशत) में 10 प्रतिशत से भी कम महिलाओं की भागीदारी हुई। वर्ष 2011-12 में सृजित कुल रोजगार के मामले में जिलों के बीच भारी अंतर है। इस मामले में सर्वोत्तम जिला पूर्व चंपारण (96.36 लाख) था और उसके बाद मुजफ्फरपुर (70.75 लाख) और पश्चिम चंपारण (48.02 प्रतिशत)। वर्ष 2011-12 में सबसे कम रोजगार सृजन शेखपुरा में (3.92 लाख) दर्ज किया गया और उसके बाद मुंगेर में (6.19 लाख)। मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति तालिका प 5.32 (परिशिष्ट) में दर्शाई गई है। वर्ष 2011-12 में धनराशि के उपयोग के मामले में सर्वोत्तम जिला सहरसा था (156.31 प्रतिशत)। कटिहार (90.

86 प्रतिशत), किशनगंज (90.90 प्रतिशत), अरवल (91.17 प्रतिशत), बक्सर (92.62 प्रतिशत) और नालंदा (96.29 प्रतिशत) में भी मनरेगा के तहत 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपयोग हुआ।

तालिका 5.37 में मनरेगा के तहत 2007-08 से 2011-12 तक पूरे किए गए कार्यों को श्रेणीवार सूचीबद्ध किया गया है। इस अवधि में ग्रामीण पथंसपर्क परियोजनाओं का वर्चस्व रहा है जिनका कुल परियोजनाओं में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था। दूसरी प्रमुख श्रेणी जल संरक्षण है। दोनों प्रकार की परियोजनाएं ग्रामीण लोगों के लिए जीविका उपार्जन के अवसर का विस्तार करते हुए ग्रामीण अधिसंरचना के विकास में मददगार हैं।

तालिका 5.37 : मनरेगा के तहत पूर हुए कार्यों की श्रेणीवार सूची (2007-08 से 2011-12)

वर्ष/ श्रेणी	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
जल संरक्षण	9512 (22.0)	9271 (17.2)	8637 (12.3)	11424 (13.7)	6059 (11.1)
सूखा अवरोधन	1018 (2.4)	1515 (2.8)	6601 (9.4)	6609 (7.9)	5360 (9.8)
सूक्ष्म सिंचाई संबंधी निर्माण कार्य	3370 (7.8)	5479 (10.2)	6552 (9.3)	7368 (8.8)	4605 (8.4)
सिंचाई सुविधा का प्रावधान	660 (1.5)	1135 (2.1)	1489 (2.1)	1841 (2.2)	1902 (3.5)
पारंपरिक जलनिकायों का जीर्णोद्धार	5140 (11.9)	5472 (10.1)	7593 (10.8)	7650 (9.1)	5065 (9.3)
भूमि विकास	1098 (2.5)	2139 (4.0)	2575 (3.7)	4674 (5.6)	3229 (5.9)
बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ से बचाव	2713 (6.3)	5307 (9.8)	5175 (7.3)	5072 (6.1)	2554 (4.7)
ग्रामीण संपर्क पथ	19660 (45.5)	23621 (43.8)	31869 (45.2)	38955 (46.6)	25521 (46.8)
कोई अन्य गतिविधि	0	0	0	0	294 (0.5)
पूरे हुए कुल कार्यों की संख्या	43171 (100.0)	53939 (100.0)	70491 (100.0)	83593 (100.0)	54589 (100.0)

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

इंदिरा आवास योजना

केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना, इंदिरा आवास योजना का आरंभ ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे स्थित परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण/ उन्नयन हेतु वित्तीय सहयोग देने के लिए किया गया था। योजना ग्रामीण लोगों के लिए बुनियादी सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कदम है। विगत 5 वर्षों के दौरान योजना के प्रदर्शन का सारांश तालिका 5.38 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.38 : इंदिरा आवास योजना का प्रदर्शन

वर्ष	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	आवासों का निर्माण पूरा		धनराशि उपयोग का प्रतिशत
		योग	अजा एवं अजजा	
2007-08	अनु.	24740	13559 (54.8)	72.2
2008-09	567125	673658 (118.8)	394885 (58.6)	77.3
2009-10	1098001	645621 (58.8)	335675 (52.0)	69.5
2010-11	758904	529392 (69.8)	259867 (49.1)	66.4
2011-12	737486	450248 (61.1)	200393 (44.5)	68.02

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्ववर्ती कॉलम के लिहाज से प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2011-12 में इस योजना के तहत 61.1 प्रतिशत भौतिक लक्ष्य हासिल हुआ जो 2010-11 में 69.8 प्रतिशत से कम है। पूरा हुए कुल मकानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 60 प्रतिशत के निर्धारित मानक से कम था। साथ ही इस प्रतिशत में साल दर साल गिरावट आती गई है। इंदिरा आवास योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी तालिका प 5.33 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है जिसमें इसके सारे घटकों की उपलब्धि दर्ज है।

योजना के तहत प्रदर्शन की जिलावार सूचना तालिका प 5.35 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। इससे धनराशि के उपयोग और भौतिक उपलब्धियों के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर होने की जानकारी मिलती है। वर्ष 2011-12 में योजना के तहत पूरे राज्य के लिए भौतिक उपलब्धि 61.05 प्रतिशत थी। 26 जिलों में उपलब्धि राज्य के औसत से अधिक थी। 2011-12 में सबसे कम 19.11 प्रतिशत उपलब्धि सीवान जिले में दर्ज की गई और सबसे अधिक 165.19 प्रतिशत गया में। सर्वाधिक और न्यूनतम उपलब्धियों के बीच अंतराल से जिलों के बीच अंतर का पता चलता है। 9 जिलों में उपलब्धि 100 प्रतिशत से अधिक दर्ज हुई - गया में 165.19 प्रतिशत, शेखपुरा में 163.15 प्रतिशत, नवादा में 157.08 प्रतिशत, लखीसराय में 126.26 प्रतिशत, औरंगाबाद में 115.43 प्रतिशत, मुंगेर में 109.96 प्रतिशत और रोहतास में 105.01 प्रतिशत। वर्ष 2011-12 में धनराशि का उपयोग 2010-11 के 66.4 प्रतिशत से बढ़कर 68.02 प्रतिशत हो गया है। धनराशि के उपयोग के मामले में 22 जिले राज्य के औसत से आगे हैं। धनराशि के उपयोग के मामले में सर्वोत्तम तीन जिले सीतामढो (91.13 प्रतिशत), भोजपुर (89.02 प्रतिशत) और दरभंगा (88.78 प्रतिशत) हैं। वर्ष 2011-12 में धनराशि के उपयोग के मामले में न्यूनतम प्रतिशत वाले तीन जिले मुंगेर (57.24 प्रतिशत), पूर्णिया (56.70 प्रतिशत) और मधुबनी (43.78 प्रतिशत) हैं।

खाद्य सुरक्षा और जन वितरण प्रणाली

जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) को लोगों को, खास कर समाज के कमजोर तबकों को नियंत्रित सब्सिडी-युक्त कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए एक प्रमुख नीतिगत साधन माना जाता है। बिहार जैसे गरीबी और असमानता से पीड़ित राज्य में खाद्यान्न का हक सुनिश्चित करना जरूरी है। जन वितरण प्रणाली मुद्रास्फीति विरोधी उपाय के बतौर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पोषक का स्तर बढ़ाने में भारी योगदान करती है। जनवितरण प्रणाली की दूकानों के जरिए चार आवश्यक वस्तुओं (गेहूं, चावल, चीनी और किरासन तेल) का वितरण किया जाता है।

जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि का सारांश तालिका 5.39 में प्रस्तुत है। सितंबर 2012 में दूकानदारों की कुल संख्या 44,483 थी। दूकानदारों में पिछड़ी और अतिपिछड़ी जाति का लगभग 37 प्रतिशत हिस्सा है। अनुसूचित जाति के दूकानदारों का हिस्सा 16.95 प्रतिशत है और सामान्य श्रेणी के दूकानदारों का 20.90 प्रतिशत। विभिन्न जिलों में सामजिक श्रेणी के अनुसार जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों का वितरण तालिका प 5.35 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। दूकानों के स्वामित्व का पैटर्न जिला और राज्य स्तर पर लगभग एक जैसा है।

तालिका 5.39 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दूकानदारों का अवलोकन

दूकानदारों की सार्वजनिक पृष्ठभूमि	दूकानों की संख्या	प्रतिशत हिस्सा
अनुसूचित जाति	7539	16.95
अनुसूचित जनजाति	344	0.77
पिछड़ी जाति	13485	30.31
अति पिछड़ी जाति	2813	6.32
अल्पसंख्यक	2937	6.60
महिला	2968	6.67
महिला स्वयं सहायता समूह	198	0.45
सहकारी समिति (पूर्व सैनिक)	4766	10.71
विकलांग	138	0.31
सामान्य	9295	20.90
योग	44483	100.00

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन तीन कार्यक्रमों के तहत होता है - (1) बीपीएल जिसमें हर बीपीएल परिवार को प्रति माह 25 कि.ग्रा. चावल और 10 कि.ग्रा. गेहूं उपलब्ध कराया जाता है, (2) अंत्योदय जिसमें अत्यंत गरीब बीपीएल परिवारों को 2 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से 21 कि.ग्रा. चावल और 3 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से 14 कि.ग्रा. गेहूं को मिलाकर 35 किग्रा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है तथा (3) अन्नपूर्णा जिसके तहत गृहविहीन वरिष्ठ नागरिकों को 6 कि.ग्रा. गेहूं और 4 कि.ग्रा. चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र सरकार 65.23 लाख बीपीएल परिवारों के लिए राज्य को खाद्यान्न आबंटित करती है जबकि राज्य सरकार के सर्वेक्षण से पता चला है कि बीपीएल परिवारों की कुल संख्या 1.35 करोड़ है। चूंकि केंद्र सरकार से खाद्यान्नों की कम आपूर्ति होती है इसलिए राज्य सरकार ने प्रति परिवार प्रति माह 35 किग्रा की जगह 25 किग्रा खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

बिहार में जन वितरण प्रणाली का 2007-08 से 2011-12 तक के कामकाज का ब्योरा तालिका 5.40 में प्रस्तुत है। पता चलता है कि बीपीएल के तहत आबंटन और उठाव साल दर साल बढ़ा है। बीपीएल परिवारों के लिए गेहूं और चावल के आबंटन की मात्रा इस अवधि में दूनी हो गई है। वर्ष 2011-12 में गेहं का उठाव 64.8 प्रतिशत है जो पिछले साल से कम है। लेकिन 2011-12 में आबंटन और उठाव, दोनों की मात्रा के आंकड़े 2010-11 की अपेक्षा काफी अधिक हं। बीपीएल के तहत चावल का उठाव पूर्व के वषां में गेहूं से काफी कम रहता था। लेकिन 2011-12 में चावल का उठाव गेहूं से बढ़ गया। खाद्यान्नों के उठाव का प्रतिशत अंत्योदय में शुरू से ही काफी अधिक रहा है। इसका एक कारण यह है कि अंत्योदय के तहत खाद्यान्नों पर काफी अधिक सब्सिडी रहती है। हालांकि 2011-12 मं इसका प्रतिशत 2010-11 की अपेक्षा कम था लेकिन फिर भी 90 प्रतिशत से ऊपर था। अन्नपूर्णा के तहत खाद्यान्नों का आबंटन 2010-11 और 2011-12 में बराबर था लेकिन दोनों खाद्यान्नों के उठाव का प्रतिशत 2011-12 में 2010-11 से थोड़ा कम था।

तालिका 5.40 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कामकाज (2007-08 से 2011-12)

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	गेहूं			चावल		
	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
बीपीएल						
2007-08	479.3	273.8	57.1	1198.2	479.6	40.0
2008-09	447.7	289.9	64.8	1272.1	470.3	37.0
2009-10	447.7	410.3	91.6	1272.1	741.6	58.3
2010-11	610.8	559.6	91.6	1495.1	1217.0	81.3
2011-12	985.9	638.4	64.8	2187.7	1500.2	68.6
अंत्योदय						
2007-08	408.0	366.6	89.9	612.0	514.0	84.0
2008-09	408.0	322.4	79.0	612.0	461.5	75.4
2009-10	408.0	385.4	94.5	612.0	543.2	88.8
2010-11	417.1	408.6	97.9	625.7	595.2	95.1
2011-12	420.2	395.7	94.2	630.2	573.5	91.0
अन्नपूर्णा						
2010-11	106.2	65.1	61.3	70.8	44.2	62.4
2011-12	106.2	62.7	59.0	70.8	39.1	55.2

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2011-12 के लिए आबंटन और उठाव के जिलावार आंकड़े बीपीएल के लिए तालिका प 5.36 (परिशिष्ट) में, अंत्योदय के लिए तालिका प 5.37 (परिशिष्ट) में और अन्नपूर्णा के लिए तालिका प 5.38 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तीनों योजनाओं में खाद्यान्नों के उठाव के मामले में जिलों के बीच भारी अंतर देखा गया। आबंटन के बरअक्स उठाव की मात्रा जन वितरण प्रणाली के कामकाज का महत्वपूर्ण सूचक है जो स्थानीय लोगों में खाद्यान्नों की मांग की जानकारी देती है। बीपीएल, अंत्योदय और अन्नपूर्णा के लिए वर्ष 2010-11 और 2011-12 में उठाव के प्रतिशत के जिलावार आंकड़े तालिका प 5.39 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। बीपीएल के तहत केवल भोजपुर ने 100 प्रतिशत से अधिक (102 प्रतिशत) गेहूं का उठाव किया है। अंत्योदय के तहत सारण को छोड़कर सभी जिलों द्वारा गेहूं का उठाव 80 प्रतिशत से अधिक था। अन्नपूर्णा योजना के तहत मुंगेर और मधेपुरा ने गेहूं का उठाव किया ही नहीं। चावल के मामले में शेखपुरा का उठाव बीपील योजना के तहत सर्वाधिक (100.6 प्रतिशत) था। अंत्योदय योजना के तहत अधिकांश जिलों द्वारा उठाव 2011-12 के उनके आबंटन के 80 प्रतिशत से अधिक था।

जन वितरण प्रणाली में हस्तक्षेप

- नाबार्ड और ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के ऋण के तहत कुल 2,84,000 टन क्षमता के 423 गोदामों के निर्माण का लक्ष्य है। बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा 55 गोदामों का निर्माण किया जा चुका है। शेष गोदामों का निर्माण इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा।
- वांछित स्थान पर खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित करने और दूसरी जगह पहुंचाने या चोरबाजारी रोकने के लिए 9 जिलों में परिवहन वाहनों में जीपीएस लगाए जा रहे हैं।

वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण के मकसद से चल रहे कार्यक्रम का अधिक प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन करने की जरूरत है। कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का एक उपाय सही अनुश्रवण और मूल्यांकन है। राज्य सरकार ने हाल ही में जमीनी स्तर पर धनराशि का रिसाव रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं जो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। एक और महत्वपूर्ण उपाय विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित होने वाली योजनाओं का कनवर्जेंस है जिससे बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। बाहरवीं योजना द्वारा भी सीमित संसाधनों के आदर्श उपयोग के मामले में जोर दिया गया है। योजना आयोग द्वारा नियुक्त बी. के. चतुर्वेदी समिति ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के संबंध में अनेक सुझाव दिए हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य के लिए अधिक लचीलापन की अनुशंसा की है। इस लचीलापन से राज्य सरकार को इन योजनाओं के अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन की स्वीकृति मिलेगी और जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेगा।

5.5 सीमांत तबकों के लिए हस्तक्षेप

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति

बिहार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समावेशी विकास के लिए राज्य सरकार ने 2007 में एक अलग विभाग का गठन किया था। बिहार में 22 जातियां अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध हैं जिनका 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में 15.7 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं अनुसूचित जनजातियां बिहार की आबादी में 0.9 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग इन तबकां के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम चलाता है जो नीचे प्रस्तुत हैं :

- वर्ष 2011-12 में ई-जेड पे कार्ड के जरिए अजा/ अजजा विद्यार्थियों को प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति भुगतान की एक योजना शुरू की गई। अभी तक अजा विद्यार्थियों के लिए 32.85 करोड़ रु. और अजजा विद्यार्थियों के लिए 4.18 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं जिससे 36,960 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- राज्य सरकार ने पूर्व-माध्यमिक आर उत्तर-माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों और वजीफों का प्रावधान किया है।
- विभाग के आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर समर्थित शिक्षा (सीएएल) योजना शुरू की गई है।

वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति के लिए 47.57 करोड़ रु. और अनुसूचित जनजाति के लिए 9.87 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे 15,563 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

- राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति की आबादी के एक प्रमुख समूह, महादलित के परिवारों के बच्चों के लिए छात्रावासों और पुस्तक बैंकों के प्रावधान किए हैं।
- अस्वच्छ पेशों में लगे लोगों के बच्चों के लिए पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति का प्रावधान।
- अजा/ अजजा विद्यार्थियों के लिए परीक्षापूर्व प्रशिक्षण सुविधा जिससे उन्हें केंद्रीय लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, रेलवे, बैंक आदि को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी।
- अभी तक मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत 11,256 अजा और अजजा विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- अजा एवं अजजा (उत्पीड़न निवारण) अधिनियम, 1989 और नियमावली, 1995 के तहत 1,062 प्रभावित परिवारों को कानूनी और वित्तोय सहायता प्रदान की गई।
- अनुसूचित जनजाति में 2003 में शामिल थारू जनजाति के लिए विशेष योजना आरंभ की गई है। पश्चिम चंपारण (बेतिया) में समेकित थरुहट विकास प्राधिकार की स्थापना की गई है। प्राधिकार योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन कर रहा है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, जलापूर्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेलकूद को बढ़ावा, पुस्तकालयों की स्थापना आदि।
- थरुहट में आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराने के लिहाज से 5 बालक आवासीय विद्यालयों और 5 बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना के प्रावधान को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और 6 विद्यालयों का निर्माणकार्य प्रगति पर ह।
- अनुसूचित जाति हेतु केंद्रीय सहायता योजना के बतौर भूमिहीन कृषि और सब्जी बाड़ी (किचन गार्डन) योजनाएं शुरू की गई हैं। गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से यह योजना 11 जिलों (अरवल, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, नालंदा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, वैशाली और पटना) के 20 प्रखंडों में चलाई गई है। आरंभिक चरण में 7,831 परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति शताब्दी शिक्षा ऋण योजना के तहत 2011-12 में अनुसूचित जाति के लिए 9.00 करोड़ रु. और अनुसूचित जनजाति के लिए 1.00 करोड़ रु. के प्रावधान किए गए हैं।

अजा/ अजजा कल्याण का कुल परिव्यय 2011-12 के 953.97 करोड़ रु. से बढ़कर 2012-13 में 1,016.63 करोड़ रु. हो गया ह (तालिका 5.41)। हालांकि वास्तविक व्यय 2011-12 में 953.97 करोड़ रु. की जगह 741.72 करोड़ रु. हुआ जो धनराशि का 77.7 प्रतिशत उपयोग दर्शाता है। राज्य में 2010-11 और 2011-12 के लिए अजा/ अजजा कल्याण के मामले में भौतिक और वित्तीय प्रगति का जिलास्तरीय अवलोकन तालिका प 5.40 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

तालिका 5.41 : अजा एवं अजजा कल्याण हेतु आबंटन का अवलोकन

(लाख रु.)

मद	2011-12				2012-13		
	परिव्यय			वास्तविक व्यय	परिव्यय		
	योजना	गैर-योजना	योग		योजना	गैर-योजना	योग
अजा एवं अजजा	78453.65	11296.44	89750.09	73825.30 (99.5)	85994.60	11885.30	97879.90
सचिवालय सेवाएं	0.00	277.23	277.23	247.38 (0.3)	0.00	283.37	283.37
पूंजीगत परिव्यय/ व्यय	5270.10	0.00	5270.10	0.00 (0.0)	3400.00	0.00	3400.00
सहकारी समितियों पर पूंजीगत परिव्यय/ व्यय	100.00	0.00	100.00	100.00 (0.1)	100.00	0.00	100.00
योग	83823.75	11573.67	95397.42	74172.68 (100.0)	89494.60	12168.67	101663.27

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आबंटन के प्रतिशत के बतौर वास्तविक व्यय को दर्शाते हैं।

स्रोत : अजा/ अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

महादलित

राज्य सरकार ने राज्य महादलित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अनसूचित जातियों में भी सर्वाधिक वंचित जातियों के विकास हेतु अनेक लक्ष्य आधारित योजनाएं चलाई हं। आयोग ने पाया कि बिहार की 22 अनुसूचित जातियों में से 21 शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित हैं और इन जातियों के लोगों को अनुस्चित जातियों के लिए की गई सकारात्मक कार्यवाहियों से अधिक लाभ नहीं हुआ है।

- वर्ष 2011-12 में 450 अतिरिक्त सामुदायिक भवन सह कार्य छावनियों का आबंटन प्रक्रियाधीन था। वर्ष 2012-13 में 52.75 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से ऐसी 1,000 छावनियों के निर्माण का प्रावधान है।
- महादलित शौचालय निर्माण योजना के तहत राज्य कोष से महादलित परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए लाभार्थी अंशदान के बतौर 300 रु. उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धनराशि का बड़ा हिस्सा एक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत उपलब्ध कराया जाता है। दिसंबर 2012 तक 7.08 करोड़ रु. के व्यय से 2.36 लाख शौचालयों का निर्माण कराया गया है। तालिका 5.42 में तीन लगातार वर्षों में निर्मित शौचालयों और किए गए व्यय के विवरण प्रस्तुत हैं।

तालिका 5.42 : महादलित शौचालय योजना के तहत शौचालयों का निर्माण

वर्ष	निर्मित शौचालय (सं.)	व्यय (लाख रु.)
2009-10	55010	165.03
2010-11	98948	296.84
2011-12 (दिसंबर तक)	82078	246.23
योग	236036	708.10

स्रोत : अजा/ अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

- जहानाबाद के मखदुमपुर और काको तथा पटना के दानापुर और पटना सदर प्रखंडों में 9 जनवरी 2012 को मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना नामक एक योजना मार्गदर्शी आधार पर आरंभ की गई है। योजना के तहत हर परिवार को रेडियो सेट खरीदने में सहयोग के लिए 400 रु. प्रदान किए जाते हैं। यह योजना बाद में जहानाबाद और पटना के शेष प्रखंडों तथा गया, लखीसराय और शेखपुरा के सभी प्रखंडों में चलाई जाएगी। अन्य प्रखंडों में योजना 2012-13 के अंत तक पूरी कर लेने का लक्ष्य है।
- राज्य सरकार महादलित समुदाय के समाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सामुदायिक रेडियो केंद्र' स्थापित करने पर विचार कर रही है। इन आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम इस समुदाय द्वारा ही तैयार किए जाएंगे।
- महादलित विकास योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा 9 हजार से भी विकास मित्रों की नियुक्ति की गई है - हर महादलित टोले के लिए एक विकास मित्र।
- महादलित आंगनवाड़ी योजना के तहत महादलित गांवों में हर 500 परिवार पर एक लघु आंगनवाड़ी खोलने का प्रस्ताव है। इस योजना का क्रियान्वयन समेकित बाल विकास योजना द्वारा किया जाएगा। समेकित बाल विकास योजना द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होते ही राज्य सरकार 7.00 करोड़ रु. विमुक्त करने के लिए तैयार है।
- उपदान (सब्सिडी) योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे स्थित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्षम योजनाओं के लिए बैंक के जरिए ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण के 50 प्रतिशत हिस्से का (अधिकतम 10,000 रु. तक) वहन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा किया जाता है। अभी तक 1,610 लोगों के रोजगार के लिए 4.02 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

- **महिला समृद्धि योजना :** स्वरोजगार के जरिए सशक्तीकरण के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों को ऋण के बतौर 20,000 रु. और सब्सिडी के बतौर 10,000 रु. उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के तहत ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज लगता है जिसे 36 बराबर किश्तों में वसूला जाता है। वर्ष 2011-12 तक 81 महिला श्रमिकों को स्वरोजगार हेतु 24.30 लाख रु. उपलब्ध कराए गए हैं।
- **सूक्ष्मऋण वित्तपोषण योजना :** सूक्ष्मऋण वित्तपोषण योजना के तहत ऋण और सब्सिडी की राशि महिला समृद्धि योजना जितनी ही रहती है लेकिन ब्याज 4 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत की दर से लगता है जो 36 बराबर किश्तों में वसूला जाता है। इसके तहत 2011-12 तक 690 लोगों को स्वरोजगार के लिए कुल 2.07 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।
- **महिला अधिकारिता योजना :** इस योजना के तहत महिला सफाईकर्मियों को 5 प्रतिशत ब्याज दर पर 40,000 रु. ऋण और 10,000 रु. सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है जिसकी वसूली 60 नियमित किश्तों में की जाती है। अभी तक 40 महिला सफाईकर्मियों को रोजगार के लिए कुल 20 रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

अनुसूचित जाति के लोगों के चतुर्दिक विकास के लिए बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना की स्थापना 1978 में सहकारिता अधिनियम के तहत हुई थी। निगम के कार्यालय राज्य के 34 जिलों में काम कर रहे हैं। वित्तवर्ष 2011-12 में निगम द्वारा दी गई 7.59 करोड़ रु. की ऋण और सब्सिडी से 2,616 लोग लाभान्वित हुए हैं। विवरण तालिका 5.43 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 5.43 : वित्तवर्ष 2011-12 में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि. की उपलब्धियां

(लाख रु.)

योजना का नाम	लाभान्वितों की सं.	सावधि ऋण	बैंक ऋण	मार्जिन मनी	सब्सिडी	योग
महिला समृद्धि योजना (NSFDC)	42	8.40	0.00	0.00	4.20	12.60
लघु व्यापार योजना (NSFDC)	8	3.04	0.00	0.16	0.80	4.00
महिला समृद्धि योजना (NSKFDC)	81	16.20	0.00	0.00	8.10	24.30
सूक्ष्मऋण वित्तपोषण योजना (NSKFDC)	690	138.00	0.00	0.00	69.00	207.00
महिला अधिकारिता योजना (NSFKDC)	40	16.00	0.00	0.00	4.00	20.00
सावधि ऋण योजना (1.00 लाख रु. तक) (NSKFDC)	110	44.00	0.00	0.00	11.00	55.00
सावधि ऋण योजना (0.50 लाख रु. तक) (NSKFDC)	35	27.13	0.00	2.63	3.50	33.26
सब्सिडी योजना (बैंक के जरिए लागू)	1610	0.00	241.41	0.00	161.00	402.41
योग	2616	252.77	241.41	2.79	261.60	758.57

स्रोत : अजा/ अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : NSFDC – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम

NSKFDC - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम

चार्ट 5.8 : महादलितों के विकास के लिए बजट आबंटन

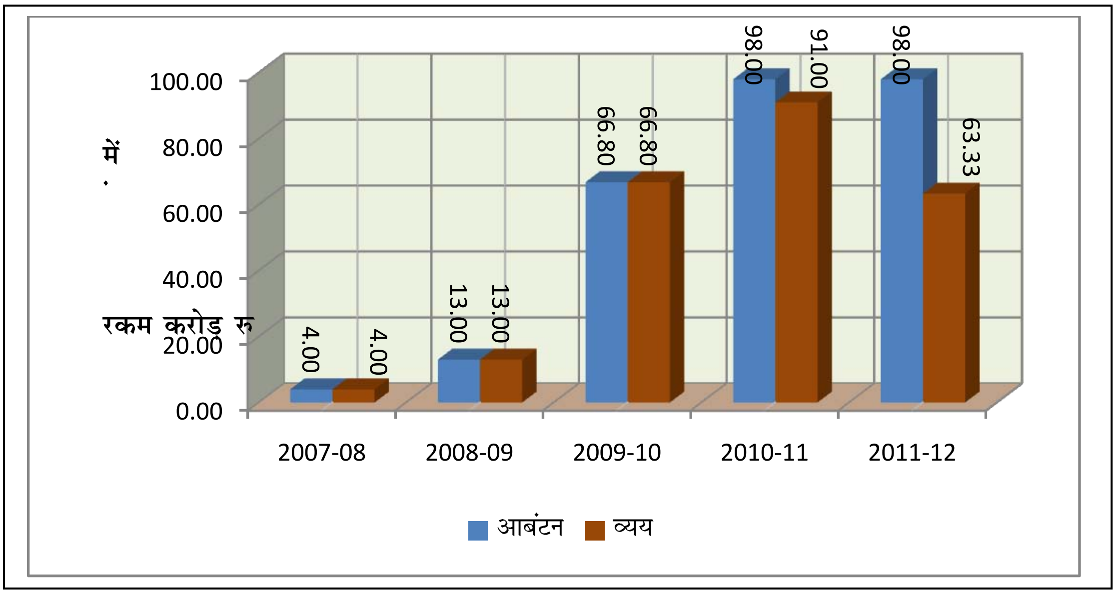

नारी सशक्तीकरण

बिहार में लिंग अनुपात 2001 के 919 से गिरकर 2011 में 916 रह रह गया है। इसकी तुलना में भारत में लिंग अनुपात 2001 के 933 से बढ़कर 2011 में 940 रह रहो गया। लिंग अनुपात में यह गिरावट राज्य सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि महिला साक्षरता दर में तेज वृद्धि दिखी है जो 2001 के 33.1 प्रतिशत से 20 प्रतिशत बढ़कर 53.3 प्रतिशत हो गई है लेकिन लैंगिक असमानता अभी भी मौजूद है। महिलाओं के प्रति मानसिकता आर धारणा में सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं से उत्पन्न लैंगिक असमानता से अब प्रत्यक्षत:-अप्रत्यक्षता निपटा जा रहा है। राज्य सरकार 2008-09 से जेंडर बजट प्रकाशित करती रही है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के जेंडर बजट का संक्षिप्त अवलोकन तालिका 5.44 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.44 : जेंडर बजट का सारांश

विवरण	2011-12 (करोड़ रु.)	2012-13 (करोड़ रु.)	प्रतिशत परिवर्तन
महिलाओं के लिए श्रेणी-1 की योजनाएं (100% लाभार्थी)	1995.64	2293.84	14.94
महिलाओं के लिए श्रेणी-2 की योजनाएं (30% लाभार्थी)	4092.48	5541.79	35.41
महिलाओं के लिए कुल परिव्यय	6088.12	7835.63	28.7
संबंधित विभागों के लिए कुल परिव्यय	27841.55	34615.35	24.33
संबंधित विभागों के कुल परिव्यय में महिला हेतु परिव्यय का प्रतिशत	21.87	22.65	3.57
राज्य बजट का कुल आकार	65325.87	78686.82	20.45
राज्य बजट में परिव्ययों का हिस्सा (%)	9.32	9.96	6.87
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	211400	263876	24.82
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महिला हेतु परिव्ययों का हिस्सा (%)	2.88	2.97	3.13

स्रोत : जेंडर बजट, वित्त विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.45 में श्रेणी-2 की योजनाओं में 2011-12 की अपेक्षा 2012-13 में परिव्यय काफी बढ़े दिखते हैं। गौरतलब है कि श्रेणी-2 से संबंधित पूरे आंकड़ों की गणना यह मानकर की गई है कि सारी लिंग-निरपेक्ष कल्याणकारी योजनाओं में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होंगी। तालिका यह भी दर्शाती है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, नगर विकास एवं आवास, ग्रामीण विकास, योजना एवं विकास तथा श्रम संसाधन जैसे विभागों में परिव्ययों में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 में पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, राजस्व एवं भूमि सुधार और पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे विभागों में भी परिव्यय 2011-12 की अपेक्षा बढ़े हैं।

तालिका 5.45 : जेंडर बजट का अवलोकन

(करोड़ रु.)

विभाग का नाम	2011-12 (पु.अ.)			2012-13 (ब.अ.)		
	कुल बजट परिव्यय	श्रेणी-1 का परिव्यय	श्रेणी-2 का परिव्यय	कुल बजट परिव्यय	श्रेणी-1 का परिव्यय	श्रेणी-2 का परिव्यय
समाज कल्याण	3411.54	625.15	1256.39	3580.76	601.01	1424.21
अजा एवं अजजा कल्याण	832.27	4.33	248.50	1002.88	0.00	308.23
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	915.67	0.00	76.53	700.29	0.00	99.49
अल्पसंख्यक कल्याण	574.24	4.50	27.45	584.51	1.50	44.19
शिक्षा विकास	11658.53	241.19	3685.24	15054.12	266.16	3191.27
स्वास्थ्य	2862.75	354.83	15.86	3085.99	383.15	17.99
ग्रामीण विकास	1494.11	784.39	157.95	1746.33	784.74	294.00
नगर विकास एवं आवास	1381.83	0.00	221.26	1553.86	0.00	18.80
पंचायती राज	3339.76	0.00	86.84	3156.41	0.00	65.79
श्रम संसाधन	187.49	0.95	7.68	202.89	0.55	1.26
योजना एवं विकास	1763.83	0.00	128.35	2037.01	0.00	33.00
पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	255.66	11.66	62.62	129.18	18.88	36.91
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	675.67	32.86	0.00	491.04	32.86	0.00
योग	29353.35	2059.86	5974.67	33325.27	2088.85	5535.14

स्रोत : जेंडर बजट, वित्त विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.46 : लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली प्रमुख योजनाएं

(लाख रु.)

योजना	2006-07 वास्तविक	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 (पु.अ.)	2011-12 (ब.अ.)
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (2007)	0.00	4879.65	6814.37	6176.26	8592.01	5762.05
नारी शक्ति योजना	0.00	1360.00	2250.00	1000.00	1000.00	3000.00
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	194.60	969.00	3482.97	7753.22	7000.00	4755.00
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	0.00	200.00	2600.00	6700.00	10541.10	10000.00

स्रोत : जेंडर बजट, वित्त विभाग, बिहार सरकार

लैंगिक भेदभाव से निपटने के लिए किए जाने वाले राज्य सरकार के हस्तक्षेपों को दो मुख्य शीर्षों के तहत समेटा जा सकता है : बाल रक्षा (कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कन्या सुरक्षा योजना) तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा (लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कन्या विवाह योजना तथा नारी शक्ति योजना) (तालिका 5.48)। कन्या सुरक्षा योजना के तहत 2011-12 तक 11.9 लाख लड़कियां लाभान्वित हुई हैं। महिलाओं का सशक्तीकरण करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिहाज से पूरे राज्य में मुख्यमंत्री नारी शक्ति

योजना का शुभारंभ 2007-08 में किया गया था। यह कार्यक्रम आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं के समग्रत: सशक्तीकरण हेतु संकल्पित है। यह कार्यक्रम राज्य के 27 जिलों के 165 प्रखंडों में स्थित 1,542 पंचायतों के 6,173 गांवों में चल रहा है। वर्ष 2011-12 तक 5,218 समूहों का निर्माण किया गया था। उनका काम ग्रामीण गरीबी को समझने, स्वयं सहायता समूहों की स्थिति का विश्लेषण करने, महिलाओं की ग्रामस्तरीय तथा सामाजिक गोलबंदी, जीविका और सूक्ष्म-वित्तपोषण को समझने, सामाजिक और संस्थागत सहायता प्रदान करने, हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए प्रावधान करने आदि पर केंद्रित है। तालिका 5.47 दर्शाती है कि 2011-12 तक मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का कुल व्यय प्राप्त की गई कुल धनराशि का 35.6 प्रतिशत था। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक - तीन शीर्षों के बीच धनराशि का सर्वाधिक उपयोग सांस्कृतिक सशक्तीकरण पर (196.2 प्रतिशत) हुआ था और सबसे कम आर्थिक सशक्तीकरण पर (25.5 प्रतिशत)।

तालिका 5.47 : मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

(लाख रु.)

विवरण	2011-12 तक प्राप्त कुल रकम	2011-12 तक कुल व्यय
आर्थिक सशक्तीकरण	**2150.00**	**548.32**
स्वयं सहायता समूह निर्माण एवं पोषण तथा क्षमता निर्माण	1200.00	404.95
आरंभिक पूंजीकरण निधि	650.00	2.03
क्षमता विकास हेतु सामुदायिक परिसंपत्तियां	100.00	58.62
सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा क्रियामूलक अनुसंधान	50.00	64.45
अध्ययन एवं अनुसंधान	50.00	0.00
अनुश्रवण तथा मूल्यांकन	100.00	18.27
सामाजिक सशक्तीकरण	**680.00**	**305.10**
हेल्पलाइन परियोजना	225.00	137.27
अल्पावास गृह	200.00	115.51
संरक्षा गृह	25.00	0.25
कामकाजी महिला आवास	15.00	0.00
शिशुशाला	15.00	0.00
सामाजिक जागरूकता	200.00	52.07
सामाजिक पुनर्वास कोष	**50.00**	**5.00**
सामाजिक सशक्तीकरण	**60.00**	**117.79**
महिला संसाधन केंद्र	**30.00**	**53.09**
नवाचारी योजना	**30.00**	**37.55**
कुल योग	**3000.00**	**1066.85**

स्रोत : बिहार राज्य महिला विकास निगम, बिहार सरकार

आर्थिक सशक्तीकरण

- वर्ष 2011-12 में राज्य के 27 जिलों के 165 प्रखंडों में स्थित 1,542 पंचायतों के 6,173 गांवों को स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया। वर्ष 2011-12 तक महिला विकास निगम ने 5,218 समूहों का निर्माण किया है। आरंभिक पूंजीकरण कोष मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का एक महत्वपूर्ण

घटक है। इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह बैंक से रकम उधार ले सकते हैं और 2011-12 तक 1,649 समूहों के बीच ऋण के बतौर 334.54 लाख रु. का वितरण किया गया है।

- 17 जिलों के 66 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय स्वयं सहायता समूहों के जरिए 66 सहकारी समितियों का निर्माण किया गया है जिनमें से 13 का निबंधन प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2011-12 में 16 नई सहकारी समितियों के निर्माण का प्रस्ताव है जिसमें से 4 बनाए जा चुके हैं।
- वर्ष 2012-13 में सहकारी समिति के सदस्यों को समस्तीपुर के कल्याणपुर में बांस कला का, दरभंगा के दरभंगा सदर और बहादुरपुर में मधुबनी पेंटिंग और जूट फोल्डर का तथा समस्तीपुर, वीरगंज और बाराचट्टी में टेंट हाउस कारोबार का प्रशिक्षण दिया गया और निगम द्वारा समितियों को सहायता के बतौर 5.7 लाख रु. की रकम उपलब्ध कराई गई है।
- महिला विकास निगम गरीब समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अनेक कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इस योजना के तहत चुने गए प्रत्याशियों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा घर की देखभाल, ब्यूटीशियन, कंप्यूटर और बिक्रो प्रबंधन का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2010-11 में 1,980 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था जिनमें से 505 रोजगार पाने में सक्षम रहीं।

सामाजिक सशक्तीकरण

- इस समय 34 जिलों में हेल्पलाइन काम कर रही है। इनमें 2011-12 में 4,376 मामले दर्ज किए गए जिनमें से 3,042 का निपटारा कर दिया गया है। बिहार के 27 जिलों में अल्पावास गृह काम कर रहे हैं। वर्ष 2011-12 में घरेलू हिंसा की शिकार कुल 887 महिलाओं को आश्रय और संरक्षण उपलब्ध कराया गया तथा 808 का पुनर्वास कराया गया।
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत महिला विकास निगम ने कामकाजी महिलाओं को सुरिक्षत और उपयुक्त निवास स्थान उपलब्ध कराने के लिए पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर जिला मुख्यालयों में 50 शय्याओं वाले होस्टल बनान की योजना बनाई ह। इस प्रक्रिया को कार्यरूप देने के लिए राज्य सरकार ने पांच गैर-सरकारी संगठनों को चुना है।
- शिशुशाला योजना के तहत राज्य के 260 लाभार्थियों के लिए 11 जिलों में 26 इकाइयों के संचालन के लिए 11 गैर-सरकारी संगठनों का चुनाव किया गया है और उनका वित्तपोषण किया गया है।
- महिला विकास निगम के सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम दहेज प्रथा, बाल विवाह, डायन, कार्यस्थलों पर यौन-उत्पीड़न आदि सामाजिक बुराइयों से निपटने की दिशा में लक्षित है। अभियान के माध्यम के बतौर लोक माध्यम, वृत्त चित्र, पोस्टर और बैनर का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2011-12 में नवाचारी योजना के बतौर भिखारियों का एक सांस्कृतिक समूह गठित किया गया। ये कलाकार दहेज, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और लैंगिक असमानता जैसे सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाएंगे।
- तालिका 5.48 दर्शाती है कि महिला उत्पीड़न से संबंधित दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या बढ़ी है। इनमें सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा के दर्ज हुए और सबसे कम दहेज हत्या के।

तालिका 5.48 : सामाजिक सशक्तीकरण के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या

मामलों के प्रकार	2010-11		2011-12		2012-13, सितंबर 2012 तक	
	दर्ज	निष्पादित	दर्ज	निष्पादित	दर्ज	निष्पादित
घरेलू हिंसा	1208	296 (24.5)	2843	2043 (71.9)	1750	1182 (67.5)
दहेज उत्पीड़न	315	51 (16.2)	650	426 (65.5)	357	236 (66.1)
दहेज हत्या	12	8 (66.7)	22	16 (72.7)	6	5 (83.3)
दूसरा विवाह	127	31 (24.4)	163	116 (71.2)	108	65 (60.2)
परिसंपत्ति संबंधी	122	13 (10.7)	276	222 (80.4)	153	101 (66.0)
बलात्कार और ट्रैफिकिंग के मामले	56	2 (3.6)	116	68 (58.6)	58	52 (89.7)
कार्यालय तथा अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न	22	7 (31.9)	78	68 (87.2)	29	25 (86.2)
अन्य	522	35 (6.7)	1120	792 (70.7)	714	545 (76.3)
कुल मामले	**2384**	**443 (18.6)**	**5268**	**3751 (71.2)**	**3175**	**2211 (69.6)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े निष्पादित मामलों का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : बिहार राज्य महिला विकास निगम, बिहार सरकार

सांस्कृतिक सशक्तीकरण

आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के साथ-साथ सांस्कृतिक सशक्तीकरण भी व्यक्तित्व विकास का अनिवार्य अंग है। अतएव महिला विकास निगम महिलाओं के सांस्कृतिक सशक्तीकरण में भी सक्रिय भूमिका निभाता है।

- पांच जिलों (नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, बेगूसराय और पूर्व चंपारण) के 15 महिला महाविद्यालयों में 'सपनों को चली छूने' कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनी सह महिला (जेंडर) मेले आयोजित किए गए। इन महाविद्यालयों ने आयोजकों ने 30 'परिवर्तन चैंपियनों' का चुनाव किया जो अभियान को आगे बढ़ाएंगी।
- महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके बीच लाह की खेती को बढ़ावा दिया गया और अभी तक 12 महिला कृषकों ने लाह की खेती आरंभ कर दी है।
- 50 गरीब महिलाओं को नर्सिंग के लिए और 37 महिलाओं को कृत्रिम आभूषण तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 11 मुख्य प्रशिक्षक बन गई हैं।
- वर्ष 2011-12 में महिला एवं बाल स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य संबंधित विषयों पर 714 ऑडियो/ वीडियो प्रदर्शन 114 संकुलों में किए गए जिनसे 21,421 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

पंचायती राज संस्थाएं

पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर लोगों के राजनीतिक सशक्तीकरण की वाहक हैं। बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रह रहे हैं जहां आधुनिकता का कोई नाम-निशान भी नहीं है। एसे लोगों में बड़ी संख्या या तो महिलाओं की है या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों की। बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतें, प्रखंड स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषद हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया, पंचायत समिति के अध्यक्ष को

प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 को राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए लागू किया गया था। अभी बिहार के 38 जिलों में 531 पंचायत समितियां और 8,442 ग्राम पंचायतें मौजूद हैं। महिलाओं के लिए एकल स्थानों पर आरक्षण सहित 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है (तालिका 5.49)।

तालिका 5.49 : पंचायती राज : अवलोकन 2012

विवरण	संख्या	विवरण	संख्या
जिला परिषद	38	ग्राम कचहरी के सदस्य	115542
पंचायत समिति	531	ग्राम पंचायत के सरपंच	8442
ग्राम पंचायत	8442	ग्राम पंचायत सचिव	5816
ग्राम कचहरी	8442	न्याय मित्र	6947
ग्राम पंचायत सदस्य	115542	ग्राम कचहरी के सचिव	7474
ग्राम पंचायतों के मुखिया	8442	जिला पंचायती राज अधिकारी	22
पंचायत समिति सदस्य	11534	पंचायत राज अधिकारी	299
जिला परिषद सदस्य	1162		

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को दो प्रकार की धनराशियां उपलब्ध कराई जाती हैं :

(क) राज्य के निवल करों के अंतरण के जरिए प्राप्त अनुदान। इस रकम का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पेयजल, गांव की कच्ची सड़कों पर ईंट का संस्तरण और उनके किनारे नाली निर्माण, सड़कों, नालियों, तालाबों, कुओं, आदि की सफाई, मरे जानवरों को फेकना, पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण सड़कों पर सौर प्रकाश व्यवस्था जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। बची राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए किया जाएगा।

(ख) असंबद्ध अनुदान : पंचायती राज संस्थाओं के तहत 38 जिला परिषदों को 15-15 लाख रु., 531 जिला समितियों को 1-1 लाख रु. और 8,442 ग्राम पंचायतों को 2-2 लाख रु. की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशि को जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लेखा संधारण और क्षमता निर्माण पर खर्च किया जाएगा।

वर्ष 2011-12 में कुल 580.16 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं और 2012-13 में 673.70 करोड़ रु. का प्रावधान है। विभिन्न योजनाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं का व्यय-परिव्यय अनुपात 2011-12 में 90 और 100 प्रतिशत के बीच था जबकि 2010-11 में यह 55 से 100 प्रतिशत के बीच था। समग्र परिदृश्य दर्शाता है कि 2011-12 में योजनागत परिव्यय का उपयोग बढ़ा है और 2010-11 के 88 प्रतिशत से लगभग 100 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2011-12 में पंचायती राज संस्थाओं के विकास तथा क्षमता निर्माण संबंधी विभिन्न घटकों के लिए उपयोग अनुपात 100 प्रतिशत था जबकि अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग अनुपात 77 से 100 प्रतिशत के बीच था (तालिका प 5.41) (परिशिष्ट)। सभी 38 जिलों के 531 पंचायत समितियों

में सूचना प्रौद्योगिकी कोषांग की स्थापना के लिए प्रत्येक को 1.75 लाख रु. उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही, 13वें वित्त आयोग के आलोक में ग्राम पंचायतों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 582.06 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण

राज्य सरकार ने पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन इन समुदायों के समग्र विकास के लिए किया है। पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत वे जातियां/ समुदाय आते हैं जिन्हें राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित गया है। बिहार में 131 पिछड़ी जातियों का बिहार की आबादी में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है। पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कल्याणकारी उपाय इस प्रकार हैं :

- पिछड़े एवं अतिपिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, महविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के स्तर पर छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2011-12 में 177.24 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया जिससे 4.50 लाख विद्यार्थो लाभान्वित हुए।
- पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें राज्य सरकार का 50 प्रतिशत अंशदान रहता है। वर्ष 2011-12 में इससे कुल 66,660 विद्यार्थियों ने यह सुविधा प्राप्त की और 2012-13 में 1. 85 लाख विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा प्रदान करने की योजना है। राज्य सरकार राज्य योजना के तहत भी पूर्व-माध्यमिक/ विद्यालय स्तर पर वजीफे देती है। वर्ष 2011-12 में 20.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था जिससे 2.58 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
- इस समय पिछडा और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पटना, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार और खगड़िया में कुल 6 छात्रावास चल रहे हैं और 26 अन्य जिलों में भी छात्रावास बनकर तैयार हो गए हैं। तीन अन्य जिलों में 3 छात्रावास निर्माणाधीन हैं।
- जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के तहत राज्य के हर जिले में छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को 40.25 करोड़ रु. विमुक्त किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत 2011-12 में 53.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं जिसके जरिए 53,000 लड़के-लड़कियां लाभान्वित हुई हैं।
- बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 1993 में की गई थी। यह राज्य सरकार के लिए ऋण दिशाबद्ध करने वाला अभिकरण है। निगम स्वरोजगार आधारित उद्यम शुरू करने के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को ऋण उपलब्ध कराता है जिसमें 85-90 प्रतिशत सावधि ऋण और 5-10 प्रतिशत मार्जिन मनी होती है।

खास तौर से पिछड़ी और अतिपिछड़ी जाति के लोगों के कल्याण हेतु कुल व्यय के विवरण तालिका 5.50 क में प्रस्तुत हैं। पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए वित्तोय आबंटन तालिका 5.50 ख में प्रस्तुत ह।

तालिका 5.50 क : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की वित्तीय प्रगति

(लाख रु.)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13, दिसंबर '12 तक
कुल परिव्यय	6150.60	6742.00	12562.17	36591.17	82591.64
कुल अनुमोदित राशि	6022.50	6742.00	12562.17	36591.17	81801.64
कुल व्यय	4785.80	6684.00	11516.77	35505.30	16982.19
व्यय अनुमोदित राशि के प्रतिशत में	79.47	99.14	91.68	97.03	20.75
व्यय कुल परिव्यय के प्रतिशत में	77.81	99.14	91.68	97.03	20.56

स्रोत : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.50 ख : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का भौतिक और वित्तीय ब्योरा

योजनाओं के नाम	वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)
प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के विद्यार्थियों का वजीफे	2008-09	296315	2200.00
	2009-10	296315	2200.00
	2010-11	312630	2400.00
	2011-12	323313	2516.66
पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति	2008-09	55823	2000.00
	2009-10	75483	2522.55
	2010-11	86210	4000.00
	2011-12	126938	15206.88
अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय (12)	2008-09	2400	275.00
	2009-10	2400	300.00
	2010-11	2440	512.00
	2011-12	3080	485.00
अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना	2008-09	10000	1000.00
	2009-10	9000	900.00
	2010-11	46943	4694.34
	2011-12	53000	5300.00
29 बालक एवं बालिका छात्रावासों का निर्माण	2008-09 से 2011-12	3200	3315.63
पिछड़ा वर्ग विकास निगम के लिए हिस्सा पूंजी का प्रावधान	2008-09	-	100.00
	2009-10	-	100.00
	2010-11	-	100.00
	2011-12	-	100.00
तकनीकी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए वजीफे	2008-09	830	17.40
	2009-10	830	17.40
	2010-11	830	17.40
	2011-12	850	17.40
अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 38 जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रवासों का निर्माण	2008-09	निर्माणाधीन	1000.00
	2009-10		1791.27
	2010-11		1073.77
	2011-12		160.44

स्रोत : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण

बिहार की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का 16.71 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें 16.53 प्रतिशत मुसलमान, 0.03 प्रतिशत ईसाई तथा 0.21 प्रतिशत अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। कुल आबादी में मुसलमानों का हिस्सा किशनगंज में 67.58 प्रतिशत, कटिहार में 42.53 प्रतिशत, अररिया मं 41.14 प्रतिशत और पूर्णिया में 36.76 प्रतिशत है। मुसलमानों का न्यूनतम 4.4 प्रतिशत हिस्सा लखीसराय जिले में है। ईसाइयों का सर्वाधिक हिस्सा भी किशनगंज और कटिहार जिलों में ही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने स्वतंत्र कोषांग के बतौर 1991 से काम शुरू किया।

सच्चर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मुसलमानों में शिक्षा की स्थिति सामान्य समुदाय से काफी निम्न थी। इस असमानता की समाप्ति और आबादी के इस वंचित तबके के उत्थान के लिए राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। यथा :

- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना से 2011-12 में 15,500 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
- अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण योजना राज्य के सभी जिलों में चल रही है। अभी तक 22 छात्रावास बने और चालू हुए हैं जिनमें पटना स्थित मदर टेरेसा बालिका छात्रावास भी शामिल है।
- वष 2011-12 में मद्रसा इस्लामिया शम्स-उल-होदा, पटना के परिसर में 100 शय्याओं वाले छात्रावास के निर्माण के लिए 2.53 करोड़ रु. आबंटित किए गए।
- मधुबनी के मद्रसा दामला (बिस्फी) में 300 शय्याओं वाले छात्रावास के निर्माण के लिए आवश्यक अनुदान को स्वीकृति दे दी गई ह।
- गया, बेगूसराय, भोजपुर, सहरसा, किशनगंज, पटना, पूर्व चंपारण, खगड़िया, बांका, मुंगेर, मधुबनी, कटिहार, कैमूर, रोहतास, भागलपुर, मधेपुरा, जहानाबाद, सारण, सुपौल और गोपालगंज में छात्रावासों के रखरखाव के लिए 2 लाख रु. प्रति छात्रावास विमुक्त किए गए हैं।
- वर्ष 2011-12 में वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड को 50 लाख रु. विमुक्त किए गए।
- किशनगंज, मधेपुरा, पटना, गोपालगंज और सारण में छात्रावासों के जीर्णोद्धार के लिए आधुनिकीकरण योजना के तहत 10 लाख रु. विमुक्त किए गए हैं।
- वर्ष 2011-12 में 600 मुसलमान परित्यक्ता महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभान्वित हुई थीं और 2012-13 में ऐसी महिलाओं के लाभ के लिए 1.50 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।
- अंजुमन तरक्की-ए-ऊर्दू को 8 लाख रु. का अनुदान उपलब्ध कराया गया है।
- हाजियों की सेवा के लिए 22 खादिम-उल-हज्जाज चुने गए हैं और हज भवन के निर्माण के लिए 10 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तोय उपलब्धियों के विवरण तालिका 5.51 में प्रस्तुत हैं। गौरतलब है कि विभिन्न शीर्षों के तहत विभाग की उपलब्धि शत-प्रतिशत है।

तालिका 5.51 : राज्य योजना के तहत 2011-12 में वित्तीय उपलब्धियां

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य योजना	बजट की राशि	स्वीकृत राशि	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	बालक-बालिकाओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रावासों का निर्माण	400.0	399.1	399.1	99.8
2	हज भवन आदि का निर्माण	10.0	10.0	10.0	100
3	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम हेतु राज्य की हिस्सा पूंजी का प्रावधान	0.0	0.0	0.0	0
4	राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम हेतु हिस्सा पूंजी	100.0	100.0	100.0	100
5	वक्फ की संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण तथा सर्वेक्षण	0.0	0.0	0.0	0
6	मेधा सह गरीबी आधार पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	0.0	0.0	0.0	0
7	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	1550.0	1550.0	1550.0	100
8	महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी हेतु छात्रवृत्ति	0.0	0.0	0.0	0
9	वक्फ की संपत्तियों का रखरखाव और सुरक्षा	40.0	40.0	40.0	100
10	राज्य वक्फ बोर्ड को रिवॉल्विंग फंड के बतौर सहायता अनुदान	50.0	50.0	50.0	100
11	परित्यक्ताओं को सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए वित्तीय सहायता	50.0	50.0	50.0	100
12	अल्पसंख्यक कारीगरों को मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना के तहत प्रशिक्षण	0.0	0.0	0.0	0
13	पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना का राज्यांश (केंद्रीय योजना)	760.0	616.9	616.9	81.2
14	बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) का राज्यांश (केंद्र प्रायोजित योजना)	5540.0	4498.0	4498.0	81.2
	योग	8500.0	7314.0	7314.0	86.1

स्रोत : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार

श्रमिक कल्याण

बिहार में श्रमशक्ति मुख्यतः असंगठित है। लोग अधिकांशतः कृषि और सहवर्ती गतिविधियों में लगे हैं। वर्ष 2001 में लगभग 75 प्रतिशत मुख्य श्रमिक कृषि अथवा कृषि संबंधी पेशों में लगे थे। वर्ष 2011 से संबंधित आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं। औद्योगीकरण की कम दर के कारण श्रमशक्ति का नाम मात्र का हिस्सा संगठित क्षेत्र में लगा है। बिहार के श्रमिक रोजगार की तलाश में देश के अन्य राज्यों की ओर, यहां तक कि देश के बाहर भी जाते हैं। राज्य सरकार ने हाल में श्रम कानूनों के उचित क्रियान्वयन के साथ-साथ अनेक प्रकार की योजनाओं के जरिए श्रमिकों के कल्याण हेतु कदम उठाए हैं, जैसे 'बिहार शताब्दी असंगठित मजदूर एवं कारीगर सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011', 'अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर योजना', 'बंधुआ मजदूर पुनर्वास', ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर, बीड़ी श्रमिक आवास निर्माण योजना, बाल श्रमिक पुनर्वास, कर्मचारी बीमा योजना आदि। वर्ष

2012-13 में श्रम कल्याण विभाग का बजट परिव्यय 11.58 करोड़ रु. है जो 2010-11 के दूने से भी अधिक है। वर्ष 2010-11 में वित्तोय उपलब्धि 90 प्रतिशत थी जबकि 2011-12 में मात्र 69 प्रतिशत। वर्ष 2010-11 और 2011-12 में विभिन्न योजनाओं की भौतिक उपलब्धियां तालिका 5.52 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 5.52 श्रमिक संबंधी प्रमुख सार्वजनिक पहलकदमियों/ योजनाओं का अवलोकन

(परिव्यय/ व्यय लाख रु. में)

योजना	2010-11			2011-12			2012-13
	बजट परिव्यय	वित्तोय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि	बजट परिव्यय	वित्तोय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि	बजट परिव्यय
ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	22.9	20.1	8442 श्रमिक प्रशिक्षित	32.8	28.5	8442 श्रमिक प्रशिक्षित	36.0
बाल श्रमिक पुनर्वास योजना का सुदृढ़ीकरण	59.9	37.4	500 लाभान्वित	116.0	55.7	500 लाभान्वित	175.0
बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग की स्थापना	93.0	88.0	स्थापित	122.0	113.7	स्थापित	102.0
बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	58.0	57.7	577 लाभान्वित	25.5	23.0	230 लाभान्वित	35.0
बीड़ी मजदूर आवास निर्माण योजना	37.4	36.4	909 लाभान्वित	40.0	20.6	515 लाभान्वित	40.0
अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर योजना	175.0	173.0	156 लाभान्वित	125.0	87.6	83 लाभान्वित	170.0
आम आदमी बीमा योजना	24.0	18.3	—	45.0	1.5	—	—
श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण	43.4	31.1	—	97.7	44.5	—	100.0
बिहार असंगठित मजदूर एवं कारीगर सामाजिक सुरक्षा योजना	2011-12 में योजना का शुभारंभ			126.0	126.0	श्रमिक कल्याण कॉर्पस कोष जमा	500.0
योग	**513.5**	**461.9**	**—**	**730.0**	**501.0**	—	**1158.0**

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

वृद्ध एवं विकलांग हेतु सामाजिक कल्याण

किसी भी कल्याणकारी राज्य को समाज कल्याण के विभिन्न घटकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महिलाओं और बच्चों से संबंधित ऐसी योजनाओं पर पहले ही चर्चा की गई है। इस खंड में विभिन्न पेंशन योजनाओं के साथ-साथ विकलांग लोगों के लिए चलने वाली योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है।

तालिका 5.51 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित कल्याण योजनाओं का सारांश प्रस्तुत है। वर्ष 2009-10 से 2011-12 के बीच केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में आबंटन 39.4 प्रतिशत बढ़ा है जबकि राजकीय क्षेत्र की योजनाओं में 88.9 प्रतिशत। दोनों प्रकार की योजनाओं में लाभान्वितों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। इन योजनाओं में लाभान्वितों की जिलावार संख्या तालिका प 5.42 (परिशिष्ट) और तालिका प 5.43 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। वर्ष 2011-12 में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में लाभान्वितों की संख्या सबसे अधिक

मुजफ्फरपुर में थी और उसके बाद मधुबनी और पटना में। वहीं राजकीय क्षेत्र की योजनाओं में लाभान्वितों की संख्या सबसे अधिक गया में थी और उसके बाद नालंदा, पटना और भागलपुर में।

तालिका 5.53 : वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन योजनाएं

योजना	वित्तीय (लाख रु.)			भौतिक (लाख रु.)		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (एनएसएपी)						
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	50606	58886	64797	23.7	28.18	34.04
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1614	5408	7486	1.36	2.7	3.45
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना	67	166	332	0.05	0.1	0.19
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	2729	2781	4052	0.27	0.28	0.4
राजकीय क्षेत्र की योजनाएं						
लक्ष्मीबाई पेंशन योजना	6176	9550	11066	3.07	4.5	4.97
बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	2186	2356	2172	0.97	1	0.84
बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना	1558	4401	5291	1.34	2.09	3.07
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना	1980	2595	4600	1.22	0.87	1.41
मुख्यमंत्री समर्थ योजना	474	496	498	0.08	0.09	0.17
नि:शक्तता छात्रवृत्ति योजना	555	536	532	0.13	0.04	0.16
मुख्यमंत्री नि:शक्तजन ऋण योजना	20	20	500	-	-	0.01
विकलांग सर्वेक्षण	113	57	64	3.29	6.09	7.63
विशेष विद्यालयों का उत्क्रमण	132	9	201	-	-	-

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

उक्त योजनाओं के अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक नि:शक्तताओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नई पहलकदमियां भी ली जा रही हैं।

- नि:शक्त लोगों के कल्याण के लिए 'संबल' नामक एक समेकित योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना में ऐसे लोगों के लिए छात्रवृत्ति, कृत्रिम अंग और मशीनें, प्रमाणन, विशेष विद्यालय, सेवाप्रदान केंद्र, शिक्षा ऋण, स्वरोजगार ऋण और संरक्षणगृह शामिल हैं।
- इंदिरा गांधी राष्टोय विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन की दर प्रति लाभार्थी 200 रु. से बढ़ाकर 300 रु. प्रति माह कर दी गई है और पात्रता का मापदंड वर्तमान 40-59 वर्ष को संशोधित करके 40-79 वर्ष कर दिया गया है।
- इसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्टोय नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत भी पेंशन की दर प्रति लाभार्थी 200 रु. से बढ़ाकर 300 रु. प्रति माह कर दी गई है और पात्रता का मापदंड वर्तमान 18-64 वर्ष को संशोधित करके 18-79 वर्ष कर दिया गया है।

- राष्टोय पारिवारिक लाभ योजना के तहत एकमुश्त अनुदान 10,000 रु. से बढ़ाकर 20,000 रु. कर दिया गया है और और पात्रता का मापदंड वर्तमान 18-64 वर्ष को संशोधित करके 18-59 वर्ष कर दिया गया है।
- वर्ष 2012-13 में मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके तहत मृतक के आश्रित को 20,000 रु. अनुदान दिया जाता है।
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बिहार निःशक्तता पेंशन को 200 रु. से बढ़ाकर 300 रु. प्रति माह कर दिया गया है।

भूमि वितरण

भूमि सुधार का बिहार में पिछड़ापन के खिलाफ संघर्ष के किसी भी कार्यक्रम में केंद्रीय स्थान है। राज्य की 90 प्रतिशत आबादी अभी भी गांवों में रहती है और 74 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि में लगी है। फलतः राज्य की अर्थव्यवस्था अभी भी ग्रामीण अथवा कृषिप्रधान है। ग्रामीण गरीबों में भूमिहीनों और लगभग भूमिहीनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भूमिहीनता गरीबी की समस्या को बढ़ा देती है और लोगों को राज्य के बाहर पलायन करने के लिए बाध्य करती है। भूमिहीनता से कृषिविकास की दर भी घटती है।

बिहार में पुनर्वितरणीय न्याय राजस्व प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अवलंब है। हाल के वर्षों में राजस्व प्रशासन का मुख्य फोकस आवासीय भूमि विहीन महादलित परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराना है। महादलित विकास योजना का आरंभ 2009-10 में किया गया था और 2011-12 में इस योजना से लाभान्वित महादलित परिवारों की संख्या 14,787 हो गई है। विभाग ने लक्ष्य समूह को इन चार प्रकार की जमीनों में से जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया - (क) गैर-मजरुआ मालिक/ खास जमीन, (ख) गैर-मजरुआ आम जमीन, (ग) बिहार विशेषाधिकार संपन्न गृहभूमि काश्तकारी अधिनियम (बिहार प्रीविलेज्ड पर्सन्स होमस्टीड टीनांसी ऍक्ट), 1947 के तहत उपलब्ध भूमि, तथा (घ) उक्त तीनों प्रकार की जमीन के न होने पर बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत खरीदी गई रैयती जमीन। इस योजना की प्रगति तालिका 5.54 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.54 : महादलित परिवार गृहभूमि प्रावधान योजना के तहत प्रगति

जमीन का प्रकार	महादलित परिवारों की संख्या			वितरित जमीन का क्षेत्रफल (एकड़)
	आच्छादित होने वाले	आच्छादित हो चुके	उपलब्धि का प्रतिशत	
गैर-मजरुआ मालिक/ खास जमीन	69377	52864	76.2	1618.23
गैर-मजरुआ आम जमीन	46870	24867	53.1	669.27
बिहार विशेषाधिकार संपन्न गृहभूमि काश्तकार अधिनियम	43560	39668	91.1	1105.26
रैयती जमीन की खरीद	60922	26479	43.5	794.37

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

इसके साथ-साथ विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूची-1 और अनुसूची-2 के अंतर्गत आने वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए भी जमीन के प्रावधान की योजनाएं चला रहा है। विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

- गृहस्थल योजना के तहत 2011-12 में विभिन्न जिलों में 15.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं और अभी तक 1,020 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं।
- 128 टोलों-मुहल्लों को जोड़ने के लिए संपर्कपथ निर्माण योजना के तहत 35.18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है।
- वर्ष 2011-12 में भूमि हस्तांतरण के 73 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है और इस गतिविधि के तहत 642.48 एकड़ सरकारी जमीन हस्तांतरित की गई है।
- गृहस्थल योजना के तहत 2011-12 में 10.3 हजार लाभार्थियों के लिए 433.36 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है।
- चकबंदी योजना के तहत 2011 में 111 लाभार्थियों के बीच 43.98 एकड़ जमीन बांटी गई।

तालिका 5.55 में राजस्व संग्रहण, बासगीत जमीन की बंदोबस्ती, सरकारी जमीन की बंदोबस्ती आदि से संबंधित मुद्दों के विभिन्न पक्षों के मामले में पहलकदमियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। तालिका के अनुसार बासगीत जमीन का पर्चा पाने वाले लाभान्वितों की संख्या हर साल 10 हजार से अधिक थी। भूमि राजस्व संग्रहण के मामले में गिरावट का रुझान दिखा, हालांकि 2011-12 में वसूली 2010-11 से अधिक हुई। सरकारी जमीन की बंदोबस्ती के तहत लाभान्वितों की संख्या लगातार बढ़ती गई है जबकि सैरातों की बंदोबस्ती में 2011-12 में गिरावट आई।

तालिका 5.55 : राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पहलकदमियां

वर्ष	बासगीत जमीन का पर्चा जारी		भूमि राजस्व संग्रहण (करोड़ रु.)	सरकारी जमीन की बंदोबस्ती		सैरातों की बंदोबस्ती		
	लाभान्वितों की सं.	वितरित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)		वितरित भूमि का क्षेत्रफल (सौ एकड़)	लाभान्वितों की सं.	सैरातों की कुल सं.	बंदोबस्त सैरातों की कुल सं.	सैरातों से कुल प्राप्ति (करोड़ रु.)
2006-07	10494	402.87	46.48	771.88	2715	6867	4892	4.42
2007-08	15700	800.06	27.46	575.00	1378	5954	3787	4.60
2008-09	14184	613.43	45.37	203.88	1453	6071	4422	6.05
2009-10	10399	366.03	39.16	464.59	8807	7928	4406	9.16
2010-11	15558	532.51	19.61	921.91	10030	6927	3368	9.46
2011-12	10292	433.46	28.03	373.07	14547	6903	3607	1.02

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के तहत राज्य में एक समिति काम कर रही है जो दान दी गई जमीन के कमजोर तबकों में वितरण के लिए जवाबदेह है। इस योजना के तहत प्रगति तालिका 5.56 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.56 : भूदान की जमीन के वितरण के मामले में प्रगति

(हजार एकड़)

वर्ष	भूदान से संग्रहित भूमि	पुष्टिकृत भूमि	वितरण के अयोग्य भूमि	वितरित भूमि	वितरण हेतु उपलब्ध भूमि
2007-08	649	345	263	244	141
2008-09	649	345	373	252	24
2009-10	649	345	385	254	9
2010-11	649	345	385	255	8
2011-12	649	345	385	256	7

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 5.9 : भूदान

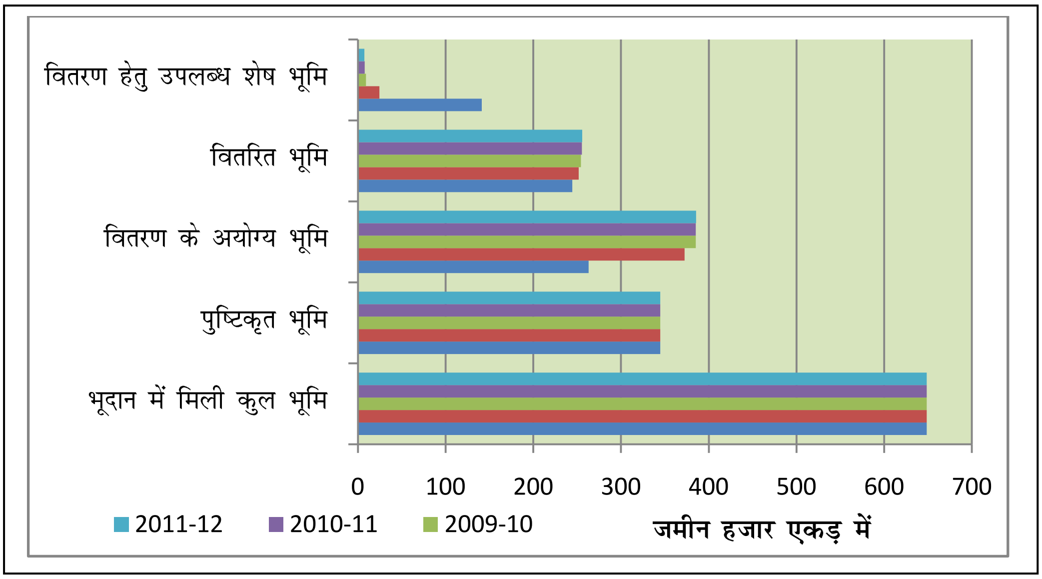

5.6 आपदा प्रबंधन

अपनी भू-आकृतिक और जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण राज्य अनेक आपदाओं के लिहाज से लगातार असुरक्षित रहा है, जिनमें बाढ़, सूखा, लू, तूफान, ओलावृष्टि और ग्रीष्मकालीन चक्रवात शामिल हैं। कभी-कभार जाड़े में लगातार चलने वाली शीतलहर भी मानवों और पशुओं के जोवन की बलि लेती है। बिहार उच्च और मध्यम सिस्मिक क्षेत्र में अवस्थित है जिसके कारण यह भूकंपप्रवण भी है। बूढ़े लोग अभी भी 1934 में आए भूकंप को याद करते हैं जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी और बाद में संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। इन सबको देखते हुए आपदा प्रबंधन का स्वतंत्र विभाग स्थापित किया गया। इस पहलकदमी का मूल उद्देश्य आपदाओं के आने के पहले तैयारी सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, विभाग को आपदाओं के आते ही तत्काल कार्रवाई करनी होती है।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के दिशानिर्देशों के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) का गठन किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनआरडीएफ) की एक बटालियन पटना के समीप बिहटा में स्थापित की है। उसने बटालियन के रहने के लिए 74.47 एकड़ जमीन खरीदी है। अपनी ओर से राज्य सरकार ने भी स्थल सेना और नौसेना के अवकाश-प्राप्त कर्मचारियों को लेकर राज्य आपदा अनुक्रिया बल (एसडीआरएफ) की स्थापना की है। राज्य आपदा अनुक्रिया बल में केंद्रीय आरक्षी बलों के लोग भी शामिल होने के पात्र हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

(क) बाढ़ आपदा के मुकाबले के लिए बाढ़ और अन्य प्रकार की आपदाओं के दौरान पहले से तैयार रहने, तत्काल कार्रवाई करने तथा राहत एवं पुनर्वास के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मानक कार्यसंचालन पक्रिया (एसओपी) सूत्रबद्ध की गई है।

(ख) राज्य में गरीबों, वृद्धों, अक्रियाशील लोगों, विधवाओं तथा सुविधावंचित लोगों को 'भूखजनित मृत्यु' से बचाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिहाज से 'शताब्दी अन्न कलश योजना' नामक एक योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार एक महीने तक प्रति वयस्क 10 किग्रा और प्रति बच्चा 7 किग्रा खाद्यान्न देने की गारंटी करती है जब तक कि उनका आच्छादन राज्य सरकार की किसी अन्य ऐसी योजना के तहत न हो जाय। वर्ष 1011-12 में इस योजना के लिए 10 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए थे।

(ग) राज्य आपदा प्रबंधन बल में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं।

(घ) राज्य के कुछ क्षेत्रों में अनियमित मानसून और भूजल के घटते स्तर के कारण उत्पन्न पेयजल संकट से मुकाबले के लिए भी मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया (एसओपी) सूत्रबद्ध की गई है।

(च) एक राजकीय आपात कार्यसंचालन केंद्र (ईओसी) भवन का निर्माण किया गया है और उसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया गया है। इसके अलावा, 10.00 लाख रु. प्रति केंद्र की लागत से राज्य के सभी 38 जिलों में भी आपात कार्यसंचालन केंद्र निर्मित किए गए हैं।

वर्ष 2012-13 में ली गई पहलकदमियां

विभाग के और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए 2012-13 में राज्य सरकार के अतिरिक्त क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) बाढ़ से जूझने के लिहाज से आवश्यक सामग्रियों की खरीद के लिए विभिन्न बाढ़प्रवण जिलों में 40.53 करोड़ रु. आबंटित किए गए।

(ख) आग, बाढ़, चक्रवात, तड़ित और अन्य आपदाओं से जूझने के लिए सभी जिलों में विभिन्न शीर्षों के तहत कुल 67.09 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए।

(ग) आपात कार्यसंचालन केंद्र (ईओसी) को राज्य और जिला, दोनों स्तरों पर कार्यशील बनाने के लिए एक कोर कमिटी का गठन किया गया है। राहत सामग्रियों के भंडारण और सुरक्षित भंडार के लिए जिलों में निर्माण कार्य आरंभ किए गए हैं।

(घ) राज्य के सभी 28 बाढ़प्रवण जिलों में से प्रत्येक में 10 गृहरक्षक जवानों के साथ-साथ स्वयंसेवकों को को भी तैरने और आपदा के शिकार लोगों को खोजने का प्रशिक्षण दिया गया है। अभी तक 1,023 ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हर बाढ़प्रवण जिले में अन्य 10 गृहरक्षक जवानों को मोटरबोट चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। अभी तक 25 जिलों में 212 ऐसे जवानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

सूखा

वर्ष 2009 में कई जिलों में सामान्य से कम बारिश के कारण बिहार को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा था। राज्य ने 2010 में भी सूखे का सामना किया हालांकि वह 2009 जितना गंभीर नहीं था क्योंकि वर्षापात की कमी 20 प्रतिशत ही थी। वर्ष 2011 और 2012 में सूखा नहीं पड़ा और राज्य का इस मद में कोई खर्च नहीं हुआ। तालिका 5.57 में 2010-11 से 2011-12 में सूखा राहत के अंतर्गत व्यय दर्शाया गया है। गौरतलब है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में अनियमित मॉनसून तथा भूजल के गिरते स्तर के कारण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित पेयजल योजनाओं पर 2010-11 में 15.54 करोड़ रु. और 2011-12 में 5.0 करोड़ रु. की रकम खर्च की गई।

तालिका 5.57 : सूखा राहत हेतु स्वीकृत राशि

(लाख रु.)

राहत कार्यक्रम	2010-11	2011-12
अनुकृपा अनुदान उपलब्ध कराना		
(क) नगद राशि	44054.74	–
(ख) खाद्यान्न	534.00	–
पेयजल (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)	1553.56	500.00
चारा तथा परिवहन (पशुपालन)	–	–
पूरक पोषाहार (समाज कल्याण विभाग)	_	_
योग		

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग : बिहार सरकार

बाढ़ और चक्रवात

राज्य के उत्तर बिहार में अवस्थित 28 जिले लगभग नियमित तौर पर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाढ़ के लगातार खतरे को देखते हुए इन जिलों में बाढ़ के दौरान बचाव कार्य संबंधी आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, राज्य के ऐसे सभी जिलों में बाढ़ शरणस्थल और बाढ़ प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी प्रमंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को बाढ़-पश्चात कार्यों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विषयक दिशानिर्देश जारी किए हैं। बाढ़ और चक्रवात के बाद राहत कार्य के लिए राज्य सरकार ने 2010-11 में 39.62 करोड़ रु. और 2011-12 में 171.07 करोड़ रु. खर्च किए। वर्ष 2012-13 के लिए (सितंबर 2012 तक) आबंटन 60.18 करोड़ रु. था। विभिन्न शीर्षों के तहत व्यय का बंटवारा तालिका 5.58 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.58 : बाढ़ और चक्रवात के संबंध में आबंटित राशि

(लाख रु.)

कार्यक्रम	बाढ़ एवं चक्रवात		
	2010-11	2011-12	2012-13, सितंबर 2012 तक
(क) राहत एवं बचाव उपकरण	–	–	–
(ख) सूखे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति	1070.32	10279.19	1475.00
(ग) नगद सहायता	681.26	2976.74	1053.00
(घ) कपड़ों और बर्तनों का वितरण	525.00	39.00	171.74
(च) पेयजल की आपूर्ति	–	35.46	59.74
(छ) सड़कों एवं पुलों की मरम्मत	–	–	260.22
(ज) सुरक्षित जगह ले जाने संबंधी कार्य	923.20	1774.35	2061.38
(झ) सार्वजनिक भवनों की मरम्मत	–	–	197.94
(ट) कृषि लागत	209.00	1021.24	46.70
(ठ) नावों की मरम्मत	276.85	684.33	584.70
(ड) तटबंधों तथा सिंचाई प्रणाली की मरम्मत	–	–	–
(ढ) मानव हेतु दवाएं	50.50	21.88	0.0
(ण) बाढ़पूर्व व्यवस्थाओं के लिए पेट्रॉल, डीजल, स्नेहक	–	–	–
(त) बाढ़जनित दुर्घटनों के मामले में सहायता	226.01	275.00	107.10
(थ) विविध	–	–	–
योग	3962.14	17107.19	6017.52

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग : बिहार सरकार

राज्य सरकार राज्य में सूखा, बाढ़ और चक्रवात के साथ-साथ अन्य सभी प्रकार की आपदाओं की आंशका के मामले में भी सतर्क है। इसने किसी भी प्रकार की आपदाओं से बचाव और उनसे होने वाले नुकसान से मुकाबले के लिए ग्राम स्तर से लेकर ऊपर तक कार्यबल की स्थापना की है।

परिशिष्ट

तालिका प 5.1 : बिहार की जिलावार जनसाख्यिक विवरणी (2001 और 2011)

राज्य/ जिले	जनसंख्या (लाख)		दशकीय वृद्धि	घनत्व	
	2001	2011		2001	2011
पटना	47.2	57.7	22.3	1471	1803
नालंदा	23.7	28.7	21.2	1006	1220
भोजपुर	22.4	27.2	21.3	903	1136
बक्सर	14.0	17.1	21.8	864	1003
रोहतास	24.5	29.6	20.2	636	763
कैमूर	12.9	16.3	27.5	382	488
गया	34.7	43.8	26.1	699	880
जहानाबाद	15.1	11.2	21.3	963	1206
अरवल*	--	7.0	19.0	--	1099
नवादा	18.1	22.2	22.5	726	889
औरंगाबाद	20.1	25.1	24.8	607	760
सारण	32.5	39.4	21.4	1231	1493
सीवान	27.1	33.2	22.3	1221	1495
गोपालगंज	21.5	25.6	18.8	1057	1258
पश्चिम चंपारण	30.4	39.2	28.9	582	750
पूर्व चंपारण	39.4	50.8	29.0	991	1281
मुजफ्फरपुर	37.5	47.8	27.5	1180	1506
सीतामढ़ी	26.8	34.2	27.5	1214	1491
शिवहर	5.2	6.6	27.3	1161	1882
वैशाली	27.2	35.0	28.6	1332	1717
दरभंगा	33.0	39.2	19.0	1442	1721
मधुबनी	35.8	44.8	25.2	1020	1279
समस्तीपुर	34.0	42.5	25.3	1175	1465
बेगूसराय	23.5	29.5	25.8	1222	1540
मुंगेर	11.4	13.6	19.5	800	958
शेखपुरा	5.3	6.3	20.8	762	922
लखीसराय	8.0	10.0	24.7	652	815
जमुई	14.0	17.6	25.5	451	567
खगड़िया	12.8	16.6	29.5	859	1115
भागलपुर	24.2	30.3	25.1	946	1180
बांका	16.1	20.3	26.1	533	672
सहरसा	15.1	19.0	25.8	885	1125
सुपौल	17.3	22.3	28.6	724	919
मधेपुरा	15.3	19.9	30.7	853	1116
पूर्णिया	25.4	32.7	28.7	787	1014
किशनगंज	13.0	16.9	30.4	687	898
अररिया	21.6	28.1	30.0	751	992
कटिहार	23.9	30.7	28.2	782	1004
बिहार	**830.0**	**1038.0**	**25.1**	**880**	**1102**

* 2001 की जनगणना के बाद निर्मित नया जिला

स्रोत : जनगणना 2001 तथा 2011

तालिका प 5.2 : बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011)

राज्य/ जिले	लिंग अनुपात		बाल लिंग अनुपात		शहरीकरण	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011
पटना	873	892	923	899	41.6	43.5
नालंदा	914	921	942	929	14.9	15.9
भोजपुर	902	900	940	915	13.9	14.3
बक्सर	899	922	925	925	9.2	9.6
रोहतास	909	914	951	925	13.3	14.4
कैमूर	902	919	940	939	3.2	4.0
गया	938	932	968	959	13.7	13.1
जहानाबाद	929	918	917	918	7.4	12.0
अरवल	--	927	--	941	--	7.4
नवादा	946	936	978	985	7.4	9.7
औरंगाबाद	934	916	943	945	8.4	9.4
सारण	966	949	949	922	9.2	8.9
सीवान	1031	984	934	934	5.5	5.5
गोपालगंज	1001	1015	964	945	6.1	6.3
पश्चिम चंपारण	901	906	953	950	10.2	10.0
पूर्व चंपारण	897	901	937	923	6.4	7.9
मुजफ्फरपुर	920	898	928	917	9.3	9.8
सीतामढ़ी	892	899	924	932	5.7	5.6
शिवहर	885	890	916	925	4.1	4.3
वैशाली	920	892	937	894	6.9	6.7
दरभंगा	914	910	915	928	8.1	9.7
मधुबनी	942	925	939	931	3.5	3.7
समस्तीपुर	928	909	938	941	3.6	3.5
बेगूसराय	912	894	946	911	4.6	19.2
मुंगेर	872	879	914	925	27.9	28.3
शेखपुरा	918	926	955	940	15.5	17.1
लखीसराय	921	900	951	915	14.7	14.3
जमुई	918	921	963	956	7.4	8.2
खगड़िया	885	883	932	912	6	5.3
भागलपुर	876	879	966	934	18.7	19.8
बांका	908	907	965	939	3.5	3.5
सहरसा	910	906	912	928	8.3	8.2
सुपौल	920	925	925	942	5.1	4.7
मधेपुरा	915	914	927	923	4.5	4.4
पूर्णिया	915	930	967	953	8.7	10.4
किशनगंज	936	946	947	966	10	9.7
अररिया	913	921	963	954	6.1	6.0
कटिहार	919	916	966	956	9.1	8.9
बिहार	**919**	**916**	**942**	**933**	**10.5**	**11.3**

स्रोत : जनगणना 2001 तथा 2011

तालिका प 5.3 : वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जिलावार परिणाम (2011)

जिले	अशोधित जन्म दर (सीबीआर)			अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर)				
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	पुरुष	महिला	ग्रामीण	शहरी
पटना	21.8	25.8	18	5.2	5.3	5.1	6.6	3.9
नालंदा	26.3	26.9	23.1	8	8.9	7.2	8.1	7.9
भोजपुर	24.6	25.2	20.6	5.8	6.2	5.4	6	4.3
बक्सर	25.1	25.3	22.6	6.8	7.2	6.3	7	4.8
रोहतास	25.9	26.4	22.6	7	7.6	6.4	7.1	6.6
कैमूर	25	25.2	19.4	6	6.2	5.8	6	5.5
गया	24.9	26.1	20.6	7.4	8	6.8	7.7	6.4
जहानाबाद	24.9	25.1	22.9	6.2	6.2	6.2	6.2	5.8
अरवल	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
नवादा	25	25.4	21.3	5.9	6.5	5.4	6	5.7
औरंगाबाद	25.6	25.9	23.4	6.4	6.6	6.1	6.4	6
सारण	24.5	24.5	23.8	7.7	8.8	6.7	7.9	7
सीवान	26.1	26.8	21.4	7.5	8.2	6.8	7.6	6.8
गोपालगंज	25.7	25.8	24.7	6.5	6.8	6.3	6.6	5.4
पश्चिम चंपारण	28.6	29.3	21.2	8.9	8.8	9.1	8.7	11.1
पूर्व चंपारण	30.4	31	24.6	8.1	8	8.2	8.1	7.9
मुजफ्फरपुर	25.5	26.3	17.4	8.6	8.4	8.7	8.9	5.4
सीतामढो	28	28.3	24.4	9.6	9.7	9.4	9.8	6.7
शिवहर	31.2	31.1	33.2	7.6	7.4	7.8	7.6	6.7
वैशाली	27.3	27.8	18.6	7.6	8	7.2	7.7	-
दरभंगा	26.5	26.8	21.4	8.8	8.9	8.6	8.7	9
मधुबनी	24.7	24.7	22.5	7.4	7.2	7.6	7.4	9
समस्तीपुर	28.7	29.3	18.6	6.9	6.7	7.1	7	4.9
बेगूसराय	26.6	27.1	21.6	6.5	7.1	5.9	6.6	5.8
मुंगेर	25	26	22.9	6.7	6.9	6.5	6.7	6.7
शेखपुरा	28.9	30.1	22.6	8.1	8.8	7.5	8.3	7.4
लखीसराय	24	24.5	20.5	6.5	6.6	6.4	6.5	6.6
जमुई	26.4	26.7	22.8	6.7	6.9	6.4	6.7	6.4
खगड़िया	30.7	31.2	23.3	9.4	9.1	9.7	9.5	7
भागलपुर	26.3	26.9	24.2	5.5	5.6	5.3	5.5	5.2
बांका	25.8	25.9	23.9	6.1	6.7	5.5	6.1	6
सहरसा	32.1	33.6	23.3	7.8	7.4	8.3	8.3	5.2
सुपौल	28.5	28.7	26.2	6.5	6.6	6.4	6.7	4.7
मधेपुरा	30.1	30.5	20.7	7.5	7.3	7.6	7.4	8.5
पूर्णिया	27.6	28.8	21.7	7.2	7.2	7.2	7.6	5.5
किशनगंज	30.5	31.5	23.8	6.5	7.3	5.7	6.7	4.9
अररिया	30.9	31.2	27.4	7.8	7.4	8.2	7.8	7.2
कटिहार	28.8	29.3	21.7	6.5	7.1	5.9	6.5	6.9
बिहार	26.7	27.5	21.2	7.2	7.4	7	7.4	5.7

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार (जारी)

टिप्पणी : अनु. - अनुपलब्ध

तालिका प 5.3 : वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जिलावार परिणाम (2011) (जारी)

जिले	स्वाभाविक वृद्धि दर			शिशु मृत्यु दर (आइएमआर)				
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	पुरुष	महिला	ग्रामीण	शहरी
पटना	16.6	19.2	14.1	39	39	40	46	30
नालंदा	18.2	18.8	15.2	52	52	52	53	44
भोजपुर	18.8	19.2	16.3	48	47	48	49	38
बक्सर	18.3	18.3	17.9	55	55	55	56	42
रोहतास	18.9	19.3	16	52	51	52	52	50
कैमूर	19	19.2	13.9	56	53	59	56	36
गया	17.5	18.5	14.2	55	53	57	57	48
जहानाबाद	18.7	18.9	17.1	53	52	54	54	43
अरवल	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
नवादा	19	19.4	15.6	49	50	49	49	-
औरंगाबाद	19.3	19.5	17.3	48	47	48	47	52
सारण	16.7	16.7	16.8	52	51	54	52	57
सीवान	18.6	19.2	14.6	49	48	50	50	-
गोपालगंज	19.2	19.2	19.3	51	48	54	52	36
पश्चिम चंपारण	19.7	20.6	10.1	57	54	60	55	82
पूर्व चंपारण	22.3	22.9	16.7	57	54	60	55	77
मुजफ्फरपुर	16.9	17.4	12	60	55	65	62	-
सीतामढ़ी	18.4	18.5	17.7	67	66	69	70	-
शिवहर	23.6	23.4	26.5	50	45	56	51	35
वैशाली	19.7	20	-	50	48	52	50	-
दरभंगा	17.7	18.1	12.5	51	51	51	50	66
मधुबनी	17.3	17.4	13.5	54	50	58	54	-
समस्तीपुर	21.8	22.3	13.7	54	50	60	56	-
बेगूसराय	20.1	20.5	15.9	46	45	47	46	39
मुंगेर	18.3	19.3	16.2	51	49	52	52	47
शेखपुरा	20.8	21.8	15.2	58	54	62	59	49
लखीसराय	17.5	18	13.9	53	51	54	54	43
जमुई	19.7	20	16.4				58	52
खगड़िया	21.3	21.7	16.3	66	65	66	67	-
भागलपुर	20.9	21.4	19	54	54	55	56	48
बांका	19.7	19.8	17.8	48	49	48	49	-
सहरसा	24.2	25.3	18.1	62	60	64	62	61
सुपौल	22	22	21.5	64	64	65	67	
मधेपुरा	22.7	23.1	12.3	71	71	71	72	59
पूर्णिया	20.4	21.2	16.1	62	60	63	62	58
किशनगंज	24.1	24.8	18.8	61	62	61	63	45
अररिया	23.1	23.3	20.2	61	59	63	62	-
कटिहार	22.3	22.8	14.7	59	58	59	59	-
बिहार	19.5	20.1	15.4	55	53	56	56	44

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार (जारी)

तालिका प 5.3 : वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जिलावार परिणाम (2011) (जारी)

जिले	5-पूर्व शिशु मृत्यु दर (U5MR)				
	कुल	पुरुष	महिला	ग्रामीण	शहरी
पटना	53	51	55	66	37
नालंदा	80	78	82	81	75
भोजपुर	61	57	64	63	42
बक्सर	74	72	77	78	45
रोहतास	65	66	65	67	55
कैमूर	73	69	77	73	43
गया	70	69	71	72	62
जहानाबाद	67	63	72	68	55
अरवल	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
नवादा	61	58	63	61	-
औरंगाबाद	61	57	65	61	62
सारण	70	67	72	69	75
सीवान	73	72	73	75	-
गोपालगंज	66	60	72	68	36
पश्चिम चंपारण	81	78	85	81	98
पूर्व चंपारण	75	71	79	72	100
मुजफ्फरपुर	89	76	102	94	-
सीतामढ़ी	106	97	115	111	-
शिवहर	87	77	98	89	51
वैशाली	70	64	76	70	-
दरभंगा	85	79	92	86	79
मधुबनी	73	67	80	73	-
समस्तीपुर	77	70	84	79	-
बेगूसराय	65	62	68	67	47
मुंगेर	63	59	68	68	54
शेखपुरा	76	70	83	78	62
लखीसराय	70	66	76	72	55
जमुई	78	76	81	80	61
खगड़िया	103	99	107	106	-
भागलपुर	69	69	69	71	60
बांका	63	63	63	63	-
सहरसा	91	84	98	92	83
सुपौल	89	87	91	92	-
मधेपुरा	101	97	106	103	64
पूर्णिया	102	104	99	104	87
किशनगंज	90	96	85	94	55
अररिया	87	82	92	90	-
कटिहार	85	86	84	87	-
बिहार	77	74	81	80	57

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार (समाप्त)

तालिका प 5.4 : बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (सितंबर 2012)

जिले	जिला अस्पताल	रेफरल अस्पताल	अनुमंडल अस्पताल	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	स्वास्थ्य उप-केंद्र	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	प्रा.स्वा.के. + स्वा.उ.के. +अ.प्रा.स्वा.के.	सभी अस्पताल + सभी स्वास्थ्य केंद्र	जनसंख्या प्रति स्वास्थ्य संस्थान
पटना	0	4	4	23	387	62	472	480	12027
नालंदा	1	3	2	20	374	46	440	446	6441
भोजपुर	1	3	1	14	302	28	344	349	7794
बक्सर	1	0	1	11	147	24	182	184	9281
रोहतास	1	2	2	19	186	32	237	242	12242
कैमूर	1	3	1	11	183	19	213	216	7532
गया	1	2	1	25	440	46	511	514	8520
जहानाबाद	1	2	0	9	92	32	133	136	8266
अरवल	1	0	0	3	64	25	92	93	7522
नवादा	1	2	1	14	325	53	392	396	5598
औरंगाबाद	1	3	0	11	216	59	286	290	8659
सारण	1	3	1	20	413	43	476	481	8198
सीवान	1	3	1	19	367	42	428	433	7663
गोपालगंज	1	3	1	14	195	21	230	235	10885
पश्चिम चंपारण	1	2	2	18	368	35	421	426	9208
पूर्व चंपारण	1	1	2	27	327	46	400	404	12581
मुजफ्फरपुर	1	1	0	16	480	78	574	576	8296
सीतामढ़ी	1	2	0	18	212	36	266	269	12712
शिवहर	1	0	0	4	29	8	41	42	15641
वैशाली	1	3	1	17	335	30	382	387	9032
दरभंगा	0	2	1	19	259	36	314	317	12372
मधुबनी	1	3	2	19	434	69	522	528	8477
समस्तीपुर	1	1	4	20	362	45	427	433	9826
बेगूसराय	1	2	1	18	287	23	328	332	8899
मुंगेर	1	1	1	9	151	21	181	183	7427
शेखपुरा	1	1	0	6	85	17	108	110	5772
लखीसराय	1	1	0	6	102	16	124	126	7942
जमुई	1	3	0	9	279	48	336	340	5165
खगड़िया	1	1	0	7	171	19	197	199	8330
भागलपुर	1	3	2	16	258	55	329	335	9051
बांका	1	3	0	11	265	32	308	312	6504
सहरसा	1	0	1	10	152	32	194	196	9679
सुपौल	1	2	1	11	178	20	209	213	10462
मधेपुरा	1	0	1	13	272	23	308	310	6434
पूर्णिया	1	2	2	14	334	30	378	383	8546
किशनगंज	1	1	0	7	136	9	152	154	10980
अररिया	1	2	1	9	199	24	232	236	11891
कटिहार	1	1	2	16	330	46	392	396	7748
बिहार	36	67	40	533	9696	1330	11559	11702	8871

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

तालिका प 5.5 : बिहार में नियमित एवं संविदा आधारित चिकित्सकों का जिलावार नियोजन

जिले	स्वीकृत पदों की वर्तमान संख्या		नियोजित चिकित्सकों की संख्या				प्रति लाख आबादी पर चिकित्सकों की सं.	
	नियमित	संविदा आधारित	नियमित		संविदा आधारित			
			मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2011	मार्च 2012
पटना	304	92	253	279	90	81	16830	16036
नालंदा	137	95	84	84	93	75	16229	18066
भोजपुर	127	60	78	78	52	58	20924	20001
बक्सर	82	54	59	59	40	33	17249	18561
रोहतास	162	89	45	49	57	45	29045	31517
कैमूर	93	48	46	46	25	21	22914	24282
गया	198	106	101	73	86	88	23419	27201
जहानाबाद	99	45	58	54	43	43	11130	11589
अरवल	67	20	22	38	14	18	19432	12492
नवादा	113	45	52	52	25	22	28788	29955
औरंगाबाद	177	49	64	67	32	33	26159	25112
सारण	142	94	79	79	46	70	31545	26464
सीवान	137	89	51	53	60	48	29893	32853
गोपालगंज	101	69	53	50	50	46	24835	26646
पश्चिम चंपारण	132	83	71	71	55	55	31133	31133
पूर्व चंपारण	184	128	83	83	107	102	26752	27475
मुजफ्फरपुर	172	70	95	95	63	65	30244	29866
सीतामढ़ी	124	52	73	73	36	37	31373	31087
शिवहर	75	19	31	42	12	15	15277	11525
वैशाली	131	69	129	127	67	67	17833	18017
दरभंगा	146	72	68	68	70	72	28420	28014
मधुबनी	218	81	75	75	53	52	34969	35244
समस्तीपुर	192	95	130	91	53	51	23250	29963
बेगूसराय	122	94	69	69	56	49	23635	25037
मुंगेर	69	44	47	46	34	32	16778	17424
शेखपुरा	80	24	26	30	11	20	17160	12699
लखीसराय	58	30	37	33	13	18	20014	19622
जमुई	99	38	29	29	26	27	31929	31359
खगड़िया	101	44	30	30	24	34	30696	25900
भागलपुर	152	64	62	62	62	58	24453	25269
बांका	103	47	59	48	31	28	22548	26702
सहरसा	95	45	45	45	23	25	27899	27101
सुपौल	109	48	64	64	27	29	24488	23961
मधेपुरा	106	67	42	35	32	25	26954	33244
पूर्णिया	135	64	79	79	55	53	24426	24796
किशनगंज	68	28	33	31	9	9	40261	42274
अररिया	121	36	57	38	17	18	37922	50111
कटिहार	120	78	69	60	44	45	27152	29220
बिहार	4851	2375	2548	2472	1693	1664	24476	25098

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

तालिका प 5.6 : बिहार में 'ए' श्रेणी की नर्सों का जिलावार नियोजन (मार्च 2011 और मार्च 2012)

जिले	स्वीकृत पदों की वर्तमान सं.		नियोजित 'ए' श्रेणी नर्सों की संख्या			
	नियमित	संविदा आधारित	नियमित		संविदा आधारित	
			मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2011	मार्च 2012
पटना	41	120	27 (65.9)	26 (63.4)	0 (0)	72 (60.0)
नालंदा	37	86	28 (75.7)	28 (75.7)	80 (93.0)	80 (93.0)
भोजपुर	12	54	6 (50.0)	6 (50.0)	11 (20.4)	29 (53.7)
बक्सर	2	30	2 (100.0)	2 (100.0)	23 (76.7)	29 (96.7)
रोहतास	20	88	8 (40.0)	8 (40.0)	20 (22.7)	21 (23.9)
कैमूर	44	38	7 (15.9)	6 (13.6)	7 (18.4)	7 (18.4)
गया	25	146	17 (68.0)	17 (68.0)	71 (48.6)	50 (34.2)
जहानाबाद	13	62	9 (69.2)	8 (61.5)	39 (62.5)	39 (62.9)
अरवल	25	52	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (21.2)	11 (21.2)
नवादा	125	82	9 (7.2)	9 (7.2)	53 (64.6)	53 (64.6)
औरंगाबाद	22	128	8 (36.4)	6 (27.3)	39 (30.5)	70 (54.7)
सारण	25	86	10 (40.0)	10 (40.0)	26 (30.2)	28 (32.6)
सीवान	16	110	6 (37.5)	6 (37.5)	10 (9.1)	10 (9.1)
गोपालगंज	18	84	7 (38.9)	7 (38.9)	19 (22.6)	21 (25.0)
पश्चिम चंपारण	37	120	28 (75.7)	28 (75.7)	29 (24.2)	63 (52.5)
पूर्व चंपारण	24	164	15 (62.5)	15 (62.5)	52 (31.7)	52 (31.7)
मुजफ्फरपुर	32	152	16 (50.0)	16 (50.0)	19 (12.5)	19 (12.5)
सीतामढ़ी	17	116	12 (70.6)	12 (70.6)	59 (50.9)	59 (50.9)
शिवहर	9	34	1 (11.1)	1 (11.1)	23 (67.6)	23 (67.6)
वैशाली	26	118	20 (76.9)	20 (76.9)	79 (66.9)	79 (66.9)
दरभंगा	8	154	4 (50.0)	4 (50.0)	25 (16.2)	26 (16.9)
मधुबनी	34	114	14 (41.2)	14 (41.2)	10 (8.8)	12 (10.5)
समस्तीपुर	24	146	22 (91.7)	22 (91.7)	88 (60.3)	88 (60.3)
बेगूसराय	23	102	23 (100.0)	23 (100.0)	71 (69.6)	67 (65.7)
मुंगेर	20	38	20 (100.0)	20 (100.0)	26 (68.4)	26 (68.4)
शेखपुरा	32	56	1 (3.1)	4 (12.5)	38 (67.9)	34 (60.7)
लखीसराय	10	61	10 (100.0)	10 (100.0)	16 (26.2)	37 (60.7)
जमुई	34	85	11 (32.4)	11 (32.4)	63 (74.1)	65 (76.5)
खगड़िया	13	48	8 (61.5)	8 (61.5)	36 (75.0)	35 (72.9)
भागलपुर	18	108	13 (72.2)	16 (88.9)	62 (57.4)	66 (61.1)
बांका	18	64	8 (44.4)	8 (44.4)	58 (90.6)	58 (90.6)
सहरसा	30	30	21 (70.0)	21 (70.0)	24 (80.0)	33 (110.0)
सुपौल	28	107	2 (7.1)	2 (7.1)	29 (27.1)	34 (31.8)
मधेपुरा	9	58	3 (33.3)	3 (33.3)	14 (24.1)	13 (22.4)
पूर्णिया	32	110	18 (56.3)	16 (50.0)	88 (80.0)	92 (83.6)
किशनगंज	34	44	2 (5.9)	5 (14.7)	18 (40.9)	19 (43.2)
अररिया	39	96	5 (12.8)	5 (12.8)	32 (33.3)	23 (24.0)
कटिहार	28	104	17 (60.7)	17 (60.7)	72 (69.2)	76 (73.1)
बिहार	1004	3395	438 (43.6)	440 (43.8)	1440 (42.4)	1619 (47.7)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

तालिका प 5.7 : बिहार में एएनएम का जिलावार नियोजन (मार्च 2011 और मार्च 2012)

जिले	स्वीकृत पदों की वर्तमान सं.		नियोजित एएनएम की संख्या				प्रति लाख आबादी पर एएनएम की संख्या	
	नियमित	संविदा आधारित	नियमित		संविदा आधारित			
			मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2011	मार्च 2012
पटना	544	393	537	506	355	365	15	15
नालंदा	396	370	396	396	294	305	24	24
भोजपुर	361	284	324	324	199	256	19	21
बक्सर	212	208	208	208	115	117	19	19
रोहतास	286	308	228	228	267	243	17	16
कैमूर	144	287	144	140	167	166	19	19
गया	583	541	530	524	322	431	19	22
जहानाबाद	156	151	150	150	125	138	24	26
अरवल	125	64	61	61	47	47	15	15
नवादा	202	223	202	202	118	150	14	16
औरंगाबाद	340	285	306	280	202	263	20	22
सारण	512	507	368	368	137	137	13	13
सीवान	370	438	193	193	268	268	14	14
गोपालगंज	266	186	223	223	56	58	11	11
पश्चिम चंपारण	457	457	353	353	324	361	17	18
पूर्व चंपारण	419	503	289	289	313	463	12	15
मुजफ्फरपुर	583	583	583	583	357	357	20	20
सीतामढ़ी	300	341	202	202	115	115	9	9
शिवहर	46	112	25	25	112	112	21	21
वैशाली	421	418	419	419	378	384	23	23
दरभंगा	358	419	256	245	183	212	11	12
मधुबनी	584	429	371	351	221	282	13	14
समस्तीपुर	476	486	456	456	324	329	18	18
बेगूसराय	366	360	359	359	227	224	20	20
मुंगेर	167	165	165	165	134	134	22	22
शेखपुरा	121	85	108	111	82	85	30	31
लखीसराय	132	102	131	132	72	70	20	20
जमुई	230	212	213	213	179	175	22	22
खगड़िया	206	193	165	171	148	148	19	19
भागलपुर	394	362	356	352	235	335	19	23
बांका	279	265	276	276	195	195	23	23
सहरसा	198	152	175	150	118	118	15	14
सुपौल	212	246	88	84	68	119	7	9
मधेपुरा	196	153	96	91	42	43	7	7
पूर्णिया	356	370	256	251	254	354	16	18
किशनगंज	166	186	97	97	40	40	8	8
अररिया	274	290	161	144	145	95	11	9
कटिहार	362	345	211	207	220	258	14	15
बिहार	11800	11479	9681	9529	7158	7952	16	17

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

तालिका प 5.8 : बिहार में आशा-कर्मियों का जिलावार नियोजन (मार्च 2011 और मार्च 2012)

जिले	आशा-कर्मियों की संख्या			लक्ष्य के मुकाबले चयनित आशा-कर्मियों का प्रतिशत		प्रशिक्षित आशा-कर्मियों का प्रतिशत	प्रति लाख आबादी पर आशा-कर्मियों की सं.	
	लक्ष्य	कार्यरत		मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2011	मार्च 2011	मार्च 2012
		माच 2011	मार्च 2012					
पटना	3233	2872	3146	88.83	97.3	80.15	50	54
नालंदा	2365	2256	2356	95.39	99.61	98.27	79	82
भोजपुर	2264	2264	2264	100	100	78.89	83	83
बक्सर	1493	1482	1487	99.26	99.6	98.04	87	87
रोहतास	2490	2276	2416	91.41	97	85.68	77	82
कैमूर	1462	1417	1461	96.92	99.94	88.00	87	90
गया	3514	3355	3493	95.48	99.4	78.42	77	80
जहानाबाद	871	871	864	100	99.19	88.29	77	77
अरवल	773	773	773	100	100	83.57	110	110
नवादा	1959	1959	1959	100	100	100	88	88
औरंगाबाद	2160	2160	2158	100	99.91	73.29	86	86
सारण	3459	2862	3328	82.74	96.21	94.37	73	84
सीवान	3008	2739	2771	91.06	92.12	92.66	83	84
गोपालगंज	2371	2126	2252	89.67	94.98	91.49	83	88
पश्चिम चंपारण	3206	3063	3063	95.54	95.53	91.94	78	78
पूर्व चंपारण	4326	3578	3679	82.71	85	75.07	70	72
मुजफ्फरपुर	3984	3558	3753	89.31	94.2	89.49	74	79
सीतामढ़ी	2965	2204	2738	74.33	92.35	90.52	64	80
शिवहर	580	476	570	82.07	98.27	99.37	72	87
वैशाली	2969	2582	2736	86.97	92.15	100	74	78
दरभंगा	3550	3546	3546	99.89	99.88	68.1	90	90
मधुबनी	4046	3282	3416	81.12	84.43	84.1	73	76
समस्तीपुर	3835	3409	3835	88.89	100	91.55	80	90
बेगूसराय	2629	2325	2325	88.44	88.44	91.05	79	79
मुंगेर	961	947	955	98.54	99.37	99.79	70	70
शेखपुरा	520	458	476	88.08	91.54	94.54	72	75
लखीसराय	802	729	729	90.9	91	75.58	73	73
जमुई	1520	1488	1506	97.89	99	100	85	86
खगड़िया	1412	1382	1409	97.88	99.79	61.58	83	85
भागलपुर	2311	2135	2236	92.38	97	92.32	70	74
बांका	1820	1774	1814	97.47	99.67	86.58	87	89
सहरसा	1622	1242	1472	76.57	90.75	53.7	65	78
सुपौल	1928	1783	1920	92.48	99.58	84.58	80	86
मधेपुरा	1711	1561	1594	91.23	93.16	93.47	78	80
पूर्णिया	2723	2306	2668	84.69	97.98	95.84	70	82
किशनगंज	1368	1334	1334	97.51	97.51	84.41	79	79
अररिया	2376	2362	2362	99.41	99.41	85.77	84	84
कटिहार	2549	2536	2540	99.49	2547	72.87	83	83
बिहार	87135	79472	83404	91.21	95.71	86.19	77	80

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

तालिका प 5.9 : संस्थागत प्रसवों की जिलावार संख्या (2008-09 से 2011-12)

जिले	कुल आबादी का प्रतिशत (जनगणना 2011)	संस्थागत प्रसवों की संख्या			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पटना	5.6	47780 (4.2)	50209 (4.0)	60796 (4.4)	74704 (5.2)
नालंदा	2.8	35361(3.1)	33171 (2.7)	42025 (3.0)	45754 (3.2)
भोजपुर	2.6	30476 (2.7)	31674 (2.5)	33088 (2.4)	38708 (2.7)
बक्सर	1.6	13582 (1.2)	13880 (1.1)	22392 (1.6)	26772 (1.9)
रोहतास	2.9	33903 (3.0)	32938 (2.6)	30134 (2.2)	32284 (2.3)
कैमूर	1.6	19509 (1.7)	27316 (2.2)	22507 (1.6)	24000 (1.7)
गया	4.2	28584 (2.5)	35029 (2.8)	39423 (2.8)	42936 (3.0)
जहानाबाद	1.1	19808 (1.7)	20777 (1.7)	20816 (1.5)	17092 (1.2)
अरवल	0.7	10189 (0.9)	8140 (0.7)	12470 (0.9)	10123 (0.7)
नवादा	2.1	19299 (1.7)	24886 (2.0)	28876 (2.1)	28915 (2.0)
औरंगाबाद	2.4	29000 (2.5)	29058 (2.3)	30775 (2.2)	39018 (2.7)
सारण	3.8	44160 (3.9)	39940 (3.2)	54257 (3.9)	51666 (3.6)
सीवान	3.2	26356 (2.3)	36966 (3.0)	41917 (3.0)	43509 (3.0)
गोपालगंज	2.5	36143 (3.2)	35135 (2.8)	35563 (2.6)	39807 (2.8)
पश्चिम चंपारण	3.8	51413 (4.5)	53014 (4.3)	58858 (4.3)	62077 (4.3)
पूर्व चंपारण	4.9	56104 (4.9)	83664 (6.7)	79239 (5.7)	57629 (4.0)
मुजफ्फरपुर	4.6	37719 (3.3)	43552 (3.5)	53583 (3.9)	51933 (3.6)
सीतामढ़ी	3.3	8300 (0.7)	20530 (1.6)	29016 (2.1)	22580 (1.6)
शिवहर	0.6	24245 (2.1)	3220 (0.3)	8692 (0.6)	7052 (0.5)
वैशाली	3.4	49774 (4.4)	43726 (3.5)	51010 (3.7)	58105 (4.1)
दरभंगा	3.8	39056 (3.4)	38921 (3.1)	41904 (3.0)	33541 (2.3)
मधुबनी	4.3	31021 (2.7)	40254 (3.2)	48550 (3.5)	47066 (3.3)
समस्तीपुर	4.1	82472 (7.2)	82876 (6.6)	79018 (5.7)	81921 (5.7)
बेगूसराय	2.8	40437 (3.5)	37260 (3.0)	42910 (3.1)	51178 (3.6)
मुंगेर	1.3	18431 (1.6)	18848 (1.5)	27116 (2.0)	21907 (1.5)
शेखपुरा	0.6	13137 (1.1)	13206 (1.1)	16138 (1.2)	12994 (0.9)
लखीसराय	1	11718 (1.0)	10134 (0.8)	12250 (0.9)	11021 (0.8)
जमुई	1.7	19397 (1.7)	22300 (1.8)	20605 (1.5)	21430 (1.5)
खगड़िया	1.6	28617 (2.5)	33973 (2.7)	32121 (2.3)	29133 (2.0)
भागलपुर	2.9	41562 (3.6)	36917 (3.0)	32465 (2.3)	42941 (3.0)
बांका	2	25198 (2.2)	24235 (1.9)	28915 (2.1)	29423 (2.1)
सहरसा	1.8	17958 (1.6)	26813 (2.2)	31742 (2.3)	35971 (2.5)
सुपौल	2.1	25094 (2.2)	30607 (2.5)	34754 (2.5)	40564 (2.8)
मधेपुरा	1.9	12614 (1.1)	26065 (2.1)	31650 (2.3)	32881 (2.3)
पूर्णिया	3.2	46586 (4.1)	54126 (4.3)	53257 (3.8)	57157 (4.0)
किशनगंज	1.6	18633 (1.6)	22033 (1.8)	26017 (1.9)	27985 (2.0)
अररिया	2.7	31907 (2.8)	36350 (2.9)	38881 (2.8)	40368 (2.8)
कटिहार	3	17496 (1.5)	24751 (2.0)	31061 (2.2)	39815 (2.8)
बिहार	100	1143039 (100.0)	1246494 (100.0)	1384791 (100.0)	1431960 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

तालिका प 5.10 : जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिलावार आच्छादन (2010 से 2012)

जिले	2010	2011	2012 (सितंबर तक)
पटना	53931	67941	43070
नालंदा	42467	44323	31514
भोजपुर	32143	37354	27289
बक्सर	20928	26189	16692
रोहतास	31228	31524	22309
कैमूर	24955	23250	14645
गया	38954	42360	28168
जहानाबाद	22788	16116	12061
अरवल	12516	9714	6444
नवादा	29212	27638	20684
औरंगाबाद	30533	36475	26167
सारण	52826	50721	38023
सीवान	42759	42048	30721
गोपालगंज	35665	39237	27330
पश्चिम चंपारण	54525	70542	47736
पूर्व चंपारण	87587	60373	38688
मुजफ्फरपुर	54988	44088	30661
सीतामढ़ी	28720	22496	17185
शिवहर	8212	6705	5090
वैशाली	49182	55193	44753
दरभंगा	43039	38587	23776
मधुबनी	48216	47690	32964
समस्तीपुर	82021	79087	58762
बेगूसराय	41803	49780	36097
मुंगेर	24164	23986	14276
शेखपुरा	16197	12835	9170
लखीसराय	11903	11092	7112
जमुई	21691	20804	16018
खगड़िया	34776	28316	20379
भागलपुर	31232	39277	28096
बांका	28099	27855	21649
सहरसा	30065	35107	24963
सुपौल	34027	39698	26767
मधेपुरा	30695	32062	21814
पूर्णिया	52921	51964	39300
किशनगंज	25359	25479	17330
अररिया	37726	41232	25194
कटिहार	29486	35380	28884
बिहार	1377539	1394518	981781

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

तालिका प 5.11 : रोगों की प्रधानता (सूचित अवधि : 1 जनवरी, 2012 से 30 सितंबर, 2012)

जिले	तीव्र विसूचिका	खूनी पेचिश	वायरल हिपेटाइटिस	आंत्र ज्वर	मलेरिया	अज्ञात ज्वर
पटना	25077	12895	1071	2830	678	41996
नालंदा	11990	8604	123	2717	556	19938
भोजपुर	25335	11208	2	65	0	42001
बक्सर	3495	2752	28	862	33	5611
रोहतास	21161	10618	441	12717	3432	37181
कैमूर	10720	7248	332	6105	225	34823
गया	10980	7742	301	2813	9791	61124
जहानाबाद	15980	12029	43	2204	150	42921
अरवल	1311	7519	37	1110	115	5229
नवादा	34043	17651	70	4354	3192	35702
औरंगाबाद	7414	4495	0	1937	159	15356
सारण	17079	4707	412	6918	282	22708
सीवान	17101	6872	2046	10014	437	26955
गोपालगंज	7614	2183	502	1124	397	67820
पश्चिम चंपारण	17399	3709	39	133	22	6529
पूर्व चंपारण	12062	12016	111	8782	124	20549
मुजफ्फरपुर	7922	6931	282	6835	115	26951
सीतामढ़ी	23784	15235	344	10974	188	27985
शिवहर	4765	10507	0	2166	18	11965
वैशाली	14910	10391	684	9485	900	34614
दरभंगा	6842	7736	71	2180	235	6203
मधुबनी	30203	18154	301	10285	1077	60123
समस्तीपुर	21600	20671	116	6182	402	54116
बेगूसराय	33321	7356	403	4152	148	42736
मुंगेर	14786	5000	1	954	2881	26810
शेखपुरा	2002	1621	0	20	37	11955
लखीसराय	6219	3024	0	233	381	8744
जमुई	4257	5828	175	3257	2527	54412
खगड़िया	27084	9808	0	87	0	34295
भागलपुर	405	150	7	303	50	8205
बांका	8237	2817	27	5613	159	16245
सहरसा	12259	5979	87	745	12	55763
सुपौल	8432	8589	37	858	7	21475
मधेपुरा	5682	1975	76	1538	38	21888
पूर्णिया	10655	8423	77	3061	216	25877
किशनगंज	4803	1117	7	138	24	175
अररिया	6345	4145	28	493	730	33014
कटिहार	29437	11938	293	2633	875	21527
बिहार	522711	299643	8574	136877	30613	1091521

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार (जारी)

तालिका प 5.11 : रोगों की प्रधानता (सूचित अवधि : 1 जनवरी, 2012 से 30 सितंबर, 2012)

जिले	तीव्र श्वास संक्रमण/ ILI	न्यूमोनिया	कुत्ता काटना	राज्य का कोई अन्य खास रोग	असामान्य रोग लक्षण	योग (लाख में)	प्रति लाख आबादी पर मामलों की संख्या
पटना	49030	1913	34752	2462	40606	2.13	3697
नालंदा	36016	2900	13055	34	1437	0.97	3393
भोजपुर	61631	1516	19756	584	30259	1.92	7072
बक्सर	63119	1369	6208	22	795	0.84	4929
रोहतास	46758	2574	14574	11060	2	1.61	5423
कैमूर	39205	1845	3987	1604	1162	1.07	6580
गया	61514	1671	10788	5600	0	1.72	3934
जहानाबाद	25509	1047	8859	5	0	1.09	9710
अरवल	18927	2287	3170	0	189	0.40	5699
नवादा	33534	2370	3571	4097	5308	1.44	6482
औरंगाबाद	14884	2270	6281	230	22	0.53	2113
सारण	19504	3017	9804	6	6298	0.91	2303
सीवान	55819	2068	13174	474	174	1.35	4070
गोपालगंज	68828	854	8432	0	0	1.58	6162
पश्चिम चंपारण	44608	358	17233	9449	387	1.00	2548
पूर्व चंपारण	8678	764	4725	50	1349	0.69	1362
मुजफ्फरपुर	24190	390	29122	29550	1	1.32	2768
सीतामढ़ी	58996	2290	14771	1113	724	1.56	4573
शिवहर	3379	68	4407	217	0	0.37	5681
वैशाली	46294	1998	16586	1029	2739	1.40	3989
दरभंगा	51749	477	6467	283	1900	0.84	2147
मधुबनी	95234	1129	8477	1889	48	2.27	5065
समस्तीपुर	84717	299	5441	1365	0	1.95	4586
बेगूसराय	157705	3227	19224	7224	6410	2.82	9556
मुंगेर	35487	483	4348	60	774	0.92	6734
शेखपुरा	35868	154	1288	0	2875	0.56	8860
लखीसराय	20064	544	2083	6	1722	0.43	4302
जमुई	58538	863	2733	39	198	1.33	7547
खगड़िया	39914	950	1035	4	1714	1.15	6921
भागलपुर	11551	575	2044	216	48	0.24	777
बांका	41966	1032	3258	4	2124	0.81	4014
सहरसा	61908	488	2377	0	0	1.40	7348
सुपौल	9535	351	3639	377	65	0.53	2393
मधेपुरा	21862	400	2101	378	13173	0.69	3473
पूर्णिया	22403	1439	4872	8	12369	0.89	2734
किशनगंज	28497	0	2634	33	2151	0.40	2342
अररिया	3553	440	4205	1581	3	0.55	1941
कटिहार	45768	1346	2523	618	20623	1.38	4481
बिहार	1606742	47766	322004	81671	157649	43.06	4148

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार (समाप्त)

तालिका प 5.12 : स्वास्थ्य समितियों को संवितरित जिलावार धनराशि (2010-11 और 2011-12)

(लाख रु.)

जिले	संवितरित धनराशि				
	2010-11 (कुल)	2011-12			
		एनआरएचएम-ए	एनआरएचएम-बी	एनआरएचएम-सी	योग
पटना	2,402.11	1,876.87	1,190.52	676.4	3,743.79
नालंदा	2,430.97	1,708.17	644.32	315.86	2,668.36
भोजपुर	1,795.59	1,121.97	530.68	151.04	1,803.70
बक्सर	1,491.72	727.85	469.84	92.2	1,289.89
रोहतास	1,048.75	1,346.44	795.13	150.47	2,292.04
कैमूर	1,445.83	510.57	192.26	110.25	813.08
गया	2,256.21	1,836.59	1,136.76	131.19	3,104.53
जहानाबाद	928.11	717.15	431.72	98.11	1,246.98
अरवल	594.76	432.53	255.71	34.8	723.05
नवादा	1,569.18	1,346.00	566.28	79.42	1,991.70
औरंगाबाद	1,337.46	1,280.28	914.51	132.63	2,327.42
सारण	1,535.89	1,429.67	1,028.19	138.25	2,596.11
सीवान	2,692.86	1,267.00	790.18	189.49	2,246.66
गोपालगंज	1,859.35	614.12	598.59	131.51	1,344.22
पश्चिम चंपारण	1,883.13	1,496.00	959.82	136.35	2,592.17
पूर्व चंपारण	2,095.95	1,478.39	622.78	360.74	2,461.91
मुजफ्फरपुर	1,682.98	1,244.13	1,005.71	377.97	2,627.80
सीतामढ़ी	1,203.48	852.87	486.53	253.54	1,592.93
शिवहर	456.22	276.33	98.69	48.28	423.3
वैशाली	1,321.29	1,393.65	905.01	331.18	2,629.84
दरभंगा	1,400.24	957.27	600.03	411.05	1,968.36
मधुबनी	2,670.96	1,556.99	984.26	432.92	2,974.18
समस्तीपुर	3,197.43	2,301.90	1,030.57	462.85	3,795.33
बेगूसराय	1,893.79	1,810.94	696.87	317.57	2,825.38
मुंगेर	1,244.92	629.09	387.24	133.73	1,150.06
शेखपुरा	457.59	519.41	283.1	32.08	834.59
लखीसराय	427.8	254.19	385.5	41.67	681.36
जमुई	822.7	915.98	714.74	76.52	1,707.23
खगड़िया	1,876.91	884.68	537.3	204.93	1,626.90
भागलपुर	2,317.83	1,184.51	640.22	233.23	2,057.96
बांका	887.63	1,282.26	816.57	78.64	2,177.46
सहरसा	1,397.01	901.88	391.59	211.77	1,505.24
सुपौल	984.5	1,206.03	465.28	215.54	1,886.85
मधेपुरा	1,264.82	1,072.81	543.86	257.53	1,874.20
पूर्णिया	2,811.14	2,190.78	1,126.39	330.73	3,647.89
किशनगंज	844.69	646.01	347.92	93.64	1,087.57
अररिया	1,169.86	927.69	571.21	100.05	1,598.94
कटिहार	1,608.82	1,104.99	595.48	328.74	2,029.21
बिहार	59310.48	43303.99	24741.36	7902.87	75948.19

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

तालिका प 5.13 : राष्टोय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में चापाकलों की जिलावार स्थापना

जिले	लगे चापाकलों की संख्या					छूटे / पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्या वाले वासस्थलों का आच्छादन	
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
पटना	32	620	3118	2557	1422	400	407
नालंदा	31	347	1846	2813	1473	304	457
भोजपुर	14	270	679	1334	1299	201	214
बक्सर	534	53	1014	1886	63	543	75
रोहतास	26	294	390	1145	1641	161	328
कैमूर	109	261	397	1116	409	333	164
गया	1746	357	1931	4890	1869	460	738
जहानाबाद	30	142	119	712	599	124	67
अरवल	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	738	52	47
नवादा	5	201	1537	1417	842	288	372
औरंगाबाद	120	829	835	1556	1407	78	183
सारण	969	54	1970	3528	592	968	458
सीवान	627	949	2451	1442	961	175	355
गोपालगंज	1357	579	1557	721	342	539	170
पश्चिम चंपारण	0	0	970	1418	1154	257	156
पूर्व चंपारण	504	143	1122	2348	1268	335	536
मुजफ्फरपुर	863	1603	2964	2766	1245	205	347
सीतामढ़ी	319	27	792	1303	1197	276	171
शिवहर	83	158	170	342	181	85	67
वैशाली	1	1171	1922	1828	477	455	396
दरभंगा	341	1168	1537	1105	981	398	131
मधुबनी	0	180	2277	4576	2891	521	237
समस्तीपुर	502	691	2812	1878	983	515	447
बेगूसराय	1384	1597	767	1767	533	445	413
मुंगेर	79	440	531	609	334	41	80
शेखपुरा	29	214	245	439	235	115	75
लखीसराय	116	392	881	428	177	244	169
जमुई	279	823	759	1320	742	479	416
खगड़िया	5	450	452	462	39	184	80
भागलपुर	744	1682	1489	1912	549	307	301
बांका	0	284	1666	2316	355	348	325
सहरसा	227	590	647	935	0	426	112
सुपौल	83	652	871	886	307	628	298
मधेपुरा	184	414	860	1251	24	462	288
पूर्णिया	650	0	2039	1146	317	1170	1101
किशनगंज	1926	0	761	933	447	524	345
अररिया	357	387	967	623	193	375	534
कटिहार	622	530	843	889	0	501	183
बिहार	14898	18552	46188	58597	28286	13922	11243

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.14 : केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जिलावार उपलब्धियां : व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (2010-11 और 2011-12)

जिले	कुल आबादी का प्रतिशत	निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय					
		2010-11			2011-12		
		गरीबी रेखा के नीचे	गरीबी रेखा के ऊपर	योग	गरीबी रेखा के नीचे	गरीबी रेखा के ऊपर	योग
पटना	5.6	1794	53027	54821 (7.5)	4762	22756	27518 (3.3)
नालंदा	2.8	2272	16439	18711 (2.6)	5388	14230	19618 (2.3)
भोजपुर	2.6	12315	15014	27329 (3.7)	9592	19669	29261 (3.5)
बक्सर	1.6	26353	0	26353 (3.6)	1514	2265	3779 (0.4)
रोहतास	2.9	15350	24335	39685 (5.4)	9750	15957	25707 (3.1)
कैमूर	1.6	1381	3441	4822 (0.7)	8775	6891	15666 (1.9)
गया	4.2	6097	16042	22139 (3.0)	9402	22512	31914 (3.8)
जहानाबाद	1.1	3777	7772	11549 (1.6)	3802	9122	12924 (1.5)
अरवल	0.7	430	7842	8272 (1.1)	1878	8179	10057 (1.2)
नवादा	2.1	2227	12971	15198 (2.1)	3469	21905	25374 (3.0)
औरंगाबाद	2.4	1914	14640	16554 (2.3)	1588	15961	17549 (2.1)
सारण	3.8	12348	19224	31572 (4.3)	9536	24891	34427 (4.1)
सीवान	3.2	2034	4255	6289 (0.9)	16512	23813	40325 (4.8)
गोपालगंज	2.5	1749	2432	4181 (0.6)	8627	10765	19392 (2.3)
पश्चिम चंपारण	3.8	3519	17235	20754 (2.8)	8562	25335	33897 (4.0)
पूर्व चंपारण	4.9	4158	21653	25811 (3.5)	5108	38651	43759 (5.2)
मुजफ्फरपुर	4.6	4000	23960	27960 (3.8)	7479	38319	45798 (5.5)
सीतामढ़ी	3.3	1888	8124	10012 (1.4)	3454	5471	8925 (1.1)
शिवहर	0.6	1601	5524	7125 (1.0)	5735	9108	14843 (1.8)
वैशाली	3.4	12766	16439	29205 (4.0)	2445	23313	25758 (3.1)
दरभंगा	3.8	5863	34773	40636 (5.6)	9341	47608	56949 (6.8)
मधुबनी	4.3	14534	13216	27750 (3.8)	6960	0	6960 (0.8)
समस्तीपुर	4.1	0	10490	10490 (1.4)	438	39588	40026 (4.8)
बेगूसराय	2.8	2294	23803	26097 (3.6)	3179	19114	22293 (2.7)
मुंगेर	1.3	743	3535	4278 (0.6)	716	3189	3905 (0.5)
शेखपुरा	0.6	3141	5369	8510 (1.2)	1373	3643	5016 (0.6)
लखीसराय	1	4138	7614	11752 (1.6)	5884	9957	15841 (1.9)
जमुई	1.7	1249	6584	7833 (1.1)	2491	9952	12443 (1.5)
खगड़िया	1.6	1295	9029	10324 (1.4)	3970	12429	16399 (2.0)
भागलपुर	2.9	241	18294	18535 (2.5)	4521	20164	24685 (2.9)
बांका	2	1395	2470	3865 (0.5)	6891	8918	15809 (1.9)
सहरसा	1.8	6474	28740	35214 (4.8)	2316	12496	14812 (1.8)
सुपौल	2.1	1141	11424	12565 (1.7)	2474	20462	22936 (2.7)
मधेपुरा	1.9	6873	26462	33335 (4.6)	4544	21249	25793 (3.1)
पूर्णिया	3.2	4578	30727	35305 (4.8)	3559	23769	27328 (3.3)
किशनगंज	1.6	0	15290	15290 (2.1)	2247	9488	11735 (1.4)
अररिया	2.7	224	11785	12009 (1.6)	765	10012	10777 (1.3)
कटिहार	3	1063	7338	8401 (1.1)	4828	14901	19729 (2.3)
बिहार	100	173219	557312	730531 (100.0)	193875	646052	839927 (100.0)

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.15 : केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जिलावार उपलब्धियां (स्वच्छता संकुल, स्कूली शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय) (2010-11 और 2011-12)

जिले	2010-11			2011-12		
	स्वच्छता संकुल	स्कूली शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय	स्वच्छता संकुल	स्कूली शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय
पटना	0	458	33	0	265	190
नालंदा	0	644	57	0	582	84
भोजपुर	0	62	0	0	265	190
बक्सर	19	195	30	0	81	59
रोहतास	0	99	0	2	361	52
कैमूर	0	180	0	0	511	41
गया	0	1129	20	0	784	4
जहानाबाद	0	54	0	2	370	5
अरवल	0	158	0	0	221	0
नवादा	5	824	0	2	334	59
औरंगाबाद	4	50	11	2	12	31
सारण	0	244	0	3	990	0
सीवान	1	43	0	0	1328	83
गोपालगंज	0	80	0	10	2	0
पश्चिम चंपारण	0	172	14	0	1130	17
पूर्व चंपारण	0	295	0	0	2306	64
मुजफ्फरपुर	0	500	0	0	1481	0
सीतामढ़ी	0	82	0	26	1766	2
शिवहर	0	437	48	5	77	18
वैशाली	0	129	13	0	600	26
दरभंगा	0	48	0	0	1178	43
मधुबनी	0	388	17	5	7	173
समस्तीपुर	0	132	0	26	1766	2
बेगूसराय	2	32	0	0	37	74
मुंगेर	2	62	15	0	569	1
शेखपुरा	1	45	12	0	569	1
लखीसराय	0	82	0	0	107	9
जमुई	0	52	6	0	1193	32
खगड़िया	19	84	0	17	68	10
भागलपुर	8	380	0	55	761	0
बांका	0	16	1	1	1356	7
सहरसा	2	393	0	1	358	0
सुपौल	0	294	0	0	309	0
मधेपुरा	0	114	0	0	314	36
पूर्णिया	2	142	38	0	10	0
किशनगंज	0	122	0	0	29	17
अररिया	0	40	0	0	0	0
कटिहार	1	140	0	1	818	31
बिहार	66	8401	315	132	22575	1521

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.16 : बिहार में लिंग आधारित जिलावार साक्षरता दरें : 2001 और 2011

जिले	2001			2011			दशकीय वृद्धि		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
पटना	62.9	73.3	50.8	72.5	80.3	63.7	9.6	7.0	12.9
नालंदा	53.2	66.4	38.6	66.4	77.1	54.8	13.2	10.7	16.2
भोजपुर	59.0	74.3	41.8	72.8	84.1	60.2	13.8	9.8	18.4
बक्सर	56.8	71.9	39.9	71.8	82.8	59.8	15.0	10.9	19.9
रोहतास	61.3	75.3	45.7	75.6	85.3	65.0	14.3	10.0	19.3
कैमूर	55.1	69.7	38.8	71.0	81.5	59.6	15.9	11.8	20.8
गया	50.4	63.3	36.7	66.4	76.0	55.9	16.0	12.7	19.2
जहानाबाद	55.3	70.1	39.4	68.3	79.3	56.2	13.0	9.2	16.8
अरवल	अनु.	अनु.	अनु.	69.5	81.3	56.9	--	--	--
नवादा	46.8	60.6	32.2	61.6	71.4	51.1	14.8	10.8	18.9
औरंगाबाद	57.0	71.1	41.9	72.8	82.5	62.1	15.8	11.4	20.2
सारण	51.8	67.3	35.8	68.6	79.7	56.9	16.8	12.4	21.1
सीवान	51.6	67.3	36.9	71.6	82.8	60.4	20.0	15.5	23.5
गोपालगंज	47.5	63.0	32.2	67.0	78.4	56.0	19.5	15.4	23.8
पश्चिम चंपारण	38.9	51.1	25.2	58.1	68.2	46.8	19.2	17.1	21.6
पूर्व चंपारण	37.5	49.3	24.3	58.3	68.0	47.4	20.8	18.7	23.1
मुजफ्फरपुर	48.0	59.1	35.8	65.7	73.6	56.8	17.7	14.5	21.0
सीतामढ़ी	38.5	49.4	26.1	53.5	62.6	43.4	15.0	13.2	17.3
शिवहर	35.3	45.3	23.9	56.0	63.7	47.3	20.7	18.4	23.4
वैशाली	50.5	63.3	36.6	68.6	77.0	59.1	18.1	13.7	22.5
दरभंगा	44.3	56.7	30.8	58.3	68.6	46.9	14.0	11.9	16.1
मधुबनी	42.0	56.8	26.3	60.9	72.5	48.3	18.9	15.7	22.0
समस्तीपुर	45.1	57.6	31.7	63.8	73.1	53.5	18.7	15.5	21.8
बेगूसराय	48.0	59.1	35.6	66.2	74.4	57.1	18.2	15.3	21.5
मुंगेर	59.5	69.9	47.4	73.3	80.1	65.5	13.8	10.2	18.1
शेखपुरा	48.6	61.9	33.9	66.0	76.1	54.9	17.4	14.2	21.0
लखीसराय	48.0	60.7	34.0	65.0	74.0	54.9	17.0	13.3	20.9
जमुई	42.4	57.1	26.3	62.2	73.8	49.4	19.8	16.7	23.1
खगड़िया	41.3	51.8	29.4	60.9	68.5	52.2	19.6	16.7	22.8
भागलपुर	49.5	59.2	38.1	65.0	72.3	56.5	15.5	13.1	18.4
बांका	42.7	55.3	28.7	60.1	69.8	49.4	17.4	14.5	20.7
सहरसा	39.1	51.7	25.3	54.6	65.2	42.7	15.5	13.5	17.4
सुपौल	37.3	52.5	20.8	59.7	71.7	46.6	22.4	19.2	25.8
मधेपुरा	36.1	48.8	22.1	53.8	63.8	42.8	17.7	15.0	20.7
पूर्णिया	35.1	45.6	23.4	52.5	61.1	43.2	17.4	15.5	19.8
किशनगंज	31.1	42.7	18.6	57.0	65.6	48.0	25.9	22.9	29.4
अररिया	35.0	46.4	22.4	55.1	64.2	45.2	20.1	17.8	22.8
कटिहार	35.1	45.3	23.8	53.6	61.0	45.4	18.5	15.7	21.6
बिहार	47.0	59.7	33.1	63.8	73.4	53.3	16.8	13.7	20.2

स्रोत : जनगणना 2001 और जनगणना 2011

तालिका प 5.17 : बिहार में निवास आधारित जिलावार साक्षरता दरें

जिले	2001 की जनगणना			2011 की जनगणना			दशकीय परिवर्तन		
	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी
पटना	62.9	51.4	78.1	72.5	64.3	82.4	9.6	12.9	4.3
नालंदा	53.2	50.4	68.5	66.4	64.7	75.2	13.2	14.3	6.8
भोजपुर	59.0	56.8	71.6	72.8	71.5	80.4	13.8	14.6	8.9
बक्सर	56.8	55.0	73.6	71.8	70.8	81.0	15.0	15.7	7.4
रोहतास	61.3	59.2	74.1	75.6	74.7	80.5	14.3	15.5	6.3
कैमूर	55.1	54.3	76.9	71.0	70.4	84.7	15.9	16.1	7.8
गया	50.5	46.2	75.7	66.4	63.5	84.0	15.9	17.3	8.3
जहानाबाद	55.2	53.2	69.5	68.3	66.9	77.8	13.1	13.7	8.4
अरवल	55.3	55.3	0.0	69.5	68.9	77.9	14.2	13.6	77.9
नवादा	46.8	44.7	71.1	61.6	59.9	77.5	14.8	15.1	6.4
औरंगाबाद	57.0	55.5	73.5	72.8	71.9	80.6	15.7	16.5	7.2
सारण	51.8	50.3	66.1	68.6	67.7	77.5	16.8	17.4	11.4
सीवान	51.7	50.5	69.7	71.6	71.0	82.2	19.9	20.4	12.5
गोपालगंज	47.5	46.5	62.0	67.0	66.4	76.5	19.6	19.9	14.5
पश्चिम चंपारण	38.9	36.0	63.5	58.1	56.3	72.7	19.1	20.3	9.2
पूर्व चंपारण	37.5	35.4	67.1	58.3	56.9	73.2	20.7	21.5	6.1
मुजफ्फरपुर	48.0	44.7	77.3	65.7	63.8	82.4	17.7	19.0	5.2
सीतामढ़ी	38.5	36.7	66.2	53.5	52.2	74.4	15.1	15.5	8.2
शिवहर	35.3	34.9	43.7	56.0	55.6	65.1	20.7	20.7	21.4
वैशाली	50.5	49.3	65.6	68.6	68.0	76.5	18.1	18.6	10.8
दरभंगा	44.3	41.5	74.9	58.3	56.1	77.3	13.9	14.7	2.4
मधुबनी	42.0	41.2	63.1	60.9	60.4	73.3	18.9	19.2	10.2
समस्तीपुर	45.1	43.9	75.7	63.8	63.1	82.4	18.7	19.2	6.7
बेगूसराय	48.0	46.5	77.7	66.2	64.0	75.6	18.3	17.5	-2.1
मुंगेर	59.5	52.8	76.0	73.3	69.6	82.2	13.8	16.8	6.2
शेखपुरा	48.6	46.0	62.4	66.0	64.5	73.0	17.4	18.5	10.7
लखीसराय	48.0	45.6	61.1	65.0	63.6	73.0	17.0	18.0	11.8
जमुई	42.4	40.3	68.8	62.2	60.8	76.3	19.7	20.6	7.5
खगड़िया	41.4	39.5	69.8	60.9	59.8	78.5	19.5	20.4	8.8
भागलपुर	49.5	44.4	70.7	65.0	61.7	77.7	15.5	17.3	7.0
बांका	42.7	42.1	59.9	60.1	59.6	73.7	17.4	17.5	13.8
सहरसा	39.1	36.1	70.8	54.6	52.4	77.7	15.5	16.3	6.9
सुपौल	37.3	35.9	61.4	59.7	58.9	74.4	22.4	23.0	13.1
मधेपुरा	36.1	34.5	66.9	53.8	52.7	75.0	17.7	18.2	8.2
पूर्णिया	35.1	31.4	70.9	52.5	49.8	74.1	17.4	18.4	3.2
किशनगंज	31.1	27.8	59.3	57.0	55.2	73.3	26.0	27.4	14.0
अररिया	35.0	33.2	61.4	55.1	53.9	73.2	20.1	20.7	11.8
कटिहार	35.1	31.1	72.3	53.6	50.9	78.6	18.5	19.9	6.4
बिहार	47.0	43.9	71.9	63.8	61.8	78.8	16.8	17.9	6.8

स्रोत : जनगणना 2001 और जनगणना 2011

तालिका प 5.18 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (सभी) (2009-10 और 2010-11)

जिले	2009-10 (लाख में)			2010-11 (लाख में)		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	4.5	1.57	6.07	5.48	1.79	7.27
नालंदा	3.44	1.6	5.04	4.34	2.72	7.06
भोजपुर	3.25	1.24	4.49	4.64	1.34	5.98
बक्सर	2.75	1.08	3.84	3.01	1.18	4.19
रोहतास	2.88	0.9	3.77	3.09	1.01	4.1
कैमूर	2.43	0.94	3.37	2.67	1.03	3.7
गया	6.31	1.74	8.05	6.59	2.03	8.62
जहानाबाद	1.68	0.44	2.12	1.7	0.5	2.2
अरवल	1.02	0.31	1.33	1.06	0.35	1.41
नवादा	2.16	0.95	3.11	2.19	0.95	3.14
औरंगाबाद	2.78	1.36	4.13	2.77	1.35	4.12
सारण	5.49	1.84	7.34	5.5	3.8	9.03
सीवान	3.27	0.95	4.22	3.29	0.99	4.28
गोपालगंज	3.18	1.4	4.58	3.2	1.41	4.61
पश्चिम चंपारण	5.8	2.01	7.81	5.91	2.01	7.92
पूर्व चंपारण	10.97	4.51	15.48	10.96	4.05	15.01
मुजफ्फरपुर	7.32	1.85	9.18	7.29	2.01	9.3
सीतामढ़ी	4.5	1.15	5.66	4.56	1.46	6.02
शिवहर	1	0.21	1.21	0.95	0.25	1.2
वैशाली	4.6	1.3	5.9	5.02	1.73	6.75
दरभंगा	5.36	1.31	6.67	5.39	1.41	6.8
मधुबनी	5.86	1.48	7.34	6.74	1.75	8.49
समस्तीपुर	5.3	1.15	6.45	5.28	1.17	6.45
बेगूसराय	4.57	0.85	5.41	5.01	0.84	5.85
मुंगेर	1.78	0.56	2.34	1.91	0.68	2.59
शेखपुरा	0.91	0.28	1.2	0.95	0.29	1.24
लखीसराय	1.48	0.37	1.85	1.54	0.42	1.96
जमुई	2.75	0.94	3.69	3.03	1.39	4.42
खगड़िया	1.84	0.39	2.22	1.85	0.4	2.25
भागलपुर	3.89	1.23	5.12	4.14	1.44	5.58
बांका	2.79	0.56	3.35	2.93	0.85	3.78
सहरसा	2.35	0.47	2.82	3.52	0.61	4.13
सुपौल	3.84	0.9	4.74	3.85	0.94	4.79
मधेपुरा	2.73	0.31	3.05	3.85	0.99	4.84
पूर्णिया	5.07	0.87	5.94	5.13	0.91	6.04
किशनगंज	1.08	0.8	1.88	1.51	0.54	2.05
अररिया	4.26	0.73	5	4.38	0.76	5.14
कटिहार	3.89	0.68	4.57	3.93	0.82	4.75
बिहार	139.08	41.27	180.3	149.16	48.62	197.78

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.19 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजा) (2009-10 और 2010-11)

जिले	2009-10 (लाख में)			2010-11 (लाख में)		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	0.78	0.18	0.96	0.9	0.23	1.13
नालंदा	0.85	0.32	1.17	1.02	0.4	1.42
भोजपुर	0.55	0.16	0.71	0.62	0.29	0.91
बक्सर	0.37	0.15	0.52	0.39	0.16	0.55
रोहतास	0.47	0.11	0.58	0.47	0.11	0.58
कैमूर	0.51	0.15	0.66	0.51	0.17	0.68
गया	2.12	0.4	2.53	2.52	0.56	3.08
जहानाबाद	0.41	0.08	0.48	0.41	0.08	0.49
अरवल	0.25	0.08	0.33	0.25	0.08	0.33
नवादा	0.95	0.18	1.13	1.03	0.18	1.21
औरंगाबाद	0.93	0.19	1.12	0.93	0.18	1.11
सारण	0.64	0.24	0.88	1.23	0.44	1.67
सीवान	0.26	0.09	0.35	0.26	0.08	0.34
गोपालगंज	0.44	0.2	0.64	0.43	0.2	0.63
पश्चिम चंपारण	1.36	0.45	1.81	1.38	0.44	1.82
पूर्व चंपारण	1.26	0.17	1.44	1.26	0.17	1.43
मुजफ्फरपुर	1.25	0.25	1.51	1.33	0.3	1.63
सीतामढ़ी	0.69	0.13	0.82	0.75	0.14	0.89
शिवहर	0	0	0	0.13	0.04	0.17
वैशाली	1.11	0.2	1.31	1.29	0.36	1.65
दरभंगा	0.89	0.14	1.03	0.94	0.19	1.13
मधुबनी	0.82	0.12	0.94	1.18	0.22	1.4
समस्तीपुर	0.82	0.14	0.95	0.81	0.11	0.92
बेगूसराय	0.75	0.1	0.85	0.8	0.1	0.09
मुंगेर	0.34	0.09	0.43	0.35	0.1	0.45
शेखपुरा	0.22	0.06	0.27	0.23	0.05	0.28
लखीसराय	0.28	0.11	0.39	0.3	0.12	0.42
जमुई	0.37	0.06	0.43	0.43	0.06	0.49
खगड़िया	0.28	0.07	0.35	0.28	0.06	0.34
भागलपुर	0.36	0.06	0.43	0.39	0.06	0.45
बांका	0.29	0.07	0.36	0.38	0.09	0.47
सहरसा	0.34	0.08	0.42	0.71	0.06	0.77
सुपौल	0.38	0.16	0.54	0.68	0.1	0.78
मधेपुरा	0.31	0.05	0.36	0.59	0.12	0.71
पूर्णिया	0.7	0.09	0.79	0.71	0.09	0.08
किशनगंज	0.13	0.02	0.16	0.14	0.02	0.16
अररिया	0.67	0.12	0.79	0.67	0.12	0.79
कटिहार	0.37	0.06	0.43	0.53	0.14	0.67
बिहार	23.54	5.33	28.87	27.23	6.42	33.65

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.20 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजजा) (2009-10 और 2010-11)

जिले	2009-10 (लाख में)			2010-11 (लाख में)		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	0.02	0	0.02	0.02	0.03	0.05
नालंदा	0	0	0	0.00	0.00	0.00
भोजपुर	0	0	0	0.01	0.01	0.02
बक्सर	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
रोहतास	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
कैमूर	0.07	0.02	0.09	0.07	0.02	0.09
गया	0	0	0	0.00	0.00	0.00
जहानाबाद	0	0	0	0.00	0.00	0.00
अरवल	0	0	0	0.00	0.00	0.00
नवादा	0.02	0	0.02	0.03	0.01	0.04
औरंगाबाद	0.05	0.01	0.06	0.04	0.01	0.05
सारण	0	0	0	0.01	0.00	0.01
सीवान	0	0	0	0.00	0.00	0.00
गोपालगंज	0	0	0	0.00	0.00	0.00
पश्चिम चंपारण	0.3	0.11	0.41	0.30	0.11	0.41
पूर्व चंपारण	0.03	0	0.03	0.03	0.00	0.03
मुजफ्फरपुर	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01	0.03
सीतामढ़ी	0	0	0	0.00	0.00	0.00
शिवहर	0	0	0	0.00	0.00	0.00
वैशाली	0	0	0	0.00	0.00	0.00
दरभंगा	0.02	0	0.02	0.00	0.00	0.00
मधुबनी	0.02	0	0.02	0.01	0.00	0.01
समस्तीपुर	0	0	0	0.00	0.00	0.00
बेगूसराय	0	0	0	0.00	0.00	0.00
मुंगेर	0.07	0.02	0.08	0.05	0.02	0.07
शेखपुरा	0	0	0	0.00	0.00	0.00
लखीसराय	0.03	0.01	0.05	0.04	0.02	0.06
जमुई	0.11	0.01	0.12	0.12	0.01	0.13
खगड़िया	0	0	0	0.00	0.00	0.00
भागलपुर	0.1	0.03	0.13	0.11	0.03	0.14
बांका	0.14	0.03	0.17	0.16	0.03	0.19
सहरसा	0.01	0	0.01	0.01	0.00	0.01
सुपौल	0.38	0.16	0.54	0.02	0.00	0.02
मधेपुरा	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04
पूर्णिया	0.23	0.04	0.27	0.23	0.04	0.27
किशनगंज	0.05	0.01	0.05	0.07	0.02	0.09
अररिया	0.06	0.01	0.07	0.06	0.01	0.07
कटिहार	0.23	0.04	0.27	0.28	0.05	0.33
बिहार	2.03	0.54	2.57	1.75	0.44	2.19

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.21 : नामांकन की जिलावार वार्षिक वृद्धि दर : 2006-07 से 2010-11

जिले	सभी			अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	-2.39	7.82	-20.95	-8.93	6.30	-6.62	-2.28	अनु.	9.82
नालंदा	3.55	29.21	10.33	6.31	29.46	11.01	अनु.	अनु.	अनु.
भोजपुर	-2.94	4.42	-1.33	-15.52	0.35	-11.98	अनु.	अनु.	अनु.
बक्सर	7.95	15.11	9.78	-2.31	9.07	0.43	अनु.	अनु.	अनु.
रोहतास	-3.18	-3.22	-3.22	-13.37	-12.03	-13.13	-32.61	6.45	-26.21
कैमूर	0.00	11.77	4.68	-2.59	5.15	-0.93	-1.14	30.71	3.23
गया	5.13	18.30	7.59	8.18	24.49	10.42	अनु.	अनु.	अनु.
जहानाबाद	-8.79	-5.46	-8.10	-4.80	-0.95	-4.42	अनु.	अनु.	अनु.
अरवल	3.60	4.38	3.79	4.59	26.33	8.82	अनु.	अनु.	अनु.
नवादा	-4.99	25.35	0.94	13.50	33.74	15.76	16.06	अनु.	19.73
औरंगाबाद	-4.58	14.85	0.20	3.69	6.07	4.07	12.28	6.52	10.99
सारण	3.86	33.69	10.81	13.33	38.41	18.15	अनु.	अनु.	अनु.
सीवान	-6.11	-3.39	-5.53	-18.65	-7.63	-16.49	अनु.	अनु.	अनु.
गोपालगंज	-1.59	19.15	3.11	-3.93	28.34	2.52	अनु.	अनु.	अनु.
पश्चिम चंपारण	8.12	31.64	12.45	24.20	64.99	30.37	1.78	37.25	7.60
पूर्व चंपारण	19.20	49.46	25.82	13.54	16.71	13.96	-5.71	अनु.	-9.16
मुजफ्फरपुर	3.25	11.51	4.79	6.94	18.17	8.69	24.45	85.47	30.54
सीतामढ़ी	3.11	22.98	6.53	8.11	28.78	10.47	अनु.	अनु.	अनु.
शिवहर	4.51	22.89	7.25	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
वैशाली	2.12	14.17	4.58	5.53	24.16	8.35	अनु.	अनु.	अनु.
दरभंगा	6.04	16.97	7.17	8.00	18.93	9.45	अनु.	अनु.	अनु.
मधुबनी	2.33	7.62	3.32	6.26	12.81	7.14	-21.80	अनु.	-23.27
समस्तीपुर	-6.54	-1.33	-5.69	-16.16	-14.97	-16.08	अनु.	अनु.	अनु.
बेगूसराय	4.05	4.70	4.12	9.33	13.32	-30.75	अनु.	अनु.	अनु.
मुंगेर	2.91	14.21	5.34	12.47	22.84	14.41	8.91	49.55	13.93
शेखपुरा	8.84	24.70	11.88	13.48	40.40	16.60	अनु.	अनु.	अनु.
लखीसराय	8.09	11.46	8.75	14.60	56.60	21.80	44.29	239.27	57.56
जमुई	10.05	43.25	16.52	5.00	8.53	5.43	1.28	14.54	3.60
खगड़िया	-1.73	2.29	-1.11	0.27	20.33	2.95	अनु.	अनु.	अनु.
भागलपुर	3.44	33.38	8.33	1.59	7.56	2.55	0.92	25.06	4.57
बांका	5.40	18.34	7.63	8.69	26.98	11.36	-26.43	36.82	-16.25
सहरसा	7.50	6.54	7.36	16.64	20.29	17.41	-3.39	अनु.	-6.92
सुपौल	10.86	22.17	12.71	7.36	30.68	10.81	32.75	अनु.	30.67
मधेपुरा	8.02	12.38	9.03	-6.31	6.47	-4.69	8.46	29.41	17.49
पूर्णिया	2.62	12.45	3.85	4.46	12.21	-33.61	-10.13	2.05	-8.71
किशनगंज	-9.75	24.06	-2.96	-17.09	-21.89	-28.24	-38.58	-16.84	-37.11
अररिया	1.11	17.59	2.90	0.11	21.37	2.37	-44.96	-35.88	-43.98
कटिहार	-0.01	5.34	0.81	-1.90	9.32	-0.10	-3.04	9.67	-1.52
बिहार	3.04	17.22	5.80	3.29	17.25	5.40	-10.31	10.96	-7.32

टिप्पणी : अरवल जिले के 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के आंकड़ों पर ही विचार किया गया है।

तालिका प 5.22 : बिहार में जिलावार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय (2007-08 और 2010-11)

जिला का नाम	2007-08						2010-11					
	प्राथमिक	प्राथमिक उच्च प्राथमिक के साथ	प्राथमिक उ.प्रा.वि/ माध्यमिक/ उ. मा. वि. सहित	सिर्फ उच्च प्राथमिक	उ.प्रा./ माध्यमिक/ उच्च उ. मा. वि. सहित	योग	प्राथमिक	प्राथमिक उच्च प्राथमिक के साथ	प्राथमिक उ.प्रा.वि/ माध्यमिक/ उ. मा. वि. सहित	सिर्फ उच्च प्राथमिक	उ.प्रा./ माध्यमिक/ उच्च उ. मा. वि. सहित	योग
पटना	2209	1129	0	0	3	3341	2165	1162	0	14	0	3341
नालंदा	1489	648	1	3	6	2147	1335	835	1	5	6	2182
भोजपुर	1343	512	19	15	39	1928	1279	728	8	21	5	2041
बक्सर	828	352	12	0	63	1255	725	449	1	10	1	1186
रोहतास	1461	532	34	17	10	2054	1240	758	31	10	0	2039
कैमूर	888	289	1	0	0	1178	755	423	0	1	0	1179
गया	2018	944	12	17	11	3002	1764	1256	0	3	0	3023
जहानाबाद	1043	273	12	7	5	1340	542	338	3	4	1	888
अरवल	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	338	184	1	2	0	525
नवादा	1270	337	0	6	1	1614	938	649	0	2	0	1589
औरंगाबाद	1453	486	2	7	1	1949	1053	847	1	12	2	1915
सारण	1831	584	13	4	3	2435	1565	941	23	0	0	2529
सीवान	1550	534	1	20	13	2118	1224	847	3	20	4	2098
गोपालगंज	1215	373	3	6	2	1599	1006	653	0	5	0	1664
पश्चिम चंपारण	1905	507	43	12	64	2531	1535	909	6	12	11	2473
पूर्व चंपारण	2312	731	25	6	1	3075	1946	1150	0	0	1	3097
मुजफ्फरपुर	2305	803	18	1	65	3192	1921	1131	0	1	0	3053
सीतामढ़ी	1470	470	28	10	5	1983	1207	859	15	8	4	2093
शिवहर	317	93	5	4	1	420	220	188	1	1	1	411
वैशाली	1520	502	1	1	2	2026	1100	927	4	1	2	2034
दरभंगा	1757	520	88	6	56	2427	1395	866	25	0	7	2293
मधुबनी	2132	814	91	0	10	3047	2077	878	76	8	2	3041
समस्तीपुर	1866	613	1	0	2	2482	1502	957	11	15	2	2487
बेगूसराय	1166	373	2	5	0	1546	907	635	1	0	0	1543
मुंगेर	706	288	0	4	7	1005	619	424	0	2	0	1045
शेखपुरा	314	132	0	2	0	448	226	220	0	2	0	448
लखीसराय	530	135	0	0	10	675	492	264	0	0	0	756
जमुई	1003	336	0	0	0	1339	972	744	0	0	0	1716
खगड़िया	802	208	0	2	0	1012	530	508	0	5	0	1043
भागलपुर	1365	453	3	7	5	1833	1072	752	1	7	14	1846
बांका	1437	356	71	7	7	1878	1123	778	3	3	0	1907
सहरसा	949	281	2	4	3	1239	747	495	0	4	0	1246
सुपौल	1331	310	17	16	16	1690	1049	638	3	13	0	1703
मधेपुरा	1149	294	0	10	0	1453	792	611	0	9	1	1413
पूर्णिया	1380	320	1	0	0	1701	1279	634	0	0	0	1913
किशनगंज	911	311	84	1	12	1319	866	310	2	0	0	1178
अररिया	1204	391	28	3	28	1654	1068	515	1	1	0	1585
कटिहार	1439	475	0	0	16	1930	1207	592	0	1	0	1800
बिहार	49868	16709	618	203	467	67865	41781	26055	221	202	64	68323

स्रोत : जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (http://www.dise.in)

तालिका प 5.22 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की जिलावार संख्या (2007-08 और 2010-11)

जिला का नाम	2007-08						2010-11					
	प्राथमिक	प्राथमिक उच्च प्राथमिक के साथ	प्राथमिक उ.प्रा.वि/ माध्यमिक/ उ. मा. वि. सहित	सिर्फ उच्च प्राथमिक	उ.प्रा.वि/ माध्यमिक/ उ. मा. वि. सहित	योग	प्राथमिक	प्राथमिक उच्च प्राथमिक के साथ	प्राथमिक उ.प्रा.वि/ माध्यमिक/ उ. मा. वि. सहित	सिर्फ उच्च प्राथमिक	उ.प्रा.वि/ माध्यमिक/ उ. मा. वि. सहित	योग
पटना	6222	6296	0	0	0	12518	5871	6853	0	75	0	12799
नालंदा	3599	3652	4	14	54	7323	3620	4258	15	31	77	8001
भोजपुर	4537	3629	129	103	203	8601	3941	4538	59	136	33	8707
बक्सर	2771	2950	74	0	384	6179	2383	3558	18	79	4	6042
रोहतास	4181	3627	10	34	13	7865	4127	5572	143	83	0	9925
कैमूर	3551	2775	13	0	0	6339	2458	3255	0	5	0	5718
गया	6629	5558	53	111	9	12360	5620	7648	0	37	0	13305
जहानाबाद	3784	3008	102	81	40	7015	1604	2588	21	58	6	4277
अरवल	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	1015	1591	13	16	0	2635
नवादा	3979	2107	0	38	3	6127	2792	3456	0	25	0	6273
औरंगाबाद	4791	3612	20	53	7	8483	3089	5155	4	102	8	8358
सारण	941	823	0	14	0	1778	6143	7705	76	0	0	13924
सीवान	5120	2742	126	109	101	8198	4627	6436	14	220	13	11310
गोपालगंज	5217	3654	25	53	15	8964	3661	5616	0	41	0	9318
पश्चिम चंपारण							5705	6463	49	80	104	12401
पूर्व चंपारण	8954	5590	115	32	2	14693	8310	9339	0	0	11	17660
मुजफ्फरपुर	8768	6642	139	4	451	16004	6737	8226	0	4	0	14967
सीतामढो	6943	4748	3	196	40	11930	3397	6382	121	73	73	10046
शिवहर	4886	3999	199	87	40	9211	644	1317	13	7	10	1991
वैशाली	6925	3856	320	70	285	11456	4084	8224	33	17	16	12374
दरभंगा	7311	4491	206	54	59	12121	5919	7118	113	0	18	13168
मधुबनी	8556	7131	579	0	66	16332	8054	7258	370	81	19	15782
समस्तीपुर	8026	5052	91	22	12	13203	5568	7881	74	135	13	13671
बेगूसराय	5629	4704	6	63	0	10402	3948	6856	7	0	0	10811
मुंगेर	2101	1863	0	32	49	4045	1866	2794	0	8	0	4668
शेखपुरा	1204	886	26	30	10	2156	625	1253	0	13	0	1891
लखीसराय	2555	1444	0	0	105	4104	1891	2461	0	0	0	4352
जमुई	2930	2368	0	0	0	5298	1917	3992	0	0	0	5909
खगड़िया	3364	2060	0	21	0	5445	1745	4145	0	56	0	5946
भागलपुर	4903	3508	19	59	16	8505	3744	5178	7	54	99	9082
बांका	3506	1620	251	29	43	5449	2631	2863	9	17	0	5520
सहरसा	7607	5467	11	0	12	13097	2597	5154	0	34	0	7785
सुपौल	6312	5742	5	9	38	12106	3113	4423	16	66	0	7618
मधेपुरा	4770	2747	0	58	0	7575	2589	4785	0	66	8	7448
पूर्णिया	5357	3163	0	0	0	8520	4130	4824	0	0	0	8954
किशनगंज	3824	2299	478	6	89	6696	3408	2708	4	0	0	6120
अररिया	4933	2984	215	20	142	8294	4443	3999	16	8	0	8466
कटिहार	6441	4021	0	0	72	10534	5576	5651	0	6	0	11233
बिहार	181127	130818	3219	1402	2360	318926	143592	191523	1195	1633	512	338455

स्रोत : जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (http://www.dise.in)

तालिका प 5.24 : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5) (2010-11 और 2011-12)

जिले	2010-11			2011-12		
	कुल नामांकन (लाख में)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की सं. (लाख में)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख में)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की सं. (लाख में)	आच्छादन प्रतिशत
पटना	5.2	2.58	49.5	6.32	2.21	35.0
नालंदा	3.51	1.97	56	3.35	1.95	58.1
भोजपुर	4.49	2.18	48.5	3.68	0.99	26.9
बक्सर	2.31	1.28	55.5	2.82	1.19	42.1
रोहतास	3.84	1.93	50.4	3.97	1.94	48.8
कैमूर	2.34	1.92	81.9	2.48	1.60	64.4
गया	5.71	3.62	63.4	5.28	3.57	67.5
जहानाबाद	1.6	1.15	71.9	1.82	0.87	47.4
अरवल	0.99	0.8	80.2	1.13	0.82	72.3
नवादा	3.24	2.05	63.2	3.35	1.94	57.8
औरंगाबाद	3.65	2.69	73.7	4.00	0.70	17.5
सारण	5.16	2.53	49	6.15	2.97	48.3
सीवान	4.65	2.54	54.7	4.54	2.33	51.3
गोपालगंज	3.97	1.59	39.9	3.70	1.81	49.0
पश्चिम चंपारण	5.27	4.56	86.6	5.57	3.02	54.2
पूर्व चंपारण	7.52	4.31	57.4	7.57	4.00	52.9
मुजफ्फरपुर	6.86	4.11	59.9	8.21	4.60	56.1
सीतामढ़ी	4.65	2.69	57.9	5.09	2.41	47.4
शिवहर	0.96	0.52	53.9	1.07	0.32	29.6
वैशाली	4.74	2.93	61.9	5.56	1.91	34.4
दरभंगा	5.7	2.27	39.8	5.04	1.99	39.4
मधुबनी	6.61	2.17	32.8	6.93	1.40	20.2
समस्तीपुर	6.41	2.02	31.6	6.04	2.54	42.0
बेगूसराय	4.48	2.51	56.1	4.88	2.12	43.5
मुंगेर	1.76	0.97	54.9	2.14	1.73	81.0
शेखपुरा	0.89	0.58	65.3	1.02	0.60	58.2
लखीसराय	1.43	1.21	84.7	1.44	1.28	88.6
जमुई	2.65	0.94	35.6	2.87	1.06	36.8
खगड़िया	1.9	0.56	29.4	2.72	0.98	36.1
भागलपुर	4.08	1.72	42.1	3.90	2.18	55.8
बांका	2.8	0.96	34.1	2.84	1.06	37.3
सहरसा	2.4	1.46	60.7	2.36	1.48	62.6
सुपौल	3.07	1.26	40.9	3.87	1.18	30.5
मधेपुरा	3.56	1.91	53.5	3.26	1.93	59.2
पूर्णिया	4.71	2.95	62.8	4.67	1.97	42.3
किशनगंज	2.71	1.57	58.2	2.89	1.39	48.1
अररिया	4.14	1.89	45.8	5.02	1.39	27.7
कटिहार	4.8	1.69	35.2	5.59	1.45	25.8
बिहार	144.77	79.18	54.7	153.16	68.85	45.0

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 5.25 : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8) (2010-11 और 2011-12)

जिले	2010-11			2011-12		
	कुल नामांकन (लाख में)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की सं. (लाख में)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख में)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की सं. (लाख में)	आच्छादन प्रतिशत
पटना	2.74	0.8	29.1	2.74	0.80	29.09
नालंदा	1.2	0.81	67.7	1.20	0.81	67.73
भोजपुर	1.16	0.67	58	1.16	0.67	58.00
बक्सर	1.24	0.44	35.9	1.24	0.44	35.95
रोहतास	1.32	0.68	51.2	1.32	0.68	51.18
कैमूर	1.11	1.07	96.8	1.11	1.07	96.76
गया	1.96	0.93	47.5	1.96	0.93	47.47
जहानाबाद	0.54	0.36	65.8	0.54	0.36	65.75
अरवल	0.35	0.26	72.4	0.35	0.26	72.42
नवादा	0.95	0.65	68	0.95	0.65	68.01
औरंगाबाद	1.66	0.75	45	1.66	0.75	45.02
सारण	1.33	0.44	33.4	1.33	0.44	33.44
सीवान	2.21	1.12	50.4	2.21	1.12	50.38
गोपालगंज	1	0.53	53.3	1.00	0.53	53.35
पश्चिम चंपारण	1.2	0.74	61.7	1.20	0.74	61.66
पूर्व चंपारण	1.81	0.94	51.8	1.81	0.94	51.85
मुजफ्फरपुर	1.75	0.91	51.8	1.75	0.91	51.79
सीतामढ़ी	1.04	0.63	60.5	1.04	0.63	60.53
शिवहर	0.18	0.1	53.1	0.18	0.10	53.06
वैशाली	1.3	0.79	60.8	1.30	0.79	60.76
दरभंगा	1.32	0.62	47.3	1.32	0.62	47.29
मधुबनी	1.36	1.04	76	1.36	1.04	76.01
समस्तीपुर	1.35	0.44	32.9	1.35	0.44	32.86
बेगूसराय	1.41	0.63	45	1.41	0.63	44.99
मुंगेर	0.63	0.35	56.2	0.63	0.35	56.21
शेखपुरा	0.78	0.14	17.6	0.78	0.14	17.61
लखीसराय	0.51	0.28	55.3	0.51	0.28	55.31
जमुई	0.65	0.21	32.5	0.65	0.21	32.53
खगड़िया	0.7	0.17	24.6	0.70	0.17	24.56
भागलपुर	1.23	0.41	33.8	1.23	0.41	33.79
बांका	0.62	0.23	36.6	0.62	0.23	36.62
सहरसा	1.1	0.7	63.8	1.10	0.70	63.83
सुपौल	0.85	0.24	28.6	0.85	0.24	28.58
मधेपुरा	1.16	0.34	29.6	1.16	0.34	29.60
पूर्णिया	1.06	0.61	58	1.06	0.61	58.01
किशनगंज	0.79	0.36	45.3	0.79	0.36	45.30
अररिया	0.76	0.25	33.7	0.76	0.25	33.69
कटिहार	1.05	0.29	27.3	1.05	0.29	27.29
बिहार	43.37	20.94	48.3	43.37	20.94	48.28

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 5.26 : बिहार में उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम आधारित कुल नामांकन

पाठ्यक्रम	नामांकन											
	पीएच.डी/ एम.फिल			स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम			स्नातक डिग्री कार्यक्रम			योग		
	2009-10	2010-11	परिवर्तन (%)	2009-10	2010-11	परिवर्तन (%)	2009-10	2010-11	परिवर्तन (%)	2009-10	2010-11	परिवर्तन (%)
कला												
लड़के	1149	898	-21.85	25635	13153	-48.69	372287	252739	-32.11	399071	266790	-33.15
लड़कियां	446	382	-14.35	10783	9996	-7.30	204224	182053	-10.86	215453	192431	-10.69
योग	1595	1280	-19.75	36418	23149	-36.44	576511	434792	-24.58	614524	459221	-25.27
वाणिज्य												
लड़के	151	56	-62.91	1793	687	-61.68	59318	59000	-0.54	61262	59743	-2.48
लड़कियां	36	25	-30.56	435	1165	167.82	10730	33791	214.92	11201	34981	212.30
योग	187	81	-56.68	2228	1852	-16.88	70048	92791	32.47	72463	94724	30.72
विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग (अप्लीकेशन)												
लड़के	488	844	72.95	6429	5150	-19.89	104139	70774	-32.04	111056	76768	-30.87
लड़कियां	224	392	75.00	2483	3375	35.92	43258	39462	-8.78	45965	43229	-5.95
योग	712	1236	73.60	8912	8525	-4.34	147397	110236	-25.21	157021	119997	-23.58
अभियंत्रण/ प्रौद्योगिकी												
लड़के	4	4	0	3	3	0	7920	7920	0	7927	7927	0
लड़कियां	1	1	0	0	0	0	960	960	0	961	961	0
योग	5	5	0	3	3	0	8880	8880	0	8888	8888	0
चिकित्सा												
लड़के	17	17	0	93	93	0	7598	7598	0	7708	7708	0
लड़कियां	11	11	0	48	48	0	2602	2602	0	2661	2661	0
योग	28	28	0	141	141	0	10200	10200	0	10369	10369	0
शिक्षा												
लड़के	12	अनु.	अनु.	2100	अनु.	अनु.	2690	1405	-47.77	4802	1405	-70.74
लड़कियां	3	अनु.	अनु.	1015	अनु.	अनु.	1944	1052	-45.88	2962	1052	-64.48
योग	15	अनु.	अनु.	3115	अनु.	अनु.	4634	2457	-46.98	7764	2457	-68.35
पॉलिटेकनिक संस्थान												
लड़के							11658	9039	-22.47	11658	9039	-22.47
लड़कियां							1167	879	-24.68	1167	879	-24.68
योग							12825	9918	-22.67	12825	9918	-22.67
अन्य												
लड़के	103	अनु.	अनु.	1960	17362	785.82	37917	195434	415.43	39980	195434	388.83
लड़कियां	14	अनु.	अनु.	722	11912	1549.86	17862	137507	669.83	18598	137507	639.36
योग	117	अनु.	अनु.	2682	29274	991.50	55779	332941	496.89	58578	332941	468.37

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.27 : बिहार में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम आधारित कुल नामांकन

पाठ्यक्रम	नामांकन											
	पीएच.डी/ एम.फिल			स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम			स्नातक डिग्री कार्यक्रम			योग		
	2009-10	2010-11	परिवर्तन (%)	2009-10	2010-11	परिवर्तन (%)	2009-10	2010-11	परिवर्तन (%)	2009-10	2010-11	परिवर्तन (%)
कला												
लड़के	102	58	-43.14	2944	821	-72.11	31719	22192	30.97	34765	23071	-33.64
लड़कियां	44	22	-50.00	981	383	-60.96	10035	11871	6.35	11060	12276	10.99
योग	146	80	-45.21	3925	1204	-69.32	41754	34063	24.06	45825	35347	-22.87
वाणिज्य												
लड़के	3	6	100	215	161	-25.12	3215	4980	10.44	3433	5147	49.93
लड़कियां	0	2	अनु.	45	25	-44.44	795	2549	2.98	840	2576	206.67
योग	3	8	166.67	260	186	-28.46	4010	7529	8.88	4273	7723	80.74
विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग (अप्लीकेशन)												
लड़के	25	11	-56	590	353	-40.17	8125	6366	3.27	8740	6730	-23.00
लड़कियां	10	5	-50	140	126	-10.00	1305	3054	5.75	1455	3185	118.90
योग	35	16	-54.29	730	479	-34.38	9430	9420	3.6	10195	9915	-2.75
अभियंत्रण/ प्रौद्योगिकी												
लड़के				1	1	0	100	100	-85.97	101	101	0
लड़कियां				0	0	0	27	27	-78.57	27	27	0
योग				1	1	0	127	127	-84.86	128	128	0
चिकित्सा												
लड़के					6	अनु.	436	436	7.39	436	442	1.38
लड़कियां					1	अनु.	107	107	21.59	107	108	0.93
योग					7	अनु.	543	543	9.92	543	550	1.29
शिक्षा												
लड़के	1	अनु.		196	अनु.	अनु.	190	21	6.74	387	21	-94.57
लड़कियां	0	अनु.		65	अनु.	अनु.	41	33	13.89	106	33	-68.87
योग	1	अनु.		261	अनु.	अनु.	231	54	7.94	493	54	-89.05
पॉलिटेकनिक संस्थान												
लड़के							812	1092	2.53	812	1092	34.48
लड़कियां							175	57	8.02	175	57	-67.43
योग							987	1149	3.46	987	1149	16.41
अन्य												
लड़के	4	0	-100	137	अनु.	अनु.	2506	1	24.49	2647	1	-48.02
लड़कियां	0	0	अनु.	52	अनु.	अनु.	1220	118	43.36	1272	118	-298.82
योग	4	0	-100	189	अनु.	अनु.	3726	119	30.1	3919	119	3.04

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.28 : बिहार में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम आधारित कुल नामांकन

पाठ्यक्रम	नामांकन											
	पीएच.डी/ एम.फिल			स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम			स्नातक डिग्री कार्यक्रम			योग		
	2009-10	2010-11	परिवर्तन (%)	2009-10	2010-11	परिवर्तन (%)	2009-10	2010-11	परिवर्तन (%)	2009-10	2010-11	परिवर्तन (%)
कला												
लड़के	12	9	-25.00	466	0	-100.00	4499	3362	-25.27	4977	3371	-32.27
लड़कियां	1	12	1100.00	214	100	-53.27	1555	3249	108.94	1770	3361	89.89
योग	13	21	61.54	680	100	-85.29	6054	6611	9.20	6747	6732	-0.22
वाणिज्य												
लड़के	अनु.	2	अनु.	36	6	-83.33	189	224	18.52	225	232	3.11
लड़कियां	अनु.	0	अनु.	4	21	425.00	45	171	280.00	49	192	291.84
योग	अनु.	2	अनु.	40	27	-32.50	234	395	68.80	274	424	54.74
विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग (अप्लीकेशन)												
लड़के	अनु.	1	अनु.	18	42	133.33	471	1124	138.64	489	1167	138.65
लड़कियां	अनु.	0	अनु.	5	11	120.00	124	1203	870.16	129	1214	841.09
योग	अनु.	1	अनु.	23	53	130.43	595	2327	291.09	618	2381	285.28
अभियंत्रण/ प्रौद्योगिकी												
लड़के		0			0		7	7	0	7	7	0
लड़कियां		0			0		3	3	0	3	3	0
योग		0			0		10	10	0	10	10	0
चिकित्सा												
लड़के		0		6	0		37	37	0	43	37	-13.95
लड़कियां		0		1	0		7	7	0	8	7	-12.50
योग		0		7	0		44	44	0	51	44	-13.73
शिक्षा												
लड़के		0		49	0		38	269	607.89	87	269	209.20
लड़कियां		0		14	0		8	124	1450.00	22	124	463.64
योग		0		63	0		46	393	754.35	109	393	260.55
पॉलिटेकनिक संस्थान												
लड़के		0			0		70	81	15.71	70	81	15.71
लड़कियां		0			0		20	2	-90.00	20	2	-90.00
योग		0			0		90	83	-7.78	90	83	-7.78
अन्य												
लड़के		0		61	0		217	0	-100.00	278	0	-100.00
लड़कियां		0		22	0		91	150	64.84	113	150	32.74
योग		0		83	0		308	150	-51.30	391	150	-61.64

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.29 : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अवलोकन (2010-11 और 2011-12)

2010-11												
जिले	सहायता-प्राप्त समूह सदस्यों की संख्या आर्थिक गतिविधि हेतु			सहायता-प्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की संख्या आर्थिक गतिविधि हेतु			प्रशिक्षित समूह सदस्यों की संख्या			प्रशिक्षित व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की संख्या		
	योग	अजा	महिला	योग	अजा	महिला	योग	अजा	महिला	योग	अजा	महिला
पटना	9627	3973	5714	14	14	0	630	276	365	0	0	0
नालंदा	4426	1865	1092	68	22	I	4228	1416	2935	0	0	0
भोजपुर	7861	3555	5084	753	383	241	5570	2206	4415	0	0	0
बक्सर	2385	1597	2245	632	319	253	4125	2887	3941	0	0	0
रोहतास	4092	2081	1983	0	0	0	1698	695	1098	0	0	0
कैमूर	1690	888	506	222	I 13	62	2037	1028	645	0	0	0
गया	2239	1342	896	371	223	148	2239	1342	896	371	223	148
जहानाबाद	1140	740	780	0	0	0	1140	740	780	0	0	0
अरवल	857	455	699	58	28	19	144	76	102	0	0	0
नवादा	5400	3350	5264	964	373	145	7247	4500	6955	84	33	50
औरंगाबाद	7496	3650	7452	1075	422	88	2724	1152	2558	0	0	0
सारण	7616	1817	2616	0	0	0	7616	1817	2616	0	a	0
सीवान	1875	359	1630	2	2	0	10008	2497	2336	1	1	0
गोपालगंज	3630	1815	1271	1913	701	150	3630	1815	1271	0	0	0
पश्चिम चंपारण	7217	2909	7217	288	191	288	3883	1685	3883	5	4	5
पूर्व चंपारण	5424	1356	4496	564	71	49	0		0	0	0	0
मुजफ्फरपुर	12570	6023	11989	700	73	28	25140	12046	23978	0	0	0
सीतामढ़ी	3366	1503	1654	537	263	270	8360	3595	4435	0	0	0
शिवहर	3120	1620	1771	37	11	0	3120	1620	1771	37	11	0
वैशाली	4470	1785	2210	0	0	0	6949	2710	3620	0	0	0
दरभंगा	8370	4190	8370	976	185	791	5000	2500	5000	0	0	0
मधुबनी	12637	2004	9204	2688	1624	342	12637	2004	9204	2688	1624	342
समस्तीपुर	9408	3859	3667	152	85	5	3763	2087	113	0	0	0
बेगूसराय	4880	2440	1903	507	228	177	4880	2440	1903	502	251	196
मुंगेर	2187	254	1879	136	29	34	2187	254	1879	0	0	0
शेखपुरा	370	100	267	84	73	50	641	109	512	0	0	0
लखीसराय	537	75	288	87	42	12	757	69	484	0	0	0
जमुई	2750	1142	2441	206	102	16	5459	2000	4140	167	117	23
खगड़िया	1433	711	1232	338	116	30	580	215	551	0	0	0
भागलपुर	6076	2343	2601	32	0	0	6427	2500	2804	32	0	0
बांका	6568	2049	3326	0	0	0	660	286	198	0	0	0
सहरसा	4967	1270	3927	406	149	85	14839	2932	7042	1517	466	895
सुपौल	13590	7474	5571	0	0	0	9533	5289	3908	0	0	0
मधेपुरा	2730	811	1773	179	112	55	2730	811	1773	179	112	55
पूर्णिया	5729	1692	3612	0	0	0	4662	1468	3175	0	0	0
किशनगंज	1739	324	1339	559	180	257	1533	293	1203	0	0	0
अररिया	1013	83	982	132	11	7	0	0	0	0	0	0
कटिहार	2740	270	1950	718	169	334	170	30	70	0	0	0
बिहार	184225	73774	120901	15398	6314	3937	176946	69390	112559	5583	2842	1714

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (जारी)

तालिका प 5.29 : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अवलोकन (2010-11 और 2011-12) (समाप्त)

2011-12												
जिले	सहायता-प्राप्त समूह सदस्यों की सं. आर्थिक गतिविधि हेतु			सहायता-प्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की सं. आर्थिक गतिविधि हेतु			प्रशिक्षित समूह सदस्यों की सं.			प्रशिक्षित व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की सं.		
	योग	अजा	महिला	योग	अजा	महिला	योग	अजा	महिला	योग	अजा	महिला
पटना	4981	3990	3631	0	0	0	1682	980	1219	0	0	0
नालंदा	2712	539	1975	42	3	7	1235	415	635	0	0	0
भोजपुर	6254	3335	4250	281	141	138	1625	895	1225	0	0	0
बक्सर	2240	1120	2240	435	261	206	940	470	940	76	40	3
रोहतास	4790	2197	2983	0	0	0	767	371	495	0	0	0
कैमूर	2190	1128	813	69	39	17	4357	2195	1719	0	0	0
गया	2306	1339	2150	42	29	13	2306	1393	2150	42	29	13
जहानाबाद	732	444	348	0	0	0	732	444	348	0	0	0
अरवल	620	324	594	10	5	2	1738	1143	1696	0	0	0
नवादा	8438	4836	8350	708	6	100	3665	992	3545	708	6	100
औरंगाबाद	4755	2540	4080	295	45	49	863	276	863	0	0	0
सारण	2051	961	2051	0	0	0	2051	961	2051	0	0	0
सीवान	2260	521	2142	10	4	3	10193	2549	7183	25	0	0
गोपालगंज	4532	2266	1684	2455	1227	390	3633	1817	1161	0	0	0
पश्चिम चंपारण	4354	2168	3514	15	5	5	753	428	632	4	2	3
पूर्व चंपारण	4652	1556	3670	441	124	129	0	0	0	0	0	0
मुजफ्फरपुर	8217	3918	8129	708	6	100	7940	1284	7940	321	60	13
सीतामढ़ी	3146	1263	1650	99	41	45	797	310	488	0	0	0
शिवहर	1956	1063	1268	16	12	1	1956	1063	1268	16	12	1
वैशाली	2940	1176	1470	16	1	2	980	381	574	0	0	0
दरभंगा	9840	4920	9840	1065	490	403	2330	1015	2330	0	0	0
मधुबनी	6579	1645	3608	980	420	204	6579	1645	3608	980	420	204
समस्तीपुर	2328	954	908	132	73	2	931	517	28	0	0	0
बेगूसराय	4440	2220	1421	291	146	93	315	158	101	0	0	0
मुंगेर	913	152	871	13	0	4	1036	172	1031	13	0	4
शेखपुरा	429	192	295	139	105	10	2619	746	1968	0	0	0
लखीसराय	971	174	570	1	0	1	861	0	736	0	0	0
जमुई	1650	675	1353	60	24	4	6995	3154	6504	51	25	3
खगड़िया	1112	217	1039	69	32	19	13637	943	9928	0	0	0
भागलपुर	4520	2205	1889	11	0	0	4822	2319	2085	5	0	0
बांका	5440	1310	2990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सहरसा	3588	1592	2647	0	0	0	2860	1538	2017	0	0	0
सुपौल	2112	1054	871	0	0	0	2509	210	2151	0	0	0
मधेपुरा	843	144	755	51	21	8	843	144	755	51	21	8
पूर्णिया	5348	1939	2824	0	0	0	785	193	478	0	0	0
किशनगंज	1192	143	1127	193	45	158	4055	460	3893	0	0	0
अररिया	456	10	456	51	7	9	0	0	0	0	0	0
कटिहार	1680	70	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	127567	56300	91836	8698	3312	2122	99390	31581	73745	2292	615	352

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

तालिका प 5.30 : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का भौतिक एवं वित्तीय अवलोकन (2010-11 और 2012)

2010-11						
जिले	उपलब्ध/ प्रयुक्त धन का विवरण (लाख रु.)			भौतिक उपलब्धियां		
	उपलब्ध	प्रयुक्त	उपयोग दर	वर्ष में गठित समूहों की सं.	वर्ष में गठित महिला समूहों की सं.	महिला समूहों का प्रतिशत
पटना	1585.31	1213.56	76.6	2113	1182	55.9
नालंदा	1300.90	901.62	69.3	586	91	15.5
भोजपुर	1661.53	1441.25	86.7	1615	1132	70.1
बक्सर	649.05	451.18	69.5	566	494	87.3
रोहतास	1040.43	626.77	60.2	691	474	68.6
कैमूर	985.53	480.73	48.8	463	368	79.5
गया	913.59	354.26	38.8	145	120	82.8
जहानाबाद	593.85	140.70	23.7	365	125	34.2
अरवल	216.52	40.80	18.8	163	146	89.6
नवादा	1136.55	865.42	76.1	498	498	100
औरंगाबाद	1060.01	1059.15	99.9	1238	1144	92.4
सारण	1963.50	1293.35	65.9	305	305	100
सीवान	1055.79	381.39	36.1	1606	796	49.6
गोपालगंज	1155.29	704.96	61	274	250	91.2
पश्चिम चंपारण	2217.92	1339.29	60.4	1683	1469	87.3
पूर्व चंपारण	2477.37	802.84	32.4	877	670	76.4
मुजफ्फरपुर	3758.78	2578.78	68.6	1255	5115	407.6
सीतामढ़ी	2980.67	961.12	32.2	533	265	49.7
शिवहर	545.04	477.61	87.6	998	757	75.9
वैशाली	1579.77	1035.56	65.6	1377	2512	182.4
दरभंगा	2025.77	1668.66	82.4	2062	1820	88.3
मधुबनी	4324.76	2764.72	63.9	956	731	76.5
समस्तीपुर	1832.96	828.51	45.2	1793	1351	75.3
बेगूसराय	2755.74	1862.56	67.6	540	370	68.5
मुंगेर	449.36	343.06	76.3	261	235	90
शेखपुरा	329.74	77.72	23.6	172	69	40.1
लखीसराय	840.78	154.83	18.4	90	68	75.6
जमुई	1151.40	603.90	52.4	806	682	84.6
खगड़िया	818.64	224.01	27.4	507	103	20.3
भागलपुर	1802.61	1164.39	64.6	483	282	58.4
बांका	850.14	288.33	33.9	952	897	94.2
सहरसा	1582.96	1035.44	65.4	1914	1471	76.9
सुपौल	3201.67	2007.04	62.7	546	452	82.8
मधेपुरा	1058.67	541.77	51.2	484	231	47.7
पूर्णिया	1154.11	910.38	78.9	1232	735	59.7
किशनगंज	1267.02	352.13	27.8	613	613	100
अररिया	931.94	265.58	28.5	207	197	95.2
कटिहार	1636.53	510.42	31.2	484	356	73.6
बिहार	56892.18	32753.79	57.6	31453	28576	90.9

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (जारी)

तालिका प 5.30 : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का भौतिक एवं वित्तीय अवलोकन (2010-11 और 2011-12) (समाप्त)

2011-12						
जिले	उपलब्ध/ प्रयुक्त धन का विवरण (लाख रु.)			भौतिक उपलब्धियां		
	उपलब्ध	प्रयुक्त	उपयोग दर	वर्ष में गठित समूहों की सं.	वर्ष में गठित महिला समूहों की सं.	महिला समूहों का प्रतिशत
पटना	1111.52	700.88	63.1	614	614	100.0
नालंदा	700.65	521.54	74.4	146	54	37.0
भोजपुर	1060.43	881.45	83.1	488	415	85.0
बक्सर	408.19	389.69	95.5	153	153	100.0
रोहतास	1247.54	641.07	51.4	373	309	82.8
कैमूर	773.32	464.38	60.0	284	187	65.8
गया	558.93	238.12	42.6	64	64	100.0
जहानाबाद	638.97	143.73	22.5	222	145	65.3
अरवल	174.71	77.01	44.1	71	71	100.0
नवादा	1158.73	1068.45	92.2	109	109	100.0
औरंगाबाद	622.62	602.52	96.8	971	799	82.3
सारण	1724.58	1010.56	58.6	180	180	100.0
सीवान	702.80	312.88	44.5	254	164	64.6
गोपालगंज	1279.98	767.43	60.0	75	75	100.0
पश्चिम चंपारण	1291.48	895.38	69.3	287	196	68.3
पूर्व चंपारण	1884.13	679.35	36.1	126	76	60.3
मुजफ्फरपुर	4249.43	1487.36	35.0	284	284	100.0
सीतामढ़ी	2273.27	478.70	21.1	555	300	54.1
शिवहर	398.44	291.74	73.2	262	165	63.0
वैशाली	2153.69	982.05	45.6	178	95	53.4
दरभंगा	1909.61	1602.94	83.9	2090	2010	96.2
मधुबनी	2368.43	1282.17	54.1	409	290	70.9
समस्तीपुर	1799.95	739.36	41.1	275	275	100.0
बेगूसराय	3586.41	1138.41	31.7	598	335	56.0
मुंगेर	318.80	193.84	60.8	112	101	90.2
शेखपुरा	265.87	99.24	37.3	38	27	71.1
लखीसराय	685.95	155.30	22.6	0	0	---
जमुई	796.38	354.45	44.5	111	100	90.1
खगड़िया	501.79	154.06	30.7	317	168	53.0
भागलपुर	1183.28	819.16	69.2	259	116	44.8
बांका	561.81	237.93	42.4	390	390	100.0
सहरसा	728.03	546.36	75.0	639	229	35.8
सुपौल	2897.74	543.01	18.7	247	163	66.0
मधेपुरा	516.90	384.33	74.4	20	10	50.0
पूर्णिया	803.38	703.83	87.6	333	202	60.7
किशनगंज	898.76	273.12	30.4	78	78	100.0
अररिया	666.36	94.62	14.2	282	282	100.0
कटिहार	1194.93	286.67	24.0	123	66	53.7
बिहार	**46097.81**	**22243.10**	**48.3**	**12017**	**9297**	**77.4**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

तालिका प 5.31 : मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति (2010-11 और 2011-12)

जिले	जॉबकार्ड-प्राप्त परिवारों की सं. (लाख)		जॉबकार्ड-प्राप्त परिवारों में अजा परिवारों का प्रतिशत हिस्सा		रोजगार मांगने वाले जॉबकार्ड प्राप्त परिवारों का प्रतिशत	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
पटना	5.59	5.59	46.07	46.07	26.40	11.81
नालंदा	3.98	4.02	50.27	50.10	29.27	10.93
भोजपुर	3.20	3.21	48.63	48.65	56.71	23.35
बक्सर	2.25	2.30	39.88	21.05	35.76	18.68
रोहतास	3.43	3.58	48.52	48.50	43.46	28.20
कैमूर	2.18	2.14	49.31	47.62	22.70	16.80
गया	4.44	4.71	66.54	65.87	40.37	23.34
जहानाबाद	1.24	1.28	45.08	44.85	41.08	30.39
अरवल	0.94	0.97	43.01	42.53	24.40	20.63
नवादा	3.04	3.18	61.89	60.99	33.03	20.44
औरंगाबाद	3.06	3.15	41.61	57.95	38.85	20.32
सारण	4.76	4.76	48.61	48.61	14.36	10.29
सीवान	4.70	4.70	25.77	25.77	12.54	8.72
गोपालगंज	3.40	3.54	30.81	30.55	16.41	9.05
पश्चिम चंपारण	3.66	3.90	39.36	39.05	72.61	56.69
पूर्व चंपारण	5.02	5.57	36.25	18.89	41.49	22.44
मुजफ्फरपुर	6.84	6.94	52.00	52.00	69.30	27.79
सीतामढ़ी	4.46	4.56	41.94	42.11	69.09	63.44
शिवहर	0.84	0.86	37.00	36.64	81.99	36.10
वैशाली	4.88	4.97	51.21	50.79	23.88	12.87
दरभंगा	4.68	4.75	37.90	38.03	27.48	13.47
मधुबनी	6.40	6.66	40.51	40.39	17.18	10.07
समस्तीपुर	5.41	5.46	52.16	52.06	46.53	17.23
बेगूसराय	3.31	3.32	40.77	40.55	39.59	18.70
मुंगेर	1.77	1.81	23.21	22.79	20.30	11.62
शेखपुरा	0.85	0.86	53.02	51.61	25.66	13.96
लखीसराय	1.44	1.45	32.28	32.75	46.43	13.06
जमुई	2.16	2.24	37.93	35.03	31.21	18.73
खगड़िया	2.15	2.22	36.72	36.05	20.08	14.39
भागलपुर	3.75	3.75	20.84	20.84	16.59	12.01
बांका	3.01	3.01	25.81	26.28	40.38	32.18
सहरसा	2.94	2.96	54.18	23.84	57.59	41.15
सुपौल	3.55	3.55	36.12	36.12	30.23	12.40
मधेपुरा	2.72	2.87	49.56	56.76	28.05	19.85
पूर्णिया	4.15	4.31	30.98	30.45	49.99	18.33
किशनगंज	2.48	2.54	12.13	11.54	32.90	10.24
अररिया	3.99	4.16	29.63	29.37	26.01	15.37
कटिहार	3.76	3.94	23.00	23.00	20.32	6.09
बिहार	130.45	133.82	41.25	39.85	35.91	20.03

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (जारी)

तालिका प 5.31 : मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति (2010-11 और 2011-12) (जारी)

जिले	रोजगार-प्राप्त परिवारों में 100 दिन रोजगार-प्राप्त परिवारों का प्रतिशत		सृजित रोजगार (लाख व्यक्ति-दिवस)		कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
पटना	8.14	5.15	66.28	25.28	32.00	33.97
नालंदा	9.46	6.89	45.66	11.65	39.19	37.67
भोजपुर	5.16	2.44	72.10	15.21	28.23	27.63
बक्सर	7.95	3.03	24.98	14.41	30.15	17.38
रोहतास	2.22	5.28	42.23	30.78	10.88	12.94
कैमूर	3.62	1.19	19.78	9.98	24.14	24.27
गया	1.28	0.84	53.66	36.43	35.00	35.00
जहानाबाद	6.39	4.38	22.27	11.05	34.26	35.11
अरवल	3.10	0.83	11.46	9.38	34.64	39.98
नवादा	3.63	3.86	40.31	28.59	29.50	35.14
औरंगाबाद	4.15	5.28	37.20	25.90	30.11	30.08
सारण	3.76	0.00	32.01	14.29	9.47	6.00
सीवान	12.47	3.43	30.13	15.82	19.74	14.51
गोपालगंज	5.67	10.66	26.70	15.97	3.99	7.31
पश्चिम चंपारण	6.63	11.43	48.70	48.02	28.46	18.91
पूर्व चंपारण	9.76	21.26	87.21	96.36	34.12	22.36
मुजफ्फरपुर	8.22	7.77	139.24	70.75	32.00	30.57
सीतामढ़ी	1.75	0.69	68.36	37.70	31.25	34.99
शिवहर	4.10	7.23	23.81	14.17	40.41	37.88
वैशाली	9.36	12.23	46.68	28.39	20.37	19.06
दरभंगा	4.92	3.32	58.87	28.48	34.96	38.12
मधुबनी	0.24	0.38	21.96	12.45	31.11	32.60
समस्तीपुर	6.47	0.88	67.19	22.28	28.47	31.93
बेगूसराय	19.44	13.63	62.94	20.39	35.40	40.76
मुंगेर	5.22	1.22	17.08	6.19	31.77	29.49
शेखपुरा	2.60	3.41	5.76	3.92	37.07	39.87
लखीसराय	0.41	2.31	22.75	8.34	35.72	40.56
जमुई	6.58	4.70	30.05	17.56	39.33	40.60
खगड़िया	1.57	2.14	23.95	11.00	35.00	32.96
भागलपुर	9.61	5.66	36.87	25.50	19.93	20.66
बांका	10.26	4.02	43.24	28.03	27.22	26.57
सहरसा	0.18	0.02	45.14	18.62	33.00	31.84
सुपौल	9.00	1.17	54.35	14.45	33.46	28.72
मधेपुरा	1.95	5.66	25.07	14.31	32.99	33.46
पूर्णिया	0.33	0.61	46.39	22.85	24.85	30.63
किशनगंज	1.34	1.13	25.56	8.88	28.58	27.63
अररिया	3.38	3.37	30.39	19.65	21.50	22.77
कटिहार	2.18	4.68	41.18	23.38	33.00	41.45
बिहार	5.57	5.14	1597.49	866.38	29.59	28.15

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

तालिका प 5.32 : मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति (2010-11 और 2011-12)

जिले	2010-11			2011-12		
	उपलब्ध रकम (लाख रु.)	प्रयुक्त रकम (लाख रु.)	उपयोग का प्रतिशत	उपलब्ध रकम (लाख रु.)	प्रयुक्त रकम (लाख रु.)	उपयोग का प्रतिशत
पटना	12624.41	10751.70	85.2	6490.44	3966.32	61.11
नालंदा	10861.85	9804.52	90.3	1506.84	1450.93	96.29
भोजपुर	10552.14	9124.15	86.5	4463.06	3910.96	87.63
बक्सर	5956.53	4994.13	83.8	2474.77	2292.22	92.62
रोहतास	8648.41	6654.36	76.9	3585.31	2856.72	79.68
कैमूर	3715.95	3189.05	85.8	5472.10	4148.44	75.81
गया	10477.79	9401.40	89.7	2456.32	2070.29	84.28
जहानाबाद	3020.28	2245.49	74.4	14567.47	10999.44	75.51
अरवल	2168.23	1660.15	76.6	6237.19	5686.56	91.17
नवादा	6257.69	5981.08	95.6	4734.51	3545.07	74.88
औरंगाबाद	8840.17	6952.45	78.7	2251.36	1752.12	77.82
सारण	7578.55	6424.45	84.8	2805.60	2435.95	86.82
सीवान	6662.51	5815.65	87.3	945.58	826.42	87.40
गोपालगंज	7298.34	5276.08	72.3	3842.45	3047.56	79.31
पश्चिम चंपारण	9875.95	9095.47	92.1	9584.06	7437.21	77.60
पूर्व चंपारण	16911.55	15509.15	91.7	2123.40	1618.01	76.20
मुजफ्फरपुर	27707.68	25020.80	90.3	7552.51	6754.42	89.43
सीतामढ़ी	10556.72	10323.43	97.8	5523.48	3170.28	57.40
शिवहर	2811.47	2038.42	72.5	3985.84	3495.25	87.69
वैशाली	13275.87	8769.56	66.1	4855.44	3869.54	79.69
दरभंगा	12323.47	9252.77	75.1	6548.69	5850.72	89.34
मधुबनी	3400.10	3082.59	90.7	2551.29	1761.46	69.04
समस्तीपुर	11841.45	6852.03	57.9	4019.53	3155.40	78.50
बेगूसराय	14955.40	11336.50	75.8	7626.20	5190.92	68.07
मुंगेर	4229.63	3448.90	81.5	5735.16	2941.38	51.29
शेखपुरा	1282.32	996.72	77.7	4864.05	3438.18	70.69
लखीसराय	4336.39	3392.01	78.2	6634.03	5719.89	86.22
जमुई	6887.49	4847.47	70.4	1952.79	1549.28	79.34
खगड़िया	5420.75	4131.48	76.2	8694.47	6102.57	70.19
भागलपुर	8584.25	6918.25	80.6	9887.60	8097.54	81.90
बांका	7305.32	6068.97	83.1	6701.92	5015.46	74.84
सहरसा	8155.27	7973.85	97.8	9049.54	14145.09	156.31
सुपौल	9049.25	8282.24	91.5	6250.94	4195.25	67.11
मधेपुरा	5508.42	3935.44	71.4	6596.82	4872.53	73.86
पूर्णिया	8608.33	7588.31	88.2	6603.41	5195.65	78.68
किशनगंज	5224.80	4467.07	85.5	6054.82	5503.97	90.90
अररिया	7035.38	5211.58	74.1	5041.93	3910.15	77.55
कटिहार	9433.48	7449.02	79.0	5381.71	4889.74	90.86
बिहार	319383.60	264266.68	82.7	256645.3	166868.9	65.02

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.33 : इंदिरा आवास योजना का अवलोकन (2010-11)

इंदिरा आवास योजना के घटक	इंदिरा आवास योजना - नई	इंदिरा आवास योजना - उत्क्रमित	इंदिरा आवास योजना ऋण सह अनुदान	योग	योजना में श्रेणियों का प्रतिशत हिस्सा
कुल लक्ष्य	758904	शून्य	शून्य	758904	-
आवास निर्मित	529392	26	शून्य	529418	-
आवास निर्मित (अजा)	249076	16	शून्य	249092	47.0
आवास निर्मित (अजजा)	10791	0	शून्य	10791	2.0
आवास निर्मित (अन्य)	183433	6	शून्य	183439	34.6
आवास निर्मित (अल्पसंख्यक)	86902	4	शून्य	86906	16.4
कुल उपलब्ध धन (लाख रु.)	462630.37	481.59	183.80	463295.76	-
कुल प्रयुक्त धन (लाख रु.)	307187.96	3.06	5.63	307196.65	-
उपयोग का प्रतिशत	66.4	0.6	3.1	66.3	-

इंदिरा आवास योजना का अवलोकन (2011-12)

इंदिरा आवास योजना के घटक	इंदिरा आवास योजना - नई	इंदिरा आवास योजना - उत्क्रमित	इंदिरा आवास योजना ऋण सह अनुदान	योग	योजना में श्रेणियों का प्रतिशत हिस्सा
कुल लक्ष्य	737486	----	----	737486	
आवास निर्मित	450248	----	32	450280	
आवास निर्मित (अजा)	192577	----	----	192577	42.8
आवास निर्मित (अजजा)	7816	----	----	7816	1.7
आवास निर्मित (अन्य)	171851	----	32	171883	38.2
आवास निर्मित (अल्पसंख्यक)	78004	----	----	78004	17.3
कुल उपलब्ध धन (लाख रु.)	513663.64	344.85	85.41	514093.9	
कुल प्रयुक्त धन (लाख रु.)	349397.55	0.00	0.00	349397.6	
उपयोग का प्रतिशत	68.02	0.00	0.00	67.96	

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.34 : इंदिरा आवास योजना के तहत भौतिक लक्ष्य और धनराशि उपयोग संबंधी जिलावार उपलब्धियां

जिले	2010-11				2011-12			
	वार्षिक लक्ष्य (हजार)	निर्मित मकान (हजार)	भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत	धनराशि उपयोग का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य (हजार)	निर्मित मकान (हजार)	भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत	धनराशि उपयोग का प्रतिशत
पटना	12.60	8.45	67.1	58.2	12304	8378	68.09	75.45
नालंदा	8.27	9.81	118.7	78.7	8078	6773	83.85	69.14
भोजपुर	9.60	10.62	110.6	80.0	9377	10250	109.31	89.02
बक्सर	5.85	5.02	85.9	75.0	5709	5533	96.92	87.01
रोहतास	8.79	8.62	98.1	64.2	7964	8363	105.01	70.03
कैमूर	5.60	6.72	119.9	61.2	5474	5280	96.46	67.27
गया	17.91	12.41	69.3	57.9	16231	26812	165.19	78.50
जहानाबाद	3.24	1.47	45.3	61.3	2934	2146	73.14	76.99
अरवल	2.28	1.76	77.1	60.8	2063	1996	96.75	71.46
नवादा	7.40	10.76	145.4	76.4	6710	10540	157.08	75.30
औरंगाबाद	8.59	9.32	108.4	66.0	7788	8990	115.43	59.52
सारण	18.84	16.90	89.7	82.9	18400	15093	82.03	74.44
सीवान	16.99	4.33	25.5	61.5	16601	3172	19.11	70.31
गोपालगंज	21.24	18.77	88.4	53.9	20746	15447	74.46	69.82
पश्चिम चंपारण	42.38	39.86	94.1	73.2	41400	27434	66.27	61.13
पूर्व चंपारण	45.69	44.01	96.3	68.6	44626	33550	75.18	72.46
मुजफ्फरपुर	46.68	43.80	93.8	66.0	45596	34471	75.60	66.99
सीतामढ़ी	31.60	27.79	87.9	75.0	30868	9188	29.77	91.13
शिवहर	10.40	5.97	57.4	92.0	10159	10142	99.83	59.68
वैशाली	25.40	14.25	56.1	59.4	24808	15302	61.68	63.23
दरभंगा	29.58	13.56	45.9	62.7	28894	18380	63.61	88.78
मधुबनी	49.67	37.89	76.3	64.0	48520	27615	56.91	43.78
समस्तीपुर	30.88	24.54	79.4	67.7	30168	10243	33.95	81.00
बेगूसराय	15.74	13.02	82.7	88.8	15379	10694	69.54	59.27
मुंगेर	4.98	3.60	72.3	60.4	4868	5353	109.96	57.24
शेखपुरा	1.68	2.20	130.8	56.1	1642	2679	163.15	77.38
लखीसराय	3.12	2.57	82.6	52.5	3046	3846	126.26	67.66
जमुई	6.22	5.80	93.3	73.5	5634	3938	69.90	60.86
खगड़िया	13.37	5.49	41.0	56.9	13060	3984	30.51	76.35
भागलपुर	12.90	9.49	73.6	65.6	12597	11439	90.81	62.47
बांका	6.31	4.89	77.5	62.0	6162	6713	108.94	63.82
सहरसा	24.25	25.85	106.6	79.1	23691	9091	38.37	68.49
सुपौल	35.26	9.01	25.6	58.4	34440	7302	21.20	64.57
मधेपुरा	28.96	15.83	54.7	82.2	28291	9890	34.96	78.96
पूर्णिया	51.11	5.69	11.1	84.5	49924	19658	39.38	56.70
किशनगंज	18.44	16.01	86.8	56.2	18016	10328	57.33	59.55
अररिया	45.24	19.11	42.2	53.4	44194	12134	27.46	70.32
कटिहार	31.86	14.22	44.6	44.1	31124	18101	58.16	79.27
बिहार	758.90	529.42	69.8	66.3	737486	450248	61.05	68.02

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.35 : बिहार में जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का सामाजिक पृष्ठभूमि आधारित जिलावार वितरण

जिले	दूकानदारों की सं. (जनगणना 2001)	दूकानदारों की सं. (सितंबर 2012)	दूकानदारों का प्रतिशत								योग
			अजा/अजजा	पिछड़ी जाति	अति पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	महिला	महिला/अन्य स्वयं सहायता समूह	हेल्पर समिति/पीएसी/पूर्व-सैनिक समिति	अन्य	
पटना	294	301	11.3	32.2	8.0	3.0	5.6	0.0	12.3	27.6	100.0
नालंदा	667	643	8.7	42.3	10.0	5.4	8.1	0.0	11.4	14.2	100.0
भोजपुर	1931	1949	31.9	28.5	4.0	5.6	5.0	1.2	9.9	13.9	100.0
बक्सर	511	575	19.5	20.9	7.8	4.2	10.1	0.0	13.0	24.5	100.0
रोहतास	758	776	21.1	29.3	8.1	4.1	3.6	0.0	8.5	25.3	100.0
कैमूर	2047	2207	21.4	27.2	8.5	0.0	2.4	0.5	9.4	30.6	100.0
गया	1096	1251	17.6	26.0	7.2	5.6	5.8	0.2	8.8	28.8	100.0
जहानाबाद	1161	1254	13.3	25.4	2.8	5.1	8.0	0.1	16.1	29.2	100.0
अरवल	1324	1200	15.5	35.8	4.1	4.2	9.7	1.9	14.6	14.3	100.0
नवादा	1260	1075	32.4	28.3	6.0	4.0	0.0	0.0	4.8	24.5	100.0
औरंगाबाद	1247	1353	13.5	36.2	3.7	3.8	7.4	3.6	5.4	26.3	100.0
सारण	859	845	14.7	42.0	6.5	8.5	7.6	2.4	5.3	13.0	100.0
सीवान	1387	1153	20.3	31.3	9.5	10.9	8.8	2.2	6.2	10.8	100.0
गोपालगंज	1774	2524	11.1	25.6	4.2	2.4	13.1	0.0	9.7	34.0	100.0
पश्चिम चंपारण	1306	1149	19.3	28.5	5.7	19.3	5.0	0.0	12.4	9.8	100.0
पूर्व चंपारण	983	965	15.2	28.4	4.5	4.7	11.0	1.1	13.5	21.7	100.0
मुजफ्फरपुर	1813	1418	20.7	34.0	3.0	1.5	4.7	0.3	16.8	19.2	100.0
सीतामढ़ी	818	622	14.1	40.4	5.9	4.5	5.5	0.2	20.1	9.3	100.0
शिवहर	930	758	10.9	33.0	17.0	8.6	4.1	0.0	14.4	12.0	100.0
वैशाली	1164	881	11.4	28.3	12.8	19.9	13.2	0.0	7.7	6.8	100.0
दरभंगा	310	325	20.0	36.0	0.0	4.6	6.2	0.3	19.7	13.2	100.0
मधुबनी	1792	1362	11.5	30.2	5.0	11.2	8.1	0.5	7.7	25.8	100.0
समस्तीपुर	1372	1482	17.1	33.9	7.6	9.6	7.1	0.0	13.0	11.7	100.0
बेगूसराय	1360	1045	23.8	0.0	0.0	5.0	2.7	0.0	14.1	54.4	100.0
मुंगेर	1908	1646	19.6	29.3	6.2	7.8	5.0	1.6	12.5	18.0	100.0
शेखपुरा	821	733	17.2	32.6	6.7	9.0	3.8	1.5	15.4	13.8	100.0
लखीसराय	276	315	12.1	27.9	1.3	4.4	5.1	0.6	13.7	34.9	100.0
जमुई	1461	1616	12.9	31.1	6.3	8.5	5.8	0.3	6.6	28.4	100.0
खगड़िया	1668	2047	20.8	28.3	8.0	11.7	6.3	0.0	10.1	14.9	100.0
भागलपुर	687	645	23.3	27.1	15.3	7.1	7.0	0.0	4.2	16.0	100.0
बांका	766	822	19.2	19.3	5.8	2.7	5.0	0.0	16.5	31.4	100.0
सहरसा	691	673	18.3	40.6	11.7	4.2	4.5	4.3	7.9	8.6	100.0
सुपौल	710	740	14.7	15.9	6.8	36.1	15.4	0.3	8.5	2.3	100.0
मधेपुरा	1471	1487	17.1	38.9	3.4	1.5	5.4	0.0	11.2	22.4	100.0
पूर्णिया	447	435	15.6	22.3	12.0	0.0	3.0	0.0	12.0	35.2	100.0
किशनगंज	1445	1107	13.2	35.7	7.2	6.4	5.6	0.0	12.0	19.9	100.0
अररिया	2904	2667	17.9	40.4	5.1	2.7	10.8	0.9	6.5	15.7	100.0
कटिहार	2128	2437	17.1	30.9	6.9	6.5	3.4	0.7	10.2	24.3	100.0
बिहार	**45547**	**44483**	17.7	30.3	6.3	6.6	6.7	0.7	10.5	21.2	100.0

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.36 : बीपीएल परिवारों के लिए चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2011-12)

जिले	गेहूं			चावल		
	आबंटन (हजार क्विंटल)	उठाव (हजार क्विंटल)	उठाव का प्रतिशत	आबंटन (हजार क्विंटल)	उठाव (हजार क्विंटल)	उठाव का प्रतिशत
पटना	188.94	135.93	71.9	354.58	302.51	85.3
नालंदा	153.72	96.37	62.7	287.71	239.05	83.1
भोजपुर	291.84	298.11	102.2	545.39	439.60	80.6
बक्सर	63.87	56.99	89.2	118.83	98.17	82.6
रोहतास	261.64	156.97	60.0	488.66	308.97	63.2
कैमूर	386.87	223.23	57.7	723.20	452.06	62.5
गया	131.28	104.24	79.4	243.39	185.68	76.3
जहानाबाद	173.37	102.66	59.2	324.05	194.84	60.1
अरवल	228.54	158.46	69.3	426.48	368.57	86.4
नवादा	221.33	168.04	75.9	414.90	285.34	68.8
औरंगाबाद	202.83	108.29	53.4	377.31	256.47	68.0
सारण	104.31	60.65	58.1	195.09	110.33	56.6
सीवान	222.72	175.85	79.0	408.27	291.27	71.3
गोपालगंज	259.41	238.45	91.9	481.51	428.40	89.0
पश्चिम चंपारण	141.80	60.89	42.9	266.51	139.09	52.2
पूर्व चंपारण	172.09	106.46	61.9	321.78	272.31	84.6
मुजफ्फरपुर	293.20	202.10	68.9	544.81	362.73	66.6
सीतामढ़ी	45.75	23.54	51.4	85.79	53.61	62.5
शिवहर	61.46	55.63	90.5	113.91	111.39	97.8
वैशाली	221.67	124.90	56.3	412.92	228.60	55.4
दरभंगा	51.27	43.13	84.1	95.16	80.04	84.1
मधुबनी	290.85	231.02	79.4	544.62	287.50	52.8
समस्तीपुर	238.66	203.26	85.2	447.92	349.16	78.0
बेगूसराय	206.68	176.78	85.5	388.40	349.73	90.0
मुंगेर	464.15	105.13	22.7	868.46	159.30	18.3
शेखपुरा	143.14	139.87	97.7	267.99	269.63	100.6
लखीसराय	321.49	200.07	62.2	600.56	489.17	81.5
जमुई	199.65	147.68	74.0	374.38	328.78	87.8
खगड़िया	322.04	196.75	61.1	603.01	282.26	46.8
भागलपुर	140.92	120.60	85.6	272.91	218.87	80.2
बांका	118.00	79.16	67.1	219.95	183.39	83.4
सहरसा	185.53	91.67	49.4	346.79	215.48	62.1
सुपौल	131.21	93.10	71.0	245.94	211.78	86.1
मधेपुरा	441.00	242.53	55.0	826.94	555.27	67.1
पूर्णिया	277.30	189.56	68.4	521.87	331.47	63.5
किशनगंज	62.38	30.37	48.7	116.51	63.18	54.2
अररिया	370.23	292.73	79.1	685.75	576.98	84.1
कटिहार	339.06	294.41	86.8	635.33	550.48	86.6
बिहार	8130.21	5535.56	68.1	15197.57	10631.45	70.0

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.37 : अंत्योदय परिवारों के लिए चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2011-12)

जिले	गेहूं			चावल		
	आबंटन (हजार क्विंटल)	उठाव (हजार क्विंटल)	उठाव का प्रतिशत	आबंटन (हजार क्विंटल)	उठाव (हजार क्विंटल)	उठाव का प्रतिशत
पटना	68.33	79.38	116.2	102.50	108.50	105.9
नालंदा	65.65	65.65	100.0	98.47	98.47	100.0
भोजपुर	151.39	147.03	97.1	227.08	225.87	99.5
बक्सर	40.02	40.01	100.0	60.03	60.03	100.0
रोहतास	125.21	102.03	81.5	187.82	144.99	77.2
कैमूर	236.06	233.57	98.9	354.09	340.69	96.2
गया	78.44	78.54	100.1	117.66	114.91	97.7
जहानाबाद	107.40	99.61	92.7	161.10	152.56	94.7
अरवल	143.84	141.17	98.1	215.76	200.53	92.9
नवादा	88.64	73.52	82.9	132.96	112.42	84.6
औरंगाबाद	110.52	115.26	104.3	165.78	153.50	92.6
सारण	65.80	46.78	71.1	98.70	71.29	72.2
सीवान	124.99	120.03	96.0	187.49	156.03	83.2
गोपालगंज	170.31	170.06	99.9	255.47	255.00	99.8
पश्चिम चंपारण	59.28	51.67	87.2	88.92	72.29	81.3
पूर्व चंपारण	92.11	91.71	99.6	138.16	136.34	98.7
मुजफ्फरपुर	178.37	153.88	86.3	267.56	235.33	88.0
सीतामढ़ी	20.09	20.14	100.2	30.13	29.02	96.3
शिवहर	26.75	25.76	96.3	40.12	39.73	99.0
वैशाली	93.84	87.44	93.2	140.75	101.64	72.2
दरभंगा	30.50	30.50	100.0	45.76	45.75	100.0
मधुबनी	155.21	141.88	91.4	232.82	220.52	94.7
समस्तीपुर	90.85	90.81	100.0	136.28	131.62	96.6
बेगूसराय	88.19	88.19	100.0	132.28	132.28	100.0
मुंगेर	258.70	218.07	84.3	388.05	325.59	83.9
शेखपुरा	81.52	70.31	86.2	122.28	107.25	87.7
लखीसराय	199.66	190.66	95.5	299.50	268.08	89.5
जमुई	90.44	84.56	93.5	135.65	126.50	93.3
खगड़िया	127.81	117.62	92.0	191.71	165.77	86.5
भागलपुर	72.20	72.21	100.0	108.31	108.31	100.0
बांका	51.15	51.15	100.0	76.72	76.72	100.0
सहरसा	109.38	110.46	101.0	164.06	171.35	104.4
सुपौल	81.29	77.72	95.6	121.93	114.04	93.5
मधेपुरा	236.47	202.19	85.5	354.71	275.23	77.6
पूर्णिया	110.15	94.80	86.1	165.22	138.36	83.7
किशनगंज	23.53	28.01	119.0	35.30	29.07	82.3
अररिया	205.44	202.46	98.5	308.16	276.58	89.8
कटिहार	142.15	142.15	100.0	213.22	213.22	100.0
बिहार	4201.68	3956.98	94.2	6302.52	5735.40	91.0

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.38 : अन्नपूर्णा परिवारों के लिए चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2011-12)

जिले	गेहूं			चावल		
	आबंटन (हजार क्विंटल)	उठाव (हजार क्विंटल)	उठाव का प्रतिशत	आबंटन (हजार क्विंटल)	उठाव (हजार क्विंटल)	उठाव का प्रतिशत
पटना	9.64	11.45	118.7	6.43	5.89	91.7
नालंदा	1.91	0.77	40.4	1.27	0.51	40.4
भोजपुर	2.69	0.67	25.0	1.79	0.60	33.3
बक्सर	2.58	0.64	25.0	1.72	0.43	25.0
रोहतास	2.34	0.78	33.3	1.56	0.52	33.3
कैमूर	1.77	1.45	82.1	1.18	0.97	82.1
गया	3.96	1.60	40.4	2.64	1.07	40.4
जहानाबाद	1.09	0.81	75.0	0.72	0.54	75.0
अरवल	1.31	0.98	75.0	0.87	0.65	75.0
नवादा	2.66	1.99	75.0	1.77	1.28	72.6
औरंगाबाद	1.77	0.42	23.8	1.18	0.28	23.7
सारण	4.13	0.64	15.4	2.76	0.42	15.4
सीवान	0.00	0.00	--	0.00	0.00	--
गोपालगंज	1.91	1.49	77.9	1.28	0.94	73.7
पश्चिम चंपारण	3.69	2.15	58.3	2.46	1.43	58.3
पूर्व चंपारण	6.25	4.17	66.7	4.17	2.78	66.7
मुजफ्फरपुर	3.77	1.10	29.3	2.51	0.70	27.9
सीतामढ़ी	2.22	0.53	23.7	1.48	0.35	23.8
शिवहर	0.58	0.14	23.8	0.39	0.09	23.8
वैशाली	2.97	1.75	58.9	1.98	0.97	49.2
दरभंगा	4.78	4.72	98.8	3.19	2.23	69.8
मधुबनी	5.94	4.38	73.8	3.96	2.92	73.7
समस्तीपुर	4.25	7.80	183.3	2.84	5.20	183.3
बेगूसराय	4.33	2.88	66.7	2.88	1.92	66.7
मुंगेर	1.86	0.00	0.0	1.24	0.10	8.1
शेखपुरा	0.53	0.09	16.7	0.36	0.06	16.7
लखीसराय	1.88	0.28	14.7	1.25	0.18	14.7
जमुई	1.39	0.58	41.7	0.93	0.39	41.7
खगड़िया	2.29	1.15	50.0	1.53	0.76	50.0
भागलपुर	1.74	0.44	25.0	1.16	0.29	25.0
बांका	2.98	0.75	25.0	1.99	0.50	25.0
सहरसा	2.83	2.08	73.7	1.88	1.39	73.7
सुपौल	2.39	0.72	30.0	1.59	0.48	30.0
मधेपुरा	2.08	0.00	0.0	1.39	0.00	0.0
पूर्णिया	3.24	2.16	66.7	2.16	1.44	66.7
किशनगंज	1.61	0.54	33.3	1.07	0.36	33.3
अररिया	2.61	0.22	8.3	1.74	0.14	8.3
कटिहार	2.23	0.37	16.7	1.49	0.25	16.7
बिहार	106.20	62.69	59.0	70.80	39.05	55.2

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.39 : बीपीएल, अंत्योदय और अन्नपूर्णा के तहत चावल और गेहूं के लिए जिलावार उठाव प्रतिशत

जिले	गेहूं						चावल					
	बीपीएल		अंत्योदय		अन्नपूर्णा		बीपीएल		अंत्योदय		अन्नपूर्णा	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
पटना	86.4	71.9	96.5	116.2	66.2	118.7	85.9	85.3	128.3	105.9	67.9	91.7
नालंदा	60.7	62.7	78.5	100.0	40.5	40.4	67.5	83.1	79.9	100.0	38.9	40.4
भोजपुर	54.8	102.2	81.3	97.1	38.9	25.0	57.7	80.6	84.0	99.5	40.0	33.3
बक्सर	55.5	89.2	97.9	100.0	46.8	25.0	55.3	82.6	92.5	100.0	47.1	25.0
रोहतास	72.6	60.0	95.6	81.5	78.5	33.3	79.6	63.2	94.9	77.2	73.2	33.3
कैमूर	66.6	57.7	100.1	98.9	121.5	82.1	71.3	62.5	96.0	96.2	122.1	82.1
गया	64.3	79.4	91.8	100.1	75.3	40.4	65.7	76.3	91.7	97.7	71.3	40.4
जहानाबाद	86.9	59.2	104.9	92.7	79.4	75.0	86.6	60.1	103.9	94.7	79.4	75.0
अरवल	45.4	69.3	59.9	98.1	97.4	75.0	43.0	86.4	61.1	92.9	88.4	75.0
नवादा	82.6	75.9	94.3	82.9	54.2	75.0	85.9	68.8	93.3	84.6	57.3	72.6
औरंगाबाद	89.4	53.4	90.5	104.3	273.8	23.8	89.3	68.0	88.0	92.6	273.4	23.7
सारण	52.8	58.1	81.3	71.1	7.4	15.4	50.7	56.6	81.0	72.2	7.5	15.4
सीवान	70.3	79.0	96.8	96.0	--	--	75.4	71.3	96.8	83.2	-	--
गोपालगंज	49.5	91.9	74.2	99.9	15.1	77.9	49.7	89.0	74.9	99.8	15.1	73.7
पश्चिम चंपारण	59.9	42.9	64.9	87.2	0.0	58.3	59.0	52.2	64.0	81.3	0.0	58.3
पूर्व चंपारण	65.1	61.9	88.6	99.6	139.6	66.7	60.2	84.6	89.8	98.7	143.6	66.7
मुजफ्फरपुर	75.1	68.9	80.1	86.3	45.0	29.3	74.2	66.6	80.0	88.0	44.7	27.9
सीतामढ़ी	49.8	51.4	71.6	100.2	75.7	23.7	50.6	62.5	69.8	96.3	69.7	23.8
शिवहर	40.4	90.5	54.3	96.3	0.2	23.8	39.7	97.8	54.8	99.0	0.2	23.8
वैशाली	75.7	56.3	97.2	93.2	66.6	58.9	72.8	55.4	96.2	72.2	68.1	49.2
दरभंगा	44.6	84.1	95.4	100.0	50.7	98.8	32.1	84.1	90.4	100.0	51.2	69.8
मधुबनी	21.4	79.4	52.0	91.4	33.7	73.8	14.0	52.8	50.7	94.7	31.7	73.7
समस्तीपुर	77.8	85.2	96.1	100.0	99.8	183.3	79.7	78.0	92.8	96.6	115.8	183.3
बेगूसराय	85.1	85.5	88.7	100.0	5.2	66.7	87.3	90.0	88.3	100.0	5.2	66.7
मुंगेर	52.7	22.7	79.6	84.3	14.0	0.0	54.3	18.3	79.1	83.9	16.0	8.1
शेखपुरा	53.1	97.7	92.2	86.2	29.3	16.7	46.3	100.6	98.5	87.7	22.2	16.7
लखीसराय	55.1	62.2	72.3	95.5	22.5	14.7	57.7	81.5	79.5	89.5	22.5	14.7
जमुई	35.3	74.0	82.8	93.5	88.8	41.7	32.3	87.8	82.3	93.3	108.5	41.7
खगड़िया	89.1	61.1	95.6	92.0	21.9	50.0	89.5	46.8	96.0	86.5	20.6	50.0
भागलपुर	29.5	85.6	65.6	100.0	43.7	25.0	24.9	80.2	64.0	100.0	43.7	25.0
बांका	43.5	67.1	61.6	100.0	106.4	25.0	41.1	83.4	58.3	100.0	109.0	25.0
सहरसा	68.6	49.4	86.5	101.0	73.0	73.7	81.6	62.1	90.6	104.4	75.6	73.7
सुपौल	62.0	71.0	86.0	95.6	55.2	30.0	59.5	86.1	81.0	93.5	56.3	30.0
मधेपुरा	79.0	55.0	89.6	85.5	43.0	0.0	77.8	67.1	89.2	77.6	44.0	0.0
पूर्णिया	60.6	68.4	91.5	86.1	101.5	66.7	59.9	63.5	84.2	83.7	101.3	66.7
किशनगंज	42.2	48.7	52.8	119.0	13.4	33.3	43.3	54.2	52.3	82.3	13.6	33.3
अररिया	44.5	79.1	72.7	98.5	57.2	8.3	43.8	84.1	72.9	89.8	59.0	8.3
कटिहार	68.8	86.8	74.2	100.0	43.2	16.7	68.6	86.6	73.9	100.0	44.0	16.7
बिहार	61.0	68.1	82.1	94.2	61.3	59.0	60.5	70.0	82.8	91.0	62.4	55.2

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.40 : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण का जिलास्तरीय अवलोकन

जिले	अजा एवं अजजा वजीफे				अजा बालिकाओं को पोशाकें			
	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)		उपलब्धि (भौतिक)		वित्तीय आबंटन (लाख रु.)		उपलब्धि (भौतिक)	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
पटना	1200.16	5038.94	141290	148821	308.81	380.25	629	745
नालंदा	749.77	2386.68	142009	162584	198.90	195.12	488	489
भोजपुर	294.09	1075.76	58608	98212	236.37	259.39	496	517
बक्सर	360.42	1088.40	57326	93772	100.47	130.35	235	243
रोहतास	584.22	2131.95	74381	167324	176.56	239.17	492	518
कैमूर	551.62	1712.12	78189	122086	180.35	252.49	388	421
गया	1247.17	4244.00	154416	210299	541.42	901.35	1729	1957
जहानाबाद	221.38	763.94	49567	50170	8.87	24.88	40	106
अरवल	112.38	385.08	25406	36261	8.87	24.31	0	0
नवादा	416.85	1538.65	83604	197409	116.51	193.78	388	496
औरंगाबाद	482.42	1829.19	153894	120996	8.87	24.31	40	97
सारण	663.91	2527.80	102779	185526	89.35	119.09	248	274
सीवान	522.33	1706.55	49336	103668	8.87	24.31	40	105
गोपालगंज	325.41	1008.07	66775	73981	90.79	115.26	248	272
पश्चिम चंपारण	680.25	2448.51	131544	259830	140.85	188.02	484	524
पूर्व चंपारण	382.20	1883.15	95918	132933	67.29	111.41	248	290
मुजफ्फरपुर	817.57	2015.51	154478	144025	244.00	307.89	695	776
सीतामढ़ी	257.81	869.90	62864	77870	100.37	84.23	247	275
शिवहर	73.83	259.35	25320	22170	8.87	17.78	0	0
वैशाली	465.41	1898.70	109142	201483	117.38	117.26	246	270
दरभंगा	576.57	1656.67	112254	93516	8.87	24.31	40	99
मधुबनी	498.04	1806.30	121628	132126	264.38	325.22	758	833
समस्तीपुर	466.42	1981.91	96564	130677	94.81	126.61	286	374
बेगूसराय	288.01	947.75	29141	72879	93.11	115.42	248	267
मुंगेर	194.53	754.10	36471	63536	89.23	108.70	248	269
शेखपुरा	128.37	347.45	19323	20581	8.87	24.31	40	95
लखीसराय	138.14	430.91	36759	30771	8.87	25.61	34	69
जमुई	323.94	957.11	26855	66601	8.87	23.47	40	76
खगड़िया	168.20	673.93	33263	52102	88.62	107.20	247	269
भागलपुर	472.39	1186.25	110195	110704	127.91	126.93	330	369
बांका	169.23	996.85	33415	64034	8.87	20.43	31	81
सहरसा	185.59	844.09	50101	62848	88.16	107.48	253	281
सुपौल	214.36	689.93	68106	61046	8.87	24.31	40	102
मधेपुरा	267.58	1169.48	71742	78580	8.87	24.31	40	70
पूर्णिया	438.23	1401.37	145760	58647	96.55	125.03	248	289
किशनगंज	90.04	353.82	28783	34236	72.38	100.16	261	276
अररिया	142.19	665.22	44338	52462	80.93	99.77	248	273
कटिहार	282.41	1109.78	96313	77503	82.33	103.55	249	261
बिहार	15453.44	54785.17	2977857	3872269	3994.27	5323.47	11022	12728

स्रोत : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार (जारी)

तालिका प 5.40 : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण का जिलास्तरीय अवलोकन (जारी)

जिले	आवासीय विद्यालयों का रखरखाव (अजा)			
	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)		उपलब्धि (भौतिक)	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
पटना	40.64	56.68	670	670
नालंदा	8.12	9.28	50	50
भोजपुर	10.99	12.35	225	375
बक्सर	5.29	6.38	50	50
रोहतास	13.60	17.27	0	0
कैमूर	18.54	14.38	175	175
गया	7.29	7.33	543	543
जहानाबाद	8.21	8.12	0	106
अरवल	0.00	0.00	0	0
नवादा	12.51	13.45	0	0
औरंगाबाद	3.46	5.93	60	60
सारण	9.38	10.63	156	156
सीवान	14.06	13.64	150	150
गोपालगंज	11.64	15.83	77	211
पश्चिम चंपारण	8.30	9.21	163	163
पूर्व चंपारण	16.06	19.88	100	100
मुजफ्फरपुर	13.04	23.28	317	317
सीतामढ़ी	13.45	14.78	190	190
शिवहर	0.37	0.36	0	0
वैशाली	5.73	5.09	0	0
दरभंगा	20.50	22.62	318	318
मधुबनी	11.35	2.05	50	50
समस्तीपुर	7.94	10.81	104	104
बेगूसराय	0.37	0.37	105	105
मुंगेर	8.08	11.12	100	100
शेखपुरा	0.37	0.36	25	25
लखीसराय	2.61	3.02	0	0
जमुई	0.82	0.81	75	50
खगड़िया	10.91	11.02	0	0
भागलपुर	14.31	24.74	211	211
बांका	9.89	11.24	0	50
सहरसा	3.56	7.45	75	75
सुपौल	8.11	2.44	25	25
मधेपुरा	4.05	5.25	50	75
पूर्णिया	11.53	9.82	407	407
किशनगंज	1.91	3.68	15	15
अररिया	5.43	5.58	43	55
कटिहार	10.90	12.25	100	100
बिहार	353.32	408.50	4629	5081

स्रोत : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

तालिका प 5.41 : पंचायती राज संस्थाओं की वित्तोय प्रगति का अवलोकन

(लाख रु.)

योजना का नाम	2010-11			2011-12		
	परिव्यय	व्यय	व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	व्यय का प्रतिशत
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत समेकित अनुदान	88391.0	84293.0	95.3	44956.0	44956.0	100.0
सीवान के लिए क्षमता निर्माण और समेकित विकास अनुदान (राज्य निधि से)	1500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत क्षमता निर्माण	3468.0	2024.7	58.4	1654.0	1654.0	100.0
पंचायती राज संस्थाओं/ ग्राम कचहरी सदस्यों का प्रशिक्षण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जापान मानव संसाधन विकास नीति	1047.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पंचायती राज संस्था/ ग्राम कचहरी सदस्यों को भत्त	4000.0	961.9	24.1	9198.0	9198.0	100.0
ग्राम पंचायतों का सुदृढ़ीकरण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ग्राम कचहरियों का सुदृढ़ीकरण	423.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पंचायतों के कार्यों और उपलब्धियों के प्रति जागरूकता वृद्धि	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कार्यबल का स्थापना व्यय	4.0	0.4	8.8	4.6	0.0	0.0
ग्राम कचहरी भवनों का किराया	273.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
योग	99106.0	87279.9	88.1	55812.6	55808.0	99.9
मुख्यालय का स्थापना व्यय	309.6	297.0	95.9	343.0	299.0	87.2
जिला परिषद का स्थापना व्यय	13378.9	11432.3	85.4	16112.0	14728.0	91.4
प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना व्यय	185.8	145.2	78.2	218.0	194.0	88.9
कर्मचारियों के वेतन हेतु जिला परिषद को अनुदान	1000.0	586.4	58.6	0.0	0.0	0.0
न्यायमित्रों और ग्राम कचहरी सचिवों को अनुदान	4570.0	2069.2	45.3	4570.0	3497.0	76.5
जिला परिषद को अनुरूपयोजी (मैचिंग) अनुदान	1236.5	950.8	76.9	0.0	0.0	0.0
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	-	-	-	58850.0	58016.0	98.6
13वें वित्त आयोग का अनुदान	-	-	-	94463.0	81058.0	85.8
ग्रामीण सड़कों/ भवनों का रखरखाव	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
योग	20780.8	15481.0	74.5	174656.0	157792.0	90.3
चुनाव कार्यालय का स्थापना व्यय	163.3	159.2	97.5	166.0	163.0	98.2
जिला परिषद/ पंचायत समिति और ग्राम पंचायत चुनाव पर व्यय	6824.0	6550.0	95.9	14145.0	6910.0	48.9
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	122.1	91.3	74.8	139.0	126.0	90.6

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.42 : राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा और नि:शक्तता पेंशन योजनाओं के लाभान्वितों की जिलावार संख्या (2011-12)

जिला का नाम	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
पटना	183221	7821	330	3550
नालंदा	111529	8944	709	1476
भोजपुर	84823	5836	928	0
बक्सर	76664	4451	54	0
रोहतास	102327	7605	1465	2047
कैमूर	43459	1971	187	645
गया	115882	6850	288	908
जहानाबाद	42258	5218	97	1042
अरवल	26424	1872	48	122
नवादा	58156	10231	2098	797
औरंगाबाद	89571	3220	153	880
सारण	125489	4857	208	797
सीवान	115619	11909	139	1526
गोपालगंज	63522	12721	260	1280
पश्चिम चंपारण	93641	9766	959	1780
पूर्व चंपारण	120678	15938	1265	1977
मुजफ्फरपुर	271723	24534	1346	1983
सीतामढ़ी	116877	21998	648	1349
शिवहर	25174	3989	303	605
वैशाली	149758	9851	432	859
दरभंगा	139901	20505	2109	0
मधुबनी	214964	23446	723	1269
समस्तीपुर	132530	19917	630	1773
बेगूसराय	97872	8723	229	672
मुंगेर	44903	5820	191	560
शेखपुरा	37532	2106	118	0
लखीसराय	39253	1970	338	0
जमुई	47551	1081	37	217
खगड़िया	58925	11252	51	620
भागलपुर	108397	11699	1213	1100
बांका	71482	6640	61	680
सहरसा	64490	5672	62	642
सुपौल	77620	9072	90	1079
मधेपुरा	43455	4588	137	634
पूर्णिया	108536	13349	1109	805
किशनगंज	66228	8471	237	830
अररिया	82569	14532	281	1113
कटिहार	72106	11817	539	1187
योग	3525109	360242	20072	36804

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.43 : राजकीय वृद्धावस्था, विधवा और नि:शक्तता पेंशन योजनाओं के लाभान्वितों की जिलावार संख्या (2011-12)

जिला का नाम	लक्ष्मीबाई पेंशन योजना	बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना	कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना	मुख्यमंत्री समर्थ योजना	नि:शक्तता छात्रवृत्ति योजना	मुख्यमंत्री नि:शक्तता ऋण योजना	नि:शक्त सर्वेक्षण	प्रमाणीकरण
पटना	39866	4854	18352	7494	1422	280	0	27713	13811
नालंदा	31288	1445	14131	4327	363	626	8	31650	30983
भोजपुर	21922	912	11820	0	0	0	0	0	11719
बक्सर	8036	894	7532	0	0	0	0	0	21272
रोहतास	13186	409	11547	13252	82	0	9	33719	11895
कैमूर	5299	1368	4283	4480	465	519	0	9575	12745
गया	18806	4253	11308	3327	263	476	4	92211	5389
जहानाबाद	7870	2332	10215	3929	140	621	9	11041	11041
अरवल	4213	575	2124	4624	184	32	0	3671	27312
नवादा	13893	3593	10706	2356	231	130	0	21884	17609
औरंगाबाद	10365	1509	7143	3002	168	392	1	27312	27170
सारण	21782	9615	14193	0	272	648	20	36755	5783
सीवान	23068	0	14337	2638	0	1044	0	24643	17690
गोपालगंज	11323	216	11080	7827	0	0	0	25027	23430
पश्चिम चंपारण	19583	3487	8766	0	546	0	28	26112	3671
पूर्व चंपारण	24073	1074	10635	22055	8760	1280	0	30095	14556
मुजफ्फरपुर	24795	2411	9203	0	339	287	1	30255	30255
सीतामढ़ी	12104	4217	13998	0	185	574	11	19666	37514
शिवहर	4223	181	2814	0	0	0	0	6176	19278
वैशाली	15405	3835	8654	7845	203	306	6	18577	16406
दरभंगा	17984	4304	10596	0	0	0	0	0	28243
मधुबनी	8110	4632	5159	7237	293	106	0	18662	20000
समस्तीपुर	20560	946	19309	5806	0	1474	4	24388	21834
बेगूसराय	11689	1105	6411	8407	246	84	14	16695	9575
मुंगेर	5992	571	7454	0	0	35	3	9493	2791
शेखपुरा	6203	520	3354	704	0	37	0	5783	1336
लखीसराय	5725	5738	3962	0	0	0	0	0	1326
जमुई	5853	3212	2588	852	464	33	0	12745	24627
खगड़िया	5269	1755	6126	839	360	421	0	25273	25273
भागलपुर	15219	1585	15636	9581	198	1436	5	38308	32621
बांका	5934	1464	5328	3938	183	26	0	17441	17441
सहरसा	10108	7392	4342	1595	145	237	12	12474	12474
सुपौल	7700	15	7092	1897	313	68	4	17690	11579
मधेपुरा	3205	693	2205	2358	116	536	0	12228	12228
पूर्णिया	17428	2552	8414	2419	0	0	2	26195	26195
किशनगंज	7722	31	4488	1691	196	675	0	10209	12667
अररिया	14617	273	7363	3742	492	1728	0	26788	27640
कटिहार	10294	81	6657	3238	35&	1384	358	13167	13167
योग	510712	84049	329325	141460	16987	15495	499	763621	660546

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

अध्याय 6

बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र

वर्ष 2011-12 की खास बात विकास का धीमापन, उच्च मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय तथा वैश्विक, दोनों अर्थव्यवस्था की ह्रासमान वृहदार्थिक परिस्थिति थी। इन सबके शेष प्रभावों ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र के सामने भी गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कीं लेकिन कुछ कठिनाइयों के बाद ही सही, वह उन्हें झेल जाने में सक्षम रहा। वित्तोय क्षेत्र में आए विभिन्न संकटों के कारण बैंकिंग विनियमों और वित्तोय प्रतिवेदन मानकों के वैश्विक कनवर्जेंस की दिशा में कार्यवाही की भी शुरुआत हुई। इस कार्यवाही के अन्य आयाम सूचना प्रौद्योगिकी की प्रभाव क्षमता के जरिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन, वित्तोय समावेश के जरिए प्रभावी वित्तोय मध्यस्थता, प्रभावी नियामक ढांचे के तहत सूक्ष्मवित्त को बढ़ावा और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार थे। चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था वित्तोय झंझावात के अंतर्गत हिचकोले खा रही थी इसलिए भारत समेत हर जगह बैंकिंग स्टॉक मुंह के बल गिर पड़े और इससे कुल मिलाकर बैंकिंग उद्योग की कमजोरी और अपर्याप्तता ही उजागर हुई।

भारत के वित्तोय क्षेत्र में हमेशा से अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का वर्चस्व रहा है और बिहार जैसे राज्य में पूंजी बाजार की लगभग अनुपस्थिति में वित्तोय क्षेत्र लगभग पूरी तरह अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा वाहित है। इसीलिए राष्टोय-अंतर्राष्टोय बैंकिंग परिदृश्य में किसी भी प्रतिकूल विकास से बिहार में वित्तोय क्षेत्र पर दुष्प्रभाव पड़ने की आंशका बनी रहती है। वर्ष 2011-12 में मुद्रास्फीति नीति निर्माताओं और आम आदमी के लिए बेलगाम और सबसे बड़ी परेशानी बनी रही। फलत: भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति में सख्ती लानी पड़ी और ब्याज दर को ऊंचे स्तर पर बनाए रखना पड़ा - मार्च 2010 से अक्तूबर 2011 के बीच मूल ऋणप्रदान दर (प्राइम लंडिंग रेट) 13 बार बढ़ाई गई और आरक्षित नगद राशि अनुपात (कैश रिजर्व रेशियो) को पूर्व के 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए दो बार वृद्धि करनी पड़ी। इसके कारण उद्योग और सरकार, दोनों के अंदर व्यापक असंतोष पैदा हुआ और दोनों ने अर्थव्यवस्था के लगातार धीमे विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सख्त मौद्रिक नीति को जवाबदेह ठहराया। भारतीय रिजर्व बैंक की 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट में लिखा गया कि ''2009-10 और 2010-11 में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बाद विकास दर 2011-12 में गिरकर 6.5 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही की विकास दर 5.3 प्रतिशत थी जो 29 तिमाहियों के बीच सबसे कम थी। प्रारंभिक संकेत से लगता है कि गतिरुद्ध औद्योगिक विकास, निवेश गतिविधियों में व्याप्त सुस्ती और खपत में गिरावट के साथ यह गतिविधि 2012-13 की पहली तिमाही में भी धीमी ही रहने वाली है।'' विकास दर के गिरते जाने के अलावा मुद्रास्फीति गरीबों को अन्य चीजों से अधिक सताती रही है। ज्यांही कीमतें बढ़ती हैं, गरीबों की वास्तविक आय घट जाती है और खपत का उनका पहले से ही निम्न स्तर और भी नीचे चला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि ''इससे आम आदमी का कल्याण पहले से भी कम हो गया क्योंकि सबसे पहले तो रोजगार और आय में कमी हुई और दूसरे, निम्न विकास दर के कारण गरीबों को होने वाले रिसाव संबंधी लाभ भी कम हो गए।''

भारत में बैंकिंग का रुझान एवं प्रगति, 2011-12 संबंधी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे की राह को 'अधिदेशित उच्च पूंजी मानदंडों, अधिक सख्त तरलता और लिवरेज अनुपातों तथा जोखिम संबंधी अधिक सचेत दृष्टिकोण की दिशा में कार्यवाही' वाला करार दिया जबकि व्यापार करने का खर्च बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि ''इसमें व्यय, हर उत्पाद और सेवा से आने वाली राजस्व धाराओं का परिमाणात्मक मूल्यांकन और पूंजी आबंटन को निर्धारित करने वाले कुशल अंतरण-मूल्य निर्धारण तंत्र की जरूरत होती है।''

पिरामिड की निचली सतह पर मूल्य को खोज और उपयोग करना हमारे समय में ढेर सारे उद्यमों की सफलता का मंत्र रहा है। बैंकों को भी अपने विकास इंजन अर्थात छोटे उपभोक्ताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए संसाधनों के लिहाज से व्यापार के अदोहित अवसरों का लाभ उठाने की जरूरत है। भारत में बैंकिंग का रुझान एवं प्रगति, 2011-12 संबंधी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सच ही उल्लेख किया गया है कि ''बैंकों के समक्ष चुनौती अपनी बॉटम लाइन को सुरक्षित रखते हुए मध्यस्थता व्यय में कमी के लिए प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष का सर्वोत्तम उपयोग करना है''। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि ''दूसरी ओर, उपभोक्ताओं का बदलता प्रोफाइल और साथ ही साथ उनकी बढ़ती आशाएं-आकांक्षाएं क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और उत्तरोत्तर खरीदार का बाजार बना देंगी। चूंकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को उच्चतर कक्षा में धकेल दिया गया है इसलिए बैंकों को अपनी व्यवसाय नीति के संशोधन, ग्राहक को ध्यान में रखकर उत्पाद रूपांकन और अन्य सेवाओं की कुशलता में सुधार के जरिए बदले आर्थिक वातावरण में प्रासंगिक बने रहने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। भारतीय बैंकों के लिए चुनौती खर्चों में कमी तथा जमाकर्ताओं और ऋणदाताओं, दोनों को लाभ उपलब्ध कराना है।''

वर्ष 2011-12 ग्यारहवीं योजना का अंतिम वर्ष था जिसे 'समावेशी विकास' पर फोकस करना था। बैंक समावेशी विकास के हमेशा से मुख्य संचालक रहे हैं लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अभी भी बैंकिंग व्यवस्था की पहुंच के बाहर है। यह बात उत्तरोत्तर स्पष्ट होती जा रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया ने लोगों की बड़ी तादाद को और संभावित ग्राहकों के विशाल आधार को बहिष्कृत कर रखा है जिन्होंने अभी तक हासिल विकास को और भी आवेग प्रदान किया होता। बैंकिंग क्षेत्र का विकास और सफलता संपूर्ण वित्तोय समावेश की प्राप्ति के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष और उत्पादों के विविधीकरण के जरिए हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच की क्षमता पर निर्भर करेगी, चाहे वह अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित हो, अतिलघु या छोटे व्यवसाय में लगा हो या फिर छोटा या सीमांत किसान ही क्यों न हो। आर्थिक विकास और बैंकों का कार्यसंचालन आपस में गहराई से नथे-गुंथे हैं और दोनों ही एक-दूसरे के विकास के लिए इनपुट के बतौर काम करते हैं। टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सड़क और बिजली जैसी भौतिक अधिसंरचनाओं का सुदृढ़ीकरण, शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य के जरिए मानव पूंजी का विस्तार तथा उद्यमिता की भावना का प्रोत्साहन निहायत जरूरी है।

वित्तोय व्यवस्था बैंक, बीमा कंपनी, प्रतिभूति कंपनी, म्यूचुअल फंड, वित्तोय कंपनी और पेंशन कोष तथा बचतकर्ताओं के संसाधनों को निवेशकर्ताओं की ओर दिशाबद्ध करने वाले सभी संस्थानों जैसे मध्यस्थों के जरिए होने वाले वित्त के प्रवाह द्वारा वाहित होती है। भारत में वित्तोय संस्थाओं की कुल परिसंपत्तियों में सहकारी बैंकों सहित व्यावसायिक बैंकों का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार के वित्तीय क्षेत्र के आगे के विश्लेषण में राज्य

में कार्यरत तीन प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को ध्यान में रखा गया है : (1) बैंक, जिसमें व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ-साथ अन्य सहकारी संस्थाएं भी शामिल हैं, (2) राजकीय वित्तीय संस्थाएं तथा (3) राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। सहकारी संस्थाएं आम तौर पर कृषि क्षेत्र का ही ध्यान रखती हैं, व्यावसायिक बैंक उद्योग के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी वित्त उपलब्ध कराते हैं, राजकीय वित्तीय संस्थाएं राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती हैं और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं औद्योगिक क्षेत्र के हितों का धयान रखती हैं तथा बड़े पैमाने पर वित्त उपलब्ध कराती हैं।

6.1 बैंकिंग अधिसंरचना

व्यावसायिक बैंक

तालिका 6.1 में बिहार में 2008 से 2012 तक व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण और उनकी वृद्धि दर्शाई गई है। मार्च 2011 के अंत तक बिहार में स्थित व्यावसायिक बैंकों की कुल 4,388 शाखाओं में से 56.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित थीं। एक वर्ष बाद गामीण शाखाओं का हिस्सा गिरकर 54.6 प्रतिशत रह गया। ग्रामीण शाखाओं के हिस्सों में 2008 से अबाध गिरावट आ रही है जब बिहार में बैंकों की 61.6 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित थीं। बिहार वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक शाखाओं की कुल संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षात्कार किया था जब बैंक शाखाओं की कुल संख्या में 5.43 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। वर्ष 2011-12 में गत वर्ष की 168 की तुलना में 278 नई शाखाएं खुलीं और बैंक विस्तार की दर 6.34 प्रतिशत हो गई जिसने 2009-10 में हासिल सर्वोच्च दर का भी पीछे छोड़ दिया। तथापि नई खुली 278 शाखाओं में से 86 को छोड़ शेष सभी शाखाएं या तो शहरी क्षेत्रों में खुलीं (87 शाखाएं) या अर्धशहरी क्षेत्रों में (105 शाखाएं)। निजी अराष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी शाखाएं अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में खोलीं और कुछ मामलों में अर्धशहरी क्षेत्रों में। वर्ष 2012 में खुली एक शाखा को छोड़ दें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति बिल्कुल नहीं है। विगत वर्षों के दौरान बैंक शाखाओं की कुल संख्या में शहरी शाखाओं का हिस्सा निस्संदेह लगातार बढ़ता रहा है। उनका हिस्सा 2008 में 17.4 प्रतिशत था जो 2012 में बढ़कर 20.9 प्रतिशत हो गया। साथ ही, अर्धशहरी शाखाओं का हिस्सा भी इस अवधि में 21.0 प्रतिशत से बढ़कर 24.5 प्रतिशत हो गया। बैंक स्वभावतः शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मांग आधारित विकास और क्रय शक्ति में वृद्धि का लाभ लेना चाहते थे लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा करने पर वित्तीय समावेशिता का मकसद हासिल नहीं हो सकता है। तालिका 6.2 में देखा जा सकता है कि मार्च 2012 के अंत में देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा मात्र 4.6 प्रतिशत था जा उत्तर प्रदेश के 12.0 प्रतिशत और महाराष्ट्र के 9.5 प्रतिशत अथवा आंध्र प्रदेश के 8.3 प्रतिशत हिस्से की तुलना में काफी कम है। देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा गत कुछ वर्षों के दौरान व्यवहारतः अपरिवर्तित भी रहा है।

केंद्र सरकार और बैंकों के सहयोग से राज्य सरकार की एक प्रमुख पहलकदमी 5,000 या इससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों में भौतिक उपस्थिति वाली (ब्रिक एंड मोर्टार) शाखाओं या अतिलघु शाखाओं का प्रवाधान है। इस वित्त वर्ष में 1,695 शाखाएं खोलने की योजना थी जिसमें से 79 भौतिक उपस्थिति वाली शाखाएं और 1,374 अतिलघु शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

तालिका 6.1 : बिहार में व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण

वर्ष (अंतिम मार्च)	योग	प्रतिशत वृद्धि दर	अवस्थिति के अनुसार शाखाओं का प्रतिशत वितरण			
			ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी	समस्त
2008	3792	2.16	61.6	21.0	17.4	100.0
2009	3942	3.96	59.7	21.7	18.6	100.0
2010	4180	5.43	57.4	22.8	19.8	100.0
2011	4388	4.98	56.2	23.6	20.2	100.0
2012	4666	6.34	54.6	24.5	20.9	100.0

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 6.2 : विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का वितरण (2011-12)

राज्य	राज्य के योगफल में हिस्सा (%)			राज्य का योगफल	संपूर्ण भारत में हिस्सा (%)
	ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी		
आंध्र प्रदेश	33.8	24.2	42.0	8422	8.3
बिहार	**54.6**	**24.5**	**20.9**	**4666**	**4.6**
गुजरात	31.0	24.8	44.2	5552	5.5
हरियाणा	31.0	24.4	44.5	3034	3.0
हिमाचल प्रदेश	73.5	19.6	6.9	1164	1.2
झारखंड	49.8	23.4	26.8	2186	2.2
कर्नाटक	33.6	21.4	45.0	7201	7.1
केरल	7.0	66.2	26.8	5022	5.0
मध्य प्रदेश	38.6	27.2	34.2	4823	4.8
महाराष्ट्र	24.7	19.8	55.5	9635	9.5
उड़ीसा	54.6	23.9	21.4	3323	3.3
पंजाब	33.2	32.0	34.8	4385	4.3
राजस्थान	39.6	28.6	31.8	4944	4.9
तमिलनाडु	26.5	33.7	39.8	7666	7.6
उत्तर प्रदेश	45.4	20.4	34.3	12121	12.0
उत्तराखंड	47.6	30.2	22.2	1459	1.4
पश्चिम बंगाल	41.8	13.7	44.5	6119	6.0
भारत	**36130**	**25931**	**20321**	**101261**	**100.0**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

सहकारी बैंक

राज्य और जिला केंद्रीय सरकारी बैंकों के आंकड़े तालिका 6.3 में दर्शाए गए हैं। तालिका से स्पष्ट होता है कि पूरे देश में राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन बिहार में 2010 और 2011 के बीच दोनों प्रकार के बैंकों में से किसी में विस्तार नहीं हुआ है। सहकारी बैंकों के शाखाओं की संख्या 2010 और 2011, दोनों वर्षों में 295 थी।

तालिका 6.3 : राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या (31 मार्च को)

राज्य	राज्य सहकारी बैंक		जिला केंद्रीय सहकारी बैंक		योग	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
आंध्र प्रदेश	24	26	573	569	597	595
बिहार	**16**	**16**	**279**	**279**	**295**	**295**
गुजरात	1	1	1137	1182	1138	1183
हरियाणा	13	13	594	594	607	607
हिमाचल प्रदेश	175	175	183	183	358	358
झारखंड	-	-	114	114	114	114
कर्नाटक	31	38	596	608	627	646
केरल	20	20	664	670	684	690
मध्य प्रदेश	20	20	807	807	827	827
महाराष्ट्र	53	53	3699	3705	3752	3758
उड़ीसा	14	14	320	322	334	336
पंजाब	19	20	806	807	825	827
राजस्थान	13	13	407	409	420	422
तमिलनाडु	46	46	731	738	777	784
उत्तर प्रदेश	29	29	1302	1302	1331	1331
उत्तराखंड	15	15	204	205	219	220
पश्चिम बंगाल	43	43	281	281	324	324
भारत	**963**	**987**	**13032**	**13118**	**13995**	**14105**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संसाधनों को कृषि और ग्रामीण ऋण की ओर दिशाबद्ध करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रख्यापन के जरिए अस्तित्व में आए। केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा 50, 15 और 35 के अनुपात में धारित इक्विटी वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में कृषि एवं ग्रामोण ऋण के लिए एक बहु-अभिकरण पहुंच (मल्टी एजेंसी अप्रोच) उपलब्ध कराते हैं।

तालिका 6.4 में 2010-11 और 2011-12 के लिए देश के विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मार्च 2011 के अंत में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1,458 शाखाएं थीं। मार्च 2012 तक उनकी संख्या बढ़कर 1,594 हो गई। जैसा कि तालिका 6.4 में दर्शाया गया है, इनकी शाखाओं की कुल संख्या में पिछले वर्ष से 9.3 प्रतिशत वृद्धि हुई, वहीं इनकी कुल जमा राशि 1,341 करोड़ रु. (9.8 प्रतिशत) बढ़ी है और ऋण 1,065 करोड़ रु. (11.8 प्रतिशत)। हालांकि यह वृद्धि 2008-09 की अपेक्षा बहुत कम है जब जमा राशि में 3,200 करोड़ रु. की वृद्धि हुई थी और ऋण में 1,600 करोड़ रु. की। हालांकि यह 2010-11 से अधिक है जब

जमा राशि में 963 करोड़ रु. की वृद्धि हुई थी और ऋण राशि में 663 करोड़ रु. की। गौरतलब है कि जहां बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा राशि का 50 प्रतिशत से भी कम हिस्सा ऋण के बतौर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रवाहित हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जमा की वृद्धि दर में 2008-09 के बाद से तेज गिरावट आई है जो 2008-09 के 23 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में घटकर 9.8 प्रतिशत ही रह गई।

तालिका 6.4 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जमा और ऋण राशि

(करोड़ रु.)

राज्य	2010-11		2011-12		प्रतिशत वृद्धि	
	कुल जमा	कुल ऋण	कुल जमा	कुल ऋण	कुल जमा	कुल ऋण
आंध्र प्रदेश	13579	13637	15258	16756	12.4	22.9
बिहार	**13735**	**5979**	**15076**	**7044**	**9.8**	**17.8**
गुजरात	4596	2038	5427	2506	18.1	23.0
हरियाणा	7411	5112	7027	4873	(-)5.2	(-)4.7
हिमाचल प्रदेश	1569	669	1914	819	22.0	22.4
झारखंड	3480	1103	3702	1295	6.4	17.4
कर्नाटक	13868	11272	15009	13053	8.2	15.8
केरल	4837	5583	5508	6127	13.9	9.7
मध्य प्रदेश	10124	5275	11172	5931	10.4	12.4
महाराष्ट्र	4692	2482	5569	3312	18.7	33.4
उड़ीसा	8898	4837	9703	5643	9.0	16.7
पंजाब	3031	2102	3501	2620	15.5	24.6
राजस्थान	9840	7069	11375	8230	15.6	16.4
तमिलनाडु	2790	3374	3372	4343	20.9	28.7
उत्तर प्रदेश	35372	16446	39227	20364	10.9	23.8
उत्तराखंड	1604	890	1837	1011	14.5	13.6
पश्चिम बंगाल	9754	4412	10865	5248	11.4	18.9
भारत	**163928**	**98244**	**183009**	**116567**	**11.6**	**18.7**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च 2011 में देश के सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल जमा का हिस्सा 33 प्रतिशत था जो 2009-10 में 34 प्रतिशत था। वहीं बिहार के लिए यह अनुपात 45.7 प्रतिशत था (तालिका 6.5)। वर्ष 2010-11 में बिहार के कुल बैंक जमा में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा का हिस्सा मात्र 21 प्रतिशत था। वर्ष 2010-11 में देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में बिहार का हिस्सा लगभग 6.1 प्रतिशत था और बिहार में इन बैंकों द्वारा ग्रामीण जमा की कुल राशि 30,079 करोड़ रु. थी। मार्च 2011 में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में ग्रामीण जमा का परिमाण महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों से अधिक लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से काफी कम था। मार्च 2011 में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा का बड़ा हिस्सा (64.8 प्रतिशत) बचत बैंक को जमा राशि का था।

तालिका 6.5 : जमा के प्रकार के अनुसार अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की ग्रामीण जमा राशियां (मार्च 2011)

राज्य	शाखाओं की सं.	चालू खाता		बचत जमा		सावधिक जमा		योग	
		खातों की सं. (लाख)	रकम (करोड़ रु.)	खातों की सं. (लाख)	रकम (करोड़ रु.)	खातों की सं. (लाख)	रकम (करोड़ रु.)	खातों की सं. (लाख)	रकम (करोड़ रु.)
आंध्र प्रदेश	2560	3.59	1496	175.67	11633	26.17	14904	205.43	28033
बिहार	**2435**	**6.22**	**2102**	**137.20**	**19500**	**20.30**	**8476**	**163.72**	**30079**
गुजरात	1591	1.93	1103	69.60	11532	19.87	15936	91.39	28570
हरियाणा	813	2.13	766	45.08	7868	4.98	6477	52.19	15111
हिमाचल प्रदेश	798	3.54	822	33.65	6623	12.32	9689	49.51	17134
झारखंड	1024	0.83	831	61.31	8701	10.04	5745	72.18	15278
कर्नाटक	2198	3.21	1543	118.45	9590	23.59	13878	145.25	25011
केरल	353	0.44	199	19.61	2529	4.00	3956	24.06	6684
मध्य प्रदेश	1766	2.13	923	95.33	9093	13.14	7403	110.60	17419
महाराष्ट्र	2226	2.77	1910	102.14	12408	16.27	13893	121.18	28211
उड़ीसा	1722	2.00	1223	99.76	12474	18.60	8445	120.36	22142
पंजाब	1284	5.77	957	64.83	14131	12.29	15550	82.90	30637
राजस्थान	1835	2.93	859	86.10	9560	14.85	8991	103.87	19410
तमिलनाडु	1792	2.50	1607	119.99	11570	17.95	16853	140.45	30029
उत्तर प्रदेश	5083	8.84	3439	497.73	48665	44.80	22888	551.37	74992
उत्तराखंड	611	1.45	528	28.41	5945	6.88	4705	36.74	11177
पश्चिम बंगाल	2435	3.27	1589	170.54	20460	38.84	18582	212.65	40631
भारत	**33367**	**59.76**	**26346**	**2108.38**	**249441**	**334.40**	**217478**	**2502.54**	**493266**

स्रोत : बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मचारी

तालिका 6.6 क में देखा जा सकता है कि 2011 में बिहार में बैंककर्मियों की कुल संख्या 36,362 थी (2010 में 33,124) जिनमें से लगभग 41.4 प्रतिशत अधिकारी श्रेणी के थे – पिछले वर्ष के 42.0 प्रतिशत की तुलना में कम। मार्च 2011 में भारत में कार्यरत अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के समस्त कर्मियों की कुल संख्या का 3.5 प्रतिशत हिस्सा ही बिहार में कार्यरत था। तालिका 6.6 ख में देखा जा सकता है कि 2011 में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बंकों के महिला कर्मियों की कुल संख्या 2,443 थी जिनका देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में कार्यरत कुल महिला कर्मियों में हिस्सा मात्र 1.3 प्रतिशत था।

तालिका 6.6 क : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण (31 मार्च, 2011)

राज्य	अधिकारी		लिपिक		अधोनस्थ कर्मचारी		योग
	संख्या	प्रतिशत हिस्सा	संख्या	प्रतिशत हिस्सा	संख्या	प्रतिशत हिस्सा	संख्या
आंध्र प्रदेश	36826	47.7	27520	35.7	12787	16.6	77133
बिहार	**15061**	**41.4**	**13571**	**37.3**	**7730**	**21.3**	**36362**
छत्तीसगढ़	23976	41.4	23765	41.0	10224	17.6	57965
गुजरात	13049	48.1	9649	35.6	4424	16.3	27122
हरियाणा	3206	40.3	2918	36.7	1832	23.0	7956
झारखंड	7946	43.1	7229	39.2	3256	17.7	18431
कर्नाटक	32585	45.0	27590	38.1	12237	16.9	72412
केरल	22401	44.3	20935	41.4	7195	14.2	50531
मध्य प्रदेश	18562	42.9	16995	39.3	7686	17.8	43243
महाराष्ट्र	79331	48.4	62906	38.4	21748	13.3	163985
उड़ीसा	11946	36.7	12679	39.0	7920	24.3	32545
पंजाब	18505	46.6	14185	35.7	7020	17.7	39710
राजस्थान	17565	45.9	13385	35.0	7279	19.0	38229
तमिलनाडु	35135	43.6	33346	41.4	12149	15.1	80630
उत्तर प्रदेश	42077	41.5	39700	39.1	19710	19.4	101487
उत्तराखंड	4667	41.1	4309	38.0	2366	20.9	11342
पश्चिम बंगाल	28939	38.1	32021	42.2	14927	19.7	75887
भारत	**470144**	**44.7**	**402521**	**38.3**	**178220**	**17.0**	**1050885**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 6.6 ख : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के महिला कर्मियों का वितरण (31 मार्च, 2011)

राज्य	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ कर्मचारी		योग
	संख्या	प्रतिशत हिस्सा	संख्या	प्रतिशत हिस्सा	संख्या	प्रतिशत हिस्सा	संख्या
आंध्र प्रदेश	5074	37.0	6709	48.9	1938	14.1	13721
बिहार	**852**	**34.9**	**1279**	**52.4**	**312**	**12.8**	**2443**
गुजरात	2297	27.6	5185	62.3	838	10.1	8320
हरियाणा	1968	43.2	2061	45.2	528	11.6	4557
हिमाचल प्रदेश	212	23.1	443	48.2	264	28.7	919
झारखंड	693	33.0	1209	57.6	198	9.4	2100
कर्नाटक	5601	33.1	9744	57.7	1552	9.2	16897
केरल	5183	34.8	8490	57.0	1230	8.3	14903
मध्य प्रदेश	1858	31.0	3741	62.4	398	6.6	5997
महाराष्ट्र	16755	41.0	22208	54.4	1888	4.6	40851
उड़ीसा	987	26.9	1861	50.7	819	22.3	3667
पंजाब	2038	30.7	3530	53.1	1074	16.2	6642
राजस्थान	1350	35.8	1832	48.6	589	15.6	3771
तमिलनाडु	6281	32.5	11358	58.7	1713	8.9	19352
उत्तर प्रदेश	3004	32.7	4857	52.9	1315	14.3	9176
उत्तराखंड	329	24.1	792	57.9	246	18.0	1367
पश्चिम बंगाल	3210	36.3	4540	51.4	1082	12.3	8832
भारत	**67958**	**36.4**	**100999**	**54.1**	**17827**	**9.5**	**186784**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

6.2 जमा और ऋण

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का प्रति व्यक्ति जमा और ऋण

तालिका 6.7 में बिहार और अन्य राज्यों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा एवं ऋण राशियों तथा देश के कुल जमा एवं ऋण राशियों में उनके हिस्सों को दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि बिहार में 2011-12 में कुल जमा राशि (1,41,308 करोड़ रु.) में गत वर्ष के 1,19,153 करोड़ रु. की तुलना में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है। 22,155 करोड़ रु. की यह वृद्धि 2010-11 की तुलना में काफी सुधार है जब जमा राशि गत वर्ष से मात्र 17,700 करोड़ रु. बढ़ी थी। साथ ही, 2011-12 में ऋण में भी 6,500 करोड़ रु. का विस्तार हुआ है जो 2010-11 के 5,500 करोड़ रु. से अधिक है। इन दो वर्षों में देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा में बिहार के कुल जमा का हिस्सा 2.2 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2.29 प्रतिशत हो गया, लेकिन इस दौरान ऋण में कुल हिस्सा 0.85 प्रतिशत पर स्थिर रहा है।

तालिका 6.7 : भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च)

राज्य	जमा				ऋण				ऋण-जमा अनुपात
	रकम (करोड़ रु.)	हिस्सा (%)	रकम (करोड़ रु.)	हिस्सा (%)	रकम (करोड़ रु.)	हिस्सा (%)	रकम (करोड़ रु.)	हिस्सा (%)	
	2011		**2012**		**2011**		**2012**		**2012**
आंध्र प्रदेश	292277	5.39	346800	5.62	321372	7.88	382699	7.94	110.35
बिहार	**119153**	**2.20**	**141308**	**2.29**	**34568**	**0.85**	**41151**	**0.85**	**29.12**
गुजरात	261485	4.82	306113	4.96	173432	4.25	213447	4.43	69.73
हरियाणा	129721	2.39	146703	2.38	92773	2.28	149790	3.11	102.10
हिमाचल प्रदेश	33004	0.61	38432	0.62	13055	0.32	14283	0.30	37.16
झारखंड	76198	1.40	88921	1.44	26697	0.65	29899	0.62	33.62
कर्नाटक	349009	6.43	411724	6.67	253121	6.21	291236	6.04	70.74
केरल	170547	3.14	200573	3.25	122823	3.01	151526	3.14	75.55
मध्य प्रदेश	139575	2.57	168953	2.74	83302	2.04	96572	2.00	57.16
महाराष्ट्र	1471685	27.12	1593694	25.81	1196639	29.35	1387827	28.78	87.08
उड़ीसा	103225	1.90	125420	2.03	52909	1.30	58846	1.22	46.92
पंजाब	153737	2.83	174433	2.83	118906	2.92	142352	2.95	81.61
राजस्थान	128297	2.36	151983	2.46	115474	2.83	136996	2.84	90.14
तमिलनाडु	343635	6.33	401182	6.50	392128	9.62	466031	9.67	116.16
उत्तर प्रदेश	373634	6.89	434732	7.04	162890	4.00	191448	3.97	44.04
उत्तराखंड	49180	0.91	56735	0.92	17300	0.42	20206	0.42	35.61
पश्चिम बंगाल	313348	5.77	378078	6.12	199582	4.90	237699	4.93	62.87
भारत	**5426510**	**100.00**	**6174147**	**100.00**	**4076868**	**100.00**	**4821527**	**100.00**	**78.09**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

उक्त तालिका में यह भी देखा जा सकता है कि बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 2011-12 में देश के सभी प्रमुख राज्यों के बीच सबसे कम था। तमिलनाडु (116.16 प्रतिशत), आंध्र प्रदश (110.35 प्रतिशत), राजस्थान (90.14 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (87.08 प्रतिशत) की बात तो छोड़ ही दें, यह राष्ट्रीय औसत 78.09 प्रतिशत के पास भी नहीं फटकता है। बिहार के ऋण-जमा अनुपात की तुलना उत्तर-पूर्वी राज्यों के ऋण-जमा अनुपात के साथ ही की जा सकती है।

चार्ट 6.1 : मार्च 2012 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का जमा और ऋण (करोड़ रु.)

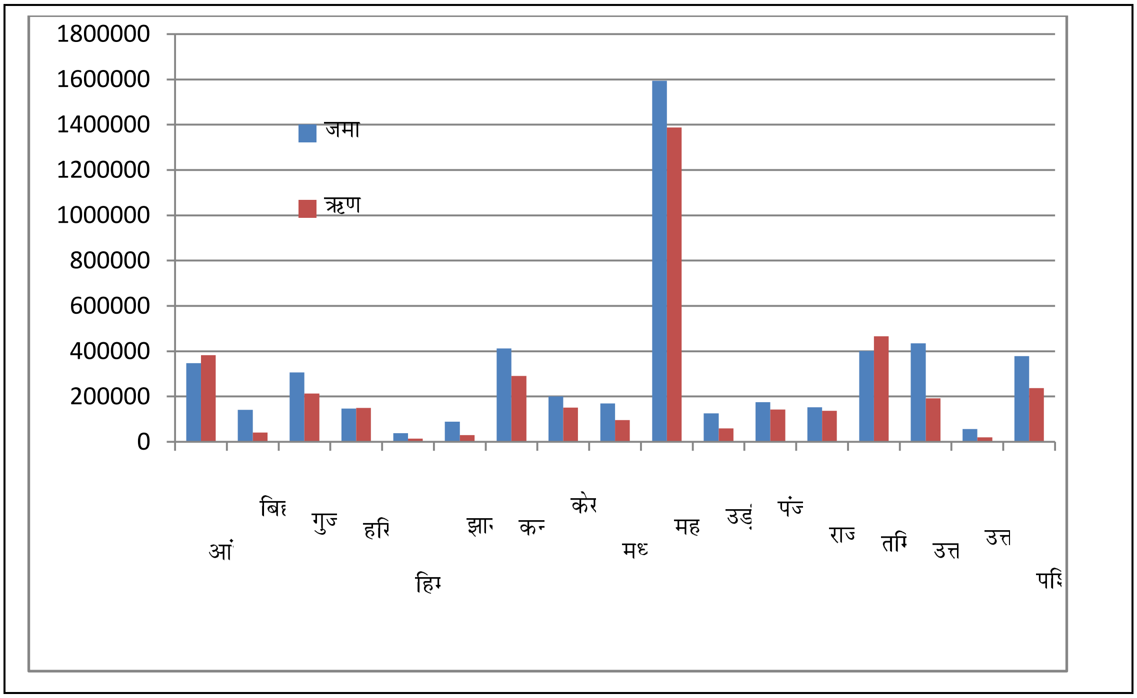

तालिका 6.8 : भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार प्रति व्यक्ति जमा और ऋण (31 मार्च)

राज्य	प्रति कार्यालय जनसंख्या		प्रति व्यक्ति जमा (रु. में)		प्रति शाखा जमा (लाख रु. में)		प्रति व्यक्ति ऋण (रु. में)		प्रति शाखा ऋण (लाख रु. में)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
आंध्र प्रदेश	11505	10758	34493	40566	3968	4364	37927	44765	4364	4816
बिहार	**23250**	**21990**	**12193**	**14271**	**2835**	**3138**	**3537**	**4156**	**822**	**914**
गुजरात	12062	11328	44304	51189	5344	5799	29385	35693	3544	4043
हरियाणा	9698	8971	50993	56743	4946	5090	36469	57937	3537	5197
हिमाचल प्रदेश	6408	6030	48585	56056	3114	3380	19218	20833	1232	1256
झारखंड	16332	15063	24211	27871	3954	4198	8483	9372	1385	1412
कर्नाटक	9445	8814	58737	68591	5548	6046	42599	48518	4024	4277
केरल	7635	7276	49344	57633	3767	4193	35536	43539	2713	3168
मध्य प्रदेश	16732	15944	19332	23036	3235	3673	11538	13167	1931	2099
महाराष्ट्र	13391	12613	130631	139572	17493	17604	106217	121543	14224	15330
उड़ीसा	13730	12861	25331	30512	3478	3924	12984	14316	1783	1841
पंजाब	7328	6772	55545	62340	4070	4222	42960	50875	3148	3445
राजस्थान	15586	14543	18914	22061	2948	3208	17024	19886	2653	2892
तमिलनाडु	10217	9356	50951	59117	5206	5531	58141	68673	5940	6425
उत्तर प्रदेश	18646	17658	18611	21284	3470	3758	8114	9373	1513	1655
उत्तराखंड	7954	7187	49462	56262	3934	4044	17399	20038	1384	1440
पश्चिम बंगाल	16281	15583	35011	41860	5700	6523	22300	26317	3631	4101
भारत	**13382**	**12577**	**45505**	**51106**	**6090**	**6427**	**34187**	**39909**	**4575**	**5019**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 6.2

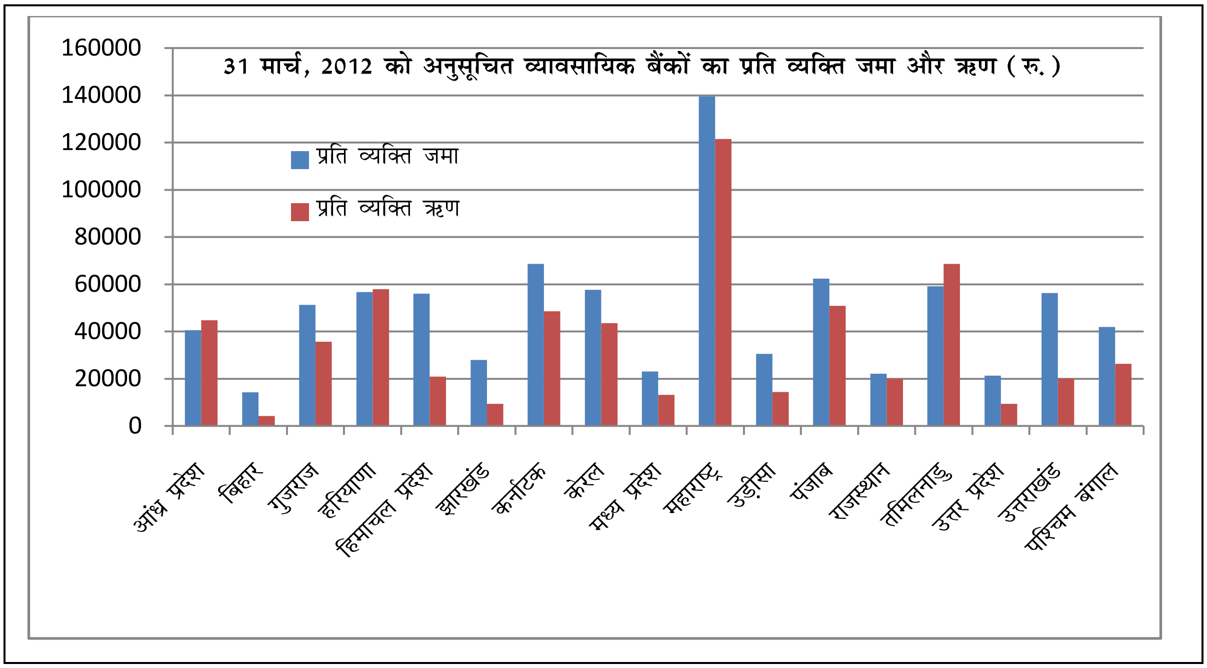

प्रमुख भारतीय राज्यों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के प्रति व्यक्ति जमा और ऋण को तालिका 6.8 में दर्शाया गया है। गौरतलब है कि प्रति व्यक्ति जमा और प्रति व्यक्ति ऋण, दोनों मामलों में बिहार का स्थान देश के प्रमुख राज्यों में सबसे नीचे है। देश के अंदर पति बैंक कार्यालय सेवित सर्वाधिक जनसंख्या (22.0 हजार) भी बिहार में ही है जो राष्टोय औसत (12.6 हजार) से काफी अधिक है। बिहार में 2011-12 में अनुसूचित बैंकों के प्रति व्यक्ति जमा में एक वर्ष पूर्व के 1,668 रु. के मुकाबले 2,078 रु. की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है लेकिन प्रति व्यक्ति ऋण के मामले में वृद्धि लगभग एक-तिहाई ही है, अर्थात 619 रु. जो गत वर्ष के 519 रु. से थोड़ा अधिक है। जहां प्रति शाखा जमा 3.03 करोड़ रु. बढ़ा है, वहीं प्रति शाखा ऋण 92 लाख रु. ही बढ़ा है, अर्थात जमा की तुलना में लगभग एक-तिहाई। किसी अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह उसकी अवशोषण क्षमता पर निर्भर करता है जिसका निर्धारण बिजली और सड़क जैसी भौतिक अधिसंरचनाओं की उपलब्धता, स्थानीय श्रमिकों का कौशल और शिक्षा तथा स्थानीय उद्यमिता जनित उद्यमों (वेंचर) जैसे विभिन्न कारकों द्वारा होता है। ये अवदान बिहार में अधिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन बैंकों को भी शाखाविहीन क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलकर तथा अपने कुछ सख्त ऋण मानकों को शिथिल करके ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए आज अधिक सकारात्मक उपाय करने की जरूरत है। पहले भी गौर किया गया है कि बिहार में 2010-11 में बैंक शाखाओं का विस्तार शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों के पक्ष में झुका है जहां बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता पहले से ही अपेक्षाकृत बेहतर है।

सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के ऋण-जमा अनुपात के 2001-02 से अब तक के आंकड़े तालिका 6.9 में प्रस्तुत हैं। समिति के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2012 में बिहार का ऋण-जमा अनुपात 36.70 प्रतिशत था जो मार्च 2011 के ऋण-जमा अनुपात 33.99 प्रतिशत से अधिक था। सितंबर 2012 तक यह और बढ़कर 38.96 प्रतिशत पहुंच गया। लेकिन

जमाराशि में प्रचुर वृद्धि के बावजूद ऋण-जमा अनुपात की निम्न वृद्धि दर से बिहार का बैंकिंग परिदृश्य लगातार पीड़ित है।

तालिका 6.9 : बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

वर्ष	जमा (करोड़ रु.)	ऋण (करोड़ रु.)	ऋण-जमा अनुपात
2001-02	30482	6946	22.79
2002-03	33815	8089	23.92
2003-04	35824	9604	26.81
2004-05	40295	12031	29.86
2005-06	46134	14808	32.10
2006-07	56342	19048	33.81
2007-08	68244	22077	32.35
2008-09	83048	24051	28.96
2009-10	98588	31679	32.13
2010-11	113909	38723	33.99
2011-12	138163	50704	36.70
2012-13 (सितंबर '12 तक)	143223	55795	38.96

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

टिप्पणी : तालिका 6.7 में दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2012 में ऋण-जमा अनुपात मात्र 29.12 प्रतिशत है। अंतर मुख्यत: आरआइडीएफ योजना (खंड 6.7 में विचारित) के तहत बैंकों द्वारा दी गई ऋण राशि के समावेश के कारण है। आरआइडीएफ को छोड़ देने पर ऋण-जमा अनुपात 34.48 प्रतिशत होगा। फिर तालिका 6.7 में शामिल आंकड़े बिहार के व्यावसायिक बैंकों के ही हैं जबकि तालिका 6.9 के आंकड़े बिहार के सभी बैंकों के हैं जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल हैं।

चार्ट 6.3

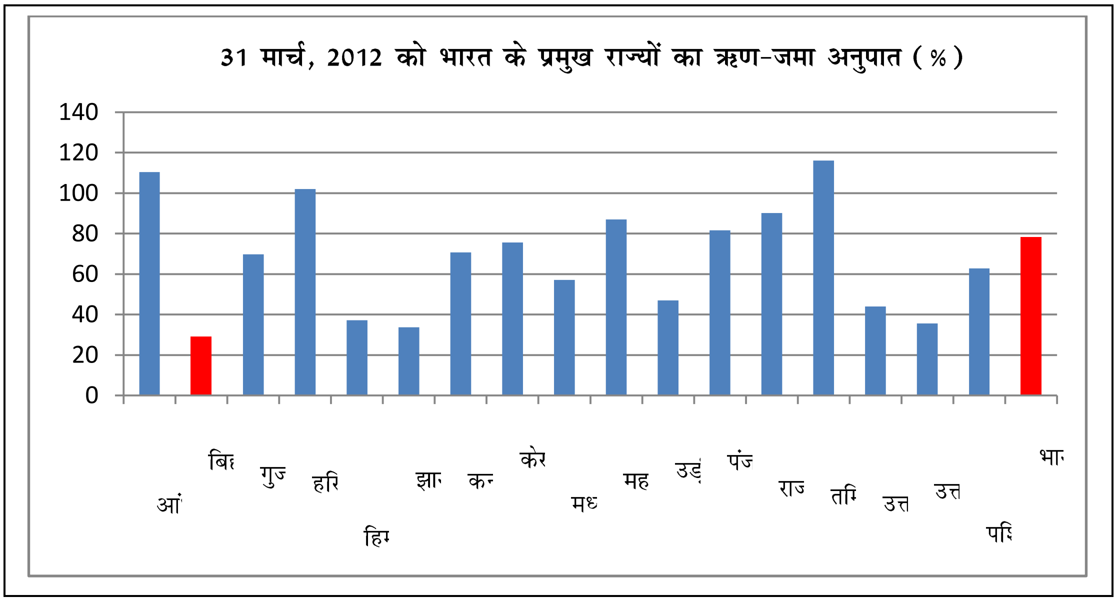

रकम के बतौर देखें तो निम्न ऋण-जमा अनुपात का अर्थ यह हुआ कि राज्य के लगभग 39 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात को लगभग 78 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाने पर राज्य में 56,000 करोड़ रु. का निवेश बढ़ जाता जो राज्य के वर्तमान वार्षिक योजना परिव्यय से भी अधिक है। यह राशि राज्य की आर्थिक गतिविधियों को अतिवांछित बल प्रदान करती। यहां तक कि 50 प्रतिशत का मध्यवर्ती ऋण-जमा अनुपात होने पर भी राज्य में निवेश लगभग 15,750 करोड़ रु. बढ़ता। ऋण का कम वितरण यह भी दर्शाता है कि या तो औद्योगिक गतिविधियां गतिरुद्ध हैं या उद्यमों को ऋण संबंधी जरूरतों की पूर्ति निजी ऋणदाता अभिकरणों के उच्च ब्याज दरों वाले ऋणों के जरिए हो रही है जो राज्य के उद्यमों का मुनाफा हड़प जा रहे हैं। यह राज्य के औद्योगिक विकास के लिहाज से स्वाभाविक रूप में एक गंभीर बाधा है। इसके अलावा यह पहले से ही अभावग्रस्त राज्य से पूंजी के पलायन को भी सूचित करता है।

चार्ट 6.4

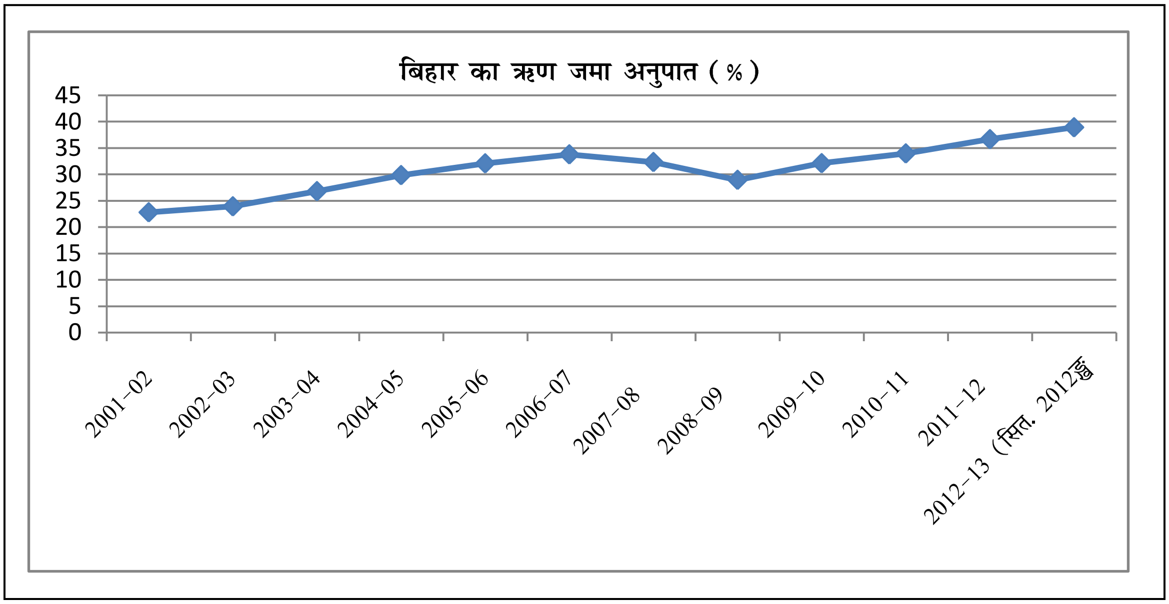

बैंक समूहों और उनकी अवस्थिति के अनुसार बिहार में ऋण-जमा अनुपात तालिका 6.10 में दर्शाया गया है। विभिन्न अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात तालिका 6.11 में दर्शाया गया है। मार्च 2012 में बिहार में सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात सहकारी बैंकों का था (85.44 प्रतिशत) जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का (46.37 प्रतिशत) स्थान था और अंत में व्यावसायिक बैंकों का (29.87 प्रतिशत) था। कुल ऋण में सहकारी बैंकों का हिस्सा 5.3 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 15.5 प्रतिशत और अनुसूचित व्यावसायिक बंकों का 79.2 प्रतिशत था। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों ने अपने अनुपात में गत वर्ष की अपेक्षा अच्छा-खासा सुधार किया है, लेकिन अन्य दोनों श्रेणियों के बैंकों का अनुपात लगभग पूर्ववत है। जब तक राज्य में निवेश का उत्साहवर्धक माहौल तैयार नहीं होता है, उनके अनुपात में और अधिक सुधार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ऋण और जमा के मामले में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों संयुक्त हिस्सा अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की तुलना में छोटा हिस्सा ही रहा है। अतः जब तक अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में सुधार नहीं होता है, राज्य में ऋण-जमा अनुपात के समग्र सुधार की गुंजाइश मुश्किल है। हालांकि गौरतलब है कि निवेश को

भी शामिल कर लेने पर उच्च निवेश के कारण अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा उनका निवेश एवं ऋण जमा अनुपात काफी सुधर जाता है।

तालिका 6.10 : बिहार में बैंक समूह तथा क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात, 2011-12

बैंक समूह	क्षेत्र	जमा (करोड़ रु.)	ऋण (करोड़ रु.)	ऋण-जमा अनुपात	निवेश (करोड़ रु.)	निवेश एवं ऋण-जमा अनुपात
व्यावसायिक बैंक	ग्रामीण	24941	8970	35.96	-	-
	अर्धशहरी	31188	9341	29.95	-	-
	शहरी	64038	17587	27.46	-	-
	योग	**120167**	**38898**	**29.87**	**5598**	**34.53**
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ग्रामीण	10970	5435	49.54	-	-
	अर्धशहरी	2778	1068	38.45	-	-
	शहरी	1436	538	37.45	-	-
	योग	**15185**	**7041**	**46.37**	**49**	**46.69**
सहकारी बैंक	ग्रामीण	0	0	0	-	-
	अर्धशहरी	1587	797	50.25	-	-
	शहरी	1244	1621	130.34	-	-
	योग	**2831**	**2418**	**85.44**	**49**	**87.16**
सभी बैंक	ग्रामीण	35911	14404	40.11	-	-
	अर्धशहरी	35554	11207	31.52	-	-
	शहरी	66718	19746	29.60	-	-
	योग	**138183**	**45357**	**32.82**	**5696**	**36.95**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

वर्ष 2011-12 में बिहार में सभी बैंकों का कुल जमा 1,38,183 करोड़ रु. था जबकि ऋण 45,357 करोड़ रु.; फलत: ऋण-जमा अनुपात 32.82 प्रतिशत था जो सितंबर 2010 में हासिल 33.26 प्रतिशत से थोड़ा कम ही है। पहले भी गौर किया गया है कि देश में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा में बिहार का हिस्सा 2.3 प्रतिशत है और कुल ऋण में 0.9 प्रतिशत है जो सभी प्रमुख राज्यों के बीच सबसे कम है। उत्पादक आर्थिक गतिविधियों के लिए राज्य में पर्याप्त निवेश आवश्यक है, लेकिन इस दर पर राज्य में सार्थक निवेश के आने में काफी लंबा वक्त लगेगा। गत छ: वर्षों के दौरान देश के कुल जमा में बिहार का हिस्सा 2.6 प्रतिशत से घटकर 2.3 प्रतिशत रह गया है और कुल ऋण में 1.0 प्रतिशत से गिरकर 0.9 प्रतिशत।

ऋण-जमा अनुपात की गणना पारंपरिक रूप से ऋण स्वीकृतियों के आधार पर होती है। इससे उस परिमाण का पता चलता है जिस तक बैंक किसी राज्य में एकत्र किए गए जमा को ऋण की स्थानीय मांग पूरी करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ऋण स्वीकृति पर आधारित निम्न ऋण-जमा अनुपात से किसो राज्य से दूसरे राज्य को हुआ जमा राशियों का पलायन सूचित होता है जबकि ऋण उपयोग आधारित निम्न ऋण-जमा अनुपात ऋण के पलायन को सूचित करेगा। इसलिए दोनों प्रकार के अनुपातों की तुलना जरूरी हो जाती है। पूरे देश के मामले में ये दोनों अनुपात स्पष्टत: एक होंगे। लेकिन कम विकसित राज्यों के मामले में उपयोग अनुपात अधिक होगा। वर्ष 2008

तक बिहार के मामले में भी ऐसा ही था जब ऋण स्वीकृति पर आधारित ऋण-जमा अनुपात 28.2 प्रतिशत था और उपयोग आधारित अनुपात 45.0 प्रतिशत। वर्ष 2009 और 2010 में यह छोटा लाभ भी समाप्त हो गया जब स्वीकृति और उपयोग आधारित, दोनों अनुपात लगभग समान हो गए थे (तालिका 6.11)। हालांकि 2011 में थोड़ा सुधार हुआ और उपयोग आधारित ऋण-जमा अनुपात ऋण स्वीकृति आधारित ऋण-जमा अनुपात से अधिक हो गई।

तालिका 6.11 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

	2009		2010		2011	
	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार
आंध्र प्रदेश	96.4	104.9	105.1	109.7	109.7	114.9
बिहार	**26.8**	**26.6**	**29.0**	**29.7**	**29.5**	**31.6**
गुजरात	63.7	74.6	65.3	75.2	66.2	74.4
हरियाणा	61.4	74.0	63.3	76.1	71.7	85.6
हिमाचल प्रदेश	38.6	47.1	42.2	51.1	41.6	48.6
झारखंड	32.0	35.7	35.1	36.8	34.4	35.6
कर्नाटक	77.3	82.8	77.6	80.4	72.7	76.3
केरल	59.7	61.7	63.1	64.5	73.1	73.8
मध्य प्रदेश	57.4	61.9	60.6	63.7	55.6	60.1
महाराष्ट्र	91.2	78.7	82.9	75.8	83.0	75.0
उड़ीसा	50.8	55.7	54.4	58.1	52.5	55.7
पंजाब	65.7	65.5	71.5	73.0	77.8	92.9
राजस्थान	80.6	87.5	88.4	96.6	90.4	95.8
तमिलनाडु	108.1	115.2	113.8	113.5	115.1	119.4
उत्तर प्रदेश	42.2	46.5	43.3	47.4	44.0	48.2
उत्तराखंड	25.3	28.6	33.7	38.2	35.4	39.1
पश्चिम बंगाल	60.7	62.2	61.5	64.8	63.7	65.1
भारत	**72.6**	**72.6**	**73.3**	**73.3**	**75.6**	**75.6**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

निवेश सह ऋण-जमा अनुपात

बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण देकर ही सहायता नहीं करते, अपनी निवेश योग्य निधियों के एक हिस्से का राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में और राज्य सरकार के उपक्रमों, अर्धसरकारी निकायों तथा संयुक्त पूंजी कंपनियों के शेयरों और बांडों में निवेश करके भी सहायता करते हैं। अतएव किसी राज्य की आर्थिक गतिविधियों में बैंकों की पूरी संलग्नता वास्तविक रूप में अकेले ऋण-जमा अनुपात से नहीं, बल्कि निवेश सह ऋण-जमा अनुपात (आइसीडी रेशियो) से अभिव्यक्त होती है। तालिका 6.12 में देखा जा सकता है कि निवेश सह ऋण-जमा अनुपात के लिहाज से राज्यों के बीच ऋण-जमा अनुपात संबंधी असमानता कम होती दिखती है। अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों के मामले में निवेश सह ऋण-जमा अनुपात उनके ऋण-जमा अनुपात के मुकाबले काफी अधिक थे। वहीं विकसित राज्यों के मामले में यह अंतर उतना अधिक नहीं था। मार्च 2011 में उपयोग के आधार पर बिहार का निवेश सह

ऋण-जमा अनुपात 39.0 प्रतिशत था जबकि स्वीकृति के आधार पर निवेश सह ऋण-जमा अनुपात 36.9 प्रतिशत। हालांकि बिहार का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात, तमिलनाडु (127.7 प्रतिशत), राजस्थान (111.2 प्रतिशत), गुजरात (84.3 प्रतिशत) या कर्नाटक (80.4 प्रतिशत) के साथ-साथ राष्ट्रीय औसत (81.2 प्रतिशत) के मुकाबले भी काफी कम है। यहां यह भी गौरतलब है कि बिहार में निवेश सह ऋण-जमा अनुपात 2008 के अपने सर्वोच्च स्तर 52.8 प्रतिशत से गिरकर बाद के तीन वर्षों में 40 प्रतिशत से नीचे आ गया।

तालिका 6.12 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात

	मार्च 2008		मार्च 2009		मार्च 2010		मार्च 2011	
	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार
आंध्र प्रदेश	99	105.7	106.2	114.8	117.1	121.6	120.3	125.5
बिहार	**36.0**	**52.8**	**35.0**	**34.8**	**38.1**	**38.8**	**36.9**	**39.0**
गुजरात	74.3	105.6	73.4	84.3	75.9	85.8	76.1	84.3
हरियाणा	63.6	70.7	67.3	80.0	70.1	82.9	78.5	92.4
हिमाचल प्रदेश	-	-	60.6	69.1	64.2	73.0	58.0	65.0
झारखंड	38.8	43.6	37.5	41.2	42.8	44.5	40.9	42.0
कर्नाटक	81.2	97.3	82.2	87.7	82.7	85.6	76.8	80.4
केरल	71.4	74.4	68.8	70.8	73.5	74.9	81.5	82.2
मध्य प्रदेश	67.5	73.3	66.7	71.2	69.9	73.1	63.3	67.8
महाराष्ट्र	95.8	75	94.1	81.6	85.8	78.6	85.5	77.5
उड़ीसा	62.4	68.5	55.3	60.2	57.8	61.5	54.9	58.0
पंजाब	75.4	84.3	75.0	74.8	82.7	84.2	88.5	103.6
राजस्थान	95.9	113.6	96.2	103.0	105.7	114.0	105.8	111.2
तमिलनाडु	120.4	122.8	115.5	122.7	123.1	122.8	123.5	127.7
उत्तर प्रदेश	52.1	61	51.5	55.8	51.9	56.0	50.7	55.0
उत्तराखंड	33.6	38.9	32.9	36.3	43.4	47.9	44.3	48.0
पश्चिम बंगाल	71.1	74.5	71.1	72.6	72.6	75.9	73.6	75.0
भारत	**79.2**	**79.2**	**78.6**	**78.6**	**79.8**	**79.8**	**81.2**	**81.2**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना, ऋण-जमा अनुपात, कृषि ऋण और अन्य प्रासंगिक पैरामीटर संबंधित उनके प्रदर्शनों पर आधारित एक दर्जा निर्धारण योजना का शुभारंभ किया है। योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन वित्तवर्ष के अंतर में किया जा सकता है।

जिलों के ऋण-जमा अनुपात

तालिका 6.13 में 2006-07 से सितंबर 2012 तक बिहार के सभी 38 जिलों में सभी व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण-जमा अनुपात दर्शाया गया है। तालिका में देखा जा सकता है कि सितंबर 2012 में ऋण-जमा अनुपात के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है। सीवान में यह 21.71 प्रतिशत है तो कैमूर में 51. 15 प्रतिशत या किशनगंज में 49.93 प्रतिशत। राज्य के 38 में से 10 जिलों में यह 30 प्रतिशत से कम है। ये जिले हैं भोजपुर, भागलपुर, मधुबनी, जमुई, लखीसराय, सारण, मुंगेर, शेखपुरा, सीवान और वैशाली। वहीं 10 जिलों - अररिया, बेगूसराय, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर, सुपौल, पूर्व चंपारण और पश्चिम चंपारण - में यह 40 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि कई जिलों के ऋण-जमा अनुपात सहकारी बैंकों सहित अनक बैंकों के

पूर्ववर्ती ऋणों पर संचित ब्याजों के कारण अधिक हैं। वे जिलों में बैंकों द्वारा बढ़े ऋण प्रवाह को अनिवार्यतः व्यक्त नहीं करते। बिहार के कम से कम 26 जिलों में ऋण-जमा अनुपात मार्च 2012 के मुकाबले सितंबर 2012 में गिरा है।

तालिका 6.13 : जिलावार ऋण-जमा अनुपात

जिला	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (सितंबर 12)
पटना	32.18	27.64	25.11	24.18	26.53	31.33	32.29
नालंदा	27.44	25.77	24.59	27.13	29.75	30.87	30.70
भोजपुर	24.95	24.51	20.74	24.5	23.90	25.17	24.09
बक्सर	31.08	30.99	24.17	31.48	31.56	32.23	30.76
रोहतास	39.79	40.5	36.24	36.02	38.37	40.04	39.43
कैमूर	46.06	43.04	47.13	48.16	52.16	49.07	51.15
गया	28.37	28.46	28.67	31.45	32.07	31.38	32.00
जहानाबाद	23.62	25.28	23.78	28.84	29.98	32.36	33.26
अरवल	26.66	26.8	26.35	32.06	45.38	31.50	30.54
नवादा	27.16	26.06	22.91	31.66	34.44	39.27	38.63
औरंगाबाद	26.65	23.76	23.22	27.95	31.82	33.24	32.32
सारण	26.18	23.12	23.85	26.25	24.35	24.35	23.63
सीवान	22.07	20.68	18.78	20.08	21.63	21.10	21.71
गोपालगंज	29.12	30.19	25.68	25.65	28.66	28.43	28.27
पश्चिम चंपारण	51.69	48.99	47.31	47.12	45.69	49.14	47.61
पूर्वी चंपारण	43.68	42.34	36.87	38.94	44.07	42.25	41.31
मुजफ्फरपुर	36.21	34.29	43.33	45.34	35.69	33.20	32.59
सीतामढ़ी	40.24	35.16	32.23	32.91	34.00	34.65	35.59
शिवहर	30.06	29.44	38.29	42.31	34.09	36.81	32.51
वैशाली	31.90	32.17	28.45	30.72	29.90	29.98	29.67
दरभंगा	29.31	26.45	22.99	26.40	28.54	26.91	38.32
मधुबनी	32.68	30.32	25.55	28.32	29.40	30.59	29.43
समस्तीपुर	38.5	36.05	37.09	39.69	44.36	42.74	42.14
बेगूसराय	44.95	40.32	35.59	37.83	39.63	38.95	41.86
मुंगेर	23.35	23.17	23.28	21.02	29.64	28.08	25.82
शेखपुरा	27.61	26.72	24.94	29.77	28.60	28.93	26.62
लखीसराय	24.4	24.23	22.83	24.26	24.95	25.25	24.92
जमुई	29.18	28.30	25.61	25.85	26.79	29.16	28.15
खगड़िया	38.34	32.70	32.37	36.55	36.05	39.84	37.88
भागलपुर	37.77	35.79	30.98	30.09	28.97	24.92	28.53
बांका	44.62	40.55	33.86	35.83	35.15	36.45	36.98
सहरसा	33.90	36.31	29.03	37.52	34.53	33.53	32.42
सुपौल	32.38	35.66	28.16	31.99	36.10	35.83	40.83
मधेपुरा	42.63	42.29	26.43	28.06	43.39	31.78	34.13
पूर्णिया	51.33	51.53	45.09	49.79	53.12	50.92	46.99
किशनगंज	53.17	52.77	49.1	49.85	53.34	50.65	49.93
अररिया	51.69	50.72	38.03	38.57	45.84	48.96	46.94
कटिहार	58.19	55.59	43.98	45.59	44.92	44.29	41.98

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बिहार में व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात

तालिका 6.14 क में बिहार में राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात दर्शाया गया है और तालिका 6.14 ख में निजी व्यावसायिक बैंकों का। सितंबर 2012 में अग्रणी (लीड) बैंकों के बीच कनारा बैंक का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 36.61 प्रतिशत था और उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (35.08 प्रतिशत) तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का (35.07 प्रतिशत)। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सितंबर 2012 में सर्वाधिक 114.08 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात कॉर्पोरेशन बैंक का था जो गत वर्षों के दौरान लगातार नीचे रहा था। दूसरा स्थान स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का था (62.35 प्रतिशत) जो उससे बहुत पीछे था। कुछ बैंकों के ऋण-जमा अनुपात अत्यंत कम थे, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट का 10.15 प्रतिशत या पंजाब एंड सिंध बैंक का 12.01 प्रतिशत। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने अनुपात में सुधार किया है; मार्च 2012 में उसका ऋण-जमा अनुपात 17.81 प्रतिशत था जो सितंबर 2012 मं बढ़कर 53.77 प्रतिशत हो गया।

तालिका 6.14 क : राष्टोयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

बैंक	2012 में शाखाओं की सं.	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (सितंबर 12)
लीड बैंक								
भारतीय स्टेट बैंक	731	27.10	27.99	24.72	24.76	28.09	31.21	31.55
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	395	32.58	30.92	35.52	35.91	34.69	33.91	35.08
पंजाब नेशनल बैंक	490	26.63	24.98	27.13	32.50	29.74	33.05	32.59
कनारा बैंक	125	34.88	33.80	30.80	32.28	33.71	39.40	36.61
यूको बैंक	196	41.21	41.10	32.52	27.59	36.05	28.88	34.50
बैंक ऑफ बड़ौदा	134	52.04	30.91	31.42	31.14	34.27	33.57	33.81
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	93	42.17	35.28	26.93	27.51	26.67	36.78	35.07
अन्य बैंक								
बैंक ऑफ इंडिया	266	33.19	33.77	30.38	33.53	35.02	35.02	35.16
इलाहाबाद बैंक	177	38.76	32.92	27.39	27.97	26.62	30.50	31.81
आंध्र बैंक	14	20.47	20.35	24.44	23.00	20.18	21.35	29.97
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7	40.29	24.21	17.18	19.41	14.55	17.18	10.15
कॉर्पोरेशन बैंक	16	8.99	अनु.	16.49	8.84	7.79	75.00	114.08
देना बैंक	19	24.73	21.33	18.78	19.34	11.64	09.49	44.75
इंडियन बैंक	43	23.74	27.17	25.15	23.61	20.26	32.33	31.09
इंडियन ओवरसीज बैंक	33	13.11	11.92	11.29	12.15	13.60	17.81	53.77
ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	31	50.07	41.47	37.67	अनु.	24.40	30.41	40.32
पंजाब एंड सिंध बैंक	8	46.82	अनु.	अनु.	अनु.	10.73	11.10	12.01
सिंडिकेट बैंक	43	57.37	54.23	45.27	44.57	41.67	39.92	40.42
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	82	32.39	28.27	24.36	27.10	27.82	34.48	40.02
विजया बैंक	10	23.19	23.43	21.64	20.84	21.28	21.93	25.50
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	4	52.41	29.22	25.84	24.80	27.41	41.28	61.54
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1	46.29	35.85	अनु.	81.33	86.30	63.29	62.35
राज्य	**4962**	**33.75**	**31.62**	**28.96**	**30.99**	**31.37**	**34.90**	**37.09**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बिहार में निजी व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपातों का अलग से उल्लेख जरूरी है। बिहार में 7 निजी बैंकों की 110 शाखाएं हैं जैसा कि तालिका 6.14 ख में दर्शाया गया है। इनके ऋण-जमा अनुपात लगभग 4.63 प्रतिशत से 68.34 प्रतिशत के बीच हैं। इंडसइंड बैंक की एक शाखा के सिवा निजी व्यावसायिक बैंकों की सारी शाखाएं अर्धशहरी या शहरी क्षेत्रों में ही मौजूद थीं। यहां तक कि अर्धशहरी क्षेत्रों में भी उनकी उपस्थिति बहुत सीमित थी। मार्च 2012 में उनका संयुक्त ऋण-जमा अनुपात 22.3 प्रतिशत था।

तालिका 6.14 ख : निजी व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात, 2011-12

बैंक	अर्धशहरी			शहरी			योग			
	शाखाओं की सं.	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	शाखाओं की सं.	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	शाखाओं की सं.	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	ऋण-जमा अनुपात
आइसीआइसीआइ बैंक	11	15280	2276	23	170392	26763	34	185672	29039	15.64
फेडरल बैंक	0	0	0	3	10825	768	3	10825	768	7.09
जम्मू कश्मीर बैंक	1	3752	1187	0	0	0	1	3752	1187	31.64
साउथ इंडियन बैंक	0	0	0	1	3389	157	1	3389	157	4.63
एक्सिस बैंक	10	34044	171	24	170160	42620	34	204204	42791	20.96
एचडीएफसी बैंक	16	10286	872	20	111346	42485	36	121632	43357	35.65
कर्नाटक बैंक	0	0	0	1	1769	1209	1	1769	1209	68.34
सभी बैंक	38	63362	4506	72	467881	114002	110	531243	118508	22.31

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात

बिहार में चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इनमें से प्रत्येक किसी खास क्षेत्र में सेवा प्रदान करते हैं। ये हैं : पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक द्वारा प्रायोजित बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तालिका 6.15 में इन चारो बैंकों के ऋण-जमा अनुपात दर्शाए गए हैं। मार्च 2012 में समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात 69.91 प्रतिशत रहा है जो सर्वाधिक है, वहीं बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात 38.97 प्रतिशत रहा है जो न्यूनतम है। उनकी सापेक्ष स्थिति गत वर्ष से एक जैसी रही है।

तालिका 6.15 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ऋण-जमा अनुपात			निवेश सह ऋण-जमा अनुपात		
	2010-11	2011-12	2012-13 (सितंबर 12)	2010-11	2011-12	2012-13 (सितंबर 12)
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	41.00	43.79	42.53	41.34	43.81	42.55
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	36.36	38.15	38.97	35.80	41.24	38.97
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	54.85	65.64	69.91	59.24	65.64	69.91
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	44.77	48.17	47.88	45.07	48.17	47.88
योग	43.14	46.37	45.98	43.46	46.69	45.99

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

6.3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राप्त अग्रिमों में क्षेत्रवार हिस्सा

वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अंतर्गत उपलब्धियां

तालिका 6.16 में 2011-12 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को हुए ऋण वितरण की क्षेत्रगत विवरणी प्रस्तुत की गई है। राज्य में बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अग्रिमों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा था। राज्य में दिए गए कुल अग्रिमों में कृषि का हिस्सा 46.14 था जो गत वर्ष के 42 प्रतिशत से अधिक है। देखा जा सकता है कि 2011-12 में कुल वितरित ऋण में लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिमों का हिस्सा मात्र 8.86 प्रतिशत था जो 2010-11 के बराबर ही है। यह हिस्सा 2009-10 में 17 प्रतिशत था। गत वर्षों के दौरान उद्योग को मिले ऋण का यह निम्न परिमाण निश्चय ही चिंता की बात है। इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रांगणों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ बिजली और सड़कमार्ग संबंधी अधिसंरचना का विकास आवश्यक होगा। वर्ष 2011-12 में वार्षिक ऋण योजना के तहत समग्र उपलब्धि इस वर्ष 75.04 प्रतिशत थी जो गत वर्ष 69 प्रतिशत थी। यह भी देखा जा सकता है कि लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों के मामले में 2010-11 की तरह 2011-12 में भी उपलब्धि तय आबंटन से अधिक हुई जो संभवतः इस क्षेत्र हेतु आबंटन बढ़ाने का संकेत देती है।

तालिका 6.16 : वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत अग्रिमों का क्षेत्रवार हिस्सा (2011-12)

क्षेत्र	वार्षिक ऋण योजना लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)	अग्रिमों में हिस्सा (%)
कृषि	21102	14958	70.88	46.14
लघु एवं मध्यम उद्योग	2441	2873	117.70	8.86
अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	4600	3514	76.38	10.84
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम	28144	21345	75.84	65.85
गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	15056	11071	73.53	34.15
योग	43200	32416	75.04	100.00

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के तहत बिहार में कुल ऋण प्रवाह 26.9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 2010-11 के 25,552 करोड़ रु. से बढ़कर 2011-12 में 32,416 करोड़ रु. हो गया है जो गत वर्ष दर्ज 46 प्रतिशत वृद्धि से कम है। गत पांच वर्षों के दौरान बिहार में हुए कुल ऋण प्रवाह को तालिका 6.17 में दर्शाया गया है। उपलब्धि दरें एक जैसी नहीं रही हैं - वर्ष 2007-08 में यह 82.16 प्रतिशत थी, तो 2010-11 में 69.06 प्रतिशत। यह भी दिखता है कि विभिन्न बैंक समूहों के बीच उपलब्धि दरों के मामले में भारी अंतर मौजूद है जो सहकारी बैंकों के मामले में मात्र 19.16 प्रतिशत है, तो अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के मामले में 79.71 प्रतिशत (तालिका 6.18)।

तालिका 6.17 : वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धियां - सभी बैंक

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2007-08	13100	10763	82.16
2008-09	17492	13548	77.45
2009-10	21128	17537	83.00
2010-11	37000	25552	69.06
2011-12	43200	32416	75.04

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

तालिका 6.18 : वार्षिक ऋण योजनागत उपलब्धियों का अभिकरण-वार विश्लेषण (2011-12)

अभिकरण	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
व्यावसायिक बैंक	31591	25181	79.71
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	9590	6849	71.41
सहकारी बैंक	2019	387	19.16
योग	43200	32416	75.04

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बकाया कृषि अग्रिम

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के बीच पांच वर्षों के दौरान बिहार में कृषिगत ऋण प्रवाह की मात्रा तालिका 6.19 क में दर्शाई गई है। वर्ष 2007-08 (3,755 करोड़ रु.) और 2009-10 (7,163 करोड़ रु.) के बीच की दो-वर्षीय अवधि में कृषि हेतु ऋण प्रवाह में मात्र 3,408 करोड़ रु. की वृद्धि हुई थी लेकिन अगले दो वर्षों में इसमें दूने से भी अधिक - 7,795 की की वृद्धि हुई। यह बात जरूर है कि कुल ऋण प्रवाह में व्यावसायिक बैंकों का ही बड़ा हिस्सा था - 2011-12 में 64.7 प्रतिशत। बकाया कृषि अग्रिम (आउटस्टैंडिंग एॅग्रीकल्चरल एडवांसेज) 2011-12 के अंत में 18,290 करोड़ रु. हो गया। इसका अर्थ 2007-12 की अवधि में कृषि हेतु कुल बकाया ऋण में 24 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि हुई है (तालिका 6.19 ख)।

तालिका 6.19 क : कृषिगत ऋण प्रवाह

वर्ष	व्यावसायिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		केंद्रीय सहकारी बैंक		योग	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2007-08	3004	2447 (81.5)	1256	952 (75.8)	620	356 (57.4)	4880	3755 (76.9)
2008-09	4355	3943 (90.5)	1822	1438 (78.1)	899	317 (35.3)	7076	5697 (80.5)
2009-10	5425	4960 (91.4)	2220	1851 (84.0)	1082	353(32.6)	8727	7163 (82.1)
2010-11	9111	7058 (77.5)	5228	3188 (61.0)	1529	422 (27.6)	15868	10667 (67.2)
2011-12	12241	9689 (79.2)	7013	4882 (69.6)	1848	387 (20.9)	21102	14958 (70.9)

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति (कोष्ठक के आंकड़े उपलब्धियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।)

तालिका 6.19 ख : बकाया कृषिगत अग्रिम

वर्ष	बकाया कृषिगत अग्रिम (करोड़ रु.)				वार्षिक वृद्धि दर
	व्यावसायिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी तथा भूमि विकास बैंक	योग	
2006-07	4257	1694	272	6223	–
2007-08	5085	2249	384	7718	24.0
2008-09	6409	2206	308	8923	15.6
2009-10	8521	3104	292	11916	33.5
2010-11	10664	3270	48	13982	17.3
2011-12	12426	3445	2418	18290	30.8

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कामकाज के चुनिंदा सूचक

तालिका 6.20 में 31 मार्च 2011 के अनुसार विभिन्न राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कामकाज के कुछ चुनिंदा सूचक दर्शाए गए हैं। यद्यपि बिहार में 8,463 पैक्स हैं जिनका संपूर्ण भारत के पैक्स में 9.1 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन जमा और ऋणग्रहण के मामले में बिहार के पैक्स अन्य राज्यों से बहुत पीछे हं। इसके अतिरिक्त, कुल 8,463 पैक्स में से 3,962 घाटे में चल रहे हैं जिनका कुल घाटा 1 करोड़ रु. है जबकि 1,180 पैक्स ने मात्र 6 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है। सारे पैक्स का कुल जमा महज 175 करोड़ रु. है। 31 मार्च 2011 को उन पर कुल बकाया ऋण 508 करोड़ रु. हो गया था। वर्ष 2010-11 के अंत तक उनके द्वारा दिए गए कुल ऋण संबंधी बकाया की कोई सूचना नहीं है जो गत वर्ष 171 करोड़ रु. था। बकाया ऋण पूर्णतः कृषि क्षेत्र में था।

तालिका 6.20 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा सूचक (31 मार्च, 2011)

राज्य	पैक्स की संख्या	जमा (करोड़ रु.)	ऋणग्रहण (करोड़ रु.)	बकाया ऋण एवं अग्रिम (करोड़ रु.)		लाभ वाले पैक्स		घाटा वाले पैक्स	
				कृषि	गैर-कृषि	संख्या	रकम (करोड़ रु.)	संख्या	रकम (करोड़ रु.)
आंध्र प्रदेश	2792	1209	34840	4057	186	980	25	1812	455
बिहार	**8463**	**175**	**508**	**-**	**-**	**1180**	**6**	**3962**	**1**
गुजरात	8117	1180	8409	3862	140	4720	97	2274	121
हरियाणा	646	501	7821	4866	414	80	0	566	3
हिमाचल प्रदेश	2110	448	1902	407	-	1707	19	340	2
झारखंड	498	77	488	287	-	118	2	380	29
कर्नाटक	4811	3237	10173	4513	2442	2818	510	1952	94
केरल	1573	21140	26380	4675	17001	789	207	692	203
मध्य प्रदेश	4526	704	5490	2755	127	1946	106	2368	180
महाराष्ट्र	21343	110	13906	7693	1832	10220	367	10701	433
उड़ीसा	2452	798	3973	2148	81	581	19	1854	189
पंजाब	3990	908	5901	128	-	2504	92	970	13
राजस्थान	5264	638	5108	3012	187	3809	48	1180	44
तमिलनाडु	4488	3833	11522	3333	3288	2184	157	2069	114
उत्तर प्रदेश	8929	68	1259	800	-	4536	18	1968	2
उत्तराखंड	758	353	863	355	109	562	38	185	9
पश्चिम बंगाल	7007	1419	3972	1103	175	4007	19	3000	15
भारत	**93413**	**37238**	**144222**	**44639**	**26081**	**44554**	**1841**	**38065**	**2046**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

पैक्स के कमजोर संसाधन आधार, उनका खराब प्रबंधन और सदस्यों की भागीदारी का निम्न स्तर पैक्स के जरिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के मामले में प्रमुख बाधक हैं। जैसा कि नाबार्ड ने संकेत दिया है कि पैक्स की क्षमता कुछ हद तक अपने सदस्यों को ऋण देने तक ही सीमित है। अपने सदस्यों को अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने और अपने लिए आय उपार्जित करने में सक्षम बनाने के लिहाज से अपने सदस्यों को सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने और गतिविधियों के विविधीकरण के लिए आवश्यक है कि उन्हें बहु-सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाय।

राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम

तालिका 6.21 में देश के प्रमुख राज्यों में राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम दर्शाए गए हैं। बिहार में इन बैंकों द्वारा ऋण वसूली के प्रतिशत में अच्छा-खासा सुधार हुआ है जो 2008 के 36 प्रतिशत से बढ़कर 2010 और 2011, दोनों वर्षों में 72.1 प्रतिशत हो गया। लेकिन राष्ट्रीय औसत (91.8 प्रतिशत) से यह फिर भी नीचे है। बिहार में कुल बकाया ऋणों में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का हिस्सा 2010 और 2011, दोनों वर्षों में 24.2 प्रतिशत था जो राष्ट्रीय औसत - मात्र 8.9 प्रतिशत - से काफी अधिक है।

तालिका 6.21 : राजकीय सहकारो बैंकों के कार्य परिणाम

राज्य	लाभ/ हानि (करोड़ रु.)		अनिष्पादित परिसंपत्तियां बकाया ऋणों के प्रतिशत में		वसूली (प्रतिशत) अंतिम जून तक	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
आंध्र प्रदेश	137	112	1.0	2.7	88.9	95.6
बिहार	**6**	**6**	**24.2**	**24.2**	**72.1**	**72.1**
गुजरात	60	14	10.2	9.0	87.2	87.8
हरियाणा	-14	5	0.1	0.1	99.9	99.9
हिमाचल प्रदेश	36	56	13.2	12.5	80.0	67.0
कर्नाटक	9	9	4.4	4.1	97.6	97.5
केरल	-194	-66	19.2	15.3	81.8	85.8
मध्य प्रदेश	18	40	2.4	3.2	96.9	97.3
महाराष्ट्र	3	3	20.9	23.5	79.6	70.6
उड़ीसा	10	11	4.6	5.1	96.7	96.8
पंजाब	8	26	1.2	1.1	99.2	99.3
राजस्थान	13	24	1.8	1.1	97.1	98.4
तमिलनाडु	19	41	3.6	2.7	99.8	99.4
उत्तर प्रदेश	20	21	10.3	7.8	90.2	91.9
उत्तराखंड	2	3	12.4	12.4	97.4	97.4
पश्चिम बंगाल	15	15	4.0	4.0	91.1	91.1
भारत	**245**	**462**	**8.8**	**8.9**	**91.8**	**91.8**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य परिणाम

तालिका 6.22 में देश के प्रमुख राज्यों में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) क कार्य परिणाम दर्शाए गए हैं। यहां भी बिहार में 2010-11 में वसूली का प्रतिशत अत्यंत कम, मात्र 2.0 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत 40.0 प्रतिशत था। बिहार में अनिष्पादित परिसंपत्तियों की मात्रा 2010 और 2011, दोनो वर्षों

में कुल बकाया ऋणों का लगभग 85.3 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय औसत 2010 में मात्र 33.2 प्रतिशत और 2011 में 34.3 प्रतिशत थी।

तालिका 6.22 : राजकीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य परिणाम (अंतिम मार्च)

राज्य	शाखाएं	लाभ/ हानि (करोड़ रु.)		अनिष्पादित परिसंपत्तियां बकाया ऋणों के प्रतिशत में		वसूली (प्रतिशत)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
बिहार	**131**	**-1**	**-1**	**85.3**	**85.3**	**2.0**	**2.0**
गुजरात	181	36	37	51.4	49.5	37.2	47.2
हरियाणा	-	5	-117	28.0	28.0	46.5	46.5
हिमाचल प्रदेश	33	1	1	-	0.1	51.4	44.3
कर्नाटक	23	-83	-83	29.0	29.7	43.9	41.0
केरल	14	18	18	6.0	6.0	91.3	91.3
मध्य प्रदेश	7	-61	-61	40.0	51.7	26.2	21.1
महाराष्ट्र	-	-4	-114	98.0	98.0	13.3	2.6
उड़ीसा	5	-1	-1	100.0	100.0	48.9	48.9
पंजाब	-	27	19	-	-	78.9	78.9
राजस्थान	7	-22	20	18.0	23.2	51.8	52.4
तमिलनाडु	18	2	2	41.0	41.0	4.9	4.9
उत्तर प्रदेश	342	11	15	52.4	53.9	43.4	50.1
पश्चिम बंगाल	2	9	0	24.0	17.6	59.8	59.8
भारत	**842**	**-7**	**-27**	**33.2**	**34.3**	**40.5**	**40.0**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 1998-99 में आरंभ की गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लक्ष्य किसानों को लचीले तथा किफायती ढंग से फसल ऋण उपलब्ध कराना रहा है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना का क्रियान्वयन सारे व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राजकीय सहकारो बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत शामिल प्रत्येक लाभार्थी को एक क्रेडिट कार्ड सह पासबुक जारी किया जाता है जिसमें उसके नाम, पता तथा जमीन का विवरण, ऋणग्रहण सीमा तथा वैधता अवधि का उल्लेख रहता है। उत्पादन हेतु ऋण सीमाओं का निर्धारण पूरे एक वर्ष के लिए उनकी पूरी उत्पादन ऋण आवश्यकताओं तथा फसल उत्पादन संबंधी आनुषंगिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऋणदाता बैंकों के विवेकाधीन उप-सीमाएं भी तय की जाती हैं। फसल ऋण/ अल्पावधि ऋण चक्रानुसारी नगद ऋण (रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट) सुविधा के रूप में होता है जिसमें निर्धारित सीमा के अंदर किसी भी संख्या में निकासी और भुगतान की स्वीकृति होती है। अब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण के साथ-साथ फसल उत्पादन हेतु वांछित कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है।

तालिका 6.23 में बिहार में बैंकों द्वारा 2001-02 से 2011-12 के बीच जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या दर्शाई गई है। वर्ष 2006-07 तक व्यावसायिक बैंकों के उपलब्धि संबंधी आंकड़े लगातार 80 प्रतिशत से अधिक थे जिसके बाद उसमें स्पष्ट गिरावट आई। हालांकि अगले साल स्थिति में सुधार हुआ। वर्ष 2010-11 में उपलब्धियां गिरकर मात्र 56.9 प्रतिशत रह गईं। बाद में वर्तमान वित्तवर्ष में सुधार हुआ है और यह बढ़कर 71.7 प्रतिशत हो गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पूरी अवधि में अपने प्रदर्शन में धीरे-धीरे लेकिन निरंतर सुधार किया है और 2011-12 में उनकी उपलब्धि लक्ष्य का 86.6 प्रतिशत थी। यद्यपि केंद्रीय सहकारी बैंक 2008-09 तक अपने लक्ष्यों से पिछड़े रहे लेकिन 2009-10 में अपने लक्ष्य की 175.7 प्रतिशत और 2010-11 में 128.3 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करके इन बैंकों ने अपनी पिछली कमियों की अंशतः भरपाई कर लो। वर्तमान वित्तवर्ष में उनकी उपलब्धि पुनः गिरकर 55.1 प्रतिशत रह गई है लेकिन इसका कारण इस वर्ष लक्ष्यों में काफी अधिक वृद्धि हो सकती है। उल्लेखनीय है कि सहकारी बैंकों द्वारा लक्ष्यों से कम उपलब्धि हासिल करने के कारण 2008-09 से लक्ष्यों को संशोधित करके काफी बढ़ा दिया गया था। समग्रतः, 2011-12 में राज्य में समग्र उपलब्धि लक्ष्य का 73.9 प्रतिशत रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के मामले में उपलब्धियों के जिलावार आंकड़े तालिका प 6.2 (परिशिष्ट) में दर्शाए गए हैं।

तालिका 6.23 : बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (1999-00 से 2011-12 तक)

वर्ष	व्यावसायिक बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2001-02	110207	123465	112.0	52738	14256	27.0
2002-03	98180	77543	79.0	60918	24441	40.1
2003-04	105530	95587	90.6	64535	30864	47.8
2004-05	174850	140793	80.5	150500	76891	51.1
2005-06	143866	131618	91.5	129719	66332	51.1
2006-07	250000	203935	81.6	190000	140071	73.7
2007-08	300000	222478	74.2	228000	168529	73.9
2008-09	861429	505008	58.6	478571	310257	64.8
2009-10	861429	660997	76.7	478571	397420	83.0
2010-11	1148574	653484	56.9	638093	475636	74.5
2011-12	1352013	969763	71.7	778467	674095	86.6
	केंद्रीय सहकारी बैंक			योग		
2001-02	277204	42086	15.2	440149	179807	40.8
2002-03	600000	112580	18.8	759098	214564	28.3
2003-04	425839	229051	53.8	595904	355502	59.7
2004-05	470350	245907	52.3	795700	463591	58.3
2005-06	293166	120653	41.2	566751	318603	56.2
2006-07	160000	55374	34.6	600000	399380	66.6
2007-08	160000	75533	47.2	688000	466540	67.8
2008-09	160000	81725	51.1	1500000	896990	59.8
2009-10	160000	281122	175.7	1500000	1339539	89.3
2010-11	213333	273710	128.3	2000000	1402830	70.1
2011-12	369520	203579	55.1	2500000	1847437	73.9

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

6.4 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश

तालिका 6.24 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा 2010 और 2011 के 31 मार्च तक राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सरकार प्रायोजित कंपनियों के शेयर/ डिबेंचर/ बांड में निवेश दर्शाया गया है। देश में हुए कुल निवेश में बिहार का हिस्सा 2009-10 में 3.1 प्रतिशत था जो 2010-11 में घटकर 2.9 प्रतिशत हो गया।

तालिका 6.24 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के निवेश का राज्यवार वितरण

राज्य	कुल निवेश (करोड़ रु.)		देश के कुल योग में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा	
	2010	2011	2010	2011
आंध्र प्रदेश	29764	31023	10.04	10.19
बिहार	**9124**	**8830**	**3.08**	**2.90**
गुजरात	22877	25804	7.72	8.48
हरियाणा	7379	8785	2.49	2.89
हिमाचल प्रदेश	5903	5307	1.99	1.74
झारखंड	4904	4884	1.65	1.60
कर्नाटक	14915	14234	5.03	4.68
केरल	15848	14354	5.35	4.72
मध्य प्रदेश	11039	10593	3.72	3.48
महाराष्ट्र	34149	35903	11.52	11.80
उड़ीसा	2810	2407	0.95	0.79
पंजाब	14904	16342	5.03	5.37
राजस्थान	18542	19674	6.26	6.46
तमिलनाडु	26216	28606	8.85	9.40
उत्तर प्रदेश	26941	25017	9.09	8.22
उत्तराखंड	4079	4322	1.38	1.42
पश्चिम बंगाल	30654	31264	10.34	10.27
भारत	**296376**	**304318**	**100.00**	**100.00**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2011-12, भारतीय रिजर्व बैंक

6.5 वित्तीय संस्थाएं

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड कृषि, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण शिल्पों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं के पुनर्वित्तपोषण के जरिए ऋण प्रवाह में मदद हेतु अधिदेशित है। यह ग्रामीण ऋणदाता संस्थाओं के कामकाज का समन्वय भी करता है और प्रशिक्षण एवं शोध सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। साथ ही, यह ग्रामीण अधिसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋणप्रदान में कमी को पूरा करने तथा राज्य सरकार को सिंचाई, मृदा संरक्षण, जलछाजन (वाटरशेड) प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, शीतगृह शृंखला तथा ग्रामीण

अधिसंरचना संबंधी अन्य परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने क लिहाज से निर्मित ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ) का प्रबंधन भी करता है।

नाबार्ड द्वारा मार्च 2012 तक किए गए क्षेत्रवार पुनर्वित्तपोषण के विवरण तालिका 6.25 में दर्शाए गए हैं। नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषण में लगातार वृद्धि हो रही है और 2011-12 के अंत में इसका परिमाण 2,181 करोड़ रु. था। आधे से भी अधिक सहायता आरआइडीएफ ऋणों के जरिए उपलब्ध कराई गई है जिस पर अगले खंड में चर्चा की गई है। निवेश ऋण पुनर्वित्तपोषण (इनवेस्टमेंट क्रेडिट रिफाइनांसिंग) के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा अनेक गतिविधियां चलाई जाती हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक गतिविधि के लिए पुनर्वित्तपोषण की मात्रा तालिका 6.26 में दर्शाई गई है। तालिका से पता चलता है कि नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषित तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधियां कृषि यंत्रीकरण, दुग्धशाला और ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र हैं। वर्ष 2011-12 में 377 करोड़ रु. के कुल पुनर्वित्तपोषण निवेश में कृषि यंत्रीकरण का 26.0 प्रतिशत, दुग्धशाला का 18.8 प्रतिशत और ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र का 26.0 प्रतिशत हिस्सा था।

तालिका 6.25 : नाबार्ड द्वारा क्षेत्रवार पुनर्वित्तपोषण

(करोड़ रु.)

वर्ष	फसल ऋण पुनर्वित्तपोषण	निवेश ऋण पुनर्वित्तपोषण	आरआइडीएफ ऋण	कुल वित्तीय सहायता
2005-06	73.46	117.21	120.74	311.41
2006-07	45.57	168.04	201.13	414.74
2007-08	68.18	184.05	296.96	549.19
2008-09	109.32	105.59	495.17	710.08
2009-10	226.86	56.79	541.94	825.59
2010-11	409.65	285.94	1089.87	1785.46
2011-12	700.00	376.54	1104.02	2180.56

स्रोत : नाबार्ड

नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषण (करोड़ रु.)

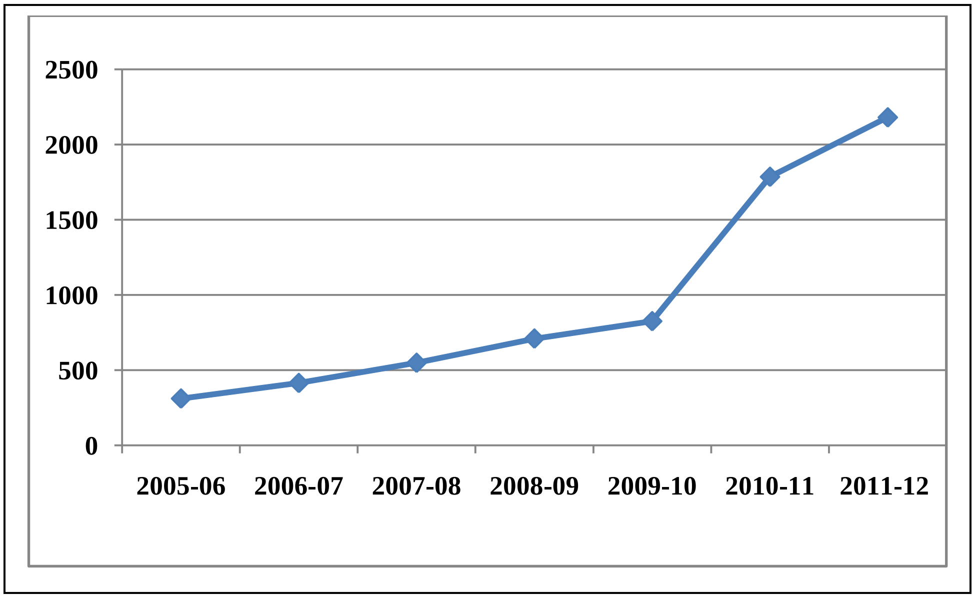

तालिका 6.26 : नाबार्ड द्वारा बिहार में क्षेत्रवार निवेश ऋण पुनर्वित्तपोषण के विवरण

(करोड़ रु.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
लघु सिंचाई	11.23	0.00	1.08	39.38	32.72
कृषि यंत्रीकरण	23.99	26.65	47.41	81.92	97.76
स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना	33.91	1.55	0.00	3.05	-
दुग्धशाला	10.48	0.33	2.89	92.56	70.62
अजा/ अजजा कार्ययोजना	0.00	0.00	0.00	0.05	0.36
स्वयं सहायता समूह	19.86	19.31	0.00	40.57	43.66
प्रधानमंत्री रोजगार योजना	3.62	5.57	0.00	0.55	0.00
ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र	10.21	11.68	0.00	22.84	97.80
अन्य	70.75	40.50	5.42	5.07	33.62
योग	**184.05**	**105.59**	**56.80**	**285.99**	**376.54**

स्रोत : नाबार्ड, स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट, 2011-12

नाबार्ड की 2012 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011-12 में नाबार्ड द्वारा बिहार में ली गई खास राज्य हेतु रूपांकित परियोजनाओं सहित प्रमुख पहलकदमियों में निम्नलिखित शामिल थीं :

(क) जलछाजन विकास कोष (वाटरशेड डेवलपमेंट फंड) के तहत 15 राज्यों में 41 परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिससे परियोजनाओं की संचित संख्या 620 हो गई और क्षेत्र का कुल आच्छादन 5.29 लाख हे. हो गया। इनके लिए कुल कार्यार्पित राशि (ऋण और अनुदान घटक) 239.99 करोड़ रु. है। नाबार्ड देश में चार प्रकार की जलछाजन विकास योजनाएं संचालित करता है - (1) इंडो जर्मन जलछाजन विकास कार्यक्रम (आइजीडब्ल्यूडीपी), (2) सहभागी जलछाजन विकास कार्यक्रम, (3) चार राज्यों में संकटग्रस्त जिलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज और (4) बिहार में योजना आयोग द्वारा समर्थित समेकित जलछाजन विकास कार्यक्रम (आइडब्ल्यूडीपी)।

(ख) अपने क्रियान्वयन के सातवें वर्ष में जनजातीय विकास कोष कार्यक्रम ने मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, जैव बाड़ी और मिश्रित बाड़ी (बहुवर्षीय फलदार फसलें + लत्तरदार सब्जियां + मसाले) जैसी पारंपरिक जनजातीय जीविकाओं को शामिल करते हुए जीविका के अवसरों में वृद्धि की है। इस वर्ष 16 राज्यों के 72,419 जनजातीय परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली 98 परियोजनाओं के लिए 290.63 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। मार्च 2012 तक 26 राज्यों/ केंद्र शासित क्षेत्रों के 3,22,912 परिवारों को आच्छादित करने के लिए 1,208.23 करोड़ रु. की संचित स्वीकृति हुई है।

(ग) वर्ष 2011-12 में कृषि नवोन्मेष एवं प्रवर्तन कोष (FIPF) के तहत 14 राज्यों में 56.53 करोड़ रु. के व्यय वाली 41 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

(घ) 100 करोड़ रु. के कॉर्पस वाला कृषक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कोष (FTTF) किसानों द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाने के मामले में सहायता प्रदान करता है। इस वर्ष इस कोष के तहत विभिन्न राज्यों/ केंद्र

शासित क्षेत्रों में अनुदान के बतौर 20.59 करोड़ की सहायता वाले 395 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। संचित संवितरण 44.59 करोड़ रु. था।

(च) पूर्वांचल में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले प्रमुख निवेशों के लिए संस्थागत ऋण का प्रवाह बढ़ाने में सहयोग के लिहाज से नाबार्ड द्वारा 2011-12 में एक रियायती पुनर्वित्तपोषण सहायता योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत सात पूर्वी राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती दर से पुनर्वित्तपोषण किया जाता है। योजना के तहत रियायती पुनर्वित्तपोषण सहायता वाली प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं : (क) जल संसाधन विकास, (ख) भूमि विकास, (ग) कृषि उपकरण और (घ) बीज उत्पादन इकाइयां। वित्तवर्ष 2011-12 में बैंकों के लिए ऋण प्रदान का कुल लक्ष्य 3,912 करोड़ रु. है।

(छ) इस वर्ष कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो नई पहलकदमियों का शुभारंभ किया गया। इनमें चुनिंदा जिलों में कृषि उत्पादकता वृद्धि हेतु मार्गदर्शी परियोजनाएं शामिल हैं। उन जिलों में उड़ीसा का बालासोर जिला भी शामिल है जहां इस योजना का सबसे पहले शुभारंभ किया गया। यह परियोजना खेती के सभी परस्पर संबंधित घटकों, यथा कृषि लागत सामग्री, प्रौद्योगिकी, ऋण, कटाई-तुड़ाई पश्चात प्रबंधन, मूल्यवर्धन और विपणन संबंधी जरूरतों की समग्रतापूर्ण तरीके से पूर्ति के जरिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक व्यापक पैकेज है। क्रियान्वयन के लिए 11 राज्यों के एक-एक जिलों को चुना गया है - भोजपुर (बिहार), बिलासपुर (छत्तीसगढ़), सिरसा (हरियाणा), देवघर (झारखंड), बेलगांव (कर्नाटक), यवतमाल (महाराष्ट), शहडोल (मध्य प्रदेश), बालासोर (उड़ीसा), बीकानेर (राजस्थान), आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) और नदिया (पश्चिम बंगाल)।

(ज) ग्रामीण कृषि, गैर-कृषि और सूक्ष्मवित्त क्षेत्र में जीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने की संभावना वाली नवोन्मेषी, जोखिम शामक प्रयोगों में सहयोग देन वाले ग्रामीण नवोन्मेष कोष ने इस वर्ष 108 नई नवोन्मेषी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की। 31 मार्च 2011 तक कोष के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संचित संख्या 483 है जिनमें से 150 पूरी हो चुकी हैं और 67 क्रियान्वयन के अग्रिम चरणों में हैं।

6.6 ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ)

केंद्र सरकार द्वारा 1995-96 में ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष की स्थापना राज्य सरकारों और सरकारी स्वामित्व वाले निगमों को मध्यम एवं लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, जलछाजन विकास तथा ग्रामीण अधिसंरचना के अन्य स्वरूपों की जारी परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिहाज से निम्न लागत वाली धनराशि सहायता उपलब्ध कराकर जारी ग्रामीण अधिसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए की गई थी। कोष का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। घरेलू व्यावसायिक बैंक इस कोष में उस हद तक योगदान करते हैं जिस हद तक वे कृषि हेतु अनुबद्ध (स्टीपुलेटेड) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान के मामले में पीछे रह जाते हैं। वर्ष 2011-12 के अंत तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के 17 ट्रेंच जारी किए गए हैं जिनमें पूरे देश के लिए 1,42,471 करोड़ रु. की संचयी स्वीकृति शामिल रही है। इसमें से मात्र 94,665 करोड़ रु. (66.5 प्रतिशत) का वितरण किया गया है (तालिका 6.27)। हालांकि मार्च 2012 तक बिहार के लिए कुल 3,064 करोड़ रु. का ही संवितरण किया जा सका था जो कुल स्वीकृति 6,011 करोड़ रु. का 51.0 प्रतिशत है।

तालिका 6.27 : मार्च 2012 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत संचयी वितरण

(करोड़ रु.)

	स्वीकृति	वितरण	वितरण का %
आंध्र प्रदेश	14358	10014	69.7
बिहार	**6011**	**3064**	**51.0**
गुजरात	10902	7947	72.9
हरियाणा	3528	2284	64.7
हिमाचल प्रदेश	3537	2312	65.4
झारखंड	3905	2374	60.8
कर्नाटक	7173	4980	69.4
केरल	4572	2751	60.2
मध्य प्रदेश	10248	6354	62.0
महाराष्ट्र	9495	6336	66.7
उड़ीसा	7059	4143	58.7
पंजाब	5129	3810	74.3
राजस्थान	9729	6227	64.0
तमिलनाडु	9829	7353	74.8
उत्तर प्रदेश	11999	8930	74.4
उत्तराखंड	2929	1740	59.4
पश्चिम बंगाल	8526	5247	61.5
भारत	**142471**	**94665**	**66.4**

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट, 2011-12, नाबार्ड

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के विभिन्न ट्रेंचों में बिहार हेतु किए गए कुल वितरण को तालिका 6.28 में दर्शाया गया है। मार्च 2011 तक कुल स्वीकृत राशि 4,907 करोड़ रु. में से 2,425 करोड़ रु. (49.4 प्रतिशत) का ही संवितरण किया गया था जिसके कारण स्वीकृति और संवितरण के बीच भारी अंतर था। मार्च 2012 तक वितरण में मामूली सुधार हुआ है और इसका हिस्सा 51.0 प्रतिशत पहुंचा है। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के संवितरण में स्वीकृति के मुकाबले ऐसा अंतर पहले से ही जारी मामला है और बिहार में इस कोष के क्रियान्वयन में चिंता का विषय रहा है।

तालिका 6.28 : बिहार में मार्च 2012 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत स्वीकृति और वितरण

(करोड़ रु.)

आरआइडीएफ ट्रेंच	स्वीकृति	संवितरण	संवितरण का प्रतिशत
आरआइडीएफ I	22	13	59.1
आरआइडीएफ III	58	27	46.6
आरआइडीएफ VII	58	38	65.5
आरआइडीएफ VIII	199	161	80.9
आरआइडीएफ IX	97	62	63.9
आरआइडीएफ X	75	52	69.3
आरआइडीएफ XI	459	406	88.5
आरआइडीएफ XII	631	200	31.7
आरआइडीएफ XIII	589	459	77.9
आरआइडीएफ XIV	752	404	53.7
आरआइडीएफ XV	877	339	38.7
आरआइडीएफ XVI	1090	265	24.3
आरआइडीएफ XVII	1104	639	57.9
योग मार्च 2011 तक	**4907**	**2425**	**49.4**
योग मार्च 2012 तक	**6011**	**3064**	**51.0**

स्रोत : नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट, 2012

अभी ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत 31 गतिविधियां चलाई जाती हैं जिनका मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाता है : (1) कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, (2) सामाजिक क्षेत्र और (3) ग्रामीण पथसंपर्क।

(1) **कृषि एवं संबंधित क्षेत्र :** इसमें सिंचाई परियोजनाएं, मृदा संरक्षण, बाढ़ संरक्षण, जल छाजन, जलजमाव-ग्रस्त क्षेत्रों की जलजमाव से मुक्ति, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं बागवानी, बीज, कृषि एवं बागान, वन विकास, मत्स्याखेट बंदरगाह/ जेटी, नदी मत्स्याखेट, बाजार प्रांगण, गोदाम, विपणन अधिसंरचना, शीतगृह, श्रेणीकरण/ प्रमाणन तंत्र, जांच प्रयोगशालाएं, जलविद्युत परियोजनाएं (10 मेगावाट तक), ग्रामीण ज्ञान केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी हेतु अधिसंरचनाएं, समुद्रतटीय क्षेत्रों में विलवणीकरण संयंत्र तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के औद्योगिक प्रांगणों/ केंद्रों की स्थापना शामिल हैं। सभी राज्यों को परियोजना व्यय की 95 प्रतिशत तक राशि ऋण के बतौर उपलब्ध कराई जाती है।

(2) **सामाजिक क्षेत्र :** इन गतिविधियों में पेयजल परियोजनाएं, लोक स्वास्थ्य संस्थाएं, वर्तमान विद्यालयों में शौचालय खंडों (खास कर लड़कियों के लिए) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान करके उपयोग वाले शौचालयों का निर्माण तथा आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण शामिल हैं। उक्त क्षेत्रों में उत्तर-पूर्वी अंचल और पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना व्यय की 90 प्रतिशत तथा अन्य सभी राज्यों में परियोजना व्यय की 85 प्रतिशत राशि ऋण के बतौर उपलब्ध कराई जाती है।

(3) **ग्रामीण पथ संपर्क :** इन परियोजनाओं में ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण पुल शामिल हैं जिनके लिए पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना व्यय की 90 प्रतिशत तथा अन्य सभो राज्यों में परियोजना व्यय की 80 प्रतिशत राशि ऋण के बतौर उपलब्ध कराई जाती है।

आरआइडीएफ का गठन निम्नलिखित लाभों के लिए किया गया था : (1) राज्य सरकारों द्वारा पहले से किए गए निष्फल निवेश को सफल बनाना, (2) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन, (3) ग्रामीण लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन, (4) राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी संपदा में योगदान, (5) गांवों और विपणन केंद्रों के पथसंपर्क में सुधार तथा (6) शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल आपूर्ति सुविधाओं के जरिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष द्वारा 31 मार्च 2012 तक विकसित संचित सुविधाओं को तालिका 6.29 में दर्शाया गया है। कोष के जरिए बिहार में अभी तक 2,262 लाख मानवदिवस के अनावर्ती रोजगार सृजन के अलावा 2.32 लाख लोगों के लिए आवर्ती रोजगार की संभावनाएं पैदा की गई हैं। इसकी परिणति 6 लाख हे. सिंचाई क्षमता, 28,227 मी. लंबाई में पुलों और 4,453 किमी लंबाई में सड़कों के निर्माण में हुई है। इन सभी का कुल मूल्य 702 करोड़ रु. होता है।

तालिका 6.29 : ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत मार्च 2012 तक संभावित लाभ

राज्य	संभावना			उत्पादन मूल्य (करोड़ रु.)	आवर्ती रोजगार (सं.)	अनावर्ती रोजगार (लाख मानव दिवस)		
	सिंचाई (हजार हे.)	पुल (मी.)	सड़क (किमी)			सिंचाई	ग्रामीण सड़क और पुल	अन्य
आंध्र प्रदेश	2383	48321	31871	2670	1953055	5383	5545	3378
बिहार	**618**	**28227**	**4453**	**702**	**231766**	**341**	**1306**	**615**
गुजरात	1258	4346	20124	1210	1321098	1574	990	1091
झारखंड	74	68043	8334	210	90742	303	1167	544
महाराष्ट्र	655	54143	24506	1435	270236	3127	2354	193
उड़ीसा	838	74009	5744	1777	441162	1897	2580	277
पंजाब	512	9593	10017	756	179092	714	965	1268
राजस्थान	422	2905	51071	738	98671	1268	2760	2560
तमिलनाडु	360	58809	35425	319	281594	594	3930	1642
उत्तर प्रदेश	4940	49458	26610	4175	730755	2564	2198	1608
पश्चिम बंगाल	3167	84762	31206	1461	772409	2844	4727	5930
संपूर्ण भारत	**20407**	**796899**	**354344**	**24580**	**8543283**	**30098**	**41099**	**24228**

स्रोत : नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट, 2012

वर्ष 2011 में नाबार्ड ने ग्रामीण अधिसंरचना के निर्माण में लगे कर्मियों के कौशलों और तकनीकी जानकारी में वृद्धि के लिए ग्रामीण अधिसंरचना प्रवर्तन कोष (RIPF) नाम से 25.0 करोड़ रु. के कॉर्पस के साथ एक कोष की स्थापना की है। नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट, 2012 में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार प्रवर्तन कोष की स्थापना ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के समक्ष उत्पन्न परियोजनाओं क अनुपयुक्त योजना निर्माण और कमजोर तकनीकी–वित्तोय मूल्य निर्धारण, अपर्याप्त अनुश्रवण और मूल्यांकन,

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगे अनुभवहीन विभागीय कर्मी आदि अवरोधों के निराकरण के लिहाज से की गई है। प्रवर्तन कोष का लक्ष्य सामान्य ग्रामीण समुदाय को लाभान्वित करने और ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत बड़ी अधिसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए आधार बनने वाली महत्वपूर्ण, निम्न लागत, अत्यंत जरूरी ग्रामीण अधिसंरचनाओं का निर्माण भी है। इस प्रकार, ग्रामीण अधिसंरचना प्रवर्तन कोष के तहत किए जाने वाले अपेक्षाकृत कम निवेश से ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत बड़ा निवेश आकर्षित और संभव होगा।

6.7 बिहार में सूक्ष्मवित्त

पारंपरिक सरकारी गरीबी निवारण योजनाएं सेवाप्रदान सबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं और गरीबी पर गंभीर असर डालने में प्राय: असफल हैं, खास कर गरीब परिवारों के लिए ऋण सहायता की अनुपलब्धता से उत्पन्न गरीबी पर। बिहार के लिए यह खास तौर पर सही है जहां ये कार्यक्रम गरीबी से ग्रस्त आबादी के एक अंश को ही मदद पहुंचाते हैं। इस परिदृश्य में, सूक्ष्मवित्त (माइक्रो-फाइनांस) गरीबी निवारण का एक सक्षम विकल्प है। समाज के असुरक्षित और कमजोर तबकों को समय पर पर्याप्त ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं की किफायती खर्च पर उपलब्धता समाज के समग्र आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। इस पृष्ठभूमि में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित स्वयं सहायता समूह और स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्मवित्त कार्यक्रम के बतौर उभरा है।

31 मार्च 2011 तक देश में 74 लाख स्वयं सहायता समूह मौजूद थे जिनका आच्छादन 10 करोड़ परिवारों तक था। बैंकिंग व्यवस्था के साथ वे औपचारिक रूप से जुड़े थे और उनकी बचत की राशि 7,000 करोड़ रु. से अधिक थी। लगभग 49 लाख स्वयं सहायता समूहों ने ऋण के लिए बैंकों से संपर्क किया था और बैंकिंग व्यवस्था से उनको प्राप्त कुल ऋण 31,000 करोड़ रु. से अधिक था। दूसरे शब्दों में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम अभी तक पहुंच और बैंक सुविधा से रहित ग्रामीण गरीबों के वित्तोय समावेश के लिए सबसे पसंदीदा और सक्षम मॉडल बन गया है।

हालांकि बिहार में शुरुआत धीमी रही है, लेकिन राज्य अब स्वयं सहायता समूहों के निर्माण करने और उनका बैंक के साथ संपर्क सुनिश्चित करने, दोनों मामलों में अन्य राज्यों के समकक्ष पहुंच रहा है। बिहार में 2011-12 तक स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन तालिका 6.30 में दर्शाया गया है। मार्च 2012 तक बिहार में 54.0 प्रतिशत ग्रामीण परिवार स्वयं सहायता समूहों द्वारा आच्छादित थे और एक को छोड़कर सारे जिले 'निम्न आच्छादन वाले जिले' के बतौर चिन्हित थे। बिहार में प्रति स्वयं सहायता समूह 4,602 रु. की औसत बचत राशि राष्टोय बचत औसत 8,230 रु. से काफी कम थी और 1.02 लाख रु. का औसत ऋण भी 1.44 लाख रु. के राष्टोय औसत से काफी कम था। वर्ष 2011-12 में बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को वितरित कुल ऋण राशि 398.61 करोड़ रु. और उन पर बकाया कुल ऋण राशि 1,040.71 करोड़ रु. थी। दोनों की आंकड़े एक वर्ष पूर्व के आंकड़ों से काफी अधिक हैं। एक वर्ष में अनुत्पादक परिसंपत्तियों की संख्या भी दूनी हो गई है। इसमें से स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (अगले खंड में वर्णित) का दो-तिहाई हिस्सा है। नाबार्ड ने हर जिले में एक प्रमुख गैर-सरकारी संगठन को आधार बनाकर महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने और उनका वित्तपोषण करने के लिहाज से राज्य में 16 जिलों की पहचान की है।

तालिका 6.30 : बिहार में स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन (मार्च 2012)

1	**आच्छादित होने वाले संभावित ग्रामीण परिवार**		**73.51 लाख**
2	**आच्छादित ग्रामीण परिवार* (स्वयं सहायता समूह : बचत संपर्कित)**		**39.66 लाख**
3	38 जिलों में से स्वयं सहायता समूहों के कम आच्छादन वाले जिले		37
4	**बिहार में प्रति स्वयं सहायता समूह औसत बचत (रु.)**		**4602**
	राष्टोय औसत (रु.)		8230
	सर्वोच्च प्राथमिकता वाला राज्य : उत्तराखंड (रु.)		12283
5	**वितरित औसत ऋण/ स्वयं सहायता समूह (रु.)**		**101580**
	राष्टोय औसत (रु.)		144046
	सर्वोच्च प्राथमिकता वाला राज्य : उत्तराखंड (रु.)		148155
		2010-11	**2011-12**
6.1	ऋण पाने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या (लाख)	0.32	0.39
6.2	जारी ऋण (करोड़ रु.)	322.05	398.61
7	बकाया ऋण (करोड़ रु.)	796.03	1040.71
8	सकल अनिष्पादित परिसंपत्ति (करोड़ रु.)	32.40	64.27
8.1	स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (करोड़ रु.)	22.85	40.67
8.2	स्वयं सहायता समूह (गैर-एसजीएसवाइ) (करोड़ रु.)	9.55	23.60
9	महिला स्वयं सहायता समूह वाले जिलों की संख्या		16

स्रोत : स्टेटस ऑफ माइक्रोफाइनांस इन इंडिया, 2011-12, नाबार्ड, पृष्ठ 25

तालिका 6.31 में 2011-12 तक ऋण-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या के लिहाज से कुछ चुनिंदा राज्यों में हुआ स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क दर्शाया गया है। बिहार में 2011-12 के अंत तक 3.05 लाख स्वयं सहायता समूह थे जो देश के कुल स्वयं सहायता समूहों का लगभग 3.8 प्रतिशत ठहरते हैं। इन समूहों द्वारा कुल बचत 140 करोड़ रु. थी और इन्हें 2011-12 में कुल 399 करोड़ रु. का बैंक ऋण प्राप्त हुआ था। बिहार में इन समूहों पर कुल 1,040.71 करोड़ रु. का ऋण बकाया था।

तालिका 6.31 : भारत के चुनिंदा राज्यों में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क (मार्च 2012)

(हजार)

	स्वयं सहायता समूहों की संख्या	बैंकों में स्वयं सहायता समूहों की बचत (करोड़ रु.)	वर्ष में वितरित बैंक ऋण (करोड़ रु.)
महाराष्ट्र	8,27,047	723.62	601.80
राजस्थान	2,51,654	127.87	182.73
उत्तर प्रदेश	4,71,184	368.21	445.40
पश्चिम बंगाल	6,85,448	376.94	551.36
उड़ीसा	5.40,029	361.36	551.37
मध्य प्रदेश	1,63,588	112.29	95.44
बिहार	**3,05,113**	**140.42**	**398.61**
भारत	**79,60,349**	**6,551.41**	**16,534.76**

स्रोत : स्टेटस ऑफ माइक्रोफाइनांस इन इंडिया, 2011-12, नाबार्ड, विवरण II-A और II-B

बिहार में सभी जिलों में सूक्ष्मवित्त की एक जैसी दखल नहीं है। जिलों के बीच स्वयं सहायता समूहों के असमान वितरण के कई कारण हैं - जैसे कमजोर अधिसंरचना के कारण समूहों की पहुंच और प्रभावी सहयोग में व्यवधान, बढ़ता व्यय और कम दक्षता, अतिवादी गतिविधियां, जातीय झगड़े, सहयोगी गैर-सरकारी संगठनों के पास अनुभव और क्षमता की कमी, अनुदान वाहित मॉडल से राजस्व आधारित मॉडल में संक्रमण संबंधी मुद्द, स्वयं सहायता समूहों के मामले में बैंकों की मनोवृत्ति, आरंभ हेतु धन संबंधी अवरोध आदि।

स्वयं सहायता समूहों के ऋण-संपर्क में हुई साल दर साल प्रगति तालिका 6.32 में दर्शाई गई है। बैंकों ने 2011-12 में राज्य के 22,714 स्वयं सहायता समूहों को ऋण-संपर्क उपलब्ध कराया है। हालांकि बैंकों के साथ नए स्वयं सहायता समूहों के ऋण-संपर्क के मामले में प्रदर्शन में 2009-10 से वस्तुतः गिरावट आती गई है।

तालिका 6.32 : बिहार में सूक्ष्मवित्त का विकास

वर्ष	नए समूहों का ऋण-सपंर्क (संख्या)
2005-06	18206
2006-07	26417
2007-08	49738
2008-09	25696
2009-10	30241
2010-11	26055
2011-12	22714

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम के विस्तार संबंधी प्रमुख अवरोधों में प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों की अनुपस्थिति और हितधारियों के बीच स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋण प्रदान के मामले में जागरूकता की कमी शामिल है। आशा है कि संवेदनीकरण कार्यक्रम के लिए नाबाड और अन्य क्रियान्वयक बैंकों द्वारा ली गई पहलकदमियों की परिणति राज्य में स्वयं सहायता समूह आंदोलन की दिशा में अनुकूल वातावरण निर्माण में होगी। हालांकि नाबार्ड ने गौर किया है कि अभी तक स्वयं सहायता समूहों की खास विशेषताओं और उनकी उपलब्धियों के बावजूद जो मुद्द कार्यक्रम को अभी भी प्रभावित कर रहे हं, उनमें अनेक क्षेत्रों में अपर्याप्त पहुंच, स्वयं सहायता समूहों का खाता खोलने और उनको ऋण वितरण में विलंब, बैंकों द्वारा बचत राशि की सहवर्ती जमानत राशि (कॉलेटरल) के बतौर जब्ती, पहले ऋण की तत्काल अदायगी के बावजूद अगले ऋण की अस्वीकृति, अनेक समूहों की सदस्यता, स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने सदस्यों और बाहरी लोगों से लिए गए उधार और सीमित बैंकर इंटरफेस एवं अनुश्रवण शामिल हैं।

इनमें से कुछ अवरोधों को दूर करने के लिए नाबार्ड द्वारा एसएचजी-2 के आरंभ के जरिए स्वयं सहायता समूह-बैंक ऋणसंपर्क कार्यक्रम को नए सिरे से आवेग प्रदान किया गया था। सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक इस नए आवेग के हिस्से हैं। एसएचजी-2 का फोकस है : स्वैच्छिक बचत, ऋणप्रदान के पसंदीदा माध्यम के बतौर नगद ऋण (कैश क्रेडिट), भुगतान क्षमता के अनुरूप स्वयं सहायता

समूह के सदस्यों द्वारा एकाधिक बार उधार लेने की गुंजाइश, जीविका सृजन हेतु अधिक ऋण की जरूरतें पूरी करने के रास्ते, गैर-वित्तोय मध्यस्थ के बतौर स्वयं सहायता समूह महासंघ, जोखिम शमन व्यवस्था के अंग के बतौर स्वयं सहायता समूहों की रेटिंग और लेखापरोक्षा तथा अनुश्रवण तंत्रों का सुदृढ़ीकरण।

पूर्व में बिहार में राज्यस्तरीय बैंकर समिति ने भी अन्य राज्यों में स्वयं सहायता समूहों की सफलता में योगदान करने वाले कुछ खास कारकों की पहचान की थी जो बिहार में अनुपस्थित हैं। इसकी ओर पहले भी इशारा किया जा चुका है। ये कारक हैं - ग्रामीण लोगों की मनोवृत्ति और उनकी शिक्षा, पेशेवराना ढंग से संचालित सूक्ष्मवित्त संस्थाओं की उपलब्धता, सुगम नियामक ढांचे और सरकारी सहायता, तथा स्वयं सहायता समूहों के जरिए सरकारी सहायता को दिशाबद्ध करना। राज्य में स्वयं सहायता समूह आंदोलन का फैलाव सुनिश्चित करने के लिए उक्त कारकों को बढ़ावा देना जरूरी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सूक्ष्मवित्तपोषण

तालिका 6.33 में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा होने वाला सूक्ष्मवित्तपोषण दर्शाया गया है। मार्च 2012 तक चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 99.94 करोड़ रु. की कुल रकम से 9,182 स्वयं सहायता समूहों का वित्तपोषण किया था जो बिहार में समूहों को कुल वित्तपोषित 1,328 करोड़ रु. रकम का 7.5 प्रतिशत है। राज्य में गत वर्ष के 7 प्रतिशत की अपेक्षा आंकड़े में थोड़ा सुधार हुआ है।

तालिका 6.33 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सूक्ष्मवित्तपोषण (मार्च 2012)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक संपर्कित स्वयं सहायता समूह		स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत स्वयं सहायता समूह		महिला स्वयं सहायता समूह	
	संख्या	बचत राशि (करोड़ रु.)	संख्या	बचत राशि (करोड़ रु.)	संख्या	बचत राशि (करोड़ रु.)
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	9505	1.07	3455	0.58	8932	0.91
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	89013	12.11	43442	6.00	78342	10.66
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5024	1.45	2296	0.60	2633	0.76
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	51126	28.37	34739	17.16	42072	23.61
योग	**154668**	**43.00**	**83932**	**24.34**	**131979**	**35.94**

स्रोत : स्टेटस ऑफ माइक्रोफाइनांस इन इंडिया, 2011-12, नाबार्ड, विवरण III-B

राष्टोय ग्रामीण जीविका मिशन (जीविका)

पहले भी चर्चा की गई है कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाओं की सीमाबद्धताओं के कारण केंद्र सरकार ने उसका पुनर्गठन राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के बतौर किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के कुशल-अकुशल मजदूरों को सामुदायिक समूहों में संगठित करके उन्हें लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और गरीबी के वर्तमान स्तर से उन्हें ऊपर उठाना है। कार्यक्रम के चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए बिहार ग्रामीण

जीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (बीआरएलपीएस) के जीविका मॉडल का कार्य विस्तार करते हुए सोसाइटी को राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के अंग के बतौर बिहार राज्य ग्रामीण जीविका मिशन में तब्दील कर दिया गया। फलतः प्रथम चरण में 2012-13 में सोसाइटी का काम पहले जिन 6 जिलों में चल रहा था, उनके सभी प्रखंडों में, 12 नए जिलों के तीन-तीन प्रखंडों में और 17 जिलों के एक-एक प्रखंड में शुरू किया गया। शेष प्रखंडों को कार्यक्रम में चरणबद्ध ढंग से 2013-14 में शामिल किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के तहत 1.50 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों को 10 लाख स्वयं सहायता समूहों, 65 हजार ग्राम संगठनों, 16 हजार संकुल स्तरीय संघों और 534 प्रखंड स्तरीय संघों में संगठित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 3 लाख सामुदायिक परा-पेशावरों (कम्युनिटी पारा-प्रोफेशनल्स) और 75 हजार सामुदायिक साधनसेवियों को चिन्हित तथा प्रशिक्षित किया जाएगा। इन परिवारों की कुल बचत राशि लगभग 3,100 करोड़ तक पहुंचने की आशा है। वे लोग सामुदायिक निवेश निधि से 5,800 करोड़ रु. और बैंकों से 12,000 करोड़ रु. ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

अभो तक 8.62 लाख गरीब परिवारों को शामिल करते हुए 67.5 हजार स्वयं सहायता समूह, 4.6 हजार ग्राम संगठन और 53 संकुल स्तरीय संघ संगठित हुए हैं। 53 हजार पूर्वगठित स्वयं सहायता समूहों क बैंक खाते खुले हैं और 36.8 हजार समूहों का बैंकों द्वारा वित्तपोषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, समूहों को बैंकों से 176.8 करोड़ रु. ऋण राशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा, 2.7 हजार ग्राम संगठनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है और लगभग 3 हजार ग्राम संगठनों को स्वास्थ्य सुरक्षा कोष उपलब्ध कराया गया है। सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1.37 लाख परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना औरर 1.42 लाख परिवारों को जन सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमित कराया गया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 2.14 लाख किसानों को विभिन्न आधुनिक फसल तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाया गया है और पशुपालन में उत्पादन वृद्धि के लिए 10.5 हजार दूध उत्पादकों को 269 दुग्ध सहकारी समितियों में संगठित किया गया है।

कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों की बचत की आदत विकसित होगी और उनके लिए जीविका के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। यह नारी सशक्तीकरण का भी एक माध्यम होगा। पारंपरिक कलाओं और शिल्पों, अगरबत्तो, शहद आदि की मूल्यश्रृंखला हेतु अवसर तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों को भी कार्यक्रम के जोड़ने की योजना है।

6.8 चुनिंदा सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

भारत सरकार ने पहले से चल रही दो योजनाओं - प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाइ) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) - को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से नया ऋण-संबद्ध उपदान कार्यक्रम (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम) आरंभ करने का निर्णय लिया था जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है। इसका मकसद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित तथा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वैधानिक संस्था 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग' (केवीआइसी)

द्वारा पूर्णतः क्रियान्वित है। राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशालयों, राज्य खादो एवं ग्रामोद्योग पर्षदां और जिला उद्योग केंद्रों तथा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत सरकारी उपदान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चिन्हित बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों/ उद्यमियों के बैंक खाते में अंतिम वितरण के लिए भेजा जाता है।

क्रियान्वयनकारी अभिकरणों अर्थात खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग पर्षदों और जिला उद्योग केंद्रों को इस योजना के क्रियान्वयन में, खास कर लाभार्थियों और क्षेत्र आधारित सक्षम परियोजनाओं की पहचान तथा उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआइसी), राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाइ) के तहत सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य संबंधित निकायों को जोड़ना है। इस योजना के तहत 2011-12 के लिए लक्ष्यों और उपलब्धियों की जानकारी तालिका 6.34 में दी गई है। इसमें देखा जा सकता है कि जिला उद्योग केंद्रों का प्रदर्शन काफी उल्लेखनीय रहा है, हालांकि स्वीकृत आवेदनों और अनुशंसित आवेदनों की संख्या के बीच भारी अंतर है।

तालिका 6.34 : 2011-12 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्ष्य

अभिकरण	अनुशंसित आवेदन		स्वीकृत आवेदन		ऋण वितरण		
	संख्या	संलग्न मार्जिन मनी (करोड़ रु.)	संख्या	संलग्न मार्जिन मनी (करोड़ रु.)	संख्या	संलग्न मार्जिन मनी (करोड़ रु.)	रोजगार सृजन
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	916	3091.05	606	1542.25	594	1509.05	5186
खादी एवं ग्रामोद्योग पर्षद	1416	3545.80	437	1099.24	427	1073.10	3914
जिला उद्योग केंद्र	9245	17678.15	3944	7447.98	3866	7291.58	26093
योग	**11577**	**24315.00**	**4987**	**10089.47**	**4887**	**9873.73**	**35193**

स्रोत : उद्योग मित्र, बिहार सरकार

स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ)

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की विभिन्न योजनाओं के बीच स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गरीबों को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी के प्रभावी उन्मूलन के लिए सरकार ने देश में जारी स्वरोजगार कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने का निर्णय किया था। फलतः 1999 में स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के नाम से एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। योजना का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में निरंतर आयवृद्धि के जरिए लाभार्थियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना सुनिश्चित करना है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें गरीबों को स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत संगठित करना, उनके लिए प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी अधिसंरचना और विपणन आदि स्वरोजगार के सभी पक्ष शामिल हैं। बिहार में स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना सबसे बड़ा गरीबी निवारण कार्यक्रम है और ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय में बैंक इस योजना में सक्रियतापूर्वक भाग लेते रहे हैं। स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों का प्रदर्शन तालिका 6.35 में प्रस्तुत है। इसमें देखा जा सकता है कि योजना क तहत लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां स्वीकृत प्रस्ताव और

वितरित राशि, दोनों मामलों में वांछित स्तर से काफी कम हैं। वर्ष 2010–11 में संख्या के लिहाज से वितरण प्राप्त प्रस्तावों का मात्र 35.24 प्रतिशत था जबकि वित्तीय उपलब्धि 656 करोड़ रु. के लक्ष्य का मात्र 4.92 प्रतिशत थी। वर्तमान वित्तवर्ष में प्रदर्शन बेहतर है और प्राप्त प्रस्तावों के 55.54 प्रतिशत मामलों में ऋण संवितरित हुआ है और संवितरण की राशि भी सुधरकर 32.48 प्रतिशत हो गई है। लेकिन ग्रामीण गरीबी पर प्रभाव डालने के लिहाज से यह वांछित स्तर से अभी भी बहुत पीछे है। योजना को सफल बनाने के लिए अनेक कदमों की जरूरत है, जैसे गरीबों को आय उपार्जन गतिविधियों में प्रशिक्षित करने के लिए कर्नाटक की तरह हर जिले में संस्थाओं की स्थापना और ग्रामीण उत्पादों के लिए पर्याप्त विपणन सहायता उपलब्ध कराना। लेकिन नई शाखाएं खोलकर, खास कर बैंकरहित क्षेत्रों में, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिहाज से कदम उठाने का प्राथमिक दायित्व बैंकों का है।

तालिका 6.35 : स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन

(रकम करोड़ रु. में)

सूचक	2010-11		2011-12	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्राप्त प्रस्ताव	40164	656.25	36924	764.20
स्वीकृत प्रस्ताव	15921	—	45969	—
प्रस्तावों पर ऋण संवितरण	14506	32.37	20508	248.19
स्वीकृति/ लक्ष्य (प्रतिशत)	39.63	—	124.50	—
संवितरण/ लक्ष्य (प्रतिशत)	35.24	4.92	55.54	32.48
संवितरण हेतु लंबित प्रस्ताव	25658	—	25461	—

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

प्राप्त प्रस्तावों और उपलब्धियों के जिलावार आंकड़े तालिका प 6.3 (परिशिष्ट) में दर्शाए गए हैं।

भंगी पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना

इस योजना को केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकता के बतौर चिन्हित किया गया था। इस योजना का मकसद सहयोग नहीं पा सके शेष सफाइकर्मियों को कालबद्ध ढंग से पुनर्वासित करना है। इस योजना के तहत चिन्हित सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों को बैंक ऋणों अथवा उपदानों के माध्यम से वित्तीय सहयोग दिया जाना है।

राज्य में इस योजना के तहत सहायता के लिए कुल 15,352 सफाइकर्मियों की पहचान की गई थी। इस संबंध मं अजा/ अजजा कल्याण विभाग द्वारा योजना के तहत विभिन्न बैंकों में लंबित आवेदनों की सूची तैयार की गई है। उनके त्वरित निष्पादन हेतु सूची राज्यस्तरीय बैंकर समिति द्वारा बैंकों को भी भेज दी गई है। अक्तूबर 2012 तक इस योजना के तहत कुल मिलाकर 8,009 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई और प्रत्येक को स्वरोजगार के लिए 20,000 रु. सब्सिडी तथा रियायती ऋण दिए गए। योजना में सभी लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराना भी कल्पित है। बिहार में 2,400 लाभान्वितों को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

6.9 बिहार में निगमोचित वातावरण

तालिका 6.36 में 2010-11 में देश के विभिन्न राज्यों में निबंधित लिमिटेड कंपनियों की कुल संख्या दर्शाई गई है। तालिका में देखा जा सकता है कि 2010-11 में बिहार में 1,299 लिमिटेड कंपनियां निबंधित हुई (देश की कुल कंपनियों का 1.42 प्रतिशत)। इनमें से 1,271 (97.8 प्रतिशत) कंपनियां निजी क्षेत्र की थीं जिनकी कुल अधिकृत पूंजी 163 करोड़ रु. थी। मात्र 28 (2.2 प्रतिशत) कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की थीं जिनकी अधिकृत पूंजी 91 करोड़ रु. थी। जैसा कि 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्ज है कि दिसंबर 2010 तक बिहार में निबंधित कंपनियों की कुल संख्या 10,079 थी। देश में मौजूद कंपनियों की कुल संख्या में उनका 1.15 प्रतिशत हिस्सा था और उनमें 88 प्रतिशत कंपनियां निजी क्षेत्र की थीं। गत वर्ष निबंधित कंपनियों को शामिल करने पर मार्च 2011 के अंत तक बिहार में कंपनियों की कुल संख्या 11,378 हो गई जिनमें से 89 प्रतिशत कंपनियां निजी क्षेत्र की थीं।

मार्च 2011 के अंत तक बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कुल मिलाकर 315 निबंधित कंपनियां थीं जो देश की इस क्षेत्र की कुल कंपनियों का 5.35 प्रतिशत हैं। बिहार में पहले व्यवहारतः अस्तित्वहीन रहे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने हाल के वर्षों में अपनी उपस्थिति महसूस कराना शुरू किया है।

तालिका 6.36 : 2010-11 में नई निबंधित लिमिटेड कंपनियों की राज्यवार संख्या

राज्य	कंपनियों की सं.			अधिकृत पूंजी (करोड़ रु.)		
	सार्वजनिक	निजी	योग	सार्वजनिक	निजी	योग
आंध्र प्रदेश	176	5640	5816	3107	5110	8217
असम	71	505	576	40	116	156
बिहार	**28**	**1271**	**1299**	**91**	**163**	**254**
गुजरात	158	4391	4549	296	905	1201
हरियाणा	61	2041	2102	125	750	876
हिमाचल प्रदेश	8	254	262	6	26	31
झारखंड	21	659	680	28	128	156
कर्नाटक	76	4695	4771	3681	2529	6210
केरल	52	2242	2294	3624	497	4121
मध्य प्रदेश	114	2239	2353	36	1235	1271
महाराष्ट्र	440	16360	16800	1579	5275	6854
उड़ीसा	141	1442	1583	105	359	464
पंजाब	93	1023	1116	23103	185	23288
राजस्थान	102	3179	3281	171	255	427
तमिलनाडु	172	5446	5618	572	2285	2857
उत्तर प्रदेश	166	3854	4020	387	555	942
पश्चिम बंगाल	652	15805	16457	899	2068	2968
भारत	**3036**	**88601**	**91637**	**41075**	**27842**	**68917**

स्रोत : कंपनी मामला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा www.indiastat.com में दर्ज

6.10 वित्तीय समावेश

बिहार में बैंकों द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से वित्तीय खाका (रोडमैप) तैयार किया गया था जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप जिलास्तरीय समन्वय समितियों (डीएलसीसी) द्वारा समुचित रूप से अनुमोदित किया गया था। इसका लक्ष्य मार्च 2012 तक 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में शाखाओं के जरिए या व्यावसायिक संवाददाताओं (बीसी) सहित सूचना-सेवा और संचार (आइसीटी) आधारित किसी प्रकार के मॉडल के माध्यम से बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना था। इसके अनरूप, 9,213 गांवों की पहचान की गई थी और बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिहाज से बैंकों के बीच उनका बंटवारा कर दिया गया था। बैंकों ने 2,124 गावों को 2010-11 में आच्छादित किया था। चिन्हित 9,213 गांवों में से 36 को छोड़कर सभी को 2011-12 में आच्छादित कर लिया गया है (तालिका 6.37)। शेष 36 गांवों को भी 2012-13 के अंत तक आच्छादित कर लिया जाएगा।

तालिका 6.37 : वित्तीय समावेश का रोडमैप

बैंक	आबंटित गांवों की सं.	2010-11 तक आच्छादित गांवों की सं.	2011-12 तक आच्छादित गांवों की सं.	अनाच्छादित गांवों की सं.
भारतीय स्टेट बैंक	1557	657	1557	0
पंजाब नेशनल बैंक	953	516	939	14
इलाहाबाद बैंक	321	0	319	2
आंध्रा बैंक	1	0	0	1
बैंक ऑफ बड़ौदा	215	0	215	0
बैंक ऑफ इंडिया	364	46	364	0
कनारा बैंक	153	14	153	0
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	885	849	875	10
देना बैंक	4	0	3	1
इंडियन बैंक	37	5	36	1
इंडियन ओवरसीज बैंक	3	0	3	0
ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9	0	9	0
सिंडिकेट बैंक	35	14	35	0
यूको बैंक	381	10	374	7
यूनाइटेड बैंक	69	0	69	0
यूनियन बैंक	168	0	168	0
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	356	0	356	0
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	932	0	932	0
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	227	0	227	0
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2543	13	2543	0
योग	**9213**	**2124**	**9177**	**36**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

हाल में योजना के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है और अब 1,600 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों का आच्छादन करना प्रस्तावित है। वर्तमान वित्तवर्ष के अंत तक ऐसे कुल 3,052 गांवों के आच्छादन की योजना है। इस वित्तीय समावेश की दिशा में राज्य सरकार की एक और प्रमुख पहलकदमी सभी परिवारों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए हर परिवार का कम से कम एक खाता अवश्य खोलने के संबंध में लिया गया निर्णय है।

मानचित्र-1

व्यावसायिक बैंकों के कार्यालयों का राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र आधारित वितरण 2012

(31 मार्च को)

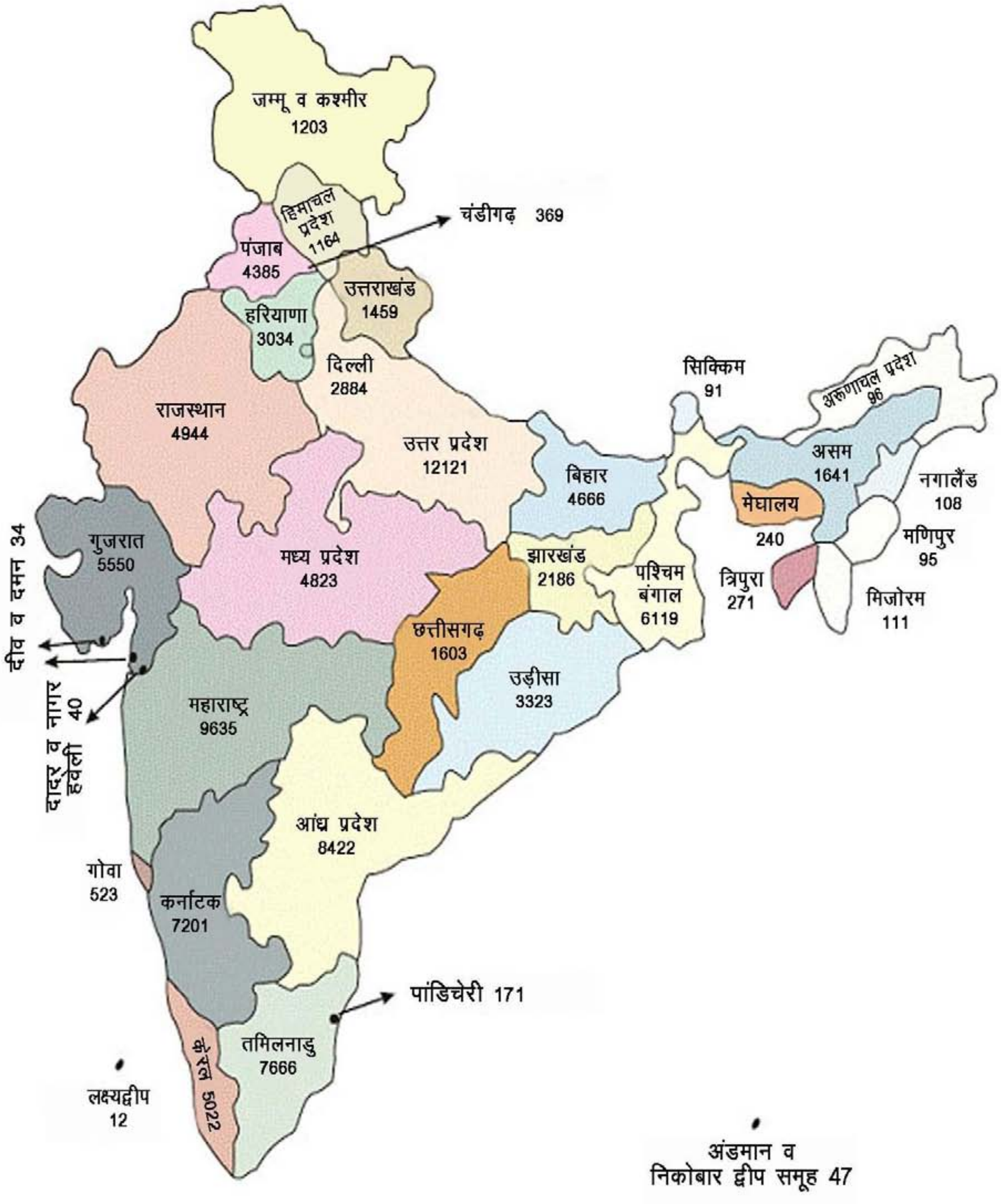

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक 2012

मानचित्र- 2

अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र-वार ऋण-जमा अनुपात 2012
(31 मार्च को)

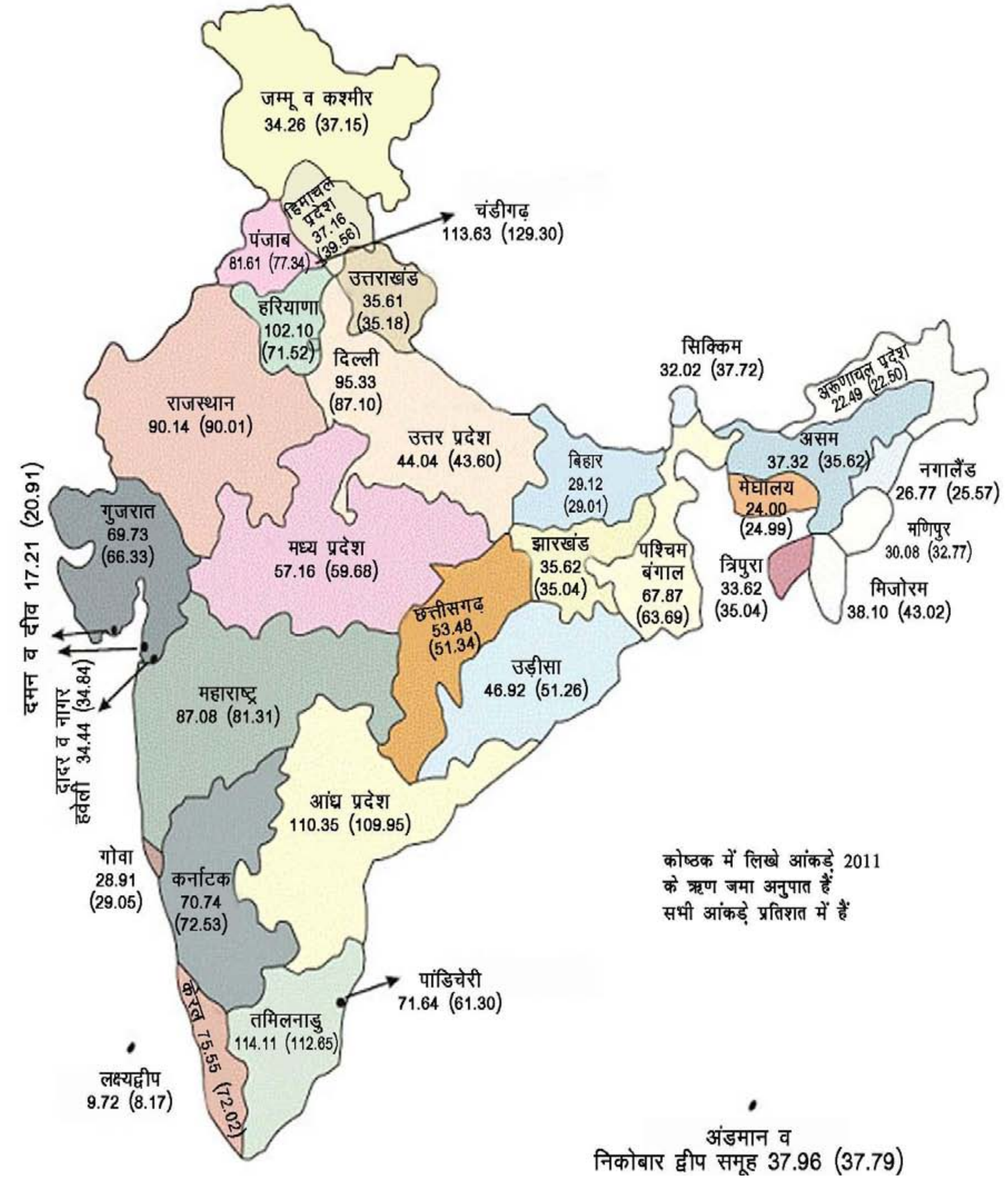

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक 2012.

परिशिष्ट

तालिका प 6.1 : 31.3.2012 तक वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन

क. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम

(लाख रु.)

जिला	कृषि			लघु एवं मध्यम उद्यम			अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र			योग (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
पटना	68096	103926	152.62	39383	72850	184.98	111440	96379	86.49	218919	273155	124.77
नालंदा	61404	41498	67.58	4673	7972	170.60	6181	7600	122.96	72258	57070	78.98
भोजपुर	91155	65326	71.66	5356	5202	97.12	11515	7058	61.29	108026	77586	71.82
बक्सर	99166	51878	52.31	7140	5760	80.67	8171	5964	72.99	114477	63602	55.56
रोहतास	86142	69626	80.83	19158	11497	60.01	11660	7479	64.14	116960	88602	75.75
कैमूर	65488	48188	73.58	2935	2159	73.56	5377	3864	71.86	73800	54211	73.45
गया	94931	55326	58.28	8448	15810	187.14	14978	10718	71.56	118357	81854	69.16
जहानाबाद	22127	20952	94.69	1732	2872	165.82	4226	2631	62.26	28085	26455	94.20
अरवल	14156	12168	85.96	749	1266	169.03	1481	1835	123.90	16386	15269	93.18
नवादा	28590	17388	60.82	400	3219	804.75	7191	5857	81.45	36181	26464	73.14
औरंगाबाद	70494	48561	68.89	4817	6317	131.14	8827	7832	88.73	84138	62710	74.53
सारण	88374	42872	48.51	10514	7048	67.03	12538	8463	67.50	111426	58383	52.40
सीवान	61761	33541	54.31	5411	7851	145.09	13290	9635	72.50	80462	51027	63.42
गोपालगंज	80482	36353	45.17	1243	7011	564.04	8969	9645	107.54	90694	53009	58.45
पश्चिम चंपारण	81517	58228	71.43	23168	5709	24.64	5778	16016	277.19	110463	79953	72.38
पूर्वी चंपारण	77459	60832	78.53	6265	5912	94.37	20337	9099	44.74	104061	75843	72.88
मुजफ्फरपुर	90106	80221	89.03	14042	18609	132.52	19732	16173	81.96	123880	115003	92.83
सीतामढ़ी	42709	29102	68.14	3131	4164	132.99	5049	5405	107.05	50889	38671	75.99
शिवहर	6684	5005	74.88	328	1098	334.76	810	784	96.79	7822	6887	88.05
वैशाली	48097	42864	89.12	5367	6288	117.16	9484	5202	54.85	62948	54354	86.32
दरभंगा	36091	29210	80.93	2366	8058	340.57	11868	9586	80.77	50325	46854	93.10
मधुबनी	64522	41380	64.13	8703	8930	102.61	9780	10236	104.66	83005	60546	72.94
समस्तीपुर	96946	66820	68.92	20092	11050	55.00	14439	9174	63.54	131477	87044	66.20
बेगूसराय	91304	57350	62.81	8349	14242	170.58	26303	12099	46.00	125956	83691	66.44
मुंगेर	22245	21450	96.43	2736	4222	154.31	14394	5292	36.77	39375	30964	78.64
शेखपुरा	11766	8938	75.96	810	975	120.37	1466	1297	88.47	14042	11210	79.83
लखीसराय	20340	14311	70.36	2977	2991	100.47	4700	3178	67.62	28017	20480	73.10
जमुई	18170	18516	101.9	1258	3605	286.57	8244	2815	34.15	27672	24936	90.11
खगड़िया	40649	30482	74.99	4127	2241	54.30	4683	3134	66.92	49459	35857	72.50
भागलपुर	54591	40626	74.42	3988	11057	277.26	15562	9546	61.34	74141	61229	82.58
बांका	29047	24726	85.12	2183	3295	150.94	11962	4044	33.81	43192	32065	74.24
सहरसा	33520	25653	76.56	1694	1767	104.31	6658	4593	68.98	41872	32013	76.45
सुपौल	30114	21835	72.51	1762	1988	112.83	7630	4727	61.95	39506	28550	72.27
मधेपुरा	33531	20676	61.66	1003	1315	131.11	3557	5500	154.63	38091	27491	72.17
पूर्णिया	70609	51542	72.99	5978	3798	63.53	12291	9480	77.13	88878	64820	72.93
किशनगंज	58575	27554	47.04	2680	2110	78.73	7279	6634	91.14	68534	36298	52.96
अररिया	56708	31899	56.25	6589	3379	51.28	4462	5428	121.65	67759	40706	60.07
कटिहार	62529	38968	62.32	2570	3695	143.77	7733	7002	90.55	72832	49665	68.19
बिहार	**2110195**	**1495791**	**70.88**	**244125**	**287332**	**117.70**	**460045**	**351404**	**76.38**	**2814365**	**2134527**	**75.84**

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

ख. 31.03.2012 को गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम

(लाख रु.)

जिला	गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र			कुल योग		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
पटना	419860	418782	99.74	638779	691937	108.32
नालंदा	31895	18971	59.48	104153	76041	73.01
भोजपुर	33528	21256	63.40	141554	98842	69.83
बक्सर	24720	17822	72.10	139197	81424	58.20
रोहतास	29626	20385	68.81	146586	108987	74.35
कैमूर	16928	7207	42.57	90728	61418	67.69
गया	53341	24731	46.36	171698	106585	62.08
जहानाबाद	10624	5674	53.41	38709	32129	83.00
अरवल	7162	2648	36.97	23548	17917	76.09
नवादा	19205	10218	53.20	55386	36682	66.23
औरंगाबाद	25541	16219	63.50	109679	78929	71.96
सारण	42671	37087	86.91	154097	95470	61.95
सीवान	44719	18174	40.64	125181	69201	55.28
गोपालगंज	28790	25437	88.35	119484	78446	65.64
पश्चिम चंपारण	40318	23743	58.89	150781	103696	68.77
पूर्वी चंपारण	48009	25432	52.97	152070	101275	66.60
मुजफ्फरपुर	67782	49146	72.51	191662	164149	85.65
सीतामढ़ी	33892	23502	69.34	84781	62173	73.33
शिवहर	4675	2889	61.80	12497	9776	78.23
वैशाली	33207	24971	75.20	96155	79325	82.50
दरभंगा	48573	34778	71.60	98898	81632	82.54
मधुबनी	43788	32184	73.50	126793	92730	73.13
समस्तीपुर	45370	31344	69.09	176847	118388	66.94
बेगूसराय	34685	30065	86.68	160641	113756	70.81
मुंगेर	31218	22717	72.77	70593	53681	76.04
शेखपुरा	5383	3500	65.02	19425	14710	75.73
लखीसराय	10506	7209	68.62	38523	27689	71.88
जमुई	15517	7380	47.56	43189	32316	74.82
खगड़िया	15158	7247	47.81	64617	43104	66.71
भागलपुर	42848	28548	66.63	116989	89777	76.74
बांका	16508	6896	41.77	59700	38961	65.26
सहरसा	19672	11358	57.74	61544	43371	70.47
सुपौल	22435	11209	49.96	61941	39759	64.19
मधेपुरा	21227	10855	51.14	59318	38346	64.64
पूर्णिया	32081	19386	60.43	120959	84206	69.61
किशनगंज	15194	10395	68.42	83728	46693	55.77
अररिया	21735	10160	46.74	89494	50866	56.84
कटिहार	47244	27540	58.29	120076	77205	64.30
बिहार	**1505635**	**1107065**	**73.53**	**4320000**	**3241592**	**75.04**

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

तालिका प 6.2 : जिलावार उपलब्धि - किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
पटना	20036	10801	26204	18048	26233	60143	50522	54949
नालंदा	18229	13266	16297	16175	22281	34946	42065	46476
भोजपुर	21830	4833	17683	15918	27575	50759	59020	84537
बक्सर	4279	4051	8824	6775	10916	38447	32040	40533
रोहतास	7777	6674	15272	19590	33141	56523	57664	76546
कैमूर	15015	5205	9624	12094	24102	31488	29355	44165
गया	18865	8601	19716	16371	52571	40101	41012	60645
जहानाबाद	3818	2381	5681	5348	12261	16095	25154	26430
अरवल	2058	1052	2698	2932	4443	6691	8363	12753
नवादा	11264	7668	11281	11217	25992	24837	28980	23731
औरंगाबाद	17569	12707	9272	8638	28077	42494	42353	54786
सारण	8845	9190	8881	14127	24233	32706	34841	39064
सीवान	10809	7074	10551	14545	27750	38536	34165	36959
गोपालगंज	12938	5413	11205	13396	29824	42890	53928	60448
पश्चिम चंपारण	27614	31407	35212	32431	47446	70194	75740	97812
पूर्वी चंपारण	19279	14701	21053	26210	45138	74330	82860	104239
मुजफ्फरपुर	22390	7517	15170	20050	36197	61028	58142	71134
सीतामढ़ी	9027	6814	10883	24403	19944	34675	30368	43467
शिवहर	425	1309	1538	2617	6646	6315	12123	7682
वैशाली	15312	12409	15141	17144	30629	38763	45605	66709
दरभंगा	6751	3816	7783	8011	20738	43993	26360	41682
मधुबनी	25258	12656	9559	15598	35420	38578	55261	72368
समस्तीपुर	20970	21759	14954	22783	38363	79075	80395	95785
बेगूसराय	35001	21426	9352	14712	20694	57130	72811	89799
मुंगेर	10244	2869	3967	5608	10756	16559	16701	28053
शेखपुरा	1503	2216	2317	3532	7882	6036	5216	12738
लखीसराय	2447	2353	3422	4587	10054	11401	15848	18074
जमुई	3352	4113	3777	7382	13458	15779	22590	28020
खगड़िया	19707	9028	5528	9296	12375	30313	39919	57270
भागलपुर	9366	4726	9223	11477	22734	44740	37938	48747
बांका	3395	3138	4141	4282	9463	21232	22829	36202
सहरसा	2906	2135	5513	7250	13835	21763	18904	25224
सुपौल	3424	2838	5593	6296	57130	22830	16790	27256
मधेपुरा	2844	2962	4679	6056	11620	12307	14707	24802
पूर्णिया	25036	11791	12350	13477	27434	51210	30384	55209
किशनगंज	4977	8952	5484	7393	13680	14645	20790	36764
अररिया	6264	13238	9170	8558	16384	20225	29469	47758
कटिहार	23531	12329	9565	12213	19833	29760	31618	48620
बिहार	**474355**	**315418**	**398563**	**466540**	**897252**	**1339537**	**1402830**	**1847436**

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति, पटना

तालिका प 6.3 : स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना के तहत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धि, 2011-12

जिला	भौतिक (संख्या)								वित्तीय (लाख रु. में)				
	स्वयं सहायता समूह				व्यक्तिगत				ऋण का लक्ष्य	वितरित ऋण			
	लक्ष्य	आवेदन			लक्ष्य	आवेदन							
		बैंक में जमा	वितरण	लंबित		बैंक में जमा	वितरण	लंबित		स्वयं सहायता समूह	व्यक्तिगत	योग	प्रतिशत उपलब्धि
पटना	1310	993	497	496	74	0	0	0	3485	907	0	907	26
नालंदा	590	267	245	22	23	50	42	8	1602	1134	17	1151	72
भोजपुर	879	582	535	47	402	399	281	118	4171	1326	74	1399	34
बक्सर	342	383	224	159	491	1257	442	815	912	280	66	346	38
रोहतास	535	628	453	175	317	492	4	488	2362	1120	0	1120	47
कैमूर	270	409	219	190	147	264	69	195	1257	663	17	681	54
गया	336	549	189	360	96	656	42	614	934	238	6	244	26
जहानाबाद	130	145	53	92	46	0	0	0	311	82	0	82	27
अरवल	103	54	41	13	24	23	10	13	80	45	2	47	59
नवादा	667	907	752	155	684	1665	708	957	3066	1849	161	2011	66
औरंगाबाद	925	683	438	245	835	1515	295	1220	2546	620	49	669	26
सारण	634	571	207	364	426	477	0	477	1426	294	0	294	21
सीवान	380	487	196	291	76	139	9	130	1972	543	2	545	28
गोपालगंज	448	502	412	90	1432	4146	2455	1691	2713	1030	614	1644	61
पश्चिम चंपारण	999	821	380	441	72	31	15	16	2311	574	2	576	25
पूर्वी चंपारण	724	800	433	367	435	1097	441	656	2073	602	73	675	33
मुजफ्फरपुर	1709	1354	794	560	544	1814	321	1493	4039	1357	76	1433	36
सीतामढ़ी	594	377	286	91	286	575	99	476	2167	715	25	740	34
शिवहर	347	186	163	23	19	16	16	0	1516	408	6	413	27
वैशाली	602	371	294	77	534	18	18	0	2251	257	2	259	12
दरभंगा	1150	1440	984	456	370	2047	1065	982	3001	1414	160	1574	53
मधुबनी	1554	1504	599	905	1987	3780	980	2800	3763	736	171	907	24
समस्तीपुर	578	794	577	217	118	1208	128	1080	2285	561	1	562	25
बेगूसराय	661	598	444	154	154	455	291	164	4643	1786	128	1914	41
मुंगेर	252	152	76	76	26	161	13	148	763	110	2	112	15
शेखपुरा	214	84	39	45	71	1640	141	1499	309	66	32	98	32
लखीसराय	161	128	83	45	51	1	1	0	375	187	0	187	50
जमुई	382	157	152	5	61	65	60	5	2296	203	11	214	9
खगड़िया	201	151	107	44	262	346	73	273	1069	267	27	294	28
भागलपुर	722	615	466	149	54	334	12	322	2246	579	2	581	26
बांका	781	796	544	252	230	0	0	0	706	240	0	240	34
सहरसा	679	663	349	314	7	0	0	0	3178	1059	0	1059	33
सुपौल	1971	581	104	477	232	0	0	0	2863	482	0	482	17
मधेपुरा	308	262	73	189	636	186	51	135	1474	183	13	195	13
पूर्णिया	660	814	454	360	1402	0	0	0	2043	636	0	636	31
किशनगंज	251	127	109	18	196	193	193	0	1597	213	56	269	17
अररिया	269	240	43	197	162	523	51	472	1400	64	9	73	5
कटिहार	530	221	168	53	92	0	0	0	1215	186	0	186	15
बिहार	**23849**	**20396**	**12182**	**8214**	**13075**	**25573**	**8326**	**17247**	**76420**	**23015**	**1804**	**24819**	**32**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

अध्याय 7

राजकीय वित्तव्यवस्था

देश का वृहदार्थिक वातावरण 2008-09 से लगातार दबाव में रहा है जब वैश्विक बाजार के संकट ने पूरी दुनियों में वित्तोय बाजारों में उथल-पुथल मचा दी थी जिसके प्रभाववश अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि दर धीमी हो गई थी। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए वित्तोय प्रोत्साहनों और उबरने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का कुछ लाभ मिला जिसके परिणामस्वरूप 2009-10 में अर्थव्यवस्था आंशिक रूप से उबरी। अगले साल, 2010-11 में राष्टोय स्तर पर विकास दर 8 प्रतिशत के ऊपर थी। लेकिन पूरे 2011-12 में (और बाद के महीनों में भी) राष्टोय अर्थव्यस्था पुनः डांवाडोल हो गई जिसमें औद्योगिक अर्थव्यवस्था और समग्र अर्थव्यवस्था, दोनों की विकास दर धराशायी हो जाने से निराशा की भावना पैदा हो गई। विदेशी निवेश के धीमापन और देश के वित्त बाजारों से विदेशी धनराशि की प्रचुर निकासी क प्रतिक्रियास्वरूप साख की रेटिंग करने वाले अंतर्राष्टोय अभिकरणों ने भारत का दर्जा घटा दिया, डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत पहले के किसी भी समय से नीचे के स्तर पर चली गई, और मुद्रास्फीति अनियंत्रित बनी रही। केंद्र और अनेक राज्यों में ज्यों-ज्यों घोटाले पर घोटाले सामने आते गए, सरकारों की पुरी ऊर्जा नुकसान रोकने में लगती चली गई। कामकाज के मामले में लोगों में सरकार की लकवाग्रस्तता की भावना घर कर गई। मध्यावधि विकास की संभावनाओं को सहयोग देने वाला राजकोषीय सुदृढ़ीकरण कहीं नहीं दिखा और जिन आर्थिक सुधारों का वादा किया गया था, उनकी ओर एक कदम भी नहीं उठा। वर्ष के दौरान राष्टोय आर्थिक परिदृश्य में व्याप्त निराशा की भावना ने बिहार सहित सभी राज्यों की राजकीय वित्तव्यवस्था को भी प्रभावित किया।

राजकीय वित्तव्यवस्था के विवेकपूर्ण प्रबंधन में पर्याप्त संसाधन जुटाने और उन्हें व्यय की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए अंततः कुशल सार्वजनिक सेवा में परिणत होने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप आबंटित करने के जरिए बिहार जैसे गरीब राज्य को रूपांतरित करने की क्षमता है। किसी शासन का चरम उद्देश्य आर्थिक विकास को लोक कल्याण में रूपांतरित करना होता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखने पर बिहार में ग्यारहवीं योजना के आरंभ से संपूर्ण रूपांतरण की प्रक्रिया चल रही है जिसकी परिणति सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में प्रमुख परिवर्तन में हो रही है। राज्य में पहले पूर्णतः अनुपस्थित रहे गुणवत्तापूर्ण भौतिक अधिसंरचना के निर्माण के साथ-साथ सामाजिक अधिसंरचनाओं को भी सुदृढ़ किया गया है और अब ध्यान सार्वजनिक सेवाप्रदान के स्तर में सुधार करने की ओर मुड़ रहा है। गत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने व्यय में महत्वपूर्ण राजकोषीय अनुशासन लाया है, राजस्व में प्रचुर वृद्धि की है और अतिवांछित अधिसंरचनाओं में निवेश बढ़ाया है। आर्थिक विकास की दर राष्टोय विकास दर को पार कर गई है और उस स्तर पर बरकरार है। सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में प्रचुर वृद्धि की गई है, ग्रामीण परिदृश्य धीरे-धीरे बदल रहा है और गरीबी में कमी हुई है। तथापि, वास्तविक काम अभी भी बाकी है क्योंकि बिहार अभी भी देश का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। लेकिन अभी तक बिहार में विकास की खास पहचान रही व्यय और सामाजिक परिणामां के बीच की कमजोर कड़ियों को धीरे-धीरे मजबूत किया जा रहा है।

राज्य विधानमंडल ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (BFRBMA) फरवरी 2006 में पारित किया जिसमें 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करने और उसके बाद से पर्याप्त राजस्व अधिशेष

कायम करने, 2008-09 तक राजस्व घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से नीचे लाने और उसके बाद उसके नीचे बरकरार रखने, लागत और समता को उचित सम्मान देते हुए गैर-कर राजस्व वृद्धि की नीतियों का अनुपालन करने, तथा पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के मानक तैयार करने और आर्थिक विकास, गरीबी में कमी तथा मानव विकास को बल देने वाली व्यय संबंधी नीतियों का अनुपालन करने के लिए खुद को संकल्पबद्ध किया। इन संकल्पों का मोटे तौर पर अनुपालन किया गया है। हालांकि पूंजीगत व्यय हेतु मानक विहित करने और एफआरबीएम अधिनियम के क्रियान्वयन के मकसद से नियमों को अनुकूलित करने का काम अभी बाकी है।

वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के बाद 2009-10 एक कठिन वर्ष था लेकिन इसके बावजूद, बिहार ने विगत वर्षों में कठिन परिश्रम से निर्मित राजकोषीय अनुशासन को तिलांजलि नहीं दी। वर्ष 2009-10 में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था और 5,273 करोड़ रु. (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत) हो गया था। लेकिन 2010-11 अर्थव्यवस्था के उबरने का वर्ष था जिसमें राजकोषीय घाटे को 3,971 करोड़ रु. पर (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.97 प्रतिशत) रोक रखा गया था। इसके कारण राज्य सरकार अनेक नए कार्यक्रमों का शुभारंभ करने में सक्षम हुई। वर्ष, 2011-12 में 5,914 करोड़ रु. का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा विहित 3 प्रतिशत की सीमा से काफी नीचे है और राज्य सरकार की सामाजिक-आथिक विकास कार्यक्रमों की दिशा में पहलकदमियां जारी हैं।

वर्तमान वित्तवर्ष में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित मुख्य पहलकदमियां ली गई थीं :

- प्रथम चरण में 50 सेवाओं के लिए विहित समयसीमा में सार्वजनिक सेवाओं की समय पर और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिहाज से लागू बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत 2.5 करोड़ से भी अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया;

- भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'पूर्ण असहिष्णुता की नीति' का अनुपालन करते हुए बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत लोक सेवकों की गलत साधनों से अर्जित संपत्तियों की जब्ती के लिए 46 मुकदमे दर्ज किए गए। अभी तक 4 ऐसी संपत्तियों की जब्ती की गई है। इसके अलावा, भ्रष्ट लोक सेवकों को रंगे हाथ पकड़ने के लिहाज से अभी तक जाल बिछाकर 52 मामलों (टप कसेज) में 55 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है। 5 को अभी तक दंडित किया गया है।

- आरंभ की गई नई पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के 50,142 कर्मचारियों को पेंशन का सरकारी अंशदान ऑनलाइन अपलोड करके बिहार इस योजना के क्रियान्वयन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।

- गर्भवती महिलाओं, सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों, बीपीएल रोगियों, वरिष्ट नागरिकों और कालाजार से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य की मुफ्त देखरेख उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर योजना शुरू की गई। इस सेवा के अंतर्गत 345 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 10 अनुमंडल अस्पतालों और 149 प्राथमिक रेफरल इकाइयां को शामिल किया गया है।

- बिहार में अभी तक लगभग सभी (99 प्रतिशत) वासस्थलों की जद में विद्यालय उपलब्ध करा दिए गए हैं। 6 से 14 वर्ष उम्र के लगभग 95 प्रतिशत बच्चे सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों में नामांकित हैं।

- विद्यार्थी-वर्गकक्ष अनुपात में सुधार के लिए 29,998 वर्गकक्षों का निर्माण कराया गया है और 87,008 वर्गकक्ष निर्माणाधीन हैं। 1,318 नवस्थापित प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण कराया गया है और 2,526 ऐसे भवन निर्माणाधीन हैं।

- कक्षा 1 से 8 तक नामांकित सभी बालक-बालिकाओं तथा कक्षा 9 और 10 में नामांकित बालिकाओं को सरकारी खर्च पर स्कूली पोशाकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 39 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

- सड़क नेटवर्क का प्रचुर विस्तार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप किशनगंज के कुछ भागों को छोड़कर हर जगह से पटना की दूरी 6 घंटे के अंदर तय की जा सकती है। इस वर्ष 30 बड़े पुलों का निर्माणकार्य पूरा कर लिया गया है।

- बिजली की स्थिति में सुधार करने और विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण को व्यवस्थित करने के लिहाज से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5 अलग-अलग कंपनियों में पुनर्गठित किया गया है - एक होल्डिंग कंपनी के अलावा एक-एक कंपनी उत्पादन और संचरण के लिए तथा दो कंपनियां वितरण के लिए।

- इस वर्ष 12,486 अतिरिक्त गांवों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

- जन वितरण प्रणाली के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) तथा अन्य सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को 4,932 लाइसेंस दिए गए हैं।

- इस वर्ष बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के जरिए 1.16 लाख हे. क्षेत्र में खरीफ फसलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति, 2011 सूत्रबद्ध की गई है।

राज्य सरकार अपने संसाधन अपने कर और गैर-कर राजस्वों तथा वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में अपने हिस्से, बाजार से ऋणग्रहण तथा योजना एवं गैर-योजना प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदानों, और अन्य उधारियों से प्राप्त करती है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के लेखे में रखे जाने वाले भविष्य निधि के संग्रहणों तथा अन्य जमा राशियां के बरअक्स की गई उधारियां शामिल होती हैं। इन संसाधनों का उपयोग या तो विकास के मकसद से योजना व्यय हेतु होता है या प्रशासन, ब्याज भुगतान, और बकाया ऋणों की अदायगी तथा स्थानीय निकायों, सरकारी कंपनियों और निगमों को अनुदान एवं ऋण देने तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अग्रिम देने के लिए गैर-योजना व्यय हेतु।

संविधान के अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, प्राप्त सारे ऋण, और ऋण अदायगी (रिपेमेंट ऑफ लोन) के रूप में प्राप्त सारी रकम को राज्य सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) में रखा जाता है। बजट पारित करने की प्रक्रिया के जरिए विधानमंडल के अनुमोदन के बगैर इस निधि से कोई राशि खर्च नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित दो अन्य कोष भी होते हैं। पहली है आकस्मिक निधि (कंटिंजेंसी फंड) जो नियत कॉर्पस वाली और अर्थदाय (इम्प्रेस्ट) की प्रकृति की होती है। विधानमंडल द्वारा उसका निर्माण संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत असंभावित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। विधानमंडल द्वारा उसका बाद में प्रमाणीकरण (ऑथराइजेशन) किया जाता है तथा संचित निधि से उसे पूरा (रिकूप) किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा या उसके निमित्त प्राप्त अन्य सारी राशियों को राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत गठित लोक लेखा (पब्लिक एकाउंट) में रखा जाता है। लोक लेखा से निकासी के लिए विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। उसका शेष भी अलग नहीं रखा जाता है; इसकी बजाय उसे राज्य सरकार के नगद शेष (कैश बैलेंस) के साथ मिला दिया जाता है। संचित निधि से उधार लेने के बाद राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा लोकलेखा के शेष से पूरा किया जाता है।

नीचे राज्य सरकार के वित्तीय और राजकोषीय प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है - सबसे पहले तो राज्य सरकार की प्राप्ति और व्यय का सार-संक्षेप प्रस्तुत करके (तालिका 7.1), और उसके बाद बिहार तथा अन्य प्रमुख राज्यों से संबंधित 10 प्रमुख प्रदर्शन सूचकों (परफॉमेंस इंडिकेटर्स) की तुलना करके (तालिका 7.2)। वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक के आंकड़े वास्तविक लेखों के आंकड़े हैं जिन्हें संबंधित राज्यों के महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं जांच) द्वारा तैयार राज्य सरकार के वित्तीय लेखों से लिया गया है। वर्ष 2011-12 के आंकड़े राज्य सरकारों के पुनरीक्षित अनुमान (आर.ई.) के हैं और 2012-13 के आंकड़े बजट अनुमान (बी.ई.) के। यहां राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था का विश्लेषण इनके लिहाज से भी किया गया है : (1) सुस्थिरता, लचीलापन, सुभेद्यता (सस्टेनेबलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वल्नरेबलिटी); (2) घाटा प्रबंधन (डेफिसिट मैनेजमेंट); (3) राजस्व प्राप्तियां तथा व्यय; (4) संसाधन एकत्रीकरण (रिसोर्स मोबिलाइजेशन); (5) व्यय प्रबंधन; (6) वेतन तथा पेंशन व्यय; (7) व्यय की गुणवत्ता; (8) क्षेत्रगत व्यय (सेक्टोरल एक्सपेंडिचर); (9) सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय तथा (10) ऋण प्रबंधन।

7.1 वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन

पहले भी उल्लेख किया गया है कि 2010-11 बिहार की वित्तव्यवस्था के लिए मंदी स उबरने का वर्ष था जब राज्य का राजस्व अधिशेष गत वर्ष के 2,943 करोड़ रु. से 6,316 करोड़ रु. के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि पूर्वोक्त कारकों के चलते 2011-12 में यह गत वर्ष दर्ज सर्वोच्च स्तर से एक-चौथाई गिरकर मात्र 4,821 करोड़ रु. रह गया। फलत: 2011-12 में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) बढ़कर 5,914 करोड़ रु. अर्थात सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.34 प्रतिशत के बराबर हो गया जो पिछले साल 3,971 करोड़ रु. ही था। लेकिन तब भी यह एफआरबीएम अधिनियम द्वारा 3 प्रतिशत की विहित सीमा के काफी नीचे था। इससे पहले 2009-10 में सकल राजकोषीय घाटे ने 5,000 करोड़ रु. की सीमा लांघी थी और 2012-13 के बजट अनुमान में इसके उससे भी बढ़कर 7,000 करोड़ रु. तक पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 2010-11 में मौजूद 349 करोड़ रु. का मामूली प्राथमिक अधिशेष भी 2011-12 मं 1,611

करोड़ रु. के प्राथमिक घाटे में बदल गया जिसे वर्तमान वित्तवर्ष (2012-13) में और भी बढ़कर 2,400 रु. हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2011-12 में राजस्व प्राप्तियों में जहां 6,800 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है, वहीं राजस्व व्यय लगभग 8,300 करोड़ रु. बढ़ गया है जिसका बड़ा भाग (5,800 करोड़ रु. से अधिक) विकास व्यय में वृद्धि के कारण है और शेष गैर-विकास व्यय में (2,400 करोड़ रु. से अधिक की) वृद्धि के कारण।

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में दिखी 15 प्रतिशत की वृद्धि भी गत वर्ष दिखी 25 प्रतिशत वृद्धि से काफी कम है। और यह लगभग पूरी तरह कर प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी क्योंकि गैर-कर प्राप्तियों में तो वस्तुतः लगभग 100 करोड़ रु. की कमी आई थी। केंद्रीय अनुदानों में भी गत वर्ष की 2,000 करोड़ रु. से भो अधिक वृद्धि की तुलना में 184 करोड़ रु. की मामूली वृद्धि हुई। जहां राजस्व वृद्धि दर घटी, वहीं राजस्व व्यय में गत वर्ष के 17 प्रतिशत की अपेक्षा 2011-12 में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसकी परिणति निम्न राजस्व अधिशेष में हुई। राजस्व अधिशेष में कमी के कारण राज्य सरकार पूंजीगत व्यय को 2011-12 में पिछले वर्ष (9,196 करोड़ रु.) के लगभग समान स्तर पर ही, 8,852 करोड़ रु. पर रोक रखने के लिए बाध्य हुई। हालांकि 2012-13 के बजट अनुमान में पूंजीगत परिव्यय का बढ़कर 13,412 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है। विगत छः वर्षों (2007-13) के दौरान राजकीय वित्तव्यवस्था के रुझान और सारांश तालिका 7.1 में प्रस्तुत ह।

राजस्व लेखा

सर्वप्रथम 2004-05 में अपने राजस्व लेखे में 1,076 करोड़ रु. के अधिशेष से आरंभ करने के बाद से बिहार लगातार राजस्व अधिशेष दर्शाता रहा है। वर्ष 2010-11 में अधिशेष बढ़कर 6,316 करोड़ रु. हो गया था जो 2011-12 में गिरकर 4,821 करोड़ रु. रह जाने के पूर्व हमेशा के सर्वोच्च स्तर पर था। पहले भी इंगित किया गया है कि राज्य के कर राजस्व में 6,699 करोड़ रु. की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्ति बढ़कर लगभग 6,800 करोड़ रु. हो गई। कर राजस्व में भी 60 प्रतिशत की वृद्धि केंद्रीय करों में अपना हिस्सा बढ़ने के कारण थी और 40 प्रतिशत राज्य के अपने राजस्व में वृद्धि के कारण। राज्य के अपने राजस्व में 27 प्रतिशत से भी अधिक की स्वस्थ वृद्धि दर दिखी जो पिछले वर्ष 22 प्रतिशत थी।

राजस्व व्यय में 2010-11 की अपेक्षा लगभग 8,300 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है जिसमें सामाजिक सेवाओं का हिस्सा लगभग 3,600 करोड़ रु. है और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 2,200 करोड़ रु. से भी अधिक। इन दोनों सेवाओं में पिछले वर्ष हुई वृद्धि के मुकाबले काफी अधिक वृद्धि हुई है। सामान्य सेवाओं पर व्यय 2011-12 में 2,400 करोड़ रु. से भी अधिक बढ़ा जिसमें अकेले पेंशन भुगतान का अतिरिक्त व्यय 1,614 करोड़ रु. था। राज्य सरकार की पेंशन देनदारी विगत वर्षों में बढ़ती गई है और लगभग 30 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2007-08 के 2,789 करोड़ रु. से 2011-12 में 7,808 करोड रु. पहुंच गई है। वर्ष 2012-13 में कुल पेंशन भुगतान का 10,000 करोड़ से भी बढ़ जाना अनुमानित है। हालांकि ब्याज भुगतान में 2011-12 में कोई वृद्धि नहीं दिखी जबकि पिछले साल इसमें 600 करोड़ से भी अधिक वृद्धि हुई थी।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को होने वाले वेतन भुगतान में भी 1,644 करोड़ का अच्छा-खासा राजस्व व्यय बढ़ा है। वर्ष 2010-11 में यह 10,550 करोड़ रु. था जो 2011-12 में बढ़कर 12,194 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में काफी उच्च स्तर पर राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय लक्षित है जिसका

वित्तपोषण काफी अधिक राजस्व संग्रहण के साथ-साथ काफी अधिक केंद्रीय अनुदान से होना अनुमानित है। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को मिलाकर लगभग 79,000 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है।

विकासमूलक व्यय और पूंजीगत परिव्यय

वर्ष 2011-12 में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकासमूलक व्यय गत वित्तवर्ष से 5,800 करोड़ से भी अधिक बढ़ा है। वर्ष 2007-08 और 2011-12 के बीच सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकासमूलक व्यय 14,306 करोड़ रु. से बढ़कर 28,767 करोड़ रु. हो गया। वहीं, गैर-विकास व्यय इस अवधि में अपेक्षाकृति धीमी गति से बढ़ा और 9,252 करोड़ रु. से बढ़कर 17,730 करोड़ रु. तक पहुंचा जिसका बड़ा हिस्सा पेंशन और अतीत के ऋणों पर ब्याज भुगतान के कारण था। वर्ष 2011-12 के कुल पूंजीगत परिव्यय 8,852 करोड़ रु. में से 7,437 करोड़ रु. का व्यय आर्थिक सेवाओं पर किया गया जिसका बड़ा हिस्सा - 4,057 करोड़ रु. - राज्य में परिवहन अधिसंरचनाओं (सड़क एवं पुल) के निर्माण पर खर्च हुआ। सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 807 करोड़ रु. था जिसका 40 प्रतिशत हिस्सा (321 करोड़ रु.) राज्य में स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं के निर्माण और उनमें सुधार पर खर्च हुआ। इसके अलावा, 305 करोड़ रु. (सामाजिक सेवाओं पर कुल पूंजीगत परिव्यय का 38 प्रतिशत) का व्यय राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप जलापूर्ति और स्वच्छता में सुधार पर हुआ।

विगत आर्थिक सर्वेक्षण में भी चिन्हित किया गया था कि राजस्व लेखे के अधिशेष ने बिहार की विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करके हासिल हुआ था। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के बीच राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 16 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी जबकि राजस्व व्यय 18.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। इसके बावजूद हर साल प्रचुर राजस्व अधिशेष बना रहा। राजस्व अधिशेष में स्थिर वृद्धि के कारण राज्य सरकार अपने पूंजीगत परिव्यय को 2010-11 तक लगातार बढ़ा पाने में सक्षम हुई लेकिन राजस्व अधिशेष में कमी के कारण 2011-12 में पूंजीगत परिव्यय 2010-11 के 9,096 करोड़ रु. से 344 करोड़ रु. घट गया। वर्ष 2011-12 में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राज्य सरकार का कुल विकासमूलक व्यय 37,619 करोड़ रु. था जो उसके कुल व्यय का 63 प्रतिशत था। राज्य सरकार ने राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों में विकास व्यय की उच्च वृद्धि दर बरकरार रखने का लक्ष्य तय किया है और यह 2012-13 के बजट अनुमान में भी प्रतिबिंबित होता है। बहरहाल, ब्याज और पेंशन भुगतान पर अधिक व्यय के बावजूद गैर-विकासमूलक सामान्य सेवाओं पर व्यय गत वर्ष की अपेक्षा बढ़ा है लेकिन 20 प्रतिशत से भी कम।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद राष्टोय सकल घरेलू उत्पाद की 15.6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के मुकाबले 22 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है जिसके कारण राज्य देश के सबसे तेज विकास दर वाले राज्यों में शुमार हो गया है। बिहार की अर्थव्यवस्था की 22 प्रतिशत विकास दर राज्य में दसवीं योजना अवधि के दौरान हुए विकास दर (12 प्रतिशत) से भी काफी अधिक है।

वर्ष 2006-07 बिहार की सार्वजनिक वित्तव्यवस्था के सुधार की प्रक्रिया के आगाज के वर्ष के बतौर चिन्हित हुआ था जब राज्य सरकार ने सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रचुर धनराशि खर्च करना शुरू किया था। साथ ही, पूंजीगत परिव्यय पर प्रचुर खर्च करते हुए राज्य सरकार ने राज्य में भौतिक अधिसंरचना के अतिवांछित निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था। फलतः 2006-07 में पूंजीगत परिव्यय उसके पिछले वर्ष के महज 2,084 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5,211 करोड़ रु. कर दिया गया था। गत पांच वर्षों के दौरान इसमें 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि होती रही है। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में इसे बढ़कर 13,412 करोड़ रु. पर पहुंचता अनुमानित किया गया है। वर्ष 2011-12 में पूंजीगत परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मात्र 3.5 प्रतिशत था जबकि 2010-11 में यह 4.56 प्रतिशत था। यह राज्य में 2011-12 में किए गए कुल व्यय का 15 प्रतिशत है जबकि पिछले साल 12 प्रतिशत ही था। इसका अर्थ 2011-12 में पूंजीगत व्यय की अपेक्षा राजस्व व्यय में अधिक वृद्धि है।

योजना और गैर-योजना व्यय

योजना और गैर-योजना व्ययों के बीच अंतराल भी ग्यारहवीं योजना अवधि के आरंभ से घटने लगा था। उस वर्ष गैर-योजना व्यय योजना व्यय का 1.9-गुना था जो 2005-06 में 3.6-गुना था। वर्ष 2010-11 में गैर-योजना व्यय योजना व्यय का 1.4-गुना ही रह गया था। हालांकि 2011-12 में गैर-योजना व्यय बढ़कर योजना व्यय का 1.6-गुना हो गया। वर्ष 2011-12 में कुल योजना व्यय 23,008 करोड़ रु. और कुल गैर-योजना व्यय 37,172 करोड़ रु. था। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक व्यय के कुशल पबंधन के मुद्दे पर बनी रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 2011 में पेश कर दी है और अनुशंसा की है कि योजना और गैर-योजना व्ययों के बीच इस आधार पर अंतर करना बंद किया जाना चाहिए कि गैर-योजना व्यय अक्रियाशील है क्योंकि बजट न तो 'सरकारी व्यय के विकास और गैर-विकास आयामों' का संतोषजनक वर्गीकरण उपलब्ध कराता है और न ही 'उपयुक्त बजटीय खाका' प्रस्तुत करता है। हालांकि इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अभी स्वीकृत किया ही जाना है लेकिन योजना व्यय और गैर-योजना व्यय के बीच मौजूद योजना व्यय के पक्ष में पूर्वाग्रह वाले इस कृत्रिम विभाजन को समाप्त करने का काफी तर्काधार मौजूद है।

संसाधन एकत्रीकरण

राज्य सरकार का कर राजस्व काफी बढ़ा है और 2007-08 के 21,852 करोड़ रु. से 2011-12 में 40,547 करोड़ रु. हो गया है। इस अवधि में राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 5,086 करोड़ रु. से बढ़कर 12,612 करोड़ रु. हो गया जबकि अपना गैर-कर राजस्व 526 करोड़ रु. से बढ़कर 890 करोड़ रु.। राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में गत वर्ष की अपेक्षा 20 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई जबकि राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 28 प्रतिशत बढ़ा। हालांकि गैर-कर राजस्व में 2010-11 की अपेक्षा 10 प्रतिशत की गिरावट आई। ऐसा लगता है कि राज्य का गैर-कर राजस्व विकास के उच्च धरातल पर पहुंच गया है और 2009-10 के 1,670 करोड़ रु. से गिरता जा रहा है। वर्ष 2010-11 में यह गिरकर 986 करोड़ रु. रह गया था क्योंकि 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 2009-10 तक उपलब्ध ऋण राहत 2010-11 से उपलब्ध नहीं हुई। वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार मिली ऋण राहत अधिक पाए जाने पर 384 करोड़ रु. की वसूली के कारण 2011-12 में गैर-कर राजस्व और भी घटकर 890 करोड़ रु. रह गया। राज्य में गैर-कर राजस्व के मात्र दो प्रमुख स्रोत हैं - ब्याज प्राप्तियां और खानों-खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी।

बिहार का अपना कर:सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विगत कई वर्षों से 5 प्रतिशत के आसपास ही रहा है जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। इस प्रकार राज्य सरकार की अपनी कर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की काफी अदोहित संभावना मौजूद है। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में कुल राजस्व 16,700 करोड़ रु. बढ़कर 68,048 करोड़ रु. होना अनुमानित है। इसमें राज्य सरकार की अपनी कर राजस्व प्राप्तियां 15,695 करोड़ रु. अनुमानित हैं जो विकास के वर्तमान रुझान के अनुरूप पिछले वर्ष से कोई एक-चौथाई अधिक है।

बकाया ऋण

राज्य सरकार पर बकाया ऋण 2007-08 में 44,475 करोड़ रु. था जो इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 39 प्रतिशत के बराबर था। यह 2000-01 में मौजूद सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 53 प्रतिशत के स्तर से नीचे आ गया था। वर्ष 2000-01 में राज्य सरकार पर अभेद्य ऋण फांस में फंस जाने का गंभीर खतरा मौजूद था जिसमें समस्त ताजा उधारियां विद्यमान ऋण बोझ की अदायगी पर ही खर्च हो जाती हैं और अन्य खर्चों के लिए कुछ नहीं बचता है। ऋण सेवा (डेब्ट सर्विसिंग) भुगतान 2007-08 में 6,154 करोड़ रु. था। वर्ष 2011-12 के अंत तक बकाया ऋण बढ़कर 60,551 करोड़ रु. पहुंच गया लेकिन ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बीच का अनुपात काफी गिरकर 24 प्रतिशत रह गया जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा 28 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से काफी नीचे है। राजस्व प्राप्ति के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात 2010-11 में 10 प्रतिशत था जो 2011-12 में और भी घटकर आयोग द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत की उच्च सीमा से काफी नीचे - मात्र 8 प्रतिशत रह गया जो दर्शाता है कि ऋण समस्या राज्य के बिल्कुल नियंत्रण में है। ऋण सेवा भुगतान 2007-08 से 2011-12 के बीच 6,154 करोड़ रु. से बढ़कर 8,260 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2011-12 में ब्याज भुगतान 4,304 करोड़ रु. था जबकि 2007-08 में यह 3,707 करोड़ रु. था। वहीं मूलधन की अदायगी इस अवधि में 1,632 करोड़ रु. से बढ़कर 2,922 करोड़ रु. हो गई। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में बकाया ऋण देनदारियां का बढ़कर 66,949 करोड़ रु. पहुंचना अनुमानित है (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22 प्रतिशत) और ब्याज भुगतान 5,186 करोड़ रु.।

वर्ष 2002-03 से ऋण संरचना में काफी परिवर्तन हुआ है। सबसे पहल तो केंद्र सरकार के अधिक ब्याज वाले ऋणों को बाजार के कम ब्याज वाले ऋणों से बदलकर और उसके बाद बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के ऋणों के समेकन और 7.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 20 वर्ष की अवधि में भुगतान हेतु पुनर्व्यवस्थित करने के कारण। इसके अलावा, बाजार से आवश्यकतानुसार ऋण लेने का फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया था और केंद्र सरकार के लिए सिर्फ राज्यों को अनुदान देना जरूरी रह गया था। फलत: केंद्र सरकार के ऋणों का अनुपात विगत 10 वर्षों में 2001-02 के कुल उधारियों के 24 प्रतिशत (लघु बचतों एवं भविष्य निधि सहित) से घटकर 2011-12 में मात्र 11 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार पर केंद्रीय ऋण 827 करोड़ रु. था जो मात्र राज्य योजनागत योजनाओं के लिए लिया गया था, जबकि राज्य सरकार द्वारा ली गई अपनी उधारियां 5,801 करोड़ रु. थीं।

वर्ष 2010-11 से राज्य सरकार को नए भारत सरकार लेखाकरण मानक (आइजीएएस) 10 का अनुपालन करना था। हालांकि मानक को पूरी तरह अपनाया नहीं गया है लेकिन इसने राज्य सरकार की बकाया देनदारियों

को पुनर्परिभाषित कर दिया है। पहले राज्य सरकार के समस्त ऋणों में आंतरिक ऋण, केंद्र सरकार के ऋण और लघु बचतों एवं भविष्य निधि लेखे के ऋण शामिल होते थे। जहां पहले दो ऋण राज्य सरकार की भविष्य निधि के बरअक्स होने वाली उधारियों के अंग हैं, वहीं लघु बचतें और भविष्य निधि राज्य सरकार के लोक लेखा का अंग हुआ करती थीं। बहरहाल लघु बचत संग्रहण राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) का हिस्सा है जो अब राज्य सरकार की संचित निधि का अंग है। डाकघरों में 'लघु बचत योजना' और 'भविष्य निधि योजना' के तहत होन वाले संग्रहणों के बरअक्स ऋणों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच 4:1 में बांटा जाता है और लघु बचत संग्रहणों के बरअक्स ऋणों की विमुक्ति के प्रयोजन से 1999-00 में एक अलग कोष 'राष्टोय लघु बचत कोष' का निर्माण किया गया था। वर्ष 2011-12 के अंत तक इस कोष से राज्य सरकार पर बकाया ऋण 18,832 करोड़ रु. है।

नए लेखाकरण मानक के अनुसार, अब लोक ऋण में संचित निधि से होने वाली उधारियां ही शामिल हैं जबकि लोक लेखा शेष अब राज्य सरकार की 'अन्य देनदारियों' (अदर लायबलिटीज) के अंतर्गत हैं क्योंकि वे सभी राज्य सरकार के नगद शेष में मिले रहते हैं। अन्य देनदारियों में भविष्य निधि एवं अन्य लेखे, आरक्षित निधि (रिजर्व फंड) तथा जमा एवं अग्रिम शामिल होते हैं लेकिन निलंबन (सस्पेंस) और प्रेषण (रेमिटेंस) शेष नहीं जबकि वे भी राज्य सरकार के नगद शेष के अंग होते हैं। हालांकि अभी भी वर्गीकरण में स्पष्टता की कुछ कमी है और भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की जरूरत है। ऋण देनदारियों के उक्त विश्लेषण में पूर्वप्रचलित वर्गीकरण का ही अनुसरण किया गया है जिसमें बकाया देनदारियों को राज्य सरकार की आंतरिक उधारियों (इंटर्नल बारोइंग्स), केंद्र सरकार से उधारियों और भविष्य निधि तथा अन्य लेखों से उधारियों के योग के बतौर दर्शाया गया है।

वर्ष 2006-07 एफआरबीएम अधिनियम के लागू होने का पहला वर्ष होने के साथ-साथ, बिहार में राजकोषीय अनुशासन का आरंभ भी परिलक्षित हुआ जो राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे को एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की सीमा के अंदर रोक रखने में दिखता है। बिहार क सकल राजकोषीय घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बीच का अनुपात 2005-06 में 4.43 प्रतिशत था जिसे 2006-07 में घटाकर 2.92 प्रतिशत पर ले लाया गया था और उसके बाद से वह 3 प्रतिशत की सीमा में ही रहा। अपवाद वैश्विक आर्थिक मंदी के तत्काल बाद का वर्ष 2009-10 था जब यह उससे थोड़ा बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया था। वर्ष 2011-12 में इस 2.34 प्रतिशत पर रोक रखा गया और 2012-13 के बजट अनुमान में इसे बढ़कर मात्र 2.52 प्रतिशत होना अनुमानित है। धनराशि के रूप में देखें तो सकल राजकोषीय घाटा इसके सबसे निचले स्तर - 2007-08 के 1,703 करोड़ रु. (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत) से बढ़कर 2011-12 में 5,914 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान में इसे बढ़कर 7,569 करोड़ रु. जाना अनुमानित है। लेकिन यह भी 3 प्रतिशत की एफआरबीएम सीमा से काफी नीचे रहेगा। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि देश में प्रतिकूल वृहदार्थिक परिस्थिति के कारण 2011-12 में वित्तोय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया अस्थायी रूप से पलटी थी लेकिन राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तव्यवस्था अब पांच वर्ष पहले से अधिक स्वस्थ-सुदृढ़ स्थिति में है।

तालिका 7.1 : बिहार सरकार की प्राप्ति और व्यय

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 ब.अ.
1	**कुल प्राप्ति - राजस्व लेखा**	**28210**	**32981**	**35527**	**44532**	**51320**	**68048**
क	कर राजस्व	21852	23865	26292	33848	40547	48822
ख	गैर-कर राजस्व	526	1153	1670	986	890	3142
ग	सहायता अनुदान एवं अंशदान	5832	7962	7564	9699	9883	16084
2	**कुल व्यय - राजस्व लेखा**	**23563**	**28512**	**32584**	**38216**	**46500**	**60959**
क	सामान्य सेवाएं, जिसमें	9252	10530	12202	15287	17730	22193
	ब्याज भुगतान	3707	3753	3685	4319	4304	5186
ख	सामाजिक सेवाएं	9868	12252	13186	15089	18729	25633
ग	आर्थिक सेवाएं	4438	5726	7088	7836	10038	13130
घ	सहायता अनुदान	5	4	107	3	3	4
3	**राजस्व घाटा**	**-4647**	**-4469**	**-2943**	**-6316**	**-4821**	**-7089**
4	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**1638**	**5939**	**6148**	**6044**	**6650**	**9336**
क	लोक ऋण आदि	1612	5928	6134	6032	6628	9321
ख	ऋण एवं अग्रिम वसूली	26	11	13	12	23	15
5	**पूंजीगत व्यय**	**8008**	**8670**	**10212**	**12489**	**13681**	**17728**
क	पूंजीगत परिव्यय	6104	6436	7332	9196	8852	13412
ख	ऋण एवं अग्रिम	272	551	897	1103	1906	1261
ग	लोक ऋण	1632	1682	1983	2190	2922	3055
6	**कुल व्यय**	272	551	897	1103	1906	1261
क	योजना व्यय	1632	1682	1983	2190	2922	3055
ख	गैर-योजना व्यय	**31571**	**37181**	**42795**	**50705**	**60180**	**78687**
7	**सकल राजकोषीय घाटा**	10946	13815	16194	20911	23008	33364
8	**प्राथमिक घाटा**	20625	23367	26601	29794	37172	45323
9	**कुल ऋणग्रहण**	**1703**	**2507**	**5273**	**3971**	**5914**	**7569**
क	आंतरिक ऋणग्रहण	**-2004**	**-1246**	**1587**	**-349**	**1611**	**2383**
ख	केंद्र सरकार से ऋण	**1612**	**5928**	**6134**	**6032**	**6628**	**9321**
10	**लोक ऋण अदायगी***	1144	5778	5370	5251	5801	7778
11	**बकाया ऋण**	468	150	764	782	827	1543
12	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**1632**	**1682**	**1983**	**2190**	**2922**	**3054**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर							
1	**कुल प्राप्ति - राजस्व लेखा**	**24.82**	**23.18**	**21.69**	**22.06**	**20.31**	**22.69**
क	कर राजस्व	19.22	16.77	16.05	16.77	16.05	16.28
ख	गैर-कर राजस्व	0.46	0.81	1.02	0.49	0.35	1.05
ग	सहायता अनुदान एवं अंशदान	5.13	5.60	4.62	4.80	3.91	5.36
2	**कुल व्यय - राजस्व लेखा**	**20.73**	**20.04**	**19.89**	**18.93**	**18.40**	**20.32**
क	सामान्य सेवाएं, जिसमें	8.14	7.40	7.45	7.57	7.02	7.40
	ब्याज भुगतान	3.26	2.64	2.25	2.14	1.70	1.73
ख	सामाजिक सेवाएं	8.68	8.61	8.05	7.48	7.41	8.55
ग	आर्थिक सेवाएं	3.90	4.02	4.33	3.88	3.97	4.38
घ	सहायता अनुदान	नगण्य	नगण्य	0.07	नगण्य	नगण्य	नगण्य
3	**राजस्व घाटा**	**-4.09**	**-3.14**	**-1.80**	**-3.13**	**-1.91**	**-2.36**
4	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**1.44**	**4.17**	**3.75**	**2.99**	**2.63**	**3.11**
क	लोक ऋण आदि	1.42	4.17	3.75	2.99	2.62	3.11
ख	ऋण एवं अग्रिम वसूली	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
5	**पूंजीगत व्यय, जिसमें**	**7.04**	**6.09**	**6.23**	**6.19**	**5.41**	**5.91**
क	पूंजीगत परिव्यय	5.37	4.52	4.48	4.56	3.50	4.47
ख	ऋण एवं अग्रिम	0.24	0.39	0.55	0.55	0.75	0.42
ग	लोक ऋण	1.44	1.18	1.21	1.08	1.16	1.02
6	**कुल व्यय**	**27.77**	**26.13**	**26.13**	**25.12**	**23.82**	**26.23**
क	योजना व्यय	9.63	9.71	9.89	10.36	9.11	11.12
ख	गैर-योजना व्यय	18.14	16.42	16.24	14.76	14.71	15.11
7	**सकल राजकोषीय घाटा**	**1.50**	**1.76**	**3.22**	**1.97**	**2.34**	**2.52**
8	**प्राथमिक घाटा**	**-1.76**	**-0.88**	**0.97**	**-0.17**	**0.64**	**0.79**
9	**कुल ऋणग्रहण**	**1.42**	**4.17**	**3.75**	**2.99**	**2.62**	**3.11**
क	आंतरिक ऋणग्रहण	1.01	4.06	3.28	2.60	2.30	2.59
ख	केंद्र सरकार से ऋण	0.41	0.11	0.47	0.39	0.33	0.51
10	**लोक ऋण अदायगी**	**1.44**	**1.18**	**1.21**	**1.08**	**1.16**	**1.02**
11	**बकाया ऋण**	**39.12**	**34.34**	**32.21**	**28.16**	**23.96**	**22.31**

टिप्पणी : (1) * इसमें बिहार सरकार के लोक लेखा के तहत लघु बचत और भविष्य निधि की प्राप्ति तथा भुगतान शामिल नहीं हैं।

(2) वर्ष 2012-13 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान गत 5 वर्षों की वार्षिक चक्रवृद्धि दर के आधार पर किया गया है।

चार्ट 7.1

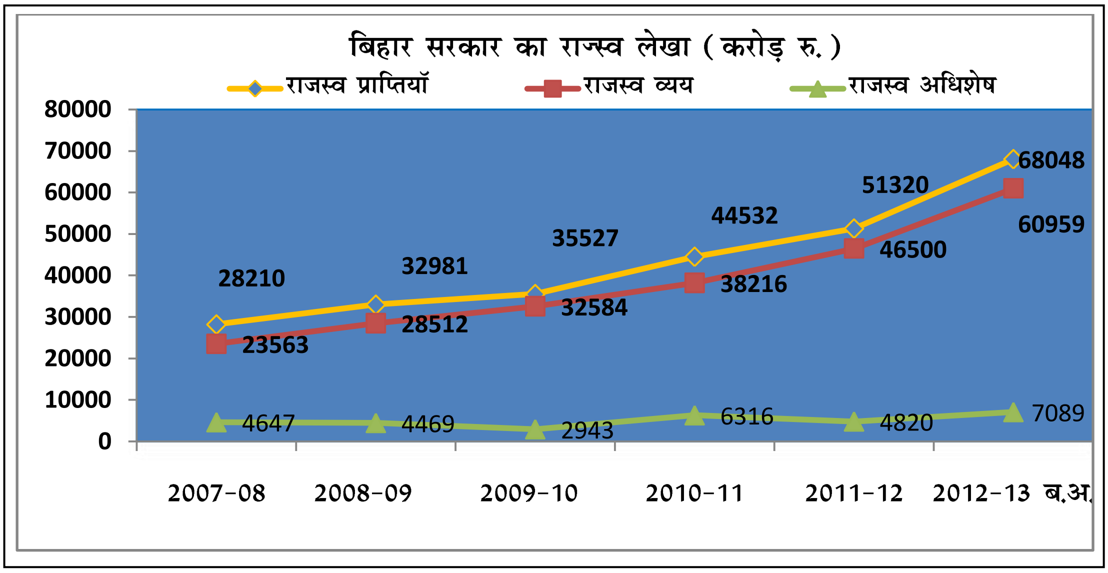

चार्ट 7.2

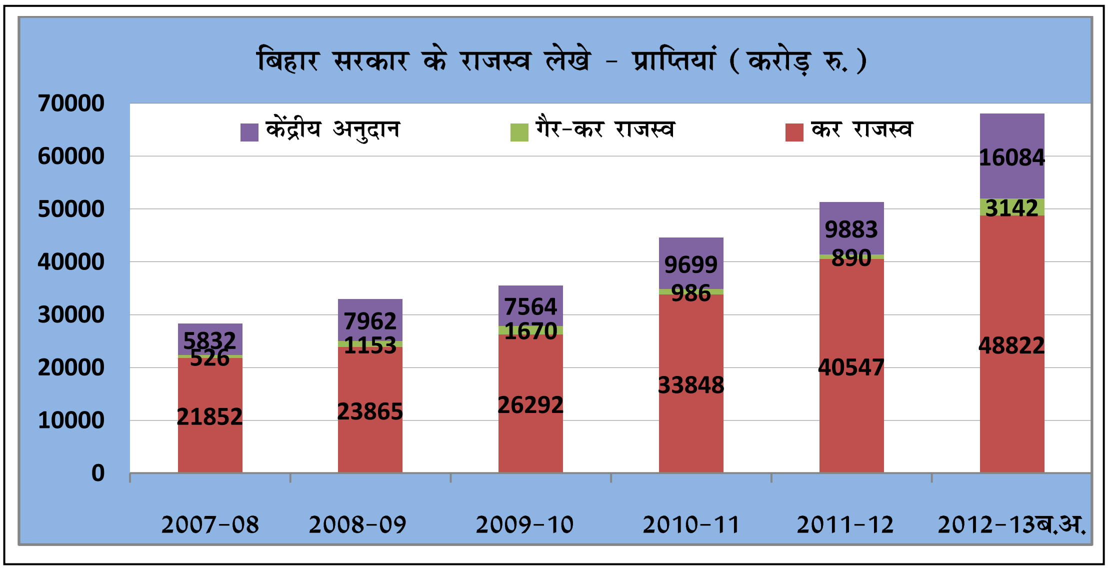

चार्ट 7.3

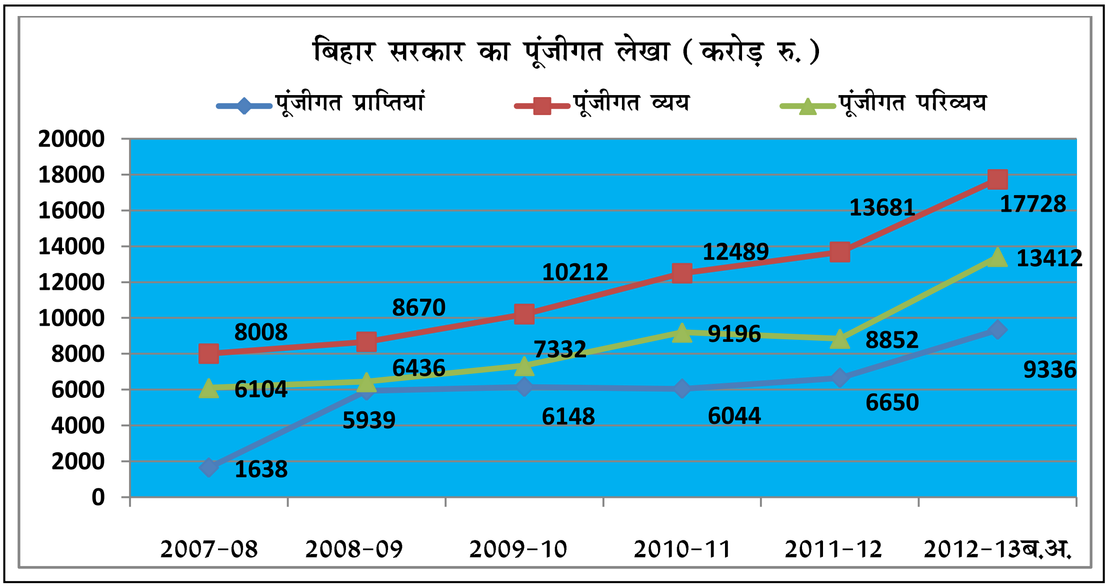

7.2 राजकोषीय प्रदर्शन

राजस्व घाटा राजस्व लेखे में और पूंजीगत घाटा पूंजी लेखे में प्राप्तियों के मुकाबले व्यय की अधिकता को अभिव्यक्त करता है। पारंपरिक घाटा राज्य सरकार की संचित निधि के राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा का बीजगणितीय जोड़ होता है। लेकिन यह वस्तुतः अर्थव्यवस्था में कुल संसाधन अंतराल (रिसोर्स गैप) को नहीं दर्शाता है क्योंकि इसमें पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत उधार की रकम भी शामिल रहती है। समग्र संसाधन अंतराल सकल राजकोषीय घाटे से अभिव्यक्त होता है जिसे किसी न किसी प्रकार के उधार से पाटना होता है। विगत तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13 ब.अ.) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए वर्तमान विश्लेषण में निम्नलिखित 10 सूचकों का उपयोग किया गया है :

(1) सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व घाटा का अनुपात
(2) सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात
(3) सकल राजकोषीय घाटा के साथ निवल ऋण-प्रदान (नेट लेंडिंग) का अनुपात
(4) समूहित संवितरण (एॅग्रीगेट डिसबर्समेंट) के साथ गैर-विकास व्यय का अनुपात
(5) राजस्व प्राप्ति के साथ गैर-विकास व्यय का अनुपात
(6) राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात
(7) राजस्व व्यय के साथ राज्य के कर राजस्व का अनुपात
(8) राजस्व व्यय के साथ राज्य के गैर-कर राजस्व का अनुपात
(9) समूहित व्यय के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण (ग्रॉस ट्रांसफर) का अनुपात
(10) केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात

(1) **सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व घाटा का अनुपात :** इस अनुपात से पता चलता है कि सकल राजकोषीय घाटा में राजस्व घाटे का किस हद तक योगदान है। आदर्श स्थिति में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु राजस्व लेखे में अधिशेष होना चाहिए। पहले भी गौर किया गया है कि बिहार के राजस्व लेखे में गत कुछ वर्षों के दौरान प्रचुर अधिशेष थे, जिसके चलते राज्य सरकार पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ाने सक्षम हुई। सर्वाधिक राजस्व अधिशेष 2010-11 में 6,316 करोड़ रु. था जो 2011-12 में घटकर 4,821 करोड़ रु. रह गया फिर भी काफी अधिक है। इतने वर्षों तक बहुत कम राज्य ही बिहार की तरह लगातार प्रचुर अधिशेष कायम रख पाए हैं। देश के 17 बड़े राज्यों में बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राजस्व लेखों में गत तीन वर्षों के दौरान लगातार यथेष्ट अधिशेष था।

(2) **सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात :** अपने राजस्व लेखों में सुधार के स्वाभाविक परिणामस्वरूप बिहार में पूंजीगत परिव्यय का परिमाण गत तीन वर्षों में काफी अधिक रहा है। वर्ष 2010-11 में पूंजीगत परिव्यय सकल राजकोषीय घाटे का 2.3-गुना था जो 2011-12 में घटकर 1.5-गुना रह गया और 2012-13 में इस अनुपात का बढ़कर 1.8 होना अनुमानित है। झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जैसे कुछ प्रमुख राज्य ही पूंजी परिव्यय का ऐसा उच्च स्तर दर्ज करा सके।

(3) **सकल राजकोषीय घाटा के साथ निवल ऋण-पदान का अनुपात :** सकल राजकोषीय घाटे का एक अंश राज्य सरकार द्वारा निवल ऋण-प्रदान (नेट लेंडिंग) के कारण होता है, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य निकायों को दिया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के लिए यह अनुपात लगातार घटता गया है और 2012-13 के बजट अनुमान में 16.5 प्रतिशत है। अन्य सभी राज्यों में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और झारखंड को छोड़कर अन्य राज्यों के निवल ऋणप्रदान का सकल राजकोषीय घाटे में कोई खास योगदान नहीं है।

(4) **समूहित संवितरण के साथ गैर-विकास व्यय का अनुपात :** मख्यत: प्रशासनिक अथवा सामान्य सेवाओं के लिए होने वाले गैर-विकास व्यय का हिस्सा कुल संवितरणों में कम ही हा तो बेहतर है। बिहार में कुल व्यय में गैर-योजना व्यय के बतौर गैर-विकास व्यय का हिस्सा 2011-12 में 37.5 प्रतिशत था जो 2010-11 के 30.2 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य प्रमुख राज्यों के आंकड़े भी बिहार जैसे ही हैं। वहीं छत्तोसगढ़, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट विगत तीन वर्षों के दौरान इसे निम्न स्तर पर बनाए रखने में सफल रहे।

(5) **राजस्व प्राप्ति के साथ गैर-विकास व्यय का अनुपात :** यह अनुपात बताता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किस हद तक विकास प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सका। इस अनुपात का कम ही रहना बेहतर है। बिहार में कुल राजस्व प्राप्ति के साथ गैर-विकास व्यय का अनुपात 2010-11 में 34.3 प्रतिशत था और 2011-12 में उससे भी अधिक - 44 प्रतिशत। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में इसका घटकर 39 प्रतिशत रह जाना अनुमानित है। जहां पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में यह अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक था, वहीं झारखंड, महाराष्ट, आंध्र प्रदेश और छत्तोसगढ़ में यह 30 प्रतिशत से कम था।

(6) **राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात :** अधिक ऋणग्रस्तता के कारण अधिकांश राज्यों की वित्तव्यवस्था के लिए ब्याज भुगतान स्थायी बोझ बने रहते हैं। हालांकि बिहार में 2004-05 से राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान का हिस्सा लगातार गिरता गया है। वर्ष 2007-08 में यह 13.2 प्रतिशत था जो 2011-12 में गिरकर मात्र 9.3 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में इसके और भी गिरकर मात्र 8.5 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। झारखंड और छत्तोसगढ़ को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में यह अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक है। पश्चिम बंगाल में यह अनुपात 21.1 प्रतिशत है।

(7-8) **राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने कर और गैर-कर राजस्व का अनुपात :** ये दोनों अनुपात राज्य सरकार की राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों के लिहाज स उसकी आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार की अपनी कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियां मिलकर उसके कुल राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों का मुश्किल से 24 प्रतिशत हिस्सा ही पूरा कर पाती थीं। उसके बाद से इस अनुपात में सुधार हुआ और 2009-10 में यह सवाच्च स्तर पर (लगभग 30 प्रतिशत) और 2011-12

में 29 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में यह 30 प्रतिशत से थोड़ा अधिक अनुमानित है। यह बताता है कि अपने संसाधनों के बूते अपनी वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल कर पाना राज्य के लिए अभी दूर की बात है। अन्य प्रमुख राज्यों की स्थिति इस मामले में काफी अच्छी है। पश्चिम बंगाल (36 प्रतिशत), झारखंड (42 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (40 प्रतिशत) को छोड़ दें, तो अधिकांश राज्य अपना लगभग 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक राजस्व व्यय अपनी गैर एवं गैर-कर प्राप्तियों से पूरा करते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य अपनी राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों का 70 प्रतिशत से अधिक भाग अपने संसाधनों से पूरा करते हैं।

(9) **समूहित व्यय के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण का अनुपात :** यह अनुपात बाहरी संसाधनों पर राज्य सरकार की निर्भरता को सामने लाता है। बिहार के मामले में ऐसी निर्भरता हमेशा से काफी अधिक रही है। बिहार के राजस्व और पूंजीगत लेखों के कुल समूहित व्यय में केंद्रीय अंतरणों का हिस्सा हमेशा ही 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। वर्ष 2007-08 में यह अनुपात 75 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर था जो 2009-10 में गिरकर 62 प्रतिशत रह गया था। विगत तीन वर्षों के दौरान इसकी स्थिति इस प्रकार रही है : 2010-11 में 68 प्रतिशत, 2011-12 में 64 प्रतिशत और 2012-13 के बजट अनुमान में 65 प्रतिशत। झारखंड को छोड़कर किसी भी अन्य प्रमुख राज्य की केंद्र सरकार के अंतरणों पर इतनी अधिक निर्भरता नहीं है। अन्य प्रमुख राज्यों में केवल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुल व्यय के 40 प्रतिशत से अधिक हिस्से का वित्तपोषण केंद्रीय अंतरणों से होता है। अगर सिर्फ केंद्रीय अनुदानों पर विचार किया जाय, क्योंकि कर अंतरण वैधानिक हैं और केंद्रीय करों में हिस्सा प्राप्त करना किसी भी स्थिति में राज्यों का संवैधानिक अधिकार है, तो बिहार के समूहित संवितरणों में इसका हिस्सा 2011-12 में 16 प्रतिशत था। केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की निर्भरता का यह अधिक उपयुक्त सूचक है। वर्ष 2010-11 के 19 प्रतिशत से यह हिस्सा घटा है।

(10) **केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात :** वर्ष 2003-04 तक केंद्र सरकार से बिहार को होने वाले सकल अंतरणों का काफी बड़ा हिस्सा ऋण सेवा में चला जाता था। हालांकि बेहतर ऋण प्रबंधन के कारण इस अनुपात को काफी नीचे ले लाया गया था - 2003-04 के 100 प्रतिशत से भी अधिक से घटाकर 2007-08 में मात्र 26 प्रतिशत के आसपास। उसके बाद से यह लगातार घट रहा है - 2010-11 में 20.6 प्रतिशत, 2011-12 में 21.4 प्रतिशत और 2012-13 के बजट अनुमान में 18 प्रतिशत। इस मामले में बिहार का प्रदर्शन देश के अनेक प्रमुख राज्यों की तुलना में काफी अच्छा है। पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मामले में स्थिति खास तौर पर चिंताजनक है क्योंकि यह अनुपात कभी-कभी 100 प्रतिशत के आसपास या उससे भी अधिक हो गया है जो इंगित करता है कि संपूर्ण केंद्रीय अंतरण भी इन राज्यों की मौजूदा ऋण सेवा देनदारियों का निष्पादन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए इन राज्यों में ऋण सेवा के लिए राज्य सरकारों को अपने संसाधनों तथा बाजार की उधारियों जैसे अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ती है। इससे इन राज्यों के पास अपनी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बहुत कम संसाधन बच जाते हैं।

तालिका 7.2 : प्रमुख राजकोषीय सूचक

राज्य	क. राजस्व घाटा : सकल राजकोषीय घाटा (%)			ख. पूंजीगत परिव्यय : सकल राजकोषीय घाटा (%)		
	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)
बिहार	**-159.1**	**-81.5**	**-93.6**	**231.6**	**149.6**	**177.2**
झारखंड	-39.6	-14.7	-153.9	126.2	104.8	228.2
पश्चिम बंगाल	88.4	79.7	44.1	11.4	17.9	51.8
उड़ीसा	-594.2	-153.1	-50.7	651.5	235.0	148.2
उत्तर प्रदेश	-20.7	-43.3	-27.7	119.7	140.9	126.8
मध्य प्रदेश	-121.3	-98.1	-63.6	156.0	116.8	108.0
राजस्थान	-25.5	-5.8	-10.7	126.8	107.4	111.9
महाराष्ट्र	3.1	10.0	-0.7	95.2	91.9	97.3
गुजरात	33.5	-15.0	-20.3	68.0	116.5	121.1
पंजाब	74.0	58.0	35.0	33.4	41.1	65.2
हरियाणा	37.8	33.3	32.2	55.5	61.0	61.2
कर्नाटक	-39.1	-24.8	-6.1	125.0	110.6	94.4
आंध्र प्रदेश	-20.9	-4.4	-22.2	94.2	84.2	99.8
केरल	47.4	57.3	32.2	43.4	35.3	61.0
तमिलनाडु	16.4	-3.2	-12.0	74.7	98.7	105.2
हिमाचल प्रदेश	38.9	23.9	56.3	44.6	63.9	58.5
छत्तीसगढ़	826.7	-56.5	-64.0	-725.4	154.4	155.5

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

राज्य	ग. निवल ऋण-प्रदान : सकल राजकोषीय घाटा (%)			घ. गैर-विकास व्यय : समूहित संवितरण (%)		
	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)
बिहार	**27.5**	**31.8**	**16.5**	**30.2**	**37.5**	**33.7**
झारखंड	13.4	10.0	25.7	31.5	26.4	23.1
पश्चिम बंगाल	0.2	2.4	4.1	25.6	36.5	36.7
उड़ीसा	42.7	18.0	2.5	28.8	29.6	31.7
उत्तर प्रदेश	1.0	2.4	0.8	38.5	35.2	35.6
मध्य प्रदेश	65.3	81.3	55.6	29.3	25.1	27.8
राजस्थान	-1.4	-1.6	-1.2	31.2	28.3	26.7
महाराष्ट्र	1.7	-1.9	3.4	29.9	18.6	19.2
गुजरात	-1.5	-1.5	-0.8	27.2	26.2	26.5
पंजाब	-7.4	0.9	-0.2	46.6	36.9	32.6
हरियाणा	6.6	5.7	6.6	24.8	22.2	22.9
कर्नाटक	14.1	14.2	11.7	23.7	25.9	28.5
आंध्र प्रदेश	26.6	20.2	22.4	26.6	24.9	23.3
केरल	9.3	7.4	6.8	44.6	41.9	36.5
तमिलनाडु	8.9	4.5	6.8	35.0	32.8	33.1
हिमाचल प्रदेश	4.8	12.2	10.0	33.1	31.0	31.3
छत्तीसगढ़	-1.3	2.2	8.5	25.3	20.5	20.6

राज्य	च. गैर-विकास व्यय : राजस्व प्राप्तियां (%)			छ. ब्याज भुगतान : राजस्व व्यय (%)		
	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)
बिहार	**34.3**	**44.0**	**39.0**	**11.3**	**9.3**	**8.5**
झारखंड	37.2	32.1	26.4	12.4	9.5	8.8
पश्चिम बंगाल	61.6	54.3	47.9	21.4	21.1	22.5
उड़ीसा	31.2	32.9	37.6	10.4	11.5	12.1
उत्तर प्रदेश	47.1	42.2	44.7	20.0	18.1	17.5
मध्य प्रदेश	33.9	33.0	34.8	11.2	10.2	9.9
राजस्थान	36.5	34.5	32.5	16.4	14.2	13.4
महाराष्ट्र	36.7	21.8	22.6	15.5	15.2	14.5
गुजरात	37.2	33.8	35.1	16.8	18.1	17.2
पंजाब	69.7	58.7	49.5	16.8	17.1	16.3
हरियाणा	36.8	32.8	33.5	12.0	12.5	13.8
कर्नाटक	29.3	32.0	35.9	10.4	9.2	9.3
आंध्र प्रदेश	33.2	31.5	29.1	13.0	11.8	11.5
केरल	58.7	60.4	62.2	17.2	14.3	14.0
तमिलनाडु	45.3	42.1	41.3	11.2	10.5	11.4
हिमाचल प्रदेश	45.3	39.7	41.6	13.1	13.6	12.9
छत्तीसगढ़	26.2	25.0	25.5	6.2	4.9	4.7

राज्य	ज. राज्य का कर राजस्व : राजस्व व्यय (%)			झ. राज्य का गैर-कर राजस्व : राजस्व व्यय (%)		
	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)
बिहार	**25.8**	**27.1**	**25.7**	**2.6**	**1.9**	**5.2**
झारखंड	31.9	28.3	31.4	15.6	14.3	14.2
पश्चिम बंगाल	32.7	32.6	37.3	3.7	3.8	3.9
उड़ीसा	38.1	36.1	37.7	16.3	13.5	12.6
उत्तर प्रदेश	38.4	39.2	40.6	10.4	10.5	9.3
मध्य प्रदेश	47.6	46.4	44.6	12.7	12.5	11.5
राजस्थान	46.3	43.5	43.1	14.0	15.6	14.4
महाराष्ट्र	70.5	72.9	68.3	7.7	5.8	8.0
गुजरात	63.3	68.7	70.9	8.6	9.5	9.4
पंजाब	51.2	55.5	57.9	16.2	10.3	12.8
हरियाणा	58.9	58.3	60.0	12.0	12.5	12.1
कर्नाटक	71.2	70.1	64.3	6.2	4.9	4.0
आंध्र प्रदेश	57.5	55.4	58.8	13.6	12.7	12.3
केरल	62.7	46.4	62.2	5.6	4.3	6.8
तमिलनाडु	67.0	72.3	74.7	6.4	6.5	6.1
हिमाचल प्रदेश	26.1	28.3	29.0	11.4	12.1	11.5
छत्तीसगढ़	49.3	43.5	45.4	19.8	17.7	18.8

राज्य	ट. सकल अंतरण : समूहित संवितरण (%)			ठ. ऋण सेवा : सकल अंतरण (%)		
	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)
बिहार	**68.0**	**64.3**	**64.5**	**20.6**	**21.4**	**17.6**
झारखंड	46.8	48.1	53.2	33.9	25.4	20.6
पश्चिम बंगाल	25.8	36.1	42.8	169.4	73.0	59.6
उड़ीसा	48.6	49.8	45.5	29.4	29.2	34.7
उत्तर प्रदेश	43.4	45.0	41.9	49.0	43.0	54.6
मध्य प्रदेश	43.0	38.9	42.5	29.4	26.1	37.0
राजस्थान	35.8	34.8	37.3	55.6	47.7	45.5
महाराष्ट्र	18.0	18.4	22.1	91.0	95.2	82.6
गुजरात	15.7	19.1	18.1	119.3	102.7	104.2
पंजाब	13.7	14.8	16.1	203.2	204.1	187.0
हरियाणा	14.9	16.5	16.7	142.5	152.2	161.7
कर्नाटक	24.9	25.0	28.1	47.3	43.2	45.7
आंध्र प्रदेश	27.1	27.7	26.9	66.1	55.9	55.5
केरल	18.9	15.7	18.3	103.1	116.0	134.9
तमिलनाडु	19.9	18.0	18.1	63.1	65.0	71.3
हिमाचल प्रदेश	44.0	45.3	43.0	38.0	37.7	44.8
छत्तीसगढ़	40.5	35.8	34.4	19.8	19.0	19.4

चार्ट 7.4

बिहार के राजकोषीय पैरामीटर के चार्ट

(इन चार्टों में सभी अनुपात प्रतिशत में दर्शाए गए हैं। वर्ष 2012-13 के आंकड़े 2012-13 के बजट अनुमान के हैं। अन्य सारे वर्षों के आंकड़े लेखों से लिए गए हैं।)

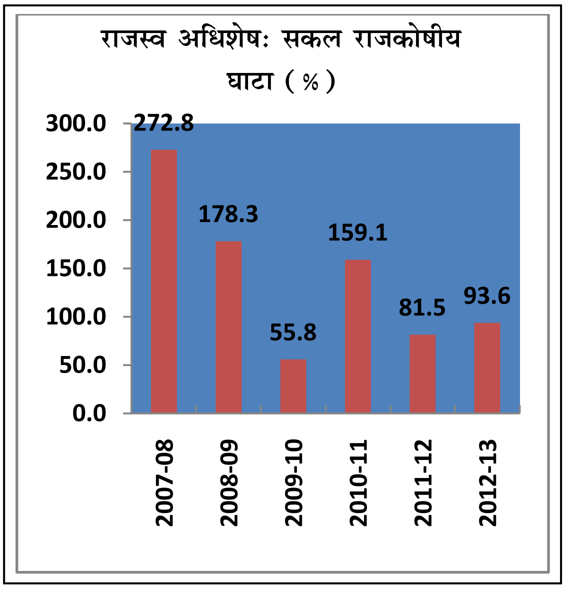

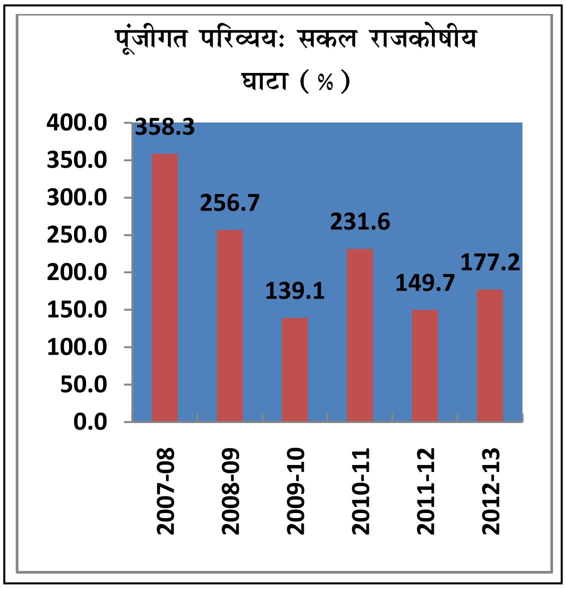

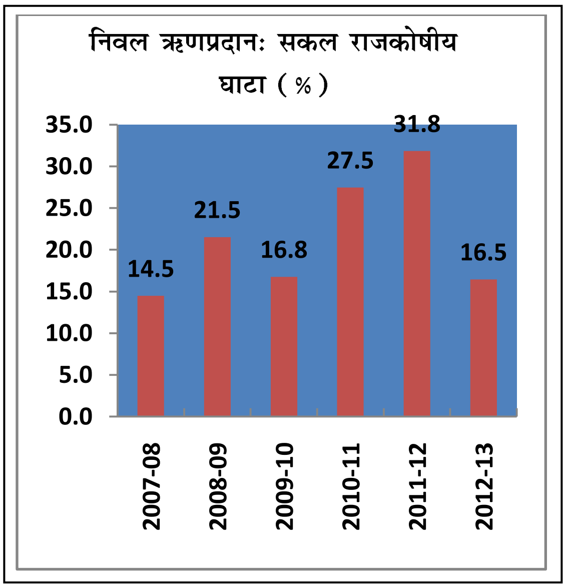
निवल ऋणप्रदान: सकल राजकोषीय घाटा (%)
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
14.5
21.5
16.8
27.5
31.8
16.5
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

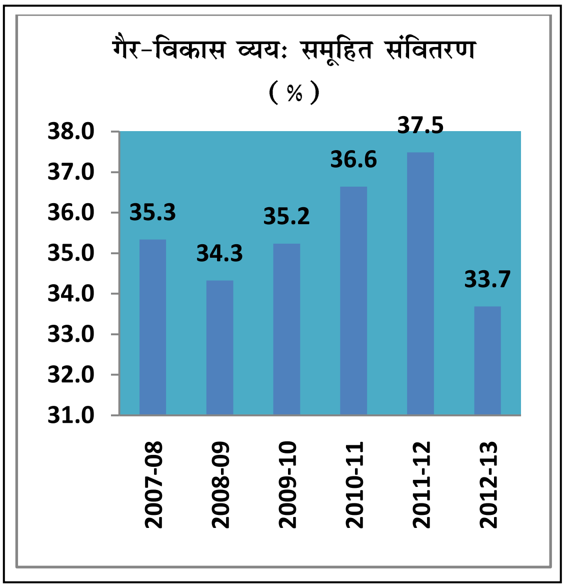
गैर-विकास व्यय: समूहित संवितरण (%)
38.0
37.0
36.0
35.0
34.0
33.0
32.0
31.0
35.3
34.3
35.2
36.6
37.5
33.7
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

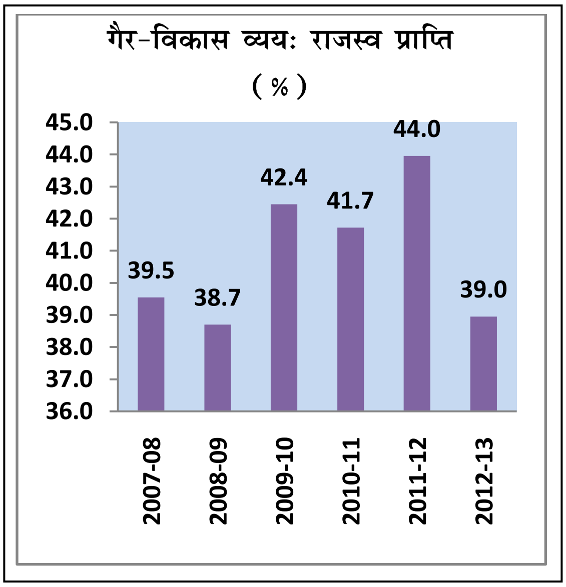
गैर-विकास व्यय: राजस्व प्राप्ति (%)
45.0
44.0
43.0
42.0
41.0
40.0
39.0
38.0
37.0
36.0
39.5
38.7
42.4
41.7
44.0
39.0
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

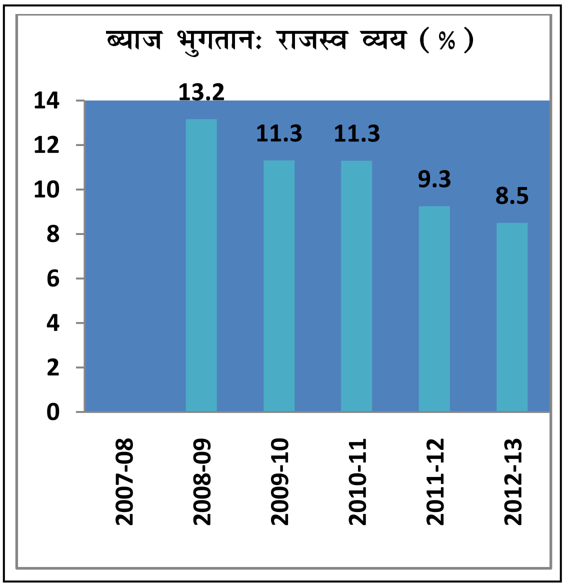
ब्याज भुगतान: राजस्व व्यय (%)
14
12
10
8
6
4
2
0
13.2
11.3
11.3
9.3
8.5
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

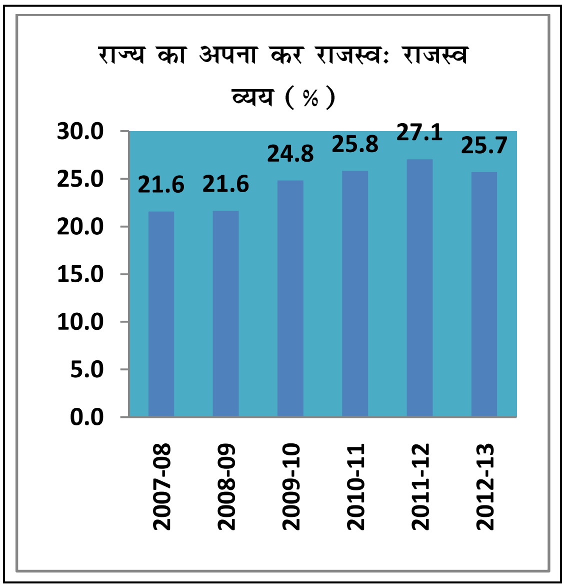
राज्य का अपना कर राजस्व: राजस्व व्यय (%)
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
21.6
21.6
24.8
25.8
27.1
25.7
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

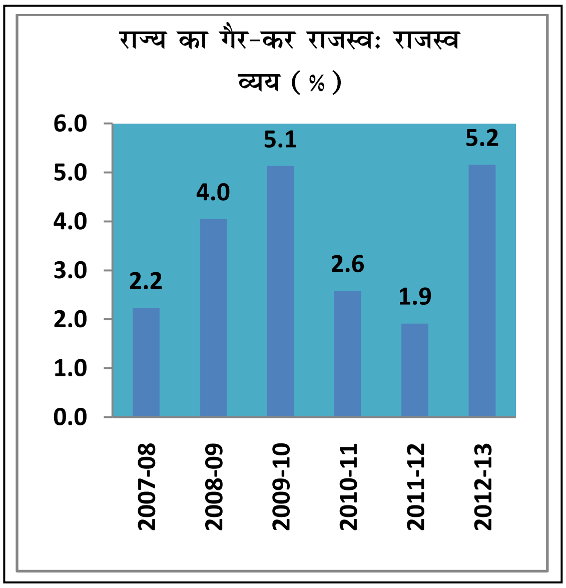
राज्य का गैर-कर राजस्व: राजस्व व्यय (%)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2.2
4.0
5.1
2.6
1.9
5.2
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

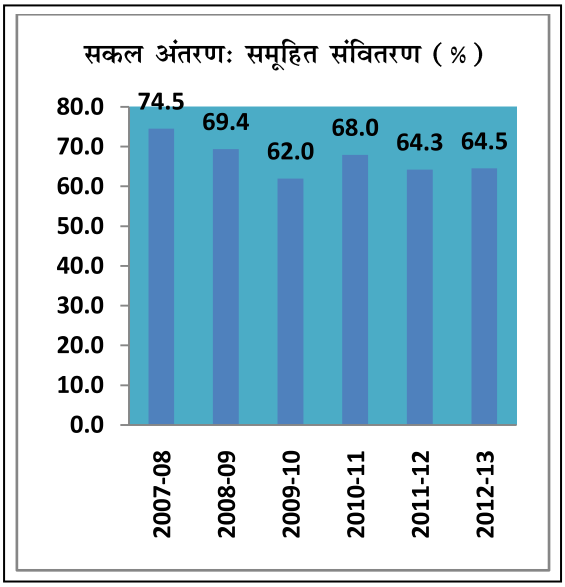

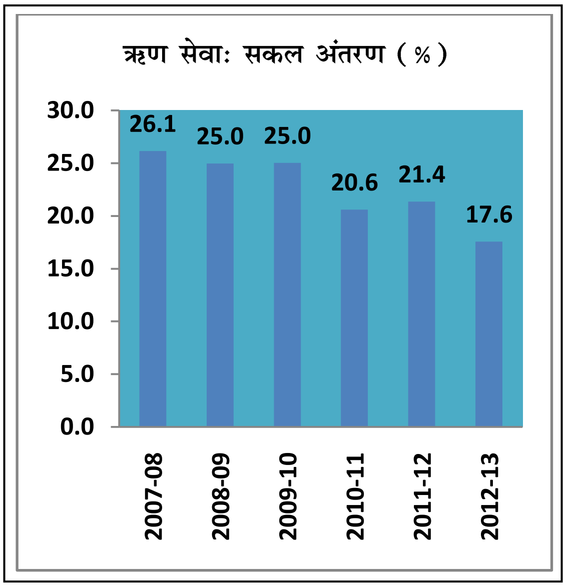

राजकीय वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता

पूर्ववर्ती विश्लेषण का विस्तार उन कारकों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जो राज्य को वित्तीय रूप से स्वस्थ बनाते हैं और उसका सतत विकास सुनिश्चित करते हैं। विकास के लिए किसी सरकार द्वारा अपनी गतिविधियों का विस्तार करना जरूरी है। तब यह जानना आवश्यक होगा कि उन गतिविधियों के वित्तपोषण के साधन टिकाऊ हैं या नहीं अर्थात वे ऋण भार में प्रचुर वृद्धि किए बिना राज्य सरकार की व्यय संबंधी बढ़ी जरूरतें पूरी करते हैं या नहीं। अगर सरकार अपनी गतिविधियों का स्तर बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए वित्तपोषण के साधनों (राजस्व बढ़ाकर या उधार लेकर) के लचीलापन की जांच करना प्रासंगिक होगा और यह भी जांचना होगा कि गतिविधियों का बढ़ा हुआ स्तर राज्य के लिए अधिक जोखिम तो नहीं पैदा करता है और उसे वित्तपोषण के स्रोतों के समक्ष असुरक्षित तो नहीं बना देता है। राज्य सरकारें अपनी गतिविधियों का स्तर मुख्यत: पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए बढ़ाती हैं जो वार्षिक विकास योजनाओं में बदल जाती हैं। इस लिहाज से मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि गैर-योजना व्यय गतिविधियों के मौजूदा स्तर के रखरखाव को अभिव्यक्त करता है जबकि योजना व्यय में गतिविधियों के स्तर का विस्तार निहित होता है। तालिका 7.3 में राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता को मापने वाले कुछ कारक दर्शाए गए हैं और उन पर परवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(i) **वर्तमान राजस्व शेष (बीसीआर)** : इसकी गणना राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों, केंद्रीय करों में हिस्से तथा गैर-योजना अनुदानों के योगफल में से गैर-योजना राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है। वर्तमान राजस्व शेष का सकारात्मक होना दर्शाता है कि राज्य सरकार के राजस्व में अपने योजना व्यय को पूरा करने के लिए अधिशेष धनराशि मौजूद है। बिहार में वर्तमान राजस्व प्रचुर सकारात्मक रहा है जिसमें वर्तमान वित्तवर्ष सहित विगत 6 वर्षों के दौरान वृद्धि का रुझान रहा है। वर्ष 2007-08 में 5,124 करोड़ रु. वर्तमान राजस्व शेष मौजूद था जो 2011-12 में बढ़कर लगभग 10,000 करोड़ रु. हो गया।

(ii) **ब्याज अनुपात** : इसकी गणना ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के अंतर में कुल राजस्व और ब्याज प्राप्तियों के अंतर से भाग देकर की जाती है। इसका ऊंचा अनुपात ताजा ऋण सेवा की तथा अपनी

राजस्व प्राप्तियों से अपना राजस्व व्यय पूरा करने की राज्य सरकार की कमजोर क्षमता को इंगित करता है। बिहार के लिए यह अनुपात 2007-08 में 16 प्रतिशत था जो 2011-12 में काफी गिरकर मात्र 9 प्रतिशत रह गया।

(iii) **पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्तियां :** यह अनुपात बताता है कि पूंजीगत प्राप्तियों का पूंजी निर्माण में किस हद तक उपयोग किया जाता है। 100 प्रतिशत से कम अनुपात दीर्घकालिक रूप में टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि यह बताएगा कि पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग राजस्व व्यय हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2006-07 में पहली बार बिहार का अनुपात 220 प्रतिशत के स्वस्थ आंकड़े पर पहुंचा था। इस सकारात्मक रुझान को कायम रखा गया और 2007-08 में यह अनुपात बढ़कर 373 प्रतिशत हो गया। उसके बाद 2010-11 में इसके 152 प्रतिशत तक पहुंचने के पहले दो वर्षों तक इसमें गिरावट आई। वर्ष 2011-12 के अंत में यह 133 प्रतिशत था। इस प्रकार, इस समय संपूर्ण ऋणप्राप्तियों का उपयोग पूंजीगत परिव्यय हेतु हो रहा है जिसके एक हिस्से का वित्तपोषण राजस्व लेखे के अधिशेष से हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 2005-06 के पूर्व यह अनुपात 20 प्रतिशत से भी नीचे रहा करता था जिसका मुख्य कारण उच्च ऋण सेवा भुगतान होता था।

(iv) **राज्य की कर प्राप्तियां/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद :** यह राज्य के कर प्रयासों और उसकी कर क्षमता के बीच अंतराल का एक महत्वपूर्ण सूचक है। निम्न अनुपात से निम्न कर अनुपालन (टैक्स कंप्लाएंस) का भी पता चलता है। फिर, राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियों के जरिए गणना करके प्राप्त अनुपात से यह भी पता चलता है कि राज्य सरकार केंद्रीय करों में अपने हिस्से पर किस हद तक निर्भर है। बिहार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपनी कुल कर प्राप्तियों का अनुपात 2008-09 तक 4 प्रतिशत के आसपास गतिरुद्ध रहा था। उसके बाद से यह बढ़ने लगा और 2011-12 में लगभग 5 प्रतिशत हो गया। चूंकि यह अनुपात अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है इसलिए राज्य की कर संभावना के दोहन की अभी काफी गुंजाइश है। केंद्रीय अंतरणों सहित राज्य सरकार का कुल राजस्व (ऋणों को छोड़कर) 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 20 प्रतिशत हो गया है।

(v) **बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद :** यह अनुपात सूचित करता है कि राज्य सरकार कहीं ऋण फांस में तो नहीं जकड़ गई है जिससे अपने बूते निकल पाना उसके लिए संभव नहीं हो। उच्च अनुपात से राज्य सरकार के लिए वित्तीय फेरबदल की बहुत कम गुंजाइश बचती है और लचीलापन को कमी व्यक्त होती है। गौरतलब है कि 2007-08 में कुल ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 39 प्रतिशत था जो 2011-12 में घटकर मात्र 24 प्रतिशत रह गया है। इस ऋण भार के सुस्थिर होने के कारण बिहार इस मामले में सुरक्षित स्थिति में है।

(vi) **पूंजीगत अदायगी/ पूंजीगत ऋणग्रहण :** यह अनुपात बताता है कि किस हद तक पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग परिसंपत्ति निर्माण हेतु नहीं किया जा सका। उच्च अनुपात से पता चलता है कि पूंजीगत प्राप्तियों के अधिक हिस्से का उपयोग अतिरिक्त परिसंपत्ति निर्माण की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर पूंजीगत अदायगी के लिए किया गया है। बिहार के लिए यह अनुपात 2007-08 में 116 प्रतिशत था जो 2008-09 में गिरकर मात्र 38 प्रतिशत रह गया था। वर्ष 2011-12 में यह अनुपात 46 प्रतिशत था जिससे पता चलता है कि आधी से अधिक पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग वास्तव में राज्य में पंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु हो रहा है।

(vii) **प्राथमिक घाटा :** इसे सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इससे अतीत की देनदारियों पर विचार किए बिना, जिसके लिए अभी ब्याज भुगतान किया जाना है, राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों के प्रभाव की माप होती है। ऋण की दीर्घकालिक सुस्थिरता की आवश्यक शर्त यह है कि प्राथमिक लेखे में घाटा नहीं होना चाहिए। वर्ष 2007-08 और 2008-09 में बिहार में प्रचुर प्राथमिक अधिशेष था। वर्ष 2010-11 में पुनः 349 करोड़ रु. का मामूली अधिशेष मौजूद था। वर्ष 2011-12 में यह 1,611 करोड़ रु. के प्राथमिक घाटे में बदल गया जो चिंता की बात है।

(viii) **राज्य के कर और गैर-कर राजस्वों में उत्फुल्लता :** सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से कर प्राप्तियों की उत्फुल्लता (बायोएंसी) में एक हद तक निरंतरता दिखती है। इस उत्फुल्लता में विगत पांच वर्षों के दौरान काफी अंतर रहा है। वर्ष 2011-12 में यह 1.09 थी। वर्ष 2010-11 में गैर-कर राजस्वों में नकारात्मक उत्फुल्लता बाहरवें वित्त आयोग की अवधि में अर्थात 2009-10 तक उपलब्ध ऋण राहत के समाप्त होने के कारण थी। वर्ष 2011-12 में उत्फुल्लता राज्य को 2009-10 में मिली ऋण राहत में से 384 करोड़ रु. की वसूली होने के कारण पुनः नकारात्मक हो गई। गैर-कर राजस्व के मामले में ऐसे उत्फुल्लता अनुपात बहुत सार्थक नहीं होते हैं क्योंकि केंद्र सरकार के कभी-कभार होने वाले एकमुश्त अंतरण को गैर-कर राजस्व समझा जाता है।

तालिका 7.3 : राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक

सूचक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
क. सुस्थिरता (सस्टेनेबलिटी)					
वर्तमान राजस्व शेष (करोड़ रु.)	5124	6337	6074	9442	9987
ब्याज अनुपात (%)	15.92	13.95	12.07	11.80	9.13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी कर प्राप्तियों की उत्फुल्लता	1.76	0.85	2.05	0.95	1.09
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी गैर-कर प्राप्तियों की उत्फुल्लता	0.19	4.75	2.96	-1.76	-0.39
बकाया देनदारियों में वृद्धि (%)	0.56	9.87	7.96	7.76	6.51
कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (%)	22.21	16.91	7.72	25.35	15.24
राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (%)	23.50	30.55	33.23	11.22	24.11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (%)	14.88	25.16	15.13	23.23	25.19
ख. लचीलापन (फ्लेक्सिबलिटी)					
ब्याज अदायगी/ पूंजीगत ऋणग्रहण (%)	116	38	47	54	73
कुल कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	19.22	16.77	16.05	16.77	16.05
पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्तियां (%)	372.62	108.37	119.27	152.14	133.10
राज्य की अपनी कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	4.47	4.34	4.94	4.89	4.98
राज्य की अपनी गैर-कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	0.46	0.81	1.02	0.49	0.35
सरकारी ऋणग्रहण पर औसत ब्याज दर	7.15	7.93	6.48	6.87	6.35
बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	39.12	34.34	32.21	28.16	23.96
ग. सुभेद्यता (वल्नरेबलिटी)					
राजस्व घाटा (करोड़ रु.)	-4647	-4469	-2943	-6316	-4820
राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)	1703	2507	5272	3970	5915
प्राथमिक घाटा (करोड़ रु.)	-2004	-1246	1587	-349	1611
प्राथमिक घाटा/ राजकोषीय घाटा (%)	-117.61	-49.70	30.10	-8.79	27.24
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (%)	-272.79	-178.26	-55.82	-159.09	-81.49

स्रोत : बिहार सरकार के वित्तीय लेखे

सारतः, गौरतलब है कि 2007-08 से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में निश्चित सुधार हुआ है जो ऊपर वर्णित पैरामीटरों से प्रतिबिंबित होता है। हालांकि पूरे देश के प्रतिकूल वृहदार्थिक परिदृश्य के कारण 2011-12 मं राजकोषीय स्थिति फिर से दबावग्रस्त हो गई लेकिन अगले वर्ष के अंत तक इसके उबर जाने की आशा है। सारे प्रमुख सूचक गत 5 वर्षों के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार का संकेत देते हैं। टिकाऊपन के पैरामीटरों में लगातार सुधार हो रहा है। योजना व्यय हेतु बड़ी राशि विमुक्त करते हुए वर्तमान राजस्व शेषों में निरंतर वृद्धि हो रही है; कर राजस्व में उत्फुल्लता की स्थिति रही है हालांकि गैर-कर राजस्वों पर राज्य की बढ़ी आय का कोई असर नहीं दिख रहा है। राजस्व प्राप्तियां बकाया देनदारियों की अपेक्षा अधिक तेज दर से बढ़ती रही हैं और 2009-10 तथा 2011-12 के अतिरिक्त सभी वर्षों में राज्य सरकार के पास प्राथमिक अधिशेष रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बकाया ऋणों पर ब्याज की वृद्धि दर से अधिक है अतएव ऋणों का वर्तमान स्तर स्पष्टतः सुस्थिर है।

बेहतर ऋण प्रबंधन के जरिए राज्य सरकार ने गत वर्षों के दौरान वर्धित लचीलापन दर्शाया और सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं और भौतिक अधिसंरचना के स्तर में सुधार हेतु अपने संसाधनों को लगा पाने के लिहाज से काफी अच्छी स्थिति में थी। हालांकि सुभेद्यता के मामले में देखें, तो अपनी व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार अभी भी केंद्रीय धनराशियों पर अत्यधिक निर्भर है। इस निर्भरता में कमी की जा सकती है क्योंकि अभी भी अपना कर राजस्व बढ़ाने की अदोहित संभावना मौजूद है। बहरहाल, समग्र स्थिति फिर भी काफी सकारात्मक है।

7.3 घाटा प्रबंधन

तालिका 7.4 में 2009-10 से 2012-13 (बजट अनुमान) तक की अवधि के लिए कुछ प्रमुख राज्यों के राजस्व लेखों और राजस्व एवं पूंजी लेखों की संयुक्त स्थिति प्रस्तुत है। पहले भी गौर किया गया है कि बिहार के राजस्व लेखे में 2010-11 में राजस्व अधिशेष सर्वाधिक था। उससे पहले आर्थिक मंदी और उसके फलस्वरूप 2009-10 में हुए उच्च राजकोषीय घाटे के चलते राजस्व अधिशेष में अस्थायी गिरावट आई थी लेकिन राजस्व अधिशेष बढ़ने का रुझान अगले वित्तवर्ष (2010-11) में फिर से कायम हो गया और राज्य सरकार ने 6,316 करोड़ रु. का अभूतपूर्व राजस्व अधिशेष हासिल कर लिया। लेकिन 2011-12 में राजस्व अधिशेष उस स्तर पर बरकरार नहीं रखा जा सका। वर्ष 2010-11 में राजस्व लेखे में 6,316 करोड़ रु. का अधिशेष उस वर्ष सभी प्रमुख राज्यों के बीच भी सर्वाधिक था।

तालिका 7.4 : राज्यों की घाटा/ अधिशेष की स्थिति

(करोड़ रु.)

राज्य	राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)			पारंपरिक घाटा (+)/ अधिशेष (-)		
	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)
बिहार	**-6316**	**-4820**	**-7089**	**128**	**2210**	**1302**
झारखंड	-836	-597	-4625	964	0	0
पश्चिम बंगाल	17274	17274	7058	1581	172	84
उड़ीसा	-3908	-3150	-2411	474	2201	2591
उत्तर प्रदेश	-3508	-7978	-5884	3235	2957	5485
मध्य प्रदेश	-6842	-7791	-6370	343	497	558
राजस्थान	-1055	-443	-928	-521	5005	887
महाराष्ट्र	591	1919	-153	2891	0	0
गुजरात	5076	-1921	-3615	2210	-935	2173
पंजाब	5289	5584	3123	2162	2391	1043
हरियाणा	2746	2562	2456	1585	1594	630
कर्नाटक	-4172	-3144	-931	6780	5895	-628
आंध्र प्रदेश	-2462	-780	-4445	264	1018	759
केरल	3674	7409	3464	2541	4328	9683
तमिलनाडु	2728	-537	-2376	5451	3723	1445
हिमाचल प्रदेश	1235	700	1081	991	1878	2064
छत्तीसगढ़	-3364	-2141	-2959	-514	1241	901

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

वर्ष 2011-12 में राजस्व अधिशेष घट कर 4,820 करोड़ रु. रह गया था लेकिन वर्तमान वित्तवर्ष में पुनः बढ़कर उसके 7,000 करोड़ रु. से भी अधिक हो जाने का अनुमान है। वर्तमान वित्तवर्ष में प्रचुर राजस्व अधिशेष दर्शाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। अपने राजस्व लेखों में भारी घाटा दर्शाने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल आगे है हालांकि विगत तीन वर्षों के दौरान उसके घाटे की राशि भी घटती गई है। राजस्व घाटा वाले अन्य राज्य पंजाब, हरियाणा और केरल हैं। अधिकांश राज्यों ने उधार लेने की जरूरत दिखाते हुए अपने बजट में पारंपरिक घाटा दर्शाया। वष 2012-13 के बजट अनुमान के अनुसार झारखंड पश्चिम बंगाल और महाराष्ट का बजट कमोबेश संतुलित दिखा।

चार्ट 7.5

(2012-13 के आंकड़े बजट अनुमान ही दर्शाते हैं)

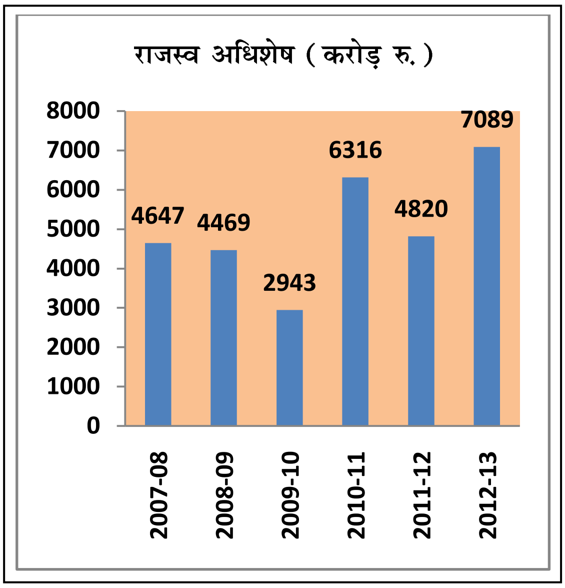

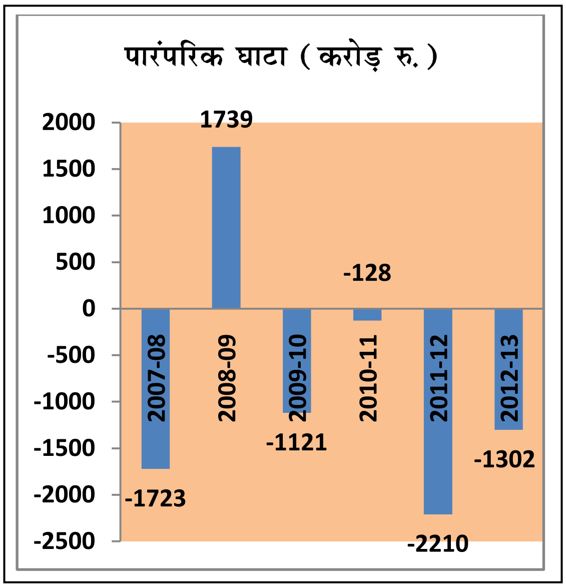

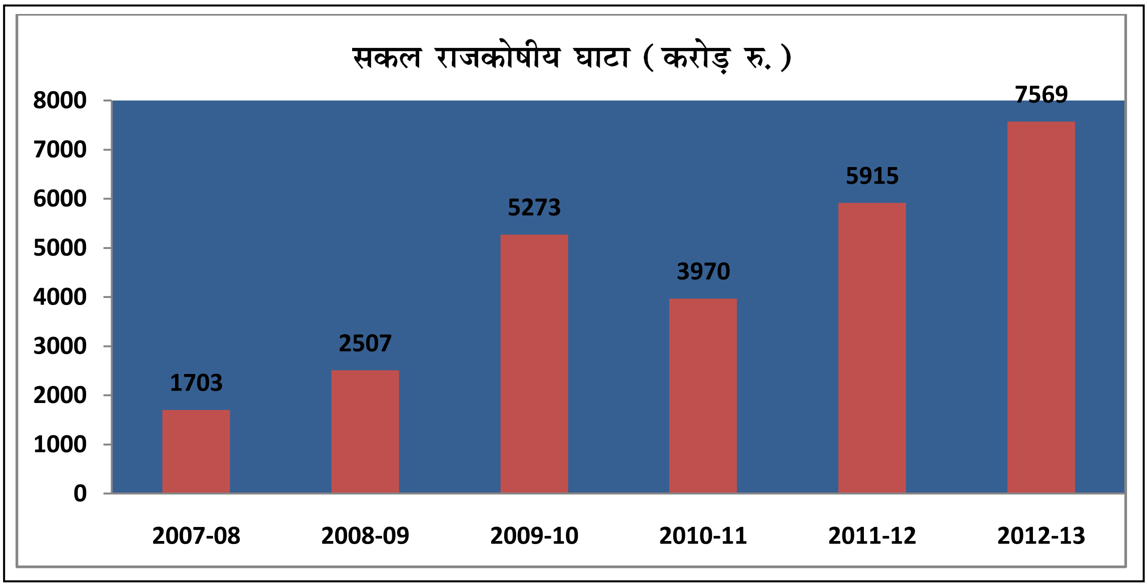

पहले भी देखा गया है कि किसी राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा उसके वित्तीय प्रदर्शन का एक संवेदनशील सूचक है क्योंकि यह राजकीय वित्तव्यवस्था के कुल संसाधन अंतराल को अभिव्यक्त करता है। तालिका 7.5 में देश के प्रमुख राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। पहले भी कहा गया है कि बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2010-11 में मात्र 3,970 करोड़ रु. था लेकिन अगले साल यह तेजी से बढ़कर 5,915 करोड़ रु. हो गया। अपेक्षाकृत अधिक पूंजी निवेश के कारण 2012-13 के बजट अनुमान में इसका 7,569 करोड़ रु. तक पहुंच जाना अनुमानित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर यह 2010-11 के 1.97 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 के बजट अनुमान में 2.52 प्रतिशत हो गया है। हालांकि वर्तमान वित्तवर्ष में यह काफी बढ़ने की स्थिति में है लेकिन इसके बावजूद यह एफआरबीएम अधिनियम, 2006 द्वारा अधिदेशित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से आगे नहीं जाएगा।

तालिका 7.5 : सकल राजकोषीय घाटा

राज्य	सकल राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)		
	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.अ.)	2012-13 (ब.अ.)
बिहार	3971	5915	7569
झारखंड	2111	4052	3005
पश्चिम बंगाल	19536	21684	16001
उड़ीसा	658	2058	4752
उत्तर प्रदेश	17248	18429	21272
मध्य प्रदेश	5272	7943	10018
राजस्थान	4126	7701	8659
महाराष्ट्र	18856	19133	23065
गुजरात	15074	12772	17831
पंजाब	7144	9633	8924
हरियाणा	7258	7699	7617
कर्नाटक	10688	12673	15311
आंध्र प्रदेश	11803	17784	20009
केरल	7730	12931	10747
तमिलनाडु	16646	16597	19832
हिमाचल प्रदेश	3178	2927	3433
छत्तीसगढ़	-409	3786	4623

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

वर्ष 2011-12 में अन्य प्रमुख राज्यों की बात करें, तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का राजकोषीय घाटा तीनों वर्षों में काफी अधिक था - 15,000 करोड़ रु. से भी अधिक - जिनके ठीक पीछे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश थे जिनका राजकोषीय घाटा एक या एक से अधिक वर्षों में 10,000 करोड़ रु. से अधिक था। वर्ष 2011-12 में, यहां तक कि 2012-13 के बजट अनुमान में भी किसी राज्य में राजकोषीय अधिशेष मौजूद नहीं है। वर्ष 2010-11 में छत्तोसगढ़ में थोड़ा राजकोषीय अधिशेष मौजूद था।

तालिका 7.6 में बिहार के सकल राजकोषीय घाटे की संरचना दर्शाई गई है जिसमें दिखता है कि 2007-08 से 2012-13 के बजट अनुमान तक सकल राजकोषीय घाटे में पूंजीगत परिव्यय का उचित ही अधिकांश योगदान था, खास कर हाल के वर्षों में। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात 2005-06 में 4.5 प्रतिशत था जो 2010-11 में घटकर 2.0 प्रतिशत रह गया था। इसके बाद यह धीरे-धीरे बढ़ने लगा हालांकि अभी भी एफआरबीएम द्वारा विहित सीमा से नीचे है। यह तथ्य कि राजस्व अधिशेष को खाली करने के बाद पूंजीगत अधिशेष लगभग पूरे राजकोषीय घाटे के लिए जवाबदेह है, यह इंगित करता है कि बिहार में अतिवांछित पूंजी निवेश का पवाह अब भौतिक अधिसंरचनाओं के निर्माण में हो रहा है, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि उधारियों का उपयोग पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जा रहा है जिसके लिए उन्हें लिया जा रहा है। राज्य सरकार के सकल राजकाषीय घाटे में निवल ऋणप्रदान का हिस्सा हमेशा ही बहुत कम रहा है।

तालिका 7.6 : बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना

(करोड़ रु.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
राजस्व घाटा	-4647	-4469	-2943	-6316	-4820	-7089
पूंजीगत परिव्यय	6104	6436	7332	9196	8852	13412
निवल ऋण-प्रदान	247	540	884	1091	1884	1246
सकल राजकोषीय घाटा	**1703**	**2507**	**5272**	**3970**	**5915**	**7569**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	113680	142279	163800	201856	252694	299966
सकल राजकोषीय घाटा : सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	**1.50**	**1.76**	**3.22**	**1.97**	**2.34**	**2.52**

चार्ट 7.6

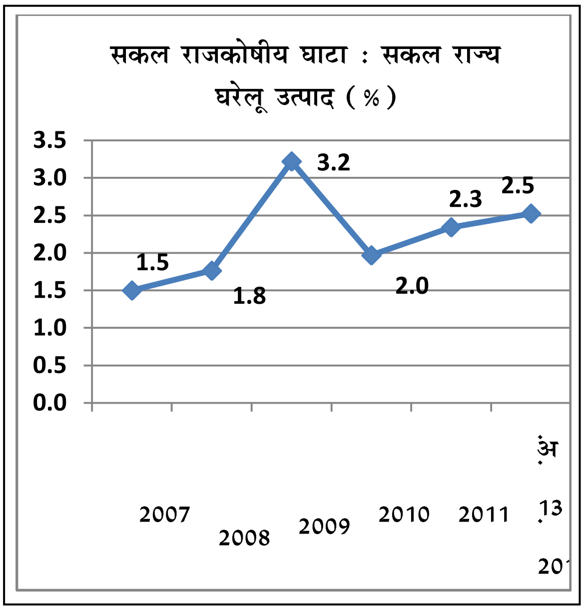

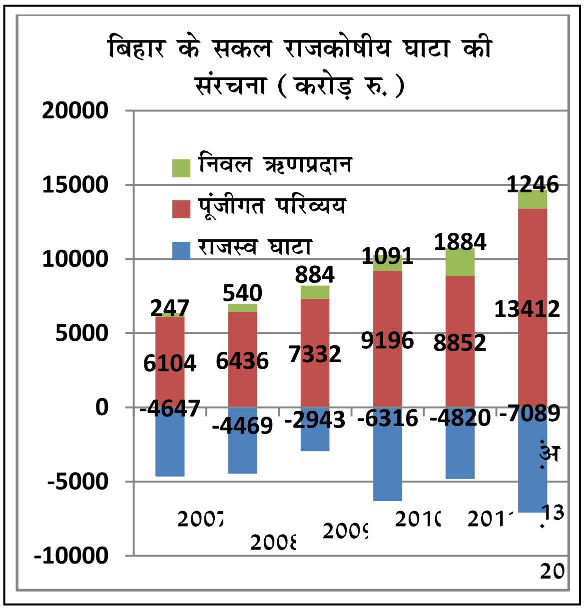

तालिका 7.7 में दर्शाया गया है कि इन सभी वर्षों के दौरान सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण किस तरह किया गया। निवल ऋणग्रहण में मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक बाजार के ऋण और केंद्रीय ऋण शामिल थे। राज्य सरकार के कुल लोक ऋण में केंद्रीय ऋण का बहुत छोटा अनुपात था। राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण अब लगभग पूरी तरह आंतरिक बाजार से ऋण से होता है। वर्ष 2010-11 में 97 प्रतिशत लोक ऋण का वित्तपोषण इसी से हुआ था और शेष 3 प्रतिशत नगद शेष से निकालकर, जिसमें सभी लोकलेखों को मिला दिया गया है। सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में सामान्यत: लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, नागरिक जमाराशियों, निलंबन एवं प्रेषण शेषों आदि से होने वाली लोक लेखा की प्राप्तियों का योगदान होता है। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, तो राज्य सरकार द्वारा बाजार से ऋण लेने के उपरांत मौजूद थोड़े से अंतराल को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रहने वाले राज्य सरकार के नगद शेष से ही पाटा गया था। वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार के बाजार से निवल ऋणग्रहण और केंद्र सरकार की छोटी उधारी के जरिए सकल राजकोषीय घाटे के 63 प्रतिशत भाग का वित्तपोषण किया गया और शेष का लोक लेखा और राज्य सरकार के नगद शेष से।

तालिका 7.7 : बिहार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रु.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
निवल ऋणग्रहण	-20	4246	4151	3842	3706	6267
निवल लोक लेखा	352	-81	-675	2238	2469	89
नगद शेष में निवल कमी (आरंभिक शेष - अंतिम शेष)	1372	-1660	1796	-2110	-333	-129
सकल राजकोषीय घाटा	**1703**	**2507**	**5272**	**3970**	**5915**	**7569**
प्रतिशत संरचना						
निवल ऋणग्रहण	-1.17	169.35	78.74	96.78	62.64	82.79
निवल लोक लेखा	20.65	-3.25	-12.80	56.37	41.73	1.17
नगद शेष में निवल कमी	80.52	-66.22	34.07	-53.15	-5.63	-1.71
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

चार्ट 7.7

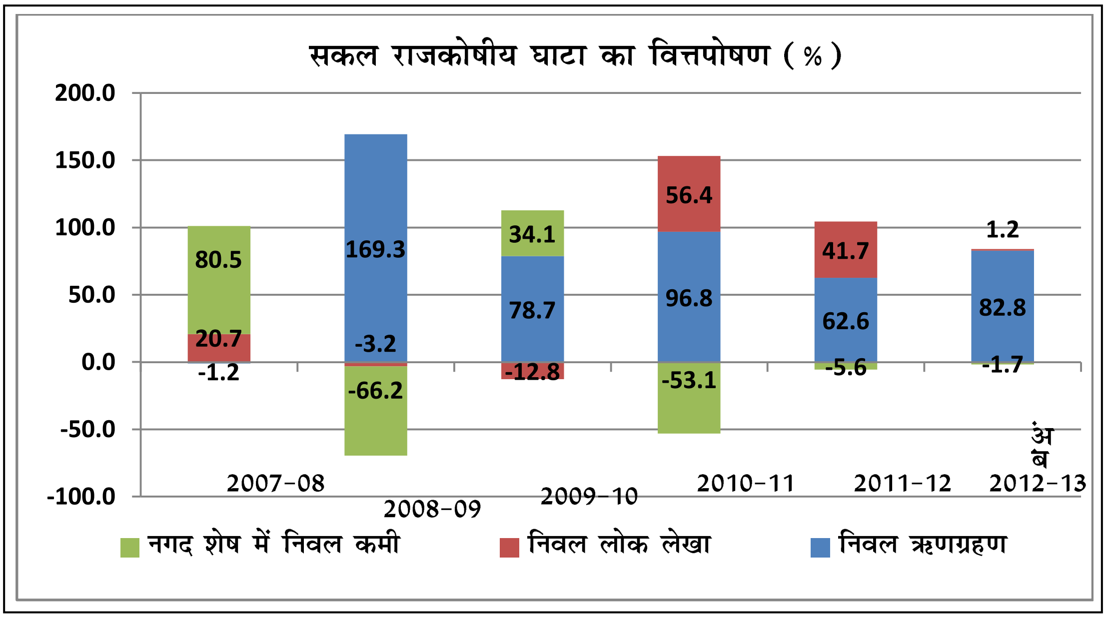

नगद प्रबंधन

31 मार्च 2012 को राज्य सरकार का नगद शेष 1,509 करोड़ रु. था जिसमें से 434 करोड़ का कोषागार विपत्रों में, 430 करोड़ रु. का केंद्र सरकार की अन्य प्रतिभूतियों में, 5 करोड़ रु. का राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में और शेष 677 करोड़ रु. का परिशोधन निधि (सिंकिंग फंड) में निवेश किया गया था। साल के दौरान राज्य सरकार के निवेशों पर 237 करोड़ रु. ब्याज प्राप्त हुआ था।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जमानत

वर्ष 2011-12 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दी गई कुल जमानत (आउटस्टैंडिंग गारंटी) 1,092 करोड़ रु. (कुल राजस्व प्राप्ति का 4 प्रतिशत) थी, जिसमें से 500 करोड़ रु. बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के और 195 करोड़ रु. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के ऋणों के लिए दी गई थी। इसके अलावा, ऋण सहकारी समितियों और बिहार राज्य वित्त निगम को मिलाकर 285 करोड़ रु. की गारंटी दी गई थी। विद्युत क्षेत्र में निवेश बढ़ने के कारण किसी भावी संभावित देनदारी की अदायगी के लिए बाहरवें वित्त आयोग के सुझाव के अनुरूप कोई गारंटी प्रतिदान कोष (रिडेंप्शन फंड) स्थापित नहीं किया गया है।

7.4 ऋण प्रबंधन

तालिका 7.8 में राज्य सरकार की 2007-08 से 2011-12 तक की बकाया ऋण देनदारियों को (प्रतिभूतियों को छोड़कर) दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में बकाया देनदारियों का प्रतिशत लगातार घटा और 2007-08 के 39.1 प्रतिशत से 2011-12 में मात्र 24.0 प्रतिशत रह गया।

तालिका 7.8 : बकाया देनदारियां

(करोड़ रु.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
आंतरिक ऋण	26769	31293	35494	39020	42364	47554
केंद्रीय ऋण	8277	7998	7949	8264	8625	9703
कुल लोक ऋण	**35046**	**39292**	**43442**	**47284**	**50990**	**57257**
लोक लेखा	9429	9573	9310	9564	9561	9692
योग	**44475**	**48865**	**52753**	**56848**	**60550**	**66949**
बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर	39.1	34.3	32.2	28.2	24.0	22.3

टिप्पणी : लोक लेखा में भविष्य निधि और अन्य लेखे ही शामिल हैं।

तालिका 7.8 में देखा जा सकता है कि 2011-12 के अंत तक राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियां 60,550 करोड़ रु. पहुंच गई हैं और 2012-13 (बजट अनुमान) में 66,949 करोड़ रु. तक पहुंच जाने वाली हैं। यह आंकड़ा 2007-08 से लगभग 8.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते विगत ऋणग्रहण का संचित प्रभाव है। तालिका 7.8 यह भी दर्शाती है कि इस बकाया ऋण में बड़ा हिस्सा (70 प्रतिशत से भी अधिक) राज्य सरकार द्वारा बाजार से लिए गए आंतरिक ऋणों का है और 2012-13 के बजट अनुमान के अनुसार लगभग 14 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार से मिले ऋणों का। वर्ष 2007-08 में ये आंकड़े क्रमशः 60 प्रतिशत और 21 प्रतिशत थे। इस प्रकार बकाया ऋणों की संरचना में विगत वर्षों के दौरान ढांचागत परिवर्तन हुआ है जिसमें केंद्रीय ऋणों का हिस्सा क्रमशः घटता गया है। ऐसा मुख्यतः बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कारण हुआ है। आगामी दशकों में केंद्रीय ऋण संभवतः राज्य सरकार के ऋण पोर्टफोलियो का अंग नहीं रह जाएगा।

राज्य सरकार की कुल देनदारी में अच्छा-खासा हिस्सा लोक लेखा के ऋणों का हाता है हालांकि शब्द के वास्तविक अर्थ में यह ऋण नहीं होता है। लेकिन इन संसाधनों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा अवश्य किया जाता है और राज्य के नगद शेष का अंग रहे इन लेखों में संचित राशि को वापस करने का दायित्व राज्य

सरकार का होता है। नए भारत सरकार लेखाकरण मानक (आइजीएस) 10 में सुझाया गया है कि कुल देनदारियों में लोक लेखा में से प्रेषण और निलंबित खातों को छोड़कर अधिकांश लेखों को शामिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार करते ही यह राज्य सरकार की बकाया देनदारियों में भारी वृद्धि का कारण बनेगी। गौरतलब है कि आरक्षित निधियों और जमाराशियों एवं अग्रिमों की कुछ देनदारियां ब्याजरहित होंगी; यहां राज्य सरकार विश्वास वश रकम सिर्फ रखती है। हालांकि वर्तमान प्रचलन के अनुरूप इस विश्लेषण में भविष्य निधि और अन्य लेखों से लिए जाने वाले ऋणों पर ही विचार किया गया है। लघु बचत के ऋणों को राष्टोय लघु बचत कोष में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस समय राज्य सरकार की आंतरिक उधारियों में राष्टोय लघु बचत कोष का अच्छा-खासा योगदान रहता है। वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार ने आंतरिक उधारियों से 5,251 करोड़ रु. प्राप्त किए थे जिसमें से 1,112 करोड़ रु. अकेले राष्टोय लघु बचत कोष से लिए गए थे और 4,000 करोड़ रु. बाजार से। शेष रकम अन्य वित्तोय संस्थाओं से उधार ली गई थी। साथ ही, राज्य योजनागत योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से ली गई उधार की रकम 782 करोड़ रु. हो गई। उधार लिए गए थे। 31 मार्च, 2012 को राज्य सरकार की संचित निधि के तहत बकाया देनदारियों की संरचना तालिका 7.9 में दर्शाई गई है। इसमें स्पष्ट दिखता है कि संचित निधि के तहत लिए गए कुल लोक ऋण में आंतरिक ऋण का 83 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें 37 प्रतिशत हिस्सा राष्टोय लघु बचत कोष का और 40 प्रतिशत हिस्सा बाजार के ऋणों का है। संचित निधि के तहत बकाया देनदारियों में शेष हिस्सा केंद्रीय ऋणों का है जो लगभग पूरा का पूरा राज्य योजनागत योजनाओं के लिए लिया गया है।

तालिका 7.9 : संचित निधि में बकाया देनदारियों की संरचना

उधारियों की प्रकृति	31.3.2012 को बकाया रकम (करोड़ रु.)	31.3.2012 को बकाया रकम की प्रतिशत संरचना
क. आंतरिक ऋण, जिसमें	**42,364**	**83**
बाजार के ऋण	20,174	40
बांड	850	2
वित्तोय संस्थाओं से ऋण	2,489	5
राष्टोय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां	18,832	37
अन्य	19	0
ख. केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिम, जिसमें	**8626**	**17**
गैर-योजना ऋण	64	0
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	8493	17
केंद्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	6	0
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	16	0
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	43	0
अन्य	4	0
योग (क+ख)	**50990**	**100**

तालिका 7.10 में बकाया ऋण की अदायगी से संबंधित राज्य सरकार के दायित्व को दर्शाया गया है। वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली मूलधन की कुल अदायगी 3,956 करोड़ रु. थी, वहीं ब्याज भुगतान उससे भी अधिक था - 4,304 करोड़ रु.। अतीत के भारी ऋणग्रहण के कारण विगत 5 वर्षों में ब्याज

का बोझ लभगग 600 करोड़ रु. बढ़ा है। ऋण सेवा का कुल वार्षिक बोझ 2007-08 में 6,154 करोड़ रु. था जो 7.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2012-13 के बजट अनुमान में 8,917 करोड़ रु. हो गया है।

तालिका 7.10 : अदायगी संबंधी दायित्व

(करोड़ रु.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
आंतरिक ऋण की अदायगी	1203	1254	1169	1725	2457	2589
केंद्रीय ऋणों की अदायगी	429	429	814	466	465	466
अन्य देनदारियों की अदायगी	815	1009	970	586	1034	676
कुल अदायगी	2447	2691	2953	2776	3956	3731
कुल ब्याज भुगतान	3707	3753	3685	4319	4304	5186
कुल ऋण सेवा बोझ	**6154**	**6444**	**6639**	**7095**	**8260**	**8917**

टिप्पणी : देनदारियों में बिहार सरकार के लोक लेखा के तहत लघु बचत और भविष्य निधि की प्राप्ति और भुगतान राशियां शामिल हैं।

चार्ट 7.8

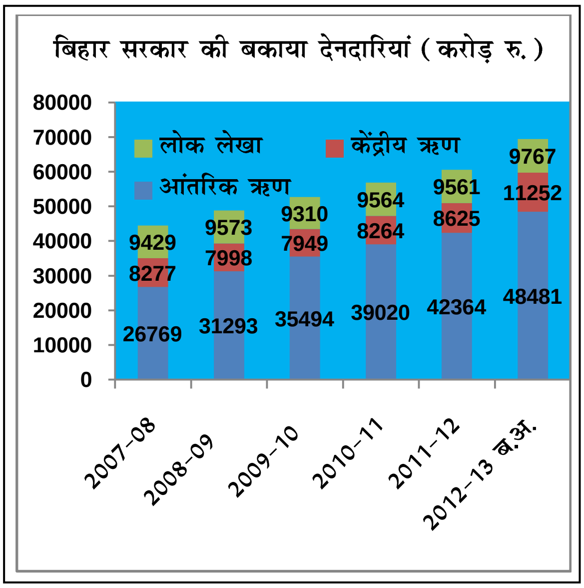

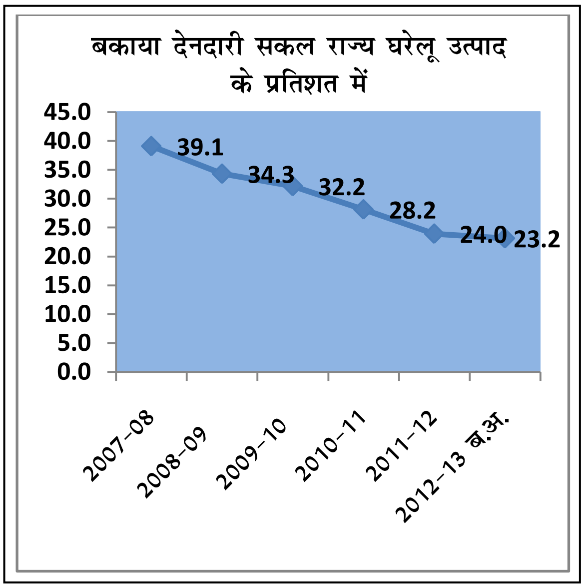

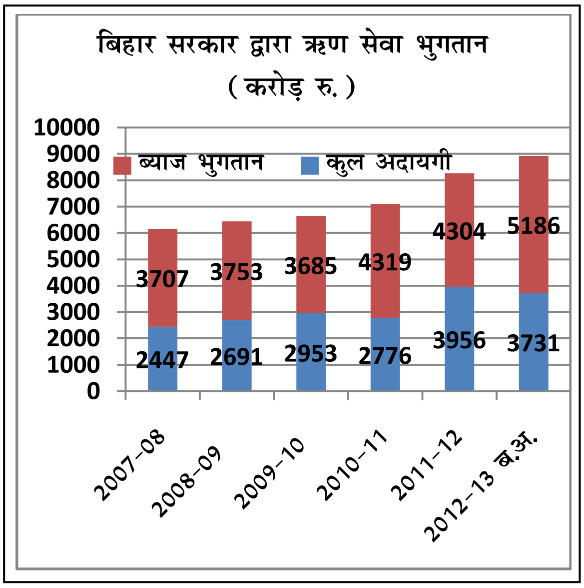

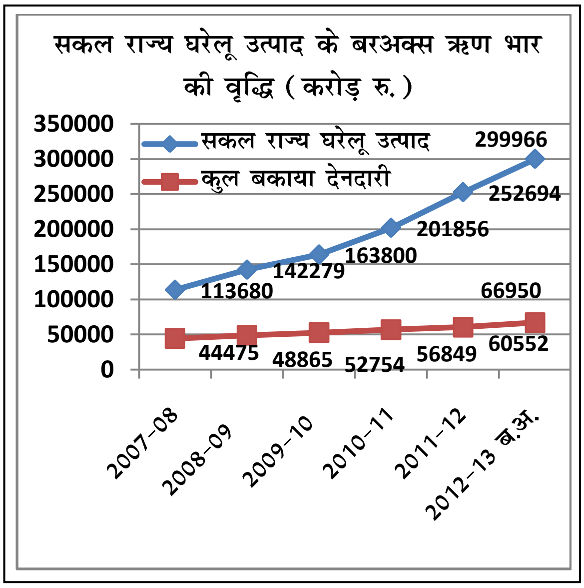

अगर लोक ऋण का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु किया जाय, तो यह आर्थिक विकास का उपयोगी जरिया हो सकता है। तालिका 7.11 में देखा जा सकता है कि 2007-08 तक राज्य सरकार द्वारा उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ऋण संसाधनों का अधिक उपयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि उनका उपयोग अधिकांशत: विद्यमान ऋण दायित्वों की अदायगी के लिए किया गया था। उस वर्ष राज्य के खजाने से इस लेखे में निवल उद्भवन (ऍक्रूअल) वस्तुत: नकारात्मक रहा था जो राज्य सरकार के पहले से ही कम संसाधन से ऋण सेवा दायित्वों के भुगतान के लिए कुछ राशि का निकलना सूचित करता था। महज अपने मौजूदा ऋण अदायगी संबंधी दायित्व की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने उस वर्ष लिए गए कुल उधार से 3,262 करोड़ रु. अधिक रकम का भुगतान किया था। उसके बाद से परिदृश्य में सुधार हुआ था लेकिन 2011-12 में इस लेखे से राज्य के खजाने में पुन: कोई निवल उद्भवन नहीं हुआ। उस वर्ष उधार लिए गए कुल 7,660 करोड़ रु. में से 3,956 करोड़ रु. का उपयोग महज विद्यमान ऋण का मूलधन चुकाने के लिए और 4,304 करोड़ रु. का उपयोग ब्याज भुगतान के लिए किया गया। अगर राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली और अतीत के बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों की छोटी राशि को भी ध्यान में रखें, तो भी 4 करोड़ रु. अधिक देने पड़े जिसका भुगतान राज्य सरकार को अपने संसाधनों से करना पड़ा। हालांकि 2012-13 के बजट अनुमान में स्थिति पलटती दिखती है और राज्य सरकार को लगभग 1,500 करोड़ रु. का उपयोग अपनी विकास संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए करने की स्थिति में होना चाहिए। हालांकि समग्र परिस्थिति अब सुधर गई है, लेकिन इससे राज्य सरकार के लिए राजकोषीय फेरबदल (फिस्कल मैनूवरिंग) की गुंजाइश अभी भी सीमित हो जाती है।

तालिका 7.11 : प्राप्त निवल ऋण

(करोड़ रु.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
प्राप्त सकल केंद्रीय ऋण	468	150	764	782	827	1543
प्राप्त आंतरिक ऋण	1144	5778	5370	5251	5801	7778
भविष्य निधि की लघु बचतें	1084	1153	707	839	1032	806
प्राप्त कुल ऋण	**2696**	**7081**	**6842**	**6871**	**7660**	**10128**
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	26	11	13	12	23	15
ब्याज भुगतान	3707	3753	3685	4319	4304	5186
प्राप्त ब्याज	171	305	353	238	574	264
चुकाया गया ऋण	2447	2691	2953	2776	3956	3731
प्राप्त निवल ऋण	**-3262**	**953**	**570**	**26**	**-4**	**1490**
प्राप्त निवल ऋण कुल ऋणग्रहण के प्रतिशत के बतौर	**-121.00**	**13.46**	**8.32**	**0.37**	**-0.05**	**14.71**

7.5 कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात

तालिका 7.12 में 2012-13 (बजट अनुमान) के लिए विभिन्न राज्यों के अपने कर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपातों की तुलना दर्शाई गई है। देखा जा सकता है कि बिहार के मामले में यह अनुपात मात्र 5 प्रतिशत था जो सभी प्रमुख राज्यों के बीच सबसे कम था। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का अनुपात 7 से 9 प्रतिशत के बीच था। शेष राज्यों का अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक था। सर्वाधिक 13 प्रतिशत अनुपात कर्नाटक और तमिलनाडु का था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ

कुल राजस्व (केंद्रीय अंतरणों और अनुदानों सहित) के अनुपात की बात करें, तो विशेष श्रेणी के राज्य हिमाचल प्रदेश का अनुपात सर्वाधिक 30 प्रतिशत है जितना झारखंड का भी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अनुपात 27 प्रतिशत है। बिहार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपने राजस्व का अनुपात मात्र 5 प्रतिशत है जो इंगित करता है कि कर संग्रहण में सुधार की काफी गुंजाइश है। इससे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल राजस्व के अनुपात में भी सुधार होगा जो अभी मात्र 23 प्रतिशत है।

चार्ट 7.9

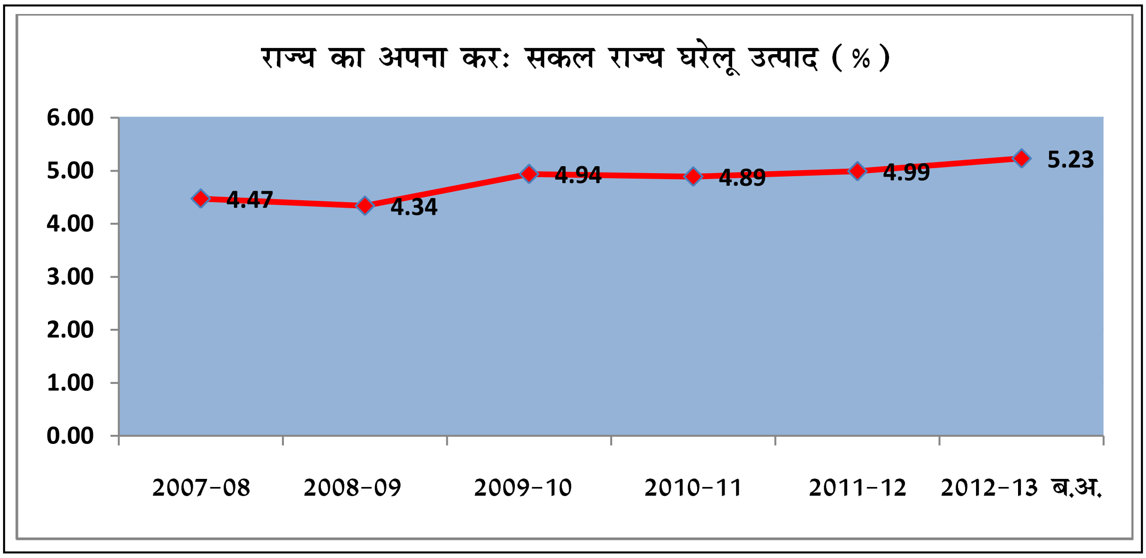

तालिका 7.12 : राज्यों का कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2012-13 बजट अनुमान)

राज्य	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.)	राज्य का अपना कर (करोड़ रु.)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)	राज्य का अपना कर : राजस्व प्राप्ति	राज्य का अपना कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कुल राजस्व : सकल राज्य घरेलू उत्पाद
बिहार	68048	15695	299966	23	5	23
झारखंड	32426	8734	106696	27	8	30
पश्चिम बंगाल	76743	31222	473890	41	7	16
उड़ीसा	43843	15610	195028	36	8	22
उत्तर प्रदेश	158847	62057	595055	39	10	27
मध्य प्रदेश	69914	28312	259903	40	11	27
राजस्थान	63147	26832	323682	42	8	20
महाराष्ट्र	105868	75027	1029621	71	7	10
गुजरात	75903	51231	513173	67	10	15
पंजाब	38043	23842	229304	63	10	17
हरियाणा	37328	23873	264149	64	9	14
कर्नाटक	81461	51821	405123	64	13	20
आंध्र प्रदेश	116787	66021	588963	57	11	20
केरल	48142	32122	276997	67	12	17
तमिलनाडु	100590	73404	547267	73	13	18
हिमाचल प्रदेश	16343	5057	54695	31	9	30
छत्तीसगढ़	31379	12911	117567	41	11	27

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

7.6 राजस्व लेखा : प्राप्ति तथा व्यय

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का सारांश तालिका 7.13 में दर्शाया गया है। वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक राजस्व प्राप्तियों में राजस्व व्यय के मुकाबले अधिक तेज वृद्धि हुई जिस कारण इन तमाम वर्षों में राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी रही। कर और गैर-कर, दोनों मिलाकर राज्य सरकार का अपना राजस्व 2007-08 तक अपने राजस्व व्यय का मुश्किल से चौथाई भाग ही जुटा पाता था जो अब (2012-13 में) इसके लगभग 31 प्रतिशत भाग को पूरा करता है। राज्य का कुल राजस्व 2007-08 से 2011-2012 की अवधि में लगभग दूना हो गया है - 28,210 करोड़ रु. से 51,320 करोड़ रु.। इस अवधि में राज्य का अपना राजस्व, जिसमें कर और गैर-कर, दोनों प्रकार के राजस्व शामिल हैं, 2.5 गुने से भी तेज दर से बढ़ा है - 5,611 करोड़ रु. (2007-08) से बढ़कर 13,472 करोड़ रु. (2011-12)।

तालिका 7.13 : बिहार का राजस्व लेखा

(करोड़ रु.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	28210	32981	35527	44532	51320	68048
राजस्व व्यय	23563	28512	32584	38216	46500	60959
राजस्व अधिशेष	4647	4469	2943	6316	4820	7089
राज्य का अपना कर + गैर-कर राजस्व	5611	7326	9760	10855	13502	18838
राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व के % के बतौर	19.89	22.21	27.47	24.38	26.25	27.64
राज्य का केंद्रीय करों का हिस्सा कुल राजस्व के % के बतौर	59.44	53.65	51.24	53.84	54.49	48.73
केंद्रीय अनुदान कुल राजस्व के % के बतौर	20.67	24.14	21.29	21.78	19.26	23.64
राज्य का अपना राजस्व राजस्व व्यय के % के बतौर	23.81	25.69	29.95	28.41	28.97	30.85

चार्ट 7.10

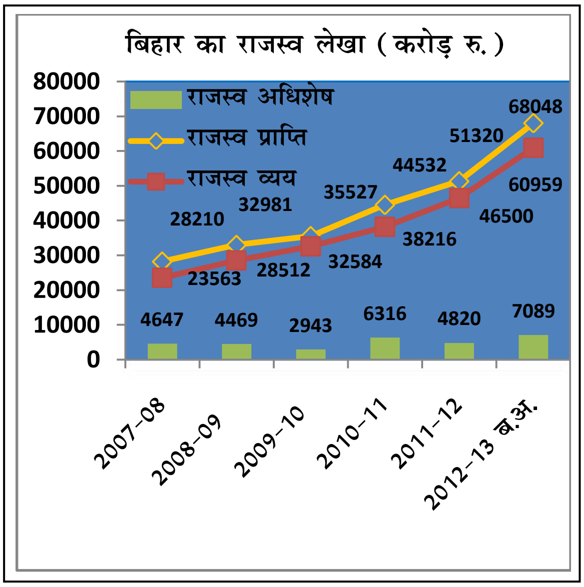

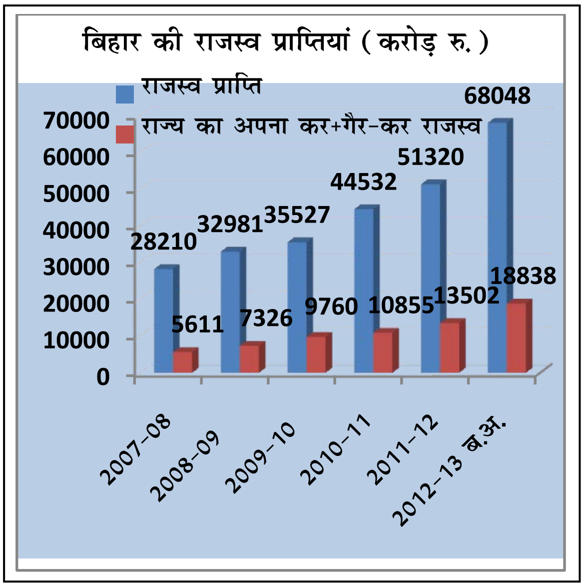

तालिका 7.13 में राज्य सरकार के कुल कर एवं गैर-कर राजस्वों के साथ इसके अपने कर एवं गैर-कर राजस्वों की तुलना करते हुए राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था के कुछ और पैरामीटरों पर विचार किया गया है। राज्य के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व और केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से मिलने वाला उसका हिस्सा शामिल होता है। राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में इसके अपने कर राजस्व का हिस्सा पहले 20 प्रतिशत के आसपास बना रहता था लेकिन 2008-09 से वह बढ़ने लगा और अभी (2012-13 में) 28 प्रतिशत। वर्ष 2008-09 से अब तक इसने कुल राजस्व व्यय के 26 से लेकर 31 प्रतिशत हिस्से का वित्तपोषण किया है लेकिन राज्य सरकार अभी भी केंद्रीय संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर बनी हुई है। इसके कुल राजस्व में बड़ा हिस्सा विभाज्य करों के केंद्रीय पूल में इसके हिस्से का है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप केंद्रीय पूल की धनराशि का 32 प्रतिशत भाग राज्यों के बीच बांटा जाता है। राज्यों को इस हिस्से का वैधानिक अधिकार प्राप्त है और 2011-12 तक बिहार के कुल राजस्व में अकेले इस महत्वपूर्ण स्रोत का 50 प्रतिशत से भी अधिक योगदान रहा है। वर्ष 2012-13 में इसका थोड़ा कम होकर 49 प्रतिशत रहना अनुमानित है। केंद्रीय अनुदानों का, जिसमें योजना और गैर-योजना अनुदानों का लगभग बराबर-बराबर हिस्सा है, राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में एक-चौथाई से थोड़ा कम योगदान है।

तालिका 7.14 में राज्य सरकार के कुल व्यय को दर्शाया गया है जिसमें इसके विकास और गैर-विकास व्ययों के साथ-साथ योजना और गैर-योजना व्ययों को भी दर्शाया गया है। योजना व्यय अधिकांशतः विकासमूलक होता है जबकि गैर-योजना व्यय विकासमूलक या गैर-विकासमूलक, दोनो हो सकता है। तार्किक आधार पर व्ययों के योजना और गैर-योजना व्ययों में वर्गीकरण के किसी स्पष्ट दिशानिर्देश के अभाव में दोनों में अंतर संदिग्ध बना रहता ह। गैर-विकासमूलक शीर्ष के तहत सारे व्यय गैर-योजना व्यय होते हैं लेकिन गैर-योजना व्यय में विकासमूलक घटक भी शामिल हो सकते हैं। अब, केंद्र सरकार के पास रंगराजन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद इस संदिग्धता के समाप्त होने का अवसर आ गया है। हालांकि व्यय क इस विश्लेषण को शब्दों की पारंपरिक परिभाषा तक ही सीमित रखा गया है और इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि गैर-योजना व्यय हमेशा अनुत्पादक ही होते हैं।

तालिका 7.14 को देखने पर यह गौर किया जा सकता है कि बिहार का विकास व्यय काफी बढ़ा है। वर्ष 2005-06 में कुल व्यय में इसका 50 प्रतिशत से भी कम हिस्सा था जो बढ़कर 2007-08 में 65 प्रतिशत हो गया। लेकिन उसके बाद से इसमें सराहनीय वृद्धि नहीं हुई है। रकम के रूप में देखें तो 2007-08 से 2011-12 के बीच पांच वर्षों में विकास व्यय लगभग दूना हो गया है जो तेज वृद्धि को इंगित करता है। हालांकि गैर-विकास व्यय भी उसी अनुपात में बढ़ा है। पहले भी गौर किया गया है कि योजना व्यय नई विकास परियोजनाएं आरंभ करने हेतु किया जाता है। बिहार के मामले में 2005-06 तक राज्य सरकार के कुल व्यय में योजना व्यय का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद योजना व्यय का हिस्सा लगातार बढ़ता गया और अब 2012-13 के बजट अनुमान में 42 प्रतिशत हो गया है। लगभग 60 प्रतिशत गैर-योजना व्यय गैर-विकासमूलक प्रवृत्ति का है। वर्ष 2005-06 में गैर-योजना व्यय का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान के कारण था जो अब (2012-13 में) कुल गैर-योजना व्यय का मात्र 11 प्रतिशत है।

तालिका 7.14 : बिहार सरकार का व्यय पैटर्न

(करोड़ रु.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
गैर-विकास व्यय	11162	12767	15189	18583	22562	26512
विकास व्यय	20410	24414	27606	32122	37619	52175
कुल व्यय	31571	37181	42795	50705	60180	78687
विकास व्यय कुल व्यय के % में	64.65	65.66	64.51	63.35	62.51	66.31
योजना व्यय	10946	13815	16194	20911	23008	33364
गैर-योजना व्यय	20625	23367	26601	29794	37172	45323
योजना व्यय कुल व्यय के % में	34.67	37.15	37.84	41.24	38.23	42.40
ब्याज भुगतान	3707	3753	3685	4319	4304	5186

चार्ट 7.11

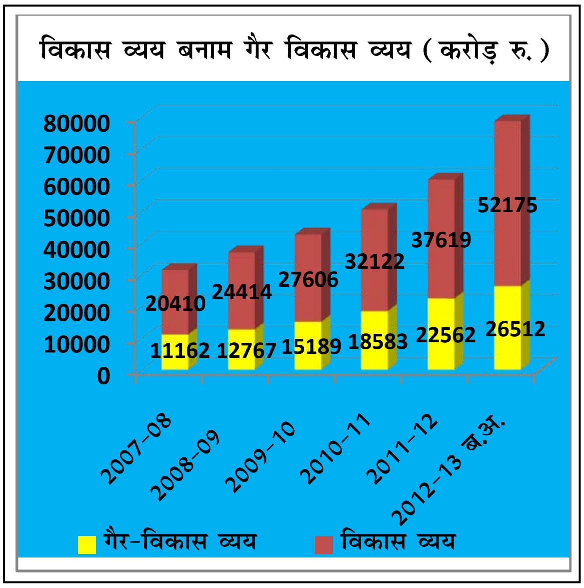

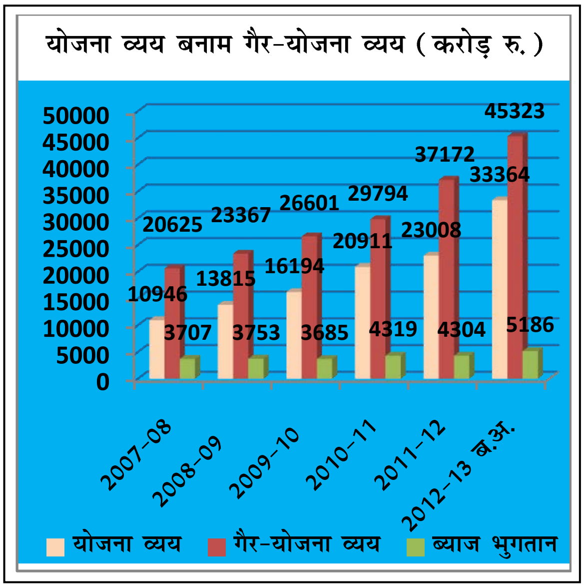

अगर ब्याज भुगतान के महत्वपूर्ण तत्व की बात करें, तो तालिका 7.15 में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिकांशतः घाटे में चलने वाले अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज बहुत कम वसूल होने के कारण सकल और निवल ब्याज भुगतानों के बीच बहुत मामूली अंतर रहता है। इनमें से अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों की संचित हानियां उनके इक्विटी आधार से कई गुना बढ़ गई हैं। पहले भी जोर देकर कहा गया है, जिसे तालिका 7.16 में हम देख सकते हैं कि पूंजीगत परिव्यय काफी बढ़ा है। राजस्व लेखे से प्रचुर अधिशेष पाकर और विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रबलित करते हुए यह 2007-08 के 6,104 करोड़ रु. से बढ़कर 2010-11 में 9,196 करोड़ रु. हो गया। हालांकि 2011-12 में यह घटकर 8,852 करोड़ रु. हो गया लेकिन 2012-13 के बजट अनुमान में इसका बढ़कर 13,412 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है।

तालिका 7.15 : ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति

(करोड़ रु.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
सकल ब्याज भुगतान	3707	3753	3685	4319	4304	5186
निवल ब्याज भुगतान	3536	3448	3332	4081	3730	4922

तालिका 7.16 : व्यय के अन्य पैरामीटर

(करोड़ रु.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
कुल कर राजस्व	21852	23865	26292	33848	40547	48822
अपना कर राजस्व	5086	6172	8090	9870	12612	15695
कुल गैर-कर राजस्व	526	1153	1670	986	890	3142
अपना कर + गैर-कर राजस्व	5611	7326	9760	10855	13502	18838
अपना गैर-कर राजस्व	526	1153	1670	986	890	3142
पूंजीगत परिव्यय	6104	6436	7332	9196	8852	13412
पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के % के बतौर	19.33	17.31	17.13	18.14	14.71	17.05

चार्ट 7.12

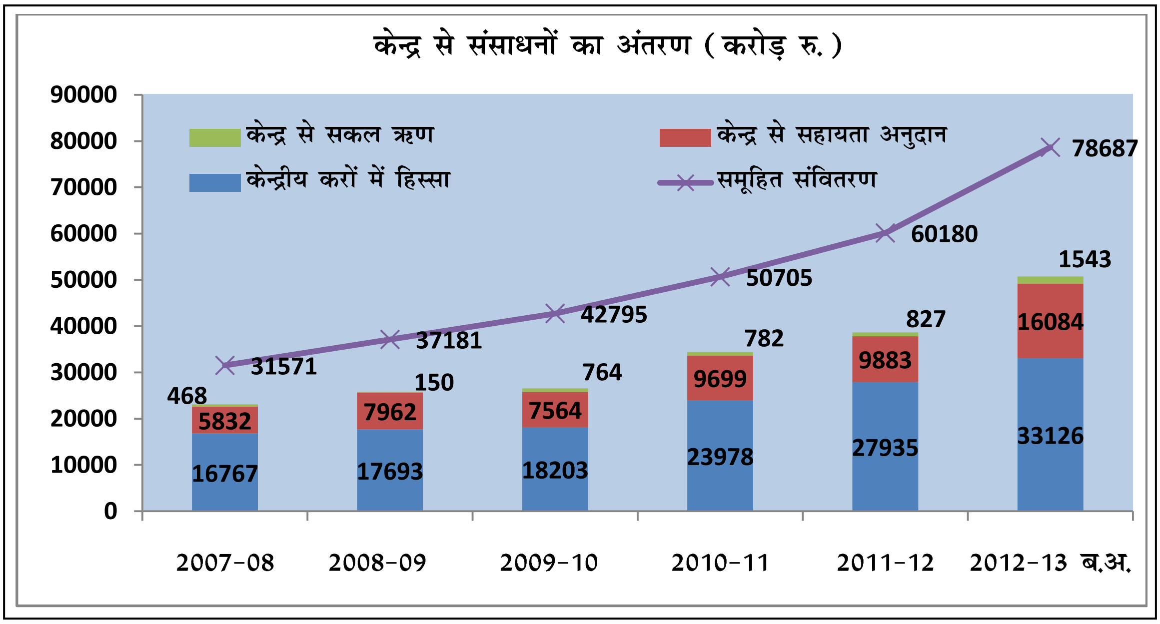

राज्य सरकार केंद्रीय संसाधनों पर किस हद तक निर्भर है, इसे तालिका 7.17 में देखा जा सकता है जिसमें 2007-08 से 2012-13 के बीच बिहार को होने वाले संसाधनों के सकल अंतरण के आंकड़े प्रस्तुत हैं। संसाधनों के सकल अंतरण में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान तथा केंद्रीय ऋण शामिल होते हैं। केंद्र से राज्य सरकार को हुआ संसाधनों का सकल अंतरण इसके कुल व्यय के दो-तिहाई के आसपास रहा है। वर्ष 2007-08 में इससे राज्य सरकार की व्यय संबंधी 73 प्रतिशत जरूरतों की पूर्ति हुई थी जिसका हिस्सा 2012-13 के बजट अनुमान में 65 प्रतिशत है। इस अवधि में राज्य सरकार के कुल संवितरणों में इसके अपने संसाधनों का योगदान 18 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया। शेष की पूर्ति अधिकांशतः बाजार से लिए गए उधार से की जाती है। वर्ष 2011-12 में कुल संवितरणों का लगभग 46 प्रतिशत कंद्रीय करों में इसके हिस्से का था और शेष केंद्रीय अनुदानों का (16 प्रतिशत) तथा केंद्र सरकार से मिले ऋणों का (2 प्रतिशत)। राज्य सरकार को हुए सकल अंतरणों में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अकेले

केंद्रीय करों में हिस्से का था। इस हिस्से में साल दर साल अंतर आता रहा है और 2012-13 के बजट अनुमान में यह गिरकर 65 प्रतिशत पर आ गया है।

तालिका 7.17 : केंद्र सरकार से बिहार को होने वाला संसाधनों का अंतरण

(करोड़ रु.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
समस्त संवितरण	31571	37181	42795	50705	60180	78687
केंद्रीय करों में हिस्सा	16767	17693	18203	23978	27935	33126
केंद्र से सहायता अनुदान	5832	7962	7564	9699	9883	16084
केंद्र से सकल ऋण	468	150	764	782	827	1543
संसाधनों का सकल अंतरण	23067	25805	26531	34458	38645	50753
केंद्र से निवल ऋण	40	-279	-49	316	361	1077
संसाधनों का निवल अंतरण	22638	25376	25717	33993	38180	50287
अपना कर + गैर-कर राजस्व	5611	7326	9760	10855	13502	19137

7.7 संसाधन प्रबंधन

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर-कर राजस्व, दोनों स्रोतों का योगदान रहता है। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व तथा केंद्र सरकार के करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल में उसका हिस्सा शामिल रहता है। इसी प्रकार, गैर-कर राजस्व में राज्य सरकार के अपने गैर-कर राजस्व के साथ-साथ योजना और गैर-योजना प्रयोजनों के लिए केंद्रीय अनुदान शामिल रहते हैं। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है :

(1) आयजनित कर जिसमें कृषि आय कर और व्यापार कर (टैक्सेज ऑन ट्रेड) शामिल हैं;

(2) संपत्ति तथा पूंजीगत अंतरणों पर कर जिसमें भूमि राजस्व, स्टांप एवं निबंधन शुल्क तथा शहरी अचल संपदा कर शामिल होते हैं; और

(3) वस्तु एवं सेवा कर (टैक्सेज ऑन कॉमोडिडीज एंड सर्विसेज) जो निस्संदेह राज्य सरकार के अपने कर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसमें बिक्री कर या मूल्यवर्धित कर (वैट), लनदेन कर (टर्नओवर टैक्स), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, माल एवं यात्री कर (टैक्सेज ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स), विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर जैसे विविध कर शामिल होते हैं।

बांटे जाने वाले केंद्रीय करों में मुख्यत: आय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और संपदा कर शामिल हैं जिनका संग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन उनकी प्राप्तियों में हर पांच साल पर गठित होने वाले वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत राज्यों को भी हिस्सा दिया जाता है।

राज्य सरकार के गैर-कर राजस्वों का संग्रहण सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत किया जाता है। इनमें विभिन्न सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अर्ध-व्यावसायिक उपक्रमों तथा अन्य निकायों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियों, उनसे प्राप्त लाभांशों एवं मुनाफों, राज्य सरकार के नगद शेष के निवेश से अर्जित ब्याज तथा सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के बतौर वर्गीकृत विभिन्न सेवाओं से होने

वाली प्राप्तियां शामिल होती हं। गैर-कर राजस्व में अन्य सेवाओं की अपेक्षा आर्थिक सेवाओं का अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है।

केंद्र सरकार क अनुदान योजना और गैर-योजना, दोनों प्रयोजनों के लिए होते हं। योजनागत अनुदानों में राज्य की अपनी योजनागत योजनाओं के लिए, केंद्रीय योजनागत योजनाओं के लिए तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग-अलग अनुदान होते हैं। गैर-योजना अनुदानों में वैधानिक अनुदान के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा विषयक राहत और सार्वजनिक प्रयोजन के अन्य अनुदान शामिल होते हैं।

तालिका 7.18 में 2007-08 से 2012-13 (बजट अनुमान) तक राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों को दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि इन वर्षों में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों का तकरीबन तीन-चौथाई भाग सहायता अनुदानों तथा करों के विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से के जरिए केंद्र सरकार से आया। इनका हिस्सा 2007-08 राज्य सरकार के कुल राजस्व का 80 प्रतिशत था जो 2012-13 (बजट अनुमान) में घटकर 72 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2011-12 में केंद्रीय अंतरणों का हिस्सा राज्य सरकार के कुल राजस्व का 74 प्रतिशत था - 55 प्रतिशत केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से का और 19 प्रतिशत केंद्रीय अनुदानों का। राज्य सरकार के अपने संसाधनों का योगदान मात्र 26 प्रतिशत था - 24 प्रतिशत कर राजस्व का और 2 प्रतिशत गैर-कर राजस्व का।

राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 2007-08 के 5,086 करोड़ रु. से बढ़कर 2012-13 (बजट अनुमान) में 15,664 करोड़ रु. हो गया है और इसी अवधि में गैर-कर राजस्व 526 करोड़ रु. से बढ़कर 3,142 करोड़ रु.। हालांकि याद रखने की जरूरत है कि गैर-कर राजस्व में वृद्धि केंद सरकार से हुए कुछ विशेष अंतरणों के कारण है। जैसे गैर-कर राजस्व 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप दोनों वर्षों में मिली ऋण राहत - 2008-09 में 385 करोड़ रु. और 2009-10 में 770 करोड़ रु. - के कारण काफी बढ़ा था। उस आयोग की कार्यावधि की समाप्ति पर ऋण राहत की समाप्ति के बाद 2010-11 में गैर-कर प्राप्ति में 684 करोड़ रु. की अचानक गिरावट आई। वर्ष 2009-10 में में मिली ऋण राहत में से 385 करोड़ रु. की वापसी के कारण 2011-12 में गैर-कर राजस्व में और भी कमी आई। वर्ष 2012-13 (बजट अनुमान) में 'पेंशन आदि से अंशदान एवं वसूलियों' से संबंधित प्राप्तियों के बतौर 2,146 करोड़ रु. का अनुमान किया गया है जिनकी पेंशन बकाया की प्रतिपूर्ति के बतौर झारखंड सरकार से अंतरण की आशा है। इस रकम को गत वर्ष 2011-12 के बजट में भी शामिल किया गया था लेकिन उस वर्ष यह प्राप्त नहीं हुई। यह भी एकमुश्त विशेष अंतरण का ही मामला है।

केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों और करों में राज्य का हिस्सा समेत राज्य सरकार का कुल राजस्व 16.1 प्रतिशत की प्रभावी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2007-08 के 28,210 करोड़ रु. से 2011-12 में 51,320 करोड़ रु. हो गया। इसके मुकाबले राज्य सरकार की अपनी राजस्व प्राप्ति इस अवधि में 24.5 प्रतिशत की और भी उच्च वार्षिक दर से बढ़ी और कर राजस्व 25.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। इस अवधि में केंद्रीय करों में राज्य सरकार का हिस्सा 13.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा जबकि केंद्र सरकार के अनुदान 14.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़े। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व की वृद्धि दर उसके राजस्व के अन्य घटकों की

अपेक्षा अधिक होने के कारण कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने राजस्व का हिस्सा 2007-08 के 20 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 26 प्रतिशत हो गया।

तालिका 7.18 : राजस्व प्राप्तियां

(कराड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
I. राज्य का अपना राजस्व	**5611**	**7326**	**9760**	**10855**	**13502**	**18837**
क) कर राजस्व	5086	6172	8090	9870	12612	15694
ख) गैर-कर राजस्व	526	1153	1670	986	890	3142
II. केंद्र से प्राप्तियां	**22599**	**25655**	**25767**	**33677**	**37818**	**49210**
क) विभाज्य करों का हिस्सा	16767	17693	18203	23978	27935	33126
ख) सहायता अनुदान	5832	7962	7564	9699	9883	16084
III. कुल राजस्व प्राप्तियां	**28210**	**32981**	**35527**	**44532**	**51320**	**68048**
कुल प्राप्तियों में राज्य के अपने राजस्व का प्रतिशत	19.89	22.21	27.47	24.38	26.25	27.64

राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर, विद्युत कर एवं शुल्क, भूमि राजस्व तथा कृषि आय कर शामिल हैं। इनमें से अंतिम अपेक्षाकृत महत्वहीन है। प्रत्यक्ष करों से काफी अधिक महत्व वाले अप्रत्यक्ष करों में बिक्री कर, व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं। वर्ष 2007-08 से 2012-13 के बजट अनुमान तक इन करों से प्राप्तियों का विवरण तालिका 7.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.19 : विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	2535	3016	3839	4557	7476	7342
माल एवं यात्री कर	938	1279	1613	2006	828	2800
राज्य उत्पाद शुल्क	525	679	1082	1523	1981	2765
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	654	716	998	1099	1480	1856
वाहन कर	273	298	345	455	569	644
भूमि राजस्व	82	102	124	139	167	154
विद्युत कर एवं शुल्क	64	68	67	65	55	61
अन्य वस्तु एवं सेवा कर/ शुल्क	14	14	22	25	26	42
कृषि आय कर	0	0	0	0	0	0
योग	**5086**	**6172**	**8090**	**9870**	**12583**	**15664**

टिप्पणी : बिक्रो कर और माल एवं यात्री कर के वित्तोय लेखों के आंकड़े (क्रमश: 7,476 करोड़ रु. और 828 करोड़ रु) वाणिज्य कर विभाग के रिकॉर्ड के आंकड़ों - क्रमश: 5,742 करोड़ रु. और 2,991 करोड़ रु. - से भिन्न हैं। विभाग के आंकड़े रुझानों के अनुरूप हैं अत: अधिक विश्वसनीय लगते हैं। वित्तोय लेखों के आंकड़ों में वर्गीकरण की समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि इन दोनों करों से होने वाली प्राप्तियों का योग लगभग समान होता है। हालांकि विश्लेषण में वित्तोय लेखों के आंकड़े लिए गए हैं।

चार्ट 7.13

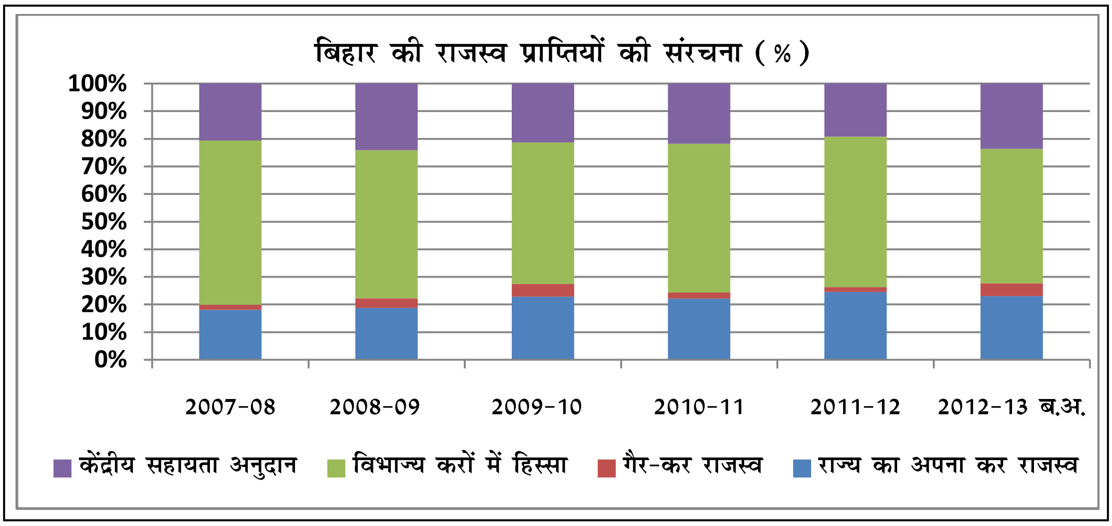

राज्य सरकार की कर प्राप्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके प्रमुख कर स्रोत बिक्री कर (मूल्यवर्धित कर - वैट), स्टांप एवं निबंधन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वाहन कर हैं। राज्य सरकार की कुल कर प्राप्तियों में इन पांचों करों का संयुक्त हिस्सा 98 प्रतिशत है। कुल कर प्राप्तियों (2011-12) में इनमें से अकेले बिक्री कर का हिस्सा 59 प्रतिशत था हालांकि अन्य वर्षों में इसका योगदान 46 प्रतिशत के आसपास था। उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (16 प्रतिशत), स्टांप एवं निबंधन शुल्क (12 प्रतिशत) तथा माल एवं यात्री कर (7 प्रतिशत) का स्थान था। ये कर उच्च उत्फुल्लता वाले हैं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ उनकी प्राप्ति लगातार बढ़ रही है। विगत कुछ वर्षों के दौरान कर राजस्व की संरचना में कोई महत्वपूर्ण ढांचागत बदलाव नहीं आया है। अपवाद 2011-12 था जब विभिन्न मदों में दरों में वृद्धि तथा मूल्यवृद्धि के कारण बिक्री कर (वैट) में अचानक वृद्धि हुई। इसके साथ-साथ, माल एवं यात्री कर के हिस्से में तेज गिरावट भी आई। इस वर्ष बिक्री कर के कुल संग्रहण में लगभग 2,900 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जिसमें 500 करोड़ रु. का योगदान अकेले पेट्रॉलियम उत्पादों का था। राज्य सरकार के कर राजस्व की संरचना तालिका 7.20 में दर्शाई गई है और उनकी वृद्धि दरें तालिका 7.21 में।

चार्ट 7.14

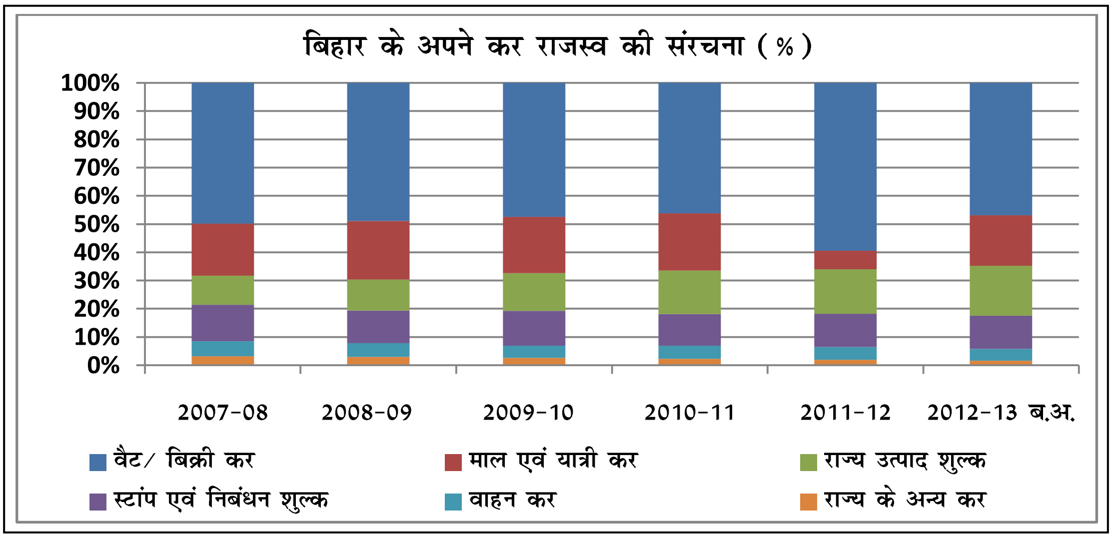

तालिका 7.20 : कर राजस्व की संरचना

राजस्व के स्रोत	प्रतिशत हिस्सा					
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	49.84	48.87	47.46	46.17	59.42	46.87
माल एवं यात्री कर	18.44	20.73	19.94	20.33	6.58	17.88
राज्य उत्पाद शुल्क	10.33	11.00	13.37	15.43	15.74	17.65
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	12.86	11.60	12.34	11.13	11.76	11.85
वाहन कर	5.37	4.82	4.27	4.61	4.52	4.11
भूमि राजस्व	1.61	1.65	1.53	1.41	1.33	0.98
विद्युत कर एवं शुल्क	1.26	1.10	0.82	0.66	0.43	0.39
योग	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

चार्ट 7.15

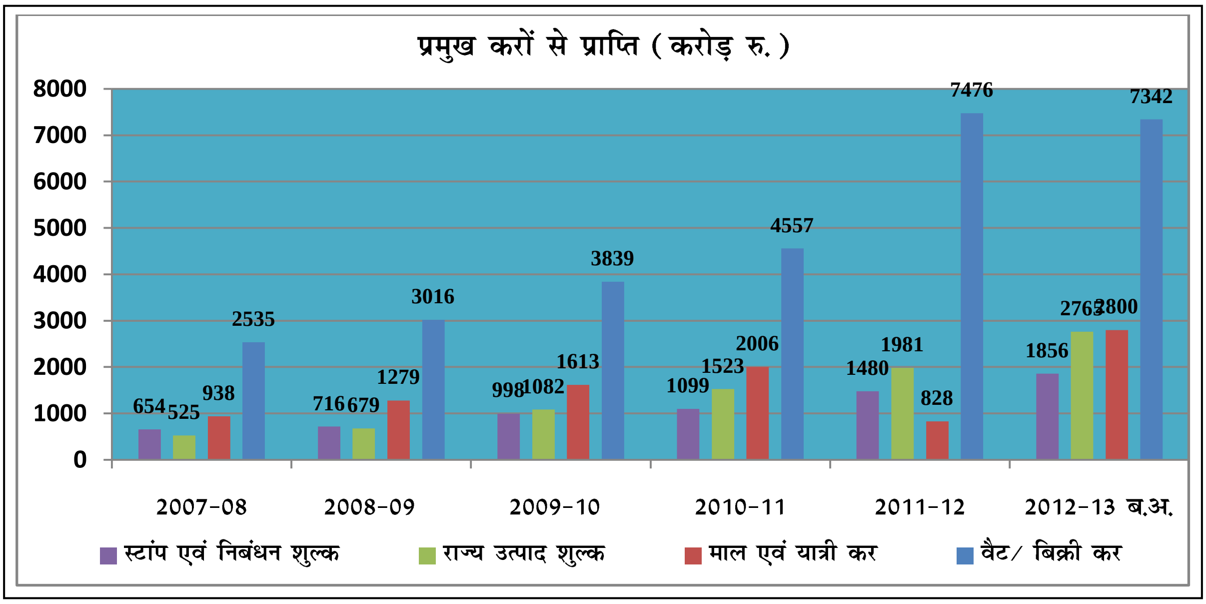

बिक्री कर का राज्य सरकार के अपने राजस्व में सर्वाधिक योगदान तो है ही, इनकी वृद्धि दर भी काफी नियमित रही है। लेकिन 2007-08 से 2012-13 के बीच सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर (40 प्रतिशत) राज्य उत्पाद शुल्क द्वारा दर्ज की गई है और उसके बाद बिक्री कर (26 प्रतिशत) तथा स्टांप एवं निबंधन शुल्कों द्वारा (24 प्रतिशत)। वर्ष 2011-12 में बिक्री कर 64 प्रतिशत से भी अधिक की वार्षिक दर से बढ़ा था जो मुख्यत: बिक्री कर की दरों में वृद्धि के कारण है। हालांकि 2012-13 के बजट अनुमान में बिक्री दर से प्राप्ति में 2 प्रतिशत कमी अनुमानित है। वर्ष 2011-12 में वाहन कर में भी 25 प्रतिशत की काफी उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई। इस अवधि में अन्य करों में भी अच्छी-खासी वृद्धि हुई लेकिन उनके विकास पैटर्न में कोई निरंतरता नहीं थी।

वर्ष 2011-12 में माल एवं यात्री कर में लगभग 59 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि अगले साल इसमें 2011-12 से ढाईगुनी वृद्धि अनुमानित है जिससे नकारात्मक वृद्धि दर की आंशिक भरपाई

हो जाएगी। इस कर में पथ कर, यात्री कर और माल कर से संग्रह, खपत, उपयोग या बिक्री हेतु स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर लगने वाला प्रवेश कर और अंतर्राज्य संचरण शुल्क (चुंगी) शामिल होता है। बिहार में इस कर से होने वाला पूरा संग्रहण खपत हेतु स्थानीय क्षेत्रों में आने वाले मालों के प्रवेश से होता है। इसका संग्रहण बिहार स्थानीय क्षेत्र उपयोग, उपभोग अथवा बिक्री जन्य वस्तु प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के तहत और प्रबंधन राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा होता है।

तालिका 7.21 : कर राजस्व की वृद्धि दरें

राजस्व के स्रोत	विगत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि						वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2007-13)
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)	
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	22.00	19.00	27.28	18.70	64.06	-1.80	26.44
माल एवं यात्री कर	20.00	36.42	26.09	24.37	-58.72	238.04	13.34
राज्य उत्पाद शुल्क	38.00	29.26	59.27	40.83	30.04	39.57	40.32
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	44.00	9.49	39.33	10.10	34.71	25.40	23.86
वाहन कर	51.00	8.98	15.92	31.96	24.97	13.23	20.45
भूमि राजस्व	10.00	23.92	21.83	12.16	20.48	-7.96	14.57
विद्युत कर एवं शुल्क	2.00	5.57	-1.46	-2.12	-16.15	11.17	-2.59
अन्य वस्तु एवं सेवा कर तथा शुल्क	9.00	-0.43	58.04	12.41	3.57	64.53	23.77
योग	**26.00**	**21.37**	**31.07**	**22.01**	**27.48**	**24.49**	**25.54**

तालिका 7.22 में देखा जा सकता है कि 2011-12 में राज्य सरकार के कुल अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा मात्र 18 प्रतिशत था और अप्रत्यक्ष करों का शेष 82 प्रतिशत। यह वितरण विगत वर्षों की तरह ही विषम रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के हिस्सों में व्यवहारतः कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे यह भी पता चलता है कि राज्य सरकार की राजकोषीय सुधारों की प्रक्रिया का इसके कर ढांचे में अभिव्यक्त होना अभी भी बाकी है। यह केंद्रीय कर प्राप्तियों की संरचना में देखे गए रुझान के भी विपरीत लगता है जो सुधारों का आरंभ होने के बाद काफी हद तक प्रत्यक्ष करों की ओर मुड़ गया है। लेकिन सभी राज्यों के ढांचे विषम लगते हैं क्योंकि आय कर अथवा निगम कर जैसे अधिक प्राप्ति वाले प्रत्यक्ष करों की व्यवस्था केंद्र सरकार के ही हाथों में है।

तालिका 7.22 : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा

स्रोत	प्रतिशत हिस्सा					
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
राज्य के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%)	19	21	19	19	18	17
राज्य के अपने कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%)	81	79	81	81	82	83
योग	100	100	100	100	100	

तालिका 7.23 में राज्य सरकार के प्रमुख गैर-कर राजस्व दर्शाए गए हैं। तालिका 7.24 में उनकी संरचना को दर्शाया गया है और तालिका 7.25 में उनकी वृद्धि दरों को। राज्य सरकार के गैर-कर राजस्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व खानों एवं खनिजों से रॉयल्टी है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत ब्याज प्राप्तियां हैं। वर्ष 2007-08 तक राज्य के कुल गैर-कर राजस्व में इन दोनों का संयुक्त हिस्सा 60 प्रतिशत से भी अधिक था लेकिन केंद्र सरकार से अच्छा-खासा पूर्ववर्णित ऋण राहत पाने के कारण, जिसे 'विविध सामान्य सेवाएं' शीर्ष के अंतर्गत रखा गया, इन दोनों का संयुक्त हिस्सा गिरकर 2009-10 में 40 पतिशत रह गया। वर्ष 2010-11 में ऋण राहत समाप्त होने के बाद यह हिस्सा पुनः बढ़कर 65 प्रतिशत पर पहुंच गया। वर्ष 2009-10 में मिली ऋण राहत में से 385 करोड़ रु. की वसूली के कारण 2011-12 में इन दोनों का संयुक्त हिस्सा असाधारण रूप से ऊपर चला गया जबकि खानों-खनिजों से रॉयल्टी में गत वर्ष से मात्र 37 करोड़ रु. की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में राज्य के पुनर्गठन-पूर्व की अवधि से ही कार्यरत लोगों के पेंशन के मामले में झारखंड सरकार से 'अन्य गैर-कर राजस्व' के तहत पेंशन संबंधी अंशदान एवं वसूली के तहत 2,000 करोड़ रु. से अधिक राशि के शामिल होने के कारण इनका हिस्सा पुनः गिरना अनुमानित है। पहले भी उल्लेख किया गया है कि इस राशि का उल्लेख 2011-12 के बजट में भी किया गया था लेकिन राशि मिली नहीं थी।

ब्याज प्राप्तियों का हिस्सा 2007-08 से 2010-11 की चार-वर्षीय अवधि में 34 प्रतिशत से गिरकर 24 प्रतिशत रह गया था लेकिन 2011-12 में गत वर्ष से 236 करोड़ रु. का अधिक संग्रहण हुआ। इसका कारण जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को देय बकाया ऋणराशि के बरअक्स बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को दिए गए ऋणों पर ब्याज के बतौर 268 करोड़ रु. का प्रति-संमंजन (कंटा-एडजस्टमेंट) था। राज्य सरकार के नगद शेष निवेश लेखे में अधिशेष रहे नगद शेषों के निवेश से प्राप्त कम ब्याज के कारण रकम के रूप में ब्याज प्राप्तियों में 2011-12 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के बीच 14 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ने वाला गैर-कर राजस्व अपने शीर्ष पर पहुंच गया लगता है और राज्य सरकार के गैर-कर राजस्व स्रोतों की वृद्धि में कोई निरंतरता नहीं दिखती है।

तालिका 7.23 : बिहार के प्रमुख गैर-कर राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	179	245	320	406	443	470
ब्याज प्राप्तियां	171	305	353	238	574	264
विविध सामान्य सेवाएं	3	386	770	0	-384	0
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	12	8	9	20	11	47
पुलिस	23	9	12	12	9	75
वृहत सिंचाई	2	3	3	5	3	26
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	21	24	17	34	7	42
सड़क और पुल	18	26	30	40	60	50
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	21	17	14	15	24	13
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7	10	29	22	30	22
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3	1	1	2	1	2
अन्य	65	119	112	192	111	2132
योग	**526**	**1153**	**1670**	**986**	**890**	**3142**

तालिका 7.24 : गैर-कर राजस्वों की संरचना

(प्रतिशत)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	33.99	21.24	19.15	41.15	49.79	14.96
ब्याज प्राप्तियां	32.48	26.41	21.15	24.15	64.47	8.39
विविध सामान्य सेवाएं	0.57	33.45	46.11	0.03	-43.13	0.01
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2.28	0.70	0.56	2.03	1.29	1.48
अन्य गैर-कर राजस्व	30.67	18.19	13.03	32.64	27.57	75.16
योग	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

चार्ट 7.16

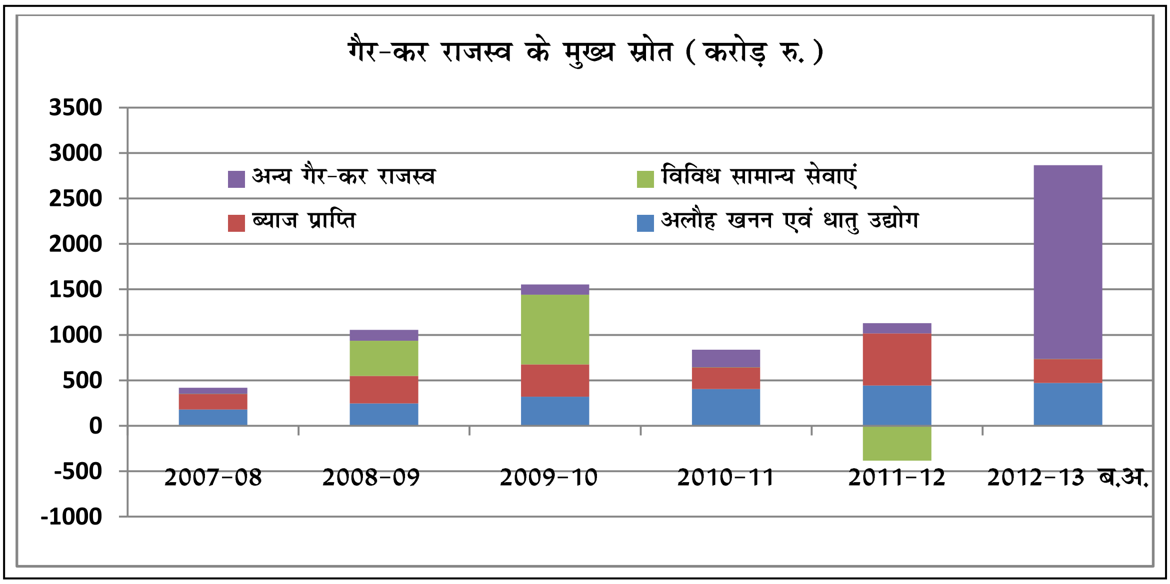

तालिका 7.25 : गैर-कर राजस्वों की वृद्धि दरें

	वार्षिक वृद्धि दरें					
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	40	37.13	30.58	26.77	9.25	6.07
ब्याज प्राप्तियां	-3	78.41	15.99	-32.64	141.09	-54.03
विविध सामान्य सेवाएं	-86	12675.50	99.65	-99.96	-112976.47	-100.11
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	-41	-32.58	16.44	112.10	-42.49	305.19
अन्य गैर-कर राजस्व	10	81.51	-5.28	71.10	-42.25	1820.68
योग	3	119.43	44.84	-41.00	-9.71	253.15

वर्ष 2011-12 के बजट में प्रस्तावित राजस्व अनुमान की उस वर्ष हुए वास्तविक संग्रहण के साथ तुलना करने पर देखा जा सकता है कि वास्तविक वसूली में बजट अनुमान से लगभग 2,100 करोड़ रु. की भारी कमी थी। यह कमी लगभग पूरी तरह से अन्य सामान्य सेवाओं के 'अन्य गैर-कर राजस्व' के कारण थी जो झारखंड से

प्राप्त नहीं हुआ था। इस पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। कर राजस्व में मुख्य कमी माल एवं यात्री करों (1,112 करोड़ रु.) और स्टांप एवं निबंधन शुल्कों (310 करोड़ रु.) के मामले में थी। लेकिन माल एवं यात्री करों में कमी परिभाषा में कुछ परिवर्तन के कारण थी जिसके कारण बिक्री कर के संग्रहण (968 करोड़ रु.) में असाधारण वृद्धि हुई। बिक्रो कर के अलावा राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में भी असाधारण वृद्धि (381 करोड़ रु.) हुई। समग्र वसूली कर राजस्व के मामले में लक्ष्य के लगभग बराबर थी लेकिन गैर-कर राजस्व के मामले में लक्ष्य से 70 प्रतिशत कम थी (तालिका 7.26)।

तालिका 7.26 : कर और गैर-कर राजस्व की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2011-12)

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अंतर	प्रतिशत अंतर अधिकता (+), कमी (-)
अपना कर राजस्व				
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	6508	7476	968	14.9
माल एवं यात्री कर	1940	828	-1112	-57.3
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	1600	1480	-120	-7.5
राज्य उत्पाद शुल्क	1790	1981	191	10.7
वाहन कर	537	569	32	6.0
भूमि राजस्व	125	167	42	33.6
पेशा कर	1	30	29	2900.0
अन्य वस्तु एवं सेवा कर तथा शुल्क	21	26	5	23.8
विद्युत कर एवं शुल्क	61	55	-6	-9.8
योग	**12583**	**12612**	29	0.2
अपना गैर-कर राजस्व				
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	280	443	163	58.2
ब्याज प्राप्तियां	371	574	203	54.7
विविध सामान्य सेवाओं से प्राप्तियां	neg.	-384		
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1	1	0	0.0
अन्य	2334	256	-2078	-89.0
योग	**2986**	**890**	-2096	-70.2

प्रमुख करों का संग्रहण व्यय तालिका 7.27 में दर्शाया गया है। सभी प्रमुख करों के मामले में संग्रहण व्यय कुल संग्रहण के मुकाबले बहुत कम था। तालिका में देखा जा सकता है कि अधिसंरचना के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के कारण 2011-12 में वाहन कर को छोड़कर सभी प्रमुख राज्यों के संग्रहण व्यय में काफी कमी आई है। लेकिन स्टांप एवं निबंधन शुल्कों तथा वाहन करों के मामले में संग्रहण व्यय अन्य करों की अपेक्षा अधिक है। कर संग्रह तंत्र को दुरुस्त करने, कराधान ढांचे का युक्तिकरण करने तथा उपभोक्ता के लिए आसान स्वचालन (ऑटोमेशन) से संग्रहण व्यय में और भी कमी आएगी।

तालिका 7.27 : कर संग्रहण व्यय

वर्ष	संग्रहण (करोड़ रु.)	संग्रहण व्यय (करोड़ रु.)	व्यय संग्रहण के % में	संग्रहण (करोड़ रु.)	संग्रहण व्यय (करोड़ रु.)	व्यय संग्रहण के % में
	बिक्री कर, व्यापार कर आदि			राज्य उत्पाद शुल्क		
2007-08	2535	43	1.69	525	22	4.21
2008-09	3016	47	1.55	679	24	3.56
2009-10	3839	48	1.26	1082	44	4.07
2010-11	4557	56	1.24	1523	38	2.47
2011-12	7476	65	0.87	1981	41	2.08
2012-13 (ब.अ.)	7342	88	1.20	2765	67	2.41
	स्टांप एवं निबंधन शुल्क			वाहन कर		
2007-08	654	34	5.20	273	6	2.18
2008-09	716	38	5.26	298	7	2.33
2009-10	998	46	4.60	345	10	3.02
2010-11	1099	47	4.24	455	17	3.72
2011-12	1480	43	2.91	569	22	3.92
2012-13 (ब.अ.)	1856	48	2.57	644	29	4.47

तालिका 7.28 में राज्य सरकार के अपने कर और गैर-कर राजस्वों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर दर्शाया गया है जो संसाधन जुटाने की राज्य की क्षमता की एक माप है। बिहार के अपने कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात 2007-08 में 4.47 प्रतिशत था। तबसे उसमें धीमी गति से वृद्धि हो रही है और 2012-13 के बजट अनुमान में उसका 5.22 प्रतिशत होना अनुमानित है। अन्य राज्यों की तुलना में यह कम है जिस पर पहले भी चर्चा हुई है। वर्ष 2009-10 से इसमें व्यवहारतः कोई सुधार नहीं हुआ है। वर्ष 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कर और गैर-कर राजस्वों का कुल योगदान 5 प्रतिशत से थोड़ा ही ऊपर था और केंद्रीय अंतरणों एवं अनुदानों सहित कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 20 प्रतिशत था। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपने कर का अनुपात देश में लगभग सबसे कम है जबकि केंद्रीय अनुदानों तथा राज्य सरकार को होने वाले अन्य अंतरणों की बड़ी मात्रा के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल राजस्व का अनुपात काफी ऊंचा है।

तालिका 7.28 : कर और गैर-कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में

सूचक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
अपना कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में	4.47	4.34	4.94	4.89	4.98	5.22
अपना गैर-कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में	0.46	0.81	1.02	0.49	0.35	1.05
कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में	24.82	23.18	21.69	22.06	20.31	22.69
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले कुल राजस्व की उत्फुल्लता (अनुपात)	2.21	0.67	0.51	1.09	0.61	1.74
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य के अपने करों की उत्फुल्लता (अनुपात)	2.60	0.85	2.05	0.95	1.09	1.31

तालिका 7.29 में एकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य सरकार के प्रमुख कर और गैर-कर राजस्वों का उत्फुल्लता अनुपात (बायोएंसी रेशियो) प्रस्तुत किया गया है। तालिका में हम देख सकते हैं कि 2011-12 में बिक्रो कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क और राज्य उत्पाद शुल्क राज्य सरकार के अन्य कर राजस्वों की अपेक्षा अधिक उत्फुल्ल थे। हाल के वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अच्छी-खासी वृद्धि दर को देखते हुए इन करों द्वारा और अधिक योगदान किए जाने की काफी संभावना मौजूद है। वर्ष 2011-12 में बिक्री कर काफी उत्फुल्ल था जबकि माल एवं यात्री करों में नकारात्मक उत्फुल्लता दिखी। गैर-कर राजस्व के प्रमुख स्रोतों में ब्याज प्राप्ति ने कुछ वर्षों के दौरान उच्च उत्फुल्लता दर्शाई लेकिन ऐसा लेखों के समंजन के कारण हुआ न कि वास्तविक संग्रहण के कारण, जिस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है।

तालिका 7.29 : महत्वपूर्ण कर तथा गैर-कर राजस्व स्रोतों की उत्फुल्लता

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	1.46	0.76	1.80	0.80	2.54	-0.10
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	2.94	0.38	2.60	0.43	1.38	1.36
माल एवं यात्री कर	1.33	1.45	1.72	1.05	-2.33	12.72
राज्य उत्पाद शुल्क	2.53	1.16	3.92	1.76	1.19	2.12
वाहन कर	3.40	0.36	1.05	1.38	0.99	0.71
भूमि राजस्व	0.67	0.95	1.44	0.52	0.81	-0.43
विद्युत कर एवं शुल्क	0.13	0.22	-0.10	-0.09	-0.64	0.60
कुल कर राजस्व	**1.49**	**0.37**	**0.67**	**1.24**	**0.79**	**1.09**
अलौह धातु	2.69	1.48	2.02	1.15	0.37	0.32
ब्याज प्राप्तियां	-0.20	3.12	1.06	-1.40	5.60	-2.89
कुल गैर-कर राजस्व	**0.19**	**4.75**	**2.96**	**-1.76**	**-0.39**	**13.53**

तालिका 7.30 में केंद्र सरकार के अनुदानों एवं अंशदानों से मिलने वाले राजस्व का रुझान दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में कुल अनुदान 16,084 करोड़ रु. है जो 2011-12 में 9,883 करोड़ रु. था। वर्ष 2011-12 में कुल अनुदानों का आधा से अधिक (51 प्रतिशत) हिस्सा राज्य योजनागत योजनाओं के लिए था और 22 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए। उस वर्ष कुल अनुदानों में गैर-योजना अनुदानों का हिस्सा 26 प्रतिशत था। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के बीच 5 वर्षों में कुल अनुदान 1.7-गुने बढ़े हैं और 2012-13 के बजट अनुमान में भी प्रचुर वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2011-12 में कुल अनुदानों में गत वर्ष की अपेक्षा 200 करोड़ रु. से भी कम की वृद्धि हुई। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान 2011-12 में भी व्यवहारत: गत वर्ष जितने ही रहे। वहीं राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान में लगभग 400 करोड़ रु. की कमी आई। वर्ष 2011-12 में गैर-योजना अनुदानों में 600 करोड़ रु. से भी अधिक की वृद्धि हुई।

तालिका 7.30 : केंद्र सरकार से अनुदान तथा अंशदान

(करोड़ रु.)

स्रोत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
राज्य योजनागत योजना हेतु अनुदान	2914	3600	3721	5457	5065	8935
केंद्रीय योजनागत योजना हेतु अनुदान	53	135	138	176	96	108
केंद्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	1360	1677	1449	2141	2159	5203
गैर-योजना अनुदान	1505	2550	2256	1925	2563	1837
कुल अनुदान	**5832**	**7962**	**7564**	**9699**	**9883**	**16084**

7.8 राजकीय कर विभागों का प्रदर्शन

वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य कर विभाग सात अधिनियमों के तहत राजस्व संग्रह करता है : 1. बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (वैट), 2. बिहार स्थानीय क्षेत्र उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री जन्य वस्तु प्रवेश कर अधिनियम, 1993 (ईटी), 3. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सीएसटी), 4. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (ईडी), 5. बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (ईएनटी), 6. होटल विलासिता कर अधिनियम, 1988 (एचएलटी), तथा 7. बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 (एडीवीटी)।

तालिका 7.31 में 2007-08 से 2011-12 तक और वर्तमान वर्ष के लिए सितंबर 2012 तक संग्रहित कर दर्शाए गए हैं। बिक्री कर की जगह लेने वाला वैट मुख्य योगदाता है और बिहार सरकार के कुल वाणिज्य कर संग्रहण (2011-12) में इसका लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा है। तालिका प 7.1 और तालिका 7.2 (परिशिष्ट) में विभिन्न कर-परिक्षेत्रों के लिए इन कर संग्रहणों का रुझान दर्शाया गया है।

तालिका 7.31 : विभिन्न अधिनियमों के तहत कर संग्रहण (2007-08 से 2012-13)

(करोड़ रु.)

वर्ष	बीएसटी / वैट	सीएसटी	ईएनटी	ईडी	एडीटी	एचएलटी	ईटी	पीटी (पेशा कर)	योग
2007-08	2523	54	10	64	0	3	979	-	**3633**
2008-09	3057	46	10	68	0	3	1284	-	**4468**
2009-10	3805	38	14	64	0	4	1608	-	**5533**
2010-11	4532	59	16	65	1	5	2008	-	**6686**
2011-12	5668	75	25	55	0	7	2591	36	**8457**
2012-13 (सितंबर 12 तक)	2787	23	11	21	0	2	1127	3	**3974**

टिप्पणी : बिक्री कर और प्रवेश कर के मामले में 2011-12 के वित्तीय लेखों में काफी अंतर है हालांकि दोनों के योग लगभग समान हैं (8,304 करोड़ रु. और 8,333 करोड़ रु.)। वित्तीय लेखों में वर्गीकरण संबंधी अशुद्धि हो सकती है।

तालिका 7.32 में राज्य सरकार के राजस्व में वाणिज्यिक करों के हिस्से का वर्षवार रुझान दर्शाया गया है। अनुपात 2007-08 तक 13 प्रतिशत के नीचे था लेकिन उसके बाद से बढ़ा और 2011-12 में 16.5 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार के अपने कुल करों में उनका हिस्सा 2007-08 के 71.4 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 67.2 प्रतिशत हो गया। वाणिज्य कर द्वारा संग्रहित प्रमुख राजस्व स्रोतों में वैट के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कर प्रवेश कर (खपत हेतु स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर) है जिसका 2011-12 के कुल संग्रहण में 31 प्रतिशत योगदान था। विभाग के कुल संग्रहणों में इन दोनों करों का संयुक्त हिस्सा 98 प्रतिशत है।

तालिका 7.32 : कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का वर्षवार प्रतिशत हिस्सा

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
राज्य का कुल राजस्व (करोड़ रु.)	28210	32981	35527	44532	51320	68048
राज्य का अपना कर राजस्व (करोड़ रु.)	5086	6172	8090	9870	12583	15664
वाणिज्यिक करों से राजस्व (करोड़ रु.)	3633	4468	5533	6686	8457	10271
कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा (%)	12.9	13.5	15.6	15.0	16.5	15.1
राज्य के अपने करों में वाणिज्यिक करों का हिस्सा (%)	71.4	72.4	68.4	67.7	67.2	65.6

बिक्री करों का सामग्री-वार संग्रहण तालिका 7.33 में प्रस्तुत है जिसमें देखा जा सकता है कि अकेले पेट्रॉलियम उत्पादों का ब्रिकी कर में सर्वाधिक योगदान है जिसका बिक्री कर के कुल संग्रहण में लगभग 30 प्रतिशत योगदान रहता है। वर्ष 2011-12 में इसमें लगभग 26 प्रतिशत की उच्च वृद्धि भी दर्ज हुई है जो पिछले साल 21 प्रतिशत थी। दूसरे बड़े योगदाता सेमेंट (556 करोड़ रु.) से इसका योगदान चारगुने से भी ज्यादा था। अन्य महत्वपूर्ण योगदाता हैं : कोयला, कच्चा तेल, एफएमसीजी, विदेशी शराब (भारत निर्मित), देशी शराब, लोहा एवं इस्पात, औषधियां और औषधि-द्रव्य, मोटरवाहन, टेलिफोन, निर्माणजन्य संविदाएं, बिजली के सामान तथा दोपहिए-तिपहिए। इनके मामले में 2011-12 में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है लेकिन विगत कुछ वर्षों के दौरान वितरण के पैटर्न में कोई ढांचागत बदलाव नहीं आया है। वर्ष 2011-12 में प्रमुख वृद्धि पेटॉलियम उत्पाद (520 करोड़ रु.), निर्माणजन्य संविदाओं (124 करोड़ रु.) और चारपहियों (119 करोड़ रु.) के मामले में दर्ज की गई है।

तालिका 7.33 : बिक्री कर का तुलनात्मक सामग्रीवार संग्रहण

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	सामग्री का नाम	संग्रहण (करोड़ रु.)					वृद्धि दर (%)				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	विज्ञापन कर	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2	एसबेस्टस	7	13	14	16	20	16.7	85.7	7.7	16.2	25.1
3	वाहनों के कलपुर्जे	16	16	26	29	46	6.7	0.0	62.5	10.7	60.9
4	बैटरी	31	36	41	50	57	24.0	16.1	13.9	21.2	15.4
5	पेय पदार्थ	9	15	22	32	41	28.6	66.7	46.7	47.4	27.1
6	भुजिया	0	0	1	1	2	-	-	-	-17.6	95.7
7	साइकल	6	7	10	14	18	20.0	16.7	42.9	44.8	23.7
8	बिस्कुट	46	57	69	58	82	24.3	23.9	21.1	-15.8	41.2
9	ईंट	6	8	10	11	17	-14.3	33.3	25.0	8.7	56.5

10	सेमेंट	208	255	420	477	556	20.2	22.6	64.7	13.6	16.6
11	कोयला	78	88	111	141	195	66.0	12.8	26.1	27.2	38.1
12	कंप्यूटर	12	14	19	25	44	50.0	16.7	35.7	31.4	75.6
13	टिकाऊ उपभोग सामगियां	35	36	50	77	94	25.0	2.9	38.9	53.1	22.9
14	देशी शराब	46	61	99	125	143	70.4	32.6	62.3	26.5	14.3
15	क्रॉकरी, कटलरी, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन	2	1	1	1	1	0.0	-50.0	0.0	29.5	7.8
16	कच्चा तेल	154	187	166	213	249	16.7	21.4	-11.2	28.3	16.8
17	डीजल	0	0	1	4	4	-	-	-	261.7	21.1
18	औषधियां एवं औषधि-द्रव्य	136	152	178	208	295	15.3	11.8	17.1	17.0	41.7
19	मेवे	0	0	0	0	0	-	-	-	-	30.0
20	खाद्य तेल	10	13	16	22	35	25.0	30.0	23.1	37.2	60.9
21	बिजली के सामान	117	113	154	166	205	10.4	-3.4	36.3	7.9	23.1
22	विद्युत शुल्क	2	12	2	2	1	0.0	500.0	-83.3	-13.1	-18.9
23	इलक्ट्रॉनिक सामान	20	29	43	35	50	17.6	45.0	48.3	-18.9	44.5
24	इंजन और मोटर	6	6	8	14	19	20.0	0.0	33.3	81.2	32.0
25	मनोरंजन कर	9	9	13	11	17	12.5	0.0	44.4	-12.9	46.0
26	ईथेनॉल			1	17	5	-	-	-	1567.9	-69.5
27	फास्ट फूड और पका भोजन	24	23	28	63	90	33.3	-4.2	21.7	126.0	41.8
28	उर्वरक और कीटनाशक	73	81	82	90	144	15.9	11.0	1.2	10.2	59.4
29	पटाखे	0	0	0	1	1	-	-	-	-	29.9
30	एफएमसीजी	148	181	210	237	324	15.6	22.3	16.0	12.7	36.8
31	खाद्यान्न	35	44	61	78	90	12.9	25.7	38.6	28.1	15.6
32	जूता-चप्पल	6	7	10	13	18	20.0	16.7	42.9	31.3	35.1
33	चारपहिया वाहन तथा वाहनों की चेसिस	141	158	248	304	423	28.2	12.1	57.0	22.5	39.1
34	फर्नीचर	7	11	13	15	21	40.0	57.1	18.2	16.4	38.0
35	घी और वनस्पति घी	16	27	31	47	74	77.8	68.8	14.8	52.3	57.3
36	कांच	2	3	3	5	7	0.0	50.0	0.0	53.4	42.2
37	बंदूक-राइफल	0	0	1	1	1	-	-	-	-49.0	13.6
38	हार्डवेयर	5	6	8	10	15	25.0	20.0	33.3	28.2	44.0
39	हवाई चप्पल	0	0	0	0	0	-	-	-	-	193.3
40	चमड़ा और खाल	1	1	0	1	1	0.0	0.0	-100.0	-	-22.7
41	होजियरो तथा रेडीमेड वस्त्र	15	19	27	35	41	36.4	26.7	42.1	28.1	19.4
42	भारत निर्मित विदेशी शराब	102	163	254	340	416	2.0	59.8	55.8	33.9	22.1
43	लोहा-इस्पात	59	70	93	126	144	25.5	18.6	32.9	35.6	13.9
44	आभूषण	2	3	3	5	10	100.0	50.0	0.0	55.1	105.9
45	किरासन तेल	4	4	4	3	2	33.3	0.0	0.0	-35.3	-23.5
46	किराना सामान	9	11	13	14	19	12.5	22.2	18.2	10.6	35.5
47	एलपीजी	3	2	2	2	5	0.0	-33.3	0.0	23.5	97.5
48	स्नेहक	18	22	32	35	42	20.0	22.2	45.5	10.8	19.1
49	लक्जरी तथा होटल	3	3	4	5	7	50.0	0.0	33.3	35.6	24.4
50	संगमरमर और ग्रेनाइट	2	3	4	6	9	0.0	50.0	33.3	57.5	43.8
51	दियासलाई	0	0	1	1	0	-	-	-	-44.3	-27.6
52	मोल्डेड लगेज	3	2	3	4	6	0.0	-33.3	50.0	45.3	41.3
53	टैगरहित	0	0	0	0	0	-	-	-	-	30.3

54	किसी सामान के टैग से रहित	5	49	10	0	1	-50.0	880.0	-79.6	-97.1	137.1
55	अन्य 12.5% की दर से	11	14	16	18	27	0.0	27.3	14.3	9.8	54.0
56	अन्य 4% की दर से	2	2	3	6	8	0.0	0.0	50.0	88.9	39.3
57	अन्य (कररहित)	4	6	4	6	9	0.0	50.0	-33.3	50.6	45.6
58	पेंट	17	20	24	34	46	21.4	17.6	20.0	41.0	37.0
59	पान मसाला	5	14	22	24	29	400.0	180.0	57.1	8.0	23.0
60	कागज	9	12	16	18	19	50.0	33.3	33.3	9.5	11.1
61	पेट्रॉलियम उत्पाद	1217	1452	1657	2008	2528	16.6	19.3	14.1	21.2	25.9
62	पेट्रॉल	0	0	0	0	0	-	-	-	-	41.0
63	प्लास्टिक के सामान	17	8	11	16	22	-46.9	-52.9	37.5	48.6	33.0
64	प्लाई बोर्ड	1	1	2	2	3	0.0	0.0	100.0	-3.2	78.8
65	प्लाईवुड	3	3	3	4	5	50.0	0.0	0.0	20.2	45.6
66	प्रसंस्कृत सब्जियां एवं आहार	0	1	1	1	2	-	-	0.0	-1.1	66.5
67	पेशा कर				0	22	-	-	-	-	138839.3
68	बालू				1	1	-	-	-	-	103.6
69	सैनिटरी फिटिंग और टाइल	7	9	17	20	24	40.0	28.6	88.9	18.1	19.4
70	सिलाई मशीन	0	0	0	0	0	-	-	-	-	14.3
71	चश्मा	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-11.5
72	खेल के सामान	0	0	1	1	1	-	-	-	10.7	-31.8
73	स्टेपल धागा	2	1	1	1	2	0.0	-50.0	0.0	21.8	38.6
74	लेखन सामग्री	3	4	4	4	6	50.0	33.3	0.0	2.8	39.2
75	स्टोन चिप्स और बलास्ट	2	2	4	4	9	0.0	0.0	100.0	-1.3	135.5
76	चाय-कॉफी	2	4	5	5	7	0.0	100.0	25.0	6.6	33.2
77	टेलिफान	106	155	150	111	105	152.4	46.2	-3.2	-25.7	-5.4
78	इमारती लकड़ी	3	3	3	4	4	0.0	0.0	0.0	20.5	19.5
79	तंबाकू	48	45	57	78	88	140.0	-6.3	26.7	36.9	12.6
80	औजार (टूल)	0	1	5	5	6	-	-	400.0	-4.2	26.8
81	ट्रैक्टर	20	31	53	55	79	17.6	55.0	71.0	3.6	43.4
82	ट्रांसपार्टर			0	0	0	-	-	-	-	2020.9
83	दोपहिया- तिपहिया	79	103	140	173	218	12.9	30.4	35.9	23.7	25.6
84	टायर-ट्यूब	39	48	57	64	84	30.0	23.1	18.8	13.1	30.0
85	अनिबंधित विक्रेता - अन्य	218	192	175	188	235	43.4	-11.9	-8.9	7.7	24.5
86	अनिबंधित विक्रेता -निर्माण संवेदक	79	179	323	392	413	46.3	126.6	80.4	21.3	5.4
87	बर्तन	1	1	2	2	3	0.0	0.0	100.0	13.0	18.1
88	घड़ियां	4	4	5	7	9	0.0	0.0	25.0	37.0	30.4
89	निर्माण संविदा तथा टीडीएस	99	130	150	200	324	102.0	31.3	15.4	33.5	62.0
योग		**3633**	**4467**	**5534**	**6645**	**8446**	**23.7**	**23.0**	**23.9**	**20.1**	**27.1**

टिप्पणी : वित्तीय लेखों में इस शीर्ष के तहत लिखित राशि 2009-10 के लिए 3,839 करोड़ रु., 2010-11 के लिए 4,557 करोड़ रु. और 2011-12 के लिए 7,476 करोड़ रु. थी। अंतरों का समाधान-संशोधन नहीं किया गया है।

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग

निबंधन विभाग और उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग उत्पाद शुल्क के साथ-साथ स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क के संग्रहण के लिए भी जवाबदेह है। राजस्व संग्रहण के मामले में वाणिज्य कर विभाग के बाद इसी का स्थान

है। तालिका 7.34 में राज्य उत्पाद शुल्क से गत 5 वर्षो का संग्रह दर्शाया गया है। राज्य उत्पाद शुल्क की 97 प्रतिशत से अधिक राशि देशी शराब और भारत निर्मित विदेशी शराब से आती है।

तालिका 7.34 : राज्य उत्पाद शुल्क का संग्रहण

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
देशी शराब	233	407	467	610	624
भारत निर्मित विदेशी शराब	241	267	479	627	1294
व्यावसायिक विकृत स्पिरिट	3	0	0	0	0
औषधि तथा सौंदर्य सामग्रियां	0	1	1	1	1
छोआ	4	2	1	2	
आमिश्रण (कंपाउंडिंग)	6	2	2	3	6
बिहार राज्य मद्य निगम	37	71	125	300	—
अन्य	11	-	24	0	56
योग	536	749	1099	1542	1981

टिप्पणी : भारत निर्मित विदेशी शराब के 2011-12 के आंकड़ों में बिहार राज्य पेय निगम के अंतर्गत संग्रहण भी शामिल है।

तालिका 7.35 में 2007-08 से अक्तूबर 2012 तक स्टांप तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त राजस्व दर्शाया गया है। इन वर्षों के रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि स्टांप शुल्क के संग्रहण में लगातार वृद्धि हुई है। यह 24 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2007-08 के 522 करोड़ रु. से 2011-12 में 1,225 करोड़ रु. हो गया। निबंधन शुल्क से प्राप्ति भी तेजी से बढ़ी है - 22 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2007-08 के 174 करोड़ रु. से 2011-12 में 385 करोड़ रु.। अक्तूबर 2012 तक गत वर्ष के मुकाबले इन दोनों करों का आधा से अधिक भाग संग्रहित किया जा चुका था।

तालिका 7.35 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर 12 तक)
मुद्रित नॉन-जूडिशियल स्टांपों से	177	333	457	334	1030	514
बैंक चालान द्वारा जमा नॉन-जूडिशियल स्टांप शुल्क से	309	200	309	571	123	199
ऍडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप	11	22	-	15	34	18
स्पेशल ऍडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप - फ्रैंकिंग मशीन द्वारा	1	1	13	2	1	2
राजस्व स्टांप	2	2	4	2	4	2
न्यायिक (जूडीशियल) स्टांप	22	24	24	32	32	17
उप योग	**522**	**582**	**807**	**957**	**1225**	**751**
अभिलेख निबंधन शुल्क	150	170	195	265	356	197
भूस्वामी निबंधन शुल्क	13	12	15	18	21	13
भूस्वामी प्रक्रियागत (प्रोसेसिंग) शुल्क	7	3	13	3	3	2
अभिलेखों तथा अभारित चीजों की खोज हेतु प्राप्त शुल्क	2	2	2	2	2	1
अभिप्रमाणित प्रतियों के लिए प्राप्त शुल्क	2	1	2	2	2	1
उप योग	**174**	**188**	**226**	**289**	**385**	**214**
योग	**696**	**770**	**1033**	**1246**	**1610**	**965**

तालिका 7.36 में 2012-13 के लिए (अक्तूबर 2012 तक) स्टांप एवं निबंधन शुल्कों से हुआ जिलावार राजस्व संग्रहण दर्शाया गया है। आशानुरूप, पटना जिला इस स्रोत में सर्वाधिक (कुल राजस्व का लगभग 20 प्रतिशत) योगदान करता है - अपने तत्काल बाद वाले जिले मुजफ्फरपुर से तीनगुना से भी अधिक। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के विवरण तालिका प 7.3 (परिशिष्ट) में दर्शाए गए हैं।

तालिका 7.36 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व, 2011-12 (अक्तूबर 2012 तक)

(करोड़ रु.)

जिला	दस्तावेजों की सं.	निबंधन शुल्क	स्टांप शुल्क	कुल प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति लक्ष्य के % में	प्रति अभिलेख प्राप्ति (रु.)
पटना	43513	49	172	221	178	123.6	50679
नालंदा	19381	7	21	28	24	115.5	14220
भोजपुर	15502	7	19	26	21	124.6	16746
बक्सर	8248	4	12	17	15	110.3	20065
रोहतास	15211	7	20	27	25	109.0	17934
कैमूर	8651	3	9	12	11	106.5	13733
गया	22798	9	29	38	44	86.3	16646
जहानाबाद	5999	2	7	9	8	108.8	14702
अरवल	3623	1	3	4	4	106.9	11924
नवादा	11354	3	9	12	12	103.6	10683
औरंगाबाद	13890	6	16	22	20	110.4	15947
सारण	21953	8	22	30	25	119.6	13784
सीवान	21217	8	23	31	31	101.6	14682
गोपालगंज	17959	6	18	24	24	101.3	13575
पश्चिम चंपारण	41331	14	39	52	41	126.8	12613
पूर्व चंपारण	28930	8	22	30	31	96.0	10200
मुजफ्फरपुर	33546	16	46	62	55	112.8	18622
सीतामढ़ी	26450	9	26	35	24	144.9	13342
शिवहर	4823	1	4	6	5	118.8	11673
वैशाली	19739	9	27	36	32	110.8	18238
दरभंगा	23004	10	27	37	27	139.4	16188
मधुबनी	27930	9	23	32	30	107.6	11393
समस्तीपुर	28820	9	30	38	40	95.3	13314
बेगूसराय	17390	9	25	34	30	113.1	19620
मुंगेर	5388	2	7	10	9	115.1	18151
शेखपुरा	5265	1	4	5	5	94.1	9364
लखीसराय	6379	2	7	9	8	118.6	14172
जमुई	8994	3	7	10	9	115.3	11163
खगड़िया	10741	4	11	15	13	111.9	13993
भागलपुर	17651	9	26	35	37	94.9	19931
बांका	8860	3	9	12	13	97.3	14007
सहरसा	12872	5	14	18	13	145.2	14100
सुपौल	15704	4	11	15	11	129.5	9418
मधेपुरा	13855	4	11	15	13	114.2	10870
पूर्णिया	25897	9	25	34	28	120.2	13083
किशनगंज	14049	3	10	14	11	119.1	9695
अररिया	20145	6	15	21	15	139.6	10300
कटिहार	26312	7	20	27	22	120.3	10261
योग	**673374**	**276**	**828**	**1103**	**965**	**114.3**	**16382**

स्रोत : निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, बिहार सरकार

7.9 व्यय प्रबंधन

राज्य सरकार के व्ययों को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है - सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं तथा आर्थिक सेवाएं। इसे सरकारी व्यय का कामकाजी वर्गीकरण कहा जाता है। इन सेवाओं पर राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय के अलावा व्यय के अन्य क्षेत्र पूंजी लेखे पर ऋणों एवं अग्रिमों की अदायगी, तथा स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थाआं और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को अनुदान हैं। राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यमों, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ अपने कर्मचारियों को भी विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण देती है। गौरतलब है कि ऋणों के मूलधन की अदायगी पूंजी लेखे से होती है, वहीं ब्याज भुगतान सामान्य सेवाओं के तहत व्यय के राजस्व लेखे से होता है।

तालिका 7.37 में राज्य सरकार का 2007-08 से 2012-13 (बजट अनुमान) तक का विभिन्न शीर्षों के तहत होने वाला व्यय प्रस्तुत किया गया है। तालिका 7.38 और 7.39 मं इस अवधि में राज्य सरकार की व्यय संरचना प्रस्तुत की गई है। तालिका 7.40 में विभिन्न व्यय मदों की वार्षिक वृद्धि दरें वर्णित हैं। इन चारो तालिकाओं से हमें राज्य सरकार के व्यय पैटर्न के बारे में पर्याप्त समझ हासिल हो जाती है।

तालिका 7.37 : संचित निधि से व्यय

(करोड़ रु.)

व्यय शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
सामान्य सेवाएं	9252	10530	12202	15287	17730	22193
सामाजिक सेवाएं	9868	12252	13186	15089	18729	25633
आर्थिक सेवाएं	4438	5726	7088	7836	10038	13130
सहायता अनुदान	5	4	107	3	3	4
पूंजीगत परिव्यय	6104	6436	7332	9196	8852	13412
लोक ऋणों की अदायगी	1632	1682	1983	2190	2922	3054
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	273	551	897	1103	1906	1261
कुल संचित निधि	**31571**	**37181**	**42795**	**50705**	**60180**	**78687**

वर्ष 2005-06 और 2007-08 के बीच राज्य के व्यय पैटर्न में उल्लेखनीय ढांचागत परिवर्तन हुए थे। वर्ष 2007-08 में कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 2005-06 के 9 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया था जो उसके बाद से लगभग अपरिवर्तित रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था के भावी विकास के लिए यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास था।

राज्य सरकार के प्रशासनिक अर्थात गैर-विकासमूलक प्रकृति के सामान्य सेवाओं पर व्यय में भी गौरतलब बदलाव आया है। वर्ष 2005-06 में राज्य के कुल व्यय में इसका 39 प्रतिशत हिस्सा था जो 2007-08 में घटकर 30 प्रतिशत से भी नीचे आ गया था। अभी (2012-13 में) भी इस पर 30 प्रतिशत से कम खर्च होता दिखता है। कुल राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 31 प्रतिशत हो गया और आर्थिक सेवाओं का 17 प्रतिशत। वर्ष 2011-12 में कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा एक वर्ष पूर्व के 18 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह गया। कुल व्यय में लोक ऋण की अदायगी का हिस्सा 5 प्रतिशत हो गया जबकि शेष 3 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का था। वर्ष 2011-12 में 3 प्रतिशत गिरावट को छोड़ दें, तो 2007-08 से 2012-13 तक पूंजीगत व्यय में स्थिर वृद्धि इस अवधि में 17 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से 7,300 करोड़ रु. से भी अधिक की वृद्धि में बदल गई है। पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि ने

राज्य की गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था को देश के सभी प्रमुख राज्यों के बीच सबसे तेज विकास वाले राज्यों में ला खड़ा किया है। तालिका 7.38 में यह परिवर्तन साफ झलकता है।

तालिका 7.38 : सरकारी व्यय की संरचना

(प्रतिशत)

व्यय शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
सामान्य सेवाएं (राजस्व व्यय)	29.31	28.32	28.51	30.15	29.46	28.20
सामाजिक सेवाएं (राजस्व व्यय)	31.26	32.95	30.81	29.76	31.12	32.58
आर्थिक सेवाएं (राजस्व व्यय)	14.06	15.40	16.56	15.45	16.68	16.69
पूंजीगत परिव्यय	19.33	17.31	17.13	18.14	14.71	17.05
लोक ऋणों की अदायगी	5.17	4.52	4.63	4.32	4.86	3.88
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	0.86	1.48	2.10	2.17	3.17	1.60
योग	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

चार्ट 7.17

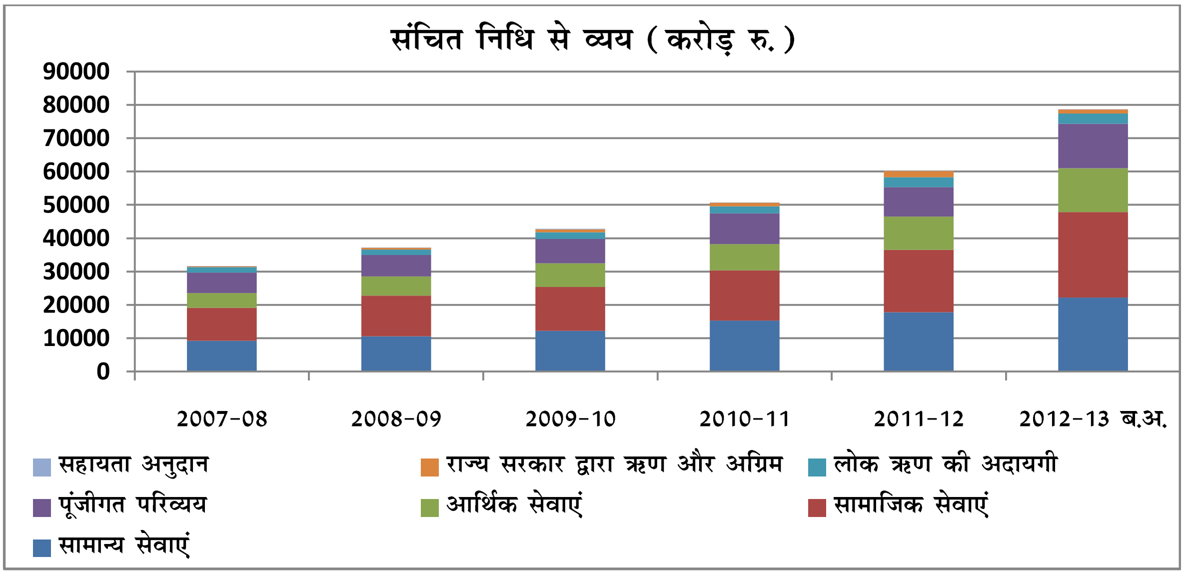

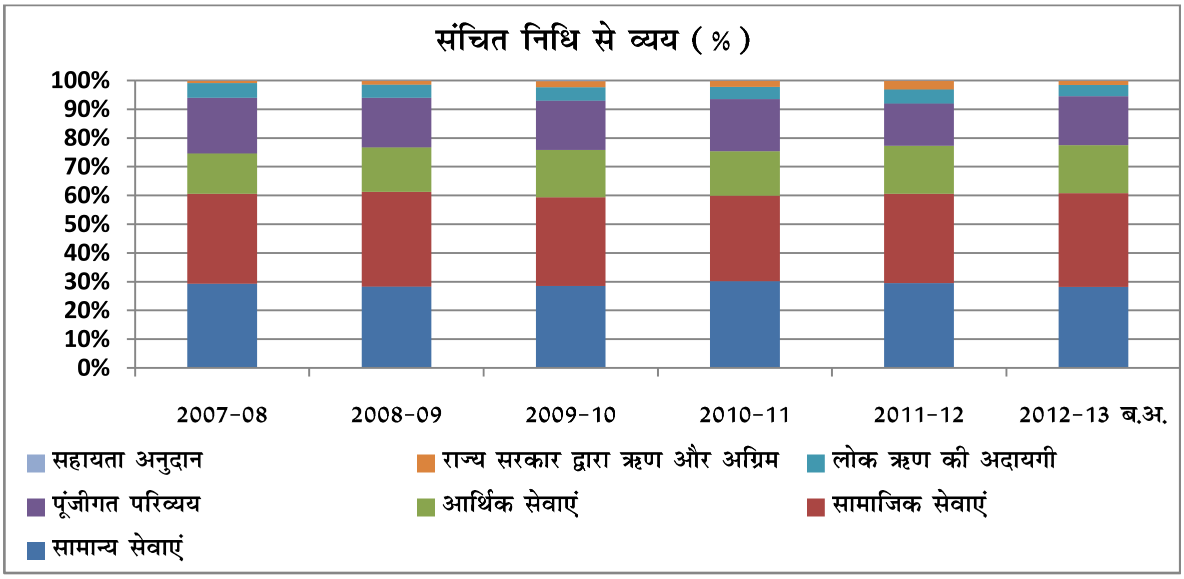

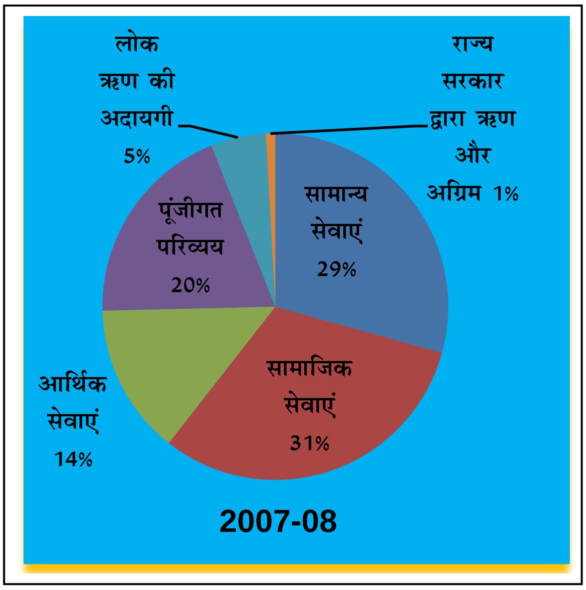

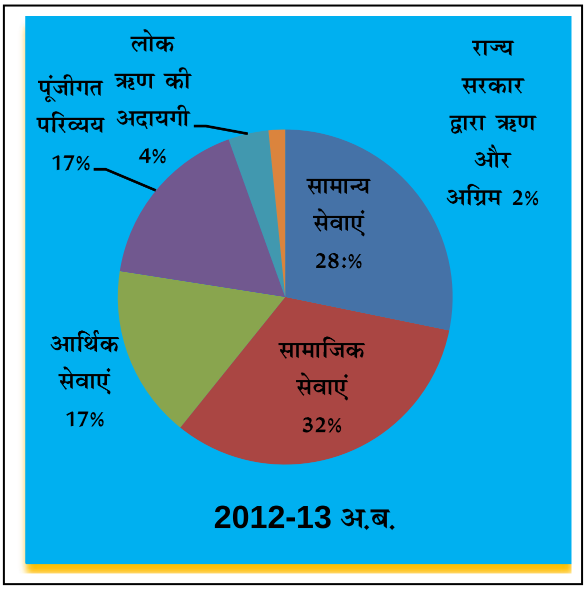

तालिका 7.39 में देखा जा सकता है कि अब व्यय में बड़ा हिस्सा राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का है जो सामाजिक क्षेत्रों में, खास कर शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करता है। वर्ष 2011-12 में कुल व्यय में 77 प्रतिशत हिस्सा राजस्व लेखे का था और 23 प्रतिशत पूंजीगत लेखे का; कुल व्यय का लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा विकासमूलक प्रकृति का था और 37 प्रतिशत गैर-विकासमूलक प्रकृति का। विगत छः वर्षों के दौरान उनके सापेक्ष अनुपातों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

तालिका 7.39 : कुल व्यय की संरचना (प्रतिशत)

व्यय शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
राजस्व लेखा	**74.63**	**76.68**	**76.14**	**75.37**	**77.27**	**77.47**
गैर-विकासमूलक राजस्व व्यय	29.31	28.32	28.51	30.15	29.46	28.20
विकासमूलक राजस्व व्यय	45.31	48.35	47.38	45.21	47.80	49.26
सामाजिक सेवाएं	31.26	32.95	30.81	29.76	31.12	32.58
आर्थिक सेवाएं	14.06	15.40	16.56	15.45	16.68	16.69
पूंजीगत लेखा	**25.37**	**23.32**	**23.86**	**24.63**	**22.73**	**22.53**
गैर-विकासमूलक पूंजीगत व्यय	6.03	6.01	6.73	6.49	8.02	5.48
लोक ऋण की अदायगी	5.17	4.52	4.63	4.32	4.86	3.88
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	0.86	1.48	2.10	2.17	3.17	1.60
विकासमूलक पूंजीगत व्यय	19.33	17.31	17.13	18.14	14.71	17.05
पूंजीगत परिव्यय	19.33	17.31	17.13	18.14	14.71	17.05
कुल गैर-विकासमूलक व्यय	35.35	34.34	35.49	36.65	37.49	33.69
कुल विकासमूलक व्यय	64.65	65.66	64.51	63.35	62.51	66.31
कुल व्यय	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

पहले भी देखा गया है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान राजस्व लेखे में लगातार प्रचुर अधिशेष कायम रख पाने के कारण राज्य सरकार अपनी ऋण समस्या का अच्छी तरह प्रबंधन करने में सक्षम हो गई है। अपने वित्तीय

प्रशासन में काफी अनुशासन लाते हुए यह बारहवें वित्त आयोग को कार्यावधि (2005-10) में केंद्र सरकार से अच्छा-खासा ऋण राहत पाने में सफल हो गई। अब कुल व्यय में ऋण सेवा का हिस्सा 5 प्रतिशत के आसपास रहता है। गुणवत्तापूर्ण अधिसंरचना निर्माण हेतु लक्षित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने के लिहाज से राज्य सरकार अब बेहतर स्थिति मं है जो अपने बूते राज्य में आर्थिक विकास की गति तेज कर सकती है। तालिका 7.40 में यह भी दिखता है कि पूंजीगत परिव्यय की वृद्धि दर 2007-08 से 2012-13 के बीच 17 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही है। सामाजिक सेवा पर व्यय उससे भी अधिक - 21 प्रतिशत और आर्थिक सेवा पर व्यय 24 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर राज्य सरकार का कुल व्यय 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

तालिका 7.40 : व्यय की वृद्धि दरें

व्यय शीर्ष	वार्षिक वृद्धि दरें						वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2007-13)
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)	
सामान्य सेवाएं	7.00	13.81	15.88	25.29	15.98	25.17	19.12
सामाजिक सेवाएं	25.00	24.16	7.63	14.43	24.12	36.86	21.04
आर्थिक सेवाएं	10.00	29.03	23.78	10.56	28.09	30.80	24.23
सहायता अनुदान	25.00	-20.80	2613.64	-96.98	-2.44	30.04	-4.36
पूंजीगत लेखा, जिसमें	22.00	8.26	17.79	22.30	9.54	29.58	17.05
पूंजीगत परिव्यय	17.00	5.45	13.92	25.42	-3.74	51.52	13.35
लोक ऋणों की अदायगी	59.00	3.09	17.88	10.44	33.44	4.52	35.80
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	-14.00	102.07	62.74	22.95	72.87	-33.86	20.04
कुल संचित निधि	**16.00**	**17.77**	**15.10**	**18.48**	**18.69**	**30.75**	19.12

सामान्य सेवाओं में भी कुछ शीर्ष ऐसे हैं जिनके व्यय को बहुत नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये मद अधिकांशतः भारित व्यय (चार्ज्ड एक्सपेंडिचर) वाले हैं, जैसे पेंशन तथा ब्याज भुगतान तथा न्यायिक सेवा, कारा, पुलिस आदि से संबंधित व्यय जिन्हें बहुत जोखिम उठाकर ही राज्य सरकार कम कर सकती है। इन सभी मदों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार के कुल व्यय में प्रशासनिक सेवाओं का हिस्सा घटता गया है लेकिन रकम के रूप में देखें तो यह व्यय 2007-08 के 9,252 करोड़ रु. से 19 प्रतिशत की वार्षिक दर से लगातार बढ़ते हुए 2012-13 (बजट अनुमान) में 22,193 करोड़ रु. हो गया है। यह वृद्धि पुलिस और जिला प्रशासन, न्यायपालिका और विधानमंडल, राज्य सरकार के कर संबंधी विभागों तथा लोक निर्माण पर बढ़े व्यय के कारण हुई है। वर्ष 2011-12 में सामान्य सेवाओं पर व्यय 16 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान के अनुसार सामान्य सेवाओं के तहत प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय में खास तौर पर 1,000 करोड़ रु. से ज्यादा की वृद्धि अनुमानित है और ब्याज भुगतान में लगभग 900 करोड़ रु. की। वर्ष 2011-12 में गत वर्ष की अपेक्षा पूंजीगत परिव्यय 4 प्रतिशत घट गया, वहीं सामाजिक सेवाओं पर व्यय 24 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 28 प्रतिशत बढ़ गया जो गत वर्ष की वृद्धि दरां, क्रमशः 14 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की अपेक्षा काफी अधिक है। इन वृद्धियों की आवश्यकता भौतिक तथा सामाजिक अधिसंरचना के निर्माण और उन्नयन की मांग के कारण ही नहीं, विभिन्न विभागों के आधुनिकीकरण द्वारा उनकी प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत के कारण भी पड़ी।

सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा सामाजिक कल्याण एवं पोषण पर राजस्व व्यय विगत वर्षों में लगातार बढ़ा है। आर्थिक सेवाओं में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, बिजली, सड़क और पुल तथा उद्योग पर व्यय में गत वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

7.10 राजस्व व्यय

तालिका 7.41 में राज्य सरकार के राजस्व व्यय का विवरण दर्ज है। राजस्व व्यय गतिविधियों का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए किया जाता है, मौजूद अधिसंरचना में नया कुछ जोड़ने के लिए नहीं। कुल राजस्व व्यय में बड़ा हिस्सा गैर-योजना घटक का होता है। वर्ष 2011-12 में कुल राजस्व व्यय में इसका हिस्सा 57 प्रतिशत था। लेकिन यह हिस्सा 2007-08 के उच्च स्तर - 59 प्रतिशत से थोड़ा घटा। वर्ष 2010-11 तक योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर गैर-योजना राजस्व व्यय को वृद्धि दर के मुकाबले काफी अधिक रही। हालांकि वर्ष 2011-12 में गैर-योजना राजस्व व्यय लगभग 25 प्रतिशत बढ़ा जो योजनागत राजस्व व्यय की 15 प्रतिशत वृद्धि दर से काफी अधिक है। वर्ष 2011-12 में कुल राजस्व व्यय और गैर-योजना राजस्व व्यय बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 24 प्रतिशत और 13 प्रतिशत थे। उत्फुल्लता अनुपातों से यह देखा जा सकता है कि 2007-08 से 2011-12 तक राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले धीमी गति से बढ़ता रहा है। हालांकि 2012-13 के बजट अनुमान में सामाजिक और सामान्य सेवाओं पर अपेक्षाकृत काफी अधिक व्यय के कारण राजस्व व्यय का अधिक तेज दर से बढ़ना अनुमानित है। इस वर्ष सामान्य सेवाओं पर 4,500 करोड़ रु., सामाजिक सेवाओं पर 6,900 करोड़ रु. और आर्थिक सेवाओं पर 3,100 करोड़ रु. व्यय बढ़ने का अनुमान है।

तालिका 7.41 : राजस्व व्यय का विवरण

(करोड़ रु.)

व्यय शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
राजस्व व्यय (आरई)	23563	28512	32584	38216	46500	60959
पूंजीगत व्यय (सीई)	8008	8670	10212	12489	13681	17728
कुल व्यय (टीई)	**31571**	**37181**	**42795**	**50705**	**60180**	**78687**
गैर-योजना व्यय	**20625**	**23367**	**26601**	**29794**	**37172**	**45323**
राजस्व लेखा (एनपीआरई)	18721	21231	24145	27316	34013	42079
पूंजीगत लेखा	1905	2135	2456	2478	3159	3244
योजना व्यय	**10946**	**13815**	**16194**	**20911**	**23008**	**33364**
राजस्व लेखा (पीआरई)	4804	7280	8439	10900	12487	18880
पूंजीगत लेखा	6142	6534	7755	10011	10521	14484
एनपीआरई की वृद्धि दर (%)	14.00	13.41	13.73	13.13	24.51	23.72
पीआरई की वृद्धि दर (%)	18.00	51.55	15.92	29.16	14.56	51.20
आरई/ टीई (%)	74.63	76.68	76.14	75.37	77.27	77.47
एनपीआरई/ टीई (%)	59.30	57.10	56.42	53.87	56.52	53.48
टीई/ जीएसडीपी (%)	**27.77**	**26.13**	**26.13**	**25.12**	**23.82**	**26.23**
एनपीआरई/ जीएसडीपी (%)	**16.47**	**14.92**	**14.74**	**13.53**	**13.46**	**14.03**
राजस्व प्राप्तियां (आरआर)/ टीई (%)	89.35	88.70	83.02	87.83	85.28	86.48
एनपीआरई/ आरआर (%)	66.36	64.38	67.96	61.34	66.28	61.84
जीएसडीपी के मुकाबले आरई की उत्फुल्लता	0.97	0.83	0.94	0.74	0.86	1.66
आरआर के मुकाबले आरई की उत्फुल्लता	0.65	1.24	1.85	0.68	1.42	0.95

7.11 वेतन और पेंशन पर व्यय

वेतन और पेंशन सभी सरकारों के लिए व्यय के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद होते हैं। योजना और गैर-योजना, दोनों शीर्षों के तहत वेतनों पर व्यय तथा पेंशन व्यय के रुझान तालिका 7.42 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार के राजस्व व्यय में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का अकेले ही 26 प्रतिशत हिस्सा था। एक वर्ष पूर्व इसका हिस्सा 28 प्रतिशत था और 2012-13 में घटकर इसके 24 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। इस हिस्से में वेतन व्यय के हिस्से में विगत पांच वर्षों के दौरान अधिक बदलाव नहीं आया है। अपवाद सिर्फ 2009-10 था जब वेतन आयोग संबंधी बकायों के कारण यह बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया था। वर्ष 2011-12 में वेतन व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत के बराबर था जो 2007-08 से 2011-12 के बीच पांच वर्षों के दौरान लगभग स्थिर रहा है। यह भी इस कारण था कि इस अवधि में छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुरूप राज्य वेतन समति की अनुंशसाओं के अनुपालन के कारण वेतन के स्तरों में वृद्धि के साथ-साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भी असाधारण वृद्धि हुई। इसी प्रकार, 2011-12 में पेंशन का राजस्व व्यय में 17 प्रतिशत हिस्सा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के बराबर है। छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं अनुपालन के कारण वर्ष 2007-08 से 2011-12 के बीच वेतन के मद में 5,700 करोड़ रु. और पेंशन के मद में 5,000 करोड़ रु. के आसपास व्यय बढ़ा। यह अप्रील 2007 से प्रभावी हुआ और बकाया राशि का भुगतान आंशिक रूप से 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में किया गया। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में वेतन एवं पेंशन व्यय में लगभग 5,000 करोड़ रु. की वृद्धि अनुमानित है। लेकिन वेतन व्यय अभी भी बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजस्व व्यय के 35 प्रतिशत की मानक सीमा से काफी नीचे हैं। पेंशन भुगतान 29 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2007-08 के 2,789 करोड़ रु. से बढ़कर 2011-12 में 7,808 करोड़ रु. हो गया। वहीं वेतन व्यय इस अवधि में 17 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। पेंशन और वेतन व्यय मिलकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के बराबर और राज्य सरकार के राजस्व व्यय के 43 प्रतिशत के बराबर हो जाते हैं।

तालिका 7.42 : वेतन और पेंशन व्यय

(करोड़ रु.)

शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
वेतन व्यय	**6470**	**7601**	**9659**	**10550**	**12194**	**14909**
गैर-योजना शीर्ष	5915	6964	9001	9953	11495	14101
योजना शीर्ष	555	637	657	596	699	809
वेतन जीएसडीपी के प्रतिशत के बतौर	5.69	5.34	5.90	5.23	4.83	4.97
वेतन राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के बतौर	22.93	23.05	27.19	23.69	23.76	21.91
वेतन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	27.46	26.66	29.64	27.61	26.22	24.46
पेंशन व्यय	**2789**	**3479**	**4319**	**6144**	**7808**	**10043**
वृद्धि दर	12.00	24.74	24.13	42.26	27.09	28.62
पेंशन जीएसडीपी के प्रतिशत के बतौर	2.45	2.45	2.64	3.04	3.09	3.35
पेंशन राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के बतौर	9.89	10.55	12.16	13.80	15.22	14.76
पेंशन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	11.84	12.20	13.25	16.08	16.79	16.47
वेतन और पेंशन पर कुल व्यय	**9258**	**11080**	**13977**	**16693**	**20002**	**24952**
कुल व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के बतौर	8.14	7.79	8.53	8.27	7.92	8.32
कुल व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के बतौर	32.82	33.60	39.34	37.49	38.98	36.67
कुल व्यय राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	39.29	38.86	42.90	43.68	43.02	40.93

चार्ट 7.18

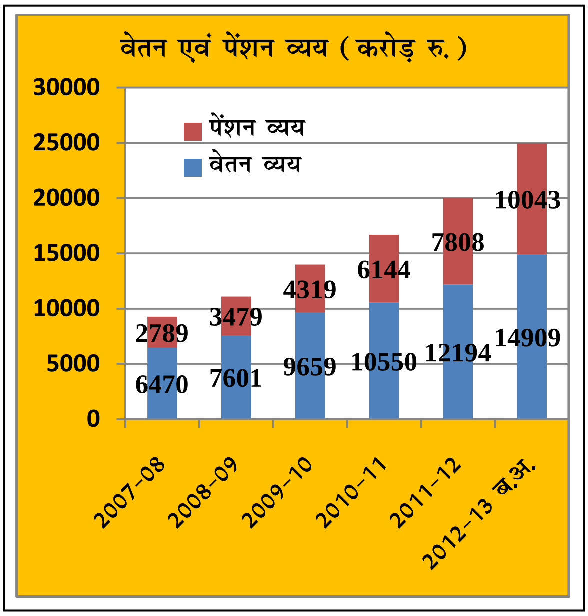

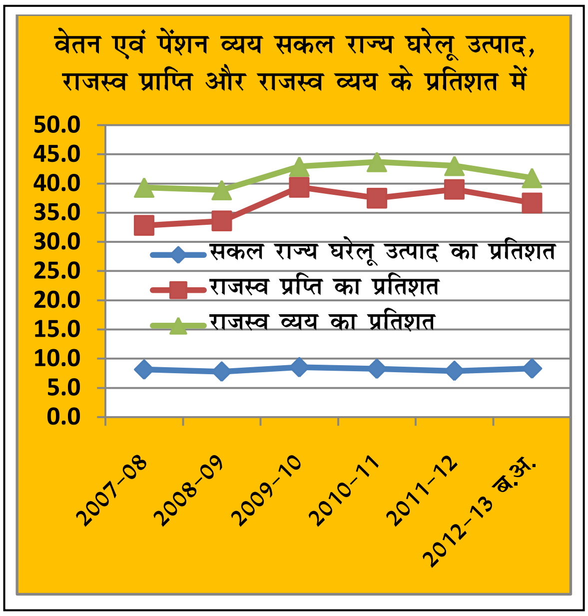

7.12 व्यय की गुणवत्ता

व्यय की गुणवत्ता का निर्णय सामाजिक और भौतिक अधिसंरचना के विकास हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए समर्पित व्यय के अनुपात, सामान्य सेवाओं के गैर-विकास व्यय की तुलना में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकासगत व्यय की मात्रा, तथा गैर-योजना व्यय के मुकाबले योजना व्यय के अनुपात से किया जाता है। इस लिहाज से व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण पैरामीटर निम्नलिखित हैं : (1) कुल व्यय के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (2) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (3) राजस्व व्यय का सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर हो रहे खर्च का अनुपात और इन सेवाओं में किए जा रहे गैर-वेतन व्यय का अनुपात तथा (4) गैर-योजना व्यय के साथ योजना व्यय का अनुपात। ये अनुपात जितने ऊंचे होंगे, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होगी। तालिका 7.43 में 2007-08 से 2012-13 तक के 6 वर्षों के दौरान इन अनुपातों को दर्शाया गया है।

इन सारे पैरामीटर के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि हाल के वर्षों में बिहार में व्यय की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। इस अवधि में विकासमूलक राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक 69 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया है, वहीं कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा 35 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हा गया है। गैर-योजना व्यय के साथ योजना व्यय का अनुपात भी व्यवस्थित रूप से बढ़कर महज 53 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये सारे अनुपात बताते हैं कि बिहार में सार्वजनिक वित्तव्यवस्था सही दिशा में जा रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर और राज्य के अन्य सामाजिक-आर्थिक पैरामीटरों में सुधार के रूप में इसके परिणाम भी निस्संदेह दिखने लगे हैं।

तालिका 7.43 : व्यय की गुणवत्ता के पैरामीटर

व्यय शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	6104	6436	7332	9196	8852	13412
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	23563	28512	32584	38216	46500	60959
जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं, जिसका	14306	17978	20274	22926	28767	38762
(i) वेतन घटक (करोड़ रु.)	4378	5194	6920	7027	8171	9941
वेतन घटक का प्रतिशत (%)	30.6	28.9	34.1	30.7	28.4	25.6
(ii) गैर-वेतन घटक (करोड़ रु.)	9928	12784	13354	15899	20596	28821
गैर-वेतन घटक का प्रतिशत (%)	69.4	71.1	65.9	69.3	71.6	74.4
पूंजीगत परिव्यय/ कुल व्यय (%)	19.3	17.3	17.1	18.1	14.7	17.0
राजस्व व्यय/ कुल व्यय (%)	74.6	76.7	76.1	75.4	77.3	77.5
राजस्व व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	20.7	20.0	19.9	18.9	18.4	20.3
पूंजीगत परिव्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	5.4	4.5	4.5	4.6	3.5	4.5
योजना व्यय/ गैर-योजना व्यय (%)	53.1	59.1	60.9	70.2	61.9	73.6
योजना व्यय/ कुल व्यय (%)	34.7	37.2	37.8	41.2	38.2	42.4

7.13 क्षेत्रगत व्यय

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि की बेहतर उपलब्धता आज आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण के बीच संपर्क स्थापित करने के लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अतएव सामाजिक सेवाओं पर व्यय की प्राथमिकता जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार के निर्णय में अनिवार्य हो जाती है। तालिका 7.44 में 2007-08 से 2012-13 तक की अवधि में सामाजिक सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रभाविता की जांच की गई है।

सामाजिक क्षेत्र के विकास की राज्य सरकार की चिंता इस क्षेत्र हेतु बढ़े आबंटन से काफी हद तक अभिव्यक्त होती है जो 2007-08 के 10,667 करोड़ रु. से बढ़कर 2012-13 में 27,619 करोड़ रु. हो गया है। यह वृद्धि वर्तमान वित्तवर्ष (2012-13) में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी क्योंकि सामाजिक सेवाओं पर व्यय में 8,000 करोड़ रु. से भी अधिक की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2011-12 में सामाजिक सेवा क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यय में कमी के कारण कुल व्यय में इसका हिस्सा 2010-11 के 6.6 प्रतिशत से गिरकर 4 प्रतिशत रह गया। यह 2011-12 में सभी सेवाओं पर कुल पूंजीगत परिव्यय के 9 प्रतिशत के बराबर था जो एक वर्ष पूर्व 12 प्रतिशत था। राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक, अर्थात वस्तुत: पहले से निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव पर खर्च की जाने वाली रकम 2011-12 में 66 प्रतिशत थो जो गत वर्ष के बराबर है। सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 2007-08 के 799 करोड़ रु. से अधिक बढ़कर 2012-13 के बजट अनुमान में 1,986 करोड़ रु. हो गया। अधिकांश वृद्धि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यय बढ़ने के कारण हुई है। इस दौरान सामाजिक सेवाओं पर विकासमूलक राजस्व व्यय के गैर-वेतन घटक के मामले में भी शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (6,648 करोड़ रु.) तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (1,800 करोड़ रु) के क्षेत्र में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है। लेकिन जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास के मामले में

तालिका 7.44 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	5553	6882	7750	8244	10214	15377
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	5496	6706	7416	8101	10157	15088
(क) वेतन घटक (%)	45.0	43.0	48.0	45.0	43.5	35.9
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	55.0	57.0	52.0	55.0	56.5	64.1
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	57	177	334	144	56	289
पूंजीगत परिव्यय (%)	1.0	2.6	4.3	1.7	0.6	1.9
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	1387	1291	1517	1667	2125	3068
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	1141	1193	1388	1502	1804	2535
(क) वेतन घटक (%)	53.0	61.0	66.0	73.0	72.9	66.7
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	47.0	39.0	34.0	27.0	27.1	33.3
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	246	97	129	165	321	533
पूंजीगत परिव्यय (%)	17.7	7.5	8.5	9.9	15.1	17.4
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	1053	1600	1903	2327	2045	3077
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	713	1413	1438	1698	1713	2680
(क) वेतन घटक (%)	16.0	10.0	11.0	10.0	11.6	9.7
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	84.0	90.0	89.0	90.0	88.4	90.3
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	339	187	465	630	332	397
पूंजीगत परिव्यय (%)	32.2	11.7	24.4	27.1	16.2	12.9
योग (सामाजिक सेवाएं)						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	10667	12892	14309	16161	19536	27619
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	9868	12252	13186	15089	18729	25633
(क) वेतन घटक (%)	35.0	32.0	38.0	34.0	33.6	30.1
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	65.0	68.0	62.0	66.0	66.4	69.9
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	799	640	1123	1072	807	1986
पूंजीगत परिव्यय (%)	7.5	5.0	7.8	6.6	4.1	7.2

राजस्व व्यय का वेतन घटक वस्तुतः बहुत कम रहा है - 2007-08 के 16 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में मात्र 9.7 प्रतिशत। लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मामले में वेतन घटक कुल राजस्व व्यय का दो-तिहाई रहा है। वर्ष 2007-08 से 2012-13 (बजट अनुमान) के बीच 6 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर कुल राजस्व व्यय में 17,000 करोड़ की असाधारण वृद्धि हुई है।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 7.45 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय का विश्लेषण दर्शाया गया है। आर्थिक सेवाओं पर व्यय अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादक क्षमता के निर्माण के लिए किया जाता है। कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण, ऊर्जा एवं विद्युत, उद्योग एवं खनिज तथा परिवहन का आर्थिक सेवाओं पर होने वाले राजस्व और पूंजीगत, दोनों लेखों के संयुक्त व्यय में 73 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा है (2011-12)।

वर्ष 2011-12 में आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय का लगभग 42 प्रतिशत भाग पूंजीगत खाते में किया गया। आर्थिक सेवाओं पर कुल पूंजीगत परिव्यय में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा परिवहन का संयुक्त हिस्सा 81 प्रतिशत से भी अधिक है। इस पूरी अवधि में आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक सामाजिक

सेवाओं की तरह ही ऊंचा बना रहा और 2011-12 में 81 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में और भी बढ़कर इसका 83 प्रतिशत होना अनुमानित है। वेतन घटक सिर्फ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के मामले में ऊंचा था; 2012-13 के बजट अनुमान में कुल व्यय का 60 प्रतिशत हिस्सा इसी मद में था।

तालिका 7.45 : आर्थिक सेवाओं पर व्यय

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	759	1284	1505	2035	2032	2770
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	737	1273	1504	2018	1914	2625
(क) वेतन घटक (%)	31.0	21.0	26.0	20.0	23.8	18.9
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	69.0	80.0	74.0	80.0	76.2	81.1
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	22	11	1	17	117	145
पूंजीगत परिव्यय (%)	2.9	0.9	0.1	0.8	5.8	5.2
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	1450	1845	2246	2678	3275	3575
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	562	704	897	1311	1311	1146
(क) वेतन घटक (%)	63.0	58.0	69.0	53.0	47.2	59.8
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	37.0	42.0	31.0	47.0	52.8	40.2
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	888	1141	1349	1367	1964	2429
पूंजीगत परिव्यय (%)	61.2	61.8	60.0	51.0	60.0	67.9
विद्युत एवं ऊर्जा						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	841	1123	1244	2223	2270	3041
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	726	723	868	1216	2168	2182
(क) वेतन घटक (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	115	400	376	1007	102	859
पूंजीगत परिव्यय (%)	13.7	35.6	30.2	45.3	4.5	28.2
परिवहन						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	2707	2957	3748	4706	4852	4850
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	408	493	690	634	789	1017
(क) वेतन घटक (%)	29.0	28.0	23.0	26.0	23.3	24.9
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	71.0	72.0	77.0	74.0	76.7	75.1
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	2299	2463	3058	4072	4064	3833
पूंजीगत परिव्यय (%)	84.9	83.3	81.6	86.5	83.7	79.0
उद्योग एवं खनिज						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	398	503	534	335	429	768
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	233	226	265	326	363	688
(क) वेतन घटक (%)	14.0	13.0	17.0	34.0	11.2	8.5
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	86.0	87.0	83.0	66.0	88.8	91.5
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	165	277	269	9	66	80
पूंजीगत परिव्यय (%)	41.4	55.0	50.3	2.6	15.4	10.4
योग (आर्थिक सेवाएं)						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	9520	11316	13023	15564	17475	22561
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	4438	5726	7088	7836	10038	13130
(क) वेतन घटक (%)	22.0	22.0	25.0	20.0	18.7	17.0
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	78.0	79.0	75.0	80.0	81.3	83.0
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	5082	5590	5935	7728	7437	9432
पूंजीगत परिव्यय (%)	53.4	49.4	45.6	49.7	42.6	41.8

आर्थिक सेवाओं से संबंधित पूंजीगत परिव्यय में भी काफी वृद्धि हुई है और यह 2007-08 के 5,082 करोड़ रु. से 2012-13 के बजट अनुमान में 9,432 करोड़ रु. पहुंच गया है। आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय विगत कुछ वर्षों के दौरान व्यवस्थित ढंग से बढा है और 2011-12 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत परिव्यय 8,852 करोड़ रु. के 84 प्रतिशत से भी अधिक था। वर्ष 2011-12 में कुल पूंजीगत परिव्यय में सामाजिक सेवाओं का 9 प्रतिशत और सामान्य सेवाओं का 7 प्रतिशत हिस्सा था। आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में सबसे बड़ा हिस्सा परिवहन अर्थात सड़क एवं पुल (4,064 करोड़ रु.) का था और उसके बाद विभिन्न सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं (1,964 करोड़ रु.) का।

7.14 सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

तालिका 7.46 में 2007-08 से 2012-13 तक सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय दर्शाया गया है। प्रति व्यक्ति पूंजीगत परिव्यय में इन तमाम वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि होती रही है जो 2007-08 में मात्र 643 रु. था जबकि 2012-13 के बजट अनुमान में यह लगभग दूना – 1,261 रु. है। इस अवधि में सामाजिक सेवाआं के मामले में प्रति व्यक्ति व्यय की वृद्धि काफी अधिक थी (1,039 रु. से बढ़कर 2,409 रु.) और आर्थिक सेवाओं पर उससे भी अधिक - 467 रु. से बढ़कर 1,234 रु.।

तालिका 7.46 : सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (ब.अ.)
अनुमानित जनसंख्या (करोड़)	9.5	9.7	9.9	10.2	10.4	10.6
कुल व्यय (करोड़ रु.)						
शिक्षा, खेल आदि	5496	6706	7416	8101	10157	15088
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1141	1193	1388	1502	1804	2535
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	713	1413	1438	1698	1713	2680
सामाजिक सेवाएं	9868	12252	13186	15089	18729	25633
आर्थिक सेवाएं	4438	5726	7088	7836	10038	13130
पूंजीगत परिव्यय	6104	6436	7332	9196	8852	13412
सामान्य सेवाएं	9252	10530	12202	15287	17730	22193
प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)						
शिक्षा, खेल आदि	579	691	749	794	977	1418
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	120	123	140	147	173	238
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	75	146	145	166	165	252
सामाजिक सेवाएं	1039	1263	1332	1479	1801	2409
आर्थिक सेवाएं	467	590	716	768	965	1234
पूंजीगत परिव्यय	643	664	741	902	851	1261
सामान्य सेवाएं	974	1086	1233	1499	1705	2086

चार्ट 7.19

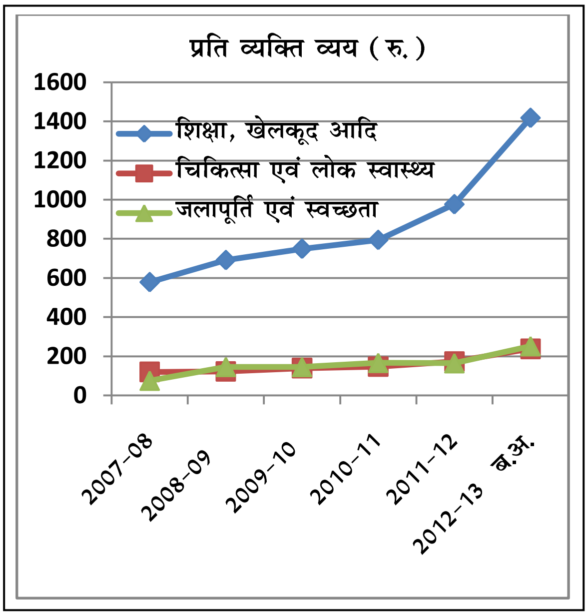

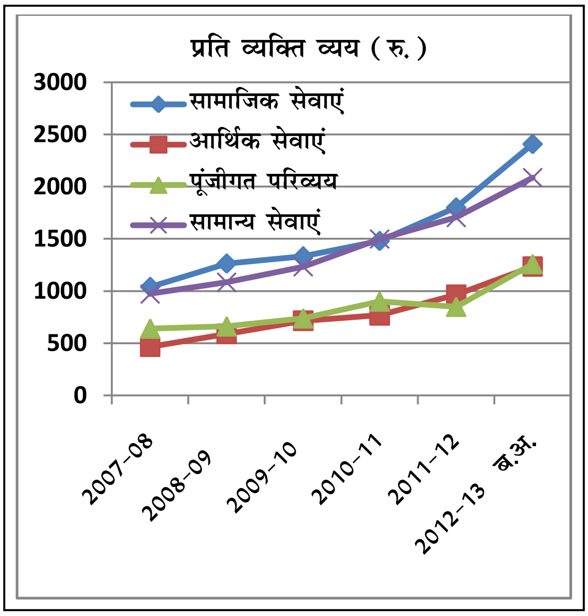

7.15 राज्य के बजटों की तुलना : 2011-12 और 2012-13

इस खंड में 2012-13 के बजट का विश्लेषण किया जाएगा और 2011-12 की वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय के साथ इसकी तुलना की जाएगी। वर्ष 2011-12 का बजट संतुलित बजट था। बहरहाल 2012-13 का बजट घाटे का है लेकिन साथ ही, यह महत्वाकांक्षी बजट भी है।

वर्ष 2012-13 के लिए बजट सारांश तालिका 7.47 में प्रस्तुत है। इसमें देखा जा सकता है कि गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्ति में लगभग 16,728 करोड़ रु. और राजस्व व्यय में लगभग 14,460 करोड़ रु. वृद्धि का अनुमान किया गया है। वर्ष 2012-13 में 7,089 करोड़ रु. का राजस्व अधिशेष अनुमानित है जो गत वर्ष के 4,820 करोड़ रु. से काफी अधिक है। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में पूंजीगत लेखे के तहत पूंजीगत परिव्यय में 2011-12 की अपेक्षा 4,559 करोड़ रु. वृद्धि का अनुमान किया गया है जबकि बाजार से ऋण और राष्टोय लघु बचत कोष से ऋण सहित लोक ऋण के साथ-साथ योजना प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार के अनुदानों स पूंजीगत प्राप्तियों में मात्र 2,686 करोड़ रु. की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2012-13 में ऋण अदायगी में गत वर्ष की अपेक्षा मात्र 132 करोड़ की वृद्धि और राज्य सरकार द्वारा ऋणप्रदान में 645 करोड़ रु. की कमी अनुमानित है। फलत: पूंजीगत व्यय में 2011-12 की तुलना में 4,047 करोड़ रु. की शुद्ध वृद्धि होगी जिससे पूंजीगत लेखे में 8,391 करोड़ रु. का घाटा होगा जो गत वर्ष 7,030 करोड़ रु. था। घाटा राजस्व लेखे में मौजूद 7,089 करोड़ रु. के अधिशेष से अधिक है जिस कारण बजट में 1,302 करोड़ रु. का घाटा रह जाता है। लोक लेखा में 89 करोड़ रु. का शुद्ध अधिशेष रहना अनुमानित है और सभी लेखों का शुद्ध परिणाम मात्र 1,214 करोड़ रु. का घाटा है। वर्ष 2011-12 के लेखे में 334 करोड़ रु. का शुद्ध अधिशेष मौजूद था जबकि अनुमानित अधिशेष 114 करोड़ रु. था।

तालिका 7.47 : बजट 2011-12 और 2012-13 का सारांश

(करोड़ रु.)

	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (ब.अ.)		2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (ब.अ.)
राजस्व लेखा			**पूंजी लेखा**		
प्राप्तियां			**प्राप्तियां**		
कर राजस्व	40547	48822	लोक ऋण	6628	9321
गैर-कर राजस्व	890	3142	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	23	15
अनुदान और अंशदान	9883	16084			
कुल राजस्व प्राप्तियां	**51320**	**68048**	**कुल पूंजीगत प्राप्तियां**	**6650**	**9336**
व्यय			**व्यय**		
सामान्य सेवाएं	17730	22193	पूंजीगत परिव्यय	8852	13412
सामाजिक सेवाएं	18729	25633	लोक ऋण	2922	3054
आर्थिक सेवाएं	10038	13130	ऋण तथा अग्रिम	1906	1261
अनुदान एवं अंशदान	3	4			
कुल राजस्व व्यय	**46500**	**60959**	**कुल पूंजीगत व्यय**	**13681**	**17728**
घाटा - राजस्व लेखा	**-4820**	**-7089**	**घाटा - पूंजी लेखा**	**7030**	**8391**
संचित निधि की प्राप्तियां	**58046**	**77384**	**संचित निधि से व्यय**	**60180**	**78687**
निवल संचित निधि (प्राप्ति - व्यय)	**-2134**	**-1302**			
आकस्मिक निधि					
आय			व्यय		
आकस्मिक निधि का योग			**आकस्मिक निधि का योग**		
लोक लेखा			**लोक लेखा**		
प्राप्तियां			**संवितरण**		
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1032	806	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1034	676
आरक्षित कोष	1115	667	आरक्षित कोष	779	667
जमा और अग्रिम	9878	5724	जमा और अग्रिम	8945	5766
सस्पेंस तथा विविध	124344	0	सस्पेंस तथा विविध	123105	0
प्रेषण (रेमिटेंस)	9859	0	प्रेषण	9896	0
कुल प्राप्तियां - लोक लेखा	**146228**	**7197**	**कुल संवितरण - लोक लेखा**	**143759**	**7109**
शुद्ध परिणाम - लोक लेखा (प्राप्ति - व्यय)	**2469**	**89**			
शुद्ध परिणाम - सभी लेखे (प्राप्ति - व्यय)	**334**	**-1214**			

राज्य सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय का ढांचा तालिका 7.48 में प्रस्तुत है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि कुछ छोटे-मोटे अंतरों को छोड़कर प्राप्ति या व्यय संरचना में कोई ढांचागत परिवर्तन नहीं हुआ है। संचित

निधि में होने वाली प्राप्तियों के हिस्से के बतौर कर राजस्व संचित निधि की कुल प्राप्ति का 63 प्रतिशत था जो गत वर्ष 70 प्रतिशत था। जहां गैर-कर राजस्व के हिस्से में 2.6 प्रतिशत और लोक ऋण के हिस्से में लगभग 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं केंद्रीय अनुदान का हिस्सा लगभग 3.8 प्रतिशत बढ़ा है।

संचित निधि से होने वाले व्यय का ढांचा भी दोनों वर्षों में लगभग एक जैसा ही रहा। जहां 2012-13 के बजट अनुमान में सामान्य सेवाआं पर व्यय का हिस्सा 1.3 प्रतिशत घटा वहीं संचित निधि से होने वाले कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 1.5 प्रतिशत बढ़कर 32.6 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं का हिस्सा व्यवहारत: गत वर्ष के स्तर पर ही कायम रहा जबकि पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा थोड़ा बढ़कर 14.7 प्रतिशत से 17.0 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार बजट में सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि का पूर्ववर्ती रुझान जारी रहा।

तालिका 7.48 : संचित निधि का प्रतिशत वितरण - प्राप्ति तथा व्यय

प्राप्ति	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (ब.अ.)	व्यय	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (ब.अ.)
राजस्व लेखा			**राजस्व लेखा**		
कर राजस्व	69.9	63.1	सामान्य सेवाएं	29.5	28.2
गैर-कर राजस्व	1.5	4.1	सामाजिक सेवाएं	31.1	32.6
सहायता अनुदान और अंशदान	17.0	20.8	आर्थिक सेवाएं	16.7	16.7
पूंजी लेखा			**पूंजी लेखा**		
लोक ऋण	11.4	12.0	लोक ऋण की अदायगी	4.9	3.9
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	0.0	0.0	ऋण एवं अग्रिम	3.2	1.6
अंतर-राज्य भुगतान	0.1	0.0	**पूंजीगत परिव्यय**	14.7	17.0
योग	100.0	100.0	**योग**	100.0	100.0

चार्ट 7.20

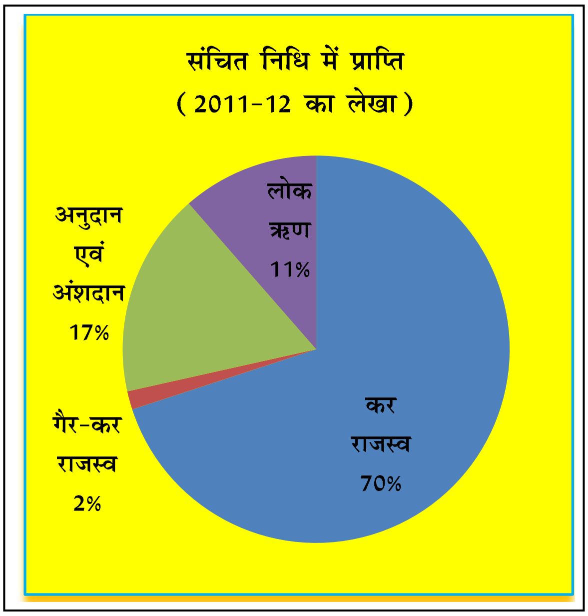

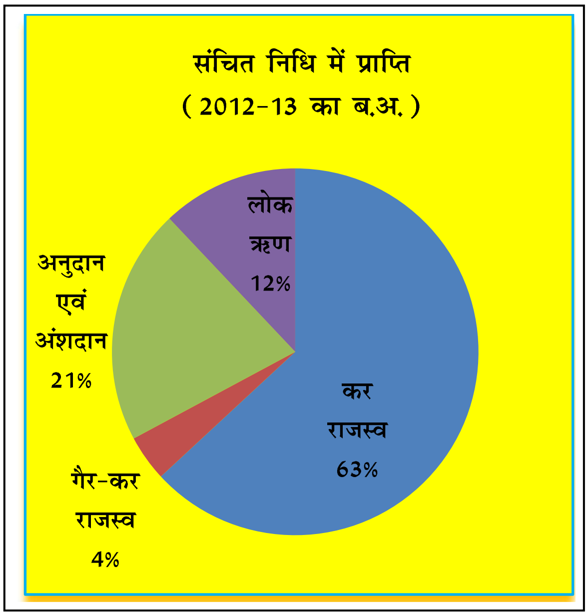

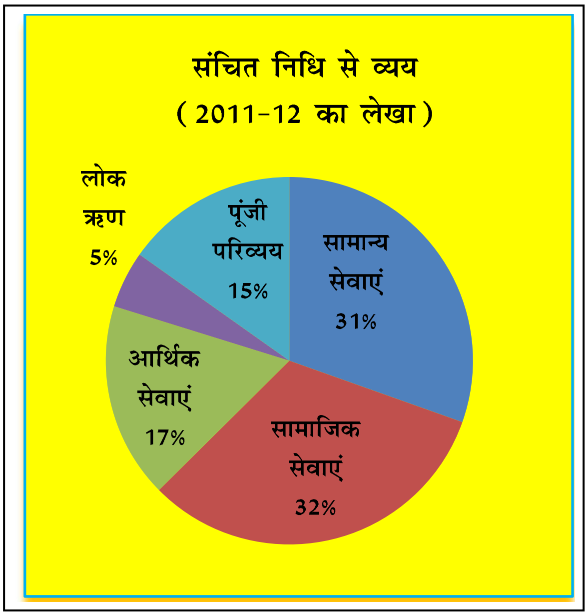

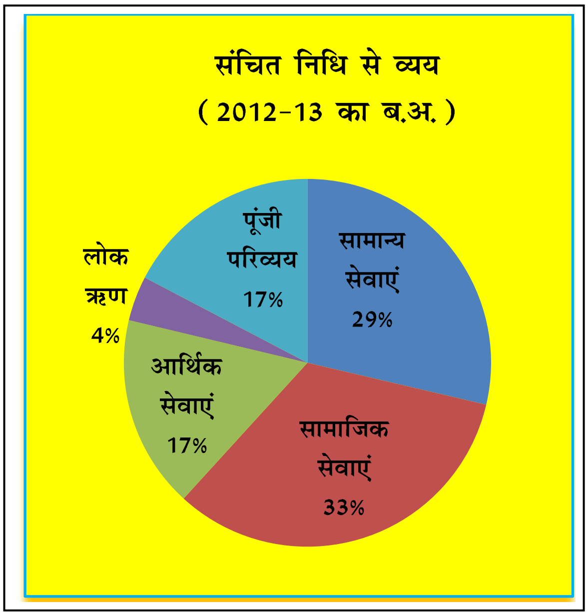

7.16 सरकारी व्यय का आर्थिक प्रभाव

इस खंड में विश्लेषण का प्रयास सरकारी व्यय के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। इस मकसद से राज्य सरकार की प्राप्ति और व्यय को उनके पारंपरिक कार्यशील वर्गीकरण के अनुरूप पांच विभिन्न लेखों में वर्गीकृत किया गया है। ये पांच लेखे हैं :

1. लेखा-1 : वस्तुओं एवं सेवाओं तथा अंतरणों में ट्रांजैक्शन का चालू लेखा;
2. लेखा-2 : वस्तुओं एवं सेवाओं तथा अंतरणों में ट्रांजैक्शन का पूंजी लेखा;
3. लेखा-3 : वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में ट्रांजैक्शन का पूंजी लेखा;
4. लेखा-4 : वित्तीय देनदारियों के संबंध में ट्रांजैक्शन का पूंजी लेखा तथा
5. लेखा-5 : नगद तथा पूंजीगत समाधान (रिकंसिलिएशन) लेखा।

विश्लेषण महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं जांच), बिहार द्वारा तैयार वित्तीय लेखे से 2011-12 के लिए उपलब्ध प्राप्तियों और व्यय के वास्तविक आंकड़ों की सहायता से किया गया है। इन आंकड़ों को ट्रांजैक्शन की प्रकृति के अनुरूप उक्त पांच लेखों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के विवरणों को कार्यशील वर्गीकरणों के लिहाज से तालिका 7.49 में प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट दिखता है कि योजना और गैर-योजना मिलाकर वेतन और मजदूरी पर कुल व्यय 2011-12 में 12,090 करोड़ रु. पहुंच गया। इनमें से अधिकांश व्यय राज्य सरकार के राजस्व लेखे से होता है। इन आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत करने के बाद पांचो लेखों को तालिका 7.49 क से लेकर 7.49 च तक में दर्शाया गया है। तालिका 7.49 च में राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे की गणना आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर की गई है। कार्यशील और आर्थिक, दोनों वर्गीकरणों से सकल राजकोषीय घाटा के एक ही आंकड़े सामने आते हैं जो विश्लेषण की पुष्टि करते हैं। अंत में तालिका 7.50 में विश्लेषण का अंतिम परिणाम प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 7.49 : राज्य सरकार के व्यय का कार्यशील वर्गीकरण (2011-12)

(करोड़ रु.)

राजस्व व्यय									
	कुल व्यय			वेतन तथा मजदूरी			अन्य व्यय		
	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
सामान्य सेवाएं	160	17569	17730	57	3862	3919	103	13708	13811
सामाजिक सेवाएं	9205	9524	18729	413	5883	6296	8792	3641	12432
आर्थिक सेवाएं	3121	6917	10038	125	1750	1875	2997	5167	8163
अनुदान एवं अंशदान	0	3	3	0	0	0	0	3	3
उप-योग	**12487**	**34013**	**46500**	**595**	**11495**	**12090**	**11892**	**22518**	**34409**
पूंजीगत व्यय									
	कुल व्यय			वेतन तथा मजदूरी			अन्य व्यय		
	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
सामान्य सेवाएं	570	38	608	0	0	0	570	38	608
सामाजिक सेवाएं	801	6	807	1	0	1	800	6	806
आर्थिक सेवाएं	7441	-4	7437	103	0	103	7339	-4	7334
ऋण एवं अग्रिम	1709	197	1906	0	0	0	1709	197	1906
उप-योग	**10521**	**237**	**10758**	**104**	**0**	**104**	**10417**	**237**	**10654**
योग	**23008**	**34250**	**57258**	**699**	**11495**	**12194**	**22309**	**22755**	**45064**

तालिका 7.49 क : आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-1 : चालू लेखा

(करोड़ रु.)

लेखा	संवितरण			लेखा	प्राप्तियां	
I	**वस्तुओं एवं सेवाओं तथा अंतरणों में ट्रांजैक्शन : सरकार का चालू लेखा**					
1	**उपभोग व्यय**		**16351**	**5**	**कर प्राप्तियां**	
1.1	वेतन		12395	5.1	आय पर कर	16610
1.2	वस्तुएं एवं सेवाएं		3956	5.2	संपदा और पूंजीगत लेनदेन पर कर	1690
2	**अंतरण भुगतान**		**18290**	5.3	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	22247
2.1	ब्याज भुगतान		4304			
2.2	अनुदान		13986		**योग**	**40547**
	i. स्थानीय निकायों को	3092				
	ii. सार्वजनिक उद्यमों को	479		**6**	**गैर-कर प्राप्तियां**	**890**
	iii. स्वायत्त निकायों एवं अन्य को	10410				
	iv. अन्य	5				
3	**अन्य चालू अंतरण**		**11859**			
3.1	पेंशन	7808				
3.2	सब्सिडी	3442				
3.3	अन्य	608				
	योग (1+2)		**46500**		**योग**	**41437**
7	**चालू लेखा (लेखा-1) में निवल घाटा**		**5063**			

तालिका 7.49 ख : आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-2 : पूंजीगत लेखा

(करोड़ रु.)

लेखा	संवितरण				प्राप्तियां		
II	वस्तुओं एवं सेवाओं तथा अंतरणों में ट्रांजैक्शन : सरकार का पूंजीगत लेखा						
8	सकल स्थिर पूंजी निर्माण		6625	10	केंद्रीय अंतरण		9883
9.1	पूंजी निर्माण हेतु अनुदान			10.1	योजना अनुदान		7320
	i. स्थानीय निकायों को	0			i. केंद्रीय योजनागत योजनाएं	96	
	ii. सार्वजनिक उद्यमों को	0			ii. राज्य योजनागत योजनाएं	5065	
	iii. स्वायत्त निकायों एवं अन्य को	577			iii. केंद्र प्रायोजित योजनाएं	2159	
9.2	अन्य पूंजीगत अंतरण	1650		10.2	गैर-योजना अनुदान		2563
9	योग - पूंजीगत अंतरण		2227	11	पूंजीगत लेखे में सकल बचत		1031
12	चालू और पूंजी लेखे को मिलाकर शुद्ध घाटा		4032				

तालिका 7.49 ग : आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-3 : वित्तीय परिसंपत्ति में परिवर्तन

(करोड़ रु.)

लेखा	गमन (Outgoings)			लेखा	आगमन (Incomings)		
III	वित्तीय परिसंपत्ति में ट्रांजैक्शन : सरकार का पूंजी लेखा						
13	वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि		1906	14	वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी		23
13.1	सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों में निवेश	0		14.1	विनिवेश से प्राप्ति	0	
13.2	शेष अर्थव्यवस्था को ऋण एवं अग्रिम	1906		14.2	ऋणों की वसूली	23	
15	वित्तीय परिसंपत्तियों का शुद्ध परिव्यय		1883				

तालिका 7.49 घ : आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-4 : वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन

(करोड़ रु.)

लेखा	गमन (Outgoings)			लेखा	आगमन (Incomings)		
IV	वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन : सरकार का पूंजीगत लेखा						
16	ऋणों की अदायगी		2923	17	सरकार द्वारा ऋणग्रहण		6702
	आंतरिक ऋण	2458		17.1	आंतरिक ऋण	5801	
	केंद्रीय ऋण	465		17.2	केंद्रीय ऋण	827	
				17.3	शुद्ध अंतर-राज्य भुगतान	74	
				18	सरकार द्वारा शुद्ध ऋणग्रहण		3779
19	वित्तीय देनदारियों में शुद्ध वृद्धि		3779				

तालिका 7.49 च : आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-5 : नगद एवं पूंजीगत समाधान लेखा

(करोड़ रु.)

20	**सरकार का नगद एवं पूंजीगत समाधान लेखा**				
20.1	नगद शेष में कमी	-333			
20.2	लोक लेखा में निवल प्राप्तियां	2469			
20.3	कोषागार विपत्रों की निवल बिक्री	0			
नगद शेष में निवल कमी (लेखा-5)			**2136**	**चालू और पूंजीगत लेखे को मिलाकर निवल घाटा (लेखा - 1 और 2)**	**4032**
जोड़ें वित्तीय देनदारियों में निवल वृद्धि (लेखा-4)			**3779**	**घटाएं वित्तीय परिसंत्तियों का निवल परिव्यय (लेखा-3)**	**1883**
सकल राजकोषीय घाटा			**5915**	**सकल राजकोषीय घाटा**	**5915**

तालिका 7.50 : सरकारी व्यय का आर्थिक वर्गीकरण, 2011-12

	2010-11		**2011-12**	
	रकम (करोड़ रु.)	योग का प्रतिशत	रकम (करोड़ रु.)	योग का प्रतिशत
1. अंतिम (फाइनल) परिव्यय	**25880**	**51**	**22975**	**38**
क. सरकार का उपभोग व्यय (लेखा-1 से)	17988	35	16351	27
ख. सकल पूंजी निर्माण (लेखा-2 से)	7892	16	6625	11
2. शेष अर्थव्यवस्था को अंतरण भुगतान	**21380**	**42**	**32376**	**54**
क. चालू अंतरण (लेखा-1 से)	20325	40	30149	50
ख. पूंजीगत अंतरण (लेखा-2 से)	1055	2	2227	4
3. शेष अर्थव्यवस्था में वित्तीय निवेश और उसको ऋण (लेखा-3 से)	**1256**	**2**	**1906**	**3**
4. वित्तीय देनदारियों की अदायगी (लेखा-4 से)	**2190**	**4**	**2923**	**5**
कुल व्यय (1+2+3+4)	**50706**	**100**	**60181**	**100**

तालिका 7.50 में स्पष्ट दिखता है कि सरकार द्वारा 2011-12 में किए गए 60,181 करोड़ रु. के कुल व्यय में 27 प्रतिशत उसका उपभोग व्यय रहा है जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मजदूरी पर व्यय के साथ-साथ प्रशासन चलाने के लिए हुआ वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय शामिल है। कुल व्यय के 11 प्रतिशत का उपयोग पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में हुआ। अनुदान, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान आदि के जरिए कुल व्यय का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को अंतरित किया गया, 4 प्रतिशत भाग पूंजी निर्माण हेतु अनुदान के बतौर दिया गया, 3 प्रतिशत का उपयोग वित्तीय निवेश करने और शेष अर्थव्यवस्था को ऋण एवं अग्रिम देने के लिए किया गया जबकि 5 प्रतिशत व्यय का उपयोग राज्य सरकार की विद्यमान वित्तीय देनदारियों में कमी लाने के लिए किया गया। चार्ट 19 में 2010-11 और 2011-12 की स्थितियां दर्शाई गई हैं।

चार्ट 7.21

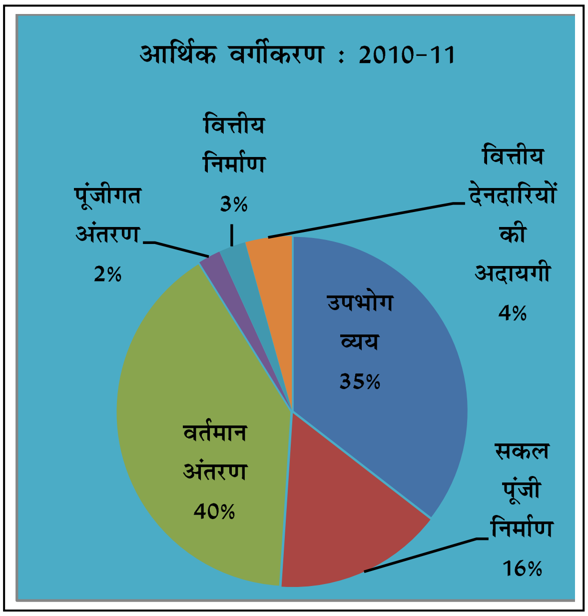

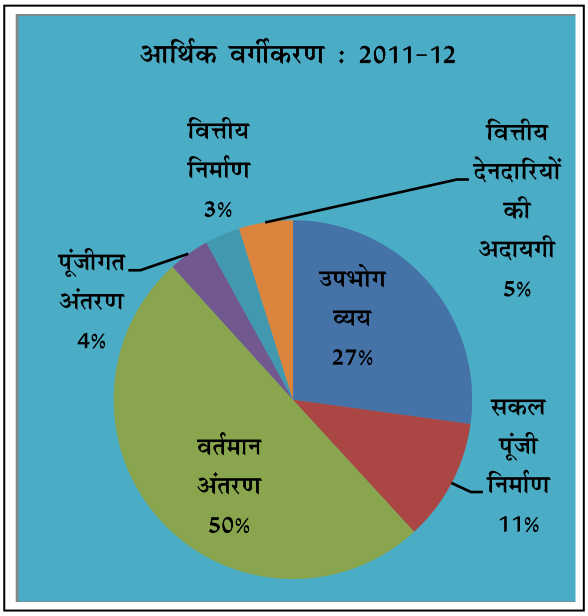

7.17 राज्य बजट को दरकिनार करती केंद्रीय राशि

विगत वर्षों में केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं का शुभारंभ करती रही है। सामाजिक क्षेत्र के लिए ऐसी योजनाओं की संख्या 147 हो गई है। स्वायत्त राज्य समितियों और जिला ग्रामीण विकास प्राधिकारों (डीआरडीए) तथा अन्य निकायों/ गैर-सरकारी संगठनों को केंद्र सरकार से बढ़ी मात्रा में राशि सीधे हस्तांतरित हो रही है जिन्हें इन योजनाओं के लिए क्रियान्वयक अभिकरण नियुक्त किया गया है। तालिका 7.51 में 2010-11 और 2011-12 में कुछ राज्यस्तरीय स्वायत्त निकायों को केंद्र सरकार से अंतरित धनराशि के आंकड़े प्रस्तुत हैं। संबंधित आंकड़े चार प्रमुख समितियों से संबंधित हैं :

(क) **बिहार शिक्षा परियोजना (बीईपी) :** सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तरीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के लिए;

(ख) **राज्य स्वास्थ्य समिति :** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के लिए;

(ग) **जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार (डीआरडीए) :** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा), स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, (एसजीएसवाइ), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाइ), इंदिरा आवास योजना (आइएवाइ), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स), नगरवत ग्रामीण क्षेत्र सुविधा प्रावधान (पीयूआरए), समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (आइडब्ल्यूडीपी), समेकित जलछाजन विकास कार्यक्रम (आइडब्ल्यूएमपी) तथा प्राधिकार के अपने प्रशासन के लिए;

(घ) **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) :** इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन निबंधित संस्थाओं के जरिए किया जाता है।

तालिका 7.51 : राज्य बजट को दरकिनार करते केंद्रीय धन का विवरण - 2010-11 और 2011-12

(करोड़ रु.)

मद	राज्य बजट को दरकिनार करता भारत सरकार का हिस्सा	
	2010-11	2011-12
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	1958.66	1851.09
एनपीईजीईएल	15.96	0.00
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)	73.28	0.00
योग (एसएसए+ एनपीईजीईएल+केजीबीवी)	**2047.90**	**1851.09**
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	**19.71**	**6.45**
मनरेगा	2089.26	1300.73
स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना	141.57	67.88
इंदिरा आवास योजना	2255.58	2170.82
समेकित जलछाजन विकास कार्यक्रम	0.74	5.46
जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार (प्रशासन)	31.77	29.99
योग (डीआरडीए)	**4518.92**	**3574.88**
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	3458.69	3195.74
अन्य	263.89	323.31
राज्य बजट को दरकिनार करता भारत सरकार का कुल धन	**10309.11**	**8957.92**
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर	23.14	17.45
कुल केंद्रीय अनुदान के प्रतिशत के बतौर	106.29	90.64

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद; राज्य स्वास्थ्य समिति; ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : अन्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा शामिल है जिसके लिए बिहार राज्य श्रमिक कल्याण समितियां क्रियान्वयक अभिकरण हैं और इसके लिए कुल अनुदान (केंद्रीय अनुदान) 2011-12 में 119 करोड़ रु. था। अन्य प्रमुख परियोजना राष्टोय खाद्य सुरक्षा मिशन (2011-12 में 75 करोड़ रु.) है जिसके लिए क्रियान्वयक अभिकरण राज्य कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (समेती) है।

तालिका 7.51 में गौरतलब है कि राज्य के बजट को दरकिनार करते हुए 2011-12 में स्वायत्त संस्थाओं को 8,958 करोड़ रु. सीधे भेज दिए गए। यह राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति के 17 प्रतिशत और सरकार द्वारा उस वष प्राप्त कुल केंद्रीय अनुदान के 90 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे अंतरणों का केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और राजकोषीय उत्तरदायित्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तो राज्य सरकार का धन के उपयोग की प्रक्रिया पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि ये धनराशियां राज्य के लेखों से होकर नहीं गुजरती हैं। लेकिन वह उसके समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होती है। इस प्रकार अनुश्रवण प्राधिकार के बतौर इसकी भूमिका निष्प्रभावी हो जाती है। दूसरे, बजट के बाहर होने से वे वित्त विभाग के वित्तोय नियंत्रण से ही बच

नहीं निकलते हैं, महालेखाकार के लेखाकरण और लेखापरीक्षण संबंधी नियंत्रण तथा लोक लेखा समिति के विधायी नियंत्रण से भी बच निकलते हैं। इसके अलावा बजट के बाहर-बाहर धनराशि का अंतरण धनराशि का विशेष घटकां के साथ जुड़ना सूचित करती है जो राज्य योजना और केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्यों के बीच सहक्रिया की संभावना को सीमित कर देता है। साथ ही, ये अंतरण राजकोषीय उत्तर दायित्व एवं वित्त प्रबंधन (एफआरबीएम) के लिए वांछित राजकोषीय और वित्तोय कार्यों में पारदर्शिता का भी उल्लंघन हैं।

ये अवलोकन विगत आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस मूल प्रस्थापना पर जोर देने के लिए किए गए थे कि विकेंद्रीकरण के समग्र ढांचे में राजकोषीय सुपुर्दगी (फिस्कल डिवोल्यूशन) केंद्र सरकार से राज्य सरकार को, और राज्य सरकार से जिला तथा पंचायतों के स्तर तक होनी चाहिए। राज्य सरकार को दरकिनार करना सुपुर्दगी की मूल भावना के खिलाफ जाता है और वस्तुतः वित्तीय प्रबंधन के संपूर्ण भारत के स्तर पर केंद्रीकरण तथा जिला स्तर पर संसाधनों के अकुशल उपयोग का कारण बनता है। निस्संदेह, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में धन का कम उपयोग बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। यह तर्क दिया जाने लगा था कि स्वायत्त समितियों को अंतरित धन इसके अधिक मात्रा में और अधिक कुशल उपयोग का कारण बनेगा, लेकिन ऐसा दावा ठोस साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। ऐसे धनों के समुचित उपयोग और अनुश्रवण से संबंधित आंकड़े बहुत कम उपलब्ध हैं; और एसे आंकड़ा आधार की अनुपस्थिति में ऐसे व्यय के परिणामों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन तक पहुंचना मुश्किल है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकार से परामर्श करके ऐसे धन के अनुश्रवण और पर्यवेक्षण की समुचित व्यवस्था विकसित करे और इस व्यवस्था में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। राज्य सरकार बजट के बाहर-बाहर होने वाले अंतरणों के सख्त खिलाफ है।

7.18 केंद्र प्रायोजित योजनाएं

सर्व शिक्षा अभियान

तालिका 7.52 में 2007-08 से 2012-13 तक बिहार में सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन दर्शाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिहार में विमुक्त धन का हमेशा उच्च स्तर पर उपयोग होता रहा है जबकि अनुमोदित धन को विमुक्त करने में ही कुछ विलंब होता रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत धन के उपयोग के ऊंचे स्तर का एक कारण तो यह है कि क्रियान्वयन अभिकरण (बिहार शिक्षा परियोजना) का कामकाजी संस्था के बतौर अनेक वर्षों से अस्तित्व रहा है जिसने कार्यक्रम के लिए तैयारशुदा संस्थागत ढांचा उपलब्ध करा दिया है।

धनराशि के घटकवार विवरण से पता चलता है कि सर्व शिक्षा अभियान के सामान्य घटक के लिए 2011-12 में विमुक्त धन का 1.4-गुना उपयोग हुआ था हालांकि विमुक्त धनराशि आंशिक थी और अनुमोदित धनराशि के 37 प्रतिशत तक ही सीमित थी। हालांकि राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तरीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम के जेंडर विशेषिक घटक के लिए उपयोग विमुक्त धनराशि का 76 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष 56 प्रतिशत ही था। यह राशि अनुमोदित धनराशि के 42 प्रतिशत के बराबर थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के मामले में आंकड़े दर्शाते है कि उपयोग कुल विमुक्त धनराशि का 101 प्रतिशत था जा संभवतः गत वर्ष की कुछ बची राशि के उपयोग के कारण है। यह अनुमोदित धनराशि की कुल रकम का 54 प्रतिशत थी। बहरहाल, जेंडर विशेषिक

घटक का कुल व्यय नियोजित आबंटन का छोटा हिस्सा ही है। जहां भी व्यय विमुक्त धन से बढ़ गया था, पीछे के अप्रयुक्त शेष से किया गया था।

तालिका 7.52 : सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय प्रदर्शन

(करोड़ रु.)

वर्ष	अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट	धन विमुक्ति			कुल व्यय	प्रतिशत उपयोग	
		भारत सरकार	बिहार सरकार	योग		विमुक्त धन का	अनुमोदित धन का
सर्व शिक्षा अभियान							
2007-08	3161	1326	816	2142	1886	88	60
2008-09	3400	1659	855	2514	2083	83	61
2009-10	4132	1217	903	2121	2077	98	50
2010-11	6360	1959	1480	3439	3351	97	53
2011-12	10831	1851	991	2842	4006	141	37
2012-13	10349	2151	1871	4022	3543	88	34
राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तरीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)							
2007-08	48	0	9	9	24	265	51
2008-09	39	106	30	136	19	14	48
2009-10	31	0	27	27	15	56	48
2010-11	29	16	0	16	12	76	42
2011-12	47	0	0	0	15	-	31
2012-13	48	16	7	24	6	27	14
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय							
2007-08	130	51	7	58	41	71	32
2008-09	225	166	53	219	75	34	33
2009-10	156	0	55	55	78	143	50
2010-11	136	73	0	73	74	101	54
2011-12	245	0	0	**0**	**95**	-	39
2012-13	220	57	26	83	52	63	24

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

टिप्पणी : वर्ष 2012-13 के लिए 818 करोड़ रु. तेरहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। व्यय के आंकड़े अनंतिम और लेखापरीक्षा के अधीन हैं। वर्ष 2012-13 के आंकड़े 30 नवंबर 2012 तक के ही हैं।

जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार

जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार मनरेगा, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना जैसे गरीबी उन्मूलन के अधिकांश प्रमुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जवाबदेह हैं। तालिका 7.53 में दिखता है कि 2011-12 में प्राधिकारों द्वारा मनरेगा हेतु विमुक्त धन के 65 प्रतिशत भाग का उपयोग किया गया था जबकि उससे पिछले वर्ष यह आंकड़ा 83 प्रतिशत था। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के मामले में 2011-12 में 48 प्रतिशत विमुक्त राशि खर्च की गई थी जो गत वर्ष की बची धनराशि के कारण उस साल के वित्तीय लक्ष्य से अधिक थी।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्दश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने, उनका प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने तथा आय उपार्जन हेतु परिसंपत्तियां उपलब्ध कराने के जरिए गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को खास समय में स्थिर आय उपार्जित करने में सहायता देकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। लेकिन योजना में मौजूद अकुशलताओं को वजह से केंद्र सरकार को इसे राष्टोय ग्रामीण जीविका मिशन (नेशनल रूरल लाइवलीहूड मिशन) के बतौर संगठित करना पड़ा है जिसे अगले साल से मिशन के बतौर चलाया जाना है। इसके लिए बिहार हेतु लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं। योजना को मिशन मोड में चलान के लिए सोचने का कारण इसे निम्नलिखित के मामले में सक्षम बनाना है : (क) लक्ष्यों, परिणामों और समयबद्ध सेवा प्रदान पर फोकस करना, (ख) आबंटन आधारित वर्तमान रणनीति की जगह मांग वाहित रणनीति अपनाने की ओर बढ़ना जिससे राज्य अपनी खुद की गरीबी निवारण कार्ययोजना बना सकें, तथा (ग) गरीबी निवारण संबंधी परिणामों के लक्ष्य के लिहाज से प्रभावी अनुश्रवण करना।

इंदिरा आवास योजना में विभिन्न घटकों के मामले में धन के उपयोग और लक्ष्य प्राप्ति में अंतर था। विभिन्न घटकों के अंतर्गत राशि के उपयोग के मामले में कुल मिलाकर कछ सुधार की जरूरत है क्योंकि 66 प्रतिशत विमुक्त राशि ही खर्च की गई जो गत वर्ष के 71 प्रतिशत से कम ही है। इस प्रकार, सारे कार्यक्रमों का प्रबंधन एक ही स्वायत्त प्राधिकार कर रहा था, इसके बावजूद कार्यक्रमों के योजना निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न कारणों के चलते धन के उपयोग की क्षमता में घटकों के बीच अंतर था। इसके अलावा, इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों की सफलता लक्षित लाभार्थियों पर आधारित है लेकिन सही पहचान की प्रक्रिया बोझिल तथा विवादप्रवण साबित हुई है। इससे कार्यक्रमों की प्रभाविता और भी घटी है।

तालिका 7.53 : जिला ग्रामीण विकास प्राधिकारों के तहत योजनाओं का वित्तीय प्रदर्शन

(करोड़ रु.)

सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा)			स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		
वित्तीय लक्ष्य	4416.7	3298.9	3446.5	398.3	179.6	राष्टोय ग्रामीण जीविका मिशन
गत वर्ष की शेष राशि (स्पिल ओवर)	800.5	834.6	470.2	407.6	368.0	
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	2103.7	1303.0	698.9	116.6	67.9	
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	247.2	14.6	376.3	40.6	25.2	
कुल विमुक्त राशि (बिहार सरकार + भारत सरकार)	2350.9	1317.6	1075.2	157.2	93.1	
अन्य धनराशियां	42.5	414.3	3.9	4.2	2.0	
कुल उपलब्ध धन	3193.8	2566.5	1549.3	568.9	463.0	
कुल व्यय	2642.7	1668.7	1093.5	327.5	222.4	
उपलब्ध धन का प्रतिशत व्यय	82.7	65.0	70.6	57.6	48.0	
वित्तीय लक्ष्य का प्रतिशत व्यय	59.8	50.6	31.7	82.2	123.9	

सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
	इंदिरा आवास योजना (केंद्र तथा राज्य)			इंदिरा आवास योजना (5%)		
वित्तीय लक्ष्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गत वर्ष की शेष राशि	1.8	0.9	0.8	0.2	0.0	0.0
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल विमुक्त राशि (बिहार सरकार + भारत सरकार)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य धनराशियां	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल उपलब्ध धन	1.8	0.9	0.8	0.2	0.0	0.0
कुल व्यय	0.1	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0
उपलब्ध धन का प्रतिशत व्यय	3.3	0.0	100.0	35.7	0.0	0.0
वित्तीय लक्ष्य का प्रतिशत व्यय	-	-	-	-	-	-

सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
	इंदिरा आवास योजना (नई एवं उत्क्रमण)			इंदिरा आवास योजना (बाढ़ प्रभावित)		
वित्तीय लक्ष्य	3415.1	3335.9	3696.2	0.0	-	-
गत वर्ष की शेष राशि	1688.4	2150.6	2006.3	4.5	-	-
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	2167.6	2176.9	1267.1	0.0	-	-
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	760.9	713.6	619.1	0.0	-	-
कुल विमुक्त राशि (बिहार सरकार + भारत सरकार)	2928.5	2890.5	1886.1	0.0	-	-
अन्य धनराशियां	14.2	99.0	37.5	0.0	-	-
कुल उपलब्ध धन	4631.1	5140.1	3929.9	4.5	-	-
कुल व्यय	3071.9	3494.0	2123.9	0.7	-	-
उपलब्ध धन का प्रतिशत व्यय	66.3	68.0	54.0	14.8	-	-
वित्तीय लक्ष्य का प्रतिशत व्यय	90.0	104.7	57.5	-	-	-

सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
	इंदिरा आवास योजना (कोशी बाढ़ 2008 प्रभावित)			इंदिरा आवास योजना (नक्सल)		
वित्तीय लक्ष्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गत वर्ष की शेष राशि	60.3	60.4	8.6	164.3	63.6	23.9
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	32.9	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	0.0	11.0	0.0	8.6	0.0	0.0
कुल विमुक्त राशि (बिहार सरकार + भारत सरकार)	32.9	11.0	0.0	34.5	0.0	0.0
अन्य धनराशियां	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल उपलब्ध धन	93.2	71.6	8.6	198.8	63.6	23.9
कुल व्यय	35.6	52.6	0.5	157.5	41.5	5.3
उपलब्ध धन का प्रतिशत व्यय	38.2	73.4	5.5	79.2	65.2	22.3
वित्तीय लक्ष्य का प्रतिशत व्यय	-	-	-	-	-	-

सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
	इंदिरा आवास योजना (कालाजार प्रभावित-2006)			हरियाली (डीपीएपी और आइडब्ल्यूडीपी)		
वित्तीय लक्ष्य	0.0	0.0	0.0	-	-	-
गत वर्ष की शेष राशि	3.8	6.8	5.5	23.9	6.2	6.0
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल विमुक्त राशि (बिहार सरकार + भारत सरकार)	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0	3.2
अन्य धनराशियां	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
कुल उपलब्ध धन	6.8	7.4	5.5	24.0	6.2	9.3
कुल व्यय	1.2	0.8	0.3	4.4	0.7	2.3
उपलब्ध धन का प्रतिशत व्यय	17.9	10.4	5.5	18.3	10.8	24.3
वित्तीय लक्ष्य का प्रतिशत व्यय	-	-	-	-	-	-
सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
	इंदिरा आवास योजना (कालाजार प्रभावित-2008)			जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार (प्रशासन)		
वित्तीय लक्ष्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गत वर्ष की शेष राशि	90.2	77.5	57.8	3.8	8.5	9.0
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	32.4	0.0	0.0	31.5	30.4	14.7
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	8.7	5.8	0.0	5.5	9.7	8.4
कुल विमुक्त राशि (बिहार सरकार + भारत सरकार)	41.1	5.8	0.0	37.0	40.1	23.1
अन्य धनराशियां	0.1	0.0	0.0	0.5	1.8	0.1
कुल उपलब्ध धन	131.3	83.3	57.8	41.4	50.4	32.2
कुल व्यय	59.9	35.0	6.8	31.7	30.2	9.1
उपलब्ध धन का प्रतिशत व्यय	45.6	42.0	11.8	76.6	59.8	28.3
वित्तीय लक्ष्य का प्रतिशत व्यय	-	-	-	-	-	-
सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
	इंदिरा आवास योजना (आपकी सरकार आपके द्वार)			योग		
वित्तीय लक्ष्य	0	0	0	8230.0	6814.4	7142.7
गत वर्ष की शेष राशि	59	35	0	3308.2	3611.5	2588.1
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	0	0	0	4512.3	3578.2	1983.9
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	0	0	0	1072.7	780.5	1003.7
कुल विमुक्त राशि (बिहार सरकार + भारत सरकार)	0	0	0	5585.0	4358.8	2987.6
अन्य धनराशियां	0	0	0	61.7	517.3	41.5
कुल उपलब्ध धन	59	35	0	8954.9	8487.6	5617.2
कुल व्यय	27	23	0	6359.9	5568.5	3242.4
उपलब्ध धन का प्रतिशत व्यय	45	66	-	71.0	65.6	57.7
वित्तीय लक्ष्य का प्रतिशत व्यय	-	-	-	77.3	81.7	45.4

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : सभी योजनाओं के लिए 2012-13 के आंकड़े सितंबर 2012 तक के ही हैं।

7.19 राजकीय सार्वजनिक उपक्रम और निगम

सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी निवेश

बिहार के सार्वजनिक क्षेत्र में 61 सरकारी कंपनियां और 4 वैधानिक निगम (स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन) मौजूद हैं। वर्ष 2010-11 में एक सार्वजनिक उद्यम 'बिहार राज्य शैक्षिक अधिसंरचना विकास निगम लिमिटेड' (बीएसईआइडीसीएल) स्थापित हुआ जबकि दूसरा उद्यम बिहार एयर प्रोडक्ट्स लि. (कंपनी अधिनियम, 1961

के अनुच्छेद 619-बी के तहत निगमित कंपनी) गैर-सरकारी कंपनी बन गई जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कुल संख्या 65 हो गई। हालांकि इन कंपनियों में से 25 ही कार्यशील हैं और शेष 40 अकार्यशील। मार्च 2011 तक सार्वजनिक क्षेत्र में कुल निवेश तालिका 7.54 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.54 : सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार का निवेश

31 मार्च को	कार्यशील सार्वजनिक इकाइयों की कुल सं.	अकार्यशील सार्वजनिक इकाइयों की कुल सं.	वैधानिक निगम	कुल सार्वजनिक कंपनियां/ निगम	कुल इक्विटी (करोड़ रु.)	कुल ऋण (करोड़ रु.)	कुल निवेश (करोड़ रु.)
2011	21	40	4	65	585	10,240	10,825
2010	21	40	4	65	585	9037	9,602
2009	19	40	4	63	526	8615	9,141
2008	16	34	4	54	531	8149	8,680

स्रोत : प्रधान महालेखाकार (बिहार) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (व्यावसायिक)

सार्वजनिक क्षेत्र की 25 कार्यशील कंपनियों का टर्नओवर 2010-11 में 4,031 करोड़ रु. था और उन्हें कुल 1,293 करोड़ रु. का घाटा हुआ। तथापि, 19 हजार से भी अधिक लोगों को रोजगार देने वाली ये कंपनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन 65 सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा 7 विभागीय उपक्रम भी हैं जो व्यावसायिक कार्यों में लगे हैं। मार्च 2011 में कुल निवेश का 93 प्रतिशत हिस्सा 25 कार्यशील सार्वजनिक इकाइयों में निवेशित था और शेष 7 प्रतिशत अकार्यशील सार्वजनिक इकाइयों में। कुल निवेश का मात्र 5 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी में था और शेष दीर्घकालिक ऋणों से जुड़ा था। इक्विटी पूंजी, ऋण, अनुदान, सब्सिडी, गारंटी, ऋण माफी आदि के रूप में राज्य सरकार द्वारा निवेश और बजटीय सहायता में वृद्धि चार्ट 20 में दर्शाई गई है।

चार्ट 7.22

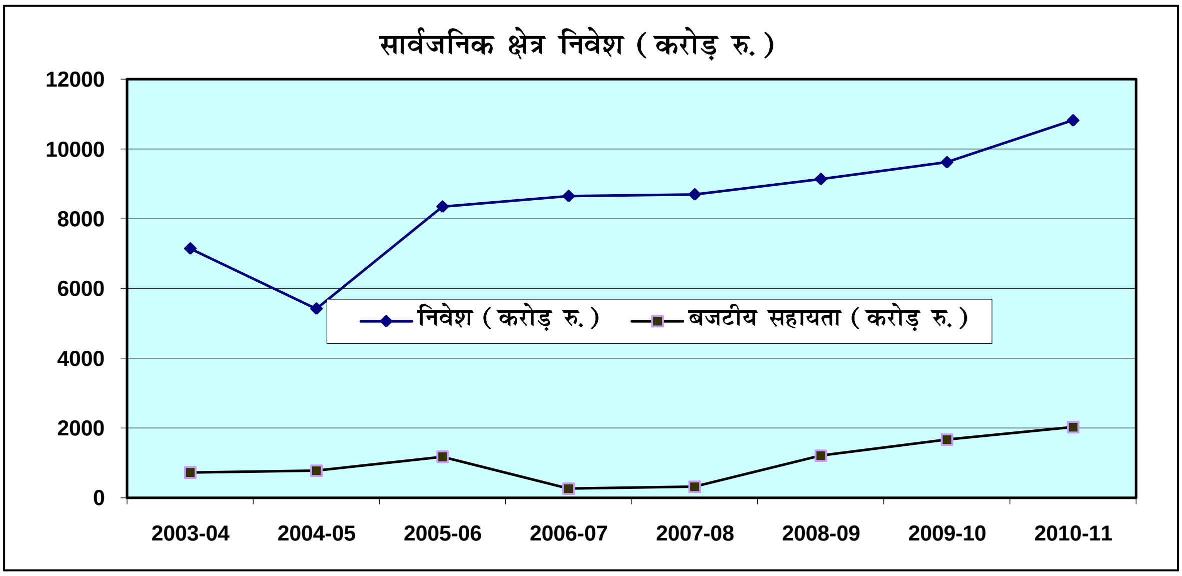

बिहार की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों मे निवेश मुख्यत: विद्युत क्षेत्र में संकेंद्रित है। इसमें 2010 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में राज्य सरकार के कुल निवेश का 83 प्रतिशत भाग निवेशित था जो 2005-06

में 72 प्रतिशत था। इस क्षेत्र में निवेश 2005-06 से 2010-11 के 6 वर्षों के दौरान 6,747 करोड़ रु. से एक-तिहाई बढ़कर 8,989 करोड़ रु. हो गया। हालांकि वित्त और विनिर्माण सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश इसी अवधि में लगभग 48 प्रतिशत बढ़ा है।

चार्ट 7.23 : सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी निवेश

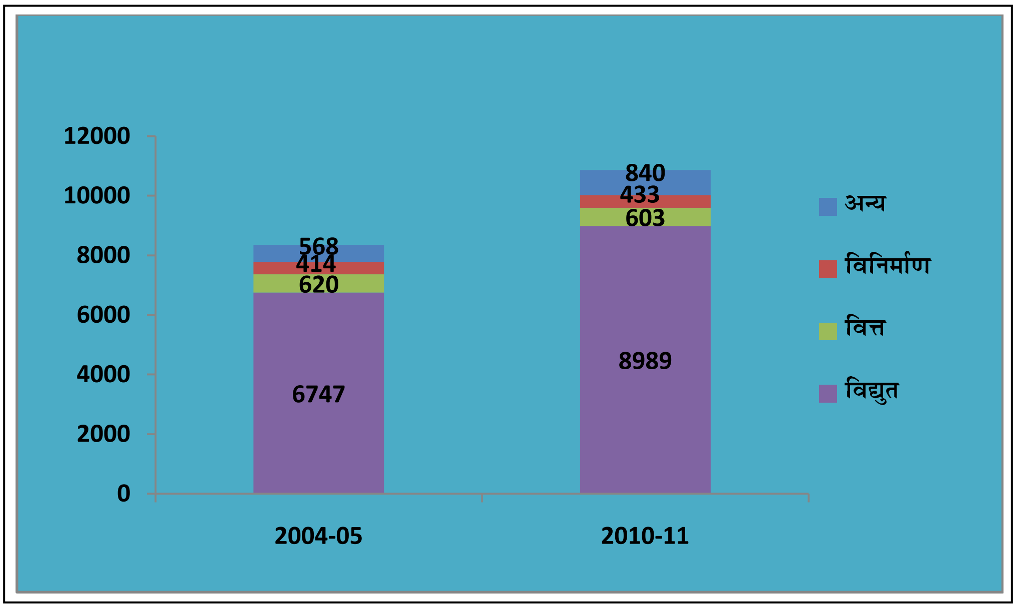

वर्ष 2010-11 में सार्वजनिक क्षेत्र का समग्र घाटा 2009-10 में हुए समग्र घाटे से 120 करोड़ रु. बढ़कर 1,293 करोड़ रु. हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में हुए वार्षिक और संचित घाटे चार्ट 22 में प्रस्तुत हैं।

चार्ट 7.24

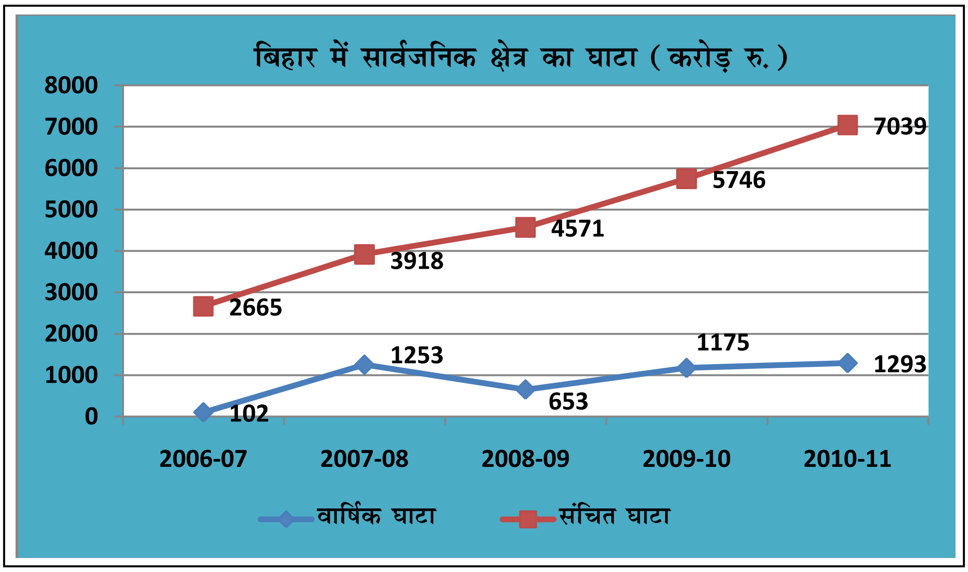

मार्च 2011 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का क्षेत्रवार ब्योरा तालिका 7.55 में प्रस्तुत है। अधिकांश कंपनियां उद्योग और कृषि क्षेत्र की हैं।

तालिका 7.55 : क्षेत्रवार सरकारी कंपनियां और निगम, 2010-11

क्षेत्र	वैधानिक निगमों की सं.	कार्यशील कंपनियों की सं.	अकार्यशील कंपनियों की सं.
कृषि		3	12
बिजली	1	1	
अधिसंरचना		6	1
विनिर्माण		3	12
सेवा	2	2	1
वित्तपोषण		4	4
अन्य	1	2	10
योग	**4**	**21**	**40**

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के वित्तीय परिणामों के 2006-07 से 2010-11 तक के सारांश तालिका 7.56 में दर्शाए गए हैं। देखा जा सकता है कि निवेश पर प्रतिफल (रिटर्न) की दर नगण्य है और सभी कंपनियों की संचित हानि उनके कुल इक्विटी आधार से भी कईगुनी बढ़ गई है। गत दो वर्षों के दौरान ही उनके संयुक्त टर्नओवर में सराहनीय वृद्धि हुई है लेकिन ऋण : टर्नओवर अनुपात अभी भी बहुत ऊंचा है जो उनके मुनाफे को हड़प जाने वाले ऊंचे ऋण भार का संकेत देता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ उनके टर्नओवर के अनुपात (2 प्रतिशत) से पता चलता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक इकाइयों के योगदान का बहुत महत्व नहीं है। मार्च 2011 में इन सार्वजनिक इकाइयों में 19,159 कर्मचारी नियोजित थे जिनकी संख्या एक वर्ष पहले 22,387 थी। उनमें से 2,496 लोग राज्य सरकार की अकार्यशील सार्वजनिक इकाइयों में पे-रॉल पर थे। अकेले चारो वैधानिक निगमों में ही मार्च 2011 में 13,745 कर्मचारी कार्यरत थे जबकि मार्च 2010 में 16,373 कर्मचारी कार्यरत थे।

तालिका 7.56 : सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय परिणामों का सारांश (2006-07 से 2010-11)

प्रदर्शन सूचक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सरकार द्वारा शेयर पूंजी में निवेश (करोड़ रु.)	515	531	526	585	625
सार्वजनिक उपक्रमों का कुल ऋण (सरकारी ऋण) (करोड़ रु.)	8012	8153	8615	9037	10240
सभी सार्वजनिक उपक्रमों का टर्नओवर (करोड़ रु.)	1337	1588	1997	2509	4031
लाभ (हानि) (करोड़ रु.)	(102)	(1253)	(653)	(1175)	(1293)
संचित लाभ (हानि) (करोड़ रु.)	(2665)	(3918)	(4571)	(5746)	(7039)
निवेशित पूंजी पर प्रतिफल (%)	17.68	Nil	7.44	-5.50	-1.32
वर्ष में किया गया लाभांश भुगतान	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
ऋण : टर्नओवर अनुपात	5.99	5.13	4.33	3.60	2.54:1
ब्याज भुगतान (करोड़ रु.)	613	924	919	992	1244
सरकार द्वारा जारी गारंटी	Nil	72	104	Nil	Nil
वर्ष में प्राप्त अनुदान/ सब्सिडी	720	743	736	874	479
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)	**103317**	**113680**	**142279**	**163800**	**201856**
टर्नओवर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	1.29	1.40	1.40	1.53	2.00

टिप्पणी : (1) टर्नओवर के आंकड़े चार वैधानिक निगमों सहित कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के हैं। शेष आंकड़े सभी सार्वजनिक उपक्रमों के हैं। इनमें राज्य सरकार के चारो निगम शामिल नहीं हैं।

(2) वर्ष 2011-12 के वित्तोय लेखों के अनुसार, 2011-12 के अंत तक बकाया गारंटी 1,195 करोड़ रु. की थी। ये सरकार हेतु प्रासंगिक देयताएं (कंटिंजेंट लायबलिटी) हैं जो इस प्रयोजन हेतु सृजित किसी कोष द्वारा समर्थित नहीं हैं।

वर्ष 2010-11 में 25 में से कार्यशील इकाइयों 10 ने कुल मिलाकर 90 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया। 11 कार्यशील उपक्रमों को कुल 1,383 करोड़ रु. का घाटा हुआ और 2 को 1 लाख से भो कम लाभ या घाटा हुआ। शेष 2 कंपनियों ने अपने लेखों को अंतिम रूप भी नहीं दिया। लाभ अर्जित करने वाली प्रमुख कंपनियों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम (45 करोड़ रु.) और बिहार राज्य पथ विकास निगम (24 करोड़ रु.) शामिल हैं। घाटे में कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों में अव्वल स्थान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का था जिसे 1,295 करोड़ रु. का घाटा हुआ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इन घाटों का कारण वित्त प्रबंधन, योजना निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा कार्यसंचालन और अनुश्रवण संबंधी कमजोरियों को बताया है। वर्ष 2010-11 के अंत तक सभी सार्वजनिक उपक्रमों (अकार्यशील उपक्रमों सहित) की संचित हानि 7,213 करोड़ रु. थी जबकि सभी कंपनियों में सरकर का कुल निवेश 10,865 करोड़ रु. था। वर्ष 2010-11 में उनकी पूंजी पर प्रतिफल 1.32 प्रतिशत ऋणात्मक था।

अकार्यशील कंपनियां

मार्च 2010 तक राज्य सरकार ने 40 अकार्यशील कंपनियों में कुल 732 करोड़ रु. निवेश किया था जिनमें से 7 अभी परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। इस रकम में से 184 करोड़ रु. चुकता पूंजी है और शेष 548 करोड़ रु. बकाया ऋण। इन कंपनियों के वित्तीय सूचकों का सार्थक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये परिसमापन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, इनमें से कुछ कंपनियों ने 15 से लेकर 33 वर्ष से कोई लेखा नहीं तैयार किया है। 5 कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने आरंभ के समय से ही कोई लेखा नहीं तैयार किया है। हालांकि इन कंपनियों ने 2010-11 में कोई व्यावसायिक काम नहीं किया, लेकिन 2009-10 में इनमें से 3 सार्वजनिक इकाइयों ने वेतन, मजदूरी और स्थापना व्यय में 1.48 करोड़ रु. खर्च किए थे। गत वर्ष 5 ऐसी कंपनियों ने इन मदों में 2.51 करोड़ रु. खर्च किए थे। 32 अकार्यशील इकाइयों के नवीनतम लेखों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उनकी संचित हानि 171 करोड़ रु. से भी अधिक हो गई थी। यहां तक कि कार्यशील कंपनियों द्वारा भी बहुत वर्षों का लेखा तैयार नहीं किया गया है। वर्ष 2010-11 तक चारो वैधानिक निगमों ने ही अपने लेखों को अंतिम रूप दिया है। राज्य सरकार की अन्य कंपनियों के कई वर्षों के लेखे तैयार नहीं हैं।

परिसमापन प्रक्रियाधीन 7 कंपनियों में से 3 के लिए औपचारिक परिसमापक नियुक्त किए गए हैं। शेष 4 के लिए समापन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं लेकिन परिसमापन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। इस वर्ष राज्य सरकार ने अपने सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश अथवा निजीकरण या पुनर्गठन के संबंध में कोई पहलकदमी नहीं ली।

7.20 वैधानिक निगम

राज्य सरकार के चार वैधानिक निगम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार राज्य वित्त निगम और बिहार राज्य भंडारण निगम हैं। चारो ही निगम कार्यशील हैं। कार्यसंचालन के लिहाज से इनमें सबसे महत्वपूर्ण निगम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड है जो राज्य में विद्युत उत्पादन और वितरण में संलग्न है। तालिका 7.57 में नवीनतम लेखों पर आधारित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 2006-07 से 2010-11 तक के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। देखा जा सकता है कि बोर्ड की संचित हानि तेजी से बढ़ती रही है और 2006-07 के 1,525 करोड़ रु. से 40 प्रतिशत से भी अधिक की वार्षिक दर से बढ़त हुए 2010-11 में 5,821 करोड़ रु. हो गई। वर्ष 2010-11 में ही ऐसा हुआ कि 1,295 करोड़ रु. की वार्षिक हानि गत वर्ष के

1,396 करोड़ रु. से कम हो गई। मार्च 2011 तक बोर्ड के ऊपर 8,609 करोड़ रु. के कुल बकाया ऋण में 8,000 करोड़ रु. से भी अधिक ऋण राज्य सरकार का था। बोर्ड का टर्नओवर बढ़ता रहा है जो 2010-11 में 456 करोड़ रु. बढ़ा।

तालिका 7.57 : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय परिणामों का सारांश

(करोड़ रु.)

सूचक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
टर्नओवर	1392	1588	1765	1956	2410
प्राप्त अनुदान/ सब्सिडी	720	720	720	840	NA
घाटा	855	564	990	1396	1295
लगी पूंजी	3088	3196	3375	3522	5049
लगी पूंजी पर प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बकाया सरकारी ऋण	4977	4817	4841	4953	8013
ऋण पर ब्याज भुगतान	822	828	888	983	1175
संचित घाटा	1525	2089	3079	4475	5821
लाभांश भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सरकार से प्राप्त सब्सिडी	4316	4316	4316	4316	अनु.

टिप्पणी : घाटा राज्य सरकार से सब्सिडी प्राप्ति के बाद शुद्ध अधिशेष को अभिव्यक्त करता है। लगी पूंजी में प्रक्रियाधीन कार्यगत पूंजी और कार्यशील पूंजी सहित शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं। सरकार से प्राप्य सब्सिडी अपने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के कारण बोर्ड को हुई हानि के संबंध में थी।

चार्ट 7.25

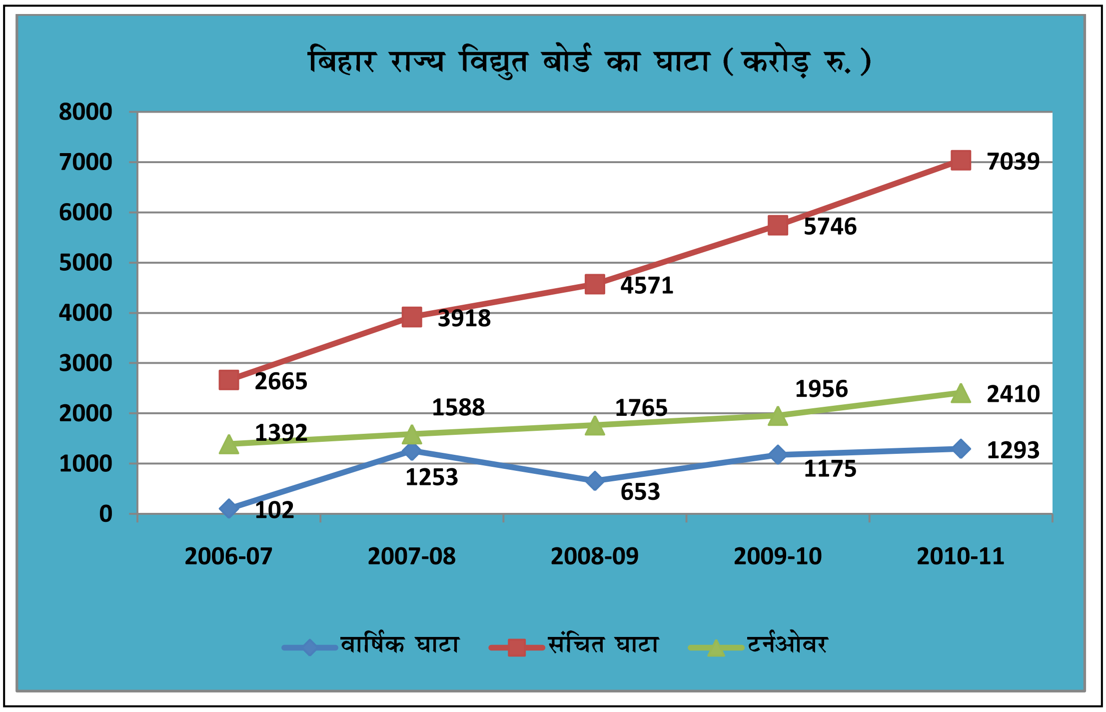

बोर्ड को गंभीरता से प्रभावित करती रहने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं : निम्न संयंत्र उपलब्धता (लो प्लांट अवेलेबलिटी) के कारण कम विद्युत उत्पादन, बार-बार काम ठप होना/ व्यवधान, 40 प्रतिशत से भी अधिक संचरण एवं वितरण ह्रास, कैपिटल मेंटेनेस के लिए उत्पादन इकाइयों की अधिक समय के लिए बंदी, डिजाइन

संबंधो कमी, कोयले की खराब गुणवत्ता, प्रणाली का लंबे समय से जीर्णोद्धार/ आधुनिकीकरण नहीं होने के कारण उत्पादन इकाइयों की निम्न उत्पादकता आदि। कामकाज में सुधार के लिए बोर्ड को पांच कंपनियों में पुनर्गठित किया गया है : एक होल्डिंग कंपनी के अलावा एक-एक कंपनी विद्युत उत्पादन और संचरण के लिए तथा दो वितरण के लिए।

अन्य वैधानिक कंपनियों के मामले में भी स्थिति कोई भिन्न नहीं है। इसे तालिका 7.58 से 7.60 तक देखा जा सकता है हालांकि उनके कार्यसंचालन का कुल परिमाण विद्युत बोर्ड की अपेक्षा बहुत कम है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की संचित हानि 1,429 करोड़ रु. पहुंच गई जो उसके निवल मूल्य (नेट वर्थ) से कईगुना हो गई। लगी पूंजी पर विगत 4 वर्षों के दौरान प्रतिफल लगातार ऋणात्मक रहा। बिहार राज्य वित्त निगम के मामले में टर्नओवर में कमी के साथ-साथ लगी पूंजी पर प्रतिफल 2006-07 के 19 प्रतिशत से घटकर 2011-11 में मात्र 2 प्रतिशत रह गया। बिहार राज्य भंडारण निगम को 2007-08 तक कुछ लाभ हुआ था लेकिन उसके बाद उसको घाटा होने लगा जो 2009-10 के 1 करोड़ रु. से बढ़कर 2010-11 में 8 करोड़ रु. हो गया। बहरहाल, लगी पूंजी पर उसने 2010-11 में 20 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किया जो 4 वर्ष पूर्व 13 प्रतिशत था।

तालिका 7.58 : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश

(करोड़ रु.)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
टर्नओवर	54	52	40	20
हानि	60	52	74	63
लगी पूंजी	-712	-764	-822	अनु.
लगी पूंजी पर प्रतिफल	---	---	---	अनु.
इक्विटी पूंजी	101	101	101	101
बकाया सरकारी ऋण	81	81	100	297
ऋण पर ब्याज भुगतान	19	19	19	19
संचित हानि	1240	1292	1366	1429
लाभांश भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी : वर्ष 2008-09 और 2009-10 के आंकड़े अनंतिम हैं।

तालिका 7.59 : बिहार राज्य वित्त निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश

(करोड़ रु.)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
टर्नओवर	47	29	31	20
हानि	11	0	-1	0
लगी पूंजी	381	439	391	376
लगी पूंजी पर प्रतिफल	19%	11%	5%	2%
इक्विटी पूंजी	78	78	78	78
बकाया सरकारी ऋण	311	311	285	264
ऋण पर ब्याज भुगतान	47	20	19	6
संचित हानि	385	385	384	384
लाभांश भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी : वर्ष 2008-09 और 2009-10 के आंकड़े अनंतिम हैं।

तालिका 7.60 : बिहार राज्य भंडारण निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश

(करोड़ रु.)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
टर्नओवर	4	8	8	10
हानि	2	1	5	7
लगी पूंजी	16	20	30	32
लगी पूंजी पर प्रतिफल	13%	6%	19%	20%
इक्विटी पूंजी	6	6	6	6
बकाया सरकारी ऋण	4	4	4	2
संचित हानि	-2	-4	1	8
लाभांश भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी : वर्ष 2008-09 और 2009-10 के आंकड़े अनंतिम हैं।

7.21 सार्वजनिक क्षेत्र के परिणामों का सारांश

तालिका 7.61 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और सरकारी कंपनियों के नवीनतम लेखे जिन वर्षों तक मौजूद थे, उन वर्षों के लेखों के अनुसार, कार्यकारी परिणामों साथ-साथ उनकी चुकता पूंजियों (पेड अप कैपिटल्स) तथा राज्य सरकार द्वारा उनमें किए गए निवेशों और दिए गए ऋणों का ब्योरा दिया गया है। जिन वर्षों में इन इकाइयों ने अपना अंतिम लेखा तैयार किया है, उसका वर्ष भी तालिका में दर्शाया गया है। देखा जा सकता है कि एक वैधानिक निगम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने 2010-11 तक और 5 कार्यशील कंपनियों ने 2009-10 तक अपना अद्यतन लेखा तैयार किया है। शेष कंपनियों ने अनेक वर्षों से लेखा नहीं तैयार किया है। 11 कंपनियों ने अपने जन्म से ही लेखा नहीं तैयार किया। यह उत्तरदायित्व तंत्र, समुचित प्रबंधन और नियंत्रण की अनुपस्थिति का स्पष्ट द्योतक है। चूंकि लेखे अद्यतन नहीं हैं इसलिए निवेशों पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकती है। इनमें से अधिकांश कंपनियों के बोर्ड की बैठकें भी नियमित नहीं होती हैं। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सभी कंपनियों के लिए अपने लेखों को वित्तवर्ष के समापन के 6 महीनों के अंदर ही अंतिम रूप दे देना वैधानिक तौर पर वांछित है। अंकेक्षित लेखों को भी वित्तवर्ष के समापन के 9 महीनों के अंदर ही विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना वांछित है। समय पर लेखा को अंतिम रूप देने के मामले में इन वैधानिक प्रावधानों को पूरा करने में असफल रहने पर कंपनी अधिनियम के तहत सामान्यत: दंड के प्रावधान हैं। कुछ कंपनियों को छोड़कर शेष की कार्यदशा और टर्नओवर खराब है, लगातार घाटा होता है, निवल मूल्य नकारात्मक हो गया है भारी ऋण भार है और लगी पूंजी पर प्रतिफल नकारात्मक है। राज्य सरकार कुछ कार्यशील-अकार्यशील कंपनियों के परिसमापन का निर्णय ले भी चुकी है।

तालिका 7.61 : बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के परिणामों का नवीनतम लेखानुसार सारांश (31 मार्च, 2011 को)

(करोड़ रु.)

	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	अंतिम लेखाकरण का वर्ष	अद्यतन लेखानुसार चुकता पूंजी	कुल बकाया ऋण (सरकारी + अन्य)	कुल जनशक्ति	शुद्ध लाभ/ हानि (-)	संचित लाभ/ हानि (-)	अद्यतन लेखानुसार लगी पूंजी पर प्रतिशत प्रतिफल
क. कार्यशील कंपनियां								
कृषि								
1	बिहार राज्य बीज निगम लि.	1998-99	3.71	27.93	89	-5.57	-53.45	---
2	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि.	1992-93	1.75	2.63	40	-0.22	-1.92	---
3	स्काडा कृषि व्यापार कंपनी लि.	2007-08	0.05	0	अनु.	0	-1.89	---
वित्त								
4	बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम लि.	2003-04	15.00	53.49	52	-5.97	-145.68	3.45
5	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम	1997-98	13.36	16.69	17	-0.29	0.53	10.10
6	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	2006-07	31.79	42.87	27	-0.75	-4.69	---
7	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	1991-92	1.00	0.15	08	0.02	-0.12	2.27
अधिसंरचना								
8	बिहार आरक्षी भवन निर्माण निगम लि.	1999-00	0.10	0.43	380	2.59	-10.72	---
9	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	2009-10	3.50	0	487	45.08	92.49	31.83
10	बिहार राज्य स्वास्थ्य परियोजना विकास निगम लि.	पहला लेखा भी फाइनल नहीं	0.06	0	09	अनु.	अनु.	---
11	बिहार राज्य पथ विकास निगम लि.	2009-10	20.00	0	105	23.99	21.65	57.81
12	बिहार शहरी अधिसंरचना विकास निगम लि.	2009-10	5.00	0	35	-0.03	-0.03	---
13	बिहार शैक्षिक अधिसंरचना विकास निगम लि.	2009-10	0.05	0	0	अनु.	अनु.	---
विनिर्माण								
14	बिहार राज्य इलक्ट्रॉनिक विकास निगम लि.	2009-10	0.15	6.00	71	7.31	1.76	31.44
15	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	2000-01	9.97	0	0	9.29	7.04	44.92
16	बिहार राज्य पेय निगम लि.	2008-09	5.00	0	338	0.43	1.66	7.60

विद्युत								
17	बिहार राज्य जलविद्युत निगम लि.	1996-97	99.04	280.65	132	-9.66	-26.07	---
सेवा								
18	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	1999-00	5.00	0	257	0.29	2.29	4.49
19	बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	1989-90	5.27	120.58	698	-5.66	-34.86	---
विविध								
20	बिहार राज्य वन विकास निगम लि.	2000-01	2.29	0	अनु.	0.28	0.32	23.93
21	बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम लि.	1997-98	0.48	0	173	-4.36	-5.97	---
	योग - कार्यशील कंपनियां		**255.40**	**551.42**	**2918**	**56.77**	**-157.66**	**---**
वैधानिक निगम								
1	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2010-11	0	8609.48	11506	-1294.98	-5820.86	---
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लि.	2002-03	101.27	298.33	1700	-55.74	-680.17	---
3	बिहार राज्य वित्त निगम	2009-10	77.84	231.94	307	0.30	-383.93	1.39
4	बिहार राज्य भंडारण निगम	2008-09	6.42	1.18	232	0.52	3.43	4.35
	योग - वैधानिक निगम		**185.53**	**9140.93**	**13745**	**-1350.20**	**-6881.53**	**---**
	कुल योग - क		**407.40**	**9692.35**	**16663**	**-1293.43**	**-7039.19**	**---**

ख. अकार्यशील सरकारी कंपनियां								
कृषि एवं सहवर्ती								
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लि. (BSWDCL)	1978-99	10.00	49.68	अनु.	2.17	11.20	9.06
2.	बिहार राज्य दुग्ध विकास निगम लि. (BSDCL)	1994-95	6.72	1.75	-	(-) 0.02	(-)10.58	--
3.	बिहार पर्वतीय क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लि. (BHALICL)	1982-83	10.82	8.55	अनु.	(-)0.16	(-)0.86	--
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि. (BSAIDCL)	1989-90	7.57	12.60	283	(-)5.70	(-)28.96	--
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि. (BSFVDCL)	1994-95	2.10	1.12	10	(-)0.92	(-)7.82	--
6.	बिहार इनसेक्टिसाइड लि. (BIL)	1986-87	0.57	1.54	69	(-)1.03	(-)1.03	--
7.	स्काडा कृषि व्यापार खगौल लि. (SABLK)		अनु.	अनु.	अनु.			
8.	स्काडा कृषि व्यापार लि., डेहरी (SABLD)		अनु.	अनु.	अनु.			
9.	स्काडा कृषि व्यापार लि., आरा (SABLA)		अनु.	अनु.	अनु.			
10.	स्काडा कृषि व्यापार लि., औरंगाबाद (SABLA)		अनु.	अनु.	अनु.			

11.	स्काडा कृषि व्यापार लि., मोहनिया (SABLM)		अनु.	अनु.	अनु.			
12.	स्काडा एग्रो फॉरेस्ट्री कंपनी लि., खगौल (SAFCLK)		अनु.	अनु.	अनु.			
वित्त								
13.	बिहार राज्य पंचायती राज्य वित्त निगम लि. (BPRFCL)	1984-85	1.06	-	अनु.	(-)0.01	(-)0.03	3.92
14.	बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि. (BSHHCL)	1983-84	10.00	1.16	अनु.	(-)0.10	(-)0.44	0.14
15.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि. (BSSICL)	1990-91	7.18	12.23	49	(-)1.42	(-)16.56	--
16.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (BSIDCL)	1987-88	14.04	66.56	823	(-)3.51	(-)26.42	6.23
अधिसंरचना								
17.	बिहार राज्य निर्माण निगम लि. (BSCCL)	1986-87	11.00	-	1086	1.25	(-)2.79	--
विनिर्माण								
18.	बिहार सॉल्वेंट एंड केमिकल्स लि. (BS&CL)	1986-87	1.08	0.89	अनु.	(-)0.32	(-)0.32	--
19.	मगध मिनरल्स लि. (MML)	--	0.36	0.47	05	--	--	--
20.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग लि. (KMC&EL)	1994-95	2.17	6.63	अनु.	(-)2.39	(-)8.16	--
21.	बेल्ट्रॉन वीडियो सिस्टम लि. (BVSL)	1987-88	5.05	4.51	अनु.	(-)0.15	(-)0.22	--
22.	बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लि. (BMSL)	1989-90	2.48	-	अनु.	(-)0.10	(-)0.49	--
23.	बेल्ट्रॉन इनफॉर्मेटिक्स लि. (BIL)	--	0.00	-	अनु.	--	--	--
24.	बिहार राज्य चीनी निगम लि. (BSSCL)	1984-85	20.00	322.95	अनु.	(-)9.20	(-)72.31	--
25.	बिहार राज्य सेमेंट निगम लि. (BSCCL)	--	0.00	0.03	अनु.	--	--	--
26.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लि. (BSP&CDCL)	1985-86	15.76	4.28	52	(-)0.17	(-)0.74	--
27.	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लि. (BMPL)	1983-84	0.00	0.02	अनु.	(-)0.03	(-)0.06	--
28.	बिहार ड्रग्स एंड केमिकल्स लि. (BD&CL)	1985-86	4.00	1.28	अनु.	(-)0.03	(-)0.16	--
29.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लि. (BSTCL)	1987-88	10.78	2.27	51	(-)0.09	(-)0.32	--
सेवा								
30.	बिहार राज्य निर्यात निगम लि. (BSECL)	1991-92	2.00	1.22	23	(-)0.10	(-)0.01	0.27

विविध								
31.	बिहार पेपर मिल्स लि. (BPML)	1985-86	7.77	10.72	अनु.	(-)0.06	(-)0.31	--
32.	बिहार ग्लेज्ड टाइल्स एंड सिरामिक्स लि. (BSGT&CL)	1985-86	1.15	3.66	32	(-)0.08	(-)0.51	--
33.	विश्वामित्र पेपर इंडस्ट्रीज लि. (VPIL)	1984-85	1.14	0.81	अनु.	(-)0.01	(-)0.01	--
34.	झंझारपुर पेपर इंडस्ट्रीज	1985-86	1.07	0.46	13	(-)0.01	(-)0.02	--
35.	बिहार स्टेट टैनिन एक्स्ट्रैक्ट लि. (BSTEL)	1988-89	1.57	2.14	अनु.	(-)0.32	(-)0.67	--
36.	बिहार स्टेट फिनिश्ड लेदर कॉरपोरेशन लि. (BSFLCL)	1983-84	1.47	9.18	अनु.	(-)1.49	(-)2.13	--
37.	सिंथेटिक रेजिन्स (ईस्टर्न) लि. (SREL)	1983-84	0.31	1.05	-	(-)0.02	(-)0.01	--
38.	भवानी एक्टिव कार्बन लि. (BACL)	1985-86	0.09	-	अनु.	(-)0.01	(-)0.01	--
39.	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि. (BSLIDCL)	1982-83	17.40	14.13	अनु.	(-)0.37	(-)0.92	--
40.	बिहार स्कूटर्स लि. (BSL)	--	1.63	6.09	अनु.	--	--	--
	योग - ख		**177.98**	**547.98**	**2496**	**-24.50**	**-173.67**	
	कुल योग - क + ख		**585.38**	**10240.33**	**19159**	**-1317.93**	**-7212.86**	

7.22 पंचायती राज संस्थाएं

वर्ष 1991 से लागू 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया और केंद्रीय वित्त आयोग तथा संबंधित राज्य के वित्त आयोग की अनुशंसाओं के जरिए धनराशि का नियमित प्रवाह सुनिश्चित करते हुए उनके लिए एकरूप ढांचा तथा नियमित चुनाव विहित किए। संशोधन के तहत राज्यों के लिए इन निकायों की स्थापना करना और उन्हें ऐसी शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व प्रदान करना आवश्यक बनाया गया था जो उन्हें अपनी भूमिका निर्वाह में सक्षम बनाए। लोकतंत्र और स्वशासन की जमीनी संस्थाओं के बतौर पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान की ग्यारहवीं अनुसूचित में शामिल क्षेत्रों (अर्थात समाजिक कल्याण और कमजोर तबका कल्याण, गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, ग्रामीण आवास, पेयजल, लघु सिंचाई, कृषि, भूमि सुधार और सरकारी परिसंपत्तियों का अनुरक्षण) सहित विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन वांछित था। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 लागू किया और जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बतौर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की जिसने 2001 से काम करना शुरू किया। बाद में इसकी जगह बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 ने ले ली। मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बिहार में 38 जिला परिषद, 531 पंचायत समितियां और 8,442 ग्राम पंचायतं मौजूद थीं। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का समन्वय बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है।

बिहार देश की सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले राज्यों में से एक है जिसके गांवों में 2011 की जनगणना के अनुसार 89 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद ढेर सारी समस्याओं के निदान के लिए पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर सशक्तीकरण और विकास की प्रमुख माध्यम हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, बिहार में प्रति पंचायती राज संस्था औसत जनसंख्या 10.8 हजार है जबकि संपूर्ण देश में यह औसत 3.7 हजार है।

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य विधानमंडल के अनुमोदन से नियमावली बनाने के लिए अधिकृत है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आदर्श विनियमों के निर्माण के लिहाज से राज्य सरकार को पंचायती राज्य संस्थाओं के अधीन मौजूद औपचारिक अभिलेखों के निरीक्षण का और अधिनियम के प्रावधानों को कार्यरूप देने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिहाज से उनकी गतिविधियों के संबंध में पूछताछ करने का अधिकार है। अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित करना भी राज्य सरकार का कर्तव्य है कि हर ग्राम पंचायत हर साल अपनी विकास योजना तैयार करे और पंचायत समिति को प्रस्तुत करे। इसी प्रकार, संबंधित ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को शामिल करते हुए हर पंचायत समिति को हर साल विकास योजना तैयार करनी है और उसे जिला परिषद को पेश करना है। अंत में, संबंधित पंचायत समितियों की विकास योजनाओं को शामिल करते हुए हर जिला परिषद को अपनी विकास योजना तैयार करनी है और जिला योजना समिति के सामने पेश करना है। राज्य सरकार के लिए वांछित है कि वह जिले को पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करने के लिहाज से हर जिले में जिला योजना समिति का गठन करे।

वर्ष 2005 से राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 243जी, के अंतर्गत वांछित 20 विभागों के 79 काम पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कर दिए थे। साथ ही, 60 काम पंचायत समितियों को और 61 काम जिला परिषदों को सुपुर्द किए गए थे। विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाल ऐसे कार्यों की संख्या तालिका प 7.4 (परिशिष्ट) में और 13 विभागों द्वारा हस्तांतरित क्रियाकलापों की सूची तालिका प 7.5 (परिशिष्ट) में देखी जा सकती है। क्रियाकलापों के स्तर अभी भी ऊंचे नहीं हैं लेकिन इन संस्थाओं के क्षमता विकास से स्थिति में सुधार आ सकता है।

पंचायती राज संस्थाओं का वित्तपोषण राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विमुक्त आवर्ती–अनावर्ती अनुदानों के अलावा केंद्र सरकार के अनुदानों से और उनके अपने राजस्व संसाधनों से होता है। राज्य अनुदान आयोग के तहत अंतरणों की बात करें, तो उसने कभी कोई अनुशंसा नहीं की। जून 1999 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने पांच अंतरिम प्रतिवेदन किए जो मुख्यतः दसवें और ग्यारहवें केंद्रीय वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित अनुदानों के ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बीच 93:6:1 के अनुपात में बंटवारे से संबंधित थे। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बीच अनुदानों के बंटवारे में मापदंड के बतौर जनसंख्या अनुपात की भी अनुशंसा की गई थी। राज्य सरकार ने इन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया था।

पंचायती राज संस्थाएं वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार सहायता अनुदान पाने के अलावा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) के अंतर्गत भी सीधे धनराशि प्राप्त करती हैं। पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतं अपने संसाधनों से राजस्व उगाही नहीं कर पातो हैं क्योंकि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप उनके द्वारा लगाए जाने वाले करों, टॉल, शुल्कों आदि की दरों के बारे में अधिसूचना जारी करने के संबंध में राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहों की है। जिला परिषद अपने संसाधनों से दूकानों का किराया, डाकबंगला, निरीक्षण बंगला आदि का किराया, तालाबों/ घाटों/ नौका घाटों/ सड़क किनारे की जमीन और पेड़ों आदि की बंदोबस्ती, बैलगाड़ी निबंधन शुल्क और अन्य विविध शुल्कों आदि के जरिए थोड़ी राशि की उगाही करने के लिए अधिकृत हैं। राज्य सरकार से जिला परिषदों को अपने द्वारा संग्रहित राजस्वों के बराबर अनुरूपयोजी (मैचिंग) अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन से दिया गया अनुदान 2009 में 10 करोड़ रु. और 2010 में 11 करोड़ रु. था। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तपोषण के स्रोत तालिका 7.62 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 7.62 : पंचायती राज संस्थाओं के वित्तपोषण के स्रोत

धनराशि की प्रकृति	जिला परिषद		पंचायत समिति		ग्राम पंचायत	
	धनराशि का स्रोत	**धनराशि का संरक्षक**	**धनराशि का स्रोत**	**धनराशि का संरक्षक**	**धनराशि का स्रोत**	**धनराशि का संरक्षक**
अपनी प्राप्ति	जिला परिषद की परिसंपत्तियों की लीज/ किराया	कोषागार/ बैंक	-	-	-	-
प्रदत्त राजस्व/ राज्य वित्त आयोग	राज्य सरकार	कोषागार	राज्य सरकार	कोषागार	राज्य सरकार	कोषागार
राज्य वित्त आयोग/ केंद्र प्रायोजित योजनाएं	भारत सरकार	बैंक	भारत सरकार	बैंक	भारत सरकार	बैंक
राज्य योजना	राज्य सरकार	कोषागार	राज्य सरकार	कोषागार	राज्य सरकार	कोषागार

स्वाभाविक है कि पंचायती राज संस्थाएं अपने संसाधनों से अपना स्थापना व्यय तथा अन्य आवर्ती व्यय पूरा कर पाने में असमर्थ हैं और उनका वित्तपोषण राज्य सरकार को अनुदानों या ऋणों के जरिए करना पड़ता है। लेखाकरण के मामले में आवश्यक निपुणता के अभाव में वे प्राप्त धनराशियों का उचित लेखाकरण भी नहीं कर पाती हैं। इसमें सहयोग के लिए आवश्यक प्रशिक्षण अधिसंरचना का निर्माण भी राज्य में नहीं किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उचित लेखाकरण की अनुपस्थिति में उनकी समग्र वित्तोय स्थिति सुनिश्चित कर पाना और उनके द्वारा निर्मित तथा हस्तगत परिसंपत्तियों की पुष्टि कर पाना मुश्किल है। जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विमुक्त धनराशियों का उपयोग बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 22, 47 और 73 तहत वर्णित क्रियाकलापों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधााएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2009-10 के अंत में विभिन्न योजनाओं, विभिन्न वित्त आयोगों की अनुशंसाओं और अन्य स्रोतों के तहत प्राप्त धनराशियों, किए गए खर्चों और खर्च नहीं की गई शेष राशियों की स्थिति तालिका 7.63 में दर्शाई गई है। स्थानीय ग्रामीण निकायों और स्थानीय नगर निकायों (अगले खंड में वर्णित) द्वारा विभिन्न प्रमुख लेखाशीर्षों के तहत गत तीन वर्षों के दौरान किए गए खर्च तालिका 7.64 में दर्शाए गए हैं। देखा जा सकता है कि अधिकांश धनराशि विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं (अन्य ग्रामीण कार्यक्रमों के अंतर्गत), अनुसूचित जातियों/ जनजातियों की शिक्षा और स्थानीय नगर निकायों द्वारा शहरी विकास पर की गई है।

तालिका 7.63 : महत्वपूर्ण ग्रामीण समाज विकास योजनाओं के लिए धनराशि प्रवाह

(करोड़ रु.)

योजना का नाम	जिला परिषद			पंचायत समिति			ग्राम पंचायत			कुल अप्रयुक्त शेष
	आबंटित धनराशि	व्यय	अप्रयुक्त शेष	आबंटित धनराशि	व्यय	अप्रयुक्त शेष	आबंटित धनराशि	व्यय	अप्रयुक्त शेष	
10वां वित्त आयोग	0.17	0.05	0.12	2.04	1.74	0.30	5.73	5.42	0.31	0.73
11वां वित्त आयोग	40.56	39.61	0.95	9.53	8.13	1.40	33.68	32.40	1.28	3.63
12वां वित्त आयोग	766.41	731.64	34.77	15.00	10.79	4.21	61.87	54.24	7.63	46.61
EAS/JRY/ SGRY	168.35	159.13	9.22	210.28	193.81	16.47	86.36	82.93	3.43	29.12
मनरेगा	318.87	276.07	42.80	248.26	220.83	27.43	94.21	79.08	15.13	85.36
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	472.68	294.27	178.41	3.94	1.65	2.29	18.92	9.92	9.00	189.70
अन्य (सांसद, विधायक, लोक निर्माण विभाग आदि)	21.59	18.19	3.40	18.90	17.41	1.50	6.75	5.96	0.79	5.69
अन्य संसाधन एवं विविध प्राप्तियां	158.74	87.22	71.52	-	-	-	-	-	-	-
योग	**1947.37**	**1606.18**	**341.19**	**507.956**	**454.36**	**53.60**	**307.52**	**269.95**	**37.57**	**360.84**

टिप्पणी : EAS – रोजगार सुनिश्चय योजना, JRY – जवाहर रोजगार योजना, SGRY – स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

तालिका 7.64 : महत्वपूर्ण शीर्षों के तहत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यय

(करोड़ रु.)

		गैर-योजना व्यय			योजना व्यय			योग		
		वास्तविक	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
2202	सामान्य शिक्षा	472	767	841				472	767	841
2215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	0	7	7	56	52	20	56	59	27
2217	शहरी विकास	150	362	420	1	4	563	151	366	983
2225	अजा/ अजजा कल्याण	1	1	1	92	300	390	93	301	391
2245	प्राकृतिक आपदा हेतु राहत	0	0	0				0	0	0
2404	दुग्धशाला विकास				8	15	25	8	15	25
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	251	1578	1774	3	90	51	254	1668	1825
3456	नागरिक आपूर्ति				9	9	25	9	9	25
	योग	**874**	**2715**	**3043**	**320**	**929**	**2123**	**1194**	**3644**	**5166**

स्रोत : स्थानीय निकायों के लिए योजना एवं गैर-योजना व्यय (ब्योरा), फरवरी 2012, वित्त विभाग, बिहार सरकार

अभी तक बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तव्यवस्था का कोई आंकड़ा आधार मौजूद नहीं है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के बतौर मिलने वली कुल केंद्रीय धनराशि के संबंध में सूचना एकत्रित करने का भी व्यवहारत: कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के लिए दी जाने वाली ये अधिकांश धनराशियां राज्य बजट का अंग बने बिना सीधा पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान कर दी जाती हैं इसलिए उसके वित्तोय, लेखा संबंधी और विधायी नियंत्रणों के बाहर रह जाती हैं। पंचायती राज संस्थाओं के मामले में मुख्य दिक्कत इन संस्थाओं की भौतिक और वित्तोय परिसंपत्तियों के मामले में विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ा आधार की अनुपस्थिति है। लोकतंत्र और विकास के हित में कामकाज करने में इन संस्थाओं के कामकाज में बाधा डालने वाली मुख्य अंतर्निहित बाधाएं पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी और उचित लेखाकरण अधिसंरचना की अनुपस्थिति हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के तहत जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लिए 2010-11, 2011-12 (पुनरीक्षित अनुमान) और 2012-13 (बजट अनुमान) में जिलावार आबंटन तालिका प 7.6 (परिशिष्ट) में दर्शाया गया है।

7.23 स्थानीय नगर निकाय

वर्ष 1992 में पारित 74वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप बिहार सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 लागू किया था। बिहार राज्य में 11 नगर निगम, 43 नगर परिषदें, और 87 नगर पंचायतें हैं। राज्य सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य स्तर पर स्थानीय नगर निकायों के कामकाज का समन्वय करता है।

स्थानीय नगर निकायों के अपने वित्तोय स्रोत भी होते हैं। अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुछ कर उनके राजस्व के मुख्य स्रोत हैं, जैसे होल्डिंग कर, जल कर, शौचालय कर, वाहन कर, व्यापार कर, पेशा कर, आजीविका एवं रोजगार कर, किराया के वाहन के निबंधन हेतु निबंधन कर, दूकानों और भवनों का किराया, राहदरी (टॉल) और अन्य शुल्क आदि। लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं इसलिए स्थानीय नगर निकायों के स्थापना व्यय तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार उनके लिए अनुदान और ऋण विमुक्त करती है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप स्थानीय नगर निकायों का वित्तपोषण मुख्यत: राज्य की संचित निधि से किया जाता है। उन्हें केंद्र सरकार से केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर मिलने वाले सहायता अनुदान के अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना के तहत सीधा भी धन मिलता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशियों के लिए अलग बैंक खाते रखने और अलग अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जरूरत पड़ती है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत बिहार सरकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिए नियमावली बना सकती है, स्थानीय नगर निकायों के नियंत्रणाधीन किसी कार्यालय या अभिलेख के निरीक्षण हेतु और किसी नगरपालिका के किसी कार्यालय या कर्मचारी के मामले में भ्रष्टाचार, दुराचरण, निष्ठा की कमी या किसी अन्य प्रकार के गलत काम की शिकायत मिलने पर राज्य निगरानी ब्यूरो को जांच का भार सौंपने के लिए तथा नियमानुकूल उपयुक्त कानूनी कार्रवाई हेतु अधिकृत है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के

प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिए नगरपालिकाओं को राज्य सरकार की स्वीकृति से निनियम बनाने का अधिकार है। अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों के विकास और नियोजन के लिहाज से किसी नगरपालिका के लिए जिला योजना समिति के सदस्यों के चुनाव में भाग लेना और सुधार तथा अधिसंरचना विकास की योजनाएं तैयार करने का काम हाथ में लेना वांछित है। उक्त कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निष्पादन की राह में आने वाली कठिनाइयां दूर करने का दायित्व राज्य सरकार का है।

विभिन्न स्थानीय नगर निकायों को आरंभिक शेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्तियां, व्यय और अप्रयुक्त शेष सहित उपलब्ध धनराशि को जानकारी 2008-09 के लिए तालिका प 7.7 (परिशिष्ट) में और 2009-10 के लिए तालिका प 7.8 (परिशिष्ट) में दी गई है। ये आंकड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीनस्थ बिहार के स्थानीय लेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु स्थानीय नगर निकायों के लिए जारी रिपोर्ट पर आधारित हैं।

परिशिष्ट

तालिका प 7.1 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2010-11 और 2011-12

(लाख रु.)

अंचल	मूल्यवर्धित कर		केंद्रीय बिक्री कर		मनोरंजन कर		उत्पाद शुल्क		विज्ञापन कर	
प्रभाग	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**
पटना विशेष	237880	292456	3389	4464	0	0	6283	5156	0	0
पाटलिपुत्र	67185	88825	370	760	355	843	9	76	0	0
केंद्रीय प्रभाग	**305065**	**381281**	**3760**	**5224**	**355**	**843**	**6291**	**5233**	**0**	**0**
पटना पश्चिम	8019	9896	24	24	287	597	0	0	22	17
पटना केंद्रीय	7527	8438	86	107	3	2	0	0	4	8
पटना उत्तर	7765	9281	54	56	95	169	0	0	13	3
गांधी मैदान	2464	3218	100	122	0	0	0	0	11	11
पटना दक्षिण	6814	9129	40	67	2	4	0	0	0	0
कदमकुआं	2579	4423	14	26	1	1	0	0	0	0
पटना सिटी पूर्व	4099	5370	67	63	2	2	1	0	0	0
पटना सिटी पश्चिम	5872	7534	69	89	15	3	0	0	0	0
दानापुर	11115	15356	20	58	8	15	0	0	0	0
बाढ़	9538	11545	113	193	12	13	1	1	0	0
शाहाबाद	1612	2041	23	18	20	20	3	5	0	0
बक्सर	1350	1368	9	9	21	21	0	0	0	0
बिहारशरीफ	2805	3215	5	7	32	31	0	0	0	0
पटना प्रभाग	**71559**	**90814**	**624**	**839**	**499**	**877**	**4**	**6**	**51**	**40**
सासाराम	4032	5557	56	41	20	21	0	0	0	0
भभुआ	1090	1111	19	4	8	8	0	0	0	0
गया	4189	5523	172	238	56	58	0	0	0	0
जहानाबाद	1027	1140	1	0	1	1	0	0	0	0
नवादा	1243	1988	0	1	12	12	0	0	0	0
औरंगाबाद	2040	2790	7	3	5	9	0	0	0	0
गया प्रभाग	**13620**	**18109**	**255**	**288**	**101**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**
सारण	2401	3001	0	0	24	23	1	0	0	0
सीवान	1937	2209	7	8	12	15	0	0	0	0
गोपालगंज	1607	2114	6	3	11	11	0	0	0	0
मुजफ्फरपुर पश्चिम	6314	7374	160	220	26	29	4	5	0	0
मुजफ्फरपुर पूर्व	2458	3647	49	62	28	31	2	1	0	0
हाजीपुर	5603	7734	95	119	57	59	0	0	0	0
सीतामढ़ी	2483	2909	18	11	52	57	0	0	0	0
मोतिहारी	2633	3183	3	5	37	36	0	0	0	0
रक्सौल	334	535	12	11	11	9	0	0	0	0
बेतिया	3159	3193	6	15	30	35	6	8	0	0
बगहा	738	1286	13	3	8	6	2	0	0	0
तिरहुत प्रभाग	**29667**	**37185**	**369**	**458**	**296**	**311**	**15**	**14**	**0**	**0**
दरभंगा	3708	3851	6	7	60	61	0	0	0	0
समस्तीपुर	2505	3391	317	215	34	32	6	6	0	1
मधुबनी	1753	1861	5	7	19	23	0	0	0	0
झंझारपुर	528	559	0	1	1	1	0	1	0	0
बेगूसराय	2705	2969	187	112	31	31	131	96	0	0
तेघड़ा	250	319	63	75	6	7	0	0	0	0
दरभंगा प्रभाग	**11449**	**12951**	**579**	**417**	**151**	**154**	**138**	**103**	**0**	**1**
सहरसा	2958	3161	0	0	26	27	0	0	0	0
मधेपुरा	820	960	0	0	3	6	0	0	0	0
पूर्णिया	3294	4107	69	57	32	50	0	0	0	0
कटिहार	3270	3895	13	33	41	48	1	1	0	0
फार्बिसगंज	1609	2018	17	15	7	10	0	0	0	0
किशनगंज	978	1431	129	108	5	6	0	0	0	0
खगड़िया	1083	1032	1	2	9	9	0	0	0	0
पूर्णिया प्रभाग	**14012**	**16605**	**229**	**214**	**124**	**155**	**1**	**1**	**0**	**0**
भागलपुर	4336	5594	17	36	60	61	0	69	0	0
लखीसराय	846	987	6	3	5	5	0	0	0	0
मुंगेर	1738	1926	21	11	4	9	29	32	0	0
जमुई	925	1340	0	0	5	4	0	0	0	0
भागलपुर प्रभाग	**7846**	**9848**	**45**	**51**	**75**	**79**	**29**	**101**	**0**	**0**
राज्य	**453219**	**566792**	**5860**	**7490**	**1601**	**2529**	**6478**	**5458**	**51**	**41**

(जारी)

तालिका प 7.1 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2010-11 और 2011-12 (समाप्त)

(लाख रु.)

अंचल	विलासिता कर		प्रवेश कर		पेशा कर		योग		लक्ष्य	
प्रभाग	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
पटना विशेष	0	0	78921	103697	-	185	326473	405958	343000	411446
पाटलिपुत्र	0	0	40447	48586	-	88	108367	139179	125500	157500
केंद्रीय प्रभाग	**0**	**0**	**119368**	**152283**	-	**273**	**434839**	545137	**468500**	**568946**
पटना पश्चिम	193	255	1765	1503	-	350	10310	12643	11832	13735
पटना केंद्रीय	13	36	2660	3144	-	234	10293	11971	11385	14205
पटना उत्तर	67	72	1556	1637	-	380	9551	11597	11211	12944
गांधी मैदान	111	115	698	1079	-	61	3385	4607	3641	4536
पटना दक्षिण	0	3	3698	4440	-	23	10554	13665	10357	14567
कदमकुआं	8	13	503	645	-	12	3105	5120	3033	4285
पटना सिटी पूर्व	0	0	1856	2761	-	5	6025	8201	6716	8013
पटना सिटी पश्चिम	0	3	1041	1551	-	17	6998	9197	6992	9658
दानापुर	0	0	1430	2180	-	84	12572	17694	12195	17352
बाढ़	0	0	10864	18479	-	16	20529	30247	16157	29596
शाहाबाद	1	2	455	459	-	47	2113	2593	2786	2827
बक्सर	0	0	99	146	-	32	1479	1576	1578	2041
बिहारशरीफ	20	32	357	451	-	75	3218	3811	3388	4440
पटना प्रभाग	**413**	**532**	**26983**	**38475**	-	**1337**	**100131**	132921	**101271**	**138200**
सासाराम	1	1	626	977	-	68	4735	6665	4712	6549
भभुआ	1	2	210	307	-	26	1327	1458	1565	1834
गया	78	120	1738	2232	-	102	6232	8274	7031	8616
जहानाबाद	0	0	5	18	-	38	1034	1197	1065	1430
नवादा	0	0	72	56	-	54	1326	2110	1336	1832
औरंगाबाद	0	0	433	1639	-	44	2485	4486	2327	3440
गया प्रभाग	**80**	**123**	**3083**	**5230**	-	**332**	**17141**	24190	**18036**	**23701**
सारण	1	3	221	588	-	104	2648	3719	2825	3657
सीवान	1	2	457	649	-	63	2413	2946	2965	3330
गोपालगंज	0	1	114	326	-	39	1738	2495	1840	2400
मुजफ्फरपुर पश्चिम	4	6	3416	5855	-	141	9923	13630	10500	13697
मुजफ्फरपुर पूर्व	0	8	531	493	-	92	3070	4334	3700	4239
हाजीपुर	0	2	1102	1584	-	84	6857	9582	6242	9465
सीतामढ़ी	0	2	314	346	-	58	2867	3383	2840	3958
मोतिहारी	0	1	760	1073	-	68	3434	4366	3320	4743
रक्सौल	0	0	71	37	-	11	427	604	445	590
बेतिया	2	3	637	580	-	44	3840	3879	3635	5301
बगहा	0	0	49	203	-	15	811	1514	850	1121
तिरहुत प्रभाग	**8**	**29**	**7672**	**11734**	-	**719**	**38028**	50451	**39162**	**52500**
दरभंगा	3	5	623	730	-	95	4400	4749	5327	6074
समस्तीपुर	1	1	454	688	-	116	3317	4450	4139	4579
मधुबनी	1	1	458	557	-	51	2236	2500	2143	3087
झंझारपुर	0	0	5	4	-	19	534	584	586	738
बेगूसराय	0	1	23063	27409	-	94	26117	30711	27386	36057
तेघड़ा	2	2	160	153	-	4	481	561	500	665
दरभंगा प्रभाग	**6**	**10**	**24762**	**29541**	-	**378**	**37084**	43555	**40081**	**51200**
सहरसा	2	3	159	258	-	75	3145	3524	2800	4600
मधेपुरा	0	0	87	118	-	38	911	1122	1035	1330
पूर्णिया	3	4	1921	2570	-	48	5318	6834	5810	8050
कटिहार	4	8	898	1462	-	70	4228	5517	4385	5670
फार्बिसगंज	1	1	170	159	-	31	1803	2233	2222	2620
किशनगंज	0	0	461	745	-	21	1574	2312	1360	2280
खगड़िया	0	0	165	162	-	41	1259	1247	1250	1850
पूर्णिया प्रभाग	**9**	**16**	**3861**	**5473**	-	**324**	**18237**	22788	**18862**	**26400**
भागलपुर	9	13	11868	14308	-	130	16291	20210	18124	22622
लखीसराय	0	0	137	126	-	35	995	1157	1160	1382
मुंगेर	1	1	2946	1896	-	75	4738	3951	5711	6579
जमुई	0	0	91	50	-	23	1022	1419	1505	1417
भागलपुर प्रभाग	**10**	**14**	**15042**	**16381**	-	**263**	**23046**	26736	**26500**	**32000**
राज्य	**527**	**724**	**200772**	**259116**	-	**3626**	**668507**	845778	**712412**	**892947**

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

तालिका प 7.2 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2012-13 (सितंबर 2012 तक) (लाख रु.)

अंचल का नाम	मूल्यवर्धित कर	केंद्रीय बिक्री कर	मनोरंजन कर	उत्पाद शुल्क	विज्ञापन कर	विलासिता कर	प्रवेश कर	पेशा कर	योग	लक्ष्य
पटना विशेष	137711	1210	0	2046	0	0	44547	9	185522	188603
पाटलिपुत्र	46416	149	456	0	0	0	18541	10	65573	64530
केंद्रीय प्रभाग	**184127**	**1359**	**456**	**2046**	**0**	**0**	**63088**	**19**	**251095**	**253133**
पटना पश्चिम	4680	31	196	0	17	64	887	10	5886	6373
पटना केंद्रीय	4034	48	2	0	4	18	1919	9	6034	6372
पटना उत्तर	4613	29	48	0	0	26	882	173	5770	6658
गांधी मैदान	1653	65	0	0	2	49	469	5	2243	2380
पटना दक्षिण	4820	27	1	0	1	3	2066	10	6928	7458
कदमकुआं	2232	30	0	0	0	6	331	3	2602	2929
पटना सिटी पूर्व	2472	13	1	0	0	0	1650	0	4136	3993
पटना सिटी पश्चिम	4181	43	1	0	0	4	1112	0	5341	5298
दानापुर	8565	21	8	0	0	0	1181	1	9775	10288
बाढ़	6369	85	6	0	0	0	4920	0	11380	12021
शाहाबाद	959	10	9	0	0	2	280	8	1268	1227
बक्सर	656	2	8	0	0	0	84	1	750	852
बिहारशरीफ	1298	1	19	0	0	9	246	1	1574	1591
पटना प्रभाग	**46530**	**406**	**298**	**0**	**25**	**181**	**16027**	**221**	**63688**	**67442**
सासाराम	2597	25	8	0	0	1	491	0	3122	2950
भभुआ	602	4	3	0	0	1	142	0	752	586
गया	2890	91	31	0	0	21	1227	2	4263	4070
जहानाबाद	535	0	0	0	0	0	15	2	551	516
नवादा	992	0	6	1	0	0	29	0	1029	1152
औरंगाबाद	1588	2	8	0	0	0	1259	0	2857	2698
गया प्रभाग	**9204**	**121**	**57**	**1**	**0**	**23**	**3163**	**5**	**12574**	**11972**
सारण	1770	0	12	0	0	2	331	7	2122	1917
सीवान	1284	2	6	0	0	1	324	1	1618	1684
गोपालगंज	866	2	6	0	0	0	345	1	1220	1231
मुजफ्फरपुर पश्चिम	3578	45	14	1	0	5	2220	4	5867	7337
मुजफ्फरपुर पूर्व	2589	23	16	0	0	4	273	2	2906	2266
हाजीपुर	4433	32	23	0	0	1	993	20	5502	5472
सीतामढ़ी	1467	5	24	0	0	0	207	1	1704	1550
मोतिहारी	1583	1	20	0	0	1	540	1	2144	2334
रक्सौल	269	5	4	0	0	0	19	1	298	292
बेतिया	1594	7	19	2	0	1	265	1	1887	1890
बगहा	718	4	4	0	0	0	21	0	747	720
तिरहुत प्रभाग	**20151**	**126**	**147**	**3**	**0**	**15**	**5537**	**37**	**26015**	**26694**
सहरसा	2043	4	30	0	0	2	346	2	2426	2775
मधेपुरा	1546	63	10	4	1	0	381	4	2009	1979
पूर्णिया	895	1	13	0	0	1	224	3	1137	1324
कटिहार	264	1	0	0	0	0	4	0	269	325
फार्बिसगंज	1318	14	12	0	0	0	14148	1	15492	14477
किशनगंज	124	22	2	0	0	0	115	0	264	278
खगड़िया	**6191**	**104**	**67**	**4**	**1**	**3**	**15217**	**10**	**21598**	**21157**
पूर्णिया प्रभाग	1589	0	13	0	0	2	195	1	1799	1695
लखीसराय	595	0	4	0	0	0	92	1	691	604
मुंगेर	2038	56	26	0	0	3	1450	3	3575	3389
जमुई	1800	15	24	0	0	3	459	18	2320	2772
भागलपुर	880	18	6	0	0	0	114	0	1018	1062
भागलपुर प्रभाग	682	27	3	0	0	0	440	0	1153	1166
दरभंगा	566	1	5	0	0	0	100	2	673	650
समस्तीपुर	**8149**	**117**	**80**	**0**	**0**	**8**	**2850**	**25**	**11229**	**11338**
मधुबनी	2677	31	28	7	0	5	5841	3	8592	11442
झंझारपुर	338	4	2	0	0	0	53	0	398	456
बेगूसराय	832	8	4	13	0	0	876	1	1735	1888
तेघड़ा	529	0	2	0	0	0	61	0	593	546
दरभंगा प्रभाग	**4375**	**43**	**37**	**20**	**0**	**5**	**6831**	**5**	**11317**	**14332**
राज्य	**278726**	**2275**	**1141**	**2075**	**26**	**236**	**112714**	**324**	**397516**	**406067**

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 7.3 : जिलावार दस्तावेजों की सं., स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से राजस्व, 2010-11 और 2011-12

(करोड़ रु.)

जिला	दस्तावेजों की सं.		निबंधन शुल्क		स्टांप शुल्क		कुल प्राप्ति		लक्ष्य	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
पटना	81602	85195	52	94	182	243	233	337	268	385
नालंदा	27163	28930	7	9	21	28	28	37	38	47
भोजपुर	22854	24229	7	10	2	27	9	37	33	40
बक्सर	12351	12633	4	6	12	17	17	23	22	27
रोहतास	23118	17117	7	7	20	19	28	26	36	44
कैमूर	11702	17969	4	7	10	18	13	25	17	20
गया	31234	34943	12	15	37	53	49	68	63	89
जहानाबाद	8610	13691	3	6	8	17	11	23	14	16
अरवल	5098	6637	1	2	3	7	4	9	6	7
नवादा	16148	10958	3	3	9	9	12	12	17	20
औरंगाबाद	20156	18211	6	6	17	18	24	24	30	36
सारण	30864	32440	8	10	22	28	30	37	37	45
सीवान	32400	32289	9	11	25	31	34	42	44	55
गोपालगंज	27872	28185	7	9	20	25	28	34	36	43
पश्चिम चंपारण	41690	48853	9	13	27	35	36	48	45	55
पूर्वी चंपारण	57670	51526	12	14	32	40	44	54	63	79
मुजफ्फरपुर	50410	51362	16	25	43	63	58	88	68	95
सीतामढ़ी	38310	23256	8	8	25	21	33	29	38	47
शिवहर	6858	18434	1	7	4	19	5	26	7	8
वैशाली	28468	34375	10	12	30	35	40	47	48	60
दरभंगा	34456	33381	9	13	26	37	35	51	44	55
मधुबनी	40928	41147	9	12	25	32	35	43	42	53
समस्तीपुर	39323	42674	9	12	26	44	35	56	45	56
बेगूसराय	23962	16847	8	7	24	22	32	29	43	52
मुंगेर	7667	7946	3	3	8	11	10	14	12	14
शेखपुरा	6743	7847	1	2	4	6	5	7	8	9
लखीसराय	8950	12568	2	4	5	12	6	16	11	13
जमुई	13082	19260	3	7	8	21	11	28	14	16
खगड़िया	14304	12834	4	4	9	11	13	15	17	20
भागलपुर	26701	26279	10	12	31	40	42	52	50	68
बांका	13742	13570	4	5	11	14	14	19	18	21
सहरसा	18151	18666	4	6	12	18	16	24	18	21
सुपौल	20502	21786	4	5	11	13	15	18	19	22
मधेपुरा	19350	20893	4	5	10	15	14	20	19	23
पूर्णिया	38848	40341	9	10	27	29	36	39	42	52
किशनगंज	20780	29920	4	7	11	20	15	27	19	22
अररिया	32108	26595	5	6	14	17	20	24	22	26
कटिहार	38370	34771	7	8	19	23	26	31	31	38
योग	**992545**	**1018558**	**285**	**404**	**831**	**1137**	**1116**	**1541**	**1400**	**1800**

स्रोत : निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 7.4
20 विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कार्यों के विवरण

क्र. सं.	गतिविधि	पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कार्यों की संख्या		
		ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
1	कृषि	4	6	6
2	राजस्व एवं भूमि विकास	10	1	शून्य
3	जल संसाधन (लघु सिंचाई)	8	3	2
4	पशुपालन एवं मत्स्यपालन	10	3	8
5	वन एवं पर्यावरण	5	5	5
6	उद्योग	6	6	6
7	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	3	3	4
8	ग्रामीण विकास	3	2	1
9	ग्रामीण अभियंत्रण (सड़क, पुल, पुलिया आदि)	1	1	2
10	ऊर्जा	3	3	3
11	प्राथमिक शिक्षा	9	8	7
12	वयस्क शिक्षा	1	1	1
13	साक्षरता	1	1	1
14	सांस्कृतिक गतिविधियां	3	2	3
15	चिकित्सा	1	1	शून्य
16	परिवार कल्याण	1	1	शून्य
17	सामाजिक कल्याण	5	5	5
18	विकलांग कल्याण	2	4	4
19	सार्वजनिक वितरण व्यवस्था	2	3	3
20	राहत एवं पुनर्वास	1	1	शून्य
	योग	79	60	61

तालिका प 7.5

पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित क्रियाकलापों के विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित गतिविधियां	पंचायत समितियों को हस्तांतरित गतिविधियां	जिला परिषदों को हस्तांतरित गतिविधियां	सुपुर्दकर्ता विभाग
1	• व्यक्तिगत लघु सिंचाई लाभ योजनाओं का नियंत्रण, निरीक्षण और पर्यवेक्षण	• भूतल सिंचाई योजनाओं पर नियंत्रण	• पर्यवेक्षण और स्थल निरीक्षण	लघु सिंचाई विभाग
2	• अनेक योजनाओं में लाभार्थियों का चयन, चरागाह विकास का दायित्व, महामारी और संसर्गज रोगों का नियंत्रण, मृत पशुओं का निपटान	• कुछ योजनाओं में लाभार्थियों का चयन। • आकस्मिक अवकाश मंजूर करने के मामले में प्रखंड स्तरीय कर्मचारियों पर नियंत्रण।	• अनेक योजनाओं में लाभार्थियों का चयन करना, अवकाश स्वीकृति के मामले में विभागीय कर्मचारियों पर नियंत्रण।	पशुपालन एवं मत्स्यपालन
3	• हथकरघा एवं हस्तशिल्प योजनाओं के क्रियान्वयन की अनुशंसा, ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर वित्तोय सहायता या ऋण पाने वाली बुनकर सहकारी समितियों का पर्यवेक्षण	• हथकरघा/ पावरलूम, रेशम प्रशिक्षण, विस्तार तथा उत्पादन केंद्रों के पर्यवेक्षण और निरीक्षण का अधिकार	• अनुश्रवण, नए लघु उद्योगों की स्थापना, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के लाभार्थियों की अनुशंसा, विकास केंद्रों के चयन की अनुशंसा, उद्यमिता विकास के प्रत्याशियों की अनुशंसा, हथकरघा/ पावरलूम, रेशम प्रशिक्षण, विस्तार तथा उत्पादन केंद्रों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण	उद्योग
4	• चापाकलों की सामान्य और विशेष मरम्मत की योजनाओं का काम हाथ में लेना, संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत बीपीएल लाभार्थियों का चुनाव करना	• नए चापाकल लगाने और मौजूद चापाकलों की मरम्मत का अनुश्रवण, अन्य जलापूर्ति योजनाओं का पर्यवेक्षण	• प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में चापाकल लगाने के लिए पंचायतों का चुनाव, पाइप आधारित जलापूर्ति योजनाओं में प्राथमिकता तय करना, 'प्रकल्प' और ग्रामीण जलापूर्ति योजना में विभागीय कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
5	• 50 हजार रु. तक की जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का क्रियान्वयन, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों का चुनाव, इंदिरा आवास योजना में लाभार्थियों का चुनाव	•	•	ग्रामीण विकास विभाग
6	• ग्रामीण सड़कों और नालियों का रखरखाव, उन्नयन या नवनिर्माण	• सार्वजनिक सड़कों, नालियों, पुलियों और आवगमन के अन्य साधनों का निर्माण एवं रखरखाव	• रखरखाव और उन्नयन के लिए जिले में सड़कों, पुलों और पुलियों की प्राथमिकता तय करना	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

7	• ग्रामोण विद्युतीकरण योजना का अनुश्रवण और पर्यवेक्षण, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिए लाभार्थियों का चुनाव	• ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का अनुश्रवण और पर्यवेक्षण, सौर पैनल लगाने के लिए स्थलों की अनुशंसा	• पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का चुनाव जहां ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों की योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु योजना निर्माण और इस मकसद से चुने गए गांवों के मामले में प्राथमिकता निर्धारण	ऊर्जा विभाग
8	• नया विद्यालय खोलने के लिए स्थल का चुनाव, विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय भवन के मरम्मत कार्य का पर्यवेक्षण, पारा शिक्षकों (2001) और प्रारंभिक शिक्षकों (2006) की नियुक्ति, मध्याह्न भोजन योजना का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन	• प्राथमिक विद्यालय के मध्य विद्यालय में उत्क्रमण की अनुशंसा, विद्यालय भवन की मरम्मत के लिए धनराशि का आबंटन, प्रखंड के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण का अधिकार, मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन	• सरकार द्वारा शिक्षकों की स्वीकृत इकाइयों का ग्राम पंचायतों के बीच बंटवारा, विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु धनराशि का आबंटन, माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति, अपने जिले के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण का अधिकार, मध्याह्न भोजन योजना का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन	शिक्षा विभाग
9	• दवा का समुचित वितरण सुनिश्चित करना	• खास-खास रोगों के खिलाफ अभियान चलाकर रोगियों की पहचान करना और उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों तक लाना	• दवा का वितरण और कुछ खास रोगों के विरुद्ध अभियान जैसे क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण	स्वास्थ्य विभाग
10	• केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सहायता के पात्र व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों की अनुशंसा करना, निम्न विद्यालयों में लाभार्थियों का चुनाव, नवीकरण और छात्रवृत्ति वितरण, आंगनवाड़ी भवन और बाल विकास परियोजना गोदाम हेतु स्थल चयन, आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का चुनाव, पोषक पदार्थों के वितरण और चिकित्सीय देखरेख पर नियंत्रण	• उच्च विद्यालयों में लाभार्थियों का चुनाव, नवीकरण और छात्रवृत्ति वितरण, आंगनवाड़ी भवन और बाल विकास परियोजना गोदाम हेतु स्थल चयन, पोषक पदार्थों के वितरण और चिकित्सीय देखरेख पर नियंत्रण	• आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण, विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति का पर्यवेक्षण, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों द्वारा पोषक पदार्थों के वितरण और चिकित्सीय देखरेख की गतिविधियों का पर्यवेक्षण	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग

11	• प्रवासी और असंगठित मजदूरों की पंजी का संधारण, मुक्त बंधुआ मजदूरों की सूची का संधारण और उनके पुनर्वास की अनुशंसा करना, मातृत्व लाभ योजना, परिवार कल्याण योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में लाभार्थियों का चुनाव और मृतकों को सूची से हटाना, न्यूनतम मजदूरी भुगतान पर नजर रखना		• सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के मामले में पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की अनुशंसाओं पर विचार करना	श्रम, नियोजना एवं प्रशिक्षण सा
12	• अन्नपूर्णा योजना और अंत्योदय योजना के तहत नए लाभार्थियों का चुनाव, जन वितरण प्रणाली के जरिए सामग्रियों के वितरण, राशन कार्ड निर्माण आदि का अनुश्रवण	• जन वितरण प्रणाली के जरिए सामग्रियों के वितरण, राशन कार्ड निर्माण आदि का अनुश्रवण	• सामान्य पर्यवेक्षण करना	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
13	• राहत वितरण हेतु लाभार्थियों की सूची तैयार करना, यह देखना मुखिया का कर्तव्य कि उसके क्षेत्र में भूख से कोई न मरे	• प्राकृतिक आपदाओं में एक वर्ष में 25 हजार रु. तक राहत स्वीकृत करने का अधिकार प्रमुख को	• प्राकृतिक आपदाओं में एक वर्ष में 1 लाख रु. तक राहत स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष को	आपदा एवं पुनर्वास (आपदा प्रबंधन विभाग)

तालिका प 7.6

पंचायती राज विभाग को धनराशि का जिलावार आबंटन (2010-11 से 2012-13 तक)

(लाख रु.)

जिला	जिला परिषद			पंचायत समिति		
	2010-11	2011-12 पु.अ.	2012-13 ब.अ.	2010-11	2011-12 पु.अ.	2012-13 ब.अ.
पटना	169	764	794	319	1534	1572
नालंदा	213	498	599	401	1003	1193
भोजपुर	175	472	560	359	957	1136
बक्सर	172	345	396	248	696	811
रोहतास	224	527	635	416	1037	1227
कैमूर	196	367	423	388	741	859
गया	267	692	836	510	1400	1674
जहानाबाद	105	232	275	204	428	499
अरवल	76	170	198	148	316	370
नवादा	210	447	536	392	858	1002
औरंगाबाद	231	497	608	419	937	1106
सारण	157	784	831	275	1540	1591
सीवान	60	602	762	56	1104	1329
गोपालगंज	195	524	644	343	989	1171
पश्चिम चंपारण	267	654	788	508	1341	1605
पूर्व चंपारण	256	821	1004	473	1701	2056
मुजफ्फरपुर	268	740	889	532	1564	1890
सीतामढ़ी	252	614	752	462	1241	1489
शिवहर	147	215	247	280	396	445
वैशाली	247	609	745	445	1237	1487
दरभंगा	255	670	810	490	1354	1625
मधुबनी	295	780	946	575	1660	2012
समस्तीपुर	233	742	901	439	1496	1759
बेगूसराय	185	536	640	358	1079	1281
मुंगेर	137	251	293	280	473	565
शेखपुरा	103	186	207	204	351	391
लखीसराय	141	232	261	283	450	510
जमुई	188	365	421	375	743	866
खगड़िया	182	350	415	347	684	798
भागलपुर	199	478	570	384	966	1148
बांका	167	416	482	331	834	974
सहरसा	177	379	447	348	749	878
सुपौल	198	420	484	401	893	1057
मधेपुरा	172	393	459	335	810	952
पूर्णिया	147	910	706	256	1460	1567
किशनगंज	140	331	381	278	697	820
अररिया	122	594	588	238	1232	2301
कटिहार	187	531	634	357	1075	1277
योग	7115	19136	22167	13458	38024	45294

(जारी)

तालिका प 7.6

पंचायती राज विभाग को धनराशि का जिलावार आबंटन (2010-11 से 2012-13 तक) (जारी)

(लाख रु.)

जिला	ग्राम पंचायत			योग		
	2010-11	2011-12 पु.अ.	2012-13 ब.अ.	2010-11	2011-12 पु.अ.	2012-13 ब.अ.
पटना	1723	7219	6637	2211	9517	9003
नालंदा	1985	4915	5046	2598	6416	6839
भोजपुर	1767	4603	4715	2301	6032	6410
बक्सर	1489	3930	4003	1908	4971	5209
रोहतास	2046	5734	5869	2685	7298	7732
कैमूर	1657	4390	4274	2241	5498	5556
गया	2568	7307	7472	3345	9400	9982
जहानाबाद	932	2901	2837	1241	3561	3611
अरवल	674	2270	2281	897	2756	2849
नवादा	1818	4894	4845	2420	6199	6383
औरंगाबाद	1855	5044	5169	2505	6479	6883
सारण	1599	7597	7284	2032	9920	9706
सीवान	829	6321	6430	946	8027	8521
गोपालगंज	1756	5589	5648	2294	7102	7463
पश्चिम चंपारण	2548	7134	7197	3322	9129	9590
पूर्व चंपारण	2578	8448	8764	3307	10969	11824
मुजफ्फरपुर	2612	7986	8336	3412	10290	11115
सीतामढ़ी	2222	6276	6386	2936	8131	8627
शिवहर	1106	2600	2404	1533	3212	3096
वैशाली	2203	6576	6629	2896	8422	8860
दरभंगा	2486	7143	7245	3231	9167	9680
मधुबनी	2939	8217	8643	3809	10658	11602
समस्तीपुर	2433	8110	8288	3105	10349	10948
बेगूसराय	1884	5816	6060	2427	7431	7981
मुंगेर	1450	2938	3103	1868	3662	3961
शेखपुरा	821	2342	2342	1128	2879	2941
लखीसराय	1146	2854	2843	1570	3536	3613
जमुई	1612	4136	4265	2176	5243	5552
खगड़िया	1461	3855	3799	1990	4889	5013
भागलपुर	1916	5373	5682	2499	6816	7400
बांका	1522	4806	4854	2020	6055	6310
सहरसा	1555	3521	3422	2081	4648	4747
सुपौल	1750	3869	3981	2349	5182	5522
मधेपुरा	1523	3638	3741	2030	4840	5152
पूर्णिया	1372	6219	6015	1775	8589	8288
किशनगंज	1272	3760	3735	1690	4788	4935
अररिया	1247	6025	5435	1607	7852	8324
कटिहार	1706	5534	5768	2251	7140	7680
योग	66061	199890	201446	86634	257051	268907

(समाप्त)

तालिका प 7.7

31.03.2009 तक प्राप्त अनुदान, किया गया खर्च और अप्रयुक्त शेष

(लाख रु.)

क्र.सं.	स्थानीय नगर निकाय	आरंभिक शेष	प्राप्तियां	व्यय	अप्रयुक्त शेष
1	आरा	33.31	48.24	9.48	72.07
2	औरंगाबाद	13.96	0	10.89	3.07
3	बिहारशरीफ	424.49	23.01	202.56	244.94
4	बिहटा	17.05	59.98	55.03	22
5	बेगूसराय	17.85	21.26	3.48	35.63
6	भागलपुर	458.02	301.43	254.21	505.24
7	बेलसंड	7.66	134.84	37.93	104.57
8	बक्सर	50.81	40.91	73.37	18.35
9	बगहा	140.77	75.28	67.12	148.93
10	बनमनखी	0	55.01	13.36	41.65
11	भभुआ	31.89	75.78	40.7	66.97
12	बरबीघा	13.14	35.2	14.7	33.64
13	छपरा	15.02	60.31	32.31	43.02
14	दरभंगा	548.02	184.03	35.68	696.37
15	डेहरी डालमियानगर	80.59	88.56	64.52	104.63
16	डुमरांव	46.98	36.87	21.58	62.27
17	फतुहा	1.68	114.07	61.16	54.59
18	गया	746.56	447.32	109.65	1084.23
19	गोपालगंज	8.76	103.85	97.47	15.14
20	हाजीपुर	8.73	44.15	31.3	21.58
21	जमालपुर	0.47	21.27	0	21.74
22	जम्होर	4.53	1.35	0.98	4.9
23	जमुई	84.2	139.94	103	121.14
24	झाझा	17.73	222.81	151.34	89.2
25	कहलगांव	0	18.02	8.6	9.42
26	कटिहार	133.07	173.02	114.65	191.44
27	खगड़िया	34.22	86.77	39.3	81.69
28	खगौल	15.83	37.43	27.98	25.28
29	लखीसराय	127.7	53.71	64.75	116.66
30	मनिहारी	0	56.69	11.03	45.66
31	मसौढ़ी	17.59	176.81	156.04	38.36
32	मीरगंज	1.93	29.96	17.51	14.38
33	मोतिहारी	19.22	150.39	89.99	79.62
34	मुजफ्फरपुर	500.93	993.88	1023.98	470.83
35	नबीनगर	5.61	71.81	50.8	26.62
36	नरकटियागंज	59.89	238.18	231.96	66.11
37	नौगछिया	0	33.13	0	33.13
38	नवादा	42.71	268.96	200.12	111.55
39	नोखा	0	61.17	9.55	51.62
40	पीरो	5.38	34.99	20.78	19.59
41	रक्सौल	0.05	92.15	79.91	12.29
42	सासाराम	36.22	48.3	46.14	38.38
43	शेखपुरा	65.07	54.56	42.59	77.04
44	सीतामढ़ी	87.59	101.9	68.9	120.59
45	सुपौल	8.37	145.58	54.03	99.92
		3933.6	**5262.88**	**3850.43**	**5346.05**

तालिका प 7.8

31.03.2010 तक प्राप्त अनुदान, किया गया खर्च और अप्रयुक्त शेष

(लाख रु.)

क्र.सं.	स्थानीय नगर निकाय	आरंभिक शेष	प्राप्तियां	व्यय	अप्रयुक्त शेष
1	आरा	164.09	1712.11	222.48	1653.72
2	बख्तियारपुर	0	471.09	275.01	196.08
3	बांका	6.95	110.95	45.78	72.12
4	बेगूसराय	168.55	1400.1	176.86	1391.79
5	भागलपुर	300.26	445.67	385.36	360.57
6	बिहारशरीफ	118.35	192.2	174.98	135.57
7	बिक्रमगंज	24.17	92.71	47.78	69.1
8	बीरपुर	298.98	293.66	212.66	379.98
9	चकिया	37.28	964.44	898.06	103.66
10	दलसिंगसराय	53.4	75.87	8.27	121
11	दानापुर निजामत	74.63	273.87	258.51	89.99
12	दरभंगा	1060.72	1831.08	481.82	2409.98
13	ढाका	23.07	63.37	40.24	46.2
14	फार्बिसगंज	118.84	260.41	209.6	169.65
15	गया	260.95	1512.78	253.84	1519.89
16	जगदीशपुर	0	177.77	45.19	126.58
17	कांटी	10.72	4.6	4.54	10.78
18	कटेया	4.1	43.07	35.04	12.13
19	किशनगंज	39.77	11.69	6.7	44.76
20	मधुबनी	18.95	109.77	14.96	113.76
21	मखदुमपुर	11.88	26.85	27.02	11.71
22	मढ़ौरा	26.77	3.81	0.01	30.57
23	मोकामा	156.29	261.93	32.8	385.42
24	मोतीपुर	3.81	324.87	196.69	131.99
25	मुजफ्फरपुर	476.04	2771.62	1751.59	1496.07
26	फुलवारीशरीफ	13.4	0.78	5.46	8.72
27	पूर्णिया	1056.37	1272.93	1537.99	791.31
28	रोसड़ा	15.19	0.63	0.68	15.14
29	सहरसा	237.13	140.71	132.89	244.95
30	समस्तीपुर	140.39	349.54	174.01	315.92
31	शिवहर	34.83	60.34	5.63	89.54
32	सीवान	402.41	239.92	75.25	567.08
33	सोनपुर	11.75	48.29	9.43	50.61
	योग	**5370.04**	**15549.43**	**7747.13**	**13166.34**